Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 21वां दिवस [संख्या 17

सोमवार,

दिनांक 20 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री उगमराज मेहता।

जिला पाली के बगड़ी के प्रसूति गृह में स्टाफ की कमी

371. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बगड़ी (जिला पाली) में प्रसूति गृह सेठ दलीचन्द जुगराज जैन ने बनवा कर सरकार को दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रसुति गृह में लेडी डाक्टर तथा पूरा स्टाफ नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त पार्टी से रुपये 32,000 दो वर्ष के खर्च के लिये जमा करवाये ? यदि हां, तो वहां अभी तक पूरा स्टाफ क्यों नहीं भेजा गया ?

(4) अब राज्य सरकार वहां लेडी डाक्टर तथा पूरा स्टाफ कब तक भेजेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) बगड़ी स्थित श्रीमती पानी बाई जुगराज कागेला राजकीय डिस्पैन्सरी के साथ प्रसूति कक्ष वहां की जैन सेवा समिति द्वारा निर्माण कराया गया है।

(2) दान की शर्तों की पूर्ति होने पर ही स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति करना संभव होगा।

(3) व (4) जैन सेवा समिति, बगड़ी द्वारा 39 हजार रुपये जमा कराये गये हैं। दान-पत्र के निष्पादन होते ही स्वीकृत स्टाफ लगा दिया जायेगा।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व कांग्रेस के चिकित्सा मंत्री, श्री छंगाणी तथा श्री जोशीजी, मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भवन निर्माण होते ही प्रसूति गृह के लिये लेडी डाक्टर भेज दी जायगी। उसके बाद शासन सचिव, श्री एल. एन. गुप्ता ने पत्र द्वारा 39 हजार रुपये के लिये लिखा, जो भी जमा करा दिया गया। उसके बाद भी लेडी डाक्टर नहीं भेजी गई और न ही स्टाफ

Page No 2

(७)

(श्री उगमराज मेहता)
भेजा गया । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक लेडी डाक्टर की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया है, जैन सेवा समिति ने 39 हजार रुपये जमा कराये हैं और विभाग ने प्रोविजन भी कर दिया है, लेकिन जो भवन बनाया गया है उसका दान-पत्र अभी निष्पादित नहीं हुआ । अगर भवन बनाया जाता है और उसका निष्पादन नहीं होता है तो वह न तो राज्य सरकार का रहता है न दान-दाता का और उसकी मरम्मत कराने में दिक्कत आती है । इसलिये 20-2-77 को पत्र लिखा गया कि दान-पत्र को निष्पादित करा दिया जाये । उसके बाद रिमाइन्डर भी भेजा है । जैसे ही दान-पत्र निष्पादित हो जायेगा, स्टाफ भेजा जायेगा ।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद): प्रश्न दान-पत्र के निष्पादन होने का नहीं है । प्रश्न लेडी डाक्टर की पोस्टिंग का है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि लेडी डाक्टर को भेज दिया जायेगा ।

श्री **कल्याण सिंह सांखला** (अजमेर, पूर्व) : मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि अस्पताल के लिये जो दान-दाताओं द्वारा बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल आता है, उसमें पी. डब्ल्यू . डी . को देख-रेख के लिये 22 प्रतिशत देना कम्पलसरी होता है क्या ?

श्री **वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : दान-पत्र निष्पादन कराने में एक वर्ष से अधिक समय लग गया है तो आप दान-दाताको बुलाकर निष्पादन करा क्यों नहीं देते ? फिर स्टाफ की व्यवस्था कर दीजिये ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : हमने उनको पत्र लिख दिया है, रिमाइन्डर भी भेज दिया । स्टाफ का प्रावधान भी है । केवल डीड रजिस्टर होने की बात रह गई है ।

श्री **उगमराज मेहता** : उनको कोई पत्र नहीं मिला है । उन्होंने बार-बार लेडी डाक्टर के लिये लिखा है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप एक पत्र की प्रति-लिपि माननीय सदस्य को भी दे दें ।

श्री **त्रिलोक चन्द जैन** : माननीय सदस्य इसमें सहयोग दें । लेडी डॉक्टर जरूर भेज दी जायेगी ।

श्री **उपाध्यक्ष** : **नैक्स्ट । श्री नरपत राम बरवड़** ।

जोधपुर घंटाघर ओवर ब्रिज स्कीम में दुकानों का आवंटन

372. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूर-सागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर घन्टाघर ओवर ब्रिज स्कीम में दुकानों का आवंटन अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? अगर हां, तो कब तक पूरा हो जायेगा ? इस स्कीम में नियमानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को कितने भू-खण्ड आवंटन किये गये हैं ? अगर नहीं किये गये हैं, तो क्यों नहीं किये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये

(श्री नरपतराम बरवड़)
पूरा प्रयास किया जाये ? उसके बावजूद भी घन्टाघर ओवर ब्रिज स्कीम में दुकानों के भू-खण्ड अनुसूचित जाति के लोगों को क्यों नहीं आवंटित किये गये हैं ? क्या राज्य सरकार शेष बची हुए दुकानों के भू-खण्ड केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही आवंटित करने का आदेश जारी करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) घन्टाघर ओवर ब्रिज स्कीम में कुल दुकानों के कितने भू-खण्ड हैं ? उनमें से कितने भू-खण्ड नीलाम किये गये, कितने भू-खण्ड आवंटित किये गये तथा किन-किन को किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) घंटाघर ओवर ब्रिज स्कीम के निर्माण से पूर्व यहां से कितनी दुकानों के कब्जे हटाये गये तथा उन्हें इसी स्कीम में दुकानों के भू-खण्ड आवंटित किये अथवा नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं किये गये ? क्या राज्य सरकार उन लोगों को इस स्कीम में भू-खण्ड आवंटन करने बाबत आदेश जारी करेगी और अनुसूचित जाति के बेदखल किये गये दुकानदारों को आवंटन करने में प्राथमिकता देगी?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (**श्री विज्ञान मोदी**) : (1) घंटाघर ओवर ब्रिज योजना मूलतः व्यावसायिक योजना होने के कारण भू-खण्ड आवंटन का प्रावधान न होकर नीलामी का ही प्रावधान है ।

(2) भू-खण्डों की नीलामी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के लिये कोई पाबन्दी नहीं है ।

(3) घंटाघर स्कीम में कुल भू-खण्ड 202 हैं । 31 भू-खण्ड नीलाम हो चुके हैं व भू-खण्ड सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक हेतु दिये गये हैं । शेष भू-खण्ड खाली हैं । खरीदारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) घंटाघर स्कीम के निर्माण के पूर्व 46 दुकानों के कब्जे हटाये गये थे । उन्हें इस स्कीम में दुकानों के भू-खण्ड आवंटन नहीं किये गये । क्योंकि नियमों में आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री **नरपतराम बरवड़** : क्या यह सही है कि किसी भी यू. आई. टी. की स्कीम के अन्दर 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जन-जाति और 9 प्रतिशत एक्स-सोल्जर्स के लिये रिजर्व रखे जाते हैं, चाहे वह अलाटमेंट की स्कीम हो, चाहे नीलामी की स्कीम हो ?

श्री **विज्ञान मोदी** : जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह व्यावसायिक योजना है । व्यावसायिक योजना में नीलामी का ही प्रावधान है, आवंटन का नहीं ।

श्री **टीकम चन्द कांत** (जालौर) : जिस प्रकार दो भू-खण्ड सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को अलाट किये गये हैं, उसी प्रकार अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये क्यों नहीं आवंटन का प्रावधान रखा जाता ?

श्री **विज्ञान मोदी** : नियमों में केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही आवंटन करने का प्रावधान है ।

श्री **नरपतराम बरवड़** : जिन अनुसूचित जाति के लोगों को बेदखल किया

(श्री नरपतराम बरवड़)
गया है, उनको तो प्रायोरिटी देने का प्रावधान होना चाहिये ।

श्री विज्ञान मोदी : इस क्षेत्र में जिन अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को इस योजना के अन्तर्गत हटाया गया है, उनको दूसरे स्थान पर भू-खण्ड दिये गये हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : इस प्रकार की नीलामी में तो केवल वह ही लोग खरीद सकेंगे जिनके पास पैसा है चाहे उनके पास पहले से ही अधिक दुकानें क्यों न हों। नीलामी में तो ऐसे लोगों को ही दुकानें मिलती हैं ।

श्री विज्ञान मोदी : व्यावसायिक भू-खण्डों के लिये केवल नीलामी का ही प्रावधान है ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री विरदमल सिंघवी ।

राजस्थान नहर परियोजना की लिफ्ट सिंचाई योजना

373. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना में लिफ्ट सिंचाई योजना भी थी, जो रद्द कर दी गई ?

(2) लिफ्ट सिंचाई से कितनी भूमि सिंचित होती और किस क्षेत्र की होती ? और बिना लिफ्ट के कितनी भूमि सिंचित होगी और किस क्षेत्र की होगी ?

(3) राजस्थान नहर परियोजना पर कुल कितना अनुदान विनिमय हुआ है ? अलग-अलग राशि वर्षानुक्रम से सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

राजस्थान नहर मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण की लूणकरणसर-बीकानेर लिफ्ट सिंचाई योजना है एवं इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। द्वितीय चरण में पांच लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित करने का निर्णय राज्य सरकार ने 1976 में लिया था, जिस पर राज्य सरकार पुनः विचार कर रही है ।

(2) राजस्थान नहर योजना के प्रथम चरण में लूणकरणसर-बीकानेर लिफ्ट सिंचाई योजना से 0.51 लाख हैक्टेयर व बहाव से लगभग 4.9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में (110 प्रतिशत वार्षिक सिंचाई सघनता से) सिंचाई होगी। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 1976 में लिये गये निर्णय के अनुसार लगभग 2.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में (नोहर साहबा, गजनेर, कोलायत, पोकरण व फलौदी क्षेत्र) लिफ्ट द्वारा एवं 5.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बहाव द्वारा (92 प्रतिशत वार्षिक सिंचाई सघनता से) सिंचाई का प्रावधान है । द्वितीय चरण में बिना लिफ्ट के 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में मुख्य नहर के दाईं ओर बहाव द्वारा (110 प्रतिशत वार्षिक सिंचाई सघनता से) सिंचाई होगी (क्षेत्र बीकमपुर, बीसलपुर, दतौर, जैसलमेर, मोहनगढ़, रामगढ़, नाचना) ।

(3) राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिये जो बजट आवंटित हुआ

(श्री केदारनाथ)
उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1975-76	22.50 करोड़
1976-77	24.13 करोड़
1977-78	30.00 करोड़

(पूरे ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)।

श्री बिरदमल सिंघवी : तत्कालीन सरकार ने जो लिफ्ट कैनाल के बारे में निर्णय लिया था, यदि वह लिफ्ट कैनाल हाथ में नहीं ली जाय तो जैसलमेर और बाड़मेर में ज्यादा पानी जा सकता है।

श्री केदारनाथ : अगर लिफ्ट योजना शामिल नहीं की जाये तो इन्टेन्सिटी 110 प्रतिशत रहेगी।

श्री मूलचन्द डागा : लिफ्ट ईरिगेशन की स्कीम एक दफा मन्जूर होने के बाद आप को क्या जरूरत पड़ी कि आप पुनः विचार कर रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : उसका मेन फैक्टर यह है कि पावर की शार्टेज है। 65 मेगावाट बिजली चाहियें लिफ्ट इर्रिगेशन के लिये और 24 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडीचर होगा। दूसरे, जिस एरिया को सर्व कर रहे हैं, उसका आब्जेक्टिव यह था कि डेजर्ट के पशुधन को बचाया जा सके। हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर तो दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या लिफ्ट योजना के रद्द किये जाने के बाद में जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्र में पीने के पानी के लिये कोई योजना राज्य सरकार ने बनायी है ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि क्या राज्य सरकार लिफ्ट योजनायें जहां-जहां पर रद्द कर दी गयी हैं उन क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

(व्यवधान)

जहां-जहां पर लिफ्ट योजना के अन्तर्गत पीने के पानी और सिंचाई के लिये जो योजना बनायी थी उसको रद्द किये जाने के बाद उन एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करने के लिये क्या राज्य सरकार कोई इन्तजाम कर रही है ?

श्री केदारनाथ : जहां-जहां भी लिफ्ट ईरिगेशन से वाटर सप्लाई करने की स्कीम्स थीं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिये कार्यवाही कर रही है।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर, अजमेर, कोलायत, जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके में ड्रिंकिंग वाटर के लिये कार्यवाही के बारे में....

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर): जो लिफ्ट योजना रद्द कर दी गयी है उसको पुनः लागू करने के लिये क्या राज्य सरकार विचार कर रही है ?

श्री केदारनाथ : रद्द नहीं की है। उस पर नये सिरे से विचार कर रही है, देख रही है, उसमें क्या दिक्कतें हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या यह सही है कि धन, श्रम, टेक्निकल एड एवं विद्युत

(श्री किशनसिंह भाटी)
की कमी होने के कारण राजस्थान कैनाल पूरी नहीं हो रही है ? जो लिफ्ट योजना है वह मंहगी पड़ती है इस कारण उसे बन्द करने का निर्णय लिया है । उन चारों फैक्टर्स के कारण मेन कैनाल पूरी होने में दिक्कत आ रही है तो क्यों नहीं मेन कैनाल पहले पूरी की जाय पहले मेन कैनाल की तरफ इन चारों फैक्टर्स को डाइवर्ट कर दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री केदारनाथ : मेन कैनाल को पूरा किया जा रहा है ।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि मेन कैनाल पूरी नहीं हो रही है इसका पानी पाकिस्तान को जा रहा है ? उसका कारण विद्युत की कमी, लेबर की कमी, धन और टेक्निकल एड की कमी है । लिफ्ट कैनाल मंहगी पड़ती है इसलिये पहले मेन कैनाल के प्रोजेक्ट को पूरा करने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है वह राजस्थान कैनाल पूरी नहीं होने की वजह से नहीं जा रहा है । दिक्कत तो यह है कि थीं‌द बान्ध के पूरा नहीं होने की वजह से पाकिस्तान में पानी जा रहा है । जब तक थींद बान्ध पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी इन्स्टालेशन की कैपेसिटी 90 है । बाद में वह 110 हो जायेगी तो यह दिक्कत बन्द हो जायेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : जब नये सिरे से लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में राज्य सरकार विचार करेगी तो क्या विधायकों को भी सुना जायेगा ? यह मैं, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ।

श्री केदारनाथ : बिलकुल विधायकों का सहयोग लिया जायेगा ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत, गजनेर और दूसरी जो जगह है, वह समतल होने की वजह से क्या कोई दिक्कत नहीं आयेगी ?

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : वो नहीं आयेगी । वैसे इसमें डिटेल में उत्तर दे दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न । श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

बीकानेर के चिकित्सालय में केन्सर के इलाज व निदान की आधुनिक सुविधाएं

374. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरदार पटेल मेडिकल कालेज से संबंधित चिकित्सालय में केन्सर के इलाज व निदान की आधुनिक सुविधायें प्राप्त हैं किन्तु इन सुविधाओं का पूर्ण व सही उपयोग इनडोर बेड्स की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि केन्सर यूनिट के लिये अलग से कोई वार्ड की व्यवस्था न होकर अस्थायी तौर से कुछ बेड्स की ही व्यवस्था हो पाई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को सुधारने हेतु इसी चिकित्सालय में नया विंग बनाकर वार्ड्स बनवाने पर विचार करेगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : जी हां । सरदार पटेल मेडिकल कालेज से संबंधित चिकित्सालय में केन्सर के इलाज के उपचार की व्यवस्था है । इस अस्पताल में केन्सर रोग की 34 शैय्याओं का स्थायी वार्ड है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर में मेडिकल कालेज में जो केन्सर यूनिट है उसमें कोबाल्ट और रेडियम की कैपेसिटी के हिसाब से बेड्स नहीं होने की वजह से उनका कम उपयोग हो रहा है ? क्या कोबाल्ट और रेडियम का पूरा उपयोग करने के लिए बीकानेर मेडिकल कालेज में राज्य सरकार बेड्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? क्या कोई योजना है सरकार के विचाराधीन ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । वैसे बीकानेर मेडिकल कालेज में 34 शैय्याओं का अलग से वार्ड है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था पर्याप्त है । वैसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के अलावा यह व्यवस्था दूसरी जगह नहीं है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जोधपुर में केन्सर का वार्ड कब तक खोल देगी ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर मेडिकल कालेज में जो कोबाल्ट और रेडियम के प्लाण्ट हैं उनका पूरा उपयोग उनकी कैपेसिटी के अनुपात में नहीं हो रहा है क्योंकि बेड्स की संख्या कम है राज्य सरकार इन्डोर पेशैन्ट्स की संख्या बढ़ा दे तो क्या नुकसान है ? इससे कोबाल्ट और रेडियम प्लान्ट की कैपेसिटी बेकार भी नहीं जायेगी और लोगों को चिकित्सा की सुविधा भी मिल जायेगी ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आपका सुझाव ठीक है, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न । श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन,

श्री भंवरलाल एरन व

श्री मंजूरअली : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका जवाब तो आना ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिये ।

राज्य में महिला सदनों पर व्यय की जाने वाली राशि

374. श्री वृद्धिचन्द्र जैन,

श्री भंवरलाल ऐरन व

श्री मंजूरअली

[श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) की अनुपस्थिति में] क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार की ओर से राज्य में महिला सदन कहां-कहां पर चलाये जा रहे हैं ?

(2) उक्त महिला सदनों पर राज्य सरकार कितना-कितना खर्चा किस-किस मद

Page No 8

(७)

(श्री वृद्धि चन्द जैन)
पर करती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उनको नाश्ते, सब्जी एवं साबुन और चप्पलें दी जाती हैं वह समय के अनुसार कम है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है ? पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) राज्य सरकार की ओर से राज्य महिला सदन केवल जयपुर में ही चलाया जा रहा है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) ये वस्तुएं निर्धारित मात्रा में ही दी जाती हैं जोवर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ कम प्रतीत होती हैं ।

(4) आवश्यक संशोधन विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री मन्जूरअली (सवाई माधोपुर) : माननीय मंत्री महोदय यह फर्मायें की क्या यह व्यवस्था पर्याप्त है ?

एक माननीय सदस्य : क्या महिला सदन अजमेर, कोटा, जोधपुर इन्हीं लाइन्स पर चलाये जा रहे हैं ? क्या राज्य सरकार इसमें संशोधन करने का विचार रखती है ?

श्रीमती विद्या पाठक : इसमें मात्रा बदलनी है उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो निर्धारित मात्रा महिला सदन में दी जा रही है उसको राज्य सरकार बढ़ाने का विचार रखती है ? क्या सरकार इसको पर्याप्त मात्रा मानती है ?

श्रीमती विद्या पाठक : इसका उत्तर खण्ड (3) और (4) में दिया है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं आया है ।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि ये वस्तुएं निर्धारित मात्रा में ही दी जाती है । जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ कम प्रतीत होती हैं । राज्य सरकार का विचार इसको बढ़ाने का है । खण्ड (4) में उत्तर दिया है, 'आवश्यक संशोधन विचाराधीन है' ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (4) है नहीं । कौनसा खण्ड (4) है ? मंत्री महोदय कृपया यह बतायें । दूसरी बात मेहरबानी करके यह भी बता दें कि यह सब्जी, साबुन और चप्पल के जो पैसे उन महिलाओं पर खर्च किये जा रहे हैं यह कितने हैं और कितने होने चाहियें ?

एक माननीय सदस्य : क्या राज्य सरकार का और भी कहीं पर महिला सदन खोलने का विचार है ?

(व्यवधान)

श्री मन्जूरअली : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह फर्मायें कि जो आज साबुन, सब्जी, चप्पल के वास्ते पैसा दिया जा रहा है वह पर्याप्त है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : इसी के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

से यह पूछना चाहूंगी कि यह जो प्रश्न के भाग (2) में पूछा है, 'उक्त महिला सदनों पर राज्य सरकार कितना-कितना खर्च, किस-किस मद पर करती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।' आपने उत्तर दिया, 'सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।' मोटे तौर पर मंत्री महोदय को कम से कम सदन को बताना तो चाहिये कि किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च किया जा रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो भी खर्चा सब्जी, साबुन और चप्पल पर किया जाता है वह बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सन् 1962 की रेट्स के हिसाब से निर्धारित किया गया था। आज भाव बढ़ गये हैं इसलिये इनकी रेट्स रिवाइज होनी चाहिये। इसलिये मैंने उत्तर में कहा है कि आवश्यक संशोधन विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो यह बतावें कि कितना खर्चा है ?

श्रीमती विद्या पाठक : यह रेट्स तो सन् 62 से अभी तक चली आ रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो पूछ रहा हूं कि कितना खर्चा चप्पलों के लिये, कितना साबुन के लिये और कितना सब्जी के लिये किया जाता है ?

श्री मन्जूरअली : आप तो यह फर्मायें कि जो राशि दी जा रही है वह राशि पर्याप्त है ? यह भी फर्मायें कि क्या दिया जा रहा है ?

श्रीमती विद्या पाठक : सब्जी के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, 10 पैसे। साबुन के वास्ते 1 रुपया 25 पैसे। चप्पल के दस रुपये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : न तो किसी का दस पैसे की सब्जी से पेट भर सकता है और न ही दस रुपये में चप्पल आ सकती है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह तो पुरानी रेट है जो आप ही लोगों ने निर्धारित की है। संशोधन विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई जवाब हुआ। आप तो महिला मंत्री हैं। आपको तो पूरा ध्यान देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : अब तो आपका राज्य है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह बात सही है कि यह पुरानी सरकार की रेट है। पुरानी सरकार दकियानूसी थी इसलिये ऐसी रेट्स कायम कीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, माननीय जयनारायणजी।

श्री मूलचन्द डागा : आप फर्माइये।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप प्रश्न.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : दस पैसे में सब्जी एक व्यक्ति के लिये कैसे पर्याप्त हो सकती है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मनोहरसिंह मेहता ।

ऊपरमाल बिजोलिया का खानणा बीड़

376. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ऊपरमाल बिजोलिया का खानणा बीड़ और डमजाल जंगल रिजर्व फोरेस्ट में है ?

(2) यदि हां, तो यह जंगल अब किस स्थिति में है ? यदि बरबाद हो गया, तो क्यों और अब बरबादी रोकने के लिये कौन से उपाय काम में लिये जा रहे हैं ?

(3) क्या इस रिजर्व फोरेस्ट में और खानणा बीड़ में भी किसी को पत्थर की खानों के पट्टे दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बीड़ ऊपरमाल बिजोलिया की मवेशी के लिये बड़ा आधार है ?

(5) यदि बीड़ और जंगल नष्ट होते रहे तो ऊपरमाल में रहने वाले हजारों किसानों और मवेशियों का क्या हाल होगा ?

(6) क्या निकट भविष्य में ही मनुष्यों को जलाने की समस्या उपस्थित नहीं हो जायेगी?

राज्य मंत्री, वन (श्री लालचन्द): (1) जी हां ।

(2) यह जंगल ठीक स्थिति में है । इसकी सुरक्षा के लिये नया गांव में एक वनरक्षक तैनात है ।

(3) जी हां, खनिज विभाग में खनन कार्य के लिये पट्टे दिये हैं, परन्तु वन विभाग ने खनन कार्य प्रारम्भ होने नहीं दिया है ।

(4) जी हां।

(5) जंगल नष्ट नहीं हुआ है ।

(6) जी नहीं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने फर्माया है कि जंगल ठीक हालत में है तो क्या आप वहां जाकर स्थिति का अध्ययन कर सकेंगे कि कितना जंगल बचा है ताकि अधिकारियों की पोल खुल सके ? एक बात ।

दूसरी बात, वहां के भंवरलालजी पंड्या ने अनशन किया था और यह कहा था कि यदि पट्टियां खान से खनन की जावेंगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। वन नहीं रहा तो, 119 गांवों को नीचे उतरना पड़ेगा, क्या यह सही है ? आपने एक का भी उत्तर नहीं बताया । थोड़े दिनों के बाद मुर्दों को जलाने के लिये ऊपरमाल में लकड़ी नहीं मिल सकेगी यदि इसी प्रकार की हालत रही तो ।

श्री लालचन्द : खान को पट्टे पर देने का जहां तक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, 5-7 साल पहले इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ था । सैशन कोर्ट में मामला चल रहा है । स्टे वेकेन्ट हो गया । इस सम्बन्ध में पंचायत ने कार्यवाही की थी । उसके बाद हमने ऐसी तजवीज की है कि जंगल को ठीक रखने में हम कामयाब हो जायें । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पट्टे न दिये जायें। उन्हें मालूम होगा कि मैंने डिमाण्ड के दिन भी यह उत्तर में कहा था कि जहां तक हो सकेगा वन की ज़मीन नहीं दी जावेगी । 280.10 एकड़

(**श्री लालचन्द**)

में यह जंगल है। उसमें से 34.13 एकड़ में पट्टे दिये हैं। यह पर्मिशन आगे न बढ़े, ऐसा विचार है। मौके पर इन्सपेक्शन की बात है तो ऐसी कोई बात की गयी और जंगल नष्ट किया गया तो मौका भी देखा जायगा और उसको रोकने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अभी आपने यह फर्माया कि थोड़े हिस्से में पट्टे दिये हैं। क्या पट्टियां काटना शुरू नहीं किया है ?

श्री लालचन्द : सैशन कोर्ट में मामला चला गया है। हमने पर्मिशन रिवाइज की है। पहले पर्मिशन थी वह रिवाइज की है।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कई जगह पर इस प्रकार से पट्टे दिये गये तो क्या राज्य सरकार पुनर्विचार करेगी ?

श्री लालचन्द : जांच करवा ली जावेगी और उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री बाऊदयाल जोशी : जांच करायें। दो बार चर्चा में आ चुका है यह विषय। राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आवश्यक जांच करवा कर पट्टे कैंसल करें।

श्री मूलचन्द डागा : जुडिशियल कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि देना वाजिब था और स्टे आर्डर आ गया तो कानून में परिवर्तन करके वापिस लेंगे या उन लोगों को रहने देंगे?

श्री लालचन्द : मैंने कहा इस पर विचार कर लिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

जालौर जिले के गांवों की नल योजना

377. **श्री टीकमचन्द कान्त** (जालौर): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले के जिन-जिन गांवों में नल योजना विद्यमान है क्या उन सभी गांवों की भील व हरिजन बस्ती में भी सार्वजनिक नल लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष यह कमी पूरी कर दी जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि जालौर विधान सभा क्षेत्र के करीब 60 से 70 प्रतिशत गांवों में या तो अत्यधिक क्षारयुक्त व फ्लोराइडयुक्त पानी है या फिर तालाबों का पानी प्रयोग में लाना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे सभी गांवों को पानी पहुंचाने की कौनसी योजना अभी चल रही है ?

(3) संबंधित जिला समिति द्वारा विभाग को भेजी गयी जालौर जिले की सभी नल योजनायें क्या इस वर्ष पूरी कर ली जायेंगी ?

राज्य मन्त्री, जनस्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) संधारण में चल रही पम्प एवं टैंक, पाइप योजनाओं के सभी ग्रामों की भील एवं हरिजन बस्तियों में सार्वजनिक नल लगा दिये गये हैं। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं में केवल उस गांव में, जिसमें उच्च जलाशय होता है, ही सार्वजनिक नल लगाये जाते हैं। जालौर जिले की 9 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के उन गांवों में, जिनमें कि उच्च जलाशय निर्मित हुआ है, भील एवं हरिजन बस्तियों में नल लगा दिये गये हैं।

(2) जी हां, इस क्षेत्र के 56 ग्रामों की 18 योजनाओं के तहत शुद्ध पेयजल वितरण किया जा रहा है। इन 56 गांवों में

(श्री महबूब अली)
12 समस्या रहित गांव सम्मिलित हैं । बाकी बचे समस्याग्रस्त ग्रामों के सम्बन्ध में जिला आयोजना समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तकनीकी उपयुक्तता, धन की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के आधार पर योजनायें स्वीकृत की जा सकेंगी ।

(3) जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 1977-78 के लिये प्रस्तावित 19 योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् धन की उपलब्धि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री टीकमचन्द कान्त : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौर जिले की हरिजन बस्तियों के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और वह जलप्रदाय योजनाओं पर खर्च हुई या नहीं ?

श्री महबूब अली : नगरीय क्षेत्र के लिये 1.12 लाख का प्रावधान रखा गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 2.34 लाख का प्रावधान रखा गया था । यह धनराशि 32 मार्च तक खर्च कर दी जावेगी ।

श्री टीकमचन्द कान्त : हो जायगी ?

श्री महबूब अली : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया ।

अजमेर में पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया ठेका

378. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के समाज कल्याण अधिकारी ने सितम्बर, 1974 को पोषाहार कार्यक्रम के हेतु दलिया पिसाई व ढुलाई का ठेका दिया था ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को किस रेट पर ठेका दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार श्री बद्रीप्रसाद, अजमेर द्वारा 1644 थैले दलिया पीस कर विभिन्न बेकरियों पर भेज दिये गये थे और बाकी के थैले समाज कल्याण अधिकारी को बिना पिसे हुए सौंप दिये गये थे ? यदि हां, तो तैयार किये थैलों का उसके रेट के अनुसार भुगतान कर दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उप-निदेशक, प्रशासन, दिनांक 22-9-74 को निरीक्षण हेतु अजमेर गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? यदि बद्रीप्रसाद ठेकेदार के खिलाफ कोई शिकायत थी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ? कृपया 22-9-74 की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 22-9-74 को उप-निदेशक, प्रशासन द्वारा गोदाम का निरीक्षण कर उसे सील कर दिया गया था ? यदि हां, तो 24-9-77 को समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर ने उसका निरीक्षण क्यों करवाया ? 24-9-74 की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 13-5-77 को उप-निदेशक, पोषाहार द्वारा अजमेर जाकर इस मामले की जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन

(श्री जयनारायण सालोदिया)
की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो उसकी पिसाई, ढुलाई की मजदूरी का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ? उसे अब कब तक मय ब्याज के भुगतान कर दिया जायगा ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां। सितम्बर, 1974 में अजमेर शहर के पोषाहार कार्यक्रम हेतु बल्गर व्हीट की पिसाई व ढुलाई का ठेका श्री बद्रीप्रसाद, अजमेर को इस शर्त पर दिया गया था कि पिसाई व ढुलाई का भुगतान मार्च, 1974 में स्वीकृत दरों अथवा 1974–75 में स्वीकृत दरों में से जो भी दरें कम होंगी, उन पर किया जावेगा।

(2) जी हां। बद्रीप्रसाद ठेकेदार को ढुलाई व पिसाई हेतु दिये गये 2000 बल्गर व्हीट के थैलों में से उन्होंने 1644 थैले बल्गर व्हीट पीस कर विभिन्न बेकरियों पर भेज दिये थे। पिसे हुए बल्गर व्हीट के थैलों में स्टैण्डर्ड वजन के मुकाबले में आटा कम सप्लाई करने तथा शेष 356 थैलों में से 46 थैले कम होने के कारण ढुलाई व पिसाई की कीमत का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। दिनांक 22-9-74 को उप-निदेशक (प्रशासन), अजमेर शिकायत की जांच करने हेतु गये थे। जांच रिपोर्ट गोपनीय व सरकार के विचाराधीन होने से सदन की मेज पर रखना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(4) जी हां। दिनांक 22-9-74 को उप-निदेशक (प्रशासन) द्वारा बनेड़ा हाउस गोदाम, जिसमें बल्गर व्हीट रखा हुआ था, का निरीक्षण कर सील कर दिया गया था। दिनांक 24-9-74 को उक्त गोदाम में रखे हुए बल्गर व्हीट के थैलों का भौतिक सत्यापन करवाया गया था जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

(5) उप-निदेशक (पोषाहार) की जांच रिपोर्ट गोपनीय व सरकार के विचाराधीन होने से सदन की मेज पर रखना सार्वजनिक हित में नहीं है। इस बाबत मामला विचाराधीन होने से अभी तक न तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और न पिसाई-ढुलाई का भुगतान ही किया गया है।

(निरीक्षण प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो रिपोर्ट की प्रति मुझे दी है उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जो निरीक्षण रिपोर्ट है उसके अंश पढ़कर आपकी सेवा में निवेदन करता हूं। 22-9-72 को, श्रीमान्.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयनारायण जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। और जानकारी चाहें तो ले लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह स्पष्ट है आपकी जांच से कि 2000 बोरों का हिसाब डिपार्टमेंट के आदमियों ने पूरा करके उसे रसीद दे दी। आप एक तरफ कह रही हैं कि कमी है और दूसरी तरफ कह रही हैं कि रसीद दे दी है। निरीक्षण रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है "इस प्रकार सभी स्थानों तथा बेकरी आदि पर कुल 2000 बैग गिनकर संभाल लिए गए

(4)

(श्री जयनारायण सालोदिया)
जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि वेयर हाउस से दिलाये गये बैग, जो दुकानदार के माध्यम से बोरियों में पहुंच गये हैं, सही मात्रा में हैं। अतः इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है और न किसी प्रकार से माल बाजार में बिका है।" इस निरीक्षण रिपोर्ट में 4 आदमियों के दस्तखत हैं। जिन्होंने जांच की है उनकी यह रिपोर्ट है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा यदि ऐसा है तो फाइनल रिपोर्ट आते ही शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बैग अमेरिका से आते हैं और प्रत्येक का 22 किलो 600 ग्राम वजन होना चाहिये। यह सबस्टैन्डर्ड वेट उस पर लिखा हुआ होता है। चार आदमियों ने मिल कर वेट किया है और कोई 17 किलो का है और कोई 18 किलो का है इस तरह से सारे थैलों की जांच करके इनके विभाग वालों ने हस्ताक्षर किये हैं। फिर भी ठेकेदार को नाजायज तरीके से परेशान करते हैं और आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के एलीगेशन्स थे। कुछ थैलों की कमी के और कुछ जो थैले पाये गये और भेजे गये उनमें तोल की कमी के थैलों की कमी के बारे में प्रिलिमिनरी जांच हुई है जिसकी रिपोर्ट अभी सदन में नहीं रखी जा सकती, फाइनल रिपोर्ट आने पर ही रखी जा सकती है। लेकिन जो थैलों के तोल की कमी पाई गई है उसके बारे में कार्यवाही पूरी होते ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। बैग की कमी के बारे में निवेदन करूंगा कि दो बार में गिनाये.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह इन्डिविजुअल मामला है। सदन का इतना समय नहीं लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक ही प्रश्न पूछूंगा। गोदाम में जो बैग पिसे हुए और बिना पिसे हुए थे उस पर डिपार्टमेंट की सील होगी। उसकी चाबी डिपार्टमेंट के पास रही उसके बाद में दुबारा आपने गोदाम खोला तो 46 बोरे कम हुए तो यह चौकीदार से पूछें.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

वन सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रकाशित वरिष्ठता सूची

379. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा वन रक्षक, वनपाल, उप-रेन्जर, रेन्जरों की सन् 1968 के बाद कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई है? यदि हां, तो अब वह कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी?

(2) वर्ष 1968 के पश्चात् वरिष्ठता सूची के अभाव में भी उक्त पदों पर विशेष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
तौर से वनपालों के पदों व उनसे वरिष्ठ पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नतियां किये जाने हेतु सिफारिश किस आधार पर हो गई है ?

(3) क्या वन सेवा नियमों में वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने हेतु प्रावधान है ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची फिर भी प्रकाशित नहीं होने का क्या कारण है एवं उसके लिए कौन दोषी है तथा उसके प्रति क्या कार्यवाही अभिप्रेत है ?

राज्य मंत्री, वन (श्री लालचन्द) : (1) वनपाल, उप-रेन्जर, रेन्जरां की सन् 1968 के बाद की वरिष्ठता सूची विभागाध्यक्ष स्तर पर समय-समय पर प्रकाशित की गई है। वन रक्षकों की वरिष्ठता सूची मण्डल अथवा वृत्त स्तर पर संधारित होती है जिसकी संख्या 37 है इनमें से 25 मण्डल/वृत्तों द्वारा वरिष्ठता सूचियां प्रकाशित कर दी गई हैं, 12 मण्डलों/वृत्तों द्वारा प्रकाशित होना बाकी है किन्तु इन वन रक्षकों की भी वरिष्ठता सूचियां संधारित हैं ।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति ने समय-समय पर वरिष्ठता सूची एवं रिकार्ड के आधार पर पदोन्नतियों की सिफारिश की है ।

(3) जी नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मण्डलों द्वारा काम रुका हुआ है वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने का यह सूची कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ? क्या यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लालचन्द : यह जल्दी ही हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री कौशल किशोर जैन ।

राज्य के पोलीटेक्निक कालेजों के प्रवक्ताओं का वेतनमान

380. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पोलीटेक्निक कालेजों के प्रवक्ताओं का वेतनमान राज्य के कला-विज्ञान कालेजों के वेतनमानों से हमेशा अधिक रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के कला-विज्ञान कालेजों के शिक्षकों को यू. जी. सी. वेतनमान देने से राज्य के पोलीटेक्निक कालेजों के प्रवक्ताओं के वेतनमान कम हो गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के पोलीटेक्निक कालेजों के प्रवक्ताओं के वेतन भी यू. जी. सी. वेतनमानों के समकक्ष करने पर कोई कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या राज्य के पोलीटेक्निक कालेजों में कार्यरत डिमान्सट्रेटर्स, इन्स्ट्रक्टर एवं टेक्निशियनों के लिये पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी नहीं । वर्ष 1968 से पूर्व पोलीटेक्निक कालेजों के प्रवक्ताओं (तकनीकी) के वेतनमान राज्य के कला-विज्ञान कालेजों के वेतनमानों से अधिक रहे हैं । 1968 के बाद 1976 तक वेतनमान बराबर रहे हैं ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श कर रही है।

(3) जी हां।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत 4 महीने से राजस्थान के पोलीटैक्निक कालेजों में 250 कर्मचारी विद्यार्थियों की परीक्षायें नहीं ले रहे हैं और सारे राजस्थान के विद्यार्थियों का साल खराब होने का अन्देशा हो गया है। तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस आन्दोलन से निपटने का क्या विचार रखती है? इस प्रकार की समस्या की ओर क्या मंत्री महोदय ध्यान देंगे?

क्वेश्चन नं. 97, दिनांक 9-5-75 को राजस्थान विधान सभा में पूछा गया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि यू. जी. सी. वेतनमान लागू होंगे तो पोलीटैक्निक के प्रवक्ताओं पर भी लागू होंगे। राज्यपाल महोदय के 16-3-68 के कथन के अनुसार भी इन्जीनियरिंग और पोलीटैक्निक कालेज के ग्रेड एक ही रहेंगे। फिर आज दोनों की ग्रेड में अन्तर क्यों है? इन तीनों प्रश्नों का जवाब मंत्री महोदय देने की कृपा करें?

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोलीटैक्निक कालेज के प्रवक्ताओं की समस्या के बारे में उनके साथ बैठ कर बात चीत हुई है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी इनसे निवेदन किया है और अन्य व्यवस्थायें भी की गई हैं लेकिन जो मुख्य प्रश्न है, जिसके कारण अभी गतिरोध खतम नहीं हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यू.जी.सी. स्केल के आधार पर जिन प्राध्यापकों के वेतनमान बढ़ाये गये हैं उसमें से 80% केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिला है और केवल 20% राज्यसरकार का शेयर है। इसी प्रकार इस पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार 20% दे सकती है लेकिन बाकी 80 प्रतिशत जो पैसा मिलेगा केन्द्रीय सरकार से उसकी जब तक केन्द्रीय सरकार से अनुमति नहीं दी जायेगी तब तक राज्य सरकार इसमें कुछ करने में समर्थ नहीं है। वैसे यह प्रश्न केवल राजस्थान का नहीं है सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के प्रवक्ताओं का है। इसी परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय सरकार विचार करेगी। जब वह निर्णय देगी और 80 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करेगी तब राज्य सरकार अपना जो 20 प्रतिशत का शेयर दे रही है उस पर विचार करेगी। यह बात अभी केन्द्रीय सरकार के विचार-विमर्श में चल रही है। जैसे ही निर्णय होगा आगे कार्यवाही होगी।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार जो 80 प्रतिशत अनुदान देगी यह कितने वर्षों तक देगी?

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अलीगढ़ के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पोलीटैक्निक कालेजेज हैं उनके प्रवक्ताओं को वेतनमान यू.जी.सी. वेतनमान के समान दिये गये हैं। क्या राजस्थान में पोलीटैक्निक कालेज यूनीवर्सिटी के अन्तर्गत नहीं होने के कारण ही इनके प्रवक्ताओं को यू.जी.सी. का वेतनमान नहीं मिल रहा है? क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि यू.जी.सी. का वेतनमान भविष्य में उनको दिया जाये?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आप केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने का

Page No 17

(17)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास में कितना समय लगेगा ? पोलीटेक्निक कालेज के लैक्चरार्स हैं, वे पढ़ाते नहीं हैं इससे विद्यार्थियों का जीवन नष्ट हो जायेगा। तो उसके लिये आप क्या चिन्ता कर रहे हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यू. जी. सी. स्केल्स लागू करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया....

श्री मूलचन्द डागा : सवाल एक है। आपके द्वारा एक आर्डर निकाला गया।

"The Governor has been pleased to order——The qualifications for appointment of lecturers in polytechnics will be the same as prescribed for lecturers in M. B. M. Engineering College, Jodhpur."

यह आपकी सरकार का आर्डर है। इस पर दस्तखत हैं, रूंगटा, डिप्टी-सैक्रेटरी टू गवर्नमेंट। यह आर्डर आपका निकल चुका है और आपने पोलीटेक्निक कालेज के लैक्चरार को इन्जीनियरिंग कालेज के लैक्चरार के समान मान लिया है। यह मानने के बाद आप यू. जी. सी. स्केल्स नहीं दे रहे है, वह वाजिब है या नहीं ? एक दफा आर्डर निकाल दिया, उसका आदर करना चाहिये। आप उनकी क्वालिफिकेशन्स इन्जीनियरिंग कालेज के लैक्चरार के बराबर मानते हैं।

"The Governor has been pleased to order that the revised pay scales prescribed vide order No. F. 2(13)Edu/C/59, dated 18-12-58 for posts of Assistant Professors in the M.B.M. Engineering College will also apply to the posts of Lecturers in the polytechnics with effect from the date of issue of this order.

The qualifications for the appointment of lecturers in polytechnics will be the same as prescribed for lecturers in M.B.M. Engineering College, Jodhpur."

यह आपका आर्डर निकला हुआ है। इस पर दस्तखत हैं मिस्टर ए. एल. रूंगटा के, डेटेड 16-3-60। इसकी कापी है मेरे पास। आपको काफी चिन्ता है विद्यार्थियों की तो इसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की ? वह आन्दोलन पर जा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, अब आप पूछ चुके हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : इन्जीनियरिंग कालेज में काम करने वाले लैक्चरार्स ने पोलीटैक्निक में प्रवेश किया, वे डेपुटेशन पर गये। परिणामस्वरूप उनके वेतनमान कम हो गये हैं। यह एक अहम मसला है। मैं इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा। राजस्थान में हड़ताल चल रही है। मंत्री महोदय अवश्य ध्यान दें।

श्री मूलचन्द डागा : भूतपूर्व और वर्तमान दोनों मंत्री साथ-साथ बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जो सप्लीमेंट्री पूछे हैं, उनका जवाब आने दीजिये। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किया गया कि केन्द्रीय सरकार कितने समय तक यह 80 प्रतिशत

(श्री भंवरलाल शर्मा)
अनुदान देगी। यह पांच वर्ष के लिये हम को देगी।

दूसरा प्रश्न जो है, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य शायद थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहे हैं। यहां जो वेतनमान तय किये गये हैं आपने कहा कि जब और कालेजेज के प्रवक्ताओं को दिये गये हैं तो पोलीटैक्निक के प्रवक्ताओं के लिये क्यों नहीं विचार किया गया? यह यू. जी. सी. ने तय किये हैं। उसके निर्णय के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने 80 प्रतिशत अनुदान देकर इस सरकार से कहा कि आप लागू कीजिये, तभी हमने लागू किया है। यह निर्णय राज्य सरकार का नहीं है, यह निर्णय यू.जी.सी. का है। केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिया है और कहा है कि इसको मान लीजिये। हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है कि स्वीकार कर लिया तो राज्य सरकार देने को तैयार है?

यह चिन्ता व्यक्त की गई कि विद्यार्थियों के अध्ययन का क्या होगा। पिछले दिनों ऐसी व्यवस्था की गई कि इन विद्यार्थियों को जो पढ़ा सकते हैं वे एक्स्ट्रा क्लास लें। उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं और जैसी मेरी सूचना है, जैसी आशा है वैकल्पिक व्यवस्था हो जायेगी।

श्री मलचन्द डागा : जो मैंने प्रश्न किया था.....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यू. जी. सी. के स्केल्स लागू करना राज्य सरकार की स्वेच्छा पर था। जो राज्य सरकार लागू करना चाहती है केन्द्रीय सरकार उसको 80 प्रतिशत अनुदान देगी। इस मुद्दे पर आपने ध्यान नहीं दिया। आर. ए. एस. और आर. जे. एस. की भी यही प्राब्लम है। आपने भी प्राब्लम क्रियेट कर दी है जिसको कम मिलता था उसको ज्यादा मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा, वे घोषणा करें कि पे कमीशन दुबारा अपाइन्ट करेंगे। यू. जी. सी. स्केल्स के अनुसार लैक्चरार के पे स्केल्स होने पर तमाम सेवाओं के स्केल्स रिवाइज करें ताकि जो हार्ट बर्निंग होती है, वह न हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम कृष्णदास जी, बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो प्रश्न किया था.....

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : सीनियर टीचर्स ने बहिष्कार कर दिया.....

श्री उपाध्यक्ष : राम कृष्णदासजी, आप बहुत प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : राज्य सरकार क्या पे कमीशन दुबारा अपाइन्ट करने का विचार रखती है या नहीं? आज सीनियर टीचर्स के ग्रेड में 500 रुपये का फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत कह चुके हैं। आप बिराजिये।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : क्या आप पे कमीशन अपाइन्ट करेंगे?

श्री कौशल किशोर जैन : सरकार इस मामले को बातचीत के आधार पर क्यों नहीं सुलझा रही है?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपने कहा कि लैक्चरार्स के वेतनमान यू.जी.सी. तय करती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो पोलीटैक्निक इन्स्टीटयूशन्स हैं उनके लैक्चरार्स के मामले में यू.जी.सी. की क्या पालिसी है, जो बढ़े हुए वेतनमान हैं, वह उनको देने की है या नहीं ? राज्य सरकार ने क्यों नहीं यू.जी.सी. के सामने यह मामला रखा कि हम पोलीटैक्निक इन्स्टीट्यूशन्स में भी यह वेतनमान देना चाहते हैं ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : क्या यह सही है कि कालेजेज के एक गुट ने आपको चेतावनी दी है कि यू.जी.सी. के ग्रेड लागू होने से उनके अधिकारों का हनन हो गया है, उनके वेतनमान कम हो गये हैं ?

श्री यशवन्त जैन : वेतनमानों के बारे में निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ? वैकल्पिक जो व्यवस्था कर रहे हैं, कब करेंगे ? जब तक यह स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थियों को सन्तोष नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : यू.जी.सी. के स्केल्स आपने कालेजेज के हैड्स आफ दी डिपार्टमेन्ट्स पर लागू करने के आदेश दिये। क्या पोलीटैक्निक कालेजेज के हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स को सन् 60 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार उनके समकक्ष मानती है ? अगर मानती है, तो यू.जी.सी. के स्केल्स लागू न होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार से अनुदान के तौर पर 80 प्रतिशत न मिलने पर भी राज्य सरकार इनको यू.जी.सी. स्केल देना चाहती है क्या ? अगर देना चाहती है तो क्या यह सही है कि यू.जी.सी. स्केल में यह कैटेगरी नहीं है ? क्या राज्य सरकार इन एनोमोली को दूर करने के लिये इनको अपने कोष से देने को तैयार है ?

श्री बालकृष्ण थानवी : आपने कहा, भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार से जो बातचीत चल रही है उसमें राज्य सरकार ने क्या सिफारिश की है ?

श्री उपाध्यक्ष : काफी सप्लीमेन्ट्री पूछे जा चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि जिस समय यू.जी.सी. के वेतनमानों को माना गया तो यह विचार क्यों नहीं किया गया कि बाकी के लोगों को भी वह वेतनमान देने पड़ेंगे ? और बाकी के लोगों को वह वेतनमान नहीं दे सकते तो उनको क्यों दिये गये ? राजस्थान में जो विश्वविद्यालयों में लगे हुये हजारों व्यक्ति हैं, साढ़े चार हजार के करीब प्राध्यापक कुल मिलाकर हैं अगर माननीय सदस्यों का सुझाव मान लिया जाता तो ये सेवा में लगे हुए लोग हैं ये भी इस लाभ से वंचित रह जाते। इसलिये उनके हित को देखकर स्वीकार किया गया है और मैं समझता हूं न्यायोचित था।

अब एक कानून का सवाल है, माननीय सदस्य ने 1960 का गवर्नमेंट आर्डर बताया है। यह देखना होगा कि इसके बाद क्या कानून की स्थिति बनी है क्योंकि कई बार ऐसे संशोधन निकले हैं। माननीय सदस्यों को बहुत चिन्ता है।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : हमें नहीं, आपको चिन्तित होना चाहिये।

Page No 20

(२०)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम कृष्णजी, माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये . .

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया विराजिये ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : आपके बोर्ड के टीचर्स कर रहे हैं बायकाट ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिये ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न किया था विधान सभा में, प्रश्न सं. 97 है । उसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया विराजिये । कृपया विराजिये ।

अब मैं स्थगित प्रश्न लूंगा । आज के प्रश्नों में स्थगित प्रश्न हैं, उनको लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मंजूरअली : नैक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार हजार लोगों का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह कछवाह ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : इस सवाल का उत्तर आया ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप विराजिये ।

(व्यवधान)

आप कृपया विराज जाइये ।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

माननीय सदस्य, आप बार-बार व्यवधान करते हैं ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : With all respect to the Chair, this question is of vital importance to the teachers of Rajasthan thousands of employees are agitated.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये, कृपया बिराज जाइये ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : गलत नीति लागू की है । Thousands of employees are involved.

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बिराज जाइये । आप बिराजिये, मैं आपको आदेश दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : यह सवाल गहरा है यू. जी. सी. के जो. . . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी, आप बिराजिये । मैंने स्थगित प्रश्न पुकार लिया है ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

आप कृपया बिराज जाइये ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : इस हाउस में....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं । आप कृपया बिराज जाइये ।

माननीय सदस्य, मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराज जाइये ।

अब किसी को सप्लीमेन्ट्री पूछने की इजाजत नहीं है । माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय राम कृष्णजी, आप बिराजिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह ××× इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय । ऐसे शब्द चेयर के लिये शोभनीय नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालता हूं ।

माननीय सदस्य बहुत व्यवधान करते हैं । मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मुझे बाध्य नहीं करें ।

श्री माधोसिंहजी ।

जोधपुर नगर परिषद् में सफाई कर्मचारियों की भर्ती ।

(स्थगित प्रश्न)

56. **श्री माधोसिंह कछवाह** (जोधपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर परिषद् में जून, 1977 से लेकर जनवरी, 1978 तक प्रति माह कितने सफाई कर्मचारी भर्ती किये गये ?

(2) क्या भर्ती रिक्त स्थान होने से की गई है और भर्ती की सूचना नियमानुसार निकाली गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री विज्ञान मोदी) : (1) नगर परिषद् जोधपुर में जून, 1977 से जनवरी, 1978 तक प्रति माह निम्न प्रकार सफाई कर्मचारी भर्ती किये गये:—

जून, 1977–5, जुलाई, 1977–8, अगस्त, 1977–9, सितम्बर, 1977–1, अक्टूबर, 1977–1, नवम्बर, 1977–5, दिसम्बर, 1977–3, जनवरी, 978–81, योग 40 ।

(2) जी हां, भर्ती की सूचना नहीं निकाली गई, क्योंकि भर्ती की सूचना निकालने के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान नहीं है ।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भर्ती की सूचना नहीं निकाली गई, उसका नियमों में प्रावधान नहीं

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

Page No 22

(२४)

(श्री माधोसिंह कछवाह)
होना बताया है । तो ऐसा कौनसा नियम है कि सूचना नहीं निकाली जाय और भर्ती कर ली जाय ?

तीन व्यक्ति जो बताये गये हैं उनमें एक व्यक्ति जिन्दा है जिसको मरा हुआ बताया गया है । सदन में माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कौन हैं ? तीन महीने हो गये, मरा हुआ है या जिन्दा है ?

दूसरा, क्या नगरपालिका के अन्दर वर्क चार्ज लिपिक लगाये जाते हैं ? और लगाये गये हैं तो क्या उनसे सफाई का काम लिया जाता है ?

श्री विज्ञान मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं भर्ती की सूचना नहीं निकाली गई क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । मैं उसका यहां उल्लेख करना चाहूंगा, "राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 के नियम 10 के अन्तर्गत कर्मचारियों की भर्ती के लिये प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत सबसे नजदीक के नियोजन कार्यालय से नाम मंगाने का प्रावधान है, मगर भंगियों तथा मेहतरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियोजन कार्यालय से व्यक्तियों की नामावली मंगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उप-नियम के परन्तुक में 20 जून, 1968 की विज्ञप्ति के द्वारा संशोधन किया गया है ।" इस प्रकार भंगियों एवं मेहतरों के लिये भर्ती की सूचना निकालने का प्रावधान नियमों में नहीं है ।

दूसरा जो प्रश्न है लिपिकों की भर्ती के बारे में, मैं चाहूंगा वे अलग से प्रश्न पूछें । उन्होंने अभी सफाई कर्मचारियों के बारे में प्रश्न पूछा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति के बारे में मैंने पूछा, वह जिन्दा है या मर गया ? उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कहा रिक्त स्थान होने पर ही भर्ती की गई हैं । तीन सफाई कर्मचारियों की ही सूचना थी तो वे तीन कर्मचारी कौन हैं ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है, दो मृतक और एक जिन्दा है ?

श्री विज्ञान मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार यह प्रश्न उठा था और उसमें तीन कर्मचारियों की नियुक्ति का हवाला दिया गया था । उसमें कहा गया था कि दो कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, देहान्त हो गया उनके आश्रितों को लगाया गया । एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया था उसके आश्रित को लगाया गया ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अभी कहा कि नियोजन विभाग से नामावली मंगाने के नियम में संशोधन हुआ है तो यह इस पर लागू कैसे हुआ ?

श्री माधोसिंह कछवाह : यह मंत्री महोदय सरासर झूठ बोल रहे हैं । जो उत्तर पहले दिया गया था उसमें बताया था कि तीन मृतकों के आश्रितों को नौकरी दी गई । उनके लिए नोटिफिकेशन निकालना जरूरी नहीं है । अगर उन्होंने तीसरे व्यक्ति के आश्रित को लगाया तो नोटिफिकेशन जरूरी था । इसमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला गया ? यह मामला बहुत गंभीर है । सदन के अन्दर बराबर गलत सूचना दी जाती है । मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर सम्पूर्ण रूप से फिर से विचार किया जाय । यह बतायें कि वह

(श्री माधोसिंह कछवाह)
व्यक्ति कौन है जिसको पहले मृतक बता दिया गया ? जोधपुर नगरपालिका के अधिकारियों ने जो गलती की है और गलत उत्तर दे दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। उन्होंने जिन्दा व्यक्ति को मरा हुआ कैसे बता दिया ?

श्री विज्ञान मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में किसी तरह की गलत सूचना देने की न तो मंशा है, न ऐसा किया जाता है। जो वस्तु स्थिति है उसको सामने रखा गया है। पिछली बार भी अर्ज किया था कि किन व्यक्तियों को, किन कर्मचारियों को नियुक्त किया। तीन एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो मृतकों के आश्रित हैं। एक कर्मचारी, जिसने कि त्याग-पत्र दे दिया था, उसके किसी सम्बन्धी की नियुक्ति की गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारियों में भंगी और मेहतरों के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाना नियमों के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि झूठ को बार-बार दोहराया जा रहा है। यहां पर तीन मृतकों के आश्रितों की बात कही गई है। हरिजनों को जो काम देने का प्रश्न उठाया गया है तो वे हरिजन वहां की नगर-परिषद् के तो हैं लेकिन कलेक्टर अपने मकान पर उन हरिजनों से काम करवाते हैं और उसके बाद लिख कर भेज देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी हो चुका है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मृतक के बारे में गलत सूचना दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह समझते हैं कि पहले वाले उत्तर में और इस उत्तर में विरोधाभास है या गलत उत्तर दिया गया है तो नियमों के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही करना चाहें आप आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगित प्रश्न है, उसका जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बारह बज चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उससे क्या होता है, स्थगित प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर स्थगित प्रश्न का उत्तर भी रिजर्व्ड टाइम में नहीं दिया जा सका तो नियमों के अन्दर यह प्रावधान नहीं है कि स्थगित प्रश्न का उत्तर दिया ही जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर स्थगित प्रश्न के लिए टाइम नहीं बचा है तो नियमों के अनुसार इसको एक बार फिर स्थगित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रश्नकाल के लिए निर्धारित समय होता है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्थगित करा दें। पहले भी जब प्रश्न स्थगित किया गया तो स्थगित प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर स्थगित प्रश्न का जवाब नहीं होता है तो फिर तो यह दूसरे प्रश्नों की तरह से हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विवश हूं। अगर आप नियमों के अनुसार ध्यान आकर्षित करेंगे तो फिर देख लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न नियमों का नहीं, परम्पराओं का है। सदन में जो क्वेश्चन स्थगित किया गया वह इसलिए कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त उत्तर नहीं था। अगर उस दिन पूरा उत्तर होता तो निश्चित तौर से हाउस में उस पर सप्लीमेंट्री पूछे जाते और माननीय सदस्यों को सूचना मिल जाती। क्योंकि राज्य सरकार ने असमर्थता जाहिर की इसलिए आसन ने उसको स्थगित कर दिया। यह आसन के देखने की बात थी कि इतना समय रखा जावे ताकि स्थगित प्रश्नों का उत्तर दिया जावे। पहले क्वेश्चन आवर में जब यह प्रश्न आया उस समय राज्य सरकार के पास में पर्याप्त उत्तर नही था इसीलिए स्थगित करना पड़ा था। हमारी परम्परा यह रही है कि क्वेश्चन आवर के बाद में स्थगित प्रश्न के लिए पांच-सात मिनट और दे दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब से मैं विधान सभा सदस्य बना हूं और जो परम्परा मैंने यहां पर देखी है उसके अनुसार स्थगित प्रश्न के लिए पृथक से कोई समय नहीं रखते हैं। फिर भी मैं पूर्व परम्पराओं और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा। कोई ऐसी जानकारी मिल सकेगी कि नियमों के अनुसार स्थगित प्रश्न आ सकते हैं तो मैं देख कर निश्चित आदेश दे दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसको वापस स्थगित कर दीजिए। अगर आप अभी टाइम नहीं देना चाहते हैं तो फिर स्थगित कर दीजिए ताकि हमारा राइट नहीं मारा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नियमों के अनुसार और परम्परा के अनुसार अलग से आदेश दे दूंगा। मैं आज ही इसी समय सदन में आदेश प्रसारित करूं यह आवश्यक नहीं है। आप अपना निवेदन लिखित में दे दीजिए। मैं नियम और परम्परा के अनुसार आदेश दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो लिट्रेचर सर्क्यूलेट किया जाता है उसमें से यह सर्क्यूलर मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। यह अन्त्योदय योजना का वार्षिक प्रगति विवरण है। न तो इसमें विभाग का नाम है, न किसी के दस्तखत हैं, न साफ कापी है। केवल आपने एक कागज दे दिया उसको कैसे माना जाय कि यह ओथेंटिक है, या विभाग की तरफ से दिया गया है, या प्रगति विवरण दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया गया होगा।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्जी, ज्ञान तो बढ़ जाएगा लेकिन आप जांच तो करायें कि कौन से मंत्री से सम्बन्धित है।

अल्पकाल सूचना प्रश्न। श्री बाल कृष्ण थानवी।

अल्प सूचना प्रश्न

राजकीय अस्पताल, फलोदी में चिकित्सा हेतु भर्ती रोगी की असामयिक मृत्यु

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक 19-2-78

(श्री बालकृष्ण थानवी)
रविवार की शाम को राजकीय अस्पताल, फलौदी में चिकित्सा हेतु भर्ती श्री लालाराम चौधरी के पुत्र की असामयिक मृत्यु डाक्टरों की लापरवाही अथवा कम्पाउण्डरों की असावधानी के कारण हुई थी ? अगर हां, तो इसकी जिम्मेदारी जिन पर है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? और भविष्य में ऐसी प्राणलेऊ घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): जी नहीं। प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्न

ग्राम खारीयानीव की जलप्रदाय योजना

101. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील, जिला पाली में ग्रामीण जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम खारीयानीव से पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम खारीयानीव में जलप्रदाय योजना हेतु ट्यूबवैल बनाये गये ? यदि हां, तो कितने व कहां व उन पर कितना खर्चा हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि जलप्रदाय योजना चालू करने से पूर्व जनस्वास्थ्य की दृष्टि से कुओं के पानी का रासायनिक परीक्षण किया गया ? यदि हां, तो उस की क्या रिपोर्ट है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों कुओं में एक कुए का पानी जनस्वास्थ्य की दृष्टि से मनुष्य के उपयोग के लिये अनुपयुक्त माना गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की पालना में उक्त कुए का पानी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो माहवारी दर दोनों कुओं का बिजली का पिछले 3 वर्षों में क्या खर्चा हुआ ?

(5) क्या यह भी सही है कि जनस्वास्थ्य की दृष्टि से जिस कुए का पानी हानिकारक है उसी कुए का पानी ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है ? क्या राज्य सरकार भविष्य में इस कुए का पानी देना बिलकुल बन्द करेगी व विद्युत् कनेक्शन हटावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना खारीयानीव बुटेलाव में 9 गांवों को खारीयानीव से पानी दिया जा रहा है। गांवों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

1. खारीयानीव, 2. रामासेन,
3. गुडेलाव, 4. नायस,
5. मेम, 6. धामड़िया वास, 7. पिड़ावास, 8. बुटेलाव, 9. धारासनी।

(2) जी हां, इस योजना हेतु नलकूप बनाये गये।

1. नलकूप नं० "प्रथम" : अकाल राहत

(५६)

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

में सन् 1969 में भू-जल विभाग द्वारा यह नलकूप बनाया गया जिस पर 26675/- रु० खर्चा हुआ एवं इस विभाग को यह नलकूप 1973 में जल योजना हेतु हस्तान्तरित किया गया ।

2. नलकूप नं० 'द्वितीय': यह नलकूभू-जल विभाग द्वारा 1974 में इस जल योजना हेतु बनाया गया जिस पर रु. 19750/- खर्च हुए ।

(3) जी हां, भू-जल विभाग द्वारा नलकूपों का निर्माण करते समय उपलब्ध जल का रासायनिक परीक्षण किया जाता है । नलकूप का पानी पीने योग्य होने पर ही इस विभाग को हस्तान्तरित किया जाता हैं। इन नलकूपों से उपलब्ध जल की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट, जो वर्ष 76-77 में करवाई गई है, की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार कुओं के पानी में क्लोराइड एवं टी. डी. एस. की मात्रा नोर्म्स के हिसाब से अधिक पाई गई है परन्तु किसी अन्य स्त्रोत के अभाव में दोनों कुओं से वर्तमान में पानी दिया जा रहा है । पानी का अन्य स्त्रोत विलावास में लेकर मीठा पानी दिये जाने के लिये एक योजना, जिसकी लागत 7.25 लाख है, विचाराधीन है । इस पुनर्गठित योजना के लागू होने पर मीठा पानी उपलब्ध करवाया जा सकना सम्भव हो सकेगा ।

(5) खारीयानीव नलकूप में उपलब्ध जल में क्लोराइड एवं टी. डी. एस. नोर्म्स से अधिक पाया जाता है । परन्तु अन्य स्त्रोत के अभाव में फिलहाल इन का पानी वितरण किया जा रहा है । अभी तक जल को पीने से कोई बीमारी होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इन गांवों को विलावास से मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिये एक योजना विचाराधीन है, जिसकी लागत 7.25 लाख रु. है । उस योजना की क्रियान्विति होने के बाद इन गांवों में मीठा जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा एवं खारीयानीव के नलकूपों को बन्द कर दिया जावेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर जिले की ग्रामीण जल-प्रदाय योजना

102. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले की नीबला, जायडू, ऊड पानाउडा, भाडरवा-डेरासर एवं भाडखा रोली जलप्रदाय योजनाओं की अब तक की प्रगति के बारे में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन करने में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उनके निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त योजनायें कब तक कम्प्लीट कर दी जायेंगी ? योजनावार जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) प्रगति विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(2) नीमला, सुरा, जायडू, माड़खा एवं देरासर जल योजना के अन्तर्गत नलकूप अभी तक नहीं बने हैं। दोनों योजनाओं पर नलकूप निर्माणाधीन हैं एवं शीघ्र ही बन जायेंगे। तत्पश्चात् माड़खा, देरासर योजना में लिये गये सभी ग्रामों को सुचारु रूप से जल वितरण किया जा सकेगा। अभी बाड़मेर के कुओं से जल उपलब्ध कराया जा रहा है, अतः उत्पादन की कमी से व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। सभी ग्रामों को जल वितरण नहीं किया जा पा रहा है।

उन्डू-पनावड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण योजना को वर्ष 75–76 में पूर्ण कर दिया गया था। कोलू व अकादड़ा ग्रामों में पानी पहुंचाने के लिये बूस्टर लगाकर इन ग्रामों को पानी उपलब्ध कराया गया था। ग्रामीणों द्वारा पाइप लाइन तोड़ने एवं फरवरी, 78 में थल सेना के व्यायाम प्रोग्राम के कारण अधिक मात्रा में पानी की कमी होने से उन ग्रामों में पानी नहीं पहुंच सका। अब फिर से निरन्तर बूस्टर चला कर इस माह के अन्त तक पानी पहुंचा दिया जावेगा।

(3) जलप्रदाय योजना नीमल-सुरा-जायडू को धन की उपलब्धि के अनुसार शीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा।

जलप्रदाय योजना माड़खा-देरासर 78–79 में पूर्ण किये जाने की संभावना है। जलप्रदाय योजना माड़खा-रोहिलो के एकमात्र ग्राम रोहिलो को इस वर्ष मार्च के अन्त तक जल उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है।

(प्रगति विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

तहसील सांचोर के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

10. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)**: क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर, जिला जालौर में अभी तक कई गांवों में पीने का मीठा स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं कराया है? अगर हां, तो अब तक कुल कितने गांवों में राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है एवं कितने गांव बाकी रहे हैं? बाकी रहे ग्रामों में स्वच्छ पीने के मीठे पानी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा कितने सालों में कर दी जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर में कई गांवों में पीने का पानी खारा है एवं भूतल जल उन गांवों में खारा है अतः लोगों को पानी लाने हेतु दूर-दूर जाना पड़ता है? अगर हां, तो ऐसे कितने ग्राम हैं? उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। ऐसे ग्रामों में पीने के पानी की कब तक क्या व्यवस्था की जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर के लूणी नदी क्षेत्र के ग्रामों में पीने के पानी का गंभीर संकट है और पीने का स्वच्छ पानी न मिलने के कारण उस क्षेत्र के लोग पेट एवं अन्य चर्म रोगों के शिकार रहते हैं? अगर हां, तो ऐसे कुल कितने ग्राम हैं? उन ग्रामों में राज्य सरकार कब तक, किन-किन योजनाओं के जरिये पीने का मीठा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में सफल हो सकेगी?

(4) क्या यह सही है कि तहसील

Page No 28

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सांचौर के ग्राम डूंगरी, सेसावा, आरवा, वेडिया, अगडावा एवं भीमगडा आदि ग्रामों में पीने के पानी का बारह महीनों गंभीर संकट बना रहता है ? अगर हां, तो क्षेत्रीय किसी नल की योजना द्वारा अब तक उक्त ग्राम के पीने के पानी की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था क्य नहीं की गई है ? भविष्य में उक्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(5) क्या राज्य सरकार तहसील सांचौर के कई खारे पानी वाले ग्रामों में बर्षालू पानी इकटठा करने हेतु बड़े-बड़े सीमेंट-कंकरीट के टांके बनवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कब तक क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे ?

(6) क्या राज्य सरकार खारे पानी वाले क्षेत्रों में खारे पानी को मीठा कर पीने योग्य बनाने की प्रणाली को परीक्षण के तौर पर काम में लाने की योजना स्वीकार करना चाहेगी ? अगर हां, तो इस बारे में कब तक, क्या-क्या योजनायें कहां-कहां पर परीक्षण के तौर पर लागू की जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां, कुल 159 ग्रामों में से, अब तक कुल 66 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं 11 ग्रामों में कार्य निर्माणाधीन है। धन की उपलब्धि के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों में शीघ्र स्वच्छ, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है ।

(2) जी हां, ऐसे 72 ग्राम हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। धन की उपलब्धि के अनुसार ऐसे ग्रामों में शीघ्र स्वच्छ, पीने के मीठे पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है ।

(3) जी हां, तहसील सांचौर के लूणी नदी क्षेत्र के कई ग्रामों में पीने के पानी का गंभीर संकट है। पेट के एवं अन्य रोगों के शिकार होने के बारे में विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। सम्बन्धित सूचना प्रश्न के भाग (1) व (2) में देदी गई है ।

(4) जी हां, नई योजना जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी उपयुक्तता, धन की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के आधार पर ही स्वीकृत की जाती है ।

(5) ऐसी कोई योजना इस विभाग के पास अभी तक नहीं है ।

(6) सूर्य ऊर्जा से भूमिगत खारे पानी को स्वच्छ कर पीने योग्य बनाने का कार्य ग्राम मालेरी (जिला चूरू) में परीक्षण के तौर पर किया गया हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

आपातकाल के दौरान सेवामुक्त कर्मचारी एवं अधिकारी

104. **श्री आलम अली खां** (फतेहपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकाल के दौरान राजस्थान की भूतपूर्व सरकार ने कुल कितने राजपत्रित अधिकारियों तथा कितने अराजपत्रित कर्मचारियों को सेवामुक्त किया था ?

(2) उन सेवामुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से अब तक कितने मामलों

(श्री आलम अली खां)

की सुनवाई हो गई है तथा कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं तथा इनका निपटारा कब तक हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के अनेक विभागाध्यक्षों एवं शासन सचिवों ने आपातकाल में अपने अधीनस्थ अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना किन्हीं विशेष कारणों एवं आरोपों के ही सेवामुक्त कर दिया था ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे विभागाध्यक्षों एवं शासन सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार कर रही है. जिन्होंने अपनी इच्छा से ही अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवामुक्त किया था ?

उत्तर

(1) आपातकाल के दौरान निम्नानुसार 3279 राज्य कर्मचारी समय पूर्व सेवानिवृत्त किये गये:—

1.	राज्य सेवा	154
2.	अधीनस्थ सेवा	2,161
3.	मंत्रालयिक सेवा	672
4.	चतुर्थ श्रेणी सेवा	292
	योग ..	3,279

दिनांक 1-10-77 को केवल 62 मामले पुनरावलोकन समितियों के पास विचाराधीन थे और 39 मामले ऐसे देखे जाने थे जिनमें कर्मचारी द्वारा कोई पुनरावलोकन अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(2) मुख्य सचिव को प्रस्तुत पुनरावलोकन अभ्यावेदनों में से 281 अभ्यावेदन निपटाये जा चुके हैं और 909 अभ्यावेदन अभी विचाराधीन हैं ।

(3) राज्य कर्मचारियों को समय पूर्व सेवा निवृत्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें निर्णय किसी एक अधिकारी के ऊपर नहीं छोड़ा गया है अपितु इस प्रयोजन हेतु गठित स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशों के आधार पर ही कार्यवाही होती है । राज्य सेवा तथा अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने से पूर्व तो मुख्य मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री की पूर्वानुमति लेनी होती है ।

अतः सेवा निवृत्त करने के निर्णय का उत्तरदायित्व किसी एक ही अधिकारी का नहीं माना जा सकता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

सांचौर की ताड़ेचा क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना

105. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर नगरपालिका नगरीय जलप्रदाय योजना, ताड़ेचा क्षेत्रीय योजना से अलग की जाकर नगरीय योजना घोषित नहीं की है ? अगर हां, तो क्यों नहीं की ? अब इसको कब तक अलग कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सिल क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना अभी तक पूरी नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? इसको कब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
तक पूरा किया जाकर सब ग्रामों में पीने का पानी दे दिया जायगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांकड-पालड़ीपुर वगैरह क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के दोनों नलकूप खराब हो गये, एवं पीने के पानी की योजना ठप्प हो गई है ? अगर हां, तो ऐसा होने के क्या कारण थे एवं नये नलकूप कब तक बनवाये जाकर ग्रामों में पानी कब तक नियमित रूप से उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि हरियाली-जाखलडेडवा क्षेत्रीय योजना अब तक क्रियान्वित नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों ? अब यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाकर सब ग्रामों में पीने का पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि लाछी-वाड़सूखा-दुवाना-पांचला क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भी सरकार द्वारा मन्जूर कर दी गई है ? अगर हां, तो कब एवं कितनी धनराशि की ? इस योजना द्वारा संबंधित ग्रामों में कब तक पीने का पानी उपलब्ध करवाया जावेगा ?

(6) क्या यह भी सही है कि ग्राम डुगरी साना-अगड़ावा-आखामीमगढा-बेड़िया आदि ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण हो चुका है ? अगर हां, तो कब ? यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाकर सम्बन्धित ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जावेगा ?

उत्तर

(1) सांचौर जलप्रदाय योजना, नगरीय जलप्रदाय योजना घोषित कर दी गई है। नगरीय योजना सांचौर को हाड़ेचा योजना से अलग करने का कार्य चल रहा है। इस माह मार्च में जल वितरण अलग शुरू कर दिया जायेगा इस हेतु इस वर्ष 1.31 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी नहीं। इस योजना के सभी गांवों में जल वितरण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं, तीन नलकूपों में से दो नल-कूपों के फेल हो जाने के कारण प्रतिदिन के स्थान पर एक दिन छोड़ कर एक दिन जल वितरण किया जा रहा है। नये नलकूपो का कार्य प्रगति पर है। आशा है कि इस माह के अन्त तक दोनों नलकूप तैयार हो जायेंगे। नलकूप पूर्ण होते ही नियमित रूप से योजना पर जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(4) हरियाली जाखल योजना वर्ष 76-77 में स्वीकृत की गई थी अभी हरि-याली गांव के कुए पर पम्प लगाकर इस ग्राम को जल वितरण किया जा रहा है। भू-जल विभाग से इस योजना का स्रोत माह में बन जाने की संभावना है। स्रोत बनने पर वर्ष 78-79 में भी ग्रामों को जल देना संभव हो सकेगा। इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है।

(5) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सुरावल-दीवाड़ा के लिये वर्ष 77-78 में 9.57 लाख धनराशि की स्वीकृति की गई है। इसमें सात ग्राम सुरावा, दूवला टिटोव, वाली, लदोवाड़ा, माडेव व दूगांवा आदि सम्मिलित हैं। इस योजना से ग्रामों में वर्ष 78-79 के अन्त तक पानी देना प्रस्तावित है।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(6) जी नहीं, जिला आयाजना समिति, जालौर द्वारा जल योजना डूंगरी, सेन्सवा, को वर्ष 77-78 हेतु प्रस्तावित किया है। योजना प्रस्ताव पश्चात् भू-जल विभाग को स्रोत संबन्धी रिपोर्ट देने बाबत लिखा गया है ताकि योजना का सर्वेक्षण करा कर योजना बनाई जा सके। इस संदर्भ में वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, भू-जल विभाग, पानी द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान हालत में इस योजना हेतु कोई स्रोत नहीं सुझाया जा सकता एवं जियोलोजीकल सर्वेक्षण के पश्चात अपना सुझाव भेजने हेतु लिखा है। अतः भू-जल विभाग से स्रोत संबंधित रिपोर्ट आने के पश्चात् ही योजना का सर्वेक्षण कार्य कराकर योजना बनाना संभव होगा।

जवाई बांध से जोधपुर को पानी

106. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जवाई बांध से जोधपुर नगर में पेयजल के लिये कितना पानी प्रतिदिन बांध से छूटता है ?

(2) इसमें से जोधपुर नगर में कितना पानी प्रतिदिन पहुंचता है। बाकी पानी का क्या होता है ?

(3) इस पानी के वेस्टेज को रोका जावे तो इस पानी से कितनी भूमि प्रति वर्ष सिंचित हो सकती है और उसमें कितनी सिंचित फसल उत्पन्न हो सकती है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस वेस्टेज को रोकने का विचार कर रही है। तो अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं व आगे क्या कदम उठाये जाने को हैं ?

(5) क्या भारत सरकार अथवा विश्व बैंक से इस पानी को नल द्वारा लाने के लिये सहायता का प्रयत्न किया गया है ?

(6) क्या जोधपुर नगर की पेयजल समस्या का अन्य कोई हल राज्य सरकार के सामने है ?

उत्तर

(1) जवाई बांध से जोधपुर नगर के लिए 7 एफ.सी. एम.टी. पानी छोड़ा जाता है। यह पानी मार्च से लेकर वर्षा होने तक लिया जाता है।

(2) उपरोक्त छोड़े गये पानी में से 22 क्यूसेक पानी जोधपुर में प्राप्त होता है। 2 एफ. सी. एम. टी. पाली शहर एवं रास्ते के गांवों की योजना के लिए दिया जाता है तथा (आधा) 1/2 पानी रास्ते में बेकार चला जाता है।

(3) अगर पानी के वेस्टेज को रोका जाता है तो लगभग 5000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इस पानी से प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रु. की फसल उत्पन्न हो सकती है।

(4) हां, राज्य सरकार उपरोक्त पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए विचार कर रही है। विभाग द्वारा जवाई बांध से जोधपुर तक पाइप लाइन की योजना तैयार की गई है जिसकी लागत 28 करोड़ रु. है।

(5) राज्य सरकार इस योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

लिए सतत प्रयत्नशील है ।

(6) नहीं, वर्तमान स्थिति में केवल जवाई-हेमावास बांध से पाइप लाइन द्वारा पानी लाने का एकमात्र ही हल है ।

समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष

107. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किस-किस समय,कौन-कौन व्यक्ति रहे?

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनके समय में बजट व अन्य धरोहर का क्या हिसाब रहा ?

(3) आज वह धरोहर सामग्री बोर्ड की कहां है, और किसके कब्जे में है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के संस्थापन का बजट प्रति वर्ष केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत होता है तथा उस स्वीकृत बजट का आधा-आधा खर्चा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार वहन करती है । प्रत्येक वर्ष के खर्च का अंकेक्षण महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाता है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार को सीधे ही महालेखाकार द्वारा प्रेषित किया जाता है । राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर को केवल कुछ सिलाई मशीनों की नकद धरोहर राशि प्राप्त हुई थी जो राज्य बोर्ड के खातों में जमा की हुई है ।

(3) उक्त धरोहर राशि राज्य बोर्ड के बैंक खाते में जमा है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

बाल समन्वय योजना

108. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गढ़ी पंचायत समिति में "बाल समन्वय योजना" कब से प्रारम्भ हुई, उसमें अब तक किस-किस मद में कितना-कितना धन व्यय हुआ ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि "बाल समन्वय योजना" का मूल उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र में पोषाहार, शिक्षा आदि में समग्र विकास था लेकिन दुरुपयोग हुआ? यदि नहीं, तो क्या लक्ष्य रखा गया व क्या उपलब्धि हुई ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । उक्त योजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या क्या है, उनमें कितने आदिवासी हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि "आंगनवाड़ी कार्यक्रम" में प्रौढ़ महिलाओं को नियुक्तियां नहीं दी गईं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कार्यकर्ताओं की सूची मय उनकी उम्र,

Page No 33

(33)

(श्री नाथूराम)
जाति व निवास के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत गढी पंचायत समिति में समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना 2 अक्टूबर, 1975 से प्रारंभ की गई थी । वर्ष 1975-76 से अब तक मदवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । ('अ')

(2) समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं:—

1) छः वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषक एवं स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना ।

2) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिये नींव डालना ।

3) मृत्युक्ता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना ।

4) बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न विभागों में नीति और कार्यान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना ।

5) उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषक आवश्यकताओं की देखभाल के लिये माताओं को योग्य बनाना ।

इस योजना का दुरुपयोग नहीं हुआ है । योजनावार व वर्षवार उपलब्धियों के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ('ब') । इस योजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संख्या वर्ष 1977-78 तक 255 है जिसमें से आदिवासियों की संख्या 120 है ।

(3) आंगनवाड़ी कार्यक्रम में प्रौढ़ महिलायें ही रखी जावें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । केन्द्रीय सरकार के सामान्य निर्देशों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं स्थानीयता के अनुसार ही जिलास्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । ('स') ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों का आरक्षण

109. **श्री समरथलाल** (राजगढ) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के 28% आरक्षण का राज्य के सभी सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी विभागों में पालन किया जाता है ? यदि हां, तो जून, 1977 से अब तक राज्य के कौन-कौन से विभागों में इसकी पालना की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी हां, राज्य के सरकारी विभागों मे पालन किया जाता है । अर्द्ध-सरकारी विभागों में आरक्षण की पालना हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है एवं आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जहां तक सूचना प्राप्त है 333

(मुख्य मंत्री)
विभागों/कार्यालयों में इस अवधि में पालना की गई है। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बेरी आयोग का प्रतिवेदन

110. **श्री बंशीलाल पारस्वा** (नागौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार बेरी आयोग के प्रतिवेदन को अब कार्यान्वित करेगी ?

(2) क्या वर्तमान सरकार बनने के बाद उपरोक्त प्रश्न पर गहनता से कोई विचार किया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) बेरी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तीन अधिकारियों की समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार तत्कालीन सरकार ने निर्णय ले लिया था एवं तदनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। कतिपय सिफारिशों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं कुछ पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) वर्तमान सरकार विचार कर रही है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस थानों का स्टाफ

111. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस थानों में स्टाफ की स्ट्रेन्थ किस आधार पर तय की जाती है और इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

(2) पुलिस थानों की स्थापना के बाद किसी थाने की स्ट्रेन्थ कभी बढ़ाई गई हो, तो किस-किस थाने की कब-कब और उसके आधार क्या हैं ?

(3) क्या यह आवश्यक है कि जनसंख्या और अपराध वृद्धि के साथ-साथ स्ट्रेन्थ भी बढ़नी चाहिये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(4) क्या इस समय किन्हीं थानों में स्टाफ की स्ट्रेन्थ बढ़ाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब से और किस प्रक्रिया में कब तक बढ़ा दी जावेगी ?

(5) इस सम्बन्ध में कोई नियम व आदेश हों, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पुलिस थानों में स्टाफ की स्ट्रेंथ अपराध संख्या के आधार पर तय की जाती है। स्ट्रेंथ तय करते वक्त जनसंख्या व क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है।

(2) पुलिस थानों की स्थापना के बाद अपराध संख्या के आधार पर स्ट्रेंथ 1962, 1974, 1975 एवं 1976 में बढ़ाई गई है। सूची संलग्न है।

(3) जी हां। उपरोक्त आधार पर वित्तीय साधनों को तथा विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार निर्णय लेती रहती है। राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्गठन की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

(गृह मंत्री)

(4) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर ही उसके अनुसार स्ट्रेंथ बढ़ाना संभव हो सकेगा ।

(5) राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या प-5(ए) (20) गृह/ग्रुप-2/64 अकाउन्ट्स-I, दिनांक 23-9-1965 द्वारा स्टाफ की स्ट्रेंथ सम्बन्धी नीति निर्धारित की है, उसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

उदयपुर जिले के थानों में दर्ज अपराध

112. **श्री गुलाब चन्द कटारया** (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष उदयपुर जिले में कितने अपराध किस-किस प्रकार के विभिन्न थानों में दर्ज हुए ?

(2) इनमें से मर्डर तथा चोरियों के दर्ज मामलों में किन-किन अपराधियों को पकड़ा गया ?

(3) कितने मामलों में अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1977 में 5201 अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं, जिनमें 43 कत्ल के, डकैती के ', लूट के 96, बलवे के 1008, पशु चोरी के 300 व नकबजनी के 502 तथा चोरी के 712 व अन्य अपराध 2534 दर्ज हुए हैं ।

(2) मर्डर व चोरियों के मामले में जिन अपराधियों को पकड़ा गया उनकी सूची संलग्न है ।

(3) 831 मामलों में अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में हुए प्रदर्शन

113. **श्री विरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1 जुलाई, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक कुल कितनी हड़तालें, भूख हड़तालें, क्रमिक भूख हड़तालें, घेराव, धरने व प्रदर्शन आदि हुए ? स्थान व तिथि अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य सरकार ऐसे आन्दोलनों की रोकथाम के लिये क्या-क्या प्रयत्न कर रही है, जिससे ये न हों ?

उत्तर

(1) राज्य में 1 जुलाई से 31 जनवरी, 1978 तक कुल 408 हड़तालें, 181 भूख हड़तालें, 121 क्रमिक भूख हड़तालें, 30 घेराव, 180 धरने, 73 प्रदर्शन तथा 100 अन्य प्रकार के जैसे (ले ऑफ जुलूस, लेवर पैन डाउन, मांग दिवस आदि) हुए । स्थान व तिथि की सूची संलग्न है ।

(2) इस आन्दोलन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु, पुलिस प्रबन्ध किये जाते हैं । इन पर कानूनन कोई रोक नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

Page No 36

(36)

भरतपुर जिले के मेव परिवार

114. **श्री मोहम्मद ज़हूर** (कामां) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में बसे मेव, जो देश विभाजन के समय अपनी जमीन-जायदाद छोड़ कर चले गये थे और महात्मा गांधी के आग्रह पर पुनः वापस आ गये थे, की कुल संख्या क्या थी और उनमें से कितने मेवों को बसा दिया गया है ?

(2) क्या जिन मेवों को बसाया गया है उन्हें उनकी छोड़ी हुई या बदले में पूरी जमीन दे दी गई ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ऐसे लोगों के शेष क्लेमों की पूर्ति कब तक कर देगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने मेवों द्वारा छोड़े गये मकानों के बदले में उन्हें उनकी जायदाद का मुआवजा दे दिया है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार कब तक मुआवजा देने का इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने मेवों को जिन जमीनों पर बसाया है और उनकी छोड़ी हुई जमीन के बदले में उन्हें जो कृषि भूमि दी है राज्य सरकार अब उनसे उसकी कीमत वसूल करना चाहती है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले से कुल 13,882 मेव 1947 में जमीन-जायदाद छोड़ कर गये थे । उनमें से 12,801 मेवों को उनकी भूमि के बदले भूमि दी जाकर बसा दिया गया है ।

(2) जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

(3) मुआवजा देने का कार्य भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है । अतः राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(4) जी नहीं । पूल लैण्ड से जो क्लेम पूरे किये गये हैं उनसे कोई कीमत वसूल नहीं की जा रही है ।

थानागाजी तहसील के ग्रामों में बिजली

115. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या थानागाजी तहसील के विद्युतीकृत ग्रामों में राज्य सरकार की घोषणा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में विद्युत् बोर्ड के खर्चे पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । संबंधित पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत की ओर से अभी तक कोई अन्डरटेकिंग प्राप्त नहीं हुई है कि पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत रोड लाइट में बिजली के उपयोग के मासिक खर्च के बिलों की नियमित रूप से अदायगी करती रहेगी ।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में बिजली

116. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के किन गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No 37

(37)

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(2) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में सूची 1 उल्लिखित गांवों को बिजली देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

(3) राज्य सरकार सन् 1978-79 में पिड़ावा तहसील के कितने गांवों को बिजली दे देगी ? संभावित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रसार पर झालावाड़ एवं मोडक पर 132 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित होने के पश्चात ही विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

(3) अभी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कृषि के लिये बिजली

117. श्री **रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में चालू वर्ष में कृषि हेतु कितने विद्युत कनेक्शन दिये जाने की योजना थी ? अब तक कृषकों को कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये ? शेष क्यों नहीं दिये गये ? राज्य सरकार की इस योजना को नाकामयाब करने में कौन अधिकारी दोषी पाये गए ? क्या राज्य सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) चालू वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिए जाने में क्या मण्डल ने प्राथमिकता प्रदान की थी ? यदि हां, तो चौमू डिविजन में पिछड़े तबके के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की संख्या कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) राज्य में दिसम्बर, 1977, जनवरी, 1978 व फरवरी, 1978 में कुल कितनी मेगावाट बिजली प्राप्त हुई ? बिजली की कितनी आवश्यकता थी ? कितनी कम बिजली प्राप्त हुई ? क्या कमी की पूर्ति के उपाय किये हैं ?

(4) राज्य के कृषकों की विद्युत कटौती की गई थी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो राज्य के किसानों को दिन में बिजली क्यों नहीं दी गई ? इसमें कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पहिले 15000 कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था जिसे बाद में बढ़ाकर 20000 कुओं पर कर दिया गया । अब तक इसी वर्ष 17,503 कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके है । लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(2) जी हां । अनुसूचित जाति, जन-जाति सम्बन्धी निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राथमिकता से ऐसे उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जाते हैं । इस प्रकार के 17 कृषि कनेक्शन चौमू डिविजन में इस वर्ष दिये गये है । सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(विद्युत मंत्री)

(3) राज्य में दिसम्बर, 1977, जनवरी, 1978, फरवरी, 1978 में बिजली की आवश्यकता, कमी व प्राप्ति की सूचना संलग्न तालिका 'ब' में दर्शायी गई है। बिजली की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त बिजली प्राप्त की गई है।

(4) राज्य में बिजली की कमी के बावजूद भी कृषि उपयोग के लिये बिजली में कोई कटौती लागू नहीं की गई है, यद्यपि बिजली की उपलब्धि के अनुसार स्टेगरिंग किया जाता है। मण्डल का यह प्रयत्न रहा है कि कृषि उपभोक्ताओं को करीब 16-17 घन्टे प्रतिदिन बिजली मिले। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है, इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कृषि कार्य के लिये बिजली

118. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर संभाग में विद्युत कनेक्शन कितनी संख्या में किसानों को 31-1-1978 को देने शेष रहे? विवरण—आंकड़े सब-डिविजन कार्यालय क्रमानुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में दिसम्बर, 1976 तक के कितने किसान आवेदकों को कनेक्शन देने शेष रहे? कृपया विवरण आंकड़े सब डिवीजन कार्यालय क्रमानुसार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जोधपुर में स्थित तीन विद्युत डिविजनों के अन्तर्गत 31-1-1978 को कुल 398 कृषि कनेक्शन देने शेष थे। सब-डिविजन कार्यालय क्रमानुसार विवरण आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। सूची 'अ' संलग्न है।

(2) इन कार्यालयों में दिसम्बर, 1976 तक के 112 कनेक्शन शेष थे। सहायक अभियन्ता कार्यालय अनुसार विवरण आंकड़े क्रमानुसार सदन की मेज पर सूची 'ब' पर रख दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा शुरू किये गये कार्य

121. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1977-78 में जून से अब तक कितने निर्माण कार्य नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा शुरू किये गये? उसका विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें:—

कार्य का नाम, अनुमानित लागत, शुरू करने का दिनांक,	प्रस्तावित पूर्ण होने का दिनांक, ठेकेदार निर्माणकर्ता का नाम।
कार्य सन्तोषजनक या असन्तोषजनक रहा	अधिशासी अभियन्ता ने किन-किन कार्यों का निरीक्षण किया (हां या ना में उत्तर)।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार की सूचना सरदारपुरा क्षेत्र के विधायक ने नगरपालिका, जोधपुर के अधिशाषी अभियन्ता से मांगी थी ? अगर हां, तो कब मांगी गई और उन्हें क्यों नहीं दी गई ? अगर दी गई, तो कब और किस प्रकार ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा वर्ष 1977–78 में जब से अब तक निर्माण कार्यों का विवरण प्रस्तावित प्रोफार्मा में सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) जी हां, दिनांक 27-10-77 को सूचना मांगी गई थी परन्तु अधिशासी अभियन्ता ने सूचना नहीं देकर जबानी ही विधायक महोदय को कहा कि उक्त सूचना वे विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

ग्राम बीरोल छोटी की उच्च प्राथमिक पाठशाला

122. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र, सांचौर के ग्राम "बीरोल छोटी" में उच्च प्राथमिक पाठशाला राज्य सरकार द्वारा खोली गई थी ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम की पार्टीबाजी के कारण स्कूल भवन बना होते हुए भी अभी तक स्टाफ नहीं भेजा गया है एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला अभी तक शुरू नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) अब उक्त ग्राम में पर्याप्त स्टाफ भिजवा कर कब तक स्कूल खोल दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचौर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जो-जो नई प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई थीं वे अभी तक शुरू नहीं की गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब वे पाठशालाएं कब तक खोल दी जायेंगी ?

(5) ग्राम "जानेवी का गोलिया" एवं "लालपुरा" (चीतलावना में) पाठशाला कब तक खोल दी जावेगी ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम डूडसण में पुरानी प्राथमिक पाठशाला, जो बन्द की गई थी, अब तक लोगों के आग्रह के बावजूद भी वापस नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब वह कब तक पुनः खोल कर स्कूल शुरू करवा दिया जावेगा ?

(7) पंचायत समिति क्षेत्र, सांचौर में नई प्राथमिक पाठशालाएं मांग के अनुसार कब तक खोल दी जायेंगी ?

(8) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र, सांचौर में अभी तक पूरे शिक्षक नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कितने कम शिक्षक कब से हैं ? शिक्षकों की कमी कब तक दूर कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार शिक्षा ग्रुप-1 के आदेश क्रमांक प. 13 (13) शिक्षा-1/77, दिनांक 16-7-77 द्वारा बीरोल छोटी में

Page No 40

(40)

(शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया तथा इसी आदेश की अनुपालना में बीरोल छोटी में उच्च प्राथमिक विद्यालय दिनांक 23-7-77 को खोला गया था।

(2) यह सूचना प्राप्त होने पर कि छोटी बीरोल में कोई प्राइमरी स्कूल ही नहीं है जिसे कि पांचवीं कक्षा को क्रमोन्नत कर मिडिल बनाया जाय, राज्य सरकार ने आदेश सं. एफ. 13 (13) शिक्षा-1/77, दिनांक 8-9-77 के द्वारा छोटी बीरोल के स्थान पर बड़ी बीरोल में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की, जहां पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। वर्तमान में प्रधानाध्यापक के अलावा स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं। बड़ी बीरोल जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां पर उप-निदेशक द्वारा प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया जा रहा है।

(3) बड़ी बीरोल जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां पर उप-निदेशक द्वारा प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया जा रहा है।

(4) इस बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) जानेवी का गोलिया एवं लालपुरा में क्रमशः 6-12-77 एवं 21-2-78 को पुनः प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं।

(6) पंचायत समिति, सांचौर के ग्राम डूडसन में पाठशाला चल रही है।

(7) इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा।

(8) जी हां, यह सही है कि आवश्यकता के अनुसार पूरे अध्यापकों के पद नहीं दिये गये हैं। सभी पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी है। इस हेतु राज्य सरकार ने 1976-77 में 400 पद दिये थे। 1978-79 में भी 500 अतिरिक्त पद देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने यह आदेश प्रसारित किया है कि जहां अध्यापकों की कमी है, वहां दो पारियों में प्रहर पाठशाला के रूप में स्कूल चलाया जाय।

सुजला कालेज के दानदाताओं से एग्रीमेन्ट

123. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुजला कालेज के दानदाताओं और सरकार के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है? यदि हां, तो उक्त एग्रीमेंट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त एग्रीमेंट के अनुसार दानदाताओं ने राशि सरकार को जमा करा दी? यदि हां, तो कब-कब? और नहीं, तो क्यों?

(3) यदि दानदाताओं से और कोई राशि लेनी बकाया है तो कितनी और यह कब तक जमा हो जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां, एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) साढ़े तीन लाख रुपये की राशि दानदाताओं से निम्न तिथियों को प्राप्त हो

(शिक्षा मंत्री)
चुकी हैं :-

सन्	रुपये
11-3-1967	1,00,000.00
31-3-1969	1,00,000.00
26-9-1972	1,00,000.00
10-2-1973	50,000.00
	3,50,000.00

(3) दानदाता द्वारा एक लाख दस हजार रुपये और खर्च करेंगे हैं, पूर्वने बकाया 50 हजार भी शामिल हैं । 50 हजार रु. छात्रकोष में भी दिये जायेंगे । इस प्रकार एक लाख साठ हजार रुपये से निम्नलिखित निर्माण कार्य होगा :-

1. भवन की दूसरी मंजिल पर तीन कक्षाओं के कमरे 24.30 ।
2. पहली मंजिल पर बरामदा निर्माण कार्य ।
3. पांच और स्टेयर्स ।

उपरोक्त स्थिति से दानदाताओं को 26-7-1977 को सूचित कर दिया गया है । दानदाता से अभी और कोई पत्र इस बारे में प्राप्त नहीं हुआ है । इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

(एग्रीमेंट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें ।)

नई क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शाला, सीतोड में अध्यापकों एवं प्रधान अध्यापक की नियुक्ति

124. श्री कुंजी लाल (बामनवास): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नई क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शाला, सीतोड, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में आज तक प्रधान अध्यापक तथा अन्य आवश्यक अध्यापक नहीं लगाये गये हैं ? यदि लगा भी दिये गये हैं, तो कार्यभार नहीं सम्भाला है ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक लगा दिये जावेंगे ?

(2) अब तक अध्यापिकों के नहीं पहुंचने से जो छात्रों की पढ़ाई आदि की क्षति हुई है उसका जिम्मेदार कौन है ? क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक शाला, सीतोड, तहसील बामनवास में प्रधानाध्यापक व अन्य 2 अध्यापक लगा दिये गये हैं ।

(2) छात्रों की पढ़ाई ठीक चल रही है । यदि क्षति के लिये कोई दोषी पाया जावेगा, तो कार्यवाही की जावेगी ।

नागौर राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के काशन मनी की राशि

125. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों की काशन मनी कॉलेज में से कोई राशि कॉलेज के किसी अधिकारी ने गलत रूप से उठा कर उसका दुरुपयोग किया ?

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

(2) क्या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई फौजदारी मामला दर्ज किया गया एवं क्या विभागीय जांच की गई ? उसमें कौन व्यक्ति दोषी पाया गया ?

(3) इस संबंध में भविष्य में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) तत्कालीन उपाचार्य, श्री जवाहर हिंगोरानी के द्वारा कोआपरेटिव सोसायटी के हिस्सा-पूंजी लौटाने के मामले में हुई अनियमितता के बारे में पुलिस अधीक्षक, नागौर को 15-10-77 को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है । विद्यार्थियों के काशन मनी से इसका कोई संबंध नहीं है ।

(3) जांच के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

नगर परिषद्, जोधपुर के अधीन मोहल्ले एवं बस्तियां

126. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर नगर के कौन से हिस्से, बिजली (रोड लाइट), सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, गंदे पानी की नालियों का निर्माण व मरम्मत के दृष्टिकोण और पूर्ति के लिये नगर परिषद् के अधीन हैं ? ऐसे सभी स्थानों, मोहल्लों, बस्तियों आदि की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

जोधपुर नगर के उन स्थानों, मोहल्लों, बस्तियों आदि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है जिनमें बिजली, सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, गंदे पानी की नालियों का निर्माण व मरम्मत आदि कार्य नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा किया जाता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय

127. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में संस्कृत विद्यालयों पर राज्य सरकार कितनी राशि खर्च करती है ? क्या संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा कितने सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को राज्याधीन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) राज्य सरकार के पास कितने वर्षों से श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, ग्राम बिलोची, तहसील जमुवा रामगढ़ को राज्याधीन करने का मामला विचाराधीन चल रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, ग्राम बिलोची, तहसील जमुवा

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
रामगढ़ को राज्याधीन करने के लिए प्रबन्धकों ने राज्य सरकार से बराबर अनुरोध किया, लेकिन राज्य के सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जान-बूझकर रोड़े अटकाये। यदि हां, तो वे अधिकारी एवं कर्मचारीगण कौन-कौन थे ? क्या राज्य सरकार उनको दण्डित करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार चालू वर्ष में श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान विद्यालय को राज्याधीन कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य सरकार संस्कृत विद्यालयों पर 88.31 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रही है। वित्तीय दबाव के कारण कई योजनायें प्रारम्भ नहीं हो पाती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में संस्कृत प्रचार-प्रसार के लिए उचित प्रावधान करने की योजना है। अर्थाभाव के कारण अधिक योजनायें नहीं बनाई जा सकी हैं।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग की गत वर्ष किसी भी संस्था को राज्याधीन नहीं किया गया है। वित्तीय प्रावधान के अभाव में यह संभव नहीं है।

(3) फिलहाल राज्य सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, ग्राम बिलोची के प्रबन्धकों द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया गया था। इसकी पूर्ति न होने में अर्थाभाव एकमात्र कारण रहा है, कोई अन्य कारण नहीं।

(5) जी नहीं।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

128. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू शिक्षा सत्र में राज्य में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण विभिन्न जिलों में राज्यादेशों के अन्तर्गत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इतने स्थानान्तरणों के किये जाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) राज्यादेशों से 1367 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें से कुछ स्वयं के निवेदन से, कुछ प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किये गये थे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

नसबन्दी करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार

129. **श्री बाल कृष्ण थानवी** (फलौदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आपात स्थिति के दौरान अपनी ओर से अति उत्साह दिखाकर तानाशाही तरीकों से प्रदेश में नसबन्दी करने, कराने वाले किन-

(श्री बालकृष्ण थानवी)

किन मंत्रियों, जिलाधीशों, उप-जिलाधीशों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों, पटवारियों, ग्राम सेवकों, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, डॉक्टरों, कम्पाउण्डरों, नर्सों अन्य सरकारी व अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों तथा एजेन्टों को राज्य सरकार की ओर से क्या-क्या और कितना-कितना पुरस्कार कब-कब दिया गया एवं ऐसे अपराधी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ जनता सरकार बनने के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1975-76 के परिवार कल्याण संबंधी प्रेरणात्मक कार्य के लिए केवल सात व्यक्तियों को पुरस्कार दिनांक 6-10-76 को चूरू जिले में तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रदान किये गये हैं जिसकी सूची संलग्न है। इसी वर्ष के कार्य के लिये निम्न चार व्यक्तियों को 15 अगस्त, 1976 को प्रशंसा-पत्र राज्यपाल द्वारा प्रदान किये गये।

(1) एस. एम. सैनी, चिकित्साधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगरिया (जिला गंगानगर)।

(2) श्री गोकल पटेल, ग्राम सेवक, पंचायत समिति, तलवाड़ा (बांसवाड़ा)।

(3) श्री रामेश्वर महारिया, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, चिड़ावा (झुंझुनूं)।

(4) श्री मोहनलाल रोलीवाल, शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी, जिला परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।

इसके अतिरिक्त धांबाड़ा में 3 अक्टूबर, 1976 को आयोजित एक समारोह में श्री संजय गांधी द्वारा तत्कालीन जिलाधीश, बांसवाड़ा को 1976-77 में बांसवाड़ा जिले में हुई प्रगति और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को वर्ष 1975-76 में चूरू जिले की श्रेष्ठ प्रगति पर विक्ट्री टावर अवार्ड के रूप में प्रदान किये गये।

26 जनवरी, 1977 को निम्न तीन व्यक्तियों को प्रशंसा-पत्र राज्यपाल द्वारा प्रदान किये गये थे:—

(1) डा. एस. एम. गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।

(2) डा. नवल किशोर शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगानगर।

(3) श्री लक्ष्मी चन्द गुप्ता, जिलाधीश, बांसवाड़ा जिला स्तर पर जो रकम पुरस्कार के लिये उपलब्ध की, उसको वितरण करने का अधिकार जिला स्तर क्रियान्वयन समिति को दे दिया गया था, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश था। कुछ जिलों में जिला समिति द्वारा स्वीकृत कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं को जिला स्तर पर ही पुरस्कृत किया गया, जिसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है एवं एकत्रित की जा रही है। दूसरे विभागों ने अपने स्तर पर यदि कोई पुरस्कार दिये हैं तो उनकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि

130. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं)

(श्री हरजीराम बुरडक)

क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केन्द्रीय योजनाओं का खर्चा प्रति व्यक्ति राजस्थान में कितना हुआ है और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का कौन सा नम्बर है? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि अन्य राज्य के मुकाबले राजस्थान में केन्द्रीय सरकार ने कम खर्च किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब-कब, क्या-क्या कदम उठाये? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई मैमोरेन्डम दिया हो तो, उसकी प्रति मय केन्द्रीय सरकार के जवाब के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य के पक्ष को केन्द्रीय सरकार से मनवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये जाएंगे, जिससे राज्य के विकास में केन्द्रीय सरकार अधिक खर्चा करे?

उत्तर

(1) समस्त केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान में किये गये व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के उपलब्ध आंकडों के अनुसार पिछले तीन वर्ष में किया गया व्यय एवं प्रति व्यक्ति व्यय निम्न निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति व्यय (1971 की जनगणना के आधार पर) (रुपयों में)
1975–76	38 71	15.92
1976–77	41.43	16 07
1977–78 (संभावित)	57.90	22.47

(2) अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध न होने से राजस्थान का स्थान नहीं बताया जा सकता है।

सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि राजस्थान में किन-किन राज्यों की अपेक्षा कम या अधिक खर्चा हुआ है। प्रयत्न हमेशा यह किया गया है कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त हो।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर राजस्थान का पिछड़ापन बताते हुये केन्द्र सरकार से अधिक सहायता की मांग करती रही है।

(4) समय-समय पर और अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जायेगा, जिससे भविष्य में और अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सके।

परिवहन निगम में पदोन्नति का आधार

131. **श्री मूलचन्द डागा (पाली):** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान परिवहन निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति 'सीनियोरिटी' के आधार पर की जाती है या

(श्री मूलचन्द डागा)

मैरिट के आधार पर ? इसके लिये निगम ने क्या नियम बना रखे हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को यातायात निरीक्षक पदोन्नति के लिये विभागीय समिति गठित की गयी ? यदि हां, तो इसमें किन पदाधिकारियों ने भाग लिया और उनके नाम क्या थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि सेवा चयन मण्डल द्वारा असफल घोषित किये गये कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गयी, जब कि उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवावधि नियमों के विनियम 117 व स्थायी आदेशों के आदेश संख्या 5 की प्रति संलग्न है।

(2) पूर्व में ही नियमानुसार गठित सेवा-चयन मण्डल की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को हुई थी, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया था:—

1. श्री के. के. भटनागर, अध्यक्ष एवं प्रधान प्रबन्धक।

2. श्री एस.सी वर्मा, अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक।

3. श्री उमरावसिंह भटनागर, उप-प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक)।

(3) सेवा-चयन मण्डल द्वारा चयनित नहीं किये जाने के फलस्वरूप 7 कर्मचारियों को यातायात निरीक्षक के पद से सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदावनत किया गया था। इनमें से 6 कर्मचारियों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किये गये जिसमें 5 कर्मचारियों को तथा एक अन्य कर्मचारी को भी इन पांच कर्मचारियों के मामले में निर्णय के अनुरूप, इस प्रकार कुल 6 कर्मचारियों को पुनः यातायात निरीक्षक के पद पर लगा दिया गया। शेष एक कर्मचारी के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा यथावत स्थिति कायम रखते हुये इन्हें पदावनत न करने सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे। इन आदेशों के विरुद्ध निगम ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जहां उपरोक्त निषेधाज्ञा निरस्त कर दी गई है। अतः इस एक कर्मचारी को यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। इन कर्मचारियों में से 33 कर्मचारियों को सेवा चयन मंण्डल द्वारा चयनित नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति नहीं दी गई।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

वन मंडल, डूंगरपुर के अन्तर्गत किये गए कार्यों की जांच

132. **श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर):** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन मण्डल, डूंगरपुर के अधीन ब्लाक माकरेड़ा का मस्टर रोल फर्जी बनाया जाकर राशि उठाई गई ? यदि हां, तो अब तक इसकी सम्पूर्ण जांच करवा

(श्री अमृतलाल परमार)
कर सम्बन्धित अधिकारी को दंडित क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि रेंज डूंगरपुर द्वारा बिछीवाड़ा क्षेत्र में 76-77 एवं 77-78 में कार्य लिया गया ? यदि हां, तो अब तक उन्हें भुगतान क्यों नहीं किया ?

(3) क्या यह सही है कि सत्र 1976-77 में मीनारों को रंगने के लिये पेन्ट खरीदा गया? यदि हां, तो कितनी राशि का?

(4) क्या यह भी सही है कि मीनारों पर पेन्ट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो पेन्ट कहां गया?

(5) क्या यह भी सही है कि वन मण्डल, डूंगरपुर रेन्ज के आंतरी के अन्तर्गत मीनारों का निर्माण सीमेण्ट में किया गया ? यदि हां, तो मौके पर कार्य सीमेण्ट के बजाय मिट्टी में चुनाई क्यों की गई तथा सीमेण्ट कहां गई ?

(6) क्या यह सही है कि रेन्ज डूंगरपुर में वन कार्य गेहूं पर कराया गया ? यदि हां, तो उक्त मजदूरों को देने के बजाय सरकारी ट्रक नं. आर. आर. एस. 2382 से बांसवाडा क्यों ले जाया गया ? यदि हां, तो उक्त जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । कोई इस प्रकार की शिकायत राज्य सरकार के समक्ष नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां । 1976-77 का कोई भुगतान शेष नहीं है । 1977-78 में 63,513 रु. का चुकारा किया गया है । केवल दो में कार्य का 74.52 क्विंटल गेहूं, जो उपलब्धता के अभाव में चुकारा होना शेष है ।

(4) जी हां, यह पेण्ट 2136 रु. 96 पैसे का खरीदा गया ।

(5) (i) जी हां, प्रशासनिक कारणों से मीनारों पर पेण्ट नहीं किया जा सका है ।

(ii) पेण्ट उप-वन संरक्षक, डूंगरपुर के स्टोर में उपलब्ध है ।

(i) जी हां, (ii) मीनारों की चुनाई सीमेंट में हुई है तथा सभी क्रय की गई सीमेंट मीनारों में उपयोग हुई है ।

(6) (i) जी हां, (ii) ट्रक आर. आर. एस. 2382 द्वारा कोई गेहूं बांसवाड़ा नहीं लेजाया गया है, (iii) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देना चाहूंगा ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्व श्री रामनारायण चौधरी व दुला-राम, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य की कृषि उपज मंडियों की आमदनी का 60 प्रतिशत भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्फत सड़कों पर खर्च किया जावेगा और 40 प्रतिशत राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण के लिए

(श्री उपाध्यक्ष)

खर्च किया जावेगा, इससे कृषि उपज मंडियों में रोष उत्पन्न हो गया है ।

आगामी 23 मार्च को सदन में कृषि की मांग प्रस्तुत की जावेगी । उस समय माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा उठा सकते हैं । मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट से अधिक नहीं लेंगे ।

श्री दुलाराम : थोड़ा लम्बा भाषण हो सकता है, इसके लिए माफी चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भी मुझे क्षमा करेंगे अगर उनको अधिक समय न दूं।

श्री दुलाराम : मैं कोशिश करूंगा । पैसा भी कृषि मंडी समिति का ज्यादा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार ने एक कृषि उपज मण्डी के नाम से किसानों के लिए संस्था बनाई और नियम बनाकर उन नियमों के तहत किसानों से टैक्स वसूल किया । यह कहा गया कि टैक्स वसूल किया जाकर किसानों की विशेष सुविधाओं के लिए इसको खर्च किया जाएगा । ऐसा एक एक्ट बनाया गया था । किसानों से उसके अनुसार वसूली की जा रही है । मान्यवर, आज स्थिति ऐसी बन गई है, किसानों ने उत्साह से, बड़े प्रेम से स्वस्थ परम्परा को निभाया है और कृषि उपज मण्डी को टैक्स देना शुरू किया है । मान्यवर, या तो जनता पार्टी की सरकार को या जनता पार्टी के अधिकारियों की उस पर निगाह पड़ गई कि यह पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, इस पर यदि अंकुश लगाया जाए तो बहुत बड़ी रकम उनको कमीशन के रूप में मिल सकती है, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक साजिश शुरू कर के कृषि उपज मण्डी, जो किसानों की संस्था है, का वह पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्फत खर्च करने के लिए एक मसविदा पेश किया । जनता सरकार नारे लगा सकती है किसानों के हित के, परन्तु किसानों के हित के लिए काम करने का उसका विचार नहीं है । इसलिए उसने यह मसविदा मंजूर कर लिया । मान्यवर, साजिश यह है कि जो पैसा कृषि उपज मंडी में आ रहा है, उसका 60 प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण विभाग खर्च करेगा और बाकी 40 प्रतिशत जो है वह कृषि विपणन बोर्ड द्वारा खर्च हो गया । मान्यवर, कृषि उपज मंडी के पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, या हुआ है, वह किसानों ने दिया है और इसलिए दिया है कि उस पैसे को कृषि उपज मंडी ही खर्च करे । सार्वजनिक निर्माण द्वारा यह पैसा खर्च कराना उनके साथ, किसानों के साथ अन्याय है । किसान इस बात के लिए पैसा देता है कि यातायात के साधन, यातायात की सुविधा हो और मंडी में भी उसको हर प्रकार की सुविधा मिले । मंडी में आकर वह अपना माल बेच सके और धान के रखने की व्यवस्था कर सके । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तो पहले ही काफी निर्माण कर चुका है । उसके द्वारा राजस्थान की सड़कें बनी हैं, वे ऐसी सड़कें बनी हैं राजस्थान में जैसी हिन्दुस्तान में शायद ही कहीं और हों । कृषि उपज मंडी का पैसा इस तरह से खर्च करने की साजिश की गई है ।

(श्री दुलाराम)

किसान इस निर्णय से दुखी है, इससे किसानों में रोष है और वे) किसान, यह चाहते हैं कि उनका पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खर्च न हो। किसान यह चाहते हैं कि उनका पैसा कृषि उपज मंडी द्वारा खर्च हो। सारी कृषि उपज मंडियां एक अधिशासी अभियंता के द्वारा संचालित हो रही हैं। यह अधिशासी अभियन्ता इस बात पर अड़े हुए है कि यह पैसा निर्माण विभाग द्वारा खर्च किया जाए तो व्यवस्था अच्छी हो सकती है। मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं इस निर्णय से किसानों के प्रतिनिधियों को दुःख है। वे अपना पेट काट कर पैसा देते हैं वह इसलिए देते हैं कि उनके यहां पर सड़कें अच्छी हों। वे कृषि उपज मंडी को टैक्स देते हैं ताकि उनको मंडी में आने-जाने में सुविधा हो। उनका माल अच्छी तरह से बिके। यह सारा पैसा जो कृषि उपज मंडी के पास आ रहा है, उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जा रहा है, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। यह किसानों के साथ अन्याय होगा। मनमाने तरीके से यह पैसा खर्च होगा और इस कारण से लोगों में, किसानों में मंडी व सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होगा। ये मंडियां प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई हैं, प्रजातांत्रिक ढंग से चल रही हैं। जो मंडियां प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई, कार्य कर रही हैं, उनको भंग कर दिया जाएगा, ऐसे नियम नहीं हैं। फिर भी म्यूनिसिपैलिटी की तरह सरकार उनको देख रही है। उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और उसका पैसा निर्माण विभाग की मार्फत खर्च करना चाहती है। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कृषि उपज मंडियों के मार्फत 10-11 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। इस में से 6 करोड़ के लगभग सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा खर्च करना चाहती है और बाकी के पैसे को विपणन बोर्ड के द्वारा खर्च करना चाहती है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि कृषि उपज मंडी के चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्फत खर्च करें और जो घोषणा की है, वह सरकार वापस ले। कृषि उपज मंडियों के चुनाव करवाए जाएं और उनके पैसे को सरकार के विभाग के द्वारा खर्च नहीं करने दिया जाए वरना इससे किसानों का दिल दुखेगा। किसानों की यह कमाई किसानों के हित व उनकी सुविधा के लिए खर्च हो। यह पैसा कृषि उपज मंडी के पास ही रहने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिए।

श्री दुलाराम : एक मिनट और निवेदन कर दूं। न डिमाण्ड पर बोलने दिया जाता है और न मुद्दे उठाने को समय दिया जाता है।

कृषि उपज मंडी मे आज जो आदमी बैठे हैं, वे किसानों की बात नहीं सुनते हैं। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात की घोषणा करें कि जो पैसा यह है, वह कृषि उपज मंडी का है, यह जो दस दस करोड़ रुपया है, यह कृषि उपज मंडी के जन-प्रतिनिधियों द्वारा ही खर्च किया जाएगा और जो सक्षम अधिकारी हैं कृषि उपज मंडी के, उन अधिकारियों की देखरेख में खर्च होगा, किसानों के स्वयं के द्वारा खर्च होगा। मैं यह निवेदन कर दूं कि हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं वे स्वयं किसान हैं इसलिए वे इस घोषणा को करने में पीछे नहीं रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी।

(4)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम ने स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है, वह इस सम्बन्ध में है कि राजस्थान को कृषि उपज मंडियों का पैसा, जो कुल मिला कर 12 करोड़ रुपये होता है, राज्य सरकार पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत खर्च करवाना चाहती है। स्थानीय मंडियों के जो अधिकार हैं, उनका जो यह फंड है, उसको छीन कर सरकार इस पैसे को खर्च करना चाहती है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में लम्बी-चौड़ी घोषणाएं कर दी। वह घोषणाएं करके भी वे स्वयं के बजट से कुछ नहीं दे पाये, उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं कर पाए, बजट से उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाये, तो उसके लिए उन्होंने यह रास्ता निकाला है। इस वर्ष कृषि उपज मंडियों का जो 12 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, उस पैसे का 60 पर्सेन्ट वे पी. डब्ल्यू. डी. को डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार का जो सड़कों का कमिटमेंट है, उसको वह पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वह किसानों के पैसे से, जिस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, जनता को किए कमिटमेंट को पूरा करना चाहती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इनके चुनाव नहीं करवा रही है और अध्यादेश के जरिए सरकार अपने आदमी उनमें लगा रही है। आज तक राजस्थान में इस प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। आर्डिनेन्स के जरिए स्थानीय मैनेजमेंट, कृषि उपज मंडियों को भंग करके अपने स्वयं का मैनेजमेन्ट बनाकर इस पैसे को राजस्थान सरकार कुर्क करना चाहती है। यह उचित नहीं है। यह राजस्थान सरकार का पैसा नहीं है। इसको वह पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। चूंकि जन प्रतिनिधि यह नहीं मानेंगे, इसलिये सारा मैनेजमेंट सरकार अपने अधीन करना चाहती है और इस पैसे को दूसरे कार्यों में डाइवर्ट करना चाहती है। राजस्थान के किसानों का यह पैसा इस साल 12 करोड़ रुपये है, अगले साल यह करीब 15 करोड़ रुपया होगा तथा तीन वर्ष बाद यह करीब 30 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसलिए इस पैसे को खर्च करने का निर्णय कृषि उपज मंडी के द्वारा होना चाहिए। मगर राजस्थान सरकार ऐसा न करके यह पैसा दूसरी सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर, पोलिटिकल बेसिस पर खर्च करना चाहती है ताकि जनता पार्टी के विधायकों को प्रसन्न किया जा सके। यह साजिश करके यह पैसा इस प्रकार गलत तरीके से खर्च करना चाहती है। किसानों से बिना पूछे यह धनराशि डाइवर्ट की जा रही है। मेरे से पूर्व वक्ता श्री दुलाराम जी ने इस संबंध में कहा है। सिद्धान्त यह है कि जो लोकल फण्ड है, वह स्थानीय कार्यों के लिए ही खर्च हो। परन्तु यह न करके और साजिश करके राजस्थान सरकार पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से खर्च करना चाहती है। इसलिए इस प्रश्न पर विचार किया जाए और सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पहले इस प्रश्न को लिया जाए। वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, फिर भी इस प्रश्न को यहां पर उठाया जाएगा। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर इस सदन में विचार होना चाहिए था। मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह किसानों का पैसा है, यह लोकल फण्ड है, किसानों के लिए एप्रोच रोड्स बनाने के लिए यह पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। उसको कुर्क करके सरकार अन्धा धुन्ध तरीके से दूसरे कार्यों पर खर्च करना चाहती है। पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा खर्च करवाना चाहती है। इससे राजस्थान के किसानों में विशेषकर गांवों में असन्तोष होगा,

(श्री रामनारायण चौधरी)

गहरा असन्तोष व्याप्त होगा और उसका दुरुपयोग होगा । इसलिए इस असन्तोष को दूर करने के लिए, उनका यह पैसा सरकार तब तक खर्च न करे जब तक कृषि उपज मंडियों के चुनाव न करवा दे और चुने हुए प्रतिनिधि अपनी राय व्यक्त न कर दें । वे किसान क्या चाहते हैं और उस पैसे को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं, उनकी राय लेकर ही खर्च किया जाए, यह आश्वासन, मुख्य मंत्री महोदय, आप दें ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में चर्चा उठाई है । मैं समुचित उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा । मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जैसा कि कहा है कि किसानों के हित के खिलाफ साजिश की गई है, यह सही नहीं है । मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार कृषि उपज मण्डी की आय को सामान्य बजट के अनुसार खर्च करती है । इसी तरह से हरियाणा राज्य सरकार भी कृषि उपज मण्डी की आय को व्यय करती है । आज पंजाब और हरियाणा सरकार ने किसानों के हित की चिन्ता नहीं की है, यह नहीं कहा जा सकता है । जहां तक सड़कों पर धनराशि व्यय होने का सवाल है जो कृषि उपज मण्डी में इन्जीनियर हैं वह इस धनराशि को रोड्स पर व्यय करेंगे । पी. डब्ल्यू. डी. का सुपरवीजन चार्जेज भी होगा । रोड रोलर पी. डब्ल्यू. डी. के पास हैं । सड़कें बनाने का काम इसी स्कीम में किया जाये, तो किसी को आपत्ति नहीं है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनैतिक आधार पर यह नहीं किया जाएगा और न नेशनल हाई वे पर खर्चा किया जाएगा । इससे जितना ग्रामीण सड़कों का विकास किया जा सकता है उतना किया जायेगा । इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत काम करायेंगे । वह खर्चा करेंगे । क्या वह रेण्ट चार्ज नहीं करेंगे ? कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष अपने यहां का पी. डब्ल्यू. डी. से असेसमेन्ट करायें और कृषि उपज मण्डियां सिफारिश करें । यदि वह कोई सिफारिश करें तो राज्य सरकार को अधिकार है कि उस सिफारिश को माना जाना चाहिए । यदि कृषि उपज मण्डियां चाहें, तो पी. डब्ल्यू. डी. से काम करायें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों प्रश्नों पर विचार कर लिया जाएगा । कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में किस प्रकार की सड़कें हों, वह किस प्रकार से चाहते हैं इस पर जो भी जरूरी है, वह विचार कर लिया जाएगा ।

एक माननीय सदस्य : कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री बुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपया कृषि उपज मण्डियों में है । और 3 करोड़ रुपया.....

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा मोती डूंगरी रोड, आनन्द पुरी योजना में प्लाट अलाटमेंट में की गई अनियमितता

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य विधान सभा नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा मोती डूंगरी रोड, आनन्द पुरी योजना में प्लाट अलाटमेंट में की गई अनियमितताओं की ओर आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा मोती डूंगरी रोड, आनन्द पुरी योजना में प्लाट अलाटमेंट में की गई अनियमितताओं की ओर आवासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (आवासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती उजला अरोड़ा एवं माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जयपुर मोती डूंगरी रोड व आनन्दपुरी योजना के सम्बन्ध में रखा गया है। मैं उसके प्रश्नों के अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

पहला प्रश्न यह है कि कई व्यक्तियों द्वारा नजराने की राशि जमा करवा दिये जाने के बावजूद भी आज तक उन्हें भू-खण्ड आवण्टित नहीं किया गया है तथा सूची में भी दर्ज नहीं किया गया है?

जी हां। सूची उन्हीं व्यक्तियों की उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार तैयार की गई थी, जिन्हें भू-खण्डों का आवण्टन किया जा चुका है।

अतः जिन्हें आवण्टन किये जाने सम्बन्धी मामले विवादग्रस्त होने से अनिर्णीत हैं उनके नाम सूची में नहीं दर्शाये गये।

श्री श्यामसिंह : को भू-खण्ड संख्या 206 वर्ष 1969 में आवण्टित किया गया था जो बाद में उनकी स्वयं की सहमति से उनके नाम से रद्द करके उनके भाई श्री रामस्वरूप को आवण्टित कर दिया यद्यपि श्री श्यामसिंह द्वारा नजराना की राशि जमा करवा दी गई थी। उसके पश्चात श्री श्यामसिंह को अन्य भू-खण्ड का आवण्टन नहीं किया गया। अतः सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं हुआ।

दूसरा प्रश्न यह है भू-खण्ड आवण्टन योजना मानचित्र के अनुसार दिये जाने के बावजूद मौके पर रह रहे लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया और इस कारण आवण्टी को पूरे भू-खण्ड का कब्जा नहीं सम्भलाया जा सका। साथ ही कब्जा नहीं हटाने वाले निवासी के न्यायालय में चले जानेके कारण अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

इसके अतिरिक्त योजना मानचित्र के भू-खण्ड संख्या बी-178,195 व 184 का कुछ भाग मनवा जी के बाग में होने के कारण आवण्टियों को पूरे भू-खण्ड का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हुआ। इनका तथा ऐसे अन्य विवाद-ग्रस्त मामलों का पूर्ण तथ्यात्मक विवरण सूची में उपलब्ध करा दिया गया था।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

श्री घनश्याम गहलोत का एक प्लाट पर कब्जा किया हुआ था । अदालत में चले जाने पर तत्कालीन न्यास के अध्यक्ष थे उन्होंने समझौते की बात की । जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि घनश्याम को 9 प्लाट देने का फैसला कर लिया था । इस प्रकार से जब राजीनामा प्रस्तुत कर दिया, जब अदालत में राजीनामा हो गया और वहां का निर्णय जब न्यास के सामने आया, उस समय . . . . .

श्री ओंकार लाल चौहान : आप पढ़ रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो वह न्यास के सामने आया, उस समय जो उस निर्णय में भागीदार था उसको स्वीकार नहीं किया और पुनः अदालत में उस राजीनामे के विरुद्ध कार्यवाही चालू हुई । अभी निर्णय होना बाकी है । इसलिए उन लोगों को आवण्टन होने के बाद भी उनका नाम सूची में दर्ज नहीं किया गया है ।

(ब) श्री श्यामलाल गोयल का नाम सूची में क्रमांक 16 पर अंकित है तथा क्षेत्रफल आदि की पूरी जानकारी दे दी गई थी । यह आवण्टन 1422 वर्ग गज का न्यास के निर्णय दिनांक 17-9-64 के अन्तर्गत किया गया । यह भूमि उनके कब्जे में नगर परिषद् से वर्ष 1936 से किराये पर ली हुई थी । अन्य जो नाम बताये गये है सर्व श्री राधा-गोविन्द, कानसिंह, चिरंजीलाल व दामोदर के नाम व तथ्य भी सूची में क्रमांक 12, 149, 290 व 292 पर अंकित हैं । श्री आनन्द सिंह का नाम व विवरण भी सूची के पृष्ठ सं. 12 एवं क्र म सं. 212 पर दर्शाया गया है । इन्हें आवण्टन न्यास निर्णय पश्चात ही किया गया था व इस बस्ती के मामलों को निपटाने हेतु उपसमितियां भी समय-समय पर गठित हुई, व उनकी सिफारिशों के आधार पर भू-खण्ड आवण्टित किये गये । सर्व श्री ताराचन्द, राजेशकुमार, उत्तमचन्द पुत्र रिमूमल, प्रेमलता पत्नी महावीर प्रसाद व श्रीमती कमलादेवी पत्नी प्रकाश चन्द को कोई आवण्टन-पत्र जारी नहीं किया गया है । यह श्री घनश्याम गहलोत के विवाद ग्रस्त मामलों से सम्बन्धित है ।

भूखण्डों के क्षेत्रफल उनकी श्रेणी के अनुरूप दर्शा दिये गये हैं एवं अधिकांश मामलों में मौके पर उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल भी बताया गया था, लेकिन कुछ मामलों में रिकार्ड में आवश्यक दुरुस्ती नहीं होने के कारण अंकित नहीं किया गया है ।

नजराने की राशि जमा सम्बन्धी यथा-सम्भव प्रविष्टियां सूची के कालम संख्या 6 व 8 में अंकित की गईं, लेकिन 196 से सूचना अंकित होनी थी । पुराने रिकार्ड की अनुपलब्धि के कारण कुछ मामलों में अब कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये है ।

सूचना 1961 से एकत्रित कर संकलन की कार्यवाही करनी थी । पूर्व में योजना का रजिस्टर नहीं रखा गया था इसलिए पत्रा-वलियां अन्य योजना की पंजिकाओं के साथ मिल जाने के कारण न्यायालयों में बस्ती-वासियों के आपसी विवादों के कारण पंजिकाएं वकील अथवा न्यायालयों में चली जाती थीं । जो आवंटी हैं उनकी बहुत बड़ी सूची इसमें हैं ।

अब योजना रजिस्ट्रार को एक माह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की अवधि में पूर्ण प्रविष्टियां करके, पूरा करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, न मेरे पास लिस्ट है, न मुझे जानकारी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा :. . . . जिससे भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं हो । साथ ही जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको चेतावनी दी गई है ।

भू-खण्डों का आवंटन योजना विशेष के योजना मानचित्र में काटे जाने वाले भू-खण्डों के अनुरूप ही किया जाता था, जिनमें प्रत्येक श्रेणी के भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता था। आवंटी के लिए कोई क्षेत्रफल विशेष निर्धारित नहीं होता था । इसी प्रक्रिया के अनुरूप आनन्दपुरी योजना में भी भूखण्ड आवंटित किये गये थे । इस योजना में 'ए' श्रेणी के भू-खण्डों का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, 'बी' श्रेणी के भू-खण्डों का क्षेत्रफल 266.66, 'पी' श्रेणी के 200 वर्ग गज, 'ई' श्रेणी के 300 वर्ग गज एवं 'एस' श्रेणी के 150 वर्ग से 266.66 वर्ग गज के थे, लेकिन कुछ भूखण्डों के, जो कोने के थे, क्षेत्रफल व मौके पर भूमि की सही नाप लिये जाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई ।

कच्ची बस्ती वासियों के लिए भूमि का क्षेत्रफल राज्यादेश संख्या एफ-घ(92) नं. ओ. 75 दिनांक 9-6-1975 के द्वारा ही 111.00 वर्ग गज निर्धारित किया गया और उसमें भी पुरानी योजनाओं के लिए क्षेत्रफल की सीमा का शिथिलन राज्यादेश क्रमांक एफ-3(92) न. आ. 175 दिनांक 9-11-76 के द्वारा किया गया था । यह बस्ती इस आदेश में दर्शायी गई बस्तियां से भी अधिक पुरानी है ।

अब कुछ उन निवासियों के आवंटन सम्बन्धी मामले अनिर्णीत हैं जिनके परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके, लेकिन शेष बचे सदस्य भी पृथक-पृथक भूखण्ड दिये जाने की मांग कर रहे हैं तथा अपने कब्जे बस्ती में यथावत बनाये रखकर, न्यायालय से अग्रिम कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रहे हैं। जब भी इनकी समस्या को बातचीत से हैं करने का प्रयास न्यास द्वारा किया गया तो उपलब्ध भूमि के अनुसार छोटे भूखण्ड लेने को ऐसे व्यक्ति सहमत नहीं हुए एवं न्यायालय से स्थगन आदेश लाते रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया वह पर्याप्त नहीं है । यहां पर अन्याय हुआ है और न्याय तुरन्त ही करने की आवश्यकता है । मेरा निवेदन यह है जिस एप्रूव्ड प्लान के अनुसार आवंटित मकान दिये जाने थे वह नहीं दिये गये । 1958 से अब तक यह मामला बिना निपटाये हुए पड़ा हुआ है । बार बार इसमें परिवर्तन किये जा रहे हैं । प्लान के खिलाफ परिवर्तन किये गये हैं । मेरा आरोप यह है कि न्यास के अनुसार दायित्वपूर्ण कामों के कारण यह हुआ है । उसने अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा । मैं निवेदन करूंगी कि एप्रूव्ड प्लान के अनुसार आवंटियों को कब्जा दिलाया जाय । साथ ही जिनके नक्शे पास कर दिये गये हैं उनको प्लान के अनुसार कब्जा नहीं दिया गया । मेरे पास उनकी रसीदें हैं । मंत्री महोदय देख सकते हैं ।

दूसरी अनियमितता यह हुई कि कुछ मकानों में किरायेदार रह रहे थे । तो बजाय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

किराये पर रहने वालो के दूसरे लोगों को, जिनको कि प्लाट अलॉट नहीं किये जाने थे, प्लाट अलाट कर दिये गये। जो पुराने आवंटी थे उनको भूमि न देकर अलाटमेंट इस ढंग से किया कि उनमें कुछ रिश्तेदार भी अधिकारियों के आ गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगी कि न्यास की जो खाली जगह पड़ी हुई है उसका विवादों को निपटाने के लिए अच्छा उपयोग किया जा सकता था, लेकिन विवाद निपटाने की कोशिश नहीं की गई। उसमें झगड़ा डालकर यह स्थिति पैदा कर दी कि वहां के निवासियों को आपस में लड़ा दिया, न्यास झगड़े को निपटाने के मामले को टालता रहा। यह सारे मामले विचाराधीन इसलिये पड़े हुए हैं कि न्यास इस ओर तवज्जह नहीं देना चाहता है कि मामलों को निपटाया जाय। यह लम्बी सूची माननीय मंत्री महोदय ने नहीं पढ़ी।

इस बात पर पूर्व में सदन में मैंने चर्चा उठाई थी तो तत्कालीन मंत्री महोदय श्री ललितजी ने कहा था कि जल्दी ही निपटारा कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 3 दिन की अवधि दी गई थी मंत्री महोदय द्वारा। उस समय अनिर्णीत मामले रह गये। निरन्तर 1956 से उनका कब्जा है यह अभी मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। 1958 से निर्णय करने की इच्छा सरकार ने जाहिर की थी, लेकिन आज तक इन मामलों का निपटारा नहीं हुआ हैं। मंत्री महोदय बतायें कि कब तक इनका निपटारा कर देंगे ? इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि अधिकारियों की उपस्थिति में इस तरह का काम हुआ है उनके विरुद्ध सरकार क्यों एक्शन लेने जा रही है ?

तीसरा यह है कि यह भू-खण्ड कब तक आवंटियों को दे दिये जायेंगे ?

और चौथी मेरी मांग यह है कि जो उस समय के अधिकारी थे, क्या मंत्री महोदय उनकी संपति की जांच करायेंगे। यह संबंधित प्रश्न भी है। न्यास में काम करने वाले कर्मचारियों के मकानों को देखेंगे तो मालूम होगा कि उन्होंने बड़े बड़े मकानात खड़े कर लिये हैं। अनियमितताएं करके ही उन्होंने सम्पति एकत्रित की हैं। यह मेरा आरोप है मंत्री महोदय, इसका उत्तर देंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, इस संबंध में मेरा यह कहना है....

श्री मूलचन्द डागा : आज आपका नाम पहले नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपको क्या आपति है ? आपका नाम पहले कर देंगे।

आनन्दपुरी स्कीम में भयंकर अनियमितताएं हुई हैं। जो किरायेदार थे उनको जमीन पर कब्जा दे दिया गया और जो वर्षों से रहने वाले थे, उनको वहां पर भूमि नहीं दी गई। जिन लोगों को भूमि दी गई, उनके नाम मेरे पास मौजूद हैं। पट्टा उनको दे दिया गया, पैसे उनके जमा कर लिये गये, पर उनको कब्जा नहीं दिया गया। उन लोगों में से जो काफी प्रभावशाली उस समय दिखाई देते थे, कांग्रेस के नेता थे, आज डागाजी जैसे अपने को नेता समझते हैं,....

(56)

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो अपने आपको नेता नहीं समझता हूं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उनका जमीन पर कब्जा रहा । मेरा निवेदन करना यह है कि आनन्दपुरी स्कीम में तमाम अनियमितताएं हुई हैं उसके कारण से वहां के निवासियों में भयंकर असन्तोष है । माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी, लोकल सैल्फ गवर्नमेंन्ट मिनिस्टर साहब जो हैं इन्होंने अपने नोट में लिखा है कि वास्तव में आब्जेक्शनेबल है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास सर्टिफाइड कापी है क्या ? कहां से नोट्स लाकर यहां पढ़ रहे हैं ? वह ओथेन्टिक नहीं है, सर्टिफाइड कापी नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : डागाजी की तरह मांगकर लाया हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आब्जेक्शन करता हूं कि यह ओथेन्टिक कापी नहीं है । इसकी ओथेन्टिसिटी क्या है ? श्रीमन्, वही डाक्यूमेंन्ट यहां पर पढ़ा जाय, जो ओथेन्टिक हो । यह किस आफिस से चुराकर लाये हैं ? यह कहां से लेकर आये हैं ? सर्टिफाइड कापी नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो समय-समय पर मीटिंगें हुई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्पष्टीकरण नहीं देंगे ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह नोट है, इसमें पूर्ण विवरण है । पत्रावलियां मैंने देखी हैं । मैं आपकी तरह से उड़ाकर नहीं लाता हूं ।

इसमें लिखा है कि बड़ा आब्जेक्शनेबल है, इस तरफ अधिकारी वर्ग ध्यान दें, किन्तु अधिकारी वर्ग ने ध्यान नहीं दिया । भयंकर अनियमितायें हुई हैं, हमारे पास कागजात हैं । इसलिए अधिकारियों को बुलाकर वहां जो लोगों को कष्ट हुआ है उसका निवारण कर दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों व माननीय सदस्याओं........

श्री गुलमोहम्मद : माननीय सदस्या एक ही हैं, दूसरे तो माननीय सदस्य हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन माननीय सदस्यों ने यह विषय रखा है, मेरा विश्वास है कि जब से यह समस्या उत्पन्न हुई होगी तब से लेकर अब तक लगातार इससे सम्पर्क रहा है, इसकी जानकारी रही है और इसके समाधान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं । अभी भी जो समस्या है, इसके समाधान हेतु जनता सरकार के निर्माण के बाद आप बैठ चुके हैं और कई बैठकें हो चुकी हैं । इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिये प्रयत्नशील आप भी हैं । जो जानकारी मेरे पास थी, वह मैंने आपके सामने रख दी, इसके अलावा भी यदि कोई बात ऐसी आप समझते हैं जिसकी विशेष रूप से कोई जांच कराई जाए या कोई कदम उठाया जाए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे बतायें, । मुझे मौका दिया जाए, मैं आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)
सब मिलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप श्री गिरधारीलाल जी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्री बजरंग लाल जी को नियुक्त किया जाए ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं क्योंकि इन दोनों माननीय सदस्यों श्री भार्गव व श्रीमती उजला ने इस समस्या को गहराई से समझा है, इसलिये इन्हीं को नियुक्त करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्रीजी किसी तरह से टालने की कोशिश न करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अनियमिततायें हुई हैं । नगर विकास न्यास का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है । इस तरह से मामलों को अटकाया जाए, यह उचित नहीं है । मंत्री महोदय, शीघ्र ही अपनी देख रेख में कोई कमेटी का निर्माण कर लें, ताकि जल्दी मामले का निपटारा किया जाए । बाकी कोई व्यक्तिगत द्वेष या लड़ाई नहीं है ।

औचित्य प्रश्नोत्तर प्रश्न

श्री मूलचन्द डागा : मैंने आपकी सेवा में नियम 295 के तहत दर्ख्वास्त दी है । जो पहले मीटिंग हुई थी....

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो आवेदन-पत्र दिया, उस पर नियमानुसार जांच करवा रहे हैं ।

व्यवस्था का प्रश्न

खेतड़ी में घटित घटना पर चर्चा के लिये समय निर्धारण

श्री मूलचन्द डागा: व्यवस्था का प्रश्न । मैं नियम 22 के तहत दूसरा सवाल उठा रहा हूं। 18 तारीख को जब कार्यवाही चल रही थी, तब आसन से यह रूलिंग हुई थी कि जब मुख्य मंत्री आयेंगे तब खेतड़ी की घटना पर चर्चा उठायेंगे । आज मुख्य मंत्री महोदय मौजूद हैं फिर भी यह विषय कार्य सूची में नहीं रखा गया है । इसको कार्य सूची में रखना चाहिए था क्योंकि आसन से आज्ञा हो चुकी थी । 18 तारीख की कार्यवाही आप देखेंगे तो उसमें यह चीज मौजूद है । इस नियम में लिखा है अरेंजमेंट आफ दी बिजनेस। यह बिजनेस अरेंज हुआ है, आपने आज्ञा दे दी थी, फिर भी कार्यसूची में नहीं आया है । मैंने खेतड़ी घटना की जांच की है और जब हमारे गृह मंत्री ने स्टेटमेंट...

श्री उपाध्यक्ष : आपने नियम 22 के तहत ध्यान आकर्षित किया है । विपक्ष के नेता श्री परसराम मदेरणा अस्वस्थ थे, इसलिए उस संदर्भ में उनसे अध्यक्ष महोदय कन्सल्ट नहीं कर सके हैं। वह अब सदन में आए हैं, उनसे मिल कर उसको बिजनेस में एन्टर करने की व्यवस्था दी जा सकेगी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : इससे पहले कि मुख्य मंत्री अपना स्टेटमेंट दें, मुझे निवेदन करना है । माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बारे में पार्लियामेंट में जो वक्तव्य दिया है उसके अंदर उन्होंने इस घटना को झूठा माना है । हमारे राज्य के गृह मंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया तो इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वहां पर इस

(श्रीमती सुमित्रासिंह)
तरह की कोई घटना हुई है, अपनी ओर से इन्कार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय इसको बिजनैस में एन्टर कर लिया जाए, उस समय अपने विचार रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिजनेस में एन्टर हुआ नहीं .....

श्री मूलचन्द डागा : इसकी इन्कवायरी के लिए नोटिस दिया जाएगा। मेरे पास नोटिस आया है कि गवाही के लिए हाजिर हो जाओ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गृह मंत्री ने यहां सदन में वक्तव्य दिया है कि मैं जो बात कहता हूं वह सही है..

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बोल रही हूं। यह कोई तरीका नहीं है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दें।

जब केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना बयान पार्लियामेंट में दे दिया है, उसके बाद में यहां पर मुख्य मंत्री द्वारा एडीशनल आई. जी. द्वारा जांच कराके रिपोर्ट हासिल करना, क्या जांच को वायस नहीं बना देगा ? केंद्रीय गृह मंत्री ने जब कह दिया है कि घटना झूठी है तो फिर एडीशनल आई. जी. क्या निष्पक्ष जांच करेंगे ?

दूसरी एम्बीग्यूअस पोजीशन पैदा हो गई है वह यह है कि हमारे राज्य के गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि वहां पर न कोई गुन्डा तत्व आए, न मालेस्टेशन हुआ, न कोई और बात हुई। उन्होंने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया था कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए सिनेमा गृह में प्रवेश दिलाया गया था तथा तब से कुर्सियां गायब थी, इसका मतलब साफ है....

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मेरा वक्तव्य शायद आपने गौर से नहीं पढ़ा...

(व्यवधान)

मैंने सदन के सामने निवेदन किया था जब बाहर से भीड़ गई, तो जो कुर्सियां पड़ी हुई थीं, उनमें से एक दो गायब हुई बताई गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब इस प्रश्न पर चर्चा उठाने की अनुमति दें, उस समय आप अपने विचार रखें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया कि सारी घटना झूठी है तो फिर एडीशनल आई. जी. क्या रिपोर्ट देंगे ? उसके बाद कोई स्टेटमेंन्ट यह देते हैं तो इसके मायने नहीं रहेंगे। अतः इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की कृपा करें।

श्री शीशराम ओला : सवाल केंद्रीय गृह मंत्री का नहीं है। हमारे गृह मंत्री ने रिपोर्ट दी उसमें बताया कि जब गड़बड़ी फैली तो महिलाओं को सुरक्षित.....

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई बात .....

श्री शीशराम ओला : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। क्या किसी पत्नी को उसके पति से ज्यादा सुरक्षित

(श्री शीशराम ओला)

कोई रख सकेगा ? हमारे मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट में साफ कहा है कि बिजली काट दी गई, तंबू तोड़ दिया। फिर केंद्रीय गृह मंत्री दूसरी बात कहते हैं। फिर जो मुख्य मंत्री एडीशनल आई. जी. द्वारा घटना की जांच करा रहे हैं, वह जांच कराने का मामला ही खतम हो जाता है। हमारे होम मिनिस्टर कैसे नट रहे हैं कि यह झूठ है ? पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि घटना घटी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मुख्य मंत्री महोदय इस सारे काण्ड की हाई कोर्ट के किसी जज से या सी. बी. आई. से जांच कराने को तैयार हैं। यहां पर गृह मन्त्री जी यह कहते हैं कि कोई घटना ही नहीं घटी, यह बात गलत है क्योंकि घटना तो घटी है, हम लोगों को पता है। इसमें कोई संशय नहीं है। घटना तो घटी है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यह सूचना दी गयी थी कि जब परसों आधे घन्टे तक के लिये सदन स्थगित किया गया उसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में हम विरोधी पक्ष के प्रतिनिधियों को और दूसरे दल के प्रतिनिधियों को इस सन्दर्भ में बातचीत करने के लिये बुलाया। चेम्बर में इस सन्दर्भ में बातचीत भी की गयी। वहां पर माननीय सदस्यों के द्वारा बातचीत के दौरान काफी उग्रता व रोष व्यक्त किया गया। एडीशनल आई. जी. पी. साहब से जो जांच कराने की बात थी उसके लिये भी यह कहा गया कि जो जांच एडीशनल आई. जी. पी. साहब से करायी जायेगी उसको इम्पलीमेन्ट भी करेंगे या नहीं ? उस वक्त बाद में यह तय किया गया था कि अभी इस बारे में हम आश्वासन नहीं दे सकते है क्योंकि हमारे लीडर आफ दी हाउस यहां पर नहीं हैं। जब मुख्य मन्त्री जी यहां आयेंगे तब इस बारे में कोई रद्दोबदल वह कर सकते हैं। अब चूंकि मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं तो आप दूसरे दलों के सभी प्रतिनिधियों को आपके चेम्बर में बुला लें, मुख्य मन्त्री जी को भी आप बुला लें और इस संबंध में बातचीत कर लें आपके चेम्बर में। अगर बातचीत से हम सन्तुष्ट हो जाते हैं तब तो ठीक है अन्यथा हमें इस प्रश्न को सदन में उठाने का हक रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आप सभी विरोधी दलों के सदस्यों के प्रतिनिधियों को बुला लें और इस बारे में बातचीत कर लें।

श्री मालाराम : उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी मेरा क्षेत्र है। उसके बारे में थोड़ा मेरा निवेदन है कि.....

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अन्य प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले आप उनकी बात तो सुन लीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पोइन्ट आफ आर्डर। परसों खेतड़ी के बारे में चर्चा चली, तब आधे घण्टे

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की गयी। उसके बाद में सभी दलों के प्रतिनिधियों को अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बुलाया गया था। उस वक्त चेम्बर में इस बात पर पूरी तरह विचार किया गया, तब यह कहा गया कि यहां पर चूंकि मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं अत: उनकी एब्सेन्स में हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं। तब यह बात तय हो गयी थी कि सोमवार को जब मुख्य मन्त्री जी आ जावें, तब मुख्य मन्त्री जी को आप अपने चेम्बर में बुला लें, साथ में दूसरे विरोधी दलों के प्रतिनिधियों को भी बुला लें और इस सारे मसले पर बातचीत कर लें। 18-3-78 को, उपाध्यक्ष महोदय, जब अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे थे तब यह प्रश्न हाउस में उठाया गया था। उसके बाद में यह तय हो गया कि मुख्य मन्त्री जी आयेंगे, तब आगे बात होगी। तो अब आप अपने चेम्बर में सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुला लें और बातचीत कर लें। वहां पर हम अगर एकमत नहीं हो सकें तो फिर हमें, विरोधी पार्टी वालों को सदन में इस प्रश्न को उठाने का पूरा हक रहेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मंत्रीजी को और सदन के दूसरे दलों के प्रतिनिधियों को बुला कर इस पर बातचीत कर लें

श्री मालाराम : उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी की जो घटना हुई है उसके बारे मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। अन्य माननीय सदस्यों को भी मैंने कहा कि इस प्रश्न को आप अभी मत उठाइये। अभी आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इस बैठक में हमें भी बुलाया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि 18-3-78 को सदन में जब खेतड़ी कांड को लेकर जोरदार चर्चा हुई उस वक्त आधे घन्टे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न के ऊपर अपने चेम्बर में बुलाकर बातचीत की थी। उसमें सदन के सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। 18-3-78 को गृह मन्त्री जी का स्टेटमेंट हुआ था उसके पहले लोक सभा में 17-3-78 को गृह मन्त्री जी का स्टेटमेंट हुआ था। उन्होंने उस वक्तव्य में यह कहा था कि वहां कुछ नहीं हुआ। इस मामले को लेकर केन्द्र में और राज्य में सरकार बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने यह कहा कि वहां कोई घटना ही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में माननीय सदस्य कोई चर्चा नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अब हमारा तो यह निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा इस सारे कान्ड की हाई कोर्ट के जज से जांच करायी जाय।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : हाई कोर्ट के जज से जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं। आप सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत कर लें।

श्री रामनारायण चौधरी मुख्य मन्त्री जी की एब्सेन्स में गृह मन्त्री जी का कमिटमेन्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं था । अब चूंकि वह आ गये हैं इसलिये जैसा कि विरोधी दल के नेता श्री परस राम मदेरणा साहब ने कहा, अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में मुख्य मन्त्रीजी के साथ दूसरे विरोधी दलों के प्रतिनिधियों को बुला लिया जाय और वहां पर सभी बातें डिस्कस कर ली जायं । वहां अगर हम सभी एकमत हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा हमें इस सदन में इस प्रश्न को उठाने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस विषय पर कोई भी माननीय सदस्य चर्चा नहीं करें !

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा का प्रश्न नहीं है । यहां पर जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कोई गम्भीर मामला नहीं है । वह बात तो बिलकुल गलत है इसके लिये आपके चेम्बर में मुख्य मन्त्री जी को और दूसरे दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत कर ली जाये ।

(व्यवधान)

श्री मालाराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई गम्भीर मामला नहीं है । वहां तो कुछ भी नहीं हुआ ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है । यह एक बहुत ही गम्भीर घटना घटी थी । उसके लिये आप सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुला लें और मुख्य मन्त्रीजी को भी बुला लें । फिर पूरी जानकारी कर ली जाय · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में मैं अपने चेम्बर में सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुला कर मुख्य मन्त्रीजी के साथ बैठ कर चर्चा कर लूंगा । जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, उसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में मांग प्रस्तुत करेंगे ।

अनुदान की मांग

मांग सं. 24–(शिक्षा की प्रस्तुति)

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,43 85,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर),

श्री बजरंग लाल शर्मा (बेनीपार्क जयपुर) :

1. राज्य की नई शिक्षा नीति की घोषणा अभी तक नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण),

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर), व

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

2. शिक्षा के क्षेत्र में हुई गिरावट

(श्रीमती उजला अरोड़ा, ओमप्रकाश शर्मा)

व पदोन्नति में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

3. ललित कला शिक्षा के विकास की गति में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

4. शिक्षा के साधन शहरों और ग्रामों में एक से उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

5. ग्राम पावटा, तहसील कोटपूतली के 100 बीघा कृषि फार्म और पुराने एस. टी. सी. भवन को शिक्षा के लिये उपयोग में लेने हेतु चर्चा के लिये।

6. कोटपूतली पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले वर्ष एक भी हाई स्कूल व हायर सैकेन्ड्री स्कूल नहीं खोला गया, संस्था खोलने में भी पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये।

7. अध्यापकों के वेतन व बकाया बिलों का समय पर भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

8. हिजड़ों में सरकार खास तौर से शिक्षा का प्रसार नहीं कर रही, उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने पर चर्चा के लिये।

9. कल्याणपुरा कलां, कोटपूतली तहसील की कन्या शाला को बिना कारण बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

10. कोटपूतली क्षेत्र में छात्रावासों की कमी पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये।

11. कोटपूतली क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा संस्थानों को वर्षों में भी नहीं संभाला गया है, उस पर चर्चा के लिये।

12. गांवों के स्कूल भवनों पर शहरों की अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

13. अध्यापकों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, इस पर चर्चा के लिये।

14. शिक्षा संस्थाओं में साल भर अध्यापकों की कमी रहने से छात्र और अभिभावकों में व्याप्त भयंकर असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

15. स्कूलों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

16. जिला स्तरीय पुस्तकालयों को अधिक जन-उपयोगी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा को लेकर उसे शिक्षा विभाग को दिया जावे। प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की नीति लागू हो, इसकी चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

18. बीस हजार की आबादी वाले स्थान पर कालेज खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) व

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई) :

19. शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

20. जोधपुर जिले के स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा स्कूल खोलने, क्रमोन्नत करने में पक्षपात पूर्ण रवैये के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

21. देहाती क्षेत्र में अध्यापकों को आकर्षित करने के लिए अलग से भत्ते की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

22. स्कूलों में आवश्यक सामग्री की उपलब्धि न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. स्कूलों में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

24. डेगाना क्षेत्र में भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा खोले गये स्कूलों को बन्द कर देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

25. स्कूल में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

26. राज्य सरकार द्वारा स्कूल भवनों के लिये आर्थिक सहयोग न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

27. स्कूलें खोलनें में पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

28. जहां-जहां भी स्कूल हों, मास्टरों को रात्रि को वहीं निवास करना अनिवार्य कराने बाबत चर्चा के लिये।

29. पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

30. शिक्षा संस्थाओं में सामान, अध्यापक और भवनों की कुव्यवस्था है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

31. दीगोद तथा बिजोलिया, बरूंदनी और वडल्यास व आकोला सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य के विषय की कक्षा खोलनें बाबत चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

32. खर्चे के अनुपात में कॉलेजों में छात्रों की भारी कमी, शिक्षकों पर अनावश्यक भारी खर्चे पर चर्चा के लिये।

33. प्राइमरी स्कूल में सुयोग्य व सद्चरित्र, विद्वान शिक्षकों को न लगाने से राजस्थान का भविष्य खतरे में है, इस पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) :

34. शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

35. शिक्षा को व्यावहारिक बनानें के

Page No 64

(7)

(श्री बिरदमल सिंघवी)
लिये तथा शिक्षकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

36. प्राइमरी एवं प्रौढ शिक्षा के विस्तार में राज्य सरकार की उदासीन नीति पर चर्चा के लिये ।

37. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर के सीमावर्ती छात्रावासों के अनुदान की राशि को राज्य से प्राप्त करने में लगातार तीन वर्षों से बहुत देर 6 माह से 8 माह तक की हो जाती है जिससे छात्रावासों का प्रबन्ध बिगड़ रहा है, अतः अनुदान की राशि को समय पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

38. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास के भवन निर्माण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान न देने के कारण छात्रावास का निर्माण नहीं हो रहा है और इसके कारण छात्रावास नहीं चल रहे हैं जिसके कारण विद्यार्थियों में व्याप्त तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये ।

39. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि की राज्य सरकार द्वारा घोषणा को अमलीजामा पहिनाने में विलम्ब करने के कारण प्राध्यापकों में व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये ।

40. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. बाड़मेर जिले के प्राइमरी, मिडिल, सैकन्डरी एवं हायर सैकेन्डरी स्कूलों के भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं परिवर्धन कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

42. शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. नये स्कूल और कॉलेज खोलने व उन्हें सहायता देने में पक्षपात किये जाने व राजनैतिक आधार अपनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

44. राज्य के विभिन्न राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और उसको रोकने के उपाय पर चर्चा के लिए ।

45. राज्य सरकार विद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में क्रीडा एवं खेलकूद को बढ़ावा देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

46. नई शिक्षा प्रणाली 10+2+3 के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

47. शिक्षा विभाग द्वारा उर्दू भाषा के प्रति उपेक्षा बरतने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

48. गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने तथा कर्मचारियों की सुरक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

49. शिक्षा विभाग में बुक बैंक में रुचि कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

50. ग्राम स्कूलों में फार्म से आमद बढ़ाने व ग्रामीण बालकों को खेतीबाड़ी की शिक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. मास्टरों द्वारा ध्यान न देने से ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई का स्तर निरन्तर गिरने के कारणों पर चर्चा के लिये ।

52. शिक्षा विभाग द्वारा जानबूझ कर अध्यापकों के पद रिक्त रखने पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (मलिपुरा) :

53. शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष तौर पर मास्टरों की भर्ती में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

54. भरतपुर कॉलेज में अधिक विषय खोलने तथा बालिका महाविद्यालय के क्षेत्र में सुधार एवम् घरेलू विज्ञान विषय प्रारम्भ करने हेतु तथा खेल-कूद एवम् सांस्कृतिक मंत्रालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

55. वर्तमान शिक्षा पद्धति की रोजगार उन्मुख बनाने हेतु औद्योगिक आधारित बनाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

56. अब नये सिरे से एक भी कॉलेज उस समय तक न खोला जाय जब तक कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न हो, इस पर चर्चा के लिये ।

57. प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से लेकर उप-कुलपति तक ऐसा परिवर्तन लायें कि शिक्षा में नैतिकता, नम्रता, कर्त्तव्यपरायणता और श्रम के प्रति आदर प्रकट हो इसकी चर्चा के लिये ।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

58. 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी, जो गरीबी की रेखा से नीचे है, को सुशिक्षित करने हेतु शहरी क्षेत्र से अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र को उच्च शिक्षा संस्थाएं खोली जाने में प्राथमिकता दी जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

59. पिछले साल नये स्कूल खोलने में सरकार द्वारा किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

60. वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन श्रृंखला में व्याप्त असंगतियों के संबंध में चर्चा के लिये ।

61. शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

62. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं एवं कन्या पाठशालाओं के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये ।

63. पब्लिक स्कूलों को प्रश्रय देने व शिक्षा पद्धति में असमानता पर चर्चा के लिये ।

(श्री ईश्वरचन्द्र)

64. अल्पसंख्यकों को उर्दू शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

65. सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा आम नागरिकों के लिये उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

66. ग्रामों में रहने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

67. स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिये कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को दोपहर का भोजन व चिकित्सा सुविधा मुफ्त दिये जाने व दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

68. शिक्षकों के स्थानान्तरण की एक नीति निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. वर्तमान शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने हेतु तथा कालेज शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. अध्यापक प्रशिक्षण बी. एड., एम. एड. आदि बिना स्कूल साज-सज्जा के व्यर्थ, अनावश्यक, खर्चीली एवं टाइम कंजूमिंग हैं, इस पर चर्चा के लिये।

71. जन्तर-मंतर के पास एक प्राचीन शोध कक्ष की स्थापना कर प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

72. गांवों में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव पर तथा गांव के विद्यार्थियों को शिक्षा-भत्ता का प्रावधान कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) :

73. तहसील शेरगढ़ के मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी व जोधपुर जिले में हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

74. ग्राम निरादनू, शेखसर और जावासर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

75. ग्राम तेतरा, चुड़ेला, सिरियासर कलां और नयासर की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

76. गांवों में निरक्षरता को दूर करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

77. राजस्थान में निरक्षरता दूर करने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

78. मोरसीम ग्राम की रा. उ. प्रा. शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

79. भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में रा. उ. प्रा. शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री सूरजपाल सिंह)

80. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के गांव तिलोड़ा की प्राथमिक शाला को उ. प्रा. शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

81. वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि नहीं करने से उत्पन्न असंतोष एवं उन द्वारा परीक्षाओं के बहिष्कार करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा हेतु।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

82. सिरोही बालमंदिर की मिनी बस को बेच कर नई बस लाने के लिये चर्चा हेतु।

83. जालोर एवं सिरोही जिले में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

84. भीनमाल, आहोर, आबू रोड में कन्याओं को सैकन्डरी स्कूल की स्थापना की जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

85. विभाग में अनूसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति व प्रमोशन में होने वाली अनियमितता व उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

86. ब्यावर में छात्राओं के लिये कालेज, उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

87. ब्यावर सनातन धर्म महाविद्यालय के विकास हेतु चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

88. किशनगढ़ में स्थित सरवाडी गेट प्राथमिक शाला के भवन की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

89. मदनगंज, किशनगढ़ में छात्रों की अधिकांश संख्या के बावजूद कोई भी राजकीय माध्यमिक शाला के न होने के कारण विद्यार्थियों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

90. किशनगढ़ में वर्तमान में चल रहे कन्या माध्यमिक शाला को क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिये।

91. किशनगढ़ में राजकीय महाविद्यालय के लिये पृथक से कोई भवन उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. किशनगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. किशनगढ़ क्षेत्र के अराई उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य विषय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

94. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की पदोन्नतियों में किए गए घोर पक्षपात पर चर्चा के लिये।

95. तहसील सांचौर में प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के अभाव एवं पाठशाला भवनों का अभाव एवं प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु चर्चा के लिये।

96. तहसील सांचौर में उच्च प्राथमिक शिक्षणालयों की अव्यवस्था एवं उसके सुधार हेतु चर्चा के लिये।

Page No 68

(68)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

97. सांकड़ माध्यमिक पाठशाला भवन की मरम्मत एवं अधूरे भवन को पूरा करने के लिए अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

98. तहसील सांचौर में उच्च प्राथमिक पाठशाला, वीरोल (छोटी वीरोल) में स्टाफ भेजने एवं पाठशाला खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

99. सांचौर के सार्वजनिक छात्रावासों को अनुदान देने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

100. शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

101. राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर में धांधलेबाजी तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

102. राजगढ़ महाविद्यालय को पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

103. नीमला (जिला अलवर) में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

104. ढेकड़ी, लादया, तहसील राजगढ़ (अलवर) में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

105. महाविद्यालय के प्रवक्ताओं को यू. जी. सी. ग्रेड न देने पर चर्चा के लिये।

106. परबेणी, तहसील राजगढ़ में उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

107. उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ में कामर्स विषय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (खारची) :

108. श्री माधोपुर, जिला सीकर के आसपास डिग्री कालेज नहीं होने से गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महरूम रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

109. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद में इसी सत्र से संस्कृत विषय आरंभ करने तथा विज्ञान कक्षाएँ प्रारम्भ किए जाने हेतु चर्चा के लिये।

110. नसीराबाद क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानीखेड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

111. नसीराबाद नगर की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था, बालिका हितकारिणी उच्च माध्यमिक विद्यालय को इस वर्ष सरकाराधीन होने हेतु चर्चा के लिये।

112. नसीराबाद नगर में एक बालिका महाविद्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

113. विश्वविद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर के कारण सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

114. जोधपुर विश्वविद्यालय की असन्तोषपूर्ण स्थिति के कारण इसको दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

115. दस जमा दो की शिक्षा नीति को समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

116. सार्वजनिक पुस्तकालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार व धन के दुरुपयोग व होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

117. प्राथमिक व अन्य विद्यालयों के स्थानों पर अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ कराने बाबत चर्चा के लिये।

118. श्रमयुक्त शिक्षा पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

119. गत वर्ष बड़े पैमाने पर अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

120. पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) :

121. क्षेत्र जमवारामगढ़ शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसके उत्थान पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

122. रामगंजमंडी में महाविद्यालय तथा निर्वाचन क्षेत्र में सैकण्डरी, मिडिल, प्राथमिक विद्यालयों की खराब स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

123. नये स्कूलों को खोलने से पूर्व भवन की व्यवस्था तथा स्कूल खुलने के पश्चात् अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

124. आपातकाल में सरकार द्वारा अधिगृहीत किये गये विद्यालयों के कर्मचारियों के अन्धकारमय भविष्य पर चर्चा के लिये।

125. वर्ष 1956 में सृजित वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की न्यूनतम राशि में आज तक कोई परिवर्तन नहीं किये जाने व वेतनमान में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. प्रयोगशाला सहाय को पदोन्नति के कोई अवसर नहीं होने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

127. एस. टी. सी. स्कूलों में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षा और उद्योग अध्यापकों के ग्रेड के संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. अध्यापकों की पदोन्नतियों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व):

129. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं तकनीकी शिक्षा कर्मचारियों तथा अन्य शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

130. नैनवा में हायर सैकन्डरी अथवा कॉलेज खोलने एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

131. अध्यापकों के स्थानान्तरण, आवास की समस्या तथा शिक्षकों के वेतनमान के परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

132. जोधपुर जिले में पिछले वर्ष नये स्कूल खोलने व क्रमोन्नत करने में भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

133. ग्राम डडूसन, पंचायत समिति, सांचौर में पुरानी पाठशाला बन्द कर नई पाठशाला में शिक्षक भेजने के बारे में चर्चा के लिये।

134. ललित कला एकेडेमी का पुनर्गठन करने एवं पुरानी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. मण्डोर देवी-देवताओं की पत्थर की मूर्तियों में जाम्भोजी महाराज की मूर्ति में रद्दोबदल कर दूसरी मूर्ति बनाने पर चर्चा के लिये।

136. प्राथमिक पाठशाला से सावा नं. 2, पंचायत समिति, सांचौर में एक साल से शिक्षक न भेजने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

137. शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर को बुनियादी तौर पर सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

138. शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं शिक्षा का विस्तार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर-थाना) :

139. शिक्षा के निरन्तर गिरते हुए स्तर से बढ़ती हुई अराजकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) :

140. बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीनमाल, उच्च प्राथमिक विद्यालय, साथू, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तवाब व उच्च प्राथमिक विद्यालय, रानीवाड़ा को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

141. शिक्षा के लिये महिलाओं को प्राथमिकता देने तथा रोजगार युक्त शिक्षा पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

142. स्कूलों की कमी, वर्तमान स्कूल भवन में विद्यार्थियों को बैठने तक का स्थान नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

143. बून्दी की शैली सम्पूर्ण भारत में एक विशेष स्थान रखती है, फिर भी वहां की कला के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

144. बून्दी में पुरातत्व संग्रहालय बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

145. बून्दी के स्कूलों में अध्यापकों की कमी हैं तथा जो अध्यापक हैं, वे ठीक समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू):

146. गांवों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

147. पुस्तकालयों को दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

148. चूरू में नारी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु एक गर्ल्स कॉलेज खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

149. लोहिया कालेज, चूरू में लॉ कॉलेज खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. चूरू तहसील क्षेत्र में खोले जाने वाले मिडिल स्कूलों में बरती जाने वाली पक्षपातपूर्ण नीति के संबंध में चर्चा हेतु।

151. चूरू जिले के मूल निवासी, अल्प वेतन भोगी अध्यापक, जो इमरजेन्सी के समय और इससे पूर्व अपने घरों से बहुत दूर जैसलमेर, जालौर तथा बाड़मेर जिलों में तब्दील किये गये थे, को पुनः उनके गृह जिलों में नियुक्त किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

152. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

153. सूरसागर क्षेत्र में पाठशालाएं खोलने व क्रमोन्नत करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

154. गांव शोभासर, चाडवास, भीमसर, गोपालपुरा, तहसील सुजानगढ़ में सैकण्डरी स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. कस्बा छापर, जिला चूरू में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. सुजानगढ़ तहसील में प्राइमरी एवं मिडिल तथा सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. चूरू जिले के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के गलत स्थानान्तरण तथा धांधलीबाजी से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

158. लोहिया कालेज, चूरू में लॉ क्लासेज चालू करने के बारे में चर्चा के लिये।

159. डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग का कार्यालय चूरू में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) :

160. पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार द्वारा ग्राम बुड़ानियां जिला झुन्झुनू में सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जाने एवं जनता पार्टी

Page No 72

(72)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
सरकार द्वारा उस आदेश को निरस्त करने पर चर्चा के लिये।

161. झुंझुनूं जिले में एक भी राजकीय महाविद्यालय न होने पर चर्चा के लिये।

162. शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के पिछड़ेपन पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

163. 10+2+3 की योजना राजस्थान में लागू करने पर चर्चा के लिये।

164. अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

165. शिक्षा विभाग में भारी मात्रा में किये गये स्थानान्तरण से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

166. शिक्षा विभाग अध्यापकों के रिक्त स्थान पर अध्यापक पदस्थापित करने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

167. राजस्थान महिला परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

168. राजस्थान के विश्वविद्यालयों में फैली अव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये इन संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

169. प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में लेने तथा माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

170. राज महलों तथा बड़ी-बड़ी हवेलियों को शिक्षा के कार्य हेतु काम में लेने के लिए विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

171. ऐसे क्षेत्रों में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था शुरू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर) :

172. राज्य की शिक्षा नीति पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) :

173. भीम क्षेत्र के देवगढ़ कस्बे में डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीम को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग पर चर्चा के लिये।

175. कुआथल, दवेर और कूकड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा हेतु।

176. बस्सी (तहसील देवगढ़) के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

177. डी. पी. सी. द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रधानाध्यापकों के चयन की सूची बनाने एवं उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

178. वरिष्ठ अध्यापकों की एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनाने में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति की चर्चा के लिये।

179. शिक्षकों की सुविधाओं एवं उनके वेतन फिक्सेशन के एवं बकायों भुगतान शीघ्र करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

180. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण एवं उनके निराकरण के बारे में चर्चा के लिये।

181. आपातकाल में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों को वापस सेवा में शीघ्र लेने के बारे में चर्चा के लिये।

182. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का शोषण रोकने एवं उनको सरकारी शिक्षकों के समान सब सुविधाएं दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडामीम) :

183. टोडामीम और नादोती क्षेत्र में स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

184. कोहिना ग्राम के मिडिल स्कूल में अब तक हैड मास्टर के अलावा कोई दूसरा अध्यापक पूरे सैशन में न लगाये जाने संबंधी चर्चा हेतु।

185. ग्रामीण पाठशालाओं में छात्रों के अनुपात से मास्टर न रखे जाने संबंधी चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

186. कुम्हेर क्षेत्र में प्राथमिक शालायें खोलने एवं अन्य शालाओं को क्रमोन्नत करने तथा कुम्हेर के हायर सैकण्डरी तथा सेवर के सैकण्डरी स्कूलों में वाणिज्य कक्षायें बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

187. शिक्षकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. पीपल्दा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल खोले जाने संबंध में चर्चा के लिये।

189. इन्द्रगढ़, इटावा, खातोली तथा मांगरोल में नये संकाय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के संबंध में चर्चा हेतु।

191. संस्कृत शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये।

192. कोटा में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

193. उप-जिला शिक्षा अधिकारियों के दफ्तर जिला केन्द्र पर नहीं होकर अपने

(श्री हीरालाल आर्य)
अधिकार क्षेत्र में ही रखे जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

194. बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

195. बांसवाड़ा जिला में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयों का ध्यान रखे बिना शिक्षकों के तबादले होने पर चर्चा के लिये।

196. बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार के आदेश के विपरीत 15 सितम्बर, 1977 के पश्चात् किये गये स्थानान्तरणों से छात्रों का नुकसान एवं राज्य कोष के धन के दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये।

197. बांसवाड़ा जिला में शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितता एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) :

198. पंचायत समिति, दांतारामगढ़ में प्राइमरी स्कूल खुलवाने बाबत तथा टाडरी ढांणी एवं अहीर का बास में प्राथमिक शालाओं को पूर्ण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

199. धौलपुर में बी. एस-सी. एग्रीकल्चर व पी. जी. क्लासेज खोली जावे, बाकी जगह भी हाई स्कूल व दीगर प्राइमरी स्कूल भी खोले जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

200. आपातकाल के दौरान लिखी गई पुस्तकों का प्रकाशन रोका जावे, इस पर चर्चा के लिये।

201. पोलीटेक्निक शिक्षा देने वाले प्राध्यापकों को भी यू.जी.सी. वेतनमान न देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) :

202. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रंगजी (सपोटरा),

श्री उमराव सिंह गुर्जर (महुआ) :

203. सपोटरा के मुख्य ग्राम करणपुर के ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल स्कूल खोलने में सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

204. राजस्थान में साक्षरता के लिये कोई योजना बनाये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

205. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) निर्वाचन क्षेत्र में माध्यमिक और मिडिल स्कूल नहीं खोलने के प्रश्न पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराज सिंह (बस्सी) :

206. स्कूलों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति करवाने व नये स्कूल खोले जाने व

(श्री शिवराज सिंह)
स्कूल भवनों को पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री कुन्जीलाल (बामनवास),
श्री बत्तीलाल मीणा (टोडामीम) :

207. बौन्ली, बामनवास एवं टोडामीम पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

208. जिला झुंझुनूं में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कराने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

209. शिक्षा विभाग की शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

210. आपातकाल के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत स्कूलों एवं उनके कर्मचारी वर्ग की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

211. प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक सभी स्तरों में आमूलचूल परिवर्तन एवं रोजगार प्रधान शिक्षा जो राज्य हित एवं लोक हित के अनुरूप हो, प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल कुमार संकलेचा (झालरापाटन) :

212. शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ),

श्री रंगजी (सपोटरा) :

213. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के अनेकों स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने में शिक्षा विभाग द्वारा शिथिलता एवं उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल शर्मा (केकड़ी) :

214. शिक्षा को ग्रामोन्मुख करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अचला राम (देसूरी) :

215. संस्कृत शिक्षकों के वेतनमान एवं अन्य शिक्षकों के वेतनमानों में असमानता से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

216. राजस्थान साहित्य अकादमी को भंग करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

217. राजस्थानी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

218. रतनगढ़ में डिग्री कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

219. संस्कृत के अध्यापकों व अन्य अध्यापकों के वेतनमान में असमानता है, अतः समुचित व्यवस्था कर एक समान वेतन स्तर करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नी लाल जलिया (खण्डार) :

220. सवाई माधोपुर जिले में बहुत से ऐसे स्कूल है जहां बालकों को बैठने

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

तक की व्यवस्था नहीं है तथा मास्टरों के अभाव तथा चौथ का बरवाड़ा तथा खण्डार स्कूलों में विज्ञान कक्षाएं खोलने हेतु चर्चा के लिये।

221. क्योंकि सवाई माधोपुर नगर में जहां पहाड़ पर उच्च माध्यमिक स्कूल है उनके भवनों की छत व दीवारों को पहाड़ से बहकर जो पानी आता है वह बरबाद कर रहा है तथा बालकों का जीवन एक दिन कभी भी आमेर की तरह संकटमय हो सकता है, अतः इस महान भवन को तत्काल ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

222. प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर कन्याओं का सैकण्डरी स्कूल खोलने तथा पोलोटेक्निक के अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की भांति यू.जी.सी. 104 ग्रेड देनेके औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला),

श्री अय्यूब खां (तिजारा),

श्री मूलचन्द सामारिया (दौसा),

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

223. संस्कृत शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षकों के समान करने पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर):

224. गांवों में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

225. शिक्षा वर्धन एवं संरक्षण की समुचित योजना व परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये।

226. शिक्षा एवं पुरातत्व विभागों में व्याप्त अनियमितताएं, पक्षपात, धांधली व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

227. सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का संस्था के प्रबन्धकों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) :

228. फलोदी में डिग्री कॉलेज एवं अन्य विद्यालयों की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन) :

229. ग्रामीण संस्कृति की सुरक्षा तथा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करने में पुरातत्व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

230. अध्यापकों द्वारा शालाओं में बीड़ी–सिगरेट का प्रयोग करने से छात्रों पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

231. शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

Page No 77

(77)

(श्री नाथूराम) :

232. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी शाला भवन, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन और कालेज भवन आदि निर्माण की नीति में शहरों के एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्तर है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) :

233. चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कला एवं संस्कृति की दृष्टि से पूरा महत्व दिये जाने हेतु पुरातत्व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री अचला राम (देसूरी) :

234. शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों को पदोन्नति के अवसरों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

235. आयुर्वेद शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा के शिक्षकों के वेतनमानों के समकक्ष वेतनमान संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों के करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

236. शिक्षा प्रणाली में सुधार करने एवं भ्रष्टाचार रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

237. शिक्षा के सामाजिक मूल्य के अभाव में शिक्षा की अधोगति से शिक्षा प्रसार में आने वाली कठिनाई पर चर्चा के लये।

श्री प्रभूत लाल परमार (डूंगरपुर) :

238. शिक्षा की वर्तमान पद्धति को सुव्यवस्थित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

239. नाथद्वारा पेन्टिंग व मीनाकारी कला को संरक्षण एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान की सुव्यवस्थित नीति निर्धारित किये जाने पर चर्चा के लिये।

241. शिक्षा नीति के पुनरावलोकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. कन्या शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लढ़ा (माण्डल),

श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा) :

243. खामोर में सैकण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

244 शाहपुरा में एक और कन्या सैकण्डरी स्कूल खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

245. कनेधन कलां, पंचायत समिति शाहपुरा में स्कूल की व्यवस्था बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लढ़ा (माण्डल) :

246. उच्च शिक्षा के स्थानों पर छात्रावासों की सुविधा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

247. पंचायत समिति मांडल में पंचायत क्षेत्र में लागू शिक्षा कर को केवल प्राइमरी स्कूलों में ही दिया जाता है मिडिल स्कूलों व सैकेण्डरी स्कूलों में नहीं जबकि पैसा वहीं का होता है. इस भेदभाव पर चर्चा के लिये।

248. ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले स्कूलों के लिए सरकारी सहायता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. आदर्श शिक्षा समिति, मांडल द्वारा संचालित बाल विद्या मन्दिर, मांडल को आर्थिक कठिनाई में रहने के कारण अधिक अनुदान एवं एडहॉक अनुदान दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

250. निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा, वेतन आदि की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करने बाबत चर्चा के लिये।

251. शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति केवल जातिगत पिछड़ेपन के आधार पर न दी जाकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. स्कूली शिक्षा में आवश्यक रूप से प्रतिदिन दो घन्टे श्रम कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253 शिक्षा कर का पैसा मिडिल स्कूलों में दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

254. हर अध्यापक के लिये हैड-क्वार्टर पर टिकना अनिवार्य करके रात्रि-शाला चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. प्राथमिक शिक्षा में प्राण फूंकने हेतु पंचायत समितियों से तुरन्त प्राथमिक शिक्षा हटाने हेतु चर्चा के लिये।

256. आने वाले दो वर्षों तक कोई भी नया विश्वविद्यालय कॉलेज न खोलने तथा न किसी कालेज को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी):

257. टहला में गर्ल्स स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

258. स्नातकोत्तर कॉलेज, दौसा में वाणिज्य व विज्ञान विषयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

259. शिक्षा को रोजगार योग्य न बनाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. बेरोजगार उत्पादक शिक्षा में आवश्यक सुधार करने पर चर्चा के लिये।

श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर):

261. अजमेर में गर्ल्स कालेज की एवं पीसांगन में कालेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं):

262. जयपुर जिले के देहात के विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव होने एवं जयपुर शहर में अध्यापकों की अधिकता होने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

263. ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में भवनों की कमी होने से छात्रों को बैठने की असुविधा के क्रम में चर्चा के लिये।

264. देहात क्षेत्र में चल रहे सहायता प्राप्त विद्यालयों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में सहायता कम होने से ग्रामीण जनता में भारी असन्तोष होने के क्रम में चर्चा के लिये।

265. राजस्थान के शिक्षा मद में संस्कृत शिक्षा पर व्यय की कमी होने से संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत अध्यापकों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

266. वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन असमानता संबंधी असन्तोष एवं उसके सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना):

267. उर्दू अकादमी बनाने और उर्दू भाषा को संरक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. डीडवाना में कॉलेज कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन):

269. स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के काम आने वाली पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराये जाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू):

270. शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

271. स्कूलों में साल भर अध्यापकों की कमी रहने से छात्रों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

272. गांवों में अध्यापकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम न बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

273. 200 छात्रों से ऊपर संख्या वाले गांवों में सैकण्डरी स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

274. शिक्षा विभाग में मुअत्तिल किये गये अध्यापकों का फैसला लम्बे समय तक न किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

275. शालाओं में अध्यापकों की अत्यधिक कमी और ट्रेन्ड अध्यापकों की बड़ी तादाद में बेकारी के संबंध में चर्चा के लिये।

276. चूरू तहसील के गांव खँडवा, खासोली तथा भामासी के मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर):

277. सवाई माधोपुर में जिला आर्ट एण्ड कल्चर का स्कूल खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

278. मलारना डूंगर में गर्ल्स मिडिल स्कूल खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

279. सवाई माधोपुर कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट किये जाने व साइन्स का विषय बढ़ाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा):

280. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं

(श्री नूरा)
पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा) :

281. पाठ्य पुस्तक केन्द्र, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर को स्थायी करने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

282. संस्कृत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार और उसमें पर्याप्त रुचि पैदा नहीं कर पाने संबंधी सरकारी प्रयास के अभाव पर चर्चा के लिये।

283. विभाग में तबादलों एवं स्कूलें खोलने में बरती गई पक्षपातपूर्ण नीति से विभाग में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

284. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

285. शिक्षा की दोषपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये।

286. संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों के वेतनमान दूसरे अध्यापकों के समकक्ष नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय),

श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़),

श्री हरिकृष्ण (नन्दबई),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

287. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की ओर पूरा ध्यान दिये जाने पर-चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतेहपुरा)

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़)

श्री गुरुशरण छबड़ा (सूरतगढ़),

श्री हरिकृष्ण (नदबई),

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली) व

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

288. राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में अनुपात के अनुसार शिक्षक न होने पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

289. जैसलमेर के महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने बाबत चर्चा के लये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

289 ए. गंगानगर जिले में कृषि विद्यालय की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):

290. शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

291. सिकराय तहसील में शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकिशोर मीणा)

292. राज्य सरकार द्वारा नये स्कूल खोलते वक्त सरकार द्वारा ही भवनों की व्यवस्था कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

293. सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की कन्या शालाओं में अध्यापिकाओं की अत्यधिक कमी पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

294. उदयपुर विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी),

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :

295. बूंदी जिले के नमाना, डाबी, बरूधण, सुवांसा, तालेड़ा में स्कूल भवनों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री लालूदास (फलासिया) :

296. फलासिया निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर):

297. बड़े गांवों के मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

298. ग्रामों की प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

299. देहाती स्कूलों में अध्यापकों के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लाल शंकर घेडोर (सागवाड़ा) :

300. सागवाड़ा कस्बे में डिग्री कालेज खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

301. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में कन्या विद्यालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

302. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर की छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त व निःशुल्क शिक्षा दिलाने में प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये।

303. सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के ग्रामों में भील जन-जाति प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

304. प्राथमिक शाला, गड़ाबाहर आदर्श गाव व मोरमउवड़ी (मेहता का पारड़ा) नई आबादी सलेड़ा पेरेड़ा मातीजी में विद्यालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

305. आदर्श गड़ाबाहर, घनगांव, मेहतों का पाड़ा चिखली, कुआं, झोबटी में प्राथमिक कन्या विद्यालय प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा);

306. पीपल्दा क्षेत्र में माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर):

307. ग्राम कुशालपुरा एवं बर में हाई स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

308. पंचायत समिति, रायपुर में ग्राम रेलडा चान्द में मिडिल स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री सुखलाल सेंणचा)

309. सरकार द्वारा राजनैतिक आधार पर किए गए तबादलों पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़):

310. स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

311. बीकानेर में यूनिवर्सिटी खोलने हेतु चर्चा के लिये।

312. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

313. राजस्थान में शिक्षा स्तर में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु अध्यापकों का विलेज व सिटी कैडर अलग-अलग करने हेतु चर्चा के लिये।

314. राजस्थान के लेखकों व कलाकारों को प्रोत्साहन देने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली):

315. बून्दी जिले की शालाओं की स्थिति सुधारी जाय, नये स्कूल खोले जायें, हिण्डोली क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर शालायें क्रमोन्नत की जायें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

316. दासपा, तहसील भीनमाल की राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला को उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

317. शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता एवं स्कूलों में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर):

318. स्कूलों में मास्टर नहीं भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

319. बाड़मेर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I. T. I.) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

320. शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. लोक कला मण्डल और ग्रामीण राजस्थानी संगीत व कला को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई):

323. शिक्षा विभाग के कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

324. प्राथमिक शिक्षणालय में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री विजयसिंह नदेरा)

325. प्राथमिक पाठशालाओं के अनुपयुक्त भवनों पर चर्चा के लिये ।

326. राजस्थानी भाषा को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिये अनिवार्य नहीं घोषित कर भारत सरकार की लोक भाषा में शिक्षा देने की नीति विषयक चर्चा के लिये।

327. राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, बीकानेर में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये ।

328. शिक्षा को व्यावहारिक, उपयोगी और वैज्ञानिक बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

329. अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिये निश्चित नीति निर्धारित करने हेतु चर्चा के लिये ।

330. शिक्षा के क्षेत्र में फैल रही विसंगतियों पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

331. उदयपुर विश्वविद्यालय के व्याख्याता को यू.जी.सी. ग्रेड 700-1600 लागू करने पर चर्चा के लिये ।

श्री बाऊदयाल जोशी (दौगोद) :

332. कला एवं संस्कृति का प्रतीक तीसरी शताब्दी का मंदिर चारचौमा में शीघ्र खुदवाई करवाकर पुरातन संस्कृति को उजागर करवाने बावत चर्चा के लिये ।

श्री लालूदास (फलासिया) :

333. तहसील फलासिया के हायर सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

334. आमेर निर्वाचन क्षेत्र में खोले गये स्कूलों में आज तक कोई अध्यापक व सहायक कर्मचारी नहीं लगाने व बच्चों के लिये पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिये ।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

335. गंगापुर सिटी में उच्च विद्यालय में भवन के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

336. कामां तहसील में अधिक विद्यालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

337. तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) क्षेत्र के सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों में वाणिज्य व अन्य विषय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री राम नारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

338. शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

339. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर की राजकीय अनुदानित एवं सहायता प्राप्त संस्था बाल मन्दिर को शिक्षा विभाग की ओर से सन् 1977-78 के निर्धारित अनुदान दिलाने में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

340. सुजला कालेज में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

341. श्री सेठ मोतीलाल बैंगानी साइन्स कालेज, लाडनूं में बन रहे पुस्तकालय भवन को पूरा कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

342. पंचायत समितियों को दिये गए स्कूलों में अध्यापकों के पद नहीं बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

343. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा पंचायत समितियों के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में लेने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये।

344. रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल, जनता कॉलोनी; जयपुर को संस्कृत विभाग द्वारा दी जा रही सहायता राशि को अकारण बन्द कर देने पर चर्चा के लिये।

345. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर के खिलाफ भयंकर शिकायतें होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

346. तहसील लाडनूं में नये खोले गये मिडिल स्कूलों में अध्यापक नहीं भेजने पर चर्चा के लिये।

347. ग्राम मीठड़ी, तहसील लाडनूं में कन्या मिडिल स्कूल में स्टाफ नहीं भेजने पर चर्चा के लिये।

348. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण में की गई धान्धली व मनमानी पर चर्चा के लिये।

349. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा अपने निवास स्थान सुजानगढ़ में हर सप्ताह केम्प लगाकर अध्यापकों का शोषण करने पर चर्चा के लिये।

350. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा सरकारी नीति के खिलाफ किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

351. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को मानते हुए राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के लेक्चरारों के वेतनमानों की वृद्धि को मान्यता देने के उपरान्त भी उन्हें अमलीजामा नहीं पहिनाने के कारण लेक्चरारों में तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के के लिये।

श्री कालू भाई मीणा (प्रतापगढ़) :

352. सालमगढ़, खैरोट, अणगोरा, लाहोरिया, पालरणा, गामदा, जालौर, भणेज मोलिया, बीलड़ी, टिमखों आदि गांवों में प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शालायें बालक व बालिकाओं के लिये खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल (घाटोल) :

353. घंटाली में सैकण्डरी स्कूल, चन्यु-जी का गढ़ घाटोल में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू):

354. राजकीय सैकण्डरी स्कूल दुधवा-खारा में साइन्स की कक्षा चालू कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री मेघराज पंवार)

355. राजकीय सैकण्डरी स्कूल, दूधवाखारा को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लाल शंकर डेडोर (सागवाड़ा) :

356. जसेला, घाटा का गांव, डूंगर-शरण, दीवड़ा घोटा, गामड़ा वामनिया में माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

357. गड़ावादर (मेरतिया) मेहतों का पारड़ा, धनगांव, सेमलिया घाटा नई आबादी सालेणा पियोला, सागवाड़ा नं. 2 व डूंगर-शारण नई आबादी में उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

358. चिखली, ओवरी, चितरी कुंझा सैकण्डरी स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

359. माही कडाणा पुनर्वास नई आबादी, डूंगर-शरण खण्ड पांच चिकूड़ी पियोला (नेनसावा) (सालेड़ा), डाहाला काठल खण्ड में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़) :

360. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का समुचित विकास नहीं होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

361. नये प्राथमिक विद्यालय खोलने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

62. शिक्षा की वर्तमान पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

363. तहसील सोजत में ग्राम बगड़ी में बैरा आखन्डी में फीडर स्कूल को स्थाई बनाने हेतु चर्चा के लिये।

364. प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समिति से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

365. विश्वविद्यालय की शिक्षा में समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

366. गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर तथा इन संस्थाओं में नियुक्त शिक्षण अध्यापकों व कर्मचारी वर्ग को मैनेजमेंट का शिकार होने व शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वेतन व महंगाई भत्ता आदि नहीं देने पर चर्चा के लिये।

367. वर्तमान समाज में अध्यापकों की गिरती हुई प्रतिष्ठा को कायम रखने में शिक्षा विभाग के योगदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

368. प्राच्य शिक्षा प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेशक द्वारा की गई अनयमितताओं एवं उनकी अवैध नियुक्ति से व्याप्त असन्तोष व आक्रोश पर चर्चा के लिये।

369. गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अधिनियम बनाने का शीघ्र पालन कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

370. पब्लिक स्कूल व्यवस्था समता व समानता की नीति के विरुद्ध होने व तुलनात्मक मंहगा होने के कारण समाप्त करने पर चर्चा के लिये ।

371. बीकानेर में स्थित स्पोर्ट्स स्कूल की दुर्व्यवस्था के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

372. पोलिटेक्निक शिक्षक सत्याग्रह पर है उन्होंने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं परन्तु अभी तक सरकार की अनिश्चित नीति के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

373. शिक्षा एवं शिक्षक की हालत बहुत खराब है इस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : आज की मांगों के संबंध में काफी माननीय सदस्यों ने अपने कटमोशन्स रखे हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आप ज्यादा समय न लें सिर्फ 7-8 मिनट से अधिक समय नहीं लें।

एक माननीय सदस्य : सिर्फ पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अगर आप पांच मिनट से अधिक समय नहीं लें तो ठीक है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय कम रहेगा ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको सात मिनट का समय बोलने के लिये दिया जाय । बाकी के सदस्य पांच मिनट बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी काफी फास्ट स्पीड है, आप तो बोल लेंगे इतने समय में भी ।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है साहब कि सदन में मांगों पर जब भी बहस चलती है तब गिरधारीलाल भार्गव साहब बोलते हैं और हमेशा आधा घन्टा लेते हैं । मेरा निवेदन यह है कि सभी सदस्यों को कटौती के प्रस्तावों पर बोलने का मौका बराबर-बराबर दिया जाय। हमें भी उतना ही समय मिलना चाहिये जितना कि भार्गव साहब मिलता है ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मांगों पर जब बहस शुरू होती है तो कई सदस्य पहले ज्यादा समय ले लेते हैं और फिर बाद में विधान सभा की कार्यवाही रात को 12 बजे तक चलती है । जब हम लोग बोलने खड़े होते हैं तो हम लोगों को यह कह दिया जाता है कि अब 12 बजने वाले हैं आप लोग दो-दो मिनट बोलकर समाप्त कर दें । यह क्या बात है, साहब ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम इसके लिये पाबन्द नहीं हैं कि कितनी देर बैठें ।

श्री रतनलाल वर्मा : किसी भी सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाय ताकि सभी बैठे रहें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो 5 बजे तक के लिये बाध्य हैं । इसके आगे हमारी मर्जी हो तो बैठें ।

श्री दाउदयाल जोशी : यह क्यों ? जितना पैसा उतना काम ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की वर्तमान पद्धति में क्या सुधार होना चाहिये, इस संबंध में राज्य सरकार को बताना आवश्यक है। प्राइमरी शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा हो और उस आधार पर ही स्कूलों का निर्माण किया जाना चाहिये जिससे आने वाली पीढ़ी भली-भांति सब बातों को समझ सके । ऐसे शब्दों को पाठ्य पुस्तकों में लिया जाय जिन्हें अच्छी प्रकार से समझा जा सके। 'हवाई जहाज' शब्द है इसे गांव वाले समझते हैं । यदि एरोप्लेन बोला जायगा तो नहीं समझेंगे। प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान दिया जाय, यह आवश्यक है । बालक शुद्ध हिन्दी लिखना-पढ़ना सीख जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि पांचवीं और छठी तक उसमें अच्छे संस्कार का निर्माण होता है, अच्छे सभ्य नागरिक का निर्माण होता है । मिडिल तक की शिक्षा कब तक सब बच्चों को मिलेगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है । यह स्पष्ट होना चाहिये । घोषणा-पत्र में जो शिक्षा के सम्बन्ध में घोषणा की गई है वह पूरी की जाने के लिये मैं राज्य सरकार से कहूंगा ।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूं कि यदि शिक्षकों को रात्रि को उन लोगों को पढ़ाने के लिये कहा जाय तो प्रौढ़ शिक्षा का उत्थान होगा। इस काम के लिये शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया जाय । निरक्षरता कब तक समाप्त होगी इसके बारे में राज्य सरकर को नीति स्पष्ट करनी चाहिये ।

तकनीकी शिक्षा पाश्चात्य पद्धति के आधार पर चल रही है । इसमें भी सुधार की आवश्यकता है । बोल-चाल की भाषा में ही अधिक उपयोगी शिक्षा दी जा सके, इस ओर, मैं समझता हूं, राज्य सरकार ध्यान देगी ।

तीन भाषा फार्मूला का भी राज्य सरकार ने स्वागत किया है ।

युनिवर्सिटी में अशान्ति फैली हुई है, सबही जगह अशान्ति है। डॉ. देवेन्द्र कौशिक डॉ. पाण्डे, जो पहले वाइस चांसलर थे, को मास्को यात्रा करवा कर लाये इसलिये विवेकानन्द हॉस्टल के वे संचालक बने, वार्डन बने । के. जी. बी. के वे सक्रिय सदस्य बताये जाते हैं । वर्तमान त्यागीजी के वक्त भी वे लाभ उठा रहे हैं, कई छात्रों को रूस की यात्रा करवा कर लाये हैं । वाइस चान्सलर को करवा लाये, ऐसे देशद्रोही को. .

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह की आलोचना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : बार-बार यह कह रहे हैं कि यात्रा करवा लाये, क्या यात्रा करवाना और करना देशद्रोह है ?

श्री मूलचन्द डागा : रूस ने तो हमे लड़ाई के जमाने में मदद की ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह शब्द बोले गये हैं, लिखे गये हैं कार्यवाही में कि एक पर्टीक्यूलर आदमी ने प्रयत्न करके रूस का दौरा कराके देशद्रोह का काम किया । रूस का दौरा करने का मतलब क्या देशद्रोह है ? वाजपेयीजी ने भी दौरा किया था । ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उन शब्दों को देख लूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। यह बहुत गलत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया कि मैं उन शब्दों को देख लूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या ऐसा कहना उचित है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव आज भी सक्रिय हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आन्तरिक चयन पद्धति के द्वारा चयन का कोई निर्णय नहीं किया जाय। चयन के सम्बन्ध में एक आयोग कायम कर लिया जाय। चयन के मामले को लेकर आज बड़ा भारी असंतोष है। शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षकों की एक समन्वित कमेटी बना दी जाय, वह एक स्थायी कमेटी हो तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी और शिक्षा का उत्थान होगा। जगतनारायणजी ने भी रिपोर्ट दे दी है उस पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चयन प्रक्रिया में शिक्षकों को कोई आस्था नहीं रही है क्योंकि नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात का बोलबाला रहा है। शिक्षकों के चयन के लिये आपातकाल में जो पैनल बनाये गये थे अभी भी उनको बरकरार रखा गया है। इन पैनल की प्रमाणिकता के बारे में शिक्षकों में बड़ा असंतोष है। एडहॉक पदोन्नतियां भी हुई हैं। 50 प्रतिशत मेरिट के हिसाब से पदोन्नति करने की आपातकाल के अन्दर जो व्यवस्था की गयी थी उसी को माना गया है। जिनको स्थायी किया गया है उनमें से कइयों को मेरिट के आधार पर ऊपर बैठा दिया गया है। कुछ लोग पदोन्नति से वंचित रह गये हैं। उनके नम्बर काट कर चहेते लोगों को ऊपर कर दिया गया है। इसलिये मेरिट के आधार पर भयंकर असंतोष है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेन्शन के केसेज, बढ़ी हुई छुट्टियों के केसेज एवं सीनियरिटी के बारे में भी अध्यापकों में आज व्यापक असंतोष है।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि आज प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को आप देते क्या हैं ? एल.डी.सी. के समान वेतन भी नहीं देते हैं। बीस-बीस वर्ष हो जाने के बाद भी उनके साथ कोई न्याय न हो, गरीबों का वेतन न बढ़े तो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होने वाला है। इसलिये वेतनमान बढ़ाये जाने चाहियें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मेरा निवेदन है कि राजस्थान के स्कूलों का समय-समय पर अच्छी प्रकार से निरीक्षण होना चाहिये। यह देखना चाहिये कि उन स्कूलों की क्या-क्या आवश्यकतायें हैं। क्या-क्या सुविधाओं की हम व्यवस्था कर सकते हैं।

प्राइमरी स्कूलों के लिये भवनों की बड़ी ही शोचनीय दुर्व्यवस्था है। उसमें सुधार की आवश्यकता है। गांवों के बच्चे जो आते हैं उनके लिये आवास की कोई सही व्यवस्था नहीं है।

शिक्षा मंत्रीजी को शिक्षा कोष बनाना चाहिये। शिक्षा कोष के लिये

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

मैं उन्हें एक दिन का भत्ता 51) रु. भेंट करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री जी को आप भी भत्ता दें ताकि शिक्षा कोष स्थापित हो सके और उससे हमारे राजस्थान में शिक्षा का उत्थान हो सके। मैं उनको इस भाषण के समाप्त करने के बाद 51) रु. भेंट के रूप में अर्पित कर दूंगा।

अनुदान प्राप्त स्कूलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो नीति अपनायी गयी है वैसी ही नीति यदि यहां भी होगी तो अच्छा होगा।

अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी को ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिये। मैं सदन के माननीय सदस्यों को बता दूं कि कोई 1 लाख 30 हजार शिक्षक हैं। कांग्रेस की सरकार ने जाते-जाते 15298 ट्रान्सफर्स किये जब कि इस सरकार ने 8790 किये। कई शिक्षक गांवों में सड़ गये हैं। वे शहर में आनी चाहते हैं। वर्षों से वे गांवों में पड़े हुए हैं आप उनकी ओर भी ध्यान दीजिये। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस पर भी विचार कीजिये। राजनैतिक कारणों से कांग्रेस की सरकार ने ट्रान्सफर्स किये हैं। मैं आपके सामने अधिक आंकड़े रख कर सदन का समय लेना नहीं चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब, कृपया बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो शिक्षा मंत्रीजी ही कह देंगे। इनका कटौती प्रस्ताव भी नहीं है।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह 22 मिनट बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय भार्गव साहब से निवेदन करूंगा कि आप दस मिनट ले चुके हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो डिबेट का कोई अन्त नहीं होगा। आप दो बार अंत में, अंत में कह चुके हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर रहे हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, 20 मिनट दिये जायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ट्रान्सफर नीति के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा हो। दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लाने की शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी। प्राइवेट स्कूल हैं उनके बारे में शिक्षा विधेयक कब लाने वाले हैं, वह कहें।

तीनों अकादमी जयपुर में सेन्ट्रेलाइज हैं। इनका उत्थान हो और विकास हो। तीनों अकादमी में स्थान रिक्त पड़े हैं, उन्हें फौरन भरा जाना चाहिए। उनकी ओर भी राज्य सरकार ध्यान दे।

एक कर्मचारी :..........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब, आपका इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि रविन्द्र मंच की आज दशा बड़ी दयनीय है। उसको हम एयर कन्डीशन करना चाहते थे और पीछे ओपन एयर थियेटर बनाना चाहते थे। रवीन्द्र मंच

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
की जैसी शोभा हो वैसी नहीं है। भली प्रकार उसका विकास हो और उसको अकादमी को सौंप दिया जाये, यह निवेदन करूंगा।

इसके अलावा जयपुर में एक कत्थक नृत्य का स्कूल खोला जाना जरूरी है। राजस्थान का आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट स्कूल, किशनपोल बाजार में बन्द पड़ा हुआ है उसे भी राज्य सरकार चालू कराये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। जब सदन की सहमति से समय निश्चित कर लिया है और आपका कटौती प्रस्ताव भी इन विषयों पर नहीं है तो जो आसन से आदेश मिलते हैं उनका कम से कम ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा, रखा है और भविष्य में रखूंगा। यह 51 रुपये में शिक्षा मंत्रीजी को देता हूं जिसकी कि मैंने पहले घोषणा की थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में गलत परम्परा डाल रहे हैं। इस तरह से सदन में रुपये नहीं दिये जाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार अपना दीवाला निकाल चुकी है जो 51) रुपये ले रही है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसी भी यज्ञ में आहूति की आवश्यकता होती है या कोई शुभ काम करो तो उसमें भी दक्षिणा देनी होती है। तो इसमें क्या है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह ड्रामा बाहर जाकर करो।

(व्यवधान)

यह गलत है। इस प्रकार से.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गिरधारी लालजी भार्गव, आप जरा दो मिनट बिराजें।

(व्यवधान)

माननीय भार्गव साहब।

व्यवस्था का प्रश्न
सदन में किसी कोष में अंशदान

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र के इस सर्वोच्च मंच (Forum) का उपयोग इस तरह से कभी भी धन के कलेक्शन या इस तरह की भावनायें उभारने में नहीं किया जा सकता। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि उन्हें कैश और फण्ड इकट्ठा करना है तो राजस्थान बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। जनतंत्र के अन्दर इस सर्वोच्च मंच का उपयोग इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। इस सदन की गरिमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और संसदीय आचरण, मर्यादा एवं परम्पराओं का निर्वाह किया जाना चाहिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं नहीं समझता....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कोई कागज लाकर भेंट करता हूँ मैंने तो नोट दिये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कागज तो सदन में हम रखेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : फिर हम नोट भी रखेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाटक कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नाटक आप करती हैं, आप करती आई हैं। पहले परिवार कल्याण विभाग जब आपके पास था तो नाटक करती रहती थीं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : 51) रुपये आप दे सकते हैं। आखिर कुछ व्यवस्थायें हैं, कुछ मर्यादायें हैं इस सदन की। हम मर्यादाओं को भंग नहीं होने देंगे। सारे सदन की गरिमा एक आदमी अपनी व्हिम्स पर बिगाड़ता है तो नहीं बिगाड़ने देंगे। यह क्या हुआ 51) रुपये दे दिये। यह मन्दिर थोड़े ही है जो भेंट दे रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप पूरे महीने का वेतन दे दीजिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हमें बहुत दुःख है हमने बहुत देखा है। यह ड्रामा इस सदन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की इजाजत देंगे तो हम रोज करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हम सब जिम्मेदारी से यहां बैठे हैं और बातें करते हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने कोई ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने 51) रुपये भेंट किये हैं उस पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं सदन से एक और निवेदन करूंगा ....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरी भावनाओं को नहीं कुचल सकते।

श्री नूरा : यह भावनाओं का सवाल नहीं है। आपको देना है तो बाहर जाकर चन्दा दीजिए। 100) रुपया दीजिए, और ज्यादा दीजिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप लोग पसन्द करते हैं क्या इसको ?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये।

श्री श्योपत मकासर सिंह: यह 51) रुपये देना पसन्द करते हैं क्या ? फिर तो रोज ड्रामा शुरू हो जायेगा। इस सदन की गरिमा का थोड़ा तो ध्यान रखो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, आप भी बिराज जाइये। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि समय बहुत कम है और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। बीच-बीच में कोई माननीय सदस्य टिप्पणी करें और बात करें तो कम से कम सावधानी बरतें। व्यर्थ में इस प्रकार की

Page No 92

(92)

(श्री उपाध्यक्ष)

चर्चा उठाते हैं जिससे सदन की मर्यादा भी भंग होती है और समय भी बरबाद होता है। फिर किसी के आचरण के ऊपर भी किसी को कहने का अवसर मिलता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कृपया इस प्रकार का उदाहरण सदन में प्रस्तुत नहीं करें। कम से कम आसन को पूरा सहयोग दें कार्यवाही चलाने में। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कोई बात कहनी है तो शिष्ट भाषा में कहें। बार-बार जो बीच में टोका-टाकी करते हैं, कृपया, वर्मा जी, इसको बन्द करें।

श्री रतनलाल वर्मा: मैंने तो टोका ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बार-बार 51) रुपये की बात करते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैंने सदन का अपमान करने के नाते नहीं बल्कि मैंने एक शुभारम्भ करने के लिए ऐसा किया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर: आप चैम्बर में दे दें कौन रोकता है? आप 5 हजार दे दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जब विधायक भली प्रकार आचरण नहीं करेंगे हाउस में क्या होता है. . . .

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजिये!

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मेरी भावना की कद्र करें और. . .

श्री श्योपत सिंह मकासर: आचरण की बात 51) रुपये से ठीक नहीं होगी। आचरण सब देखते हैं हमारा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भार्गव साहब, कृपया बिराजिये। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस पर इससे ज्यादा चर्चा नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैंने शिक्षा मंत्रीजी को दिये हैं, मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भार्गव साहब, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही चलने दीजिये कृपया।

श्री नूरा: चलने तो भार्गव साहब नहीं देते। आप हमें बार-बार कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भार्गव साहब, शांत रहें।

श्री नूरा: ... मजदूरों के लिये मरेंगे ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह: ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। आपकी व्यवस्था को सम्मान-पूर्वक स्वीकार करते हुए मैं आपसे एक और स्पष्टीकरण लेना चाहूंगी। क्या आप इस तरह की कार्यवाही को इस सदन की गरिमा के अनुकूल मानते हैं? क्या यह लोग ऐसे नाटक जैसे जमूरा करता है इस सदन में कर सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मुझे बहुत बड़ा एतराज है। मेरी भावना को न देखकर जमूरा कहा जाये। मैं भी कई आरोप लगा सकता हूं। मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं, मैं हाउस की मर्यादा को रखना चाहता हूं..

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(व्यवधान)

मैं भी लांछन लगा सकता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री दुलाराम : यह जो 51) रुपये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलाराम जी, बिराजिये।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, किसी सदस्य के लिये जो यह जमूरे की तरह शब्द का प्रयोग किया गया है वह आपत्ति-जनक है। इस शब्द का प्रयोग करने पर माननीय सदस्या खेद प्रकट करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जैसा प्रतीत होगा...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नूरा साहब।

माननीय भार्गव साहब। माननीय वर्मा साहब। मैं निवेदन करना चाहूंगा......

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्या ने जमूरा शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाय। माननीय सदस्या इस बात के लिये माफी मांगें। यह कहां तक उचित बात है ?

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : प्वाइन्ट आफ आर्डर, प्लीज। कोई भी माननीय सदस्य अगर सदन की मेज पर कोई भी चीज रखते हैं तो वह आपकी स्वीकृति से ही रखी जा सकती है। क्या आपने स्वीकृति दी है ?

एक माननीय सदस्य : अभी रखे कहां हैं ?

श्री गुल मोहम्मद : सदन में नहीं रखे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिराजिये आप।

एक बात जरूर कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य एक तरफ आदर्श पेश करते हैं, दूसरी तरफ उसका स्वयं अनुकरण नहीं करते हैं। यह सारा डिस्टर्बेंस होता है, इस कारण से होता है कि बीच-बीच में ऐसे कमेन्ट्स करते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं रहता। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा जब कोई माननीय सदस्य आपत्ति उठाना चाहते हैं तो खड़े होकर आपत्ति उठा सकते हैं। एक तरफ से कमेन्ट्स आने पर दूसरी तरफ से कमेन्ट आता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि जब चर्चा चल रही हो और किसी माननीय सदस्य के किसी विचार पर अगर कोई आपत्ति हो तो व्यवस्था के रूप में उठकर प्रस्तुत करें, बीच में कमेन्ट्स न दें।

माननीय राम रघुनाथ ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कोई भी डाकूमेंट या कागज नहीं रखा गया है। अगर सदन की

(श्री उपाध्यक्ष)

मेज पर रखा जायेगा, तो जब तक मेरी पूर्व अनुमति नहीं होगी, तब तक सदन की मेज पर नहीं रख सकते । अगर कोई सदस्य बाला-बाला मंत्री महोदय को देते हैं तो उन सदस्य को अधिकार है, वे दे सकते हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने शिक्षा मंत्रीजी को दिये हैं ।

एक माननीय सदस्य : कागज नहीं, रुपये दिये हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप ऐसा कोई नियम बता सकते हैं जिसमें कोई माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य को कोई चीज दें तो आप आपत्ति कर सकते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य यूं एक दूसरे को रुपया भी दे सकते हैं, कागज भी दे सकते हैं । जयपुर से आने वाले सदस्य ने घोषणा करके, अपने भाषण में कह कर कि मैं 51) रुपये देकर इस फण्ड का सबसे पहले श्री गणेश करता हूं, रुपये दिये हैं । इस प्रकार नाटक करते हैं तो आपकी व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह पंचायत थोड़े ही है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई परम्परा है ? सदन की गरिमा एवं मर्यादा के अनुकूल है ? इस तरह से करना कहां तक उचित है ? इसके बारे में आसन व्यवस्था दे । चन्दा देने की घोषणा करके इस सदन में........

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय शिक्षा मंत्रीजी सदन में उपस्थित नहीं हैं । निर्माण मंत्री जी को दिये हैं । शिक्षा मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्रिमण्डल का सामूहिक काम होता है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : रुपया लिया जाय कि नहीं लिया जाये उनको भी जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस तरह से चन्दा इकट्ठा करने की प्रणाली को आप उचित समझते हैं क्या ?

श्री सुखलाल सेंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, भार्गव साहब ने सब सदस्यों को निवेदन किया है कि वे चन्दा दें । क्या यह चन्दा करने के लिये यहां आये हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । थोड़ी सी शांति से सुनने का धैर्य रखें ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर सदन के सम्मुख कोई विषय पर चर्चा हो रही हो, जिसमें कोई धनराशि देना अपेक्षित है या कोई भी विषय है, जिसमें सदन की सहमति है तो वह परम्परा निभाई जा सकती है लेकिन जो चर्चा का विषय है और जिस सम्बन्ध में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें अप्रासंगिक रूप से कोई चर्चा उठा कर धनराशि देने की बात करते हैं तो मैं व्यवस्था देना चाहूंगा कि नियमों के अनुकूल नहीं होगा और इस प्रकार की चर्चा नहीं की जाय ।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, आप बिराजिये ।

एक माननीय सदस्य : उनसे रुपये वापस दिलवायें ।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा। (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में काशी कहा जाता था। खेद है पिछली सरकार के द्वारा सही रूप से ध्यान न देने के कारण आज इसका स्थान पिछड़ा हुआ है और यह 21वें स्थान पर हमारा राजस्थान है । मैं निवेदन करना चाहूंगी, पिछले वर्ष और इस वर्ष में भी भाषा नीति और शिक्षा नीति को स्पष्ट नहीं किया गया है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भाषा नीति और शिक्षा नीति की स्पष्ट घोषणा करें । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रदेश में 56 प्रतिशत गरीब निवास करते हैं । ऐसे प्रदेश में हम बसते हैं जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है । मेरा निवेदन है 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई फ्री की जानी चाहिये । मेरा यह भी निवेदन है इस योजना को स्वीकृति दी जाय । इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री स्पष्ट घोषणा करें ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिला शिक्षा की ओर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आने वाले वर्ष का बजट है, इसमें भी स्पष्ट संकेत नहीं है । महिला शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है । मैं समझती हूं यह उचित नहीं है । मेरा निवेदन है महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जाय । महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहीं, वह पिछले लोगों का दोष हो सकता है, लेकिन अब आगे आने वाले वर्ष में शिक्षा मंत्री तो इस ओर ध्यान दें । शिक्षा के क्षेत्र में जैसा अवसर पिछड़े वर्गों को दिया जा रहा है, उसी तरह का अवसर महिलाओं को भी मिलना चाहिये । महिलाओं के लिये रोजगार और शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । आज कोई महिला, पोलीटैक्निक डिप्लोमाधारी नहीं है । जो महिला अपने पति पर अवलम्बित है उसकी दिनचर्या के बारे में तो मैं निवेदन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो अनाश्रित महिला है, उसकी रोजी-रोटी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । विशेष तौर से जो महिला 30-35 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती है वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक बिता सके, इसके लिये मैं समझती हूं, हमारी सरकार भी कुछ व्यवस्था करेगी ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी यदि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं हुई तो जो भावी पीढ़ी से हम अपेक्षा करते हैं, वह पूरी नहीं हो पायेगी । पांच वर्ष तक के बच्चे को जो शिक्षा माता दे सकती है वह अन्यत्र मिलना मुश्किल है । इसलिये शिक्षित मातायें भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकती हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, जो बहिनें गांवों से शहर की ओर आती हैं काम करने के लिये, उनके लिये आवास की व्यवस्था नहीं है । आवास गृहों की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें किराये पर मकान लेने पड़ते हैं । पति कहीं, पत्नी कहीं, बड़ी मुश्किल से वे अपना समय निकाल पाती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सम्मानपूर्वक शहर में आकर काम कर सकें, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले दिनों स्थानान्तरणों की बड़ी चर्चा रही है और प्रतिपक्ष भी आलोचना करता रहा है कि मंत्री महोदय ने स्थानान्तरण बहुत किये। कृपया शिक्षा मंत्रीजी स्पष्ट करें कि वाकई इतने स्थानान्तरण हुये हैं और करोड़ों का खर्चा हुआ, वह उचित हुआ है या अनुचित हुआ है? इसको स्पष्ट करें, मंत्री महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में जो ह्रास हुआ है, उसकी आलोचना बहुत करते हैं। मेरा निवेदन है शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और अभिभावक मिलकर रेडीकल चेन्जेज लाने के लिये कोई व्यवस्था करें। एक इस प्रकार की कमेटी बिठाई जाय ताकि आने वाले समय में हम अच्छा परिवर्तन कर सकें और रोजगार तथा शिक्षा का एक समन्वय बिठा सकें, तो आज जो शिक्षा का ह्रास हो रहा है, उससे हम अपने देश को बचा लेंगे।

आज हम विश्वविद्यालय में परशियन फेकल्टी खोलने जा रहे हैं। यह कहा गया है कि जो छात्र यहां पर हैं वे वहां पर जायेंगे और जो उनके यहां पर है, वे यहां आयेंगे। इस आधार पर पूरा प्रचार वगैरह का खर्चा ईरान की सरकार देने वाली थी, उसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी, उर्दू अकादमी खोलने के बारे में कहा गया था, वह मामला अभी यों ही पड़ा हुआ है, उसकी घोषणा नहीं की। सिन्धी साहित्य अकादमी को अभी तक रुपये देने की घोषणा नहीं की गई। उसके लिये कोई वातावरण तैयार नहीं किया गया है और न ही रुपये दिये गये हैं। इस तरह भाषा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

हमारी सरकार के द्वारा और जो घोषणायें की गई हैं, उनकी पालना नहीं हुई है। अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग बल्कि यहां तक कि मंत्री महोदय भी ध्यान नहीं देते हैं। हिन्दी की प्रगति करनी चाहिये, हिन्दी हमारी मातृ भाषा है, लेकिन जो दूसरी भाषा के जानने वाले हैं, उनको नौकरियों में स्थान न दें, यह उचित नहीं है। जो हिन्दी जानने वाले नहीं हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं या यूं कहें जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, उनके लिये हिन्दी सीखने के लिये एक समय निर्धारित किया जाय। उनको पठन का अवसर देकर कहें कि इतने समय में हिन्दी सीख लेंगे, तभी सर्विसेज में रखा जायगा। यदि इस प्रकार सुधार नहीं हुआ या इस प्रकार की कोई पद्धति नहीं अपनाई गई, तो हिन्दी अपना स्थान नहीं ले सकेगी और हमारा प्रदेश अग्रगण्य न होकर पिछड़ा रह जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और लूंगी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पांच मिनट दिये गये थे। उसमें ज्यादा आप बोल चुकी हैं। मुझे दूसरों को भी अवसर देना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट। संस्कृत की शिक्षा हमारे यहां दी जाती रही है। संस्कृत का केवल मात्र एक कालेज

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है और उसके प्राध्यापकों के वेतनमान भी दूसरे प्राध्यापकों के समान नहीं हैं। संस्कृत हमारे अतीत की संस्कृति की रक्षक है। उसमें निश्चित रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध ग्रन्थों की खोज आदि की कोई योजना अवश्य होनी चाहिये। साथ ही वेदों के शोध आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार का एक शोध संस्थान सरकार की ओर से खोला जाना चाहिये जिससे संस्कृत साहित्य का भरपूर प्रचार हो और हमारी प्राचीन संस्कृति जीवित रह सके ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी, पोथीखाना है और मधुसूदनजी ओझा के यहां अनेक पोथियां हैं, इसलिये एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाय, अलग से एक वृहद् पुस्तकालय खोला जाय। यह जो सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसमें करीब डेढ़ लाख पुस्तकें हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुस्तकालय बहुत जल्दी धराशायी होने वाला है क्योंकि भवन की उचित व्यवस्था नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तकालयों के भवनों की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

आज जिन सरकारी भवनों में शिक्षा चल रही है उनकी बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालत है। उनमें तत्काल सुधार किया जाय। जो विद्यालय प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं, उनके भवन भी ठीक नहीं हैं। उनकी ओर भी समुचित ध्यान दिया जाय .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भवनों का किराया हम कम देते हैं। इसलिये उनका स्टेन्डर्ड किराया बढ़ाया जाय, ताकि उनकी जीर्ण-शीर्ण हालत भी ठीक हो सके। यहां पर जितने भी प्राइमरी, मिडिल स्कूल ऐसे भवनों में चल रहे हैं, उन्हे वहां से हटाकर दूसरे भवनों में स्थापित किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहती हूं .....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गणगोरी बाजार के स्कूल में छत गिर जाने से एक लड़की के सिर में चोट आई थी, हेमरेज से बीमार हो गई थी जिसके कारण उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकी, उसका फार्म नहीं भेजा गया ......

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, बार-बार चेतावनी देने के बाद भी आप बोलती जा रही हैं। मुझे दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय देना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं औपचारिक रूप में अपने भाषण को समाप्त करती हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से अटेंडेंस कम होने के कारण, उसका फार्म नहीं भेजा गया। आकस्मिक बीमारी हो जाय, चोट लग जाने से सिर फट जाय या ब्रेन हेमरेज हो जाय, ऐसे छात्र-छात्राओं के लिये भी अटेंडेंस की अनिवार्यता रखी जाय, यह उचित नहीं है। ऐसे केसेज में अटेंडेंस की अनिवार्यता नहीं रखने के बारे में शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। माननीय मंत्री

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
महोदय से निवेदन करूंगी कि शिक्षा के नियमों के . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्दर बच्चों की अटेंडेंस की अनिवार्यता है उसको खतम किया जाय ।

मैं इतनी ही बात कह कर समाप्त करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति जो चल रही है उसमें बहुत ही गड़बड़ियां हैं और उससे बेरोजगारी बढ़ रही है । मैं इसके लिए एक शेर कहना चाहूंगा:—

"बात तो तब है, बयाबां को
गुलिस्तां कर दो ।
वरना सब जानते हैं
बाग को सहरा करना ।"

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। इससे बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है । इस शिक्षा में सुधार के साथ साथ ही, जितने भी कालेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तकनीकी ज्ञान कम्पलसरी हो, इस सम्बन्ध में पहले भी कहा था कि आर्ट्स क्लासेज को बन्द कर दिया जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल एजूकेशन दी जावे, तो इससे यह देश उन्नति करेगा । यह सभी जानते हैं कि जिस देश में टेक्निकल ज्ञान अधिक होगा, वह देश उन्नति करेगा, उसमें अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यार्थी उद्योग-धन्धों की तरफ जायगे, उनको उसकी तरफ ले जाया जायगा तो पढ़ाई करने के बाद उनकी तवज्जोह उद्योग-धन्धों की तरफ होगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटस हॉस्पिटल्स में जाकर के व्यक्तिगत एक्सपीरियेन्स करते हैं, व्यक्तिगत अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से उद्योग-धन्धों के अन्दर भी प्रेक्टिकल ज्ञान कराया जाय । जितने भी राज्य सरकार के उद्योग-धन्धे चल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सब उद्योग-धन्धे लोस में चलते हैं । इसका कारण यही है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा की नीति है, वह बड़ी दोषपूर्ण है । उसके अन्दर किसी प्रकार का कोई प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स नहीं दिया जाता है । इस वजह से उद्योग-धन्धों के अन्दर जितने भी आई. ए. एस; आर. ए.एस. अधिकारी लगे हुए हैं उनको थ्योरिटिकल ज्ञान है, उनको प्रेक्टिकल कोई अनुभव नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार के उद्योगों में आई. ए. एस. व आर. ए. एस. के बजाय बिजनेस करने वाले व्यक्ति को रखा जावे और जो बिजनेस करते हैं, उनमे अनुभवी लोगों को, इस टाइप के आदमियों को उद्योग-धन्धों में लगावें तो निश्चित रूप से जो उद्योग आज घाटे में चल रहे हैं वे लाभ में परिवर्तित हो जायेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, उनको फ्री शिक्षा दी जाय । मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के लोग आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़े हुए हैं । उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मां-बाप के पास पैसे नहीं है । उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है । जब पेट भरने

(श्री गुल मोहम्मद)

के लिए रोटी नहीं है, तो बच्चों को कहां से पढ़ा सकते हैं। इसलिए मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों के लिए फ्री तालीम की व्यवस्था की जाय, शिक्षा विभाग द्वारा फ्री एजूकेशन दिलाई जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बच्चा सैकण्डरी पास करता है, उसके बाद हायर सैकण्डरी पास करता है और उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो यदि उसके मार्क्स कम होते हैं तो मार्क्स कम होने की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिलता है। मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थी स्वयं काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। उनके मां-बाप बच्चों को अपने धन्धे के काम में लगाते हैं। इस वजह से वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थियों के लिये रिजर्वेशन युनिवर्सिटीज और कॉलेजों में किया जावे, ताकि उसके अन्दर एडमिशन लेकर वे आगे पढ़ सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे पढ़ाई से वंचित रहे हैं और आगे भी रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कागजात मिले हैं, उसके अन्दर एक प्रगति-विवरणिका, शिक्षा विभाग, राजस्थान 1977-78 है। उसमें लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में उर्दू भाषा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जाती है। इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय, टोंक में भी उर्दू भाषा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय व आदर्श महिला विद्यालय, अजमेर में उर्दू एवं सिन्धी स्नातक स्तर तक पढ़ाई जाती है। राजकीय महाविद्यालय, कोटा एवं सीकर में उर्दू स्नातक स्तर पर पढ़ाई जाती है। विश्वविद्यालय, उदयपुर में उर्दू भाषा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जाती है। इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय कन्या मीरां महाविद्यालय, उदयपुर में उर्दू स्नातक स्तर तक पढ़ाई जाती है"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पढ़ाई है, यह युनिवर्सिटीज और कॉलेजों की पढ़ाई है। जब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी मकान की नींव कमजोर होगी, तो मजबूत मकान आप कैसे बना सकते हैं ? बड़े अफसोस की बात है कि आपने मजबूत नींव डाली नहीं और महल खड़ा करना चाहते हैं। उर्दू की एजूकेशन सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों तक ठीक ढंग से नहीं दी जाती है, स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं। उर्दू पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। अभी भी मोती कटला हायर सैकण्डरी स्कूल में बारह सौ विद्यार्थी हैं उर्दू पढ़ने वाले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,. ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अन्दर थर्ड लेंग्वेज उर्दू चलती है। इसके अन्दर 24 सैक्शन हैं जिसमें एक सीनियर टीचर उर्दू का है। 24 सैक्शन हैं और नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं क्लासेज के लिए सिर्फ एक सीनियर टीचर है। नवीं और दसवीं क्लासेज सैकिण्ड ग्रेड टीचर पढ़ाता है, जबकि सैकिण्ड ग्रेड का टीचर नहीं है। एक सीनियर टीचर ही सभी क्लासों को

(श्री गुल मोहम्मद)

किस तरह पढ़ा पाएगा, समझ यह के बाहर है। इसी तरह से दरबार हायर सैकण्डरी स्कूल में 18 विद्यार्थी हैं और एक थर्ड ग्रेड टीचर है उर्दू का। माणक चौक हायर सैकण्डरी स्कूल में भी एक थर्ड ग्रेड का टीचर है। इसी तरह से बाकी कई स्कूलों में कोई टीचर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी करें कि चौथा क्लास से लेकर ग्यारहवी क्लास तक के क्लासेज के लिये कितने टीचर हैं, तो आप देखेंगे कि टीचर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी थे, उन्होंने, मैं कहना चाहूंगा, उर्दू अकादमी की स्कीम को न मालूम किस कोल्ड स्टोरेज में बन्द करके रख दिया है, न मालूम किस कब्र में या तहखाने में बन्द करके रख दिया है। ताज्जुब की बात है तीस हजार रुपयों का बजट उर्दू विकास के लिए रखा गया था। 8-9 अक्टूबर को जब मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज की कान्फ्रेन्स जयपुर में हुई थी तब मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि उर्दू भाषा के विकास पर दो लाख से अधिक भी खर्च होगा तो मैं उससे भी ज्यादा खर्च करूंगा। वह दो लाख रुपया खर्च होना तो दूर रहा, तीस हजार रुपया जो पहले बजट में था, उसमें से एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां उर्दू के विकास की बात करते हैं, वहां एक पैसा भी उर्दू के लिये खर्च नहीं करना चाहते, यह बड़ी अफसोसनाक और खेदजनक बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो नए शिक्षा मंत्रीजी आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि उर्दू अकादमी को भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने जिस कोल्ड स्टोरेज में बन्द कर रखा है, उससे निकालने की कोशिश कीजिए। अब इस साल में केवल दस दिन का समय रह गया है। दस दिन के अन्दर क्या खर्च हो सकता है। इस तरह से उर्दू के साथ भेदभाव किया तो किस तरह से···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

काम चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अल्पसंख्यकों का मसला है, उर्दू भाषा का मसला है और फिर उर्दू भाषा हिन्दुस्तान की जुबान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इन्टरव्यू लिए गए, साक्षात्कार लिए गए उर्दू टीचर्स के अपाइन्टमेंट के लिए, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं, जबकि स्कूलों में कई जगह अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। इस तरह की जो प्राब्लम्स हैं उनको हल किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि फिजिकल एजूकेशन के लिए जरूर महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। पंजाब के अन्दर तो फिजिकल एजूकेशन का अलग से विभाग भी है, लेकिन हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर फिजिकल एजूकेशन के लिए कोई अच्छी तरह से व्यवस्था करें। यहां फिजिकल एजूकेशन के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर फिजिकल एजूकेशन की अच्छी व्यवस्था हो जाय तो जो विद्यार्थी स्कूल से निकलेंगे वह अपने स्वस्थ्य को सही ध्यान व सही ढंग से रखते हुए निकलेंगे और व स्वस्थ होंगे और आगे भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से रहना चाहिए। इससे यह फायदा भी मिलेगा कि जो बीमारियां होती हैं वह कम होंगी।

(समय-समप्ति-सूचक घण्टी)

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और शिक्षा का तकनीकी आधार बनाया जाए, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके।

इसी प्रकार प्राइमरी, मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार इतना ज्यादा है कि न बच्चे पूरा अध्ययन कर पाते हैं, न वे अपने स्वास्थ्य का विकास कर पाते हैं और न मानसिक विकास कर पाते हैं। अतः इन बच्चों पर पुस्तकों का भार कम किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार प्राइमरी से ही देशभक्ति की शिक्षा दी जाए जिससे कि बालक नौजवान होकर देश के लिए अच्छा नागरिक बन सके।

अल्पसंख्यक इस देश में हैं, उसी प्रकार सिन्धी लोग भी अत्यधिक संख्या में हैं। इसलिए उनकी भाषा को मान्य घोषित किया जाना चाहिए।

विद्यार्थी के सामने समस्या तब होती है जब वह पास होकर अगली कक्षा में एडमिशन के लिए जाता है और उससे जाति प्रमाण-पत्र मांगा जाता है। हर वर्ष चूंकि जाति नहीं बदलती है, इसलिए जाति प्रमाण-पत्र की हर वर्ष आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जाति का प्रमाण-पत्र केवल एक बार लिया जाए ताकि विद्यार्थी को कोई दिक्कत न हो। विद्यार्थी जब आगे की कक्षा में एडमिशन लेने जाता है, तो मार्क्स-शीट की ट्रू कापी मांगी जाती है और ट्रू कापी के लिए उसे गजेटेड आफिसर के पीछे, कलेक्टरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनके पीछे-पीछे उसे घूमना पड़ता है। उनके पीछे घूमना न पड़े, उस गजेटेड आफिसर के चक्कर न लगाने पड़ें और समस्या का समाधान हो, इसके लिये आवश्यक है कि उसे मार्क्स-शीट की तीन-चार कापी दे दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं हर साल आगे सरकाई जाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पूरे वर्ष का एक कैलेन्डर पहले घोषित कर दिया जाए, ताकि परीक्षा प्रारंभ होने का विद्यार्थी को पता रहे कि मेरे को कब-कब परीक्षा देनी है और साल भर के कार्यक्रम की उसको जानकारी हो।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज किस प्रकार की अव्यवस्था हो गई है। आज उसका सारा ढांचा चरमरा रहा है। इसलिए कोटा, अजमेर, बीकानेर में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं, ताकि वहां की जो दिक्कतें हैं वह दूर हों और वहां के विद्यार्थियों को इधर उधर जाना पड़ता है, उस समस्या का समाधान हो। इन विश्वविद्यालयों के साथ वहां के जितने भी कालेजेज़ हैं, उनको एफिलिएट कर दिया जाय और राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए।

राजस्थान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है। यहां का जो अध्ययन संस्थान है, पत्राचार संस्थान है, वह एक तरह से दुकानदारी बन गई है। विद्यार्थी को जितना पैसा खर्च करना पड़ता है उससे तो वह रेगुलर स्टूडेन्ट रह कर अध्ययन प्राप्त कर सकता है। यह जो पत्राचार सिस्टम है, यह एक दुकानदारी बन गई है। इसलिए

Page No 102

(102)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

इसको समाप्त किया जाना चाहिए । इसी प्रकार पर्यटन एवं होटल प्रबन्ध के विषय पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए । पत्राचार द्वारा भी इनको पढ़ाया जाना चाहिए । इनको बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से यह विषय कालेजों में खोले जाने चाहिएं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल की बैठक कोटा में हुई थी तब यह घोषणा की गई थी कि कोटा में मेडिकल कॉलज खोला जाएगा । मेडिकल कॉलेज वहां पर शीघ्र से शीघ्र खोला जाना चाहिए ।

इसी प्रकार बूंदी में कृषि विद्यालय खोला जाना चाहिए । बूंदी नगर की जो समस्याएं हैं, वह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं । बूंदी नगर में हायर सैकण्डरी स्कूल है, उसमें लड़कों की दो शिफ्टें चलती हैं । विद्यार्थियों को नीचे बैठना पड़ता है। भवन की कमी है। इसलिए भवन में जो कमी है, उसको दूर किया जाए। इसी प्रकार बूंदी नगर में लड़कियों का जो हायर सैकण्डरी स्कूल है, उसमें भी तीन शिफ्टें चलती हैं । लड़कियों के बैठने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है । बरसात होने पर छुट्टी कर दी जाती है । इसलिए इस भवन को पूरा करवाया जाए ताकि बच्चियों के पढ़ने और बैठने का स्थान पूरा हो सके। इसी प्रकार नाहरो के चौखटे में एक सैकण्डरी स्कूल बना हुआ है। वहां पर भी विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था न होने से अव्यवस्था हो रही है। एक तरह से पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए वहां पर एक भवन और बनाया जाना चाहिए । नगरपालिका टैक्स वसूल करती है। नगरपालिका इन टैक्सों के माध्यम से जो पैसा वसूल करती है, उस पैसे से ऐसे स्कूल के भवन जो टूटे हुए हैं या अधूरे हैं उनको पूरा किया जाय तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, वह दूर हो जाएंगी और नगरपालिका के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, वह काम में आएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों से एडमिशन के समय विकास फी, डवलपमेन्ट फी ली जाती है । इसलिए इस पैसे से जो भवन अधूरे पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनको पूरा करवाया जाए तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी । मेरे क्षेत्र में नमाना, डाबी, बरूधण, सुवासा, तालेड़ा गांवों में स्कूल हैं। इन स्कूलों के भवनों में बैठने को जगह नहीं है जहां कि विद्यार्थी ठीक ढंग से बैठ कर पढ़ सकें। बहुत से भवन तो ऐसे हैं जो कि पता नहीं कब गिर जायें। इसलिए इनको शीघ्र से शीघ्र ठीक करवाया जाए ।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बूंदी शैली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । यह बूंदी शैली राजस्थान ही नहीं, अपितु सारे हिन्दुस्तान में अपना महत्व का स्थान रखती है । इसलिए इस बूंदी शैली को आगे बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए एक केन्द्र वहां पर खोला जाना अत्यावश्यक है। इससे बूंदी शैली का विकास होगा और सारे हिन्दुस्तान में अपना प्रमुख स्थान रखेगी । इसी प्रकार बूंदी में चित्रकला विषय खोलने के बारे में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने वायदा किया था कि अगले साल एम. ए. में चित्रकला का विषय खोल दिया जाएगा। यह आश्वासन शीघ्र से शीघ्र पूरा करना और इस वर्ष एम. ए., एल-एल. बी. की कक्षाएं भी वहां पर खोली जाना अत्यन्त आवश्यक है । बूंदी में शैली संग्रहालय की स्थापना की जानी भी अत्यन्त आवश्यक है।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

इसके साथ-साथ जो अध्यापकों की कमी है, जहां पर स्कूल खोल दिये गए हैं और अध्यापक नहीं है, वहां पर अध्यापक नियुक्त किए जाएं। अध्यापक जाते हैं, उनका रजिस्टर में नाम होता है कि अध्यापक आए हैं किन्तु वे ठीक समय पर नहीं मिलते। मेरे क्षेत्र के अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं, जो अध्यापक वहां पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं, वे खानों पर काम करते हैं। ठेकेदार के यहां पर नौकरी करते हैं। स्कूल से पैसा लेते हैं, किन्तु पढ़ाते नहीं है, विद्यार्थियों को धोखा देते हैं और समाज के साथ धोखा करते हैं, वे खानों पर जाकर काम करते हैं। इस प्रकार अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं। मैंने इसकी शिकायत की है, परन्तु उस शिकायत का अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो स्कूल भवन अधूरे पड़े हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने पिछले अधिवेशन में निवेदन किया था। चौगान गेट के स्कूल भवन की इस प्रकार की हालत है कि वह कब धराशायी हो जाए, यह पता नहीं। ईश्वर न करे भवन के धराशायी होने से विद्यार्थियों को मौत के घाट उतरना पड़े। मैं बार-बार इस बारे में निवेदन कर चुका हूं कि इसको शीघ्र से शीघ्र ठीक किया जाए। तुरन्त ठीक नहीं किया गया, तो भवन कभी भी नीचे गिर सकता है। जो स्कूल भवन हैं, वे टूटे हुए हैं और वहां पर विद्यार्थियों के बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है। इस तरह विद्यार्थी स्कूल जाते हैं तो वहां बैठने की जगह नहीं है। अतः इन सब कमियों को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही जो सुझाव, मान्यवर, आपकी मार्फत मैंने यहां दिए हैं, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जब अपना अन्तिम बजट तैयार करेंगे तो वे इन सुझावों का ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जनता पार्टी सरकार ने शिक्षा पर राजस्थान में पहले से बहुत अधिक खर्च किया है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं खोला गया है। वहां हाई स्कूल की आवश्यकता है, वह ऐसी जगह है जहां बिल्डिंग्स हैं, हर प्रकार के अध्यापकों के आवास का प्रबन्ध है, फिर भी उसको नजरअंदाज किया गया है। इसलिए आगे आने वाले टाइम के लिए मैं मंत्री महोदय को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति कोटपूतली को इस वर्ष पिछले वर्ष की तरह न भूलें।

साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट के टाइम से वहां पर एस.टी.सी. स्कूल है। साथ ही वहां पर 100 बीघा कच्चा एग्रीकल्चर फार्म है, एक कुआ है, ट्यूबवेल है। लाखों रुपयों का भवन है, लेकिन हमारे देश के आजाद होने के बाद जो तरक्की होनी चाहिए थी कोटपूतली में, वह न होकर के एस.टी.सी. स्कूल को भी वहां से हटा लिया गया। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि वहां पर एस.टी.सी. स्कूल हो, किन्तु अगर कुछ न कर सकें, तो वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल है, मावटा में जमीन उपलब्ध है, लाखों रुपयों का भवन है, इसलिये एडीशनल सब्जेक्ट कृषि का उस स्कूल में चालू कर दें। इसमें आपका अधिक खर्चा न होगा। एक स्नातक की आपको जरूरत पड़ेगी।

(श्री रामकरण सिंह)
उधर एक कृषि स्नातक काम पर लगेगा, ग्रार एक अच्छेाट कृषि का खोलना पड़ेगा, जिसके लिए ग्राप योजना बना रहे हैं, वह कामयाब हो जाएगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राप इसका ध्यान रखें ।

दूसरी चीज आप चाहते हैं, पढ़ाई का स्टेण्डर्ड बढ़े । आप यदि वास्तव में शिक्षा का स्टेण्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा यह सुझाव है कि जिस तरह से शहरों में शिक्षा पर ध्यान दे रहे है, बच्चों के लिए बसें आदि चलाते है उसी तरह आप 80 प्रतिशत आबादी के लिए भी ध्यान दें । आप उनको उत्साहित करें । उनका मनोबल ऊंचा उठायें । उनके मनोबल को ऊंचा नहीं करेंगे, उनकी आत्मा को उत्साहित नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है । इसी तरह से बच्चों पर आप कितना ही पैसा खर्च कर दें, लेकिन जब तक उनका मनोबल ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है । आपको गांवों में प्राइमरी एजुकेशन के लिए गंभीर रूप से सोच कर, ठोस कदम उठाने चाहियें ।

इसके अलावा एक मेरा सुझाव ग्रौर है, आपको भले ही उसके नाम से घृणा हो । हिजड़ों की शिक्षा के लिए आपने कोई बात नहीं कही है । उनको शिक्षित कीजिए, हिजड़ों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन माननीय सदस्य उनकी हंसी उड़ा रहे हैं । यह तो उचित नहीं है । कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सही है । वास्तव में हिजड़ों को शिक्षित करने की गम्भीर समस्या है । इसके समाधान की जरूरत है ।

श्री रामकरण सिंह : इसके बारे में भार्गव साहब काफी समझते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो उनका अध्यक्ष हूं ।

श्री रामकरण सिंह : इस बदले हुए टाइम में उनके बारे में सोचना जरूरी है ।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : यह बहुत आवश्यक बात है । उनका रोजगार मारा गया है । उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । जिस काम में वह माहिर हों, वह काम उनसे कराने की व्यवस्था की जाय उन्हें पैसा दें ।

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह यहां आकर मांग करेंगे । प्रदर्शन करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : मजा आ जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप उनकी अगुआई करेंगे ।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : जयपुर में उनकी सात बस्तियां हैं । उनकी समस्या बराबर मेरे सामने आई है । मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हिजड़ा शब्द मैंने कहा है, इसको मेरे भाषण में नहीं रखें ।

(श्री रामकरण सिंह)

मैं निवेदन करूंगा कि आप एजूकेशन में स्थिरता लाना चाहते हैं, तो गांवों में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे गांवों में लोगों को लाभ हो। आज भी गांवों में यह स्थिति है कि दूध को बेचना पूत को बेचना समझते हैं। इसी तरह से मकान को किराये देना बहुत बुरी बात समझते थे। इसलिए आप शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की करायें जिससे कि गांवों में उसका लाभ लिया जा सके। अध्यापकों की सुविधा के लिए मकान का एक-एक कमरे का क्वार्टर दे दीजिए। इसके लिए आप प्रेक्टिकल योजना बनायें। जो टीचर हैं उनका गांवों में कटु अनुभव रहा है। आज स्थिति यह है कि एक सिपाही की कदर होती है किन्तु एक शिक्षक की नहीं होती है। लेकिन शिक्षक अधिक बलवान है। जब उसको अपना बल याद आ जाता है, तो बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं। आप उनको उनका बल याद मत आने दीजिए। उनको भुलावे में रखें। उनको समुचित सुविधाएं दें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी टाइम ले लिया है। हमारी पंचायत समिति में हाई स्कूल खुला ही नहीं है। जो स्कूल खोल दिये गये हैं, उनको निरीक्षक महोदय एक महीने में देख लिया करें। कई बार तो वह यह करते हैं कि हैड क्वार्टर पर रजिस्टर मंगा लेंगे और उसके खानों को वहीं भर लेंगे। खाना पूर्ति वहीं कर लेंगे। यह ठीक नहीं है। शिक्षा के अधिकारियों को वहां जाना चाहिए।

(2.07 म. प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो समझ रहा था, आप बैठ रहे हैं, इसलिए घण्टी बजाई है।

हमारे यहां कई गांवों में महिला अध्यापिकाएं ही नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि वहां पर महिलाओं की पोस्टिंग की जाये। इस प्रकार से शिक्षा दी जाये कि पढ़ कर लड़के आवारा नहीं बनें। उनको उपयोगी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये। जो भवन वहां पर पड़ा है, उसका उपयोग किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय सभापति जी, शिक्षा के बारे में विचार हो रहा है। शिक्षा देश का प्राण है जिस प्रकार की शिक्षा आज दी जा रही है उसी प्रकार की अव्यवस्था आज हमको देखने को मिल रही है। आज जो नजारा बेरोजगारी का हमको दिखाई देता है, जो अनुशासनहीनता दिखाई देती है वह शिक्षा का ही प्रभाव है। देश में आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति होनी चाहिए थी, शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार शिक्षा में परिवर्तन करे और नयी शिक्षा शुरू करे। जिस प्रकार राजस्थान में अन्त्योदय योजना प्रदेश से चला कर गरीबी मिटाने का कदम उठाया है, उसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाकर, प्रदेश को दिशा दें।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जिस ढंग की शिक्षा की जरूरत है, उसी ढंग से शिक्षा दी जाय।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की शिक्षा-व्यवस्था चल रही है उसके परिणाम हमें गत तीस सालों से भुगतने पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा के अन्दर उस ढंग की शिक्षा का समावेश किया जाय, उस ढंग की पढ़ाई की जाय, जिससे हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सुधार ला सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, उस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली का इसमें समावेश किया जाय।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी को नये स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। नये स्कूलों की आज देश को जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आज जो विद्यालय चल रहे हैं, शिक्षा-संस्थायें चल रही हैं उनकी उचित व्यवस्था हो। गत 30 सालों के अन्दर जो शिक्षा चल रही थी, जो व्यवस्था चल रही थी, वह दोषपूर्ण थी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो अध्यापक हैं वे पंचायत समितियों के या सरकार के नौकर मात्र हैं। एक अध्यापक के हाथ में हम अपने बच्चों का जीवन देते हैं। उनके हाथ में बच्चों का जीवन देने के बाद यह देखें कि वह उनका कहां तक ध्यान रखते हैं। एक तरफ सरपंच चाहता है, उसकी सेवा में अध्यापक खड़ा रहे, दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य अध्यापक के हाथ में रहता है। यह कैसी विडम्बना है। इसमें सख्ती की आवश्यकता है।

हमारी शिक्षा कैसी हो इसके बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा के अन्दर श्रम की शिक्षा दी जाय। देश का दुर्भाग्य है कि आज पढ़ा-लिखा आदमी हाथ से काम नहीं करना चाहता है। चाहे वह आठवीं तक पढ़ा हुआ हो, या मेट्रिक तक पढ़ा हुआ हो, वह मजदूरी नहीं करना चाहता है। वह शहर में जाना चाहता है और नौकरी करना चाहता है। उसको श्रम से घृणा होती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में इसकी शुरुआत करें कि डिग्री कालेज में कम से कम दो घन्टे की शिक्षा, श्रम की शिक्षा रखी जाय। मैं यहां तक मांग करूंगा कि जो डिग्री कालेज में श्रम के कार्यक्रम में पास होता है, उसको ही डिग्री दी जाय। आज हम देखते हैं कि विदेशों से कितने ही पूंजीपति और अधिकारी आते हैं, वह अपने सामान की सारी व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके विपरीत हमारे पढ़े-लिखे विद्यार्थी शहरों में जाते हैं तो उन्हें कुली की जरूरत पड़ती है। अमेरिका और ब्रिटेन के अन्दर होटल में काम करने वाले या दूसरे काम करने वाले लोगों की कीमत देश के उच्च अधिकारी, राष्ट्र के नेता की कीमत के बराबर होती है। जिस प्रकार वहां पर श्रम की कीमत आंकी जाती है, उसी प्रकार से श्रम की कीमत हमारे देश में होनी चाहिए ताकि जो हमारे गांव के लोग शहरों में जाने को तत्पर रहते हैं वह प्रक्रिया समाप्त हो।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा के अन्दर राष्ट्रीयता का समावेश हो। आज जिस ढंग की शिक्षा

Page No 107

(107)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
दी जा रही है वह राष्ट्र के निर्माण कार्य में नहीं आती है। एक स्वतन्त्र देश के नागरिक का देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसकी उसको शिक्षा नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा राष्ट्रीयता की होनी चाहिये। एक नौजवान जो स्कूल जाता है उसको एक घंटा केवल राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाय, तो कोई कारण नहीं है कि आज का बच्चा कल एक नागरिक के रूप में समर्पण की जिन्दगी लेकर न आये। इसके लिये देश के अन्दर किसी प्रकार का अभियान चलाने की जरूरत नहीं रहेगी, चरित्र-निर्माण की जरूरत नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में इस बात का समावेश हो।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि देश के अन्दर जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें मेरा सुझाव है कि जहां कहीं भी प्राइमरी, स्कूल मिडिल स्कूल हैं वहां पर कम्पलसरी प्रौढ़ शिक्षा की बात रखी जाय, तो उसमें धन कम लगेगा और लाभ अधिक होगा। गत 30 सालों से कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की, कि शिक्षा में जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो।

इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन है कि पंचायत समितियों के अन्दर शिक्षा कर लगता है। मेरे जिले के अन्दर मांडल में एक एक गांव के अन्दर प्रति व्यक्ति 2 रुपये शिक्षा कर लग रहा है। वह पैसा स्कूलों पर खर्च नहीं कर रहे हैं। केवल प्राइमरी स्कूलों पर पैसा खर्च होता है और मिडिल स्कूलों पर पैसा खर्च नहीं होता है। ग्रामों का पैसा पंचायत समिति मांडल में बेकार पड़ा हुआ है। वहां पर पंचायतों का 10 हजार रुपया पड़ा हुआ है। वह उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माण्डलगढ़ पंचायत समिति में ऐसे कई मिडिल स्कूल हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है। कांग्रेस सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की, वह पैसा पंचायत समिति, माण्डल में बेकार पड़ा है। मेरा निवेदन है कि मिडिल स्कूल की उपेक्षा करने की रोक हटे।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चहता हूं कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को संरक्षण दिया जाय। वहां के आध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की जायं।

माण्डल में आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित बाल विद्यालय है वह पैसे के अभाव से पीड़ित है। उस स्कूल को अधिक ग्रान्ट दी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में कई ऐसे मामले हैं जो पड़े हुए हैं, 10-10, 15-15 सालों से, एक मामला जैसे कन्हैया लाल पटवारी का है जो भीलवाड़ा इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल में काम करता था, उसको 1955 में क्लर्क बना दिया गया। उसको आज तक राहत नहीं मिली। कांग्रेस के राज्य में राहत नहीं मिलो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों का निपटारा हो ताकि लोगों को राहत मिले।

Page No 108

(108)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सैनिक स्कूल चित्तौड़ में है, उसको पहले सरकार ने 50 हजार की ग्राण्ट स्वीकृत की थी। ऐसे स्कूल राजस्थान में तो क्या हिन्दुस्तान भर में 3-4 जगहों पर हैं, इसलिये उसको एक लाख की ग्राण्ट दें, ताकि हमारे समाज और देश को लाभ मिले।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आमेर में हाथियों का ठेका दिया जाता है। वह प्राइवेट काम है, और किसी का उस पर कन्ट्रोल नहीं है। विदेशी लोगों को हाथी पर सवार कर ले जाते हैं। इसके लिए वे 50 रुपया फीस के जमा करा देते हैं, लेकिन महावत उन्हें नीचे उतारते वक्त, उनसे 20, 25 रुपये मांगता है। जब तक वह नहीं देते हैं तब तक वह उन्हें नीचे नहीं उतारता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी 8 दिन पहले एक बाहर से टीम आई थी, तो मैंने देखा कि उनके आदमियों को नीचे नहीं उतारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुरानी पद्धति समाप्त हो और महावतों की सीधी नियुक्ति हो, तो व्यवस्था में सुधार होगा।

जल्दी में मैं यही बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुनन्दन व्यास!

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापति महोदय, शिक्षा का आज जो विषय है, यह बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मुझे बहुत कम समय मिला है और मुझे अपने 9 पॉइंट्स पर बोलना है, इसलिए थोड़ा अधिक समय ले लूं, तो क्षमा करें।

सबसे पहले मैं गांवों के प्रश्न पर चलूं। गांवों में शिक्षा पंचायत समितियों के पास है। आज जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अन्दर राजस्थान में शहरों के लिए जिस व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उस व्यवस्था के अनुसार गांवों में नहीं होती है। गांवों में कक्षा की संख्या के आधार पर अध्यापक नियुक्त नहीं किये जाते हैं। वहां तो लड़के और लड़कियों की संख्या के आधार पर अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं। मान लें कि कक्षा एक है तो एक अध्यापक और 5 कक्षाएं हैं तो भी एक अध्यापक। मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति के माध्यम से जो शिक्षा गांवों में दी जाती है उसके बारे में ठीक ढंग से विचार कर न्याय होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि विलेजेज में एस. आई. लगा दिये हैं, विकास अधिकारी घूमते हैं, उसके बाद भी 5 पर्सेन्ट से अधिक टीचर्स गांवों में नहीं रहते हैं। वह मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। अभी एक घटना हुई थी कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल स्कूल देखने गये तो एक गांव में स्कूल बन्द और मास्टर गायब। वह गांव पंचायत समिति, जिला जालोर में है। विकास अधिकारी यह नहीं देखते कि कोई स्कूल खुलता है या नहीं खुलता है। पंचायत समिति के सरपंचों का जो चुनाव था उसमें विकास अधिकारी लगे हुए थे। तो आज पंचायत समितियों के अन्दर जो शिक्षा है, वह देश और राजस्थान में शिक्षा प्रणाली का पुरजोर रूप में विरोध करने वाली वस्तु बन कर रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि गांवों की शिक्षण संस्थाओं को पंचायत

(श्री रघुनन्दन व्यास)

समितियों से लेकर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित कर देना चाहिए। दूसरे जो जिला पुस्तकालय हैं, उनके लिए एक हजार रुपये का वार्षिक बजट आपने रखा है। आप विचार करें कि एक वर्ष में हम जिला पुस्तकालय को कितनी पुस्तकें दे सकते हैं ? कितने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र व पत्रिका दे सकते हैं। राज्य से निकलने वाले कुछ अखबार वाले शिक्षा आयुक्त महोदय या शिक्षा संचालक महोदय के दफ्तर से पैसा लेकर अखबार वहां भेज देते हैं। होना यह चाहिए कि जिला पुस्तकालय में वही मासिक व दैनिक जायं जो उस जिले की स्थिति पर भी प्रकाश डालें। वहां जो समिति नियुक्त है वह विचार करे इसलिए जिला पुस्तकालयों को उपयोगी बनाने के लिए विचार करें।

राजस्थान में पिछले दिनों मथुरादास शर्मा, जो शिक्षा निदेशक थे, के जाने के बाद जो शिक्षा निदेशक आए, उन्होंने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से संस्कृत का नाश किया। उनके द्वारा संस्कृत को मिटाया जा रहा है। जहां संस्कृत मिटती है वहां संस्कृति मिटती है। इसलिए कम से कम हर जिले में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की जाए। जालोर व सिरोही में अगर शिक्षा विभाग पहल करता है तो दोनों ही स्थानों पर मैं भवन देने को तैयार हूं। जो अध्यापक जायेंगे उनके रहने के लिए भवन बनाने को भी मैं तैयार हूं। तो इस पर थोड़ासा विचार करें।

इतना ही नहीं सिरोही में कॉलेज है। नीचे की कक्षाओं हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूलों में संस्कृत विषय है लेकिन सिरोही के कालेज में संस्कृत विषय नहीं है। पिछली बार जब डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि समय पर हमें बताइए। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले सत्र से सिरोही के कॉलेज में संस्कृत विषय की स्थापना की जाए।

हम राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थानी हमारी भाषा है, पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि राजस्थानी की बेटी गुजराती विकसित हो गई, लेकिन राजस्थानी मृत रूप में है। ठीक है आप चारण और भाट के गीत रेडियो पर लाये, लेकिन जो राजस्थानी का लोक साहित्य है उस ओर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान साहित्य अकादमी ने दो-तीन पुरस्कारों की बात कह दी। माघ की जन्मभूमि जालोर जिले के भीनमाल नगर में है और भीनमाल के लोगों को मालूम नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आप राजस्थानी में बोलें।

श्री सभापति : No intervention.

श्री रघुनन्दन व्यास : इसलिए राजस्थानी भाषा के विकास के लिए प्रयत्न करें। इसके लिए राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान कला अकादमी, अभिलेखागार, प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान साहित्य अकादमी इन पांचों के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन लाना होगा। अभी तक जिन चहेतों को वहां बिठा रखा है उनको हटाकर जो जिस विषय में योग्यता रखते हों उनको बिठाया जाना चाहिए।

राजस्थान की खेल-कूद परिषद् एक तमाशा बनी हुई है। पिछले 10 वर्षों में जब कैम्प लगता था तब हम जाते थे। शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि कम से कम उसके ढांचे को पूरी तरह से बदलें। उसमें हर जिले के

(श्री रघुनन्दन व्यास)
एक व्यक्ति को जोड़ा जाये ताकि उसके साथ न्याय हो और उसका रूप बदले।

विश्वविद्यालयों के बारे में निवेदन है कि सारे देश में विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब है, राजस्थान की भी खराब है। विश्वविद्यालयों की स्थिति को सुधारने का एक उपचार है श्रद्धा विश्वास रूपेण यह कुलपति का रूप बने। जो कुलपति शब्द है उसमें जाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। आप कुलपति के असली रूप को लाने का प्रयत्न करें। सारी स्थिति विश्वविद्यालयों की बदलें, अनुशासन व आदर्श का वातावरण पैदा करें। दुर्भाग्य की बात है कि जिले में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जिले के भूगोल को नहीं जानते जिसे जिले के बारे में जानकारी नहीं होती, उसको दुनिया की बात पढ़ाते हैं। हम नीचे से उन्हें जानकारी देकर जमीन पर चलना सिखायें।

आशा है इन बातों की ओर शिक्षा विभाग ध्यान देगा।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापति महोदय, तालीम के बारे में हमने क्या तरक्की की ? मैं सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करूं ....

कुछ माननीय सदस्य : आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री अब्दुल अजीज : मेरी अर्ज यह है कि तालीम इन्सान की जिंदगी में रोशनी लाती है और इन्सान को पेट भरने में मदद करती है। वह अपना पेट ही नहीं भरता बल्कि समाज के दूसरे लोगों का पेट भी भरता है। जितने भी साइंस के लोग हैं जिन्होंने भी इंसान की जिन्दगी संवारने के बारे में कोशिश की है वे सब के सब इस बात के लिए शुक्रिया के मोहताज है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने साइंस के जरिए इन्सान की जिन्दगी संवारी।

मैं इस बात का हामी हूं कि हमारे देश में जुबान एक होनी चाहिए जिसके जरिए से हम अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी याद रखना होगा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मजहबों का अलग-अलग कल्चर है, तहजीब है। उनको जिंदा रखने के लिए उनकी जुबानों को भी ध्यान में रखना होगा। राजस्थान में भी हर जुबान बोली जाती है, गंगानगर में गुरुमुखी जुबान है उर्दू जुबान है, और हिंदी का तो सवाल ही क्या है, वह हमारे देश की जुबान है। इसको आगे बढ़ाने में किसी को एतराज नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ जो जुबान हुकमरान की थी, वह इतनी पीछे चली गई कि उसके साथ में कल्चर भी पीछे चला गया। उर्दू के बारे में यहां जिक्र किया गया। जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो मुख्य मंत्री ने कहा था कि उर्दू जुबान के लिए 70 हजार रुपए खर्च करना तो क्या और भी बहुत कुछ करेंगे। इसी तरह से जयपुर के एक विशाल मजमे में उन्होंने कहा था कि दो लाख तो क्या इससे भी ज्यादा खर्चा करेंगे। ये सब बातें सियासी लोगों की है। जनता पार्टी ने चुनाव से पहले यह कहा था। मैं इल्जाम लगाता हूं बहुत सोच समझ कर कि उन्होंने उर्दू बोलने वालों का दिल जीतने के लिए, चुनाव की कामयाबी के लिए कह दिया कि उर्दू की तरक्की करेंगे। यह फ्राड था चुनाव जीतने का, उनको धोखे में डालना था। इसका यह सबूत है कि इसके

(श्री अब्दुल अजीज)

लिए एक पैसा भी खर्च सरकार ने नहीं किया। यदि शिक्षा मंत्री के दिल में सच्चाई है तो एडहॉक ग्रान्ट-इन-एड दी जाने वाली है उसमें एडेड प्राइवेट संस्थाओं में, जहां उर्दू पढ़ाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा एड दी जाए तो मैं समझूंगा कि आपकी नीयत साफ है वरना सियासी लीडरों का तमाशा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वजीरे तालीम को यह गुजारिश करना चाहूंगा कि आज जो सिनेमा घर चल रहे हैं, आप यह पाबन्दी फिल्मों के मैनेजर्स और एग्जीबीटर्स पर लगायें कि वह लोग 13 साल से नीचे की उम्र के किसी भी बच्चे को सिनेमाघर में छुट्टी के रोज के अलावा किसी रोज नहीं आने देंगे। 13 साल की उम्र के नीचे वाले बच्चों को छुट्टी के दिन के अलावा किसी दिन कोई भी टिकट नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर वह लोग अपने माता पिता के साथ कभी सैर, तफरी में सिनेमा देखने जावें तो बात अलग है वरना आप बिल्कुल मुमानियत कर दें कि जो पिक्चर हॉल के मैनेजर है या फिल्मों के एग्जीबीटर्स हैं वह कम से कम तेरह साल के बच्चों को छुट्टी के दिन के अलावा कभी भी टिकट नहीं देवें सिनेमा देखने के लिये। अगर वह टिकट देते हैं तो उनके खिलाफ में दोषी पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी। इन सिनेमाओं का, सभापति महोदय, बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये वजीरे तालीम को यह गुजारिश करूंगा कि वह इस सदन में एक बिल ऐसा लायें कि 13 साल की उम्र के बच्चों को छुट्टी के दिन के अलावा किसी दिन सिनेमा देखने नहीं दिया जाय। अगर सिनेमाघर के मैनेजर और एग्जीबीटर्स इसके दोषी पाये जायेंगे तो उनको सजा दी जायेगी। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को होगा? बच्चे तालीम में काफी रुचि लेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ समय दें तो कुछ और सुझाव आपको दूं।

एक तो मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा कि आज स्कूलों में सीखो और कमाओ योजना चल रही है। आप उन एरियाज में, जहां पर मिनरल्स की माइन्स हैं, काश्तकारों के बच्चों को उन एरियाज के अन्दर पाई जाने वाली मिनरल्स की तालीम दें। हमारे यहां पर एक बहुत पुरानी कहावत है कि हुनर कस, बेहुनर खर। इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें इसकी पर्याप्त तालीम दें। अगर आप उन लोगों को तालीम कोई स्पेशल देंगे तो एक नयी फिजा हमारे यहां बनेगी। नहीं तो आज यह लोग बेचारे अनक्वालिफाइड हैं यह ज्यादा इसमें तरक्की नहीं कर सकते हैं। तालीम याफ्ता लोग भी आज बेकार घूम रहे हैं इसलिये हमें इस ओर तवज्जह देनी चाहिये। आप स्कूलों में ऐसी तालीम दें जिससे इन्सान अपने आगे की जिन्दगी में कुछ अच्छी बातें सीखें। आप उनको राम के चरित्र के बारे में पढ़ायें, हजरत मोहम्मद साहब की जिन्दगी के बारे में बतायें, हजरत ईसा के बारे में बतायें, गुरु नानक के बारे मे पढ़ायें तो मैं निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि इससे आपके बच्चे आगे जाकर जरूर अपना नाम रोशन करेंगे। आज ऐसी तालीम नहीं दी जाती है और आदमी जब गुनाह कर लेता है तो उसे बताते हैं कि

(श्री अब्दुल अजीज)

इन गुनाहों के लिये यह सजा है। जैसा कि मैंने सुझाव दिया उन लोगों की जिन्दगी के बारे में अगर आप तालीम देंगे तो पहले ही उनका चरित्र ऐसा हो जायेगा कि वह गुनाह के इरादे ही नहीं करेंगे। हमारे बच्चों का करेक्टर अच्छा बने ऐसी तालीम दी जानी चाहिये। आज, सभापति महोदय, हमारे यहां पर साइन्स का तो ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तमाम बातों में हमारे बच्चों का स्टेण्डर्ड गिर रहा है।

मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ सुझाव मैं आपको और पेश करूंगा अगर आपकी इजाजत हो।

श्री सभापति : एक मिनट में।

श्री अब्दुल अजीज : मैं अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे मकराना में मारबल्स की माइन्स हैं। वहां पर दूसरी तालीम के साथ साथ अगर कोई मारबल के स्पेशलाइजेशन का डिप्लोमा कोर्स हायर सैकण्डरी स्कूल में खोल दें तो बच्चे एक नयी तालीम स्पेशलाइजेशन की लेकर मारबल के काम में ज्यादा होशियार हो जायेंगे और मारबल के काम में चार चान्द लग जायेंगे।

इसी के साथ साथ मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा। आप एक हाई स्कूल बुडसू में और खुलवा दें तो आपका हम शुक्रिया अर्ज करेंगे। इसके अलावा आपको एक गुजारिश और करनी है कि हमारे मकराना में कोई कालेज नहीं है। अगर आप वहां पर कालेज खोल दें तो मकराना के लोग पैसा इकट्ठा करके कालेज की बिल्डिंग भी बनाने को तैयार हैं। सभापति महोदय, आज जो कालेज है वह नागौर में है जो कि मकराना से सौ मील दूर है। अगर आप वहां पर कालेज खोल दें तो आपकी बहुत ही इनायत होगी। हमारे मकराना की जनता वहां पर बिल्डिंग आपको बना कर दे देगी।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया!

(अनुपस्थित)

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई) : सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांग पर बहस चल रही है। शिक्षा की मांग पर मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव आपके सामने पेश किये हैं। सभापति महोदय, शिक्षा के संबंध में मेरा यह निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिये कि शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ इन्सान को शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। आज विकसित मस्तिष्क के लोग, विद्वान और पढ़े-लिखे लोग राज्य के संचालन में भागीदार होते हैं। इसलिये आज हमारे समाज का एक वर्ग जो शहर में रहता है पढ़ा-लिखा होता है, वह सोचता है कि हम ही लोग चतुर बनें, हम ही लोग पढ़ें, जिससे कि हम लोग ही राज्य का संचालन करने में भागीदार बने, दूसरा न बन सके। आज ग्रामीण क्षेत्र में, सभापति महोदय, शिक्षा का प्रचार बहुत कम है। शिक्षा का प्रचार कम होने के कारण गांवों के लोग अधिक विकसित नहीं होते हैं, वह कमजोर होते हैं और इस कारण वह लोग राज्य की राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि गांवों के अन्दर शिक्षा की अवहेलना की जा रही है। और गांवों की उपेक्षा की जाती है।

(श्री विजयसिंह नवेरा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में अध्यापकों की कमी रही है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर करीब आठ हजार अध्यापकों की कमी है। यह अध्यापकों की कमी अगर समाप्त नहीं की गयी तो आगे आने वाले साल में और स्कूल खोलेंगे तो फिर आठ हजार की कमी बढ़कर 10-11 हजार से भी अधिक हो जायेगी। इसलिये मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों की जहां कमी है वहां पर पहले अध्यापकों को भेजें ताकि वहां पर स्कूलों में पढ़ाई हो सके। आज प्राइमरी स्कूल्स और दूसरे स्कूल्स की हालत खराब है। स्थिति यह है कि एक-एक प्राथमिक शाला में करीब 460 लड़के हैं और अध्यापकों की संख्या सिर्फ तीन ही है। आज ग्रामीण एरिया में शिक्षा की इस वजह से बहुत ही दुर्दशा है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को विशेष रूप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमी को आप किस प्रकार दूर करेंगे? यह तो मन्त्री महोदय की परीक्षा है कि वह किस प्रकार इस कमी को पूरा करेंगे। सभापति महोदय, यह कमी कोई आज नहीं है बल्कि निरन्तर दस सालों से ही बढ़ रही है, खास तौर से कांग्रेस के शासन काल में हमेशा यह होता था कि स्कूल खोल दिये जाते थे जनता को भुलावे में डालने के लिये पर उन स्कूलों में टीचर्स नहीं पहुंचते थे जिससे वहां पढ़ाई होती ही नहीं थी। इसलिये अध्यापकों की कमी को दूर किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात आपने कह कर आपका नुकसान कर दिया।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह नवेरा आप तो बोलिये।

श्री विजयसिंह नवेरा : अगर आप इस कमी को दूर नहीं करेंगे तो ग्रमीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिये पहले आप अध्यापकों की कमी को पूरा करें।

इसके अलावा आप यह भी देखें कि आज किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। यह भी आपके सोचने की बात है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप ग्रामीण शिक्षा की अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे, ग्रामों में शिक्षण संस्थाओं के भवनों के लिये अलग से पैसा नहीं रखेंगे, जब तक आपको यह अहसास नहीं होगा कि ग्रामीण शिक्षा के आधार पर ही समाज और देश का निर्माण हो सकता है तब तक न तो स्कूल सक्षम हो सकेंगे और न ही ग्रामीणों को अहसास हो सकेगा कि हम उन्नति कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब कमियों को दूर करना है जो गांवों की प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में विद्यमान हैं। आज हम देखते हैं कि ग्रामों में 40 प्रतिशत स्कूल भवन इस प्रकार के हैं कि न बरसात में, न गर्मी में और न ही शीतकाल में उनमें बैठा जा सकता है। भवनों की कमी को पूरा करने के साथ-साथ प्राइमरी शिक्षा को एक उपयोगी शिक्षा बनाना है जिसका गांव वालों से सीधा सम्बन्ध हो। पाठ्यक्रम में कृषि सम्बन्धी, बिजली सम्बन्धी और सामान्य और सामाजिक ज्ञान सम्बन्धी शिक्षा होनी

(श्री विजयसिंह नदेरा)

चाहिये । ग्राज जो पाठ्यक्रम ग्रौर प्राइमरी शिक्षा का ज्ञान है वह उनके लिये उतना उपयोगी नहीं रहा है । दैनिक जीवन में जिन चीजों से उनका सम्बन्ध है, उनका व्यावहारिक ज्ञान उनको उपलब्ध नहीं होता है। ग्रामीणवासी ग्रपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने से बिल्कुल वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे शहरों तक पहुंच ही नहीं सकते । ग्राज ग्रापका जनतन्त्र शहरों तक ही सीमित हो गया है । केवल बड़े-बड़े भवनों ग्रौर शिक्षालयों पर ही ग्रधिक ग्रापका खर्चा हो जाता है, ग्रौर ग्राम के स्कूलों ग्रौर विद्यार्थियों पर खर्च नहीं होता है । ग्राज हम देखते हैं कि शहरों के स्कूलों में कितनी स्वच्छता है, कितनी सफाई है । यदि हम दूसरी तरफ देखें, तो ग्रामीण स्कूल कोई भी ग्रादर्श स्कूल के रूप में नहीं मिलेगा । उनमें न तो सफाई है, न ही वे साधन हैं जो कि शहरी स्कूल में है । ग्रौर न ही ग्रापके पास ग्रामीण स्कूलों के लिये योजना है । ग्रामीण स्कूलों को ऊपर उठाने के लिये, भवनों को बनाने के लिये ग्रलग से सैल होना चाहिये, व्यवस्था होनी चाहिये । भ्रष्टाचार प्राथमिक शालाग्रों ग्रौर ग्रन्य शालाग्रों में फैला हुग्रा है उसको ग्राज कोई देखने वाला नहीं है । ग्राज कितना पैसा इन पर व्यय हो रहा है, ग्रौर उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको देखने की ग्रापकी कोई व्यवस्था नहीं है । स्कूलों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये, ग्रापको कोई योजना बनानी चाहिये । ग्रापको यह घोषित कर देना चाहिये कि ग्रामीण शिक्षा के लिये यह योजना तैयार की जा रही है, ग्रौर इतना पैसा ग्रामीण शिक्षा के लिये ग्रलग से खर्च होगा, ग्रौर भवन के लिये इतना ग्रलग से खर्च होगा । सदन को विश्वास में लेकर ग्रामीण शिक्षा की ग्रच्छी-सी योजना बना कर ग्राप इसका संचालन करें, इन्हीं शब्दों के साथ ग्रापको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, समाज में शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । जो शिक्षित समाज है, वह ग्राज देश में ग्रन्य समाज पर छाया हुग्रा है । ग्राज हम गांवों में देखते हैं कि शिक्षा की कमी के कारण जितना विकास ग्रामीण जनता का होना चाहिये, उतना विकास नहीं हुग्रा है । हिन्दुस्तान की ग्राजादी के पहले ग्रौर उसके बाद उन्हीं लोगों का ग्राज कन्ट्रोल ग्रौर प्रभुत्व रहा है, जो कि शिक्षित हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति हैं । सर्वोच्च चोटी के लोग जो ग्राज प्रशासन चलाने वाले हैं वे एक ही क्लास के हैं, ग्रौर वह क्लास है ग्रमीर, जिनके हाथ में धन है। शिक्षा को जिस रूप में ढालना चाहें उसी रूप में ढाल देते हैं । गरीब ग्रादमी, ग्रामीण ग्रादमी, भूखे ग्रौर नंगे ग्रादमी की बातें भले ही यहां सदन में कह दी जाय देश के ग्रखबारों में की जायं ग्रौर किसी स्थान पर की जायं, लेकिन उससे कोई पेट नहीं भरता, देश के उच्च समाज के तबके के बराबर ग्रामीण ग्रादमियों का स्तर ग्रा नहीं सकता । सभापति महोदय, समाज के उच्च कोटि के लोगों के बराबर ग्रामीण समाज को, ग्रामीण जनता को लाने का कोई तरीका यदि हो सकता है तो वह यह है कि पूरे देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय । ग्राज जिस संस्था के ग्रन्दर, जिस स्कूल के ग्रन्दर पैसा खर्च होता है, उसमें विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उसमें ग्रच्छे शिक्षक रखते हैं, उसमें पढ़ने की, खेलने की

(श्री रामसिंह विश्नोई)
और नाना प्रकार की उनको सुविधायें उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण जनता के बच्चे उन सबसे महरूम रहते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के आज भी उच्च कुर्सियों पर नहीं आ सकते। प्रशासनिक ढांचे में उनका स्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ रहता है।

इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जहां भी पधारें, आप इस बात को कहें कि यह देश और ग्रामीण जनता के हित में है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय, इससे दो राय नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि प्रशासन में और कहीं भी यदि उच्च पदों पर, उच्च नौकरियों में किसी को स्थान प्राप्त हो सकता है, तो उच्च शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही मिल सकता है, और उन्हीं के लड़कों को ये पद मिल सकते हैं जो लगातार देश के प्रशासन पर कब्जा किये हुए हैं। आपके पढ़ाये हुए बच्चे अधिक से अधिक छोटे-मोटे शिक्षक हो जायेंगे, या बाबू बन जायेंगे। ग्रामीण आदमी उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता है। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक देश में यह असमानता उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी और सही प्रजातन्त्र नहीं आ सकेगा।

एक गरीब आदमी का बच्चा उच्च स्कूल में पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ सकता है। जहां पर खेल-कूद की सुविधा हो, जहां पर नाना प्रकार की शिक्षा मिलती हो, उन शिक्षण संस्थाओं को मालूम है कि किस प्रकार से शिक्षण दिया जाय, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो, भौतिक विकास हो, बच्चों का वे पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। वे ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी शिक्षण संस्थाओं से निकले हुए विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत रहा। आई. ए. एस., आई. पी. एस. आदि उच्च पदों पर आसीन होने में। लेकिन इन सब बातों को ग्रामीण लोग समझते नहीं। तीस साल की आजादी के बाद, आज भी ग्रामीण जनता इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि हमें वे पद नसीब हो सकते हैं। 90 प्रतिशत ग्रामीण जनता इस लाभ से आज बिलकुल वंचित है।

ग्रामीण स्कूलों में यदि साइन्स का सब्जेक्ट खोल दिया, तो कामर्स का टीचर भेज दिया जाता है और कामर्स का विषय खोला, तो साइन्स का टीचर भेज दिया जाता है। यह मखौल ग्रामीण जनता के साथ होता रहा है। 30 साल में हजारों भाषण हो गये। जब तक आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, और जिन लोगों का देश में प्रभुत्व है, वह समाप्त नहीं होगा, तब तक ग्रामीण जनता का विकास संभव नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जहां भी जायं, राष्ट्रीयकरण की बात कहें ताकि जो गरीब आदमी हजारों साल से पिछड़ा हुआ है, आप तक पहुंच नहीं सकता, उच्च पद पर पहुंच नहीं सकता, उसको आगे लाया जा सके। इसका एक ही रास्ता है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। आई. ए. एस. आफिसर्स के बच्चे जब तक गांव के बच्चों के साथ मिलकर धूल में नहीं खेलेंगे, तब तक सरकार से अपेक्षा करना कि ग्रामीणों के बच्चे भी उच्च पद पर आवेंगे, संभव नहीं है, चाहे आप मंत्री भले ही बन जायं, आपका हुकम मानने वाले हैं नहीं। जब तक इन्हें नौकरियों से नहीं हटा देंगे, इस पर पुनर्विचार

(श्री रामसिंह विश्नोई)
नहीं करेंगे, तब तक ये लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर मालामाल होते जावेंगे। आपके भाषणों को कोई मानने वाला है नहीं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये लोग अपनी सुखसुविधायें बढ़ाते जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके ग्रामीण बच्चों के साथ समान नीति अपनायी जाय।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डंगाता): सभापति महोदय, मौजूदा शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा के लिए चिन्तित हैं, यह तो मैंने महसूस किया। इनका एक पत्र पढ़ा था। उसमें चिंता व्यक्त की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी है उसके लिए एक आधार बनाया है। शिक्षा के विकास के लिए मंत्री-जी को चिंता तो है लेकिन शिक्षा का स्तर क्या हो, इसके लिए भी उनको चिन्ता अवश्य होनी चाहिये। जो मौजूदा शिक्षा का स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में, उस शिक्षा के स्तर को देखें और शहरी क्षेत्र के शिक्षा के स्तर को देखें, तो यह महसूस होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा दी जा रही है, वह शिक्षा अधिक से अधिक, छोटी-मोटी बाबूगिरी की नौकरी तक ही सीमित रखती है। फिर भी अगर वहां का पढ़ने वाला शहर में आये और छात्रावास में रहे या फिर अपनी रहने की व्यवस्था करके पढ़े, तो साल दो साल तो शहरी चकाचौंध में ही भटक जाता है यहां के वातावरण को देखकर, क्योंकि यहां उसको नया शहरी वातावरण जो मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विकास और वृद्धि के साथ ही साथ स्तर की तरफ भी आप ध्यान द। मैं यह चाहूंगा आप जो स्कूलों को अमोन्नत करने जा रहे हैं या खोलने जा रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं, जिनकी जनसंख्या चाहे कम है। ऐसे 20-30 गांवों का एक ग्रुप हो सकता है जिनकी जनसंख्या कुल मिलाकर ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी एक ही गांव में जन-संख्या इतनी नहीं हो सकती कि जहां मिडिल स्कूल या हाईस्कूल खोले जा सकें। उसके लिए आपका क्या विचार है? यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर आपने मिडिल स्कूल या हाई स्कूल दूर-दूर खोल दिये तो क्या गांव के छोटे-छोटे लड़के 15-20 मील दूर पढ़ने के लिए जा सकेंगे? गांवों में सड़कों के साधन नहीं हैं, उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जहां बड़े कस्बे नहीं हैं, वहां एक ग्रुप स्कीम गांवों की बनाकर वहां आप हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था करें, और साथ ही यह व्यवस्था भी करें कि जिनको 10-12 मील दूर जाना पड़ता है उनके लिए अनुदानित छात्रावास की व्यवस्था करें, जहां कि सस्ते में गुजारा कर सकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय से बात कर रहे हैं तो वह बैठकर बात कर सकते हैं खड़े होकर नहीं। आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं मिडिल स्कूलों के लिए निवेदन करना चाहूंगा। जहां मिडिल स्कूल होते हैं, अधिकतर उसके आसपास के गांवों में प्राथमिक शालायें नहीं होतीं। आसपास के तीन-चार गांवों के बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो रोज इतना पैदल नहीं चल सकते। अब तक

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

प्राथमिक स्कूल हर गांव में नहीं हों तो फिर ये बालक कहां पढ़ने जायेंगे ? छठी और सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे कोई खास बड़े नहीं होते हैं, तो ये बच्चे भी रोज इतनी दूर से पढ़ कर घर कैसे आ-जा सकते हैं । इसके लिए आपने क्या सोचा है ? इसलिए आपको यह आवश्यक तौर से करना पड़ेगा कि मिडिल स्कूल हर दो-तीन मील के दायरे में हों । जहां अधिक से अधिक बच्चों को जाना पड़े तो दो तीन मील से अधिक नहीं, ताकि वह सुबह जाकर शाम को अपने घर पहुंच सकें ।

इसी तरह से, सभापति महोदय, प्राथमिक स्कूलों के लिए निवेदन करूंगा कि प्राथमिक स्कूल आवश्यक रूप से हर गांव में आपको खोलने पड़ेंगे । अगर दो गांव आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर की दूरी पर हैं तो बात दूसरी है, पहली कक्षा में पढ़ने वाला छात्र मुश्किल से 5-6 साल का होता है जो कि अधिक लम्बी दूरी प्रतिदिन पैदल चल कर आ-जा नहीं सकता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी शुरू ही नहीं किया. . . . .

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये । माननीय सदस्य आपको बोलते हुए 5 मिनट हो गए हैं । 2 मिनट और बोल लें ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 4 मिनट हुए हैं जिसमें से दो मिनट आपने ले लिए और दो मिनट ही बोला हूं ।

श्री सभापति : बोलिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्राथमिक स्कूल लाजिमी तौर पर हर गांव में होना चाहिए । मैं यह सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्राथमिक स्कूलों में छात्र ज्यादा होते हैं तो दो-तीन अध्यापक लगा दिये जाते हैं । आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि चाहे अधिक अध्यापक न हों, एक-एक अध्यापक के स्कूल आवश्यक तौर से हर गांव में खोले जायं जो चाहे तीसरी क्लास तक ही चलें, लेकिन हर गांव में प्राथमिक स्कूल हो ।

शिक्षा के स्तर के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । शहरों में आपने देखा होगा कि सेंट जेवियर जैसे पब्लिक स्कूल हैं । आपने देखा होगा कि सेंट जेवियर स्कूल का यह हाल है जब पहली कक्षा में एडमिशन के लिए फार्म भरे जाते हैं तो 500-600 छात्रों की एप्लीकेशन्स आती हैं, और फिर एडमिशन के लिए राजनैतिक प्रेशर आते हैं । इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका यह समाज उस एजूकेशन की तरफ डाइवर्टेड है, उस शिक्षा को पसन्द करता है । या तो आप उन स्कूलों को तुरन्त बन्द कर दें, और अगर तुरन्त बन्द नहीं कर सकते हैं और आप में उनको बन्द करने की हिम्मत नहीं है, तो जो आज का समाज, शहरी समाज या ग्रामीण लोग इस शिक्षा को चाहते हैं, जो अपने बच्चों को इनमें पढ़ा सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी आपको गम्भीरता से सोचना होगा कि जो भीड़ है उसके लिए गवर्नमेंट के पब्लिक स्कूल खोले जायें और इस तरह की व्यवस्था की जाये कि वे छात्र छात्राएं आराम से पढ़ सकें । इसी तरह से आजकल अंग्रेजी स्कूल कई प्राइवेट चलने लगे हैं । इन स्कूलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है । यह जो स्कूल्स हैं ये स्कूल नहीं, यह ठेकों की तरह चलने वाले कारखाने हैं, लोगों ने शिक्षा अपनी आय के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लिए इन्डस्ट्री बना ली है, कारखाने बन गये हैं, प्रोफेशन बन गया है। इन संस्थाओं को चलाने वाले लोग 40-40 और 50-50 रुपये पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों से लेते हैं। इनमें कई स्कूल तो ऐसे हैं कि जिनका शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो रखा है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और पब्लिक स्कूल की तरह अंग्रेजी [illegible] ाई करवा रहे हैं? इसलिए आप उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करें। जो भ्रष्टाचार है उसको बन्द कीजिए। उन्हें कारखानों के रूप में नहीं, स्कूलों के रूप में चलाने के लिये उनके मालिकों को मजबूर कीजिये। सरकारी पब्लिक स्कूल खोलने की व्यवस्था करें। साथ ही निवेदन करूंगा कि आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप कम से कम पंचायत समिति या तहसील लेवल पर एक सरकारी पब्लिक स्कूल खोल कर, उनमें छात्रावासों का प्रबंध कीजिए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वह भी नामीनल पैसा देकर पब्लिक स्कूल के स्टेण्डर्ड की शिक्षा प्राप्त कर सके। अपना भविष्य उज्जवल कर सके।

इसके साथ ही अध्यापकों का क्या हाल है वह, सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं। शिक्षा मंत्रीजी ने कबूल भी किया है। जो हो गया है उसके लिए नहीं कहता, लेकिन आइन्दा के लिए कहता हूं कि जो स्कूल आप नये खोलने जा रहे हैं, उनमें आप माकूल व्यवस्था करें। उन स्कूलों में अच्छे अध्यापक हों। बिना ट्रेण्ड अध्यापकों के कोई स्कूल नहीं चले। इसके बाद आपके अध्यापक होते कौन हैं, मैट्रिक थर्ड ग्रेड डिवीजनर होते हैं। जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है वह गांवों में अध्यापक होते हैं। इस तरह आप शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके अध्यापक अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? उनकी तनख्वाह अच्छी नहीं है, शहर वाले गांव नहीं जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अध्यापक अच्छा हो, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो अध्यापकों को आप अच्छी तनख्वाह दें और अच्छी उनको ट्रेनिंग दिलायें। गांवों में अच्छी शिक्षा प्राप्त अध्यापक हों। अध्यापक जितनी छोटी कक्षा में पढ़ाने वाला हैं उतना ही अधिक ट्रेण्ड व पढ़ा-लिखा होना चाहिये, क्योंकि शिक्षा की जड़ वहीं से लगती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : दो मिनट और बोलें। कृपया दूसरे माननीय सदस्यों का भी ध्यान रखें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जो बात मैं खास कहना चाहता था वह तो कही ही नहीं।

मैं यह सुझाव देता हूं कि आप अच्छे अध्यापकों को गांवों में लगायें। उनमें, आकर्षण गांवों के प्रति पैदा कीजिये। उनकी तनख्वाह बढ़ायें। उनके रहने की व्यवस्था करें। जो शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है और थर्ड डिवीजनर और सप्लीमेन्ट्री से पास होकर अध्यापक लग रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग में नहीं लगायें, कृपया अन्य विभागों में लगायें। इसके साथ ही स्कूलों में सामग्री नहीं है, इसके लिए भी आप समुचित प्रबंध कीजिए।

विद्यार्थियों का कालेजेज में नैतिक स्तर गिर गया है। उनमें अनुशासन नाम की चीज ही नहीं रही है। लड़ाई, झगड़े, हड़ताल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मारपीट दुनिया भर की बातें चल रही हैं। आप, सभापति महोदय, इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आवश्यक है कि नैतिक स्तर सुधरें, और अनुशासन आये। इसके लिए आप शिक्षा शास्त्रियों को बैठाकर बात कीजिए, विचार कीजिए और इसका हल निकालिये कि किस तरह से झगड़े खतम हो सकते हैं, उनका डाइवर्शन कैसे हो सकता है। उनमें समाज सेवा की भावना और देश-भक्ति की भावना भरने की कोशिश कीजिए। मेरा सुझाव है कालेजेज में एन.सी.सी. कम्पलसरी कर दीजिए, कालेज में पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं कालेज से सीधे जाकर सिनेमा देखते हैं। शराब, सिगरेट पीते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं। अतः कम्पलसरी एन.सी.सी. कर दीजिए। हर कालेज के अन्दर पढ़ने वाले विद्यार्थी को एन.सी.सी. जोइन करना आवश्यक होगा। तो इससे देश प्रेम की भावना पैदा होगी। देश के लिए एक फौज कायम होगी और उनमें डाइवर्शन भी आयेगा। कालेजेज में जितने खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनका सलेक्शन कीजिए, उनको अलग से तैयार कीजिये। अब मैं आपको खेलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। खेलों के बारे में तो आपका बुरा हाल है। यह घोषणा हुई थी कि खेल मंत्री अलग से बनाया जायेगा। यह सुनकर बड़ी खुशी हुई थी कि चलो अब तो खेलों में कुछ सुधार होगा। खेलों में राजनीति व्याप्त है, जितना पैसा स्पोर्ट्स कोंसिल को देते हैं, वह बेकार जाता है। माऊंट आबू में क्या होता है, किस तरह से राजकीय धनराशि का दुरुपयोग एवं खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ होता है? सभापति महोदय, आप इस बात को भली प्रकार जानते हैं। कई बार सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं निवदन करना चाहूंगा, समय थोड़ा है ......

श्री सभापति : समय थोड़ा नहीं, समय समाप्त हो गया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, खेलों के संबंध में निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि खेलों का स्तर बढ़े, खेलों में राजस्थान नाम करे, तो इसके लिये आपको अलग मंत्री बना देना चाहिये, अलग विभाग बना देना चाहिये। आपने देखा होगा इस बार कि आपकी जो वालीबाल की टीम इस बार सलेक्ट होकर बाहर खेलने गई थी, उसमें राजनैतिक दबाव नहीं था। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है ......

एक माननीय सदस्य : जनता सरकार ने किया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : कौनसी सरकार ने किया है, यह कह कर माननीय सदस्य क्यों इसे फिर राजनीति में खींच रहे हो। मेरा यह निवेदन है इसे राजनैतिक मैदान न बनायें। भगवान के लिए मेरा निवेदन है इसे तो राजनीति से अलग ही रखें तो अच्छा है। आप सिर्फ राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं। राजनीति से अलग रखिये।

आप उसको राजनीति से अलग रखिये। मुझे खेद तो यह है कि खेलों और खिलाड़ियों का राजनीति से सम्बन्ध नहीं, फिर इसे राजनैतिक मन्च मान कर क्यों बिगाड़ना चाहते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, वॉलीबाल की टीम इस बार बाहर खेलने गई, उसने पूरे देश में नाम कमाया। वॉलीबाल की टीम ने इस बार ऐसा खेल खेला कि लोग वाहवाही करते नहीं थक रहे थे। इस देश की नामी इनी गिनी टीमों को भी लोहे के चने चबा दिये। राजस्थान की टीम का लोहा मान गए, वह इसलिए कि अबकी बार अच्छी टीम बनाने की तरफ ध्यान दिया गया और अच्छी टीम बना कर भेजी गई।

फुटबाल का तो हाल ही बुरा है। आपकी डिस्ट्रिक्ट फुटबाल एसोसिएशन, जयपुर भंग कर दी गई। राजस्थान में जितने फुटबाल के खिलाड़ी हैं, उनमें सिर्फ जयपुर में ही उत्तम खिलाड़ी हैं जिनसे एक अच्छी टीम बनती है। चाहे पुलिस की टीम हो, या नेशनल बालबेअरिंग कम्पनी की टीम हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पुलिस की टीम बाहर खेलने को गई। राजस्थान फुटबाल एसोसिएशन ने उसको सस्पेंड कर दिया। जिला फुटबाल एसोसिएशन को भी सस्पेंड कर दिया। यह आपकी जितने भी खेलों की एसोसिएशन्स बनी हुई है जिन्हें आप लाखों रुपया अनुदान देते हैं, यह सब आटोनोमस बाडी बनी हुई हैं। यह लोग 20-25 वर्ष से इन एसोसिएशनों पर कब्जा किए बैठे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये अपने लोगों को भेजते हैं, चाहे खिलाड़ी अच्छा हो अथवा नहीं, पैसा आपसे लेते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा मंत्रीजी इस बात पर गौर करें। यह जो भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, मनमाने तौर से जो खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन्हीं कारणों से राजस्थान का नाम नीचे होता जा रहा है। स्पोर्ट्स एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से अपना जौहर दिखा सकता है। उनको पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड भी मिला है। गोल्ड मेडल भी मिला है वरना सामूहिक तौर से ग्रुप में खेलने वाले जितने भी खेल हैं सिवाय बास्केटबाल, कबड्डी व वालीबाल के वे ही इस बार चमके हैं, सब बेकार हैं। बास्केटबाल में सिर्फ इसलिए चमके कि उसके चेयरमैन श्री रमाकान्त एक महनती व ईमानदार आई. एम. एस. अधिकारी हैं। उसके सचिव पिलानी के श्री जयसिंह नरुका हैं जो एशियन बास्केटबाल के रेफरी भी हैं, वह एक महनती व ईमानदार इन्सान हैं एवं राजनीति से उन्होंने दूर रखा है वरना तो सब खेल राजनीति से प्रेरित एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक बात कहूंगा ....

श्री सभापति : I am very sorry.

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पंचायत समितियों में शिक्षा कर लगाया। उस कर का 10 लाख रुपया डीडवाना पंचायत समिति में पड़ा है। उन्होंने यह शिक्षा-कर इसलिए लगाया था कि क्षेत्र के स्कूलों के भवन बनाये जा सकें, पर यह जो इतनी बड़ी धनराशि 10 लाख रुपये पड़े हुए हैं, वह इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। भवन बनाने के लिये आपसे बार-बार इजाजत मांगते हैं। आप इजाजत नहीं देते हैं। इसी तरह से राजस्थान की अन्य पंचायत समितियों में भी पैसा पड़ा हुआ है, इस तरफ आप ध्यान दें। आप क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? क्यों इस रुपये को

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापतिजी, क्या यह वही देश है जहां नालन्दा विश्वविद्यालय था ? और क्या यह वही देश है जहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था जहां आज भी हजारों लाखों आदमी जाकर अपने मस्तक को खण्डहरों में झुकाते हैं ? क्या यह वही देश है जहां कृष्ण और सुदामा गुरुजी के लिए लकड़ी चुन-चुन कर लाया करते थे ? क्या यह वही देश है जिसमें गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा होती थी ? आज जो हालत देखते हैं उसको देख कर एक दोहा याद आता है। इसका आधा तो पहले का है और आधा आज के लिए है · · · ·

"गुरु ने गणता देवता, पगा देवता धोक"

आज क्या हो रहा है ? आज हो रहा है :

"आज शाल में छोकरा गुरु ने देवे ठोक।"

आज शिक्षक को क्लास के अन्दर वही टोप लगाकर जाना पड़ेगा जो कि स्कूटर पर बैठ कर जाने पर लगाना पड़ता है। यह हो क्या रहा है ? लेकिन, सभापतिजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो कुछ हो रहा है वह बहुत कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है क्योंकि यह राम का देश है, कृष्ण का देश है, भगवान महावीर का यहां पर असर है, यह बुद्ध की जन्म भूमि और कर्म भूमि है हजरत मुहम्मद की शिक्षा का असर है और गांधी का असर है। इतना होते हुए भी जो हो रहा है वह कम हो रहा है। इसमें लड़कों का बिल्कुल दोष नहीं है। जिस देश में लाखों करोड़ों परिवारों को शराब पिला कर उसकी आमदनी से शिक्षा देना चाहते हैं उस देश में यह नहीं होगा तो और क्या होगा ? आगे क्या होगा यह मैं आपको बताता हूं ? अगर आपने शिक्षा में परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा।

"ई शिक्षा सूं एक दिन, देख लेवजो आप।
पलसी आश्रय गेह में, बुड्ढा मां अर बाप।"

श्री सभापति : कृपया मंत्री महोदय इस तरह से आसन और वक्ता के बीच में से क्रोस न करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप टोकेंगे नहीं तो मानेंगे ही नहीं। कभी मानते ही नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने इस साल एक भी न तो नया कालेज खोला और न अपग्रेड किया। इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आप कालेज खोल कर और बेकारों की संख्या बढ़ायेंगे और फिर आप ही कहेंगे कि इनको बेकारी का भत्ता दीजिए। पहले तो एक आदमी का पैर तोड़ों फिर उसको जोड़ने के लिए अस्पताल में भेजो, मैडिकल रीएम्बर्समेंट कराओ। एक तरफ तो आप बेकार की शिक्षा दो और फिर बेकारी का भत्ता दो। इसलिए जब तक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन न हो न कोई स्कूल खोलो और न कोई कालेज। गांधी ने बुनियादी तालीम के लिए कहा था लेकिन हमने उस बुड्ढ की बात नहीं सुनी। श्रम और बुद्धि के महत्व को बराबर नहीं माना। जितना महत्व बुद्धि का है उतना ही महत्व श्रम का भी है। इसलिए पहली क्लास से लेकर एम.ए. तक श्रम के जरिये से, उद्योग के जरिये से शिक्षा दी जाय ताकि जब वे बाहर निकलें तब बिल्कुल निष्णात होकर निकलें, अपने काम में लग सकें।

इसके बाद में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापतिजी, स्कूलों को जो आपने पंचायत समितियों के अण्डर में दे रखा है, अपने बच्चों के भाग्य से खिलवाड़ करने के लिए पंचायत समितियों को प्राइमरी शिक्षा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सौंप रखी है, इससे बड़ा देश का अहित दूसरा नहीं हो सकता है। जिस मास्टर ने प्रधानजी को सरपंच साहब को और बी.डी.ओ. साहब को खुश कर दिया फिर जरूरी नहीं कि वह मास्टर स्कूल में हाजिर हो। घर बैठे भी हाजरी भर सकता है, पास करना उसके हाथ में है। इसलिए कृपा करके प्राइमरी स्कूल को पंचायत समितियों के पास से तुरन्त हटाइयें, अगर आप शिक्षा की स्थिति के अन्दर सुधार लाना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप बी.ए., एम.ए. की डिग्रियां उस वक्त तक उनको न दें जब तक दो महीने के लिए वे सब के सब गांवों में काम न कर लें, सर्वांगीण विकास के लिए दूसरे ग्रामीण विकासों के लिए काम न कर लें और वहां से प्रमाण-पत्र न मिलें उनको डिग्री मत दीजिए। इससे थोड़ा-सा परिवर्तन आएगा।

अब मैं दो मिनट अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहूंगा। सभापतिजी, जब कांग्रेस सरकार गई थी उसके पहले उसने मेरे क्षेत्र आमां में सैकण्डरी स्कूल खोलना मंजूर कर लिया था लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं खोल सकी। अगली बार सैकण्डरी स्कूल खोलते समय मेरे क्षेत्र में एक आमां ही है, इसका ध्यान रखें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कुछ ग्राम हैं—मांगलगढ़, बिजौलियां, काछोला, बीगोद, बडल्यास, आकोला, महुआ, वखुंदनी, इनमें जिन-जिन स्कूलों में वाणिज्य न हो वहां पर वाणिज्य विषय खोलें ताकि लड़के वहां पर ही दाखिला ले सकें, उनको दूसरी जगह न जाना पड़े। इसके अलावा जिन-जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल हैं, मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करता हूं कि करीब 80 स्कूल हैं, उनमें से जो भी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बना दें, मैं जानता हूं कि किसी राज के बूते की बात नहीं कि वह सब स्कूलों की बिल्डिंग बना दे लेकिन जो भी गांव बना दें उनके यहां मिडिल स्कूल खोल दें। यही बात कह कर मैं बैठना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, यह सब तरफ से माना जाता है कि आज की शिक्षा साक्षरता का ज्ञान है और शिक्षा नहीं है। यह भाषण है श्री भैरोंसिंह शेखावत का, श्रीमान् प्रोफेसर केदार साहब का। बड़े-बड़े भाषण दिए थे इन्होंने। इनके भाषणों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा, मैं यहां पर ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय लग जाएगा। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के साथ जुल्म हो रहे हैं। हम भूख हड़ताल करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके हित के लिए आन्दोलन पर उत्तर जायेंगे। समय कम है, चार-पांच मिनट का समय मिलेगा लेकिन, श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर केदार साहब ने कहा था सीनियर टीचर्स के एजीटेशन पर :

"टीचर के दिमाग में एजीटेशन करते समय रिजर्वेशन रहता है, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम एक ऐसी लाइन पर चल रहे हैं उनकी जायज बातें हैं। उनका इन्क्रीमेंट ड्यू है। 15 साल से एम.ए. सैकिण्ड क्लास, बी. एड. और करें, वर्क लोड ज्यादा, वर्किंग पीरियड्स ज्यादा" उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। "1960 से लेकर आज तक जितनी सर्विस क्लासेज हैं" उन सबकी हालत सुधर गई है।

(श्री मूलचन्द डागा)

यह, श्रीमान्, भाषण है आपके केदार साहब का। इसी तरह का भाषण है श्री भैरोंसिंह शेखावत का। और यह पे कमीशन की रिपोर्ट है। पे कमीशन कहता है —

Report of 3rd Pay Commission 1973-All th federations have accepted the principle of equal pay for equal work for determining the salaries of the Government employees.

मैं इसको पढ़ता हूं तो दुःख होता है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार की तनख्वाहें मिलती हैं, जो एम.एस.सी. किया हुआ हो उसको हम 700-1600 तक का ग्रेड देते हैं और हमारे यहां के जो अध्यापक होते हैं उनको 550 से 1000 तक का ग्रेड मिलता है। उन्होंने यह बताया कि वह काम करते हैं 18 घण्टे और जो सीनियर टीचर हैं वह काम करते हैं 33 घण्टे। इसके अलावा और काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा होने पर सीनियर टीचर्स ने आन्दोलन का नोटिस नहीं दिया है सरकार को। आज छात्रों की परीक्षायें नहीं ले रहे हैं। छात्रों का भविष्य बिगड़ेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी हैं, मैं उनकी बात पर, उनकी भावना, और उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे लोगों की तनख्वाहें बढ़ गईं लेकिन यह वरिष्ठ अध्यापक ही ऐसा रह गया है जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। पशु चिकित्सक की तनख्वाह बढ़ गई। कृषि प्रसार अधिकारी की तनख्वाह बढ़ गई। तहसीलदार की तनख्वाह बढ़ गई। पुलिस की तनख्वाह बढ़ गई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? क्या पाप किया है। ये शिक्षक हैं, इसलिए इनके अधिकार छीन लिए गए? इन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़े सिद्धान्त की बात कर रहे हैं। ये गरीब अध्यापक अपनी जिन्दगी आपके बच्चों की सेवा में बिताते हैं। यह माली अपने पौधों को ठीक तरह से सींच कर उनको बड़े प्यार से बड़ा करता है। परन्तु उसको आप पूरी तनख्वाह नहीं देंगे। पूरी तनख्वाह पुलिस को देंगे। मंत्रियों के बंगले सजाएंगे। परन्तु वे मांग करते है, आन्दोलन करते हैं फिर भी आप सुनवाई नहीं करते हैं। इधर आप लोग बैठते थे तब तो आन्दोलन की बात करना, मांग करना नैतिकता थी और उधर बैठते ही आप यह सब भूल गये। यह भाषण है उन लोगों का जो कभी इधर बैठते थे। तब आन्दोलन करने की बात आप कहते थे। यह भाषण है उनका जो मैंने यहां पर पढ़ा है। यह आपके मंत्रियों के भाषण हैं जब वे इधर बैठते थे। आज वे मंत्री हो गये तो क्या हो रहा है। जब इधर से उधर चले गये तो सब भूल गये? कहने लगे हम तुमको नहीं जानते है। शिक्षक बेचारा लटक गया है। आप श्रम मंत्री हैं, गरीबों की आपने सदा सेवा की है। बड़ा अच्छा अवसर है, सभापति जी, आप आसन पर है, आपके द्वारा मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि शिक्षकों का सारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, यह निश्चय आप जानिए। ललितकिशोरजी चतुर्वेदी बड़े भले आदमी थे। इनके गुरु हैं। इनकी गुरु सेवा बड़ी प्रसिद्ध है। प्राच्य विद्या में हैं, यह उनका 67 का गुरु है। वह बड़े से बड़ा गुरु है। इतना बड़ा है कि उसका आडिट रिपोर्ट में नाम छपा है। उसने 15 लाख रुपयों का घोटाला किया और फिर उसको एक्सटेन्शन मिल रहा है। क्या आपकी नीति है अहां ·····

श्री रामनारायण चौधरी : ये गुरु कौन से हैं? नाम बताओ।

श्री मूलचन्द डागा : श्री फतहसिंह । यह रिकार्ड है। इसकी जांच फौरन बिठाओ। उसके ऊपर आडिट आब्जेक्शन है। फिर भी उसको प्रमोशन दे दिया गया। यह आपने बड़ी भारी गुरु सेवा की है। यह गुरु सेवा करने की आपकी आदत को सारा संसार जानता है। वे तो इस संसार से जाने वाले हैं। उनको क्यों एक्सटेन्सन देकर भ्रष्ट कर रहे हैं। उनको एक्सटेन्शन देकर आपने यह नया काम किया है ?

सभापतिजी, इन प्राइवेट स्कूलों की आप हालत देखिए। ये जितने भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके अन्दर टीचर्स से जितनी तनख्वाह के दस्तखत कराए जाते हैं, उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती है। क्या नियम हैं आपके ? यह सारी अखबारों की कटिंग हैं। श्री भंवरलाल शर्मा हमारी बात सुनते तो हैं। इनकी एक बात तो ठीक है, बात को सुनते हैं। बड़े ठंडे दिमाग से बात को सुनते हैं। इनके चेहरे पर हंसी बनी रहती है, मुस्कान बनी रहती है। लोगों को यह तो खुशी है कि ये उनकी बात सुनते हैं, चाहे फिर उनका काम हो या न हो, यह उनके भाग्य की बात है। यह तो अच्छा है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपके चेहरे पर सदा हंसी, मुस्कान रहती है। बात भी मीठी करते हैं, चाहे काम न हो।

इसी तरह से, सभापति महोदय, ये सत सांई गर्ल्स कालेज के प्रिंसिपल हैं। श्रीमन, आप इनका भी रिकार्ड देखिए। ये 6 कटिंग्स हैं अखबारों की। 13 मार्च की यह कटिंग आप देखें तो आपको अपने आप इनका नाम, इनके कारनामे मालूम होंगे। जनता पार्टी आश्वासन देने पर तुली हुई है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह शिक्षकों पर घंटी बज रही है तो फिर देश की घंटी बज जाएगी। शिक्षकों की हालत को आपने नहीं सुधारा, श्रीमान, तो याद रखिए, देश की जनता, देश का निर्माण करने वाला ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी मजबूरी है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन, मैं आपकी बात को मानूंगा। अनुशासन में रहने के लिए आपकी बात मानूंगा। अपनी बात कहना चाहता हूं।

इसके अलावा, मान्यवर, यह कालेज एजूकेशन होती क्या है ? एक कालेज में पोलिटिक्स के आधार पर दो-दो लड़कों पर टीचर्स लगे हुए हैं, तीन-तीन लड़कों पर टीचर्स लगे हुए हैं। जगह-जगह आपने कालेज खोल दिए हैं। आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही कालेज खोलिए परन्तु अच्छे कालेज खोलिए और वहां पर अच्छे टीचर्स रखिए। यह पब्लिक स्कूल है। आपके बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़के वहां पर पढ़ने जाते हैं। क्या बात कहें ? जितने बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके बच्चे वहां पर जाते हैं। हमारे मंत्री महोदय के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं या नहीं, यह नहीं मालूम ...

श्री सभापति : पहले आप जानकारी कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : कोशिश करूंगा।

सवाल आता है हमारे स्कूलों के थर्ड ग्रेड टीचर का। यह थर्ड ग्रेड टीचर होता क्या है ? मेहरबानी करके, भगवान के नाम पर यह नाम बदलिए—जैसे आपने परिवार नियोजन को परिवार कल्याण नाम दे दिया।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
छोड़ रखा है ? इसका उत्तर देने की कृपा करें। धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सुमित्रासिंह ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा मंत्री जी ने 107 करोड़ रुपये से अधिक की शिक्षा से सम्बन्धित मांग के लिये सदन से अनुमति चाही है ।

माननीय सभापतिजी, 107 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि है । शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । लेकिन शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रीजी, जटिल समस्याओं के घेरे में है । एक तरफ अध्यापकों की कुंठा, दूसरी तरफ विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, ...

मेजर श्री फतहसिंह : मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं देता । जिस क्रम में यह कटौती प्रस्तावों की सूचना हमको मिली है, उसमें माननीया सुमित्रासिंहजी का नाम किस क्रम में लिया जा रहा है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : रामदेवसिंह जी ने अपने बदले में अनुमति दी है । आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं ।

मेजर श्री फतहसिंह : I am so sorry for it. इसकी सूचना सभापति महोदय पहले देते तो यह नहीं होता ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रीजी जटिल समस्याओं के घेरे में हैं । ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसी मुश्किल में हैं कि चारों तरफ अंधकार है । एक तरफ अध्यापकों की कुंठा, दूसरी तरफ छात्रों की अनुशासनहीनता, तीसरी तरफ जन-प्रतिनिधियों का स्थानान्तरण के लिये दबाव । नये स्कूल कहां खोलें ? शिक्षा का विस्तार, एक तरफ तो क्वान्टिटेटिव (संख्यात्मक) विस्तार और दूसरी तरफ क्वालिटेटिव (गुणात्मक) विस्तार । हिन्दुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है । राजस्थान, इण्डिया के औसत के मुकाबले बहुत पीछे है, जम्मू काश्मीर के बाद सबसे नीचे है, और इण्डिया का एवरेज है, उस एवरेज से नीचे है । इतनी समस्यायें हैं । राजस्थान के बजट का 1/7 हिस्सा इस विभाग में खर्च करने जा रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मुझे आपसे निवेदन करना है, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगी । अध्यापक, जिसको हम जनतंत्र दिवस पर सम्मान देते हैं और यह कहते हैं कि शिक्षक भावी पीढ़ी के निर्माता हैं, उस अध्यापक की आज क्या स्थिति है ? परीक्षाओं का समय आ गया है । परीक्षायें शुरू हो जानी चाहिये थीं, लेकिन अध्यापकों के अल्टीमेटम देने के कारण, परीक्षाओं के बहिष्कार की सूचना के बाद, आप राजस्थान के भविष्य, इन युवकों के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रहे हैं । परीक्षायें शुरू नहीं हुईं और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकती हूं, सभापति महोदय, 30 मार्च को जो परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं वे परीक्षायें शुरू नहीं हो पायेंगी । प्रायोगिक परीक्षायें शुरू नहीं हुईं । यह तो हुआ आपका गुणात्मक (क्वालिटेटिव) विस्तार । अध्यापकों की कुन्ठा । रेलवे में तृतीय श्रेणी खतम कर दी, लेकिन भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले शिक्षक हैं जिन्हें आप गुरु एवं आदर का पात्र मानते हैं, देश का निर्माण करने वाले समझते हैं, ब्रह्मा से जिसकी तुलना करते हैं, उसको तृतीय श्रेणी का

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

अध्यापक कहते हैं। कृपया इस तीसरी श्रेणी का नाम बदलिये। इतना असम्मान, तृतीय शृंखला के जो अध्यापक हैं उनमें से आज किसी ने चाहे बी. ए., एम. ए. कर लिया हो, उसकी कहीं कोई आगे पदोन्नति होने का आसार नहीं है। कई 30 साल से बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 107 करोड़ का बजट आपने मांगा है, उसके बावजूद जो खुद भूखे पेट रहता है वह किसी के दिमाग में क्या रोशनी पैदा कर सकेगा? तालीम एक रोशनी है, जिस रोशनी के जरिये इस साइन्स के युग में देश और प्रदेश तथा मानव समाज आगे बढ़ता है। हम तो वैसे ही बहुत पीछे हैं। शिक्षा मंत्रीजी, इतनी जटिल समस्याओं के अन्दर यह विभाग फंसा हुआ है।

आज मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुशासनहीनता बच्चों में जिस प्रकार बढ़ती जा रही है नये नये प्रयोग आप शुरू कर रहे हैं, हर शिक्षा मंत्री इस बात को दोहराता है और कहता है कि हम शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि यह शिक्षा पद्धति लार्ड मैकाले की दी हुई है, जिनका उद्देश्य था हिन्दुस्तान में इस तरह का बाबू पैदा हो, जो मानसिक एवं आचार व्यवहार में अंग्रेजों का गुलाम हो, और भारत का होते हुये भी भारत से परे हो। हर शिक्षा मंत्री कहता है, हर शिक्षा मंत्री दोहराता है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो, कभी 10+3, कभी 10+2, न तो शिक्षा मन्त्रीजी का, न सरकार का, न जन-प्रतिनिधियों का और न शिक्षा शास्त्रियों का दिमाग साफ है कि हिन्दुस्तान की भावी पीढ़ी को कैसी तालीम दी जाय। कभी बुनियादी तालीम की 10+2 करते हैं तो कभी 10+3 की करते हैं। किस प्रकार की नीति होगी, वह किसी के दिमाग में नहीं है। यह तो हुआ शिक्षा का भावी स्वरूप, लेकिन जो टूटी-फूटी शिक्षा देखने में आ रही है, उसमें भी काफी गोलमाल और सरे आम लूट है। सरकारी स्कूलों में, गैर सरकारी स्कूलों में फीसों का विवरण मैं बताती हूं, जो न बच्चों के काम आती है और न सरकार के काम आती है, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से फीस ली जाती है। जिस फीस का प्रधानाध्यापक को पता है कि किन लोगों से मिल कर क्या उसका उपयोग होता है और क्या किया जाता है, लेकिन इस बारे में विडम्बना यह है कि आखिर जाती कहां है यह फीस? क्या इसका उपयोग होता है?

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी, 22 फीसें हैं जो सरकारी स्कूलों में, गैर सरकारी नाम से ली जाती हैं—क्रीड़ा फीस, परीक्षा फीस, पुस्तकालय फीस, वाचनालाय फीस, सामाजिक समारोह फीस, छात्रसंघ फीस, उद्योग फीस, पत्रिका फीस, निर्धन छात्र-कोष फीस, प्रतिबन्धक फीस, विकास फीस, चिकित्सा फीस, कार्यानुभव फीस, टंकण फीस, सामान्य विज्ञान फीस, डायरी व अन्य समान्य फीस, अभिभावक फीस, अल्प बचत फीस, विज्ञान फीस, वाणिज्य फीस, स्काउटिंग फीस और विषय परिषद् फीस—इतनी सारी फीसें देनी पड़ती हैं छात्रों को। इसमें एक तो परीक्षा फीस और एक निर्धन छात्र-कोष फीस—इन दो फीसों के बारे में तो मैं मानती हूं कि ये फीस विद्यार्थी के काम आती है, लेकिन सामान्य विज्ञान फीस जिस उद्देश्य से शुरू हुई है, 10+2 की जो योजना के कारण वह न तो शुरू हुई है, और न शुरू होने की उम्मीद है।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग व

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कार्यानुभव फीस, दो अलग-अलग नाम फीस ली जाती है। वही उद्योग है और वही कार्यानुभव है, लेकिन दो नाम से छात्रों से फीस ली जाती है। विभिन्न नामों से यह पैसे लेना बच्चों का शोषण है। विकास फीस इसमें भी भारी गोलमाल है। किसका विकास, बालक का या अध्यापक का या स्कूल का विकास ? क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता है ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट।

यह तो हुआ सरकारी स्कूल और गैर सरकारी फीसें। मैं कहती हूं इन फीसों से बच्चों का शोषण ही नहीं होता है, अपितु यह सरे आम लूट है। जिस फीस का ब्यौरा दिया जाता है, उसका कम से कम पता तो लगाया जाय कि फीस कहां जाती है, कहां उसका उपयोग होता है, कहां खतम होते है उसके पैसे ?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली बार कांग्रेस सरकार ने 1000 प्राथमिक स्कूलों के बारे में बजट प्रावधान किया था। जनता सरकार ने काट कर केवल 520 ही प्राथमिक स्कूल खोले हैं। 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने हेतु व हर बच्चे को स्कूल जाना अनिवार्य किया जा सके। इसके लिए 1000 प्राथमिक स्कूलों का बजट प्रावधान किया था। आज केरल में शत प्रतिशत इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं। सन् 1980 तक हमें भी अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर देनी चाहिये, कम्पलसरी एजूकेशन का हमारा वायदा है। फिर मैं पूछना चाहती हूं कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या क्यों काटी ? आप केवल स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा देकर ही, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आज हम शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं चाहे उसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे उसका ऐतिहासिक कारण हो, चाहे राजनैतिक कारण हो, चाहे भौगोलिक कारण हो, और चाहे सामाजिक चेतना की कमी हो, लेकिन पिछले साल में जो शिक्षा का विस्तार हुआ है, उससे मन में कोई उम्मीद नहीं बंधी है कि स्त्री शिक्षा के मामले में आप ज्यादा रुचि ले रहे हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि प्राथमिक शिक्षा को आप जब तक बुनियादी नहीं समझेंगे और तृतीय वेतन शृंखला को जब तक आप समाप्त नहीं कर देंगे, और जब तक अध्यापक को उसकी कुण्ठाओं से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक चाहे वह वतनमानों की सुविधा हो, चाहे रहने की सुविधा हो, और चाहे दूर-दराज देहातों की दिक्कत हो, इन समस्याओं का किसी प्रकार निराकरण नहीं होगा। आप केवल यह मानकर मत चलिये कि स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा मात्र से ही आप शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। शिक्षा तो बुनियाद से हमें प्रारम्भ करनी होगी।

मैं अन्त में एक निवेदन और करूंगी, सभापति महोदय, जो स्थानान्तरण के मामले हैं जिसको असेम्बली में कई बार कहा जा चुका है, यदि हजार स्कूल भी आप खोलें तो जिस तरह स्थानान्तरण किये गये, भविष्य में मेहरबानी करके पार्टी के आधार पर और व्यापक पैमाने पर आप स्थानान्तरण मत करना। जो शाखा लगायेगा उसका

Page No 128

(128)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
स्थानान्तरण अच्छी जगह कर दिया जायेगा और जो शाखा नहीं लगायेगा उसका स्थानान्तरण दूर दराज स्थानों में कर दिया जायगा, यदि यही स्थानान्तरण की नीति रही तो मान्यवर, फिर तो·····

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : शाखा से तो शिक्षा का निर्माण होता है . . .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या फर्मा दिया आपने ?

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : जिस प्रकार हमारी बहिन ने कहा, वह उचित नहीं है । वैसे भी स्कूलों के स्तर पर संघ की शाखाओं में भेजना आवश्यक होना चाहिये, क्योंकि वहां पर चरित्र का निर्माण होता है । यह आपको मानना होगा ।

श्रीमती मदन कौर : हमने अपने देश के लिये कम्पोजिट कल्चर को स्वीकार किया है, विभिन्न धर्मों और सम्प्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं ऐसी स्थिति में तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, जिन्हें चलाने में सारी जनता का धन काम आता है, हमारे देश में एक तरह के कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, यह कतई उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please. Kindly take your seat. No intervention.

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं अपने मन में यह समझ रही थी कि कपासन से आने वाली माननीय सदस्या का शिक्षा से सम्बन्ध रहा है और वे अध्यापिका रह चुकी हैं । वे यदि सदन के अन्दर बच्चों की ममता और दुलार से तालीम दिये जाने की बात करतीं तो समझ में आता लेकिन बचपन में ही बच्चों को यदि इस प्रकार की साम्प्रदायिकता का जहर घोलकर पिलाये जाने की बात करेंगी तो फिर किस राष्ट्रीयता का वे निर्माण करेंगी ?

अब मैं अपनी अन्तिम बात कहती हुई कि इस राजस्थान के जो 25 जिले हैं···

एक माननीय सदस्य : 26 जिले हैं ।

श्री सभापति : 25 नहीं 26 जिले हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, 26 जिलों में से 25 जिलों के अन्दर···

श्री सभापति : कृपया शांत रहें। भूल हो गई है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भूल नहीं हुई है । मेरी कृपया पूरी बात सुनें । 26 जिलों में से 25 जिलों के अन्दर सरकार के स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, केवल एक झुंझुनूं ही ऐसा बदनसीब जिला है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जब सारे जिलों में, जब 25 ही जिलों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय चालू कर दिए तो एक झुंझुनूं को ही वंचित रखने का क्या कारण है ? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिला हैडक्वार्टर होने के नाते झुंझुनूं बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो बहुत पुराना को है, इसी साल से डिग्री कालेज बनाने का आदेश प्रदान करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता ।

(श्री मूलचन्द डागा)

तो यह थर्ड ग्रेड टीचर होता क्या है ? हमारे एजूकेशन सेक्रेटरी यहां पर बैठे होंगे ऑफिसर्स गैलेरी में । मेहरबानी करके तुरन्त इस शब्द को हटा दीजिए । थर्ड ग्रेड होता क्या है ? शिक्षकों की समस्या के ऊपर सोचिए । इस बजट के साथ शिक्षकों की हालत नहीं सुधरी है । अच्छे शिक्षक आपके पास नहीं हैं । आज केवल आपके स्कूलों में अक्षरी ज्ञान होता है, अ, आ, ई, ढाई अक्षरी ज्ञान होता है । मेहरबानी करके इन स्कूलों का प्रबन्ध आप ठीक करिए । जहां माली अच्छा न हो पौधा मुर्झा जाएगा । ध्यान दीजिए ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय सदस्य का भाषण अच्छा है । इनको मौका दीजिए ।

श्री सभापति : No commentary.

श्री मूलचन्द डागा : हमें कौनसी ग्रेड दे रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : थर्ड ग्रेड ।

श्री मूलचन्द डागा : आप फोर्थ ग्रेड में है ?

श्री रतनलाल वर्मा : आपने तीस साल तक यही किया है . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं ।

मेजर श्री फतहसिंह !

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : सभापति महोदय, वर्ष 1977-78 में शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है । कई प्राथमिक विद्यालय खुले, कई माध्यमिक विद्यालय खुले, डिग्री कॉलेज खुले, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलिज खुले, और यह जो प्रगति विवरणिका शिक्षा विभाग की उपलब्ध है उसके अनुसार विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत जो छात्रों की संख्या है, वह संख्या 1976-77 की अपेक्षा 1977-78 में 93,803 से बढ़ कर 1,26,300 हो गई है । इसी प्रकार वर्ष 1976-77 की अपेक्षा वर्ष 1977-78 में महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 42,699 से बढ़ कर 56 553 हो गई है । इस विस्तार के लिए, श्रीमन्, सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद है, लेकिन क्वान्टिटी बढ़ गई, क्वालिटी का क्या हाल है ? यह हमको देखना है ।

श्रीमन्, समय की कमी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बिना अनुशासन के कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है । हमारे राष्ट्र के हर क्षेत्र में अनुशासनहीनता नजर आ रही है, समाज में अनुशासनहीनता है, मजदूरों में अनुशासनहीनता है, राजनैतिक दलों में अनुशासनहीनता है, राजनीति के हर क्षेत्र में अनुशासनहीनता है । छात्रों और अध्यापकों में अनुशासनहीनता है । श्रीमन्, मैं अपना भाषण छात्रों और अध्यापकों तक ही सीमित रखूंगा ।

श्रीमान्, जहां हम छात्रों में अनुशासन का विचार करते हैं तो स्वतः ही हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी की याद आ जाती है । राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आन्दोलन किया, अशांति पैदा की और उधर कुलपति का, जो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, अनादर किया । छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया और बाद में उनको छोड़ दिया गया । जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी एक हमारे बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री कोठारीजी, जो कालेज

(मेजर श्री फतहसिंह)

एजूकेशन के डाइरेक्टर रह चुके हैं, वाइस चांसलर नियुक्त किए गए लेकिन, थोड़े ही समय में उनके सामने इस प्रकार की कठिनाइयां और बाधाएं उपस्थित की गई कि उनको भी त्याग-पत्र देना पड़ा। उन्होंने जो त्याग-पत्र दिया, त्याग-पत्र देते समय उन्होंने एक वक्तव्य दिया, जो अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है। वह हमारी आंख खोलने वाला है। उन्होंने कहा "कोई प्रतिष्ठित आदमी अपनी जान-माल को जोखिम में डालकर जोधपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं रह सकता।" छात्र अपनी मर्जी के मुताबिक अध्यापक चाहते हैं। कोई अध्यापक चाहे कितना ही अच्छा अध्यापक हो, अगर वह अनुशासनहीनता को पसन्द नहीं करता है, तो छात्र उसको निकालने के लिए आन्दोलन करते हैं। श्रीमन्, हमारे सामने उदाहरण है। ब्यावर में माध्यमिक विद्यालय में मिस्टर वर्मा प्रिंसिपल थे। उन्होंने डिसिप्लीन रखा। विद्यार्थियों में अनुशासन रखा। इसके लिए वह प्रयत्न करते थे, लेकिन छात्रों ने उनको पसन्द नहीं किया। उनको निकाले जाने के लिए आन्दोलन किया। उनको हटाये जाने की मांग की। जब मुझे मालूम हुआ तो तत्कालीन शिक्षा आयुक्त, श्री मेहता को मैंने कहा, अगर इस प्रकार से डर कर अध्यापकों का ट्रांसफर करते हैं तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। आज वह उस पद पर नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी बात मान कर कि अच्छे अधिकारी को अनुशासन बनाये रखना चाहिए, उनका ट्रांसफर नहीं किया। केवल छात्रों में ही अनुशासनहीनता नहीं है, अध्यापकों में भी है। श्रीमन्, मैंने कहा कि शिक्षा का विस्तार तो हो गया, प्रसार तो हो गया, लेकिन इस प्रसार के साथ-साथ जितना लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। जो शिक्षक लोग हैं, मुझे गांवों की जानकारी है, वह समय पर स्कूल में नहीं जाते हैं। वे गैर हाजिर रहते हैं लेकिन अपनी हाजिरी दर्ज करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं का जो डिपार्टमेण्टल सुपरवीजन है वह जागरूक रहे। इन्सपैक्शन डिपार्टमेण्ट का काम है। कहीं इन्सपैक्टर इन्सपैक्शन करें, कहीं आफिसर इन्सपैक्शन करें, यह मेरा सरकार को सुझाव है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर भी विचार करे कि अपने-अपने क्षेत्रों में विधायकों को भी इन्सपैक्शन करने का अधिकार दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

या वहां के जो हायर सैकण्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक हैं, उनको यह अधिकार दिया जाये कि वह नीचे की श्रेणी के विद्यालयों का निरीक्षण करें। अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो किस प्रकार भावी पीढ़ी देश का नेतृत्व कर सके, इसके महत्व को समझें। हमारे शिक्षा शास्त्री और राजनीतिज्ञ दोनों मिलकर सोचें कि शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन कैसे रहे। यह बड़ा आवश्यक है। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव और है। वह है, वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन करने के बारे में गम्भीरता से विचार करें। चूंकि समय हो गया है मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे समय मिलता तो मैं और कहता।

श्री सभापति : माननीय श्री विरदमल सिंघवी ।

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही गई है । राजनैतिक दल भी घोषणा-पत्र में यह कहते हैं, परन्तु शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कुछ नहीं कर पाये हैं । शिक्षा इस प्रकार की दी जाये कि उसका जीवन में उपयोग हो । इस बारे में हमें योजना बनानी पड़ेगी । हम चाहते हैं शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का निर्माण हो । छात्र आगे बढ़कर देश का निर्माण करें और सही रूप में काम कर सकें । मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में जो शिक्षा है, आज की जो शिक्षा है, वह केवल क्लर्क बनाने की ही शिक्षा है । छात्र पढ़ लेते हैं, फिर भटकते फिरते हैं । भविष्य में वह क्या करेंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है । जापान में जिस समय साक्षरता की शिक्षा दी जा रही थी, तो वहां के विद्यार्थियों ने विरोध किया । उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार की शिक्षा नहीं चाहते हैं । हमें तो यह बताओ, बैलून किस प्रकार बनाते हैं । हमें व्यावसायिक शिक्षा दो । इसी का परिणाम है, आज जापान विज्ञान में काफी आगे है । व्यावसायिक शिक्षा ही लोगों के जीवन में काम आयेगी । जो खेती करते हैं, उनको खेती और पशुपालन की शिक्षा दी जाये । लेकिन आज की शिक्षा में खेती और पशुपालन की बात नहीं की जाती है । इस बारे में राजस्थान पहल करके कारगर कदम उठाये कि हम देश की भावी पीढ़ी को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं । यह तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षा में परिवर्तन किया जाये और शिक्षकों के वेतनमान में सुधार किया जाये । भूखा शिक्षक ठीक शिक्षा नहीं दे सकता है । उसके मां-बाप बीमार हों तो उसके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा । शिवाजी का निर्माण बिना समर्थ गुरु रामदास के नहीं हो सकता था । चन्द्रगुप्त का निर्माण चाणक्य ही कर सकता था । शिक्षा वह चाहिए जो जीवन दे सके । इसी प्रकार का कार्य करना होगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार शिक्षकों के वेतनमान ठीक करे । राजस्थान में 5 हजार वरिष्ठ अध्यापक हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है । मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये । वेतनमानों में जो बड़ा अन्तर देखते हैं तो उनको यह सोचना पड़ता है, उनके मन में आता है कि हमारे उनके बीच में अन्तर नहीं हो । दो भाई होते हैं । अगर दोनों ही गरीब होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भाई पैसे वाला होता है और दूसरा गरीब होता है तो उनकी ऐसी धारणा होगी । इसलिए सरकार को कोई न कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि वेतनमानों में अन्तर कम से कम हो । वरिष्ठ अध्यापकों के लिए बताया गया है लेकिन होता यह है कि उनको हाई स्कूलों में लगाया ही नहीं जाता है । प्राइमरी स्कूल में लगा दिया जाता है । प्राइमरी स्कूल में जिसको लगाया उसको कोई अनुभव भी नहीं होगा तो वह क्या करेगा । इसलिये उन्हें समय-समय पर हाई स्कूल में लगाया जाये ताकि उनको हाई स्कूल का 5 साल का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले । अभी परीक्षाओं को रोका है । पालिटेक्निक के अध्यापकों ने भी बहिष्कार किया है । शिक्षकों में बड़ा असन्तोष है । यह तभी दूर हो सकता है जबकि सारे वेतनमानों को ढंग से बराबर लाया जा सके । इस प्रकार का कुछ करना चाहिए ।

मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर

(श्री बिरदमल सिंघवी)

आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षक लोग ग्रामों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामों में जाने के लिए ग्रामीण अलाउन्स उनको दिया जाय। इससे यह लाभ होगा कि लोग ग्रामों में जायेंगे। बार-बार यह शिकायत सुनने को मिलती है कि ट्रान्सफर होने के बाद अध्यापक गांवों में नहीं जाते हैं और शहरों में ही बने रहते हैं। ग्रामीण अलाउन्स की व्यवस्था यदि हो सकेगी तो यह शिकायत दूर हो सकेगी और बड़ी लाभकारी होगी।

मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान पी० ई० के टीचर्स की ओर खींचना चाहता हूं। जब यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के वेतनमानों का लाभ सबको दिया जा रहा है तो उनको भी दिया जाय। यू. जी. सी. की सारी सर्विस कन्डीशन्स उन पर लागू होती हैं, केवल वेतनमान ही लागू नहीं होता है। जब सारे राजस्थान के कालेजेज में यूनिवर्सिटी के वेतनमान लागू कर रहे हैं तो किस आधार पर उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है? यह मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक नहीं है।

इसी प्रकार से जोधपुर के प्राइवेट कालेजेज के टीचर्स का मामला है। जोधपुर में जो प्राइवेट कालेज हैं बी. एड. वगैरह के उन पर वह वेतनमान लागू नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह वेतनमान लागू किया जा सके तो इससे समस्या का समाधान हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, पाठशालाओं की क्रमोन्नति के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पाठशालाओं की क्रमोन्नति पिछले साल हुई है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान में पहले कभी ऐसी क्रमोन्नति नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि कुछ क्षेत्रों में क्रमोन्नति बिल्कुल नहीं हुई है। जोधपुर शहर में केवल एक स्कूल की क्रमोन्नति हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष क्रमोन्नति करते वक्त जिन क्षेत्रों में पिछले वर्ष क्रमोन्नति नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में क्रमोन्नति की जाय।

मैं पुस्तकालयों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। जोधपुर में सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी को जो ग्राण्ट 1952 में मिलती थी वही आज मिल रही है। उसकी ग्रान्ट आज तक नहीं बढ़ाई गई है। पुस्तकों की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई है, और लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त शहर की आबादी उस समय से आज दुगुनी से अधिक हो चुकी है, लेकिन ग्राण्ट उतनी ही मिलती है। वह ग्राण्ट इतनी थोड़ी है कि तनख्वाह में जो पैसा जाता है उससे बहुत कम पुस्तकों के लिए पैसा मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खेल के लिए निवेदन करूंगा कि खेलों के विकास की दृष्टि से जिमनास्टिक का प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में खोला जाना चाहिए। जिमनास्टिक की दृष्टि से वहां विकास हुआ है और अखिल भारतीय स्तर पर वहां के लोगों ने नाम भी कमाया है। वहां पर कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। इसलिए जोधपुर में यदि जिमनास्टिक का प्रशिक्षण केन्द्र खोलें तो बड़ा लाभ होगा।

मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर

(श्री बिरदमल सिंघवी)
विश्वविद्यालय में 4 उप-कुलपति बदल चुके हैं। चार उप-कुलपति एक वर्ष मे बदल जायं, यह वास्तव में हमारे लिए चिन्ता का विषय है। नये उप-कुलपति को स्वयं को भूख हड़ताल करनी पड़ी। उसके बाद छात्राओं ने घेराव कर लिया और उन्होंने कक्षाओं के शीशे तोड़ दिये। छात्राओं ने आन्दोलन किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उस यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरार हैं और जो कर्मचारी हैं उनमें पॉलिटिक्स बहुत चलती है। इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के साथ में उस क्षेत्र के, उस संभाग के और बीकानेर संभाग के कॉलेजेज को एफिलियेट कर दिया जाय। कॉलेजेज एफिलियेट होने के बाद उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण हो सकता है। इससे लेक्चरार्स को सुविधा हो जायगी। छात्र एक जगह हड़ताल कर देंगे तो उनका एक दूसरे से सम्पर्क नहीं होगा। जोधपुर यूनिवर्सिटी के साथ में सारे कालेजेज, जो बाड़मेर, पाली इत्यादि में हैं जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलियेट किये हुए हैं, यदि एफिलियेट कर दिये जायं तो बड़ी सुविधा होगी।

निजी स्कूलों के संबंध में मैं, श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि उन स्कूलों के अध्यापकों की हालत बहुत खराब है, बहुत गम्भीर है। उन पर भी वही सर्विस कन्डीशन्स लागू करनी चाहिए जो दूसरे अध्यापकों पर लागू हैं। जैसे कि पहले एजूकेशन डिपार्टमेन्ट ने सर्विस नियम बनाये थे और जैसे कि और सेवाओं के नियम बने हुए हैं, जैसे कि जुडिशियल सर्विस के अलग से नियम बने हुए हैं उसी तरह से एजूकेशन सर्विस के अलग नियम बना दें। साथ ही मेडिकल रि-एम्बर्समेंट और हाउस रेन्ट वगैरह के नियम सब पर समान रूप से लागू करें, चाहे वह गवर्नमेंट सर्विस में हों चाहे प्राइवेट स्कूल में हों। इससे प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की कठिनाई दूर होगी।

मैं एस. टी. सी. ट्रेन्ड शिक्षकों के बारे में निवेदन करूंगा। उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इतने ही लोगों को ट्रेन्ड करें जिनको आप नौकरी दे सकें। 30-6-1977 से डबल इन्क्रीमेंट देने की घोषणा की थी लेकिन उनका रिजल्ट लेट आया तीन दिन तो उनको 30-6-1977 का बेनिफिट नहीं दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : विधान सभा में इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था उसका तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री खेतसिंहजी ने जवाब दिया था कि वह लागू कर दिया गया है, लेकिन वाकई में वह आज तक लागू नहीं हुआ है। उसके इम्प्लीमेन्टेशन का बेनिफिट जो मिलना चाहिए था वह अवश्य मिलना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार की विधान सभा में यह घोषणा की हुई है।

धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, शिक्षा के विषय में मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा की जो नीति है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन जनता सरकार कर रही है, उसके बारे में

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा । जनता सरकार के आने के बाद में मैंने जो परिवर्तन देखा है मेरे जिले में और दूसरे जिलों के बारे में मुझे जो सूचना मिली है उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा ।

जो शिक्षक आर. एस. एस. विचारधारा के हैं, जब कांग्रेस गवर्नमेन्ट थी तब तक उनके कार्य गुप्त तरीके से चलते थे, अब वह खुल्लम-खुल्ला शाखाएं चला रहे हैं। शाखाएं चलाकर वे आज एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जो कि विद्यार्थियों के दिमाग को बहुत ही गलत कर रहा है । हमारे देश का कान्स्टीट्यूशन सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है । आर. एस. एस की शाखाओं में जो विद्यार्थी जाते हैं उनको जो वहां पर बताया जाता है वह बिल्कुल सेक्युलेरिज्म के अगेन्स्ट होता है और डेमोक्रेसी के अगेन्स्ट होता है, क्योंकि वे गुरु गोलवलकर......

श्री कौशल किशोर जैन : आपका आर. एस. एस. पर कटौती प्रस्ताव है क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : No interruption, please.

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमारे देश के कान्स्टीट्यूशन के अगेन्स्ट में अगर शिक्षा प्रणाली हो, तो वह शिक्षा प्रणाली कैसे नागरिक पैदा करेगी ? हमें चिन्ता हो रही है कि किस प्रकार के देश के नागरिक बनेंगे ? शिक्षक कैसे नागरिक बना रहे हैं ? वह विद्यार्थियों में जिस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न कर रहे हैं उससे उनमें साम्प्रदायिकता की विचारधारा का विकास हो रहा है । उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उससे देश को बहुत बड़ा खतरा है । इसलिए मैं संकेत देना चाहता हूं हमारी गवर्नमेन्ट को....

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, यह अपने मूल कटौती प्रस्तावों पर बोलें ।

श्री सभापति : आप इनको बोलने दें, माननीय सदस्य, एजीटेट न हों । आपकी बारी आये ...

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

मैं माननीय सदस्य को निवदन करना चाहता हूं कि जब आपकी बारी आये तो आप अपनी बात कहें । अगर कोई आपत्ति-जनक बात होगी तो आपका ध्यान उस ओर आकर्षित कर दूंगा ।

श्री कौशल किशोर जैन : जब हम बोलते हैं तो हम से कहा जाता है कि हम अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलें । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य से कहें कि वे अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो खतरा पैदा हो रहा है इसको मैंने देखा है । राजस्थान प्रान्त के जो शिक्षा मंत्री हैं और पहले जो शिक्षा मंत्री थे वह इसी दृष्टिकोण के थे जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं ।

एक माननीय सदस्य : अभी वाले तो नहीं हैं ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी वालों के बारे में मैं नहीं जानता हूं । लेकिन इनकी रेपूटेशन है कि he is an honest person. किस

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रकार की इनकी विचारधारा है, वह भी सामने आएगी ।

आप ट्रांसफर्स भी भले ही करें, लेकिन यदि उसका आधार आर. एस. एस. हो तो वह ठीक नहीं है । आज अगर कोई आधार इस प्रकार का माना जाए कि आर. एस. एस. का प्रचार करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न जिलों में भेजेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं ।

संविधान में प्राइमरी शिक्षा के बारे में प्रावधान है । इसके लिए हमने 1977-78 में प्रयास किया, कुछ प्राइमरी शालायें खुलीं । इस वर्ष में भी प्राइमरी स्कूल खोलने का अच्छा संकेत है । अब तक प्राइमरी शिक्षा के आधार पर हम 56 प्रतिशत को शिक्षा प्राप्त करा सके हैं जबकि अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में प्रावधान है । इस पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए । अगर यह तय करें कि 300 की आबादी के गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलेंगे तो हमारे ऐसे भी गांव हैं जो 70 और 75 वर्ग मील पर हैं । ऐसे क्षेत्र में एक स्कूल होने से क्या उद्देश्य पूरा होगा ? किसी-किसी लड़के को 10 मील जाना पड़ेगा । हमारे क्षेत्रों में आपको 300 की आबादी के समूह, ढाणियों के समूह को लेना पड़ेगा । 3,000 की आबादी में आप 10 स्थानों पर प्राइमरी स्कूल खोलेंगे तब जाकर 2 मील एक लड़के को जाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ व्यवस्था ठीक होगी । आपको डेजर्ट एरिया के लिये थोड़ा-सा अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा और इस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा ।

एक कमी जो विशेष तौर से बाड़मेर जिले में आ रही है वह है आई. टी. आई. की, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ...

श्री सभापति : कृपया आसन और वक्ता के बीच में क्रॉस न करें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : राजस्थान के 26 जिलों में से 16 जिलों में ये संस्थान हैं । हमारे यहां किसी भी योजना के लिए कोई योग्य या अनुभवी आदमी नहीं मिलते । न ड्राइवर, न मैकेनिक, न लाइन्समैन मिलता है, इसलिए जब तक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र न हो, वहां ट्रेनिंग न हो तब तक अनुभवी आदमी नहीं मिलेंगे । दूसरे स्थानों के लोग आते नहीं हैं इसलिए इस संस्थान की स्थापना की जरूरत है ।

सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में सीमावर्ती छात्रावास बनाए गए हैं ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का मोरल बूस्ट अप करें परन्तु उनमें रहने वाले छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह काफी देर से दी जाती है । सत्र जुलाई में शुरू होता है, पैसे फरवरी में दिए जाते हैं । इस साल भी फरवरी में दिये । तब तक वे उधार लेकर काम चलाते हैं । न समय पर उनके खाने-पीने की व्यवस्था होती है न अच्छा सामान मिल पाता है । यह काम जिला शिक्षा अधिकारी के जिम्मे रखें कि समय पर उनको 100 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिले ।

हमारे यहां राजकीय कॉलेज है, परन्तु छात्रावास नहीं है । शुरू से यह प्रश्न उठाता आ रहा हूं कि छात्रावास होना चाहिए, किन्तु इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली । अभी जो प्रावधान किए गए हैं उनके तहत 56 लाख रुपये पुस्तकालयों, भवन निर्माण, छात्रावास के निर्माण इत्यादि के लिये हैं । हमारे जो पहले के शिक्षा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
मंत्री थे उन्होंने वहां कालिज में जाकर घोषणा की थी कि हम 1 लाख रुपये की मदद करेंगे। वह अब शिक्षा मंत्री रहे नहीं, उस छात्रावास को बनाने के लिये आप मदद दें ताकि कालेज को लाभ मिल सके।

श्री सभापति: श्री हरजीराम बूरडक।

(अनुपस्थित)

श्री अजीत सिंह!

श्री अजीत सिंह (टोंक): सभापतिजी, आज देखने को मिल रहा है कि हमारा शिक्षा का स्तर गिर रहा है और बजट के इस मद में भारी बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। मां-बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन वे निरन्तर बिगड़ते जा रहे हैं। गांवों के बच्चों पर इसका असर पड़ता है। मास्टरों का अभाव है और कागजों की कमी किताब न मिलने का कारण है। नई नीति के कारण दिक्कत यह है कि जहां लड़कों की स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती वहां शिक्षा-प्रसार नहीं हो पाता। जहां स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई वहां से मास्टरों को हटाया गया। इस ओर कृपया आप ध्यान दें।

दूसरे, स्कूलों के हिसाब से मास्टरों का अलॉटमेंट पंचायत समिति में हो। नीचे के स्तर से जब तक ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल कर दिक्कत होगी। बच्चों की नींव कमजोर होती है, इसलिए जब वे उच्च कक्षाओं में आते हैं तो वे नहीं चल पाते हैं। फिर अनुशासनहीन हो जाते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। इसलिये सरकार ऐसा प्रोग्राम बनाये, ऐसी नीति निर्धारित करे ताकि ये प्राइमरी स्कूल बच्चों की नींव मजबूत कर सकें।

इसके अलावा गांवों के स्कूलों में कृषि की पढ़ाई हो। इसके दो फायदे होंगे। एक तो बच्चों की उस विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी, दूसरे अधिक अन्न उपजाने में वे सहायक हो सकेंगे। जो खेती बढ़ाने के नए-नए तरीके हैं उनका ज्ञान उनको स्कूल में हो जाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़-लिखकर निकलें तो अपने खेतों में उसका उपयोग कर सकें। इसके लिए हरएक स्कूल में बाग लगाया जाए। जो पहले बुक बैंक्स की स्थापना की गई उसमें सरकार की रुचि कम है। पहले गरीबों के बच्चों को राहत मिल जाती थी। इस ओर सरकार ध्यान केंद्रित करे ताकि किताबें गरीबों के बच्चों को मिल सकें।

इसके अलावा मास्टरों की गांवों में बड़ी समस्या है। शहरों में मास्टरों को चिकित्सा सुविधा मिलती है, जब कि गांव में रहने वाले मास्टरों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। न वहां वैद्य है, न डिस्पेन्सरी है इसलिए उनका बिल बनाने का सवाल पैदा नहीं होता, मजबूरन अपने पैसे से इलाज कराना पड़ता है। चिकित्सा भत्ता उनको अपनी तनख्वाह के साथ दें तो ज्यादा उचित होगा। इससे जो उनकी शहरों में आने की रुचि है वह कम होगी गांव के मास्टरों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कि आप शहरों में जो अध्यापकों को सुविधायें देते हैं वह सुविधायें आप ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को भी दें तो मैं निश्चित् रूप से यह कह सकता हूं कि लोग गांवों में जाने में रुचि लेंगे। आज आप गांवों में लोगों को हाउस रेन्ट देते नहीं हैं, दूसरे उनको मैडिकल फेसि-

(श्री अजीतसिंह)
लिटीज पूरी नहीं मिलती हैं। गांवों मे अस्पताल ही नहीं हैं तो उन लोगों को कैसे चिकित्सा सुविधायें मिल सकती हैं ? इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस ओर ध्यान दें।

इसके साथ-साथ मैं, सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज आपने महिलाओं के लिये अलग-अलग महिला इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल्स बना रखी हैं। उनका अपना अलग-अलग रेन्ज भी आपने तय किया है। आपने टोंक को अजमेर इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल्स के नीचे दे दिया है। होता यह है कि वहां से अध्यापिकाओं के बिल्स तीन-तीन महीने तक पास होकर नहीं आते हैं जिससे कि वह लोग बहुत परेशान होती हैं। सभापति महोदय, हर इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल्स के नीचे तीन-तीन जिले दे दिये हैं। इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स, अजमेर के नीचे आपने टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर दे दिया है। जब आपने सैन्टर अजमेर को कर दिया तो कम से कम आपको उसके नीचे डिप्टी इन्सपैक्टर वगैरह भी रखने चाहिये जो कि इन लोगों के बिलों को वहीं के वहीं पास कर दें। ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिससे उनके बिल्स अजमेर नहीं जावें। अभी वर्तमान में जो व्यवस्था आपने की है, वह उचित नहीं है। इसलिये जैसा कि मैंने आपको सुझाव दिया है उस के अनुसार ही आप कार्यवाही करें तो अध्यापिकाओं को आप कुछ राहत देंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो शिक्षा विभाग में डिविजन बनाये हैं उसमें टोंक को आपने कोटा डिविजन के नीचे दे दिया है। यह आपने उचित नहीं किया है। हमारा कोटा से कोई ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि हमारे टोंक वालों को जयपुर से ज्यादा राहत मिल सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप टोंक को जयपुर डिविजन में रख दें।

इसके अलावा मैं थोड़ा आपको बच्चों की पुस्तकों के भार के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज जो बच्चों को पढ़ाई करायी जाती है उसमें पुस्तकों का भार बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, साथ ही पैसों का भार भी पड़ता है। पुस्तकें भी आपने ज्यादा रखी हैं। खर्चा पुस्तकों का ज्यादा बढ़ जाने से ग्रामीण लोग बेचारे पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, या फिर बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मेरा आपको निवेदन है कि आप इसके लिये पुस्तक बैंक्स बनायें तथा पुस्तकों और कॉपियों में कमी नहीं आवे इसके लिये कन्ट्रोल करें ताकि बच्चों को पुस्तकें मिल जायें, कॉपी मिल जायें और वह लोग पढ़ सकें।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव कला एवं संस्कृति के संबंध में भी दिये हैं। इसके अलावा कुछ अध्यापकों के विषय में भी अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। सबसे पहले मैं अध्यापकों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह बात सही है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गत एक वर्ष के दौरान जनता सरकार ने बहुत से स्कूल खोले हैं। सभापति महोदय, जनता सरकार ने स्कूल तो खोल दिये पर यह

(श्री नारायणसिंह)

नहीं देखा कि उन स्कूलों में मास्टर भी पहुंच पाये हैं या नहीं। वहां पर वास्तव में बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं। आज स्थिति यह है, सभापति महोदय, उन स्कूलों में अध्यापकों का पता ही नहीं है। स्कूल खोल दिये गये हैं, किन्तु पुस्तकों की कमी है, कॉपियां बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रही हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस की गहराई में जाकर गांव-गांव में दौरा करके देखें कि आया उन गांवों में बच्चों को पढ़ाने अध्यापक पहुंचे या नहीं। दूसरे, बच्चों के पास पढ़ने को पुस्तकें हैं या नहीं। तीसरे, उन बच्चों के पास कॉपियां हैं या नहीं। जनता सरकार ने स्कूल अधिक से अधिक एक वर्ष में खोल दिये, यह तो एक अच्छा काम ही किया है, लेकिन अगर वहां अध्यापक नहीं हैं, बच्चों को पढ़ने को पुस्तकें नहीं मिल रही हैं या कॉपियां नहीं मिल रही हैं तो यह बच्चों के साथ एक भारी अन्याय है। यह उनके लिये, सभापति महोदय, बहुत ही घातक सिद्ध होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज हालत यह है कि कहीं-कहीं पर स्कूल हैं तो अध्यापक नहीं हैं और कई जगह ऐसी भी हैं जहां अध्यापक हैं तो बच्चों की बहुत कमी है। एक स्कूल में 30 बच्चे हैं। दूसरी जगह एक ही मास्टर के पास 80, 100 तक बच्चे हैं। कहीं-कहीं पर एक टीचर के पास दो सौ बच्चे एक कक्षा में होंगे। तो मेरा निवेदन है कि एक मास्टर तीस लड़कों को कन्ट्रोल करे दूसरी ओर एक अध्यापक दो सौ लड़कों को कन्ट्रोल करे, वह कैसे कन्ट्रोल कर सकेगा दो सौ लड़कों को? इसलिये मेरा शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आप इसके लिये एक क्राइटेरिया फिक्स करिये और उसके अनुरूप आप अध्यापकों को रखिये।

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आपकी मार्फत इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कई बार विधान सभा में और बाहर भी पब्लिक स्कूल्स के बारे में चर्चायें होती हैं। यह भी कहा जाता है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है और दूसरी जगह पढ़ाई खराब होती है। लोग पब्लिक स्कूल्स को बदनाम करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पब्लिक स्कूल्स को बन्द किया जाना चाहिये। मेरा राज्य सरकार से इस बारे में यह निवेदन है कि अगर पब्लिक स्कूल्स में अच्छी शिक्षा दी जाती है तो सरकारी स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिये। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पब्लिक स्कूल्स की पढ़ाई को हमारे स्कूल्स में भी लागू कर दें। यह बात उचित नहीं है कि अगर किन्हीं स्कूलों का स्टैण्डर्ड अच्छा है तो आप उनको गिराने की कोशिश करें। उन्हें बदनाम करें। आज अगर हमारी प्राथमिक शालाओं का या हमारे दूसरे स्कूल्स का स्टैण्डर्ड गिरा है तो आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? यह क्या बात है कि जिसका स्तर ऊंचा है उसे ही आप गिराना चाहते हैं? इस बारे में कई बार हमारी विधान सभा में, लोकसभा में तथा और भी कई जगहों पर चर्चा की जाती है कि इन स्कूलों को बन्द किया जाय। हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने इसके लिये एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनायी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है कि आया पब्लिक स्कूलों को बन्द किया जाय या चालू रहने दिया जाय। विद्वानों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पब्लिक स्कूलों को चालू रहने दिया जाय। यह

(श्री नारायणसिंह)
स्कूल्स अच्छे हैं. इनको हमारे देश में रखना अनिवार्य है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको प्रेस्टिज इश्यू न बना कर स्कूल्स की जो क्वान्टिटी बढ़ा रहे हैं वह नहीं बढ़ा कर अगर आप अच्छे स्कूल्स बढ़ावें तो ज्यादा उचित होगा। पब्लिक स्कूल्स में जो कोर्स है वह कोर्स आप अपने स्कूल्स में रखिये। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सरकार के हाथ बहुत बड़े हैं। आप भी बच्चों को सस्ती और अच्छी पुस्तकें दें। मैं तो कहूंगा कि आप बच्चों को फ्री पुस्तकें दें। आज जब यह कहा जाता है कि हम सुलभ शिक्षा और सुलभ न्याय देंगे तो फिर आप क्यों नहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं? आपको पब्लिक स्कूल्स की आलोचना नहीं करनी चाहिये। क्रिटिसाइज करने के कारण उनका मोरल गिर जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अच्छे मास्टर रखें। आप उन्हें अच्छी सुविधायें उपलब्ध करावें। इससे आपके स्कूल्स का स्टैण्डर्ड बढ़ेगा और जो हमारा ध्येय है सुलभ शिक्षा और सुलभ न्याय वाला वह पूरा होगा। आप देहात में यह व्यवस्था करें, गरीब बच्चों को स्कूल के अन्दर मुफ्त पुस्तकें दें, फ्री कॉपियां दें, बच्चों को फ्री ड्रेसेज दें जिससे कि बच्चों का मोरल बढ़े और बच्चे आगे बढ़ें। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को एक वक्त अच्छा खाना भी दें। यह सभी बातें अगर आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि जनता सरकार आयी है और कुछ काम करना चाहती है, नहीं तो पब्लिक स्कूल्स को आलोचना करना उचित नहीं है।

इसके अलावा मैं, सभापति महोदय, सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी को कहीं भी जाना हो तो पहले अपना प्रोग्राम नहीं देना चाहिये। उन्हें तो अचानक इन्सपैक्शन करना चाहिये। वैसे, सभापति महोदय, कहते हैं कि वह एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं। मैं खुद उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखता हूं लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि उनको अगर गांवों में अध्यापकों के बारे में सही स्थिति का ज्ञान करना है तो वे शिक्षा के उच्च अधिकारियों को अपने जाने की पूर्व सूचना नहीं दें और अचानक ही वहां पर पहुंचें इन्सपैक्शन करने तो उनको पता पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कई स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं। आप तो सिर्फ टेलीफोन करके नीचे के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको बुला लें। नहीं तो पहले ही खबर हो जाती है। इस बात के लिये अगर आप चाहें तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूं।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं कला और संस्कृति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, अभी हम जयपुर की 250वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और काफी समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जयपुर को बसाया था उस व्यक्ति ने जहां-जहां भी अच्छे विद्वान और कलाप्रेमी उस वक्त थे उनको अपने यहां लाकर बसाया। सभापति महोदय, यह जयपुर की परम्परा रही, जयपुर के राजघराने वाले भूतपूर्व महाराजा हमेशा जहां भी जाते थे चाहे बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पटना हो, चाहे और कोई जगह हो उन्हें अगर अच्छे विद्वान मिलते या वह सुनते तो उन लोगों को यहां लाकर बसा लेते थे ताकि जयपुर में कला और संस्कृति का विकास हो और होता भी था। इस ओर भी मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना

(श्री नारायणसिंह)

चाहूंगा कि पहले जयपुर में अच्छे गाने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था। न केवल जयपुर के ही गाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता था, बल्कि जो लोग जयपुर से बाहर बम्बई, कलकत्ता वगैरह, हिन्दुस्तान के कई क्षेत्रों में अच्छा गाते थे या नृत्य करते थे उन्हें यहां लाकर बसाया जाता था। मेरा इस बारे में राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में कला एवं नृत्य के लिये एक कक्ष खोला जाय और लोगों को शिक्षा दी जाय। आप नृत्य को केवल घुंघरू की आवाज ही नहीं समझें, वह तो एक संस्कृति है, एक कला है उसके लिये यूनिवर्सिटी में एक कक्ष खोलें तो उसका विकास होगा नहीं तो हमारी पुरानी संस्कृति और यह कला का धीरे-धीरे लोप हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि हमारी पुरानी संस्कृति कला को वापस लाया जाय और उसे कायम रखा जाय।

जय भारत!

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : सभापति महोदय, कटौती प्रस्तावों के अनुसार मुझे बोलना तो चाहिये था कि भरतपुर के कॉलेज में क्या कमियां हैं, कन्या महाविद्यालय में किस चीज की जरूरत है और अन्य विद्यालयों में क्या कमियां हैं। लेकिन एक बात ऐसी हुई है जिससे दिल में भय और आतंक बैठ गया है, इसलिये मैं उन बातों पर नहीं बोलूंगा। कल ही पता लगा है कि जब मैंने चिकित्सा अनुदान पर बोलते समय जोरदार मांग की थी कि बच्चों की चिकित्सा के मामले में घोर उपेक्षा हो रही है, हर जिले में बाल विशेषज्ञ होने चाहिये, तो भरतपुर में जो बाल विशेषज्ञ था उसे वहां से उल्टा हटा कर अन्यत्र भेज दिया गया है। जनता पार्टी के मंत्री बड़े विचित्र हैं। मैंने सोचा कि यदि महाविद्यालयों के ऊपर बोलूं तो कहीं ऐसा न हो शिक्षा मंत्री किसी प्रिन्सिपल को ही बर्खास्त कर दें, उल्टे कहीं कुछ विषय कम न कर दें। इसलिये अपने क्षेत्र के लोगों के हित को ध्यान में रख कर यह उचित समझता हूं कि इस विषय पर न बोल कर इधर-उधर की बात कह कर समाप्त कर दूं, श्रीमान्,

गांधी लोहिया के अरमान।
देश की शिक्षा एक समान।।

यह आन्दोलन खूब लड़ा। लेकिन वर्षों हो गये गांधी और लोहिया के अरमान हवा में लटक रहा है और आज तक वह अरमान पूरा नहीं हुआ। देश में टूटे-फूटे भवन, शिक्षण भवन, फटी टाट-पट्टी, दूसरी ओर करोड़ों रुपयों की लागत से बने भव्य शिक्षण भवन, एक तरफ 3 रुपये महीने की शिक्षा और दूसरी तरफ 600 रुपये की शिक्षा, कैसे समन्वय होगा, एकात्मता कैसे होगी? जब तक इस तरीके को नहीं हटाया जावेगा तब तक देश में बालकों को समान शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, और सुविधा नहीं दी जा सकेगी। देश प्रगति नहीं कर सकेगा।

मैं डिग्गी से आये माननीय श्री नारायणसिंह जी की बात को काटता नहीं। देश के हर एक पब्लिक स्कूल में जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है वैसी ही देश के प्रत्येक स्कूल में मिल जाय तो इसमे अधिक खुशी की बात कोई नहीं होगी। लेकिन उस शिक्षा का देश के उत्पादन से संबंध नहीं है। जब तक देश के उत्पादन से शिक्षा का संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक असमानता रहेगी। एक तरफ तो केन्द्रीय विद्यालयों को 80 प्रतिशत अनुदान मिलता है, जिसमें बीस प्रतिशत

(श्री सुरेशकुमार)

शिक्षा पाते हैं और दूसरी तरफ प्रान्तीय विश्वविद्यालयों को, जहां 80 प्रतिशत शिक्षा पाते हैं, 20 प्रतिशत अनुदान मिलता है। जब तक शिक्षा में असमानता है तब तक पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर देना चाहिये।

शिक्षा का संबंध अतीत को वर्तमान के माध्यम से भविष्य से जोड़ने का है। जो शिक्षा इसमें असफल है, जो शिक्षा इतना न कर सके वह शिक्षा हमारे लिये व्यर्थ है। इसलिये इस शिक्षा में सुधार होना चाहिये। मौलाना आजाद से लेकर प्रतापचन्द्र चुन्दर तक यह बात चलती आयी है कि शिक्षा में सुधार हो। शिक्षा रोजगार उन्मुख हो। लेकिन कब होगी? मैं चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ठोस तरीके से काम करे और कम से कम अपने प्रदेश में एक समिति बना कर इसका अच्छी तरह से अध्ययन करे कि प्रदेश की नीति, शिक्षा की नीति, परीक्षा की नीति क्या होनी चाहिये, इन सब बातों पर सोचे और ठोस आधार शिक्षा का प्रदान करे। श्रीमन्, मैं समझता हूं वह शिक्षा सार्थक होगी नहीं तो, श्रीमन, यह सब बेकार है।

हम चाहते हैं अच्छे समाज का निर्माण हो। अच्छे समाज के निर्माण के लिये अच्छी और समान गुणकारी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होनी चाहिये। देश से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा जिससे देश के 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है, के लिये 20 प्रतिशत अनुदान मिलता है और जिस शिक्षा के द्वारा 20 प्रतिशत को लाभ मिलता है उस पर आप 80 प्रतिशत भाग खर्च करते हैं। यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है इसलिये भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित शिक्षा, जिस पर 20 प्रतिशत खर्च करते हैं, के ऊपर 80 प्रतिशत खर्च कीजिये और 20 प्रतिशत पर जो 80 प्रतिशत खर्च करते हैं उस धारा को ऊपर से नीचे लाइये। आप 80 प्रतिशत वाली शिक्षा को पूरा अनुदान दिलवाइये ताकि समाज के अन्दर समानता आ सके और कल्याण हो सके।

श्रीमान्, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। हमारे देश में मरीजों के लिये डॉक्टर नहीं और डॉक्टरों के लिये मरीज नहीं। इन्जीनियरों को सड़कों का काम नहीं और सड़कों और बांधों के लिये इंजीनियर नहीं। क्या शिक्षा है यह? शिक्षा के तकनीकी क्षेत्र में इतनी बेकारी। तकनीकी शिक्षा उतनों को ही दें जितनों को रोजगार दे सकें वरना देश में तकनीकी बेकारों की फौज बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। कम से कम राजस्थान में दसवीं कक्षा के ऊपर उच्च शिक्षा को बढ़ाना बन्द कर देना चाहिये और सारी ताकत अनपढ़ लोगों को शिक्षा देने के लिये लगा देनी चाहिये। उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा स्तर तक प्राथमिकता देकर शिक्षा दें। हमने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि 12 साल के सब ही बच्चों को मिडिल तक शिक्षा दे देंगे। वह पहले पूरा कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, यह अब एक और विषय है, और सब बातों को छोड़ देता हूं, उसी को कह कर बैठ जाऊंगा। आज तक सदन में सुनी घुंघरू की बात, तबलों की बात। श्रीमन्, इतना बड़ा काम हुआ है, राजस्थान में पुरानी सभ्यता की खोज हुई है और पुरातत्व विभाग चुपके-चुपके यह काम करता रहा है। पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। पुरातत्व विभाग ने

(श्री सुरेशकुमार)

जो काम किया है मैं उसकी सराहना करता हूं । भरतपुर में खुदाई हुई, नीम के थाने में गणेशर में खुदाई हुई और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे नयी जानकारी मिली है। बहुत-सा सामान निकला है। श्रीमन्, यह भ्रम फैला हुआ था कि विदेशों से हमें ताम्बे के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ और तब हमने ताम्बे का प्रयोग करना सीखा । श्रीमन्, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसने इसको झुठला दिया है । हम बहुत प्राचीन काल से ही ताम्बे के उपयोग को जानते थे और इसको काम में लेते थे । इतिहास गलत ढंग से पढ़ाया जा रहा है । खेतड़ी का 40 एस्क्वायर मील एरिया व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र था । इसकी और भी अधिक खोज होनी चाहिये । यहां की हस्तकला लुप्त हो गयी है । किसलिये हो गयी ? इसलिये कि उनके प्रचार और प्रसार का कोई साधन नहीं है । पुरातत्व विभाग ने जितना कार्य किया है, उसको प्रोत्साहन देने के लिये शिक्षा मंत्रीजी को कुछ करना चाहिये ताकि अधिक से अधिक प्रगति हो, लोगों में उसके प्रति रुचि हो, पुरानी बातों और सभ्यताओं का लोगों को ज्ञान हो । इसके माध्यम से, हस्तकला के माध्यम से तकनीकी शिक्षा दी जाय जिससे शिक्षा के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : श्रीमान् सभापति महोदय, महात्मा गांधी का नाम लेकर तीस साल के प्रशासन में रोते रहे और आज 9 महीने हो गए हमने भी महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की बात कही और रो रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आप जिस घोषणा-पत्र के आधार पर चुनाव लड़कर लोगों के साथ वायदे करके आये हैं, उसको दूसरे लोग भूल गए और आप भी उनकी तरह भूल गये नजर आ रहे हैं । इस देश की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और 20 फीसदी शहरों में रहती है । इस बार जब बजट पेश किया गया तो बड़े जोर का हल्ला मचाया गया कि बजट ग्रामोन्मुखी है । श्रीमान्, सन् 1952 से लेकर आज तक, जब हमने यह शिक्षा विभाग की पुस्तिका पढ़ी, जितने भी कॉलेजेज किसी भी किस्म के खुले वह सारे के सारे शहरों में खोले हैं और अब भी प्रवृत्ति वही है। पिछली बार जितने भी कॉलेजेज खोले गये वह भी शहरों में ही खोले गये । आज गांव की बात करते हैं । गांव के लोगों को उल्लू नहीं बनाया जा सकता । अगर आप वास्तव में इन्साफ करना चाहते हैं तो शिक्षा में सुधार के साथ-साथ आपको इस बात को भी नकारना नहीं होगा कि इस देश में 80 फीसदी जनता, जो कि गांवों में रहती है, के लिए कॉलेजों की व्यवस्था गांवों में ही करनी होगी । अगर आपका जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में जरा भी विश्वास है तो मैं आशा करूंगा कि शहर में कॉलेजेज नहीं खोलेंगे और गांवों में, जहां कि 80 फीसदी लोग रहते हैं, कॉलेजेज खोलेंगे ।

दूसरे, श्रीमान्, संविधान ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है, यह डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में दिया हुआ है कि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि हर गांव में, हर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन सरकार निःशुल्क देगी । अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का एक पत्र प्राप्त हुआ

(श्री हरचन्दसिंह)

है। जिसमें अगले सत्र में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आधार बताये गये हैं। उसमें एक नोट दिया गया है, श्रीमान्, हमसे यह पूछा गया है कि आप यह निश्चित कर लें कि जहां-जहां स्कूल खुलवाना चाहते हैं वहां भवन की व्यवस्था है या नहीं है। तो, श्रीमान्, गांव में तो हम भवन शिक्षा मंत्रीजी को बना कर दें और इन चमकीले और भड़कीले शहरों में लाखों रुपयों की बिल्डिंग, औजार सरकार मुहैय्या करे, जहां कि करोड़पति बसते हैं वहां बिल्डिंग सरकार बना कर दे। करोड़पति का बच्चा चाय पीकर निकले और उसके घर के सामने कॉलेज और दूसरी व्यवस्थाएं मौजूद हों। एक गरीब काश्तकार का बच्चा 150 रुपया खर्च करके यहां पहुंचे तो पहले तो उसे दाखिला नहीं मिले। यदि दाखिला मिल भी जाये तो हॉस्टल में जगह नहीं मिले। जब हॉस्टल में जगह नहीं मिले तो फिर दूसरी जगह किराये पर जाकर रहे। फिर वहां सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या तुम शादीशुदा हो? वह कहता है मेरा बाप शादीशुदा था तब ही तो मैं पैदा हुआ। इस तरह की हमारी बेइज्जती होती है, गांव की इस तरह से बेइज्जती होती है। इस बेइज्जती को रोकिये और 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं उनके लिए एजूकेशन की व्यवस्था कीजिए।

दूसरे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अनुशासनहीनता की बात माननीय मेजर साहब ने कही वास्तव में सही बात है। अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता क्यों है? इसका रूट काज क्या है?

मेजर श्री फतहसिंह : पॉलिटिक्स।

श्री हरचन्दसिंह : रूट काज पॉलिटिक्स के अलावा एक और भी है। वह यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति, जो अंग्रेजों के वक्त में 1835 में बनी, में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। सन् 1962 में कोठारी आयोग बैठाया। अब भी हम इस भ्रम में हैं कि टू टायर स्कीम हो या थ्री टायर स्कीम हो। अभी हमें स्कीम का ही पता नहीं है। जब तक हम यह दिशा नहीं बता देंगे कि हमें कौनसी दिशा में जाना है और कौनसी हमारी मंजिल है तब तक वही हमारी शिक्षा है, वही पद्धति है, वही कॉलेजेज हैं। एक हमारा इन्सेन्टिव है कि जो कालेज से निकलेगा वह क्लर्क बनना पसन्द करेगा। वह घर का काम करना पसन्द नहीं करेगा, दूसरा इन्डिपेन्डेन्ट काम करना पसन्द नही करेगा। उसका कारण है, श्रीमान्, वह इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है। आज जहां कहीं भी हम देखते हैं हमारी सारी की सारी प्रशासनिक जिन्दगी के अन्दर भ्रष्टाचार के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। एक मिसाल मुझे याद आई। मैं एक बस में जा रहा था तो दो चौधरी मेरे आगे बैठे हुए बात कर रहे थे। एक ने दूसरे को कहा कि मैंने अपनी लड़की का रिश्ता कर दिया। दूसरे ने पूछा कि किससे किया? तो कहने लगा एक ओवरसीयर है। उसकी तनख्वाह 250 रुपये है। फिर दूसरे चौधरी ने पूछा कि भई टीके में क्या दिया तो वह कहने लगा कि 21 हजार रुपये देकर आया हूं। इतने ज्यादा इसलिए कि उसकी 700-800 रुपये की ऊपर की कमाई हो जाती है। यह जो ऊपर वाली बीमारी है यह सब जगह है। यह आई. ए. एस. ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं यह उस पद्धति को कायम रखना चाहते हैं। जैसा माननीय नारायण सिं ने कहा था कि उनके लड़के पब्लिक स्कूल

(श्री हरचन्द सिंह)

में पढ़ते हैं और उनके पास सारे साधन हैं इसलिए एक आई. ए.एस के आई ए. एस ही पैदा होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप गांव के लोगों की जिन्दगी सुधारना चाहते हैं तो इस शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, हमारे दिमागों से इस प्रवृत्ति को हटाना होगा कि अगर आप क्लर्क बन जायें, नौकरी मिल जाये तो यह ऊपर का जो मामला है यह मिट जायेगा। श्रीमान्, हमने पद्धति वह पैदा की है कि 9 महीने होटलों में जायें और महीने में 15 दिन पढ़ाई करें, मास्टरों को पीटें, पेपर आउट हो जायें और मास्टर के एक ग्रुप के लड़के तो पास हो जायें और दूसरे ग्रुप के फेल हो जायें। यह प्रवृत्ति जब तक नहीं · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बदलेगी तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे और न शिक्षा में किसी तरह का सुधार ही ला सकेंगे। जैसा माननीय मेजर साहब कह रहे थे कि हर जगह पॉलिटिक्स घुसी हुई है। आज यूनिवर्सिटी में इसलिए बावेला हो रहा है कि त्यागीजी को राजनैतिक आधार पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस-चान्सलर बनाया गया। तो दूसरे राजनैतिक आधार वाले लोग थे उन्होंने उनका घेराव शुरू कर दिया। यह कहा जाता है कि फलां घटक वाला वाइस-चान्सलर आ रहा है, इसलिए दूसरे घटक वाले उनका घेराव करते हैं। हमने यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। इसी तरह से अगर यह मामला चलता रहा तो, श्रीमान्, न तो यूनिवर्सिटी किसी काम की और न कॉलेजेज़ किसी काम के। चाहे हम मांग करते रहें, जैसी हमारी प्रवृत्ति है कि मेरे यहां भी खोल दें, मेरे यहां भी खोल दें-इससे कुछ नहीं होगा।

दूसरे हमारे अध्यापकों में नैतिकता होनी चाहिए। अगर अध्यापकों में नैतिकता नहीं है तो वह दूसरे बच्चों में नैतिकता का संचार कैसे कर सकते हैं? श्रीमान्, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम शाबासी लेने के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए स्कूल तो खोल रहे हैं, लेकिन जब अध्यापकों के लिए जाकर कहते हैं कि अध्यापक नहीं हैं तो हमारे पास स्लिप आती है कि साधन सीमित हैं। तो, श्रीमान्, जहां · · ·

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरचन्दसिंह : छात्र हैं वहां शिक्षक नहीं है। तो हम उनको फाटक बना दें, क्या करें उनका? इस बात की सारे प्रदेश में चर्चा है कि टीचर्स नहीं हैं। लड़कों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनमें अनुशासनहीनता नहीं आयेगी तो क्या होगा? श्रीमान्, अगर स्कूल खोलना है, तो टीचर्स पहले होने चाहियें। कृषि की शिक्षा होनी चाहिये। कहते हैं हमारे पास साधन नहीं हैं, हम तो आपको कला का ही कॉलेज देंगे। प्रशासन की तरफ से ऐसा हो तो यह गलत है। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले सत्र में आप एक हिम्मत का उदाहरण हमारे सामने पेश करें। ग्रामों के साथ आप इन्साफ करें, ग्रामीण क्षेत्र में ही कॉलेज खोलें, शहर में कॉलेज न खोलें और वहां भी स्कूल खोलें। वहां अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करें। यही कहता हुआ, आपसे क्षमा चाहता हूं।

जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ईश्वरचन्द!

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे यहां रविशंकर पधारे थे। जब सितार बजा रहे थे तो हमारे जयपुर के एक बड़े आई. ए. एस. ऑफिसर के एक चमचे ने 50 पानों का एक पैकिट लाकर उनको दिया। श्रोताओं को बहुत विघ्न हुआ। शिक्षा मंत्री महोदय, इस कला और संस्कृति के विभाग में आई. ए. एस. ऑफिसर की दखलअन्दाजी को रोकें। सांस्कृतिक समारोहों में ऑफिसरो की बीबियां कौनसी सब्जी कैसे बनाई जाती है, यह बात करती हैं। सांस्कृतिक समारोहों में हमारे ऑफिसर और उनकी बीबियां इस प्रकार की चर्चा चलाती हैं, जब रविशंकरजी मंत्रमुग्ध होकर द्रुत में सितार बजा रहे थे....

(4.44 म.प.)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : यह व्यक्तिगत मामला है।

श्री ईश्वरचन्द्र : कलाकार का जो स्टेटमेंट आया है वह हमारे राजस्थान के लिये शर्म की बात है, कि सांस्कृतिक समारोह में इस तरह से विघ्न पहुंचाया जाये....

एक माननीय सदस्य : कहां है स्टेटमेंट ?

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने ठीक फर्माया...

श्री सभापति : Please...

एक माननीय सदस्य : इस तरह से आई. ए.एस. ऑफिसर, उनकी बीबियों की बात कहें, यह क्या तरीका है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : यह कौनसा गलत तरीका है। ऑफिसरों की लाबी बनाना चाहते हैं। हम नहीं बनने देंगे।

एक माननीय सदस्य : आई. ए. एस. ऑफिसर यहां पर बोल नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया मुझे सुनिये। अगर कोई बात अन-पालियामेंट्री होगी तो मैं उसी वक्त एक्सपंज करने के लिये कह दूंगा। आप उनको बोलने दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अन-पालियामेंट्री की बात नहीं है। सवाल इस बात का है। आई.ए.एस. ऑफिसर्स की पत्नियां अपने आपको डिफेंड करने के लिये यहां नहीं आयेंगी। इस प्रकार की चर्चा करना न सदन की गरिमा के अनुकूल है, न नियमों में आता है।

श्री ईश्वरचन्द्र : कोई नियम नहीं रोकता मुझे।

श्री सभापति : अगर गैर जरूरी बात न करें तो मुनासिब होगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं महिलाओं क आदर करता हूं और उसके लिये लड़ा हूं।

तीन अकादमियां बनाई हैं....

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये।

(श्री ईश्वरचन्द्र)

मैं यह कहना चाहूंगा कि साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी यहां बनी हुई हैं। इन अकादमियों में किस तरह की धांधली नहीं हुई है। जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य का सृजन कर रहे हैं उनको संरक्षण देने की कोई व्यवस्था, कोई कार्यक्रम इन अकादमियों के पास नहीं है। विष्णुदत्त शर्मा, आई.ए.एस. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। सारे साहित्यकार मर गये राजस्थान में। श्री रामनिवासजी मिर्धा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं चार लाइनः—

नाचीज राह के तिनके आसमान पहुंचे,
बन गये सितारे अनपढ़ बेवकूफ ढले।
पर तेरी करता हुआ साधना मैं अब तक,
हूं खड़ा वहीं लगे न जहां कभी मेले।

आज साहित्यकार वहीं खड़ा है। जो साहित्यकार नहीं, वे अकादमी के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो मंत्री महोदय कृपया जो साहित्यकार हैं, उनको अकादमी में लें। एक हैं श्री ओंकारलाल पारीक। इन्दिरा गांधी की सरकार ने निकाल दिया, आज भी बाहर हैं। इस तरह के साहित्यकार....

एक माननीय सदस्य : आपको अध्यक्ष बनायेंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : ललित कला अकादमी के सचिव सुन्दर स्वरूप भटनागर हैं। इनकी भी जांच होनी चाहिये। आपकी ललित कला अकादमी क्या करती है? साल भर में एक प्रदर्शनी करती है। उस प्रदर्शनी में बूंदी की, किशनगढ़ की कला नहीं आती, मोडर्न आर्ट के नाम पर अपने ही रिश्तेदारों की कृतियां भर लेते हैं, और जनता को गुमराह किया जाता है।

मंत्री महोदय, उर्दू अकादमी बनी है उसमें कौन है? रामकिशोर व्यास, कांग्रेस (आई) के नेता। उर्दू जानने वाले जो कोई हों, उर्दू के साहित्यकार हों, ऐसे व्यक्ति को बनाइये।

तीनों अकादमियों का कोआर्डिनेशन नहीं है। तीनों अकादमियों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। इसकी व्यवस्था मंत्री महोदय करें। राजस्थान में रिनाउण्ड आर्टिस्ट्स हैं, सुरेश राजोरिया, आर.बी.-गौतम, प्रेमचन्द गोस्वामी। यह हमारे यहां के प्रतिभावान आर्टिस्ट हैं। लेकिन कुओं में पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछता। महाराजा आर्ट कॉलेज का प्रिन्सिपल है, वह हमारे प्रदेश की कला और संस्कृति का प्रतीक होना चाहिये। अगर इस तरह का पक्षपात चलेगा तो यह सब धरा रह जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा।

विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट की आप जांच करवायें। मोहनसिंह मेहता, बड़े साहित्यकार आदमी हैं, उन्होंने उस पर कब्जा जमा रखा है। उनके लड़के जगत मेहता, विदेश सचिव हैं। भ्रष्टाचार और गोलमाल कर रहे हैं। एक अध्यापक जसनजी को नौकरी से निकाल दिया। हाई कोर्ट ने वापस रखने का आर्डर दिया लेकिन आज तक वापस नहीं लिया गया। कहा गया कि प्रौढ़ शिक्षा का एक मन्दिर बनेगा। वहां पर 10 लाख रुपये का गबन हो गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट दीजिये। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दो मिनट दे दीजिये।

Page No 147

(147)

श्री सभापति : आप एक मिनट और बोल लें।

श्री ईश्वरचन्द्र : तीन करोड़ की सम्पत्ति है उस इन्स्टीट्यूशन के पास, लेकिन यह मेहता परिवार उस पर सांप की तरह बैठा हुआ है। आपकी सरकार को बाई-पास करके एक योजना बनाई है। वह कहते हैं केन्द्र से सम्पर्क बना दूंगा। आपको अंगूठा दिखा देंगे, इसलिये मेरा निवेदन है आप समय रहते चेतें।

इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री कॉलिज के देवीशंकर तिवाड़ी आजीवन अध्यक्ष बन गये और उनके छोटे भाई कृपाशंकर का लड़का ललित वहां का प्रिन्सिपल बन गया। इस तरह तिवाड़ी परिवार ने वहां पर कब्जा कर रखा है और लाखों, करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। आज नौजवान लोग सड़क पर घूम रहे हैं। इस तरह आज शिक्षण संस्थाओं का अहित वही कर रहे हैं जो कांग्रेस के चमचे थे। मेहरबानी करके उन चमचों को उन संस्थाओं से निकालिये। लाल बहादुर शास्त्री कॉलिज भारत सेवक समाज की चलाई हुई एक अच्छी संस्था है, लेकिन तिवाड़ी परिवार ने लाल बहादुर शास्त्री कॉलिज का नाम बदनाम कर रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं-Please sit down. I request you, please sit down.

(व्यवधान)

मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। कृपया आप विराजिये।

श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र : उनका समय मुझे दे दीजिये।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरण सिंह !

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : सभापति महोदय एक मिनट।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विचाराधीन मांग के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय विचाराधीन मांग के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री शिवचरण सिंह !

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं कटौती प्रस्ताव से अपनी बात शुरू करता हूं। सभापति महोदय, हम लोगों के संविधान में यह व्यवस्था की

(श्री शिवचरण सिंह)

गई थी कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित किया जायेगा लेकिन आज हमने कितने लोगों को शिक्षित किया वह आपसे छिपा नहीं है और न माननीय मंत्री महोदय से छिपा है। किस प्रकार प्रगति हो गांव के लोगों की और उनको किस प्रकार शिक्षित करें यह बहुत विचारणीय मुद्दा है। इसके लिय कई प्रकार की योजनायें बनीं और उस आधार पर शिक्षा योजनाओं को चलाया गया। सभापति महोदय, संविधान के माध्यम से आज भी हम मानते है कि योजना के अनुसार बढ़ते तो निश्चित रूप से शिक्षा का प्रसार होता, लेकिन हमारी शिक्षा का स्तर कुछ प्रान्तों को छोड़कर गिरा हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 400 की आबादी वाले गांवों में प्रत्येक में प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे और दो हजार की आबादी वाले गांवों में प्रत्येक में मिडिल स्कूल होगा। मैं बताना चाहता हूं, आज राजस्थान में दो हजार की आबादी के सैकड़ों गांव हैं जिनमें मिडिल स्कूल नहीं हैं और 400 की आबादी में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं।

मेरे इलाके में विन्दापुरा, भोलूपुरा गांव हैं। उनकी आबादी 800 की है, लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है। सभापति महोदय, एक नहीं सैंकड़ों गांव ऐसे बता सकता हूं जहां सरकार की घोषणा के अनुसार स्कूल नहीं खुले हैं। आज शिक्षा मंत्रीजी शहरों की ओर ही झुक रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, शहरों के लोगों को सब प्रकार की सुविधा मिलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिये जो बच्चे गांव से आकर शहर में पढ़ते हैं उनको 50) रु०, 100) रुपये या 150) रु०, जो भी हो, भत्ता दिया जाय। गांव के बच्चों को भत्ता देने के लिये एक आबादी फिक्स करें। गृह मंत्रीजी आप बैठे हैं, आप इस पर विचार करें कि कितनी आबादी तक, तीन हजार, चार हजार, पांच हजार की आबादी तक के जो बच्चे शहरों में शिक्षा प्राप्त करने आयें उनको भत्ता दीजिये ताकि गांव वाले यह महसूस करने लगें कि यह बदला हुआ राज है और इन्होंने कुछ किया है वरना ये घिसे-पिटे चमचे आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं यदि गांवों के बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो गांवों से शहर में आते हैं, उनको भत्ता दीजिये।

आपके पास में टीचर्स की बात आई। टीचर्स ट्रेन्ड हों। मैं इस सम्बन्ध मे ज्यादा नहीं कहता हूं। आपने यह तय किया है कि टीचर के लिये एस. टी. सी. और बी. एड. की ट्रेनिंग जरूरी है, राजस्थान सरकार की नहीं हो तो यू. पी. के किसी इन्स्टीट्यूशन की हो। राजस्थान सरकार की ट्रेनिंग के लिये मैं नहीं कहता लेकिन यह जो यू. पी. की ट्रेनिंग वाला मामला है इसमें तो राजस्थान में 4-5 हजार रुपये देते हैं और घर बैठे सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। यह मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। आपके यहां ऐसी शिक्षक संस्थाएं हैं। जो पूर्व के शिक्षा मंत्री हैं उनको मालूम है कि इस बारे में कितना बवण्डर चला है। क्योंकि 50 हजार किसी बड़े नेता ने फिक्स कर लिये इसलिये माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि ट्रेण्ड होना चाहिये, शिक्षा मंत्रीजी अड़ गये,नहीं ट्रेण्ड होना चाहिये। आपने इस बात की अवश्य कोशिश की है कि भ्रष्टाचार कम हो लेकिन सूरोठ के स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है। यह स्पष्ट कहना चाहता हूं वह छबड़ा के चुनावों में खर्च करके आया है

(श्री शिवचरण सिंह)
लेकिन ललित किशोरजी हाउस में नहीं हैं, उन्होंने मंजूरी नहीं दी। आपके गांवों की बात है, आपने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये हैं, मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप अकेले में जाकर पूछ लेना। अब माननीय शिक्षा मंत्रीजी भले आदमी आये हैं। मैं उनको गलत रास्ते पर जाने से आगाह कर रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी का इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि हमें पूरी आशा है, निश्चित रूप से सुधार आयेगा। कर्मठ आदमी हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कार्यकर्त्ता हैं और नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में हमने इनको देखा है। ये केपेबल आदमी हैं। केपेबल आदमी नहीं होते तो मैं नहीं कहता। केपेबल हैं इसलिये कह रहा हूं। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ....

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं जो एस. टी. सी. हैं या बी. एड. हैं चाहे तो आप ट्रेन्ड करायें या नहीं करायें किन्तु जैसे ओवरसियर ट्रेनिंग करके आते हैं, इन्जीनियरिंग करके आते हैं, टेक्निकल आदमी हैं, उनको आप निर्वाह भत्ता देते हैं, वजीफा देते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, उसी प्रकार बेरोजगार जो टीचर्स हैं, राजस्थान के बाहर वालों को आप छोड़ दीजिये लेकिन जो हमारे राजस्थान के बेरोजगार टीचर्स हैं उनको भी आप निश्चित रूप से भत्ता दीजिये और भत्ता देकर इस बात की कोशिश करिये कि शिक्षा योजना के माध्यम से जो कार्यक्रम चलने वाला है उन कार्यक्रमों में लगायें और आप इन टीचर्स को पाबन्द करें कि आपको इतने लड़के तो शिक्षित करने होंगे ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं सुधार की बात कह रहा हूं, एक मिनट आपकी तरफ से और एक मिनट मेरी तरफ से।

सभापति महोदय, सीनियर टीचर्स का जो ग्रेड है आप देखेंगे, राजस्थान में सर्विसेज में 1961-62 के पहले के ग्रेड देखेंगे तो ज्ञात होगा कि सीनियर टीचर्स के मुकाबले जो ग्रेड थे वे रिवाइज होकर कहीं के कहीं चले गये और सीनियर टीचर जो बी. ए., एम. ए. और बी. एड., एम. एड. होते हैं, बी. एड. करने के बाद, एम. एड. करने के बाद भी आज उनकी दयनीय स्थिति है। आपने लेक्चरार्स पर बड़ी मेहरबानी कर उनको यू. जी. सी. ग्रेड दे दिया लेकिन आपके लेक्चरार्स की स्थिति यह है कि वह एक लेक्चर जो देता है, वह एक घण्टे का लेक्चर होता है उसकी कीमत दो सौ रुपये होती है। कैसे होती है? एक महीने में एक लेक्चरार ज्यादा से ज्यादा बारह लेक्चर देता है, ज्यादा से ज्यादा 12, लेकिन मैं जानता हूं ....

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : कितने लेक्चर ?

श्री शिवचरणसिंह : बारह लेक्चर महीने में लेक्चरार देता है और वह बारह लेक्चर देकर भी एजूकेशन डिपार्टमेंट और

(श्री शिवचरण सिंह)

विद्यार्थियों पर अहसान करता है। बारह लेक्चर भी दे दे तो बहुत समझो। आप पता लगा लीजिए किसी प्राइवेट आदमी को लगा कर, किसी इण्टेलीजेंट आदमी को लगा कर तो आपको पता लग जाएगा कि एक लेक्चरार कितने लेक्चर देता है महीने में। आपको पता लग जाएगा कि मेरी बात कहां तक सही है ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप कृपया अब समाप्त करें।

श्री शिवचरण सिंह : इमर्जेंसी के अन्दर एक योजना लागू की गई थी "सीखो और कमाओ की"। इस तरह की कितनी ही दुकानें चल रही हैं? इस सीखो और कमाओ योजना की एक दुकान पर तो, माननीय मंत्रीजी, आप भी गए हैं। क्या कर रहे थे वहां पर, क्या देखा आपने वहां पर, बताओ तो सही। कुछ नहीं बता सकते तो खेद तो प्रगट कर दो, इस सीखो और कमाओ योजना पर आपने क्या देखा वहां पर? क्या सिखाया जाता है? कितने रुपये विद्यार्थियों से लिए गए हैं? कितनी फीस ली गई है? कितना रुपया पड़ा हुआ है? क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका? क्या सीखो कमाओ योजना का बैक-ग्राउण्ड है? सीखो कमाओ योजना का क्या काम हुआ है? एक बात और बताऊं कि जिस ढंग से उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, किस कारण से बनी यह आपको मालूम है। कृषि की दृष्टि से उदयपुर डिवीजन कोई बहुत बढ़िया इलाका नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में चाहे किसी वजह से बना दी हो अब भरतपुर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, please sit down.

श्री शिवचरण सिंह : अन्त में एक बात और कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बार मुझे भी सुन लीजिए। मुझे भी सुन लीजिए।

श्री शिवचरण सिंह : आर. एस. एस. वालों में से जिस किसी ने आकर आपको कह दिया आपने उसका ट्रांसफर कर दिया, जिसको चाहा उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इससे राजस्थान ही नहीं देश की स्थिति खराब होने वाली है। यह ठीक है कि आर. एस. एस. एक पुरानी इंस्टीट्यूशन है, उसका एक कार्यक्रम है लेकिन जो लोग बदनाम कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको कहता हूं कि हिम्मत करके चाहे वह आर. एस. एस. का हो या जनसंघ का हो किसी भी स्कूल में जो शिक्षक तीन साल से ज्यादा से बैठा है, हिम्मत करके बाहर फेंक दो। शिक्षा जिन लोगों को दे रहे हैं उनसे अगर आपको यश प्राप्त करना है तो हिम्मत कर जाओ तो यश भी प्राप्त कर जाओगे। आपका निश्चित कार्यकाल है, थोड़े दिनों के लिए हो लेकिन जितने दिन हो, अच्छा काम कर जाओगे तो स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसी का नाम होगा आमूलचूल परिवर्तन।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी!

माननीय श्री सूरजपालसिंह!

श्री रामनारायण चौधरी : बोल रहा हूं साहब ।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार की शिक्षा सम्बन्धी कोई नीति नहीं है । जिस प्रकार दूसरे कार्यक्रमों के लिए कोई नीति नहीं है, इसी प्रकार उस सरकार की शिक्षा के सम्बन्ध में भी कोई नीति नहीं है । न कोई केन्द्रीय नीति है, न प्रदेश की नीति है । अभी हाल ही में पिछले दिनों भारतवर्ष के सभी शिक्षा मंत्रियों की कांफ्रेंस दिल्ली में हुई थी । सभी शिक्षा शास्त्री वहां पर मौजूद थे। शिक्षा शास्त्रियों ने और शिक्षा मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि 10+2+3 की स्कीम बच्चों के लिए उपयोगी है, इसको लागू करना चाहिए । शिक्षा मंत्रियों का निर्णय है, शिक्षा विशेषज्ञ उसमें शामिल हैं लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उनको सम्बोधित किया तो प्रधानमंत्रीजी कहते क्या हैं कि 10+2+3 को समझ ही नहीं पाया हूं । उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह योजना बेकार है, इससे कोई शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं है। मान्यवर, आप निरीक्षण करें कि जिस बारे में देश के शिक्षा मंत्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, शिक्षा विशेषज्ञों ने निर्णय कर लिया और जब अकेले प्रधानमंत्री को उनका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया तो वे कहते हैं कि मैं इसको समझा ही नहीं । इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह बेकार है, इससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है । मैं पूछता हूं कि आपकी कौनसी शिक्षा नीति है जिससे देश का भला होने वाला है, जिसको आपने समझा है, वह बता दें । अब तक आप दो बजट पेश कर चुके हैं और केन्द्र ने भी दो बजट पेश कर दिए हैं। अब तीन बजट और पेश कर सकोगे, चौथा बजट नहीं कर सकोगे । आपने इन दो बजटों में शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा । आपने गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं कहा, पब्लिक स्कूलों के लिए कुछ नहीं कहा, दूसरी समस्याओं के लिए कुछ नहीं कहा । जिस तरह के बजट हम पेश करते आए तीस साल के अन्दर उसी तरह के ये बजट हैं । कौनसा क्रांतिकारी बजट हो गया आपका ? उसी तीस साल की परम्परा पर चल रहे हैं । आपने कहा कि हम अद्वितीय बजट लायेंगे, क्रांतिकारी बजट लायेंगे, रेडिकल चेंज दे रहे हैं लेकिन क्या है इसके अन्दर नया ? मैं कहता हूं कि यह दिशाहीन है, इसमें कोई दिशा नहीं है, उल्टे जो कुछ दिशा थी उसका भी बंटाधार कर दिया । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम दिया था उनमें एक सूत्र शिक्षा सम्बन्धी भी था । एक सूत्र यह भी था कि छात्रावासों में छात्रों के लिए नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था होगी । पाठ्यक्रम की पुस्तकें और स्टेशनरी नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी । गरीब लड़कों के लिए किताबें खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं । जनता के पास पैसा नहीं है । वह जानती थी कि गरीबी क्या है, गरीब किस तरह से रहते हैं, गरीब किस तरह से गरीबी के नीचे पिस रहे हैं । इस सूत्र के अनुसार हजारों लड़कों को मुफ्त में किताबें मिलीं थीं, उनके लिए फीस की व्यवस्था हुई थी लेकिन वह सस्ती बुक्स, वह स्टेशनरी, वह नियंत्रित मूल्य पर किताबें, सारा का सारा बंटाधार कर दिया । इसलिए कर दिया क्योंकि वह भी बीस सूत्र में से एक सूत्र था । अगर आपको बीस सूत्रों से इतनी नाराजगी थी तो आप 11 सूत्र ले लेते, 51 सूत्र कर देते, 101 सूत्र कर देते, मोरारजी देसाई 81 साल के हैं इसलिए उनके नाम पर

Page No 152

(152)

(श्री रामनारायण चौधरी)

81 सूत्र कर देते लेकिन कुछ तो करते। जो कुछ किया था उसका भी बंटाधार कर दिया। मान्यवर, उस समय बुक बैंक्स में पचास लाख रुपयों की किताबें इकट्ठी हुई थीं और 82 हजार विद्यार्थियों को उससे लाभ हुआ था। आपने कितना बढ़ाया उसको? बारह महीनों में बुक बैंक्स में कितनी वृद्धि की, कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया? कुछ नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी कोई योजना नहीं है, आपका कोई दृष्टिकोण नहीं है। मान्यवर, इसी सदन में और दिल्ली में लोकसभा मे बराबर तीस साल तक माननीय केदारजी और उनके साथी कहते रहे कि पब्लिक एजूकेशन का बहिष्कार करो, इसका उन्मूलन करो, किन्तु अब लोकसभा के अन्दर आपके केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, यह बड़ी उपयोगी शिक्षा है। इसको चालू रखना बहुत जरूरी है। आपके नेता जार्ज फर्नाण्डिस हैं उन्होंने पब्लिक एजूकेशन और पब्लिक स्कूलों का अब तक विरोध किया था और आपके नेता रामकिशनजी यहां पर विरोध करते थे। तो शिक्षा के इस बजट में कहीं तो माननीय श्रम मंत्रीजी का दृष्टिकोण होता। कहीं तो आपकी फिलोसोफी और आपके दृष्टिकोण के मुताबिक बजट के अन्दर दिग्दर्शन होता। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। कहा कि चार सौ की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और दो हजार की आबादी पर एक मिडिल स्कूल खोलेंगे। यह तो खुलते आये थे। दो हजार क्यों पांच सौ की आबादी पर भी बहुत से मिडिल स्कूल मौजूद हैं। डेढ़ सौ की जनसंख्या पर भी प्राइमरी स्कूल मिल जायेंगे। जहां कहीं पर नहीं हैं वहां पर और खोल दो। यह कह कर आप कौनसा चमत्कार का काम कर रहे हैं? मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिलों के अन्दर गवर्नमेन्ट कॉलेज हैं लेकिन एक ही जिला ऐसा है राजस्थान के अन्दर जहां पर गवर्नमेंट का एक भी कॉलेज नहीं है। अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह झुंझुनू ही है जहां पर गवर्नमेन्ट कॉलेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होते हुए। ऐडेड स्कूल्स हैं लेकिन वहां पर कितनी फीस ली जाती है? गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कालेज में ली जाने वाली फीस में बड़ा अन्तर है। रात और दिन जितना अन्तर है। गरीब विद्यार्थी लोग, मजदूरों के लड़के, गरीब किसानों के लड़के इतनी ऊंची फीस देकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा, आप आज ही इस बात की घोषणा करें कि राजस्थान के सभी जिलों के अन्दर गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। वहां पर सबसे पुराना हायर सैकण्डरी स्कूल है, जयपुर स्टेट के टाइम का पहला हायर सैकण्डरी स्कूल है जिसको सर मिर्जा ने खोला था। झुंझुनूं जिले के जो सैनिक उस वक्त अंग्रेजों के लिए फौज में लड़े थे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हायर सैकण्डरी स्कूल खोला गया था। आज वही मल्टी-पर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल है जिसमें सबसे ज्यादा लड़के राजस्थान में पढ़ते हैं, बहु-संख्यक बच्चे पढ़ते हैं। उसको डिग्री कालेज बनाने की आप घोषणा करें। दूसरे जिलों के मुताबिक झुंझुनूं जिले के लिए भी डिग्री कालेज बनाने की आप घोषणा करेंगे तो हम समझेंगे कि आपने कुछ तो किया।......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा

(श्री रामनारायण चौधरी)

हूं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। लेकिन, मान्यवर आपसे एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करने पर आता हूं।

मान्यवर, इस जनता पार्टी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके लिए मैं इसे धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता हूं। वह सब स्कूल, जो हमारे द्वारा खोले गये थे, आपने इनडिस्क्रिमिनेटली बंद कर दिये। जनसंघ या जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने आपको आकर कह दिया, आपने वहां पर स्कूल खोल दिये। यही नहीं, श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोले गये थे, वे सारे के सारे आपने बंद कर दिये इस बिनाय पर कहीं यह श्रेय रामनारायण चौधरी को न मिल जाए। मैंने वहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोला था, आपके मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत के भाई के गांव में खोला था, वे तो मुझे धन्यवाद देंगे नहीं, पहले वे विरोधी दल में थे और आज वे इसके प्रदेश मुख्य मंत्री हैं। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल नहीं खोलेंगे। उनके भाई के कहने से मैंने स्कूल खुलवाया था और आपका शासन आते ही, जैसे ही आपके शिक्षा मंत्री ने पद संभाला, वह स्कूल भी बंद कर दिया। गांव वाले आए आपके पास, जिस रामनारायण को हमने वोट नहीं दिए, वह हमारे यहां स्कूल खोल गया और हमारा मुख्य मंत्री आते ही हमारे यहां का स्कूल बंद हो गया। आपके शिक्षा मंत्रीजी ने वहां पर स्कूल खोल दिये जहां से आपके जनसंघ दल के व्यक्ति आए। गांव वालों ने आकर कहा, उनके साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। मैंने तो वहां पर स्कूल खुलवाये थे, जहां पर मुझे वोट नहीं मिले। वहां पर कोई मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप और हम सब के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चेयरमैन साहब, आपकी सरकार से कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। स्कूल खोलने के लिए कोई नीति नहीं है। शिक्षा जगत के लिए आपके पास कोई क्रान्तिकारी नीति नहीं है। दो साल तो आपके शासन के बीत गये हैं। इसी तरह से दो साल बीतने के बाद आपकी क्या नीति रहेगी? इस तरह से आप विधान सभा, संसद में दुबारा नहीं आ सकेंगे। आपका बजट लोग सुनेंगे नहीं। बजट प्रस्तुत होते ही बजट आपके मुंह पर फेंक देंगे कि हम यह नहीं सुनना चाहते।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, शिक्षा की मांग पर मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उस सन्दर्भ में मैं अपने विचार सदन में व्यक्त करना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया है, वह बहुत कम है। दूसरी बात मैं विशेष तौर से यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में अगर हम तरक्की चाहते हैं, शिक्षा की अगर हम उन्नति चाहते हैं, शिक्षा का अगर हम विकास चाहते हैं, तो सबसे पहले जो काम हमें करना होगा, वह यह है कि शिक्षा के वेतनमान बढ़ाने होंगे। इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि शिक्षकों का थर्ड ग्रेड समाप्त करें। थर्ड क्लास रेलवे में खत्म

(श्री सूरजपाल सिंह)

हो गया तो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री-जी को भी अपने यहां थर्ड क्लास बंद करना चाहिए। देश का निर्माण करने वाले शिक्षकों का वेतनमान हम कम रखेंगे तो मैं नहीं मानता कि देश के होनहार बच्चों को जिस प्रकार की, जिस तरह की, शिक्षा मिलनी चाहिए, वह मिलेगी। आज शिक्षक के पद पर कौन आते हैं? वही थर्ड क्लास जिन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। वह आकर के अध्यापक बनते हैं। अगर शिक्षा जगत में सुधार लाना चाहते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पर कहूंगा कि शिक्षक चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे सैकण्डरी स्कूल का हो, चाहे कालेज का अध्यापक हो, चाहे प्रोफेसर, रीडर हो, उन सबके वेतनमान को हमें सुधारना पड़ेगा। अच्छे वेतनमान नहीं देंगे तो सही शिक्षा, अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिल सकेगी। सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में खास तौर से कहूंगा कि शिक्षकों के वेतनमान सुधारने पर आप विशेष ध्यान दें।

जो अध्यापक प्राइमरी स्कूल में हों, फर्स्ट डिवीजन के बगैर अध्यापक की नियुक्ति न हो। देश का निर्माण शिक्षक करते हैं, देश के बच्चों का निर्माण करने का जिन पर उत्तरदायित्व है, अगर वह थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास में ट्रैवल करने वाला मुसाफिर, थर्ड क्लास में बैठने वाला ही वह तैयार करेगा। फर्स्ट क्लास, सैकन्ड क्लास में बैठने वाला नहीं। जो आपकी संस्कृति है, जैसी शिक्षा आपके बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री चाहते हैं, वैसी शिक्षा नहीं मिल पाएगी और वैसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। जब प्रारंभ में ही बच्चों की नींव कमजोर होगी तो आगे भी वे कमजोर होंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को अपने प्रदेश की शिक्षा के बारे में एक निश्चित नीति बनानी चाहिए। इस सरकार ने यह घोषणा की थी और यह नियम है कि यदि पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उनको एक ही स्थान पर रखेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जनता सरकार ने यह जो वायदे किये, घोषणाएं की हैं, उनको कार्यान्वित क्यों नहीं कर रही है? घोषणाएं तो आपने जोर-शोर से कीं उनका इम्पली-मेन्टेशन क्यों नहीं करते हैं?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा जहां कहीं भी स्कूल खोले गये हैं, चाहे वह हायर सैकन्डरी स्कूल हो, चाहे वह मिडिल स्कूल हो, वहां पर अध्यापक के रहने की व्यवस्था आपको करनी होगी। आप स्कूल खोल देते हैं बिल्डिंग्स बना कर देते हैं, उसके साथ आप यह कन्डीशन भी लगा दीजिए कि अध्यापक के रहने की समुचित व्यवस्था भी उसके साथ होनी चाहिए। जुलाई के अन्दर स्कूल खुलते हैं, टीचर्स की पोस्टिंग होती हैं, परन्तु चार-चार महीने तक अध्यापक मकान की व्यवस्था के लिए घूमते रहते हैं। इस कारण वे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। वे कहां रहें? एक छोटे से कमरे में, जो भी मिल जाए, 5-6 अध्यापक रहते हैं। तंग कमरे के अन्दर, छोटी सी व्यवस्था में रह कर वे न तो तैयारी कर के जाते हैं और न अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी आप स्कूल खोलें वहां अध्यापकों के रहने की व्यवस्था व समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री सभापति: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूरजपाल सिंह: सभापतिजी, दो मिनट हुए हैं, इससे तो बेहतर होता कि

(श्री सूरजपाल सिंह)
मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा ही न होता।

श्री सभापति : पांच मिनट आप बोल चुके हैं। एक दो मिनट में समाप्त करें।

इसी रफ्तार से चलेंगे तो एक बजे से पहले यहां से नहीं उठ सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका फर्माना यकीनन ठीक है।

श्री सूरजपाल सिंह : सभापतिजी, दूसरी बात जो मैं कहता हूं वह यह है कि पंचायत समिति के अन्दर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पंचायत समिति द्वारा, उनकी रिपेअरिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उनकी दशा दयनीय है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सबसे पहले तो इन सब विद्यालयों की रिपेअरिंग बरसात से पहले करवा दें ताकि आमेर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनैतिक भ्रष्टाचार शिक्षा जगत में फैल रहा है, जिस तरह स्कूल खोलने की घटना पिछली बार हुई, कांग्रेस शासन के टाइम में जो स्कूल खुले, उनको जनता सरकार ने बंद कर के दूसरे स्थानों पर खोले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो पिछले साल स्कूल मन्जूर हुए थे वे स्कूल आपकी जनता सरकार के शासन में आने के बाद, कैन्सिल कर दिये गये हैं। भीनमाल राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया था, वह आपने रद्द कर दिया। इसी प्रकार मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मोरसीम उच्च प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया था उसको भी रद्द कर दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर वापस क्रमोन्नत किया जाए। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक शाला, तिलोड़ा को क्रमोन्नत कर मिडिल स्कूल बनावें। राजकीय कन्या प्राथमिक शाला दोसया को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करें। डेढ़ लाख रुपये लगाकर बिल्डिंग बनाकर तैयार की है। तेजा की ढाणी (सीराणा) में प्राथमिक शाला खोली जाये। इसके अलावा मैं कॉलिज के बारे में निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। Please sit down. मैं रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : मैं निवेदन करूंगा कि सोजत में कोई कॉलेज नहीं है। सोजत के विद्यार्थी पाली में पढने के लिए जाते हैं। पाली में पढ़ने वाले आधे से ज्यादा विद्यार्थी सोजत के हैं। वह डेली अप-डाउन करते हैं। सोजत में बिल्डिंग बनाकर देने को तैयार हैं। वहां की जनता में इस बात को लेकर रोष है। यदि इसी सत्र में कॉलेज नहीं खोला गया तो वहां की जनता आन्दोलन करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है। जब तक शिक्षा जगत पर राजनैतिक प्रेशर रहेगा तब तक शिक्षा जगत प्रगति पर आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं, आप पधारे हैं आपका स्वागत है। शिक्षकों पर राजनैतिक असर हो रहा है। आपकी जानकारी में यह भी होगा, शिक्षकों में

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दो संघ हो गये हैं। वे आपस में लड़ते हैं। एक दूसरे का ट्रांसफर कराते हैं। मैं यह कहता हूं कि किसी भी स्कूल के खोलने की बात हो, वहां पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में अध्यापकों की स्थिति बड़ी खराब है। हमारी यह घोषित नीति है, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं कि जो गांवों में गरीब, हरिजन और मजदूर हैं, जो अल्प-संख्यक हैं उनको जनता राज में आगे बढ़ायेंगे। लेकिन हम यह कहते ही कहते हैं। उसके बारे में कारगर नीति प्रक्रिया हमने चलाई क्या? मेहरबानी करके हमारी जो मंशा है, जो मन्तव्य है, उसके आधार पर काम शुरू कीजिए। शिक्षा जगत में जो-जो हमारी घोषणाएं हैं, उनके अनुसार काम हो।

माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में स्कूलों की बिल्डिंग की हालत खराब है। उन पर पट्टियां पड़ी हुई हैं। आप जो सारे कालिजों की बिल्डिंग है, मैं यह नहीं कहता हूं कि वह न बनायें, जहां जरूरत हो वहां बनायें। उनकी ओर तवज्जह रखें। लेकिन गांवों की तरफ भी तवज्जह अधिक देनी चाहिये, गांवों में रास्तों की, बिजली की, और दवाखानों की ओर ध्यान देना चाहिये। हमने घोषणा की है, हमने माना है कि हम गांवों और शहरों का फर्क मिटायेंगे। इस सम्बन्ध में 8 महीनों के शासन में कम कदम उठाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप कदम उठायें।

शिक्षा जगत में ट्रान्सफर एक हौवा है। जब से हमारी सरकार बनी है, तब से बहुत ट्रान्सफर हुए हैं। बहुत से अनावश्यक ट्रान्सफर हुए हैं। कुछ आवश्यक भी हुए हैं। पता लगता है जैसे किसी भी अध्यापक का निश्चित नहीं कि वहां कब तक कहां रहेंगे, यह उनकी आत्मा में भरोसा नहीं है। उनमें भरोसा पैदा करना पड़ेगा कि वह जहां हैं, वहां उनको साल भर रहना होगा। ताकि वह शांति का अनुभव कर सकें। आज यह स्थिति है कि किसी ने दो महीने पढ़ाया, किसी ने तीन महीने पढ़ाया। रिजल्ट का किसी को ध्यान नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं अभी समाप्त करता हूं। आप कृपया घण्टी की ओर हाथ नहीं बढ़ायें।

मैं निवेदन करूंगा कि अभी आपने प्रमोशन किये सैकण्ड ग्रेड अध्यापकों के और फर्स्ट ग्रेड अध्यापकों के। 31-8-77 से 6-10-77 तक आठ लिस्टें निकली हैं। 400 अध्यापकों के प्रमोशन किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक भी शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब के अध्यापक को प्रमोशन क्यों नहीं दिया है? यह हमारी घोषित नीति के विपरीत है। हमारी भावनाओं के विपरीत है। हमारे पास आठों लिस्टें मौजूद हैं। आठों में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के अध्यापक को प्रमोशन नहीं दिया है। मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं, यह हमारे खिलाफ षड़यन्त्र है। यह सरकार को हमारे खिलाफ साजिश है। यह साजिश नहीं चलेगी। मैं यह नहीं मानता हूं कि आप अधिकारियों पर ही डिपेन्ड करते हैं। अधिकारियों का

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी योगदान है अधिकारी नहीं चाहते हैं कि हमारे आदमियों को प्रमोशन दिया जाये। उनको वहां बैठाया जाये। आप जनता के आदमी हैं। आपका कर्तव्य था कि आप जानकारी करते। जैसा कि मालूम हुआ है कि यह शिक्षा मन्त्री की जानकारी में है। उनकी निगाह में है। मुझे इसका दुःख है। जनता पार्टी की, हमारी अपनी घोषित नीति के यह विपरीत हैं। इन गरीब लोगों को, हरिजनों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को वहां पड़े रखना चाहते हैं। यह आपकी भावना, यह आपकी विचारधारा, यह आपकी कल्पना गलत है। यह हमारी नीतियों के, सरकारी नीतियों के और जनता पार्टी की नीतियों के विपरीत है। आपने देखा होगा, अभी विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं, वह यह समझने लगे हैं कि जनता सरकार में हमारी सुरक्षा की गारण्टी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि घोषित नीतियां जो जनता पार्टी की हैं, उनके अनुसार काम कीजिए। जो गरीब हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसे दिखवाइये और जिस अधिकारी के कारण यह हुआ है, जो जिम्मेदार है, उसे सजा दिलाइये। आप सभी जगह यह घोषणा कीजिए कि जब तक 28% कोटा पूरा नहीं होगा, रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं होगा, किसी और को प्रमोशन नहीं देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आज के शिक्षा जगत में अनुशासनहीनता का वातावरण जो बना हुआ है उसकी ओर आकर्षित करता हूं। यह गलत शिक्षा नीति के कारण हो रहा है। इसलिए शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको कॉलेज एजूकेशन, हायर सैकेण्डरी व सैकेण्डरी एजूकेशन में मिलिटरी शिक्षा अनिवार्य करनी पड़ेगी। वाइस-चांसलर का जो पद है उसके लिए मेरा आग्रह है और मैं महसूस करता हूं कि वहां पर मिलिटरी के किसी रिटायर्ड अधिकारी को लगाया जाए ताकि अनुशासन बना रह सके और लोगों में अनुशासन की भावना बढ़ सके। जब एयर इण्डिया के अध्यक्ष, श्री पी. सी. लाल थे उस समय कर्मचारियों की हड़ताल चली थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि हड़तालियों से समझौता करिए, उन्होंने कहा था कि समझौता-वार्ता नहीं करूंगा। अगर मुझ पर भरोसा न हो तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। आखिर में श्रीमती गांधी बोलीं नहीं और कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। उनमें अनुशासन की भावना पैदा हुई और वे काम पर लौटे।

दूसरी बात, शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विदेशों में जाते हैं, उनको हिदायत दी जाय कि वे वापस लौट कर हिन्दुस्तान में ही सर्विस करें। बहुत से अधिकारी यहां से जाते हैं, यहां के पैसे से पढ़ते हैं और वहां जाकर बस जाते हैं। इसलिए जब पासपोर्ट इश्यू किया जाए तो ऐसी हिदायत दी जाय।

मान्यवर, मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र दिया था कि ब्यावर सनातन धर्म महाविद्यालय में एम. एस-सी. प्रयोगशालाओं के विकास

(श्री उगमराज मेहता)

के लिये पुस्तकों व पत्रिकाओं के लिए यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ने 1,65,000 व 1,68,000 के अनुमानित व्यय के लिए 1,23,750) और 1,26,000) स्वीकार किए हैं जो कुल व्यय का 75 प्रतिशत है। अब 25 प्रतिशत राज्य सरकार प्रदान करे। मैं पुनः राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उपरोक्त राशि के हिसाब से 25 प्रतिशत की शीघ्र स्वीकृति दे ताकि ग्रांट लैप्स न हो।

इसी प्रकार यहां छात्र कल्याण की दृष्टि से केन्टीन बनाने के लिए 1,17,157 रुपये का अनुदान आयोग ने देना स्वीकार किया है। इसमें भी राज्य सरकार 58,579 की स्वीकृति दे ताकि ग्रांट लैप्स न हो।

इसी महाविद्यालय में कुछ कमरे बनवाने के लिए छात्रों ने 5-6 वर्ष पूर्व 20,000 रुपये इकट्ठे किए थे व कॉलेज के अधिकारियों ने सरकार में जमा करा दिए। अतः यह राशि शीघ्र वापस दिलाई जावे ताकि कमरों का निर्माण चालू करवा सकें। एम. ए. की हिन्दी की कक्षाएं चल रही थीं, वह पिछली सरकार ने बंद कर दी थीं। आपसे निवेदन है कि इन्हें पुनः चालू किया जावे।

ब्यावर औद्योगिक नगर है, लेकिन वहां लॉ कक्षाओं में श्रम कानून पढ़ाने का प्रावधान नहीं है, अतः श्रम कानून पढ़ाने की कृपया व्यवस्था करें।

इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज ब्यावर के लिए जरूरी है। पिछली बार भी मैंने प्रश्न उठाया था। दूसरी बात, डिग्गी मोहल्ला गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में प्रमोट किया जाए। भीम क्षेत्र के देवगढ़ में डिग्री कॉलेज खोलना जरूरी है। वहां की आबादी 15 हजार है। वहां की जनता भवन निर्माण कराकर देने के लिए तैयार है, आस-पास कोई कॉलेज नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र में काबरा स्कूल को सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जावे। सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को राजकीय सेवा में शिक्षकों को जो सुविधा है वही शिक्षा विधेयक में संशोधन करके दिलाई जाए।

मध्यम वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। कर्जा लेकर बच्चों को सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी पढ़ाते हैं। मध्यम वर्ग के छात्र जो आगे पढ़ना चाहें उनको सहायता दें।

मेजर श्री फतह सिंह: माननीय उगम राज मेहता ने जो देवगढ़ में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री करतारसिंह।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़): सभापति महोदय, शिक्षा जगत में व्याप्त अनुशासनहीनता के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो शिक्षा की वर्तमान नीति दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेद-भाव। जो शिक्षा नीति है वह केवल बाबू बनाने के लिए है। जरूरत है व्यावहारिक शिक्षा की और हम दे रहे हैं बाबूगिरी की शिक्षा। हम पढ़ा रहे हैं दूसरी बातें। ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत छात्र हैं, गांवों की आबादी 80 प्रतिशत है। फिर भी मुझे देखकर दुःख हुआ कि कृषि विषय कहीं नहीं पढ़ाया जाता। केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और गांवों का विकास करने के लिए चिंतित है तो सबसे मुख्य बात है कि कृषि

(श्री करतार सिंह)
विषय को हायर सैकेण्डरी लेवल पर अनिवार्य विषय बनाया जाए। यदि ग्रामीण बालक खेती-बाड़ी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें तो उनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और वे प्रयास करके उत्पादन बढ़ायेंगे।

अनुशासनहीनता का मुख्य कारण यह भी है कि अध्यापक अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जिन अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, वे गांवों में जाने से कतराते हैं। जिनके अपॉइंटमेंट लैटर गांवों के लिए मिलते हैं वे टालने की कोशिश करते हैं। अधिकांश अध्यापक ऐसे हैं जो शहरों में पले हैं अतः आप भविष्य में यदि ग्रामीणों के लिए 80 प्रतिशत स्थान रिजर्व करें तो अच्छा होगा।

शहरों में कॉलेजों के जो छात्रावास हैं उनमें ग्रामीणों के साथ भेद-भाव किया जाता है। गांवों के गरीब काश्तकार शहरों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने में असमर्थ हैं। उनकी आर्थिक स्थिति के कारण संकट का सामना करना पड रहा है। ग्रामीणों के लिए शहरों में छात्रावास नहीं हैं। उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करायें ताकि वे आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

आप शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय खोलें। आपने क्राइ-टेरिया फिक्स किया है कि 2, 3 या 4 हजार की आबादी पर खोलेंगे। मेरे किशनगढ़ क्षेत्र में भूतपूर्व सरकार ने छात्रों की पर्याप्त संख्या होते हुए भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। वहां प्राइवेट संस्था स्कूल चला रही है। उसको 80 प्रतिशत सरकार अनुदान दे रही है और 20 प्रतिशत फीस के द्वारा आमदनी हो रही है। उसमें 2,500 लड़के हैं। वहां मैनेजिंग कमेटी खिलवाड़ कर रही है, यह मंत्री महोदय को मालूम है और मुझे भी मालूम है। किशनगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाए। शहर में जो सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल है उसको अपग्रेड करके हायर सैकण्डरी स्कूल बनाया जाए।

किशनगढ़ में कॉलेज के लिए अलग भवन नहीं है। वहां हायर सैकण्डरी स्कूल भी चलता है और कॉलेज भी चलता है। हायर सैकण्डरी स्कूल के बच्चों को सर्दी में प्रातः 6 बजे वाली शिफ्ट में जाना पड़ता है तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्था अलग से की जाय तथा जो भी हमारे यहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं उनमें कृषि का विषय अवश्य रखा जाय।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि यहां निवेदन किया कि देवगढ़ में एक कॉलेज खोला जाय, उसके लिये मेरा भी राज्य सरकार से निवेदन है कि देवगढ़ में कॉलेज खोलना अनिवार्य है।

बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, एक बार एनी बिसेन्ट ने कहा था कि गुरुकुल में राज्य सत्ता का

(श्री कौशल किशोर जैन)

दखल नहीं था। कुलपति राजा से बड़ा था, राजा नीचे बैठता था और कुलपति ऊपर बैठता था। सभापति महोदय, हमारे यहां पर पिछले तीस वर्षों के कांग्रेस शासन काल में यही कहा जाता रहा कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में शिक्षा में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया। आज भी वही अंग्रेजों के जमाने का पुराना शिक्षा का ढांचा चला आ रहा है। आज भी हमारे कॉलिजेज में प्लेटो और सुकरात को पढ़ाया जाता है। वही पाश्चात्य शिक्षा हमारे यहां पर दी जाती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप चाणक्य छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाते? आमूलचूल परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो आप चाणक्य को पढ़ावें। गुरुकुल पद्धति को अपनावें। जब तक आप गुरुकुल पद्धति को नहीं अपनायेंगे तब तक देश में शिक्षा का विकास कभी भी नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां पहले पुस्तकों की छपाई के लिये सबमिशन प्रणाली लागू होती थी उसके बजाय शिक्षा मंत्रीजी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों की छपाई टेन्डर प्रणाली से कराने की कार्यवाही शुरू करा दी है। सभापति महोदय, सबमिशन प्रणाली से टेन्डर प्रणाली सस्ती है। यह निर्णय हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने माध्यमिक बोर्ड की पुस्तकों के लिये ले लिया है। उनकी पुस्तकें अब टेन्डर प्रणाली से ही छपेंगी। यह निर्णय लेने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टेन्डर प्रणाली से 63 पुस्तकें छपाने की स्वीकृति दी है। लेकिन अभी भी 11वीं क्लास की अंग्रेजी की पुस्तक, जिसकी करीब 60-70 प्रतियां छपती हैं, सबमिशन प्रणाली से छपाई हैं। यह टेण्डर प्रणाली से क्यों नहीं छपाई है? तर्क यह दिया गया कि इसके लिये समय कम था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि टेण्डर प्रणाली से छपाने और सबमिशन प्रणाली से छपाने में कितना अन्तर रहता है। माध्यमिक सामान्य विज्ञान की पुस्तक की कीमत सबमिशन प्रणाली से है 8 रुपये 50 पैसे और टेण्डर प्रणाली से है 4 रुपये 70 पैसे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं क्लास की पुस्तक की कीमत सबमिशन प्रणाली से 2 रुपये 15 पैसे है और टेण्डर प्रणाली से है 1 रुपया और 10 पैसा। इसी प्रकार ओलम्पिक बुक अंग्रेजी में 9वीं क्लास के लिये है 4 रुपये 50 पैसे सबमिशन प्रणाली से और उसी की टेण्डर प्रणाली से कीमत है 1 रुपया 90 पैसा। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें टेण्डर प्रणाली से ही छपाई जानी चाहिये और सबमिशन प्रणाली को बन्द किया जाना चाहिये ताकि बच्चों को कम कीमत पर पुस्तकें मिल सकें।

इसके अलावा मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इमर्जेन्सी के दौरान इस देश में कई पुस्तकें लिखी गईं जिनमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही गुणगान किया गया था। माध्यमिक बोर्ड की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक है जो नाहर, पारीक और डॉक्टर राजोरिया ने लिखी है, वह मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर द्वारा 1977 में छपी है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुई। उसमें एक चैप्टर है भारतीय शासन की रूप-रेखा। उसके पृष्ठ 238 में लिखा है, "श्रीमती

(श्री कौशल किशोर जैन)

इन्दिरा गांधी ने अन्तरंग मंत्रिमण्डल का भी निवारण करना प्रारम्भ कर दिया है।" इसी प्रकार माध्यमिक अर्थ शास्त्र की पुस्तक, जो कि 1976 में छपी है राजस्थान पुस्तक सदन, जयपुर के द्वारा, के दसवें चैप्टर "भारत में नियोजन" में लिखा है "एक ही जादू, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूर दृष्टि, अनुशासन।" इसी प्रकार आर्थिक नियोजन नवीन प्रवृत्तियां के चैप्टर 21 में भी श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में लिखा गया है। तो मेरा निवेदन है कि यह श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही गुणगान क्यों किया गया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : Shrimati Indira Gandhi is a part of history. You say that it is wrong.

श्री कौशल किशोर जैन : यह कोई इतिहास का विषय नहीं है।

श्री सभापति : No intervention please.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री कौशल किशोर जैन : मुझे एक मिनट और दीजिये।

सभापति महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान बच्चों से इन्दिरा गांधी का गुणगान कराया, यह बन्द किया जाना चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान कई स्कूल्स राजस्थान में बन्द कर दिये गये थे और उनमें जो नौकर, जो कर्मचारी थे उन्हें हटा दिया गया था। सभापति महोदय, श्री हरिदेव जोशी, जो कि इस समय मुख्य मंत्री थे, ने इमर्जेन्सी में हमारे जयपुर का आदर्श विद्या मंदिर, उदयपुर का एक स्कूल, कोटा का विवेकानन्द स्कूल और जोधपुर का आदर्श विद्या मन्दिर राज्य सरकार द्वारा हस्तगत करा लिया। उनमें जो करीब 250-300 कर्मचारी लोग थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्कूलों में काम करने वाले जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, उनको 19 महीने तक की तनख्वाह दी जाय और वे स्कूल वापस उन्हीं संस्थाओं को दिये जायें जो कि उन्हें चलाती थीं। सभापति महोदय, यह आपातकालीन समय में की गयी ज्यादतियां थीं, उन स्कूलों के टीचर्स को और उन स्कूलों के संस्थापकों को जेल में डाल दिया गया। उन लोगों ने सिद्धान्तों के लिये आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने और हमने उसमें सफलता प्राप्त की और देश को आजाद कराया। उन सभी देश भक्तों को, जो कि उनमें कर्मचारी थे, 19 महीने की तनख्वाह दी जाय, ताकि उनको राहत मिले।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सभापति महोदय, मेरे शिक्षा विभाग के बारे में करीब 16 कटौती के प्रस्ताव हैं, मैं आपके माध्यम से राज्य के शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि, सभापति महोदय, समय कम है इसलिये मैं उन सभी प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्तावों के जवाब भी मुझे भिजवाने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सभापति सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान हमारे देहातों में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा जो दी जा रही है वह बहुत ही डिफेक्टिव दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में न तो स्कूल के भवन बने हुए हैं, न स्कूल में बच्चों के बैठने को टाट-पट्टियां हैं, न उनमें पूरे टीचर्स ही आपने अवेलेबल कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त आपने प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स अपोइन्ट किये हैं वह ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास ही हैं। प्राइमरी स्कूल्स के लिये आपने टीचर्स जो भी भेजे हैं वह मैट्रिक पास भेजे हैं और ऊंची क्लासेज के लिये आपने एम.ए. और बी.ए. पास लोगों को रखा है। जब कि होना यह चाहिये कि क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बच्चे की नींव पड़ती है पढ़ाई की इसलिये आपको उनमें ज्यादा विद्वान टीचर्स भेजने चाहिये ताकि बच्चा उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे जाकर बड़ा आदमी बने। आज के बच्चे ही आगे जाकर हमारे देश के कर्णधार बनेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें आप परिवर्तन करें ताकि बच्चे अच्छी विद्या पढ़ सकें।

इसके साथ ही अपने को नये विचारों से गांवों में शिक्षा पद्धति में सुधार करना होगा। हमारे यहां देश में सभी जगह प्राथमिक शिक्षा कम्पलसरी करके सभी को 1982 तक प्राइमरी शिक्षा देने की बात की थी किन्तु 1982 तक यह योजना मुझे पूरी होती दिखायी नहीं देती है। जालौर जिला में और खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आज भी गांवों से पांच-पांच मील तक स्कूल नहीं हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि आप सर्वे करायें। गांवों में हर दो किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिये। और तीन सौ की आबादी पर हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाना चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायत समितियों ने शिक्षा शुल्क गांवों में लगाया था। हमारे सांचौर में भी पांच लाख रुपये इकट्ठे हुए पड़े हैं जिनको सरकार खर्च करने नहीं दे रही है जब कि वह पैसा हमारी पंचायत समिति द्वारा ही वसूल किया गया था और वह भी स्कूलों के लिये। आज वहां पर बच्चों के लिये स्कूल भवन नहीं हैं, टाट-पट्टियां नहीं हैं और बच्चों के बैठने की ठीक जगह नहीं है। हमारी पंचायत समिति के पास पैसा है पर उसको खर्च करने की सरकार इजाजत नहीं दे रही है। आखिर इसका क्या कारण है ? आप ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिये स्कूल खोलते हैं तो उसके लिये भवन नहीं बनाते हैं दूसरी फैसिलीटीज नहीं देते हैं और गांव वाले चन्दा करके स्कूल के लिये कुछ करना चाहते हैं तो आप करने नहीं देते हैं, आखिर वजह क्या है ? आप शहरी स्कूलों के लिये करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रावधान करते हैं यह आपका भारी पक्षपात शहरों के लिये है। आप शहरों में स्कूल खोलते हैं, होस्टल्स बनाते हैं तो आप क्यों नहीं गांवों में बोर्डिंग हाउसेज वगैरह बनाते हैं ? वहां पर बोर्डिंग हाउस बनावें तो बच्चे दूसरे गांवों से आकर पढ़ सकते हैं। आप उन होस्टल्स में अच्छे प्रोक्टर रखिये ताकि वह बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दें और वह लोग भी आगे जाकर बड़े अधिकारी बनें, नहीं तो आज शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादातर आर.ए.एस. और आर.जे.एस. अधिकारी बनते हैं। वह गांवों के नहीं बन सकते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि शहरों में बच्चों को अच्छी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

शिक्षा दी जाती है और देहात में उनके कम्पेरीजन में कम। यही कारण है कि आज गांवों में शिक्षित बेरोजगारी फैल रही है। गांवों में स्कूल भवनों की व्यवस्था नहीं है। उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। शहरों में पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मुकाबले में ये बच्चे ठहर नहीं सकते हैं। इसलिये गांवों के शिक्षकों में और लड़कों में बड़ा भारी असंतोष है। आपने सुना होगा और अखबार में पढ़ा होगा कि लड़कों ने जे. पी. अमृतोत्सव में पथराव किया और किसी को बोलने नहीं दिया। इसका कारण क्या है? इसलिये शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों का कोई न कोई पर्सेन्टेज तो नौकरियों में होना चाहिये। अभी गवर्नमेन्ट सिर्फ अनुसूचित जाति, जन-जाति के कारण बनी है। आपकी इन्दिराजी के पग पूजो कि गरीबी मिटाने की कोशिश की और उसका फायदा आपको मिल गया। अब आपका परीक्षण है वरना जनता आपको उठाकर फेंक देगी। शिक्षा विभाग, मंत्रीजी, आपके पास आया है। जो भी आज शिक्षकों के कन्फ्लिक्ट हैं, वरिष्ठता सूची आदि को लेकर जो शिक्षकों में असंतोष है उसका विस्फोट न हो, इसको आपको देखना है। शिक्षकों का विधान सभा के सामने 28 तारीख को बड़ा भारी प्रदर्शन होने वाला है। परीक्षायें आप आगे खिसकाते जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ ज्यादती हुई है। उनकी सीनियोरिटी ग्रेड आदि के मामलों में बड़ा भारी पक्षपात किया गया है। कुछ पर्टीक्यूलर अपने रिश्तेदारों को ऊपर लाने के लिये शिक्षकों की चयनित लिस्ट को ही चेन्ज कर देना कहां का न्याय है? इसलिये एक कमीशन बैठाकर आपको जांच करनी चाहिये। वैसे आपने कानसिंह कमीशन, बेरी कमीशन बैठा दिये हैं लेकिन इसके लिये आप अलग से कमीशन बैठाकर जांच करायें। शिक्षकों के साथ में न्याय होना चाहिये। शिक्षकों को संतोष नहीं दिला पायेंगे तो अधिक उनमें असंतोष फैलेगा। यूनिवर्सिटीज में कई ग्रेड्स में गड़बड़ हो गयी है। रोज हमारे पास लोग आते हैं। अभी बोले ही थे आपके सामने। इस बारे में कमीशन बैठाना चाहिये। अच्छे से अच्छे एजूकेशनिस्ट को आपको बैठाना चाहिये जो शिक्षकों की एरियर्स, फिक्सेशन आदि की वाजिब मांगे हैं उनको देख सकें, राय दे सकें। मांग वाजिब है तो उनको बकाया वेतन देते क्यों नहीं? सेंट्रल गवर्नमेन्ट जब भी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देती है तो आपको भी देना पड़ता है चाहे आपका बजट अलाउ करे या न करे। आपको शिक्षकों को न्याय देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जानता था घंटी बजेगी। मेरे कटौती प्रस्ताव बड़े इम्पोर्टेन्ट हैं लेकिन मैंने पहले से ही ध्यान ऐसा रखा है कि जिससे हर आदमी बोल सके। घंटी बार-बार बजे यह मैं पसन्द नहीं करता हूं।

श्री सभापति : एक मिनट और बोल लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत धन्यवाद आपको।

एनिमल हस्बैन्डरी और संस्कृत के शिक्षकों के ग्रेड ठीक हों, एक हों, यह भी मेरा प्रस्ताव है। आप कहते हैं कि संस्कृत देववाणी है किन्तु संस्कृत के जो लैक्चरार्स हैं,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

शिक्षक हैं वे कहते हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। आयुर्वेद के जो शिक्षक हैं उनके बारे में विचार करना चाहिये। संस्कृत शिक्षकों का ग्रेड भी उन्हीं के बराबर किया जाय।

आपातकाल में कुछ शिक्षकों को कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे दिया गया, उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गयी। उनकी भी सुनवाई करनी चाहिये। जहां तक डिसिप्लीन का सवाल है, जिसने जो सिखाया उसको भुगतना पड़ेगा। मैं भी शिक्षक रहा हूं। डिसिप्लीन को बहुत ही पसन्द करता हूं। लेकिन आज डिसिप्लीन की बहुत ही कमी है। लड़कों की शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। एम. ए., बी. ए. पास लड़के एक सेन्टेन्स सही नहीं लिख सकते और न ही वह पत्र लिख सकते हैं। शिक्षक देश का निर्माण करने वाले व्यक्ति होते हैं। शिक्षकों में असंतोष न हो इसके लिये आपको उनकी बातों को सुनना चाहिये और उनकी जो समस्यायें हैं उनको दूर करना चाहिये। वे कहते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है।

हैड मास्टर्स की डी. पी. सी. द्वारा लिस्ट बनायी थी। रिजर्व लिस्ट भी बनी थी। उसके ओवर एन्ड अबव डाइरेक्टर एण्ड शिक्षा कमिश्नर ने शिक्षकों के रिकार्ड को डी. पी.सी. को भेजा था। उनको डी. पी. सी. ने एप्रूव कर लिया। फिर कह दिया कि लिस्ट एक्जास्ट हो गयी। फिर एडहॉक प्रमोशन्स दे दिये। हैड मास्टर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी पाठशालाओं के हैं उनकी कमेटी बैठी थी। उनकी लिस्ट मंगाइये, उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। सीनियर टीचर्स की ग्रेड का रिवीजन भी कियागया है। क्वालिफाइड शिक्षक थे उनको ग्रेड दे दिया और बाकी के जो उसी केटेगरी के थे उनके साथ अन्याय कर दिया। सीनियर टीचर्स की वरिष्ठता आदि मामलों में उनके साथ न्याय होना चाहिये वरना चतुर्वेदीजी वाली ही आपकी स्थिति होगी।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने स्कूल और कालेजेज खोले। लेकिन यह दुःख होता है कि हाड़ौती जैसे दूरदराज क्षेत्र के गांवों में, मेरे क्षेत्र के 450 गांवों में से 2 गांवों में ही स्कूल खोले। एक गांव में कोई मास्टर नहीं गया।

दूसरी ओर यूनिवर्सिटी और कालेजेज के शिक्षकों की वेतन वृद्धि की। जो अध्यापक कम पढ़ाते हैं, कम पीरियड लेते हैं उनको आपने वेतनमान में प्रमुखता दी है और दूसरों को नहीं। मेरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। जो बच्चों को लाते हैं और पढ़ाते हैं उनकी ओर आपने ध्यान ही नहीं दिया। एक तरफ आप शहरों के स्कूल और कालेजेज में बहुत बड़ा अनुदान देकर उनको अधिक सुविधायें प्रदान करते हैं और दूसरी ओर गांवों में स्कूल भवन बनाने के लिये बहुत कम प्रावधान रखा जाता है यह भेदभाव क्यों? आवास-क्षेत्र में भी भेदभाव होता है। विद्यार्थी बिना आवास के बैठते हैं। इसलिये मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक सुविधायें गांवों में मिल जायें। एक कम्पलसरी और यूनिवर्सल एजूकेशन होनी चाहिये।

दूसरा कटौती प्रस्ताव है कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जयपुर, उदयपुर आदि

(श्रीमती नारंगी देवी)

में सार्वजनिक टाइप की लाइब्रेरीज़ हैं उनको तो अच्छा अनुदान मिलता है किन्तु यह दुःख की बात है कि गांवों की लाइब्रेरीज़ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। लाइब्रेरीज़ में न बैठने के लिये बैंच आदि हैं, न बिल्डिंग है, न पुस्तकें हैं पूरी, जो हैं वे दीमक खायी हुई हैं। वहां पर लाइब्रेरियन का स्थान है वह भी गजेटेड नहीं होता है और यू. डी. सी. की ग्रेड के बराबर होता है। वहां कुछ फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स और एक कर्मचारी लाइब्रेरी की व्यवस्था देखता है। जब एजूकेशन का बजट 100 करोड़ से भी ऊपर रखा है, लाइब्रेरी के लिए सिर्फ 17 लाख रुपया ही रखा गया है। यह नगण्य है, बहुत कम है और जनसंख्या के अनुपात में भी बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि समाज में और देश में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए देश में लाइब्रेरी अधिक होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था बहुत कम है। अगर आप देश को उन्नति की राह पर ले जाना चाहते हैं तो लड़कियों के लिए अधिक स्कूल खोले जायें।

समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो दोपहर के नाश्ते की व्यवस्था की जाती है वह हर स्कूल में होनी चाहिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे।

मैं चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के वेतनमान के अनुरूप ही जो ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं उनका भी वेतनमान ऊंचा किया जाये।

आदिवासी छात्रों को, जो छात्रावास में रहते हैं, स्कालरशिप छठी क्लास से दी जाती है। जब बालक पहली से पांचवीं क्लास में ही नहीं आयेगा तो फिर छठी क्लास में कहां से जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बालकों को स्कालरशिप पहली क्लास से ही दी जाये। उनको किताबें फ्री मिलें और नाश्ता मिले। जिनकी अटेन्डेन्स 70 प्रतिशत रहे उनको और पैसा मिलना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री समरथलाल !

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके सम्बन्ध में आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी, जो गैरहाजिर हैं, से निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिस देश के अन्दर दी जाने वाली शिक्षा से बेरोजगारी पैदा होती हो, अनुशासनहीनता पैदा होती हो और अन्ततोगत्वा एक हीनता की भावना लेकर विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके इस देश का नागरिक निकलता हो उस देश का नागरिक देश के अन्दर शेष जीवन किस तरह से बिताता है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

सभापति महोदय, शिक्षा के अन्दर परिवर्तन करने के उद्देश्य को लेकर पिछले तीस सालों से इस बात की वकालत होती रही है कि शिक्षा के अन्दर परिवर्तन होना चाहिए लेकिन आज तक शिक्षा के अन्दर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाली बात की सम्भावना हमें तो नजर नहीं आती। मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि अनुशासनहीनता हमारे इस राज्य के अन्दर इतनी व्याप्त हो चुकी है कि विद्यालयों के अन्दर टीचर्स का सुरक्षित रहना और शहरों के अन्दर लोगों का सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल हो गया है।

(श्री समरथलाल)

मैं, सभापति महोदय, आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे राजगढ़ महाविद्यालय के अन्दर पिछले पांच-छः रोज से हड़ताल चल रही है। हड़ताल इस बात को लेकर चल रही है कि राजस्थान के अन्दर पिछले सत्र के अन्दर करीब 15 महाविद्यालय पोस्ट-ग्रेजुएट किये गये फिर राजगढ़ को क्यों नहीं किया गया? पिछले वर्ष भी हड़ताल चली थी और इस वर्ष भी हड़ताल चल रही है लेकिन यह सरकार पिछले वर्ष भी नहीं सुन पाई और इस वर्ष भी पता नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो इस बात को लेकर राजगढ़ के अन्दर हड़ताल चल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या राजगढ़ के अन्दर पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज इसलिए नहीं खोला जाता कि राजगढ़ के अन्दर पढ़ने वाले छात्र 80 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं? क्या इसलिए उसको पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज नहीं बनाया जा सकता?

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, सभापति महोदय, राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल का। उसके अन्दर कामर्स का विषय खोलने के लिए पिछले वर्ष भी वहां के लड़कों ने हड़ताल की और इस वर्ष भी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजगढ़ तहसील के अन्दर जितने भी हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उन सब में कामर्स है किन्तु राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल में कामर्स विषय नहीं है। राजगढ़ हायर-सैकण्डरी स्कूल के प्रधान अध्यापक की तरफ से शिक्षा अधिकारी अलवर की ओर से लिखा हुआ आया है कि हमें केवल दो वर्ष के लिये अध्यापक चाहिए, हमारा स्कूल उसका खर्चा वहन करेगा लेकिन सरकार की ओर से कामर्स विषय वहां नहीं खोला गया। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर कामर्स विषय जरूर खोला जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे माननीय सदस्य शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं सारी ही शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। डॉक्टर मोहनलाल की जो योजना राज्य के अन्दर लागू होनी चाहिए थी वह योजना अभी तक लागू नहीं हुई। दूसरे राज्यों ने उसकी क्रियान्विति भी कर दी, वहां खेलों के अन्दर भारी प्रगति हो रही है लेकिन डॉ० मोहनलाल, जो राजस्थान के ही रहने वाले थे, की योजना हमारे ही राज्य के अन्दर नहीं चलाई जाये और दूसरे राज्य में योजना से लाभ उठायें यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं यह निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि एक महाविद्यालय जोधपुर में है वहां प्रिन्सिपल का पद वर्षों से खाली पड़ा है। वहां प्रिन्सिपल क्यों नहीं लगाया जाता? वहां जो प्रिन्सिपल लगाया जाता है वह नॉन-टेक्निकल को लगाया जाता है .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री समरथलाल : इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य मानता हुआ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री भंवरलाल ऐरन !

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, यह सर्वमान्य बात है कि किसी भी देश का उत्थान और विकास की सही दिशा शिक्षा के प्रचार और प्रसार पर निर्भर करती है। इस देश में अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। उनका दृष्टिकोण यह नहीं था कि इस देश का उत्थान और विकास हो। मेकाले के शब्दों में The education is imparted to create only clerks. शिक्षा पद्धति के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा को सही दिशा देने के लिए वह शिक्षा शास्त्रियों का सम्मेलन बुलायें और प्रापर एजूकेशन इम्पार्ट करने का प्रयास करें।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नसीराबाद क्षेत्र में शिक्षा का जहां तक संबंध है मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां कोई भी महाविद्यालय नहीं। बालिका हितकारिणी माध्यमिक विद्यालय एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था वहां चल रही है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक कठिनाइयां मेरे ख्याल से, राज्य सरकार के समक्ष हैं। केवल वे संस्थायें जिनमें बेईमानी होती है और अध्यापक के साथ अन्याय होता है, चल रही हैं। जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें ईमानदारी के साथ अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ न्याय करके चलना चाहती हैं, उनके सामने कठिनाइयां आती हैं। ऐसे ही विद्यालय नसीराबाद में चल रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन विद्यालयों में वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

नसीराबाद में महाविद्यालय में संस्कृत का विषय भी खोले जाने का निवेदन है। बालिका विद्यालय में संस्कृत का विषय है हायर सैकण्डरी तक। इसका मतलब है कि कालेज में जाने वाली छात्रायें संस्कृत का विषय न होने से अजमेर जाकर पढ़ें। गरीबी वहां है इसलिये यह संभव नहीं है कि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। अतः या तो शिक्षा छोड़ देती हैं या विषय छोड़ना पड़ता है। इसलिये उस महाविद्यालय में संस्कृत का विषय अविलम्ब खोला जाना चाहिये। उस विद्यालय में विज्ञान संकाय भी खोला जाना अति आवश्यक है।

मान्यवर, आपके माध्यम से नसीराबाद की दो शिक्षण संस्थाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। नसीराबाद में लड़कों की संख्या काफी अधिक है, उनको राजकीय माध्यमिक विद्यालय केवल एक ही होने से मिडिल स्कूल स्तर के बाद प्रवेश पाने में कठिनाई होती है। अतः राजकीय नेताजी मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत कर दिया जाये तो बहुत बड़ी ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समस्या हल हो जायेगी।

वहां पर राजकीय संस्कृत विद्यालय है उसमें शास्त्री तक की शिक्षा नहीं दी जाती है। आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्री तक शिक्षा प्रदान

(श्री भंवरलाल ऐरन)

की जाये ताकि संस्कृत का उत्थान हो सके। प्रत्येक सरकार शब्दों से कहती है लेकिन कार्यान्वित करने में तत्पर नहीं है।

एक बात और कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भवानीखेड़ा है। वहां पर पहले एक विद्यालय था। खास कर जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर शिक्षा प्रदान कर रहा था। उसमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वहां के लोगों ने अपने माध्यम से चन्दा करके एक स्कूल की स्थापना की जो आज उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में चल रहा है यह बहुत ही आवश्यक है कि उसे शीघ्र माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किया जाये। यही मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल ऐरन : आपका आदेश शिरोधार्य कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह (फुलेरा)!

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया!

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, विद्या का पवित्र मन्दिर, जहां देश की भावी पीढ़ी का निर्माण होता है, यदि अपवित्र होकर उसमें भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो देश का भाग्य भगवान के भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। श्रीमान्, आपके सामने ऐसी ही एक संस्था का मामला रखना चाहता हूं। राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर है। विद्यालय परीक्षा के परिणाम 1971-72 की, लोकल परीक्षा परिणाम की रिजल्ट शीट की जांच शिक्षा उप-निदेशक (महिला) उदयपुर ने जांच की। कक्षा 8, रोल नं 31, नाम करुणा जोशी। परीक्षार्थी अंग्रेजी में पूरक परीक्षा देने के लिये योग्य घोषित की गई। छात्रा हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी तीन विषयों में अनुत्तीर्ण रही। अतः पूरक परीक्षा देने के लिये योग्य घोषित करने के स्थान पर अनुत्तीर्ण घोषित करना चाहिये था।

श्रीमान्, इसी तरह से जो आडिट हुआ है, वह सारा मेरे पास है। लेकिन समय का अभाव है इसलिये संक्षेप में ही कहूंगा।

श्रीमान, राज्य परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण अधिकारी, जयपुर का पत्र संख्या 71/938 दिनांक 30-5-71 और आडिट रिपोर्ट मेरे सामने हैं। 85,000/- का घोटाला है। गलत ढंग से तैयार करके रकम उठाई गई है। श्रीमान, इसी तरह से निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का पत्र संख्या एड/बी/एड/ 3/16676/413/65 दिनांक 27-4-71। और आडिट रिपोर्ट मेरे सामने है। 1 लाख 75 हजार का घोटाला है। श्रीमान, इन सारे आरोपों के आधार पर इस संस्था की जो व्यवस्थापिका थी, उस पर गबन का मुकदमा बना। उस आधार पर 10 सितम्बर, 74 के दिन चार कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया जिनमें श्रीमती शांता त्रिवेदी, श्रीमती सुन्दर बाई, श्रीमती सापरा हबीब और श्रीमती अमीना बानू थीं। उनको जमानत पर छोड़ा गया। इस सारी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आडिट रिपोर्ट के अलावा वह संस्था आल इण्डिया विमेन कान्फ्रेन्स, दिल्ली से संचालित होती है किन्तु इसकी व्यवस्थापिका, श्रीमती शांता त्रिवेदी ने अपने नाम से इसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जनता सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कटिबद्ध है तो शिक्षा में भ्रष्टाचार को आंखों से देखना चाहिये। जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जिन स्कूलों को छीन लिया गया था उनमें प्रशासक नियुक्त हो गये। इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है ?

उदयपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, डा. लाम्बा चले गये। कीटनाशक दवाइयों के मामले में उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया था। उनके द्वारा वहां के प्राध्यापकों के साथ बेरहमी का व्यवहार किया गया। अध्यापकों को निकाला गया। एक शर्माजी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई।

इन सारी बातों से लगता है कि वास्तव में हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार के आगे झुक जाना चाहते हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सारे व्यक्तियों की ग्रेड चेन्ज की जा सकती है लेकिन वरिष्ठ अध्यापक की नहीं। 61 में जो वेतन थे 200 से 225 हुए। लैक्चरार्स की ग्रेड 275 से शुरू होती थी। नये लोग 275 में आ गये। 1976 में 700 से 1600 की ग्रेड में नियुक्त किया। तो वरिष्ठ अध्यापक ने क्या गुनाह किया है। क्या हम इसी प्रकार इनका सम्मान करना चाहते हैं ? भूतपूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रहे हैं, उनको प्रोफेसर्स के ऊपर दया आ गई हो लेकिन उन्हें सोचना चाहिये कि एक स्कूल का अध्यापक 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाता है, उसमें भी उतनी ही योग्यता है जितनी लैक्चरार में है बल्कि उसमें ज्यादा है वह एम. ए. के साथ बी. एड. और एम. एड होता है। मेरा निवेदन है कि आज ही इस सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि उनके वेतनमान बढ़ाये जा रहे हैं।

श्रीमन्, उदयपुर विश्वविद्यालय में जो वाइस-चान्सलर का बंगला बनाया है, उसमें घोटाला हुआ है। रिकार्ड देखने पर बाद में पता लगा कि कैसे घोटाला हुआ। यह 40 हजार का बंगला जो टेकड़ी पर बना हुआ है, उसमें काफी बड़ा घोटाला हुआ है। इसी तरह, श्रीमन्, नेहरू प्रदर्शनी वहां पर लगी थी। वहां पर जो अधिकारी हैं, जिला उप-शिक्षा अधिकारी उनके हस्ताक्षर से आदेश निकला हुआ है। श्रीमन्, यह आदेश निकाला गया है कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को वह मेला देखना अनिवार्य है। उसमें 50 पैसे टिकट के लगेंगे। उनकी स्वयं की रिपोर्ट यह है कि 40 हजार छात्र—छात्राओं ने उस मेले को देखा है। तो जो इस मेले से 20 हजार की आमदनी हुई, उसका क्या हुआ ? प्रत्येक स्टाल के 50-50 रुपये भी लिये गये। तो उस सारे पैसे का उपयोग कहां हुआ ? यह बताया गया उससे शिक्षा भवन बनायेंगे, अध्यापकों की सुविधाओं के ऊपर वह धन खर्च किया जायगा। उस पैसे को कहां छिपा दिया ? क्या हवा में उड़ा दिया ? श्रीमन्, इस शिक्षा विभाग में घोटाले होते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं यदि हमें इस देश पर तरस आता है वो चाहे हम राज्य में रहें या न रहें, इसकी आप चिन्ता छोड़ दीजिये लेकिन शिक्षा को बेईमान लोगों के हाथ में मत दीजिये।

इसी तरह एक बात और निवेदन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करना चाहता हूं। पिछले सत्र में भी मैंने यह मामला उठाया था। कोटा सार्वजनिक पुस्तकालय में जो घोटाला हुआ, उसके बारे में मैंने निवेदन किया था। श्रीमन्, आज भी उस व्यक्ति को सजा नहीं दी गई है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह व्यक्ति आज भी विधान सभा के प्रश्रय में बैठा है।

श्री सभापति : श्री अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरप्रसाद।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़): माननीय सभापति जी, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र जमवारामगढ़ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र जमवारामगढ़, माननीय सभापति जी, इतना पिछड़ा हुआ है कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में 47 पंचायत समितियां हैं लेकिन एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। बड़े दुःख के साथ आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हाई स्कूल 5 हैं और मिडिल स्कूल 11 हैं। बड़ा क्षेत्र होने के नाते 30-30 किलोमीटर हाई स्कूल पड़ता है। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और गांवों का विकास करना चाहती है और दूसरी तरफ गांवों की दशा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में वह पिछड़े हुए हैं। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेषतः ध्यान देकर जो भूतपूर्व सरकार ने गांवों की उपेक्षा करके शहर और गांव के बीच खाई उत्पन्न की है कृपया उस खाई को दूर करने का कष्ट करें।

इसके साथ में एक और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति चाक है जिसमें प्राथमिक शालाएं हैं। किन्तु प्राथमिक शाला में जो सहायक अध्यापिका होती हैं, उनका चार महीनों से नाम-निशान नहीं है। मैं भी, सभापति महोदय, सन् 66 में ग्राम पंचायत चाक में अध्यापक पद पर रहा हूं। मैं उदाहरण देता हूं लड़कों से कहा जाता है ताज लाना। लड़का घर जाकर कहता है कि मास्टर ताज मंगाते हैं। तो कई ताज उनके पास न होने से ताज खरीद कर देते हैं। यह तो नमूना है भूतपूर्व सरकार का। इसलिये विशेषकर मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो आवंटित सामग्री पहुंचाई जाती है वह पंचायत समिति द्वारा वितरित नहीं होती है। इसलिये जिला विकास अधिकारी के मार्फत पंचायत समिति की शालाओं में सामग्री खरीद करके भेजी जाय।

एक मेरा विशेष निवेदन है, जो मास्टर काबिल हैं, जो पढ़ा सकते हैं उन्हें ही भेजना चाहिये। मास्टर को एक्सपीरियन्स होना चाहिये। मान लीजिये एक व्यक्ति का दिमाग बिजनैस में है, किसी का दिमाग किसी और दूसरी चीज में है। उसको टीचर बना देते हैं तो वह क्या शिक्षा दे पायेगा उसका खुद का दिमाग ही जब उस ओर नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पहले देख लेना चाहिये कि उस व्यक्ति का रुझान पढ़ाने में है या नहीं।

इसके साथ भविष्य में जो स्कूल खोले जायं तो इस क्षेत्र का ध्यान रखें। मेरे क्षेत्र में एक मिडिल स्कूल है, उस मिडिल स्कूल में भी तीन अध्यापिकायें नहीं हैं जब कि आज की तारीख में जयपुर में 100 अध्यापिकायें सरप्लस हैं। मैं, माननीय सभापति जी, निवेदन करना चाहूंगा कि उधर ग्राम पंचायतों में जो यह खाई है इसको पूरा करें।

(श्री रामेश्वर प्रसाद)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मैं चार महीने से यह कहता आ रहा हूं जोइन्ट डाइरेक्टर और जिला विकास अधिकारी को कि मेरे क्षेत्र में मिडिल स्कूल है उसमें तीन अध्यापिकाओं की जगह रिक्त है, तो जवाब मिलता है हमारे पास अध्यापिकायें नहीं हैं। आज की तारीख में 100 अध्यापिकाएं यहां हैं . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि इस ग्रामीण क्षेत्र की खाई को दूर करने के लिये प्रयत्न करें।

श्री सभापति : श्री हरीश कुमार शर्मा।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय को एक प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया गया है, जिससे हजारों छात्र-छात्राओं की जिन्दगी बेकार होती जा रही है। कभी वार्षिक परीक्षा का सिस्टम, तो कभी सेमेस्टर सिस्टम, पता नहीं क्या-क्या प्रयोग करके छात्रों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केन्द्र ने हिन्दुस्तान में 12 प्रयोगशालायें चला रखी हैं, जिनमें से राजस्थान विश्वविद्यालय भी एक है। इससे राजस्थान के छात्रों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। मेरा निवेदन है कुछ पैसों के खातिर राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाय। नहीं तो आने वाले समय में छात्र भारी आन्दोलन करेगा और उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। यदि अभी से इस पर रोक नहीं लगी तो स्थिति बड़ी भयंकर होने वाली है।

इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरी बात का विरोध होगा। मैंने देखा है, आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाने के लिये आते हैं, उनमें आरक्षण की वजह से, जो कोटा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स का है उसकी वजह से 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी रह जाता है, और 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी आ जाता है। परिणाम यह होता है कि जिस प्रकार खराब औजारों से मूर्तिकार पत्थर को तराश कर सुन्दर मूर्ति नहीं बना सकता, उसी प्रकार से वह कम अंक वाला व्यक्ति किसी प्रकार लड़कों का भविष्य उज्ज्वल नहीं बना सकता। मैं कोई कोटा फिक्स करने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां शिक्षण संस्थाओं का सवाल है, जहां देश की प्रतिभा को निखारने का सवाल है वहां सक्षम लैक्चरार ही जाने चाहियें, वरना कोटा के विद्यार्थी ऐसे हैं कि कभी ऐसे प्राध्यापक को कान पकड़ कर बाहर निकाल देंगे। निकालते भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है। आज यह हालत है कि हिन्दी का प्राध्यापक हिन्दी अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता है। कम से कम शिक्षण संस्थाओं के बारे में आपको विचार करना पड़ेगा।

श्री केदार नाथ : राजस्थान में कोई लैक्चरार ऐसा नहीं है, जो 45 प्रतिशत से कम अंक वाला हो।

श्री हरीशकुमार शर्मा : है, झालावाड़ में तीन लैक्चरार्स हैं, महाविद्यालय कोटा में है। मेरा निवेदन है वहां तीनों कालेजों में पी. जी. क्लासेज होनी चाहिये।

इसके साथ ही कोटा महाविद्यालय की दयनीय स्थिति चल रही है, उसके लिये भी आपको विचार करना पड़ेगा। जब उसकी

(श्री हरीशकुमार शर्मा)

स्थिति देखते हैं तो दिल को ठेस पहुंचती है। राजकीय कोटा महाविद्यालय की यह स्थिति है कि एग्जामिनेशन के लिये एक प्रश्न बता दिया जाता है। लड़का उसको पढ़कर चला आता है और उसको ही करके चला आता है। क्या वहां के लड़के आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. की परीक्षा में बैठ सकेंगे? अगर बैठेंगे, तो क्या उत्तर दे सकेंगे? कोटा महाविद्यालय में नकल की प्रवृत्ति बराबर बढ़ रही है। अभी वार्षिक परीक्षा आने वाली है जिसमें फिर से भयंकर नकल होगी। कोटा कालेज का यह दुर्भाग्य रहा है कि सरकार वहां पर जो प्रिंसिपल भेजती है, वह साल भर भी नहीं रहता, वह या तो रिटायरमेंट ले लेता है, पेंशन ले लेता है, या अन्य कालेजों में चला जाता है। वह कालेज की परवाह नहीं करता तो लड़कों की क्या परवाह करेगा? परिस्थिति यह होने वाली है कि आने वाली वार्षिक परीक्षाओं में नकल की जावेगी। पहले भी नकल होती रही है, पहले गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमे भी बने। फिर इस बार भी कालेज की स्थिति भयंकर हो जाएगी।

इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में मेरे क्षेत्र रामगंज मण्डी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। रामगंज मण्डी क्षेत्र के अन्दर करीब छः उच्च महाविद्यालय हैं। वहां से करीब-करीब दो ढाई सौ विद्यार्थियों को डिग्री कालेज के लिए कोटा जाना पड़ता है। इसलिए रामगंज मण्डी में डिग्री कालेज की स्थापना की जाना नितान्त आवश्यक है। कालेज खुल जाता है तो वहां के विद्यार्थियों को बहुत सुविधा हो जाएगी।

इसके साथ-साथ नगर के जितने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं उनकी हालत यह है कि उनकी पट्टियां टूटी हुई हैं। कोई भवन गिर जाय, कहीं ऐसी स्थिति न हो जाय। जैसी जयपुर में स्थिति हुई थी, वैसी ही स्थिति वहां पर न हो जाय। ग्रामों में जो भवन हैं उनको जन सहयोग से बनाकर तैयार किया गया है। जनता ने जितना पैसा दिया है उससे आधा पैसा भी सरकार नहीं देना चाहती। गांवों में जनता ने जन सहयोग से जितना चन्दा करके जिन स्कूलों का निर्माण कराया है कम से कम उसका आधा पैसा तो सरकार अपनी ओर से सहायता के रूप में दें, यह बहुत आवश्यक है।

हमारे कस्बे में दो कस्बे ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या तीन-तीन हजार और चार-चार हजार के करीब है। मिडिल स्कूल तो है, लेकिन लड़कों का सैकण्डरी स्कूल नहीं है। जनसंख्या भी पर्याप्त है। दो-दो मिडिल स्कूल होते हुए भी सैकण्डरी स्कूल न होना सरकार के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन दोनों जगहों पर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिए।

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री महोदय से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जब हायर सैकण्डरी स्कूल खोलते हैं तो पूरे सब्जेक्ट नहीं देते हैं। कहीं पर कौमर्स है, तो कहीं पर विज्ञान है। इसलिए हायर सैकण्डरी स्कूल होने के बाद भी लड़कों को शहर की तरफ आना पड़ता है। इसलिए जहां पर भी हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें, वहां पर पूरे सब्जेक्ट दिये जावें ताकि शहरों में जो अव्यवस्था पैदा होती है, वह न हो और शहर का वातावरण खराब होने से बच जाय। गांवों के बच्चों को उनके माता-पिता के पास रखना जरूरी है ताकि उनका खर्चा बचे और

(श्री हरीशकुमार शर्मा)

अपने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए जब भी हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें तो उसमें वाणिज्य, कला और विज्ञान सभी विषय खोल दिये जावें। मेरे क्षेत्र के अन्दर जितने भी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, चेचट हायर सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य नहीं है, खेड़ा सेबी सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य नहीं है, इससे वहां के विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी हालत में मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे गांवों में कम से कम सभी विषय तुरन्त खोल दिए जावें।

साथ ही जहां तक आमूलचूल परिवर्तन की बात है, इसको शुरू से करना होगा। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हर विद्यार्थी की मांग है कि शिक्षा पद्धति के अन्दर परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए सरकार ने अभी तक नीति निर्धारित नहीं की है, अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए एक आयोग शीघ्रातिशीघ्र बिठाकर विचार करना चाहिए। वह शिक्षा की नीति निर्धारण करे और हमें सुझाव दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही जहां जहां पर प्रयोगशालायें हैं वहां पर स्टाफ की कमी है। स्कूलों में प्रयोगशाला की बहुत भारी कमी है, एपरेटस की कमी है। उनकी तुरन्त व्यवस्था करेंगे तो विद्यार्थी बड़े आभारी होंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री एच. एन. शर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण, जो यहां पर पढ़ा गया है, की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि पृष्ठ संख्या 12 पर यह अंकित किया गया है:—

> "माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1977-78 तक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं उनके फलस्वरूप अब 500 या उससे अधिक की आबादी वाले लगभग सभी गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।"

और फिर, श्रीमान्, पृष्ठ संख्या 28 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लिखा है —

> "1971 की जनगणना के आधार पर 100 से अधिक है"।

सन् 77-78 तक पांच सौ की आबादी तक खोल चुके हैं तो अब 71 की आबादी पर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि भविष्य में कोई स्कूल खोलने की सरकार की मंशा नहीं है। सन् 78 में जाकर सन् 71 की जनगणना की बात करना इस बात का द्योतक है कि शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा के क्षेत्र में सात साल पीछे जा रहे हैं। उनको 77-78 की जनसंख्या की बात करनी चाहिए। 77 की जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलने की बात करते तो मैं इस बात को मानता कि गांवों की जो समस्या है उसके समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जनहित की अनेक समस्यायें मुंह बाये खड़ी है उनका निदान करना चाहिए था। लेकिन

(श्री एच.एन. शर्मा)

सन् 71 की जनसंख्या की बात करना इस बात को प्रमाणित करता है कि शिक्षा की जो ज्वलन्त समस्या है, उसका समाधान हमारी सरकार करना नहीं चाहती ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आबादी के हिसाब से प्राथमिक शालायें खोलेंगे दो हजार, तीन हजार की आबादी वाली जगहों पर मिडिल स्कूल खोलेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ राजस्थान में औद्योगिक विकास हो रहा है । गांवों में औद्योगिक संस्थान खुल रहे हैं । औद्योगिक नगरों में औद्योगिक संस्थानों की बढ़ोतरी हो रही है । लेकिन तकनीकी शिक्षा के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि कितने इंजीनियरिंग कालेज खोलने वाले हैं, कितने एग्रीकल्चरल कालेज खोलने वाले हैं, कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, आई. टी. आई. खोलना चाहते हैं ? इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ-साथ टैक्निकल शिक्षा होना बहुत जरूरी है । टैक्निकल शिक्षा हमारी सरकार को देनी पड़ेगी और इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, आई. टी. आई. वगैरह अधिक से अधिक संख्या में खोलने पड़ेंगे, तभी हमारा देश और हमारा प्रान्त औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ सकेगा ।

मैं कहना चाहूंगा कि चित्तौड़ जिला औद्योगिक दृष्टि से महज इसलिए पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया क्योंकि वहां पर रावतभाटा का अणु शक्ति केन्द्र है, वहां पर हैवी वाटर प्रोजेक्ट है, वहां पर फिसरीज डिपार्टमेंट है, वहां पर राणा प्रताप सागर डैम है और राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कार्यालय है । महज इस वजह से चित्तौड़ जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, लेकिन चित्तौड़ जिले में पोलीटैक्निक या आई. टी. आई. संस्थान नहीं है । मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जिस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं किया गया है, औद्योगिक दृष्टि से वह आगे बढ़ाया गया है उसमें पोलीटैक्निक और आई. टी. आई. खोलना नितान्त आवश्यक है । मैं मांग करूंगा कि जिन क्षेत्रों के अन्दर विभिन्न औद्योगिक इकाइयां हैं, उन सब में नहीं तो कम से कम रावतभाटा में, जो काफी उपयोगी स्थान है औद्योगिक दृष्टि से, आई. टी. आई. खोला जाना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली बार आपने देखा कि पिछले शिक्षा मंत्री महोदय ने स्कूल खोल दिये, लेकिन केवल स्कूल खोलने से काम नहीं चलने वाला है । मास्टर आज भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं । सालाना परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं किन्तु सारे के सारे बालक और बालिकायें शिक्षा से वंचित रह गए हैं । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार नए स्कूल खोले तो स्कूल खोलने के साथ-साथ मास्टरों की व्यवस्था भी करे । केवल स्कूल खोलने से काम चलने वाला नहीं है । हमारी मांग है कि नए शिक्षा मंत्रीजी इस बात का पूरा ध्यान रखें ।

इसके साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, रावतभाटा में कम से कम हजार बालिकायें हैं ।

Page No 175

(175)

(श्री एच. एन. शर्मा)

लेकिन उनको सैकण्डरी स्कूल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि रावतभाटा औद्योगिक नगर में कम से कम बालिकाओं के पढ़ने के लिए सैकण्डरी स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा । आपने देखा होगा कि आज का विद्यार्थी क्या करता है सिवाय नारेबाजी करने के, 'इन्कलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाने के, 'हमारी मांगें पूरी करो' के नारे लगाने के, साल भर तक हंगामा करने के । इस तरह से साल भर तक पढ़ाई करते नहीं और जब इम्तिहान का टाइम आता है तो फिर मांग होने लगती है कि हमारे इम्तिहान आगे बढ़ा दिये जावें । इसके अन्दर राजनैतिक नेता भी शामिल होकर राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं । इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में ही दीमक लगी हुई है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह से गैस पेपर्स होते हैं । मैं मांग करता हूं कि गैस पेपर बिलकुल बन्द कर देने चाहिएं । गैस पेपर्स का किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं होना चाहिए । इससे विद्यार्थी की शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा होती है और वह किसी प्रकार से गैस पेपर पढ़ कर 15 दिन में इम्तिहान पास करना चाहते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि गैस पेपर बन्द करवाये जायें तभी जाकर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होगी ।

मुझे बस इतना ही कहना है और मुझे आशा है कि मेरे दिए गए जो सुझाव हैं मंत्री महोदय उनकी ओर ध्यान देंगे ।

श्री सभापति : श्री गुलाब चन्द कटारिया !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कल्याणसिंह !

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) : सभापतिजी, आज हमारा देश और प्रदेश निर्माण की ओर बढ़ रहा है, परन्तु राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक की जो इस प्रदेश में दुर्दशा हो रही है, उसकी ओर से सरकार, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का संचालन करने वाले अधिकारी सब आंख मूंद कर बैठे हुए हैं । आज जहां पर प्रदेश में सरकारी शिक्षा विद्यालयों की एक स्थिति है, तो दूसरी ओर सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की स्थिति कुछ और ही है । सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अन्दर कार्य करने वाले अध्यापकों का जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में है, शर्मनाक स्थिति में है । इसलिए मैं सबसे पहले मांग तो यह करना चाहूंगा कि प्रदेश की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो । अगर सरकार राजनैतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने में हिचकती है और उसके लिए यह संभव नहीं है, तो कम से कम संस्थाओं में काम करने वाले जो अध्यापक हैं, उनकी सर्विस की सुरक्षा हो और उनके पूरे वेतन की व्यवस्था सरकार तत्काल करे ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है ।

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान को प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए, जहां परिश्रम की जरूरत है, वहां जो टैक्निशियन का उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी स्थिति भी दयनीय है। आज राजस्थान में पांच पोलीटैक्निक कालेज है और आई.टी.आई.स्कूल्स हैं। इनकी स्थिति क्या है ? ये इसलिए बनाये गये थे पोलीटैक्निक और आई०टी०आई० कि सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी पोलीटेक्निक में प्रवेश ले सकें और आई०टी०आई० में मिडिल और नान-मैट्रिक के लिए स्थान था। आज स्थिति यह है कि यहां पर एक भी मिडिल या नॉन मैट्रिक के लिए आई.टी.आई. नहीं है। इसका कारण इन संस्थाओं की कमी है। इनकी बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई कि जो मौजूदा संस्थाएं हैं, उनके अन्दर अध्यापकों का पूर्णरूप से अभाव है। कोई भी आदमी, टैक्निशियन इनमें आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी ऐसी दुर्दशा की गई है कि उनके साथ के साथी जो दूसरे विभागों में लगे वे आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इन्जीनियर हैं और वे व्यक्ति जो पोलीटैक्निक कालेज में फंस गये, उनकी तरक्की का कोई चांस नहीं है। जो वेतनमान उनको दिए गए थे, सबसे नीचे उनको कर दिया है। काफी दिनों से उनकी हड़ताल चल रही है। इसलिए मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि गंभीरतापूर्वक विचार करके, इस समस्या को निपटाने का कष्ट करें।

दूसरी बात सीनियर अध्यापकों की है। आज एक एम.ए फर्स्ट क्लास कालेज में लेक्चरार हो जाता है, परन्तु वही व्यक्ति यदि सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी में जाता है और बी.एड. नहीं होता है तो उसको नहीं लिया जाता है। एक साल का जीवन और बरबाद करके वह सर्विस में जाता है। इसके अलावा तनख्वाह के मामले में भी अन्तर है। जो ज्यादा सर्विस करता है, सब से कम तनख्वाह उसको मिलती है। इससे उनमें रोष है। इस रोष को समाप्त करने के लिए शीघ्र से शीघ्र शिक्षा मंत्री को कदम उठाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला में जो अध्यापक काम करते हैं, उनकी स्थिति भी दयनीय है। अब वे लोग आन्दोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि पुरानी सरकार की यह नीति थी कि वह समय रहते समस्या को नहीं निपटाती थी और जब समस्या आन्दोलन की चरम सीमा पर पहुंच जाती थी तब जाकर उस पर ध्यान देती थी। जनता सरकार को इस पुरानी परिपाटी को बंद करके, तत्काल जो समस्या है, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

एक बात यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैट्रिक पास हैं और मिनिस्ट्रीयल सर्विस में हैं वे दस साल में कई प्रमोशन ले लेते हैं। एल.डी.सी. से यू.डी.सी. हो जाते हैं, आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हो जाते हैं परन्तु एक हायर सैकन्डरी, एस. टी. सी. पास अध्यापक जो सर्विस में रहकर अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाता है, वह बी.ए. एम. ए. हो जाता है और बी. एड. नहीं कर पाता है तो उसको सैकण्ड ग्रेड नहीं मिलती है जब कि 15-20 वर्ष का उसे टीचिंग एक्सपीरियंस हो जाता

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

है तब उसको बी.एड.पास करना क्यों जरूरी है? मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। जिन अध्यापकों ने बी.ए.,एम.ए. कर लिया है, उन्होंने चाहे बी.एड. नहीं किया हो, उनको यदि 15 साल का एक्सपीरियेंस हो गया है तो तरक्की मिलनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बहुत आवश्यक प्रश्न और है। आज प्राइमरी स्कूल भवनों की यह स्थिति शहरों में चल रही है कि सारी बिल्डिंग्स जर्जर पड़ी हुई हैं। गत वर्ष एक घटना अजमेर में हुई थी, इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर शहर में जितने स्कूल चल रहे हैं, उनको वे कृपा करके देखें, तो यह कहेंगे कि तत्काल यहां से बच्चों को शिफ्ट किया जाए। वे कभी भी धराशायी हो सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को जागरूक रहना चाहिए। चाहे बिल्डिंग का किराया नाममात्र का हो, यदि मकान मालिक रिपेयरिंग नहीं कराना चाहे, तो शिक्षा विभाग को रिपेयरिंग पर व्यय करना चाहिए। आपसे एक और मेरा निवेदन है। अजमेर में गर्ल्स कालेज की आवश्यकता महसूस करते हुए, आपको तत्काल आज ही घोषणा करनी चाहिए, और इस वर्ष वहां पर गर्ल्स कालेज चालू हो जाना चाहिए। अजमेर गवर्नमेंट कालिज में एल.एल.एम. व लेबर लॉ की कक्षाएं भी आप तत्काल चालू करें।

श्री सभापति : श्री माणकलाल ठाकोर

श्री माणकलाल ठाकोर (गुजरात) : माननीय सभापति महोदय, अब तक जो कानून बनाये गये हैं, उससे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कि यह आरोप गलत है। पिछले 30 साल से प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, उसमें शिक्षा में परिवर्तन आया, आमूलचूल परिवर्तन आया, भयंकर परिवर्तन आया और वह यह कि शिक्षा के स्तर में जो इतनी गिरावट आई है, इतनी ज्यादा स्थिति खराब हुई है, जीरो पाइन्ट पर स्तर इसका आ पहुंचा है, इसका श्रेय कांग्रेस सरकार को है। यह परिवर्तन नहीं तो क्या है? परिवर्तन अच्छा और बुरा दोनों होता है। अब देखना यह है कि जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से इसमें परिवर्तन ला सकती है। सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं इसके लिये सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं। हमारे सभापति महोदय अनुशासन के मामले में जरा कठोर हैं। अभी घंटी बज जाएगी।

इसलिए मैं एक पाइन्ट ही निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम इतना कर दिया जाए कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, उन सब का सिलेबस, नियम एक कर दें। एक विद्यार्थी का कहीं पर 40 प्रतिशत पर एडमिशन होता है, कहीं पर 60 प्रतिशत पर एडमिशन होता है, तो कहीं पर 50 प्रतिशत पर एडमिशन होता है। पूरे हिन्दुस्तान में एक ही पद्धति रहे तो मैं समझता हूं कि एक तरह से आप परिवर्तन लायेंगे।

सभापति महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने शपथ ग्रहण की थी, उन्होंने एक तबादले की नीति बतायी थी। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि कई हमारे सदस्य महानुभाव इस नीति के क्रियान्वयन के मामले में

(श्री माणकलाल ठाकोर)

असन्तुष्ट रहे हैं, किन्तु नीति जो घोषित की थी वह किसी प्रकार से गलत नीति नहीं कही जा सकती है। पति-पत्नी को यथा संभव एक ही स्थान पर रखा जाएगा, यह उचित नीति थी। ऐसे लोग कितने हैं, वर्षों से पीड़ित हैं, ये दोनों एक दूसरे स्थान पर थे। उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में लाया गया तो इससे काफी लोगों को लाभ हुआ है। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस मामले में क्या गड़बड़ है ? बड़े अफसोस की बात है कि एक शिक्षा मंत्री के हटने के बाद उनकी घोषणाओं को दूसरे शिक्षा मंत्री कार्यान्वित न करें और केवल एक ख्वाहम-ख्वाह की गलत आलोचना के आधार पर कहें कि मैं तबादले की राजनीति को नहीं मानता। तबादले की राजनीति को कोई भी विधायक न इधर का, न उधर का चाहता है। जिस शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है, वर्षों से वह पीड़ित है, आपातकाल में वह गलत स्थान पर भेज दिया गया, वर्षों से वह पीड़ा अनुभव कर रहा है, अपने घर से बाहर है, उसका अपने स्थान पर अगर तबादला हो, अगर वे इसको तबादले की राजनीति कहते हैं, तो इस राजनीति को अवश्य ही हमारे शिक्षा मंत्री को अपना लेना चाहिए।

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि एक सर्क्यूलर शिक्षा मंत्री महोदय ने सभी माननीय विधायकों को भेजा है। उन्होंने यह सुझाव मांगने के लिए हर विधायक को सर्क्यूलर भेजा है कि 3,000 से ज्यादा आबादी के जो गांव हैं, उनमें कहां हायर सैकण्डरी स्कूल कायम करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि 25 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं, जिनमें हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं। कारण यह है कि जो पिछड़े हुए हैं, वह एक हजार की आबादी के गांव हैं। जहां पर्याप्त मात्रा में सड़के हैं, अच्छी अच्छी सड़कें हैं जो शिक्षा में उन्नति करना चाहते हैं, अगर वहां यह प्रतिबन्ध मान लिया जाये तो यह एक प्रकार से काला आदेश होगा। इस सिद्धान्त को मान लेने के बाद तो बड़े ही कस्बे इसका लाभ उठायेंगे। इसलिए स्कूल खोलें, तो सभी बातों को देखें। जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे स्थानों में मार्क करेंगे कि वहां एक भी छोटा गांव नहीं है। इसी प्रकार से नैनवा एक ऐसा स्थान है, वहां अगर स्कूल होता, तो डिग्री कालेज होता। वहां पर एक स्कूल तक नहीं खोला गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं निवेदन करूंगा कि यह नहीं होना चाहिए।

आपका आदेश है तो हम बैठ जाते हैं।

श्री सभापति : आदेश नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं इस तरह तो नहीं करता हूं, जैसा कि और लोग करते हैं। आपकी अनुमति है तो एक बात और कहता हूं। वह बात यह है कि देहातों के अन्दर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल, और कालेजेज बिना किसी मैरिट के, लड़कों की संख्या को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए चलें। देहातों में जनसंख्या का हिसाब नहीं लगायें।

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंह !

श्री सीताराम भोला : शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा पर बोलेंगे।

श्री सभापति : आप बोलेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं बोला नहीं हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने शिक्षा पर 4 कटौती प्रस्ताव दिए हैं। पहला मेरा कटौती प्रस्ताव इस बारे में है कि मिडिल स्कूलों में टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है। उसका मुख्य कारण यह रहा है कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किये हैं। ट्रांसफर आप करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जितने ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, उतने ज्यादा ही काम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। जो टीचर्स डेजर्ट एरिया में थे, वह अच्छी जगह चले गये हैं। अब जिनको आपने डेजर्ट एरिया में भेजा, उन्होंने वहां जाकर ज्वोइन नहीं किया है। ज्वोइन नहीं करने से आज पूरे डेजर्ट एरिया में दो-तीन से अधिक मिडिल स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। सैकण्डरी स्कूलों में मैथमेटिक्स के टीचर्स नहीं हैं। आप यह सोचें कि कैसे विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे। इसी प्रकार से मिडिल स्कूलों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। यह दो टीचर्स के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षकों के ट्रान्सफर के मामले में पालिसी ठीक बनायें। शिक्षक संघ को भी अपने साथ में लें। आप यह पालिसी बनायें कि प्रिंसिपल का दो साल में ट्रान्सफर करेंगे। अगर प्रमोशन देंगे तो बाहर जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ट्रांसफर की पालिसी बनायें। मुझे खुशी है कि आपने आने के बाद ट्रांसफर नहीं किया है। आपने सख्ती रखी है। डेजर्ट एरिया में टीचर्स पूरे करने के लिए बैठकर विचार करें। गर्मियों में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग कोई अधिवेशन आयोजित करे और उसमें इस पर गम्भीरता से तय कर लिया जाये। साथ ही जहां टीचर्स नहीं वहां वास्तव में टीचर लगाये जायें। अगर टीचर्स नहीं लगे, तो बहुत जगह रोष पैदा होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने लैटर भेजे हैं कि 400 से कम आबादी वाले या ज्यादा वाले गांव हैं, वहां स्कूल खोलेंगे। 400 से ज्यादा की आबादी वाला गांव कोई राजस्थान में नहीं है, जहां स्कूल नहीं हो।

(व्यवधान)

आप क्या इशारा कर रहे हैं ?

रेवेन्यू विलेजेज में 400 से ज्यादा की आबादी वाले गांव रह गये हैं ? कहीं रह गये होंगे। ऐसे गांवों में स्कूल खोले गये हैं। लेकिन पोजीशन ऐसी आयेगी कि कुछ गांव हैं जो 400 की आबादी के नहीं हैं। ढाणियां हैं, दो-ढाई मील से चार मील की दूरी पर हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोरा आप यह नहीं रखें कि 400 की आबादी वाला गांव हो, नीड को देखते हुए भी स्कूल खोलें। 400 वाला है, या ज्यादा है या कम है, जहां नीड है, वहां खोलें। दो-ढाई सौ मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। शिक्षा का प्रसार भी होगा। मैं गांवों की लिस्ट आने वाले सत्र में दे दूंगा। पिछली बार जितने स्कूल खोले हैं, स्कूल खोलने के विषय में विपक्ष की तो सुनते ही रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से आपकी पार्टी के लोग बोले हैं कि आपने अपने ही क्षेत्र में खोले हैं और ज्यादा खोल लिये हैं। इसलिये इस बार आप पक्षपात नहीं करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : असमानता को समानता में परिवर्तन किया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जिस वक्त स्कूल खोलता था, जोशीजी आप सुन लीजिए, निश्चित तौर से विपक्ष में बैठने वालों का खयाल रखता था ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बोलने दें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पहली बार हाउस में आये हैं । यहां पर प्रो. केदार बैठे हैं । वह होते तो मैं ताईद करवा देता । मैं ईमानदारी से यह कहता हूं कि पूरा एड्रेस लिया करता था । हमेशा ध्यान रखता था । जब भी स्कूल खोले हैं, हमेशा उनको पूरा शेयर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : यह कह रहे हैं कि इनके यहां नहीं खोले गये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बहुत पहले थे । बीच में गायब हो गये थे ।

मेजर श्री फतह सिंह : 61-62 में था । ब्यावर क्षेत्र में एक भी नहीं खोला गया था ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं मेरी बात कह सकता हूं । आप आज से 15 साल पुरानी बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय सदस्य को बोलने दें ।

(व्यवधान)

मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चुपचाप बैठिये ।

(व्यवधान)

मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप बैठिये । माननीय श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपोजिशन वालों के क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं खोलें तो मत खोलिये, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार प्रजातंत्र नहीं चलेगा, और जिस प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं वह खतम हो जायगा । इस बात को सीरियसली लें । यह जरूरी नहीं है कि जहां से आज हम जीत कर आये हैं वहां से आपका आदमी आगे नहीं आयेगा । यह भी जरूरी नहीं है कि जहां से आज आप जीतकर आये हैं वहां से हम नहीं आयेंगे । अभी हवा चल गई इसलिए आप आ गये हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में काफी चले जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : आप तो आने वाले नहीं हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि आप जो 10+2+3 की योजना लागू कर रहे हैं इसके बारे में आप जब जवाब दें तो ठीक प्रकार से बतायें ।

प्रोफेसर साहब से आप पूछ सकते हैं कि इनके यहां स्कूल खोले गये या नहीं ?

10+2+3 के बारे में, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसको आप सोच विचार कर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लागू करें। पहले भी हमने इसी प्रकार से मल्टीपर्पज स्कूल्स खोल दिये थे और उनके अन्दर लाखों रुपयों का इक्विपमेंट मंगा लिया। काम भी शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वह स्कीम फेल हो गई। लड़कों को ट्रेनिंग दी गई, कई अच्छा कारपेन्ट्री और लोहार का काम सीख गये थे, लेकिन बाद में उनके माता-पिता ने अप्रूव नहीं किया और कहा कि आगे पढ़ो। तो वह ट्रेनिंग बन्द हो गई। हम भी 10+2+3 स्कीम शुरू करना चाहते थे। इसके ऊपर पहले विचार किया था लेकिन हम लागू नहीं कर सके और हमारा मानस नहीं बना। यह खिलवाड़ नहीं है। लाखों बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए इस योजना को लागू करने से पहले बहुत सोच-विचार कर लें कि सही मायने में यह काम आने वाली स्कीम है क्या? फायदा करने वाली स्कीम है क्या? बगैर सोचे विचारे इस स्कीम को लागू कर दिया तो निश्चित मानिये लाखों बच्चों का भविष्य अन्धकारमय कर देंगे और आपकी यह स्कीम फेल हो जायगी। न मालूम आगे जाकर क्या नतीजा निकले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

श्री सभापति : फर्माइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस ओर ध्यान दें।

अब मैं जो अकादमी हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। साहित्य अकादमी में जो कुछ काम हुआ है वह अच्छा काम हुआ है इसमें शक नहीं। मैं समझता हूं कि आप इसको प्रोत्साहन देंगे और आगे बढ़ायेंगे इसके काम को। जहां तक संगीत अकादमी का प्रश्न है उसमें काम जितना होना चाहिए वह नहीं हुआ है।

इसी प्रकार से ललित कला अकादमी के लिए कहूंगा। अच्छे अच्छे पेन्टर्स हैं वे चित्र बनाते हैं, लेकिन उनके बेचने का कोई तरीका नहीं है। जब तक उनके चित्र नहीं बिकें तब तक नये चित्र नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह आगे से आगे चित्र बनाते चले जायं। इसलिये उनके चित्र बेचने की बात सोचें, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और नये कलाकार भी आगे आयें। आपकी ललित कला अकादमी आगे बढ़ेगी, तो कई लोग जीवन-निर्वाह भी कर सकते हैं और अच्छे-अच्छे पेन्टर्स निकल सकते हैं।

इसी प्रकार से संगीत नाटक अकादमी का मामला है। राजस्थान संगीत की दृष्टि से आगे रहा है। यहां पर कई स्टेट्स होने के नाते शुरू से ही संगीत के कई घराने रहे हैं। यहां पर संगीत के प्रति रुचि रही है। राजा-महाराजाओं ने बहुत सुरुचि दिखाई। आज भी यहां पर अच्छे-अच्छे कलाकार हैं। उन लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। गांवों के अन्दर भी काफी अच्छे गाने वाले हैं और काफी अच्छे बजाने वाले हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय तो और भी अच्छी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसमें राजस्थान दूसरे मुल्कों और सारे प्रदेशों से आगे बढ़ सकता है। संगीत की दृष्टि से निश्चित तौर से आप से कह सकता हूं कि उत्तर भारत में ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अन्दर राजस्थान अपना स्थान रखता है। इसको प्रोत्साहन

(श्री खेतसिंह राठौड़)
देने के लिए कुछ और कदम उठाये जायं।

अब मैं आपसे म्यूजियम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो कि आपके नीचे हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा टूरिस्ट्स आते हैं तो कहीं एकाध म्यूजियम ऐसा रखें, जिस तरह का हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम है। कोई भी हैदराबाद जायगा तो निश्चित तौर से सालारजंग म्यूजियम जायगा। राजस्थान में ऐसा म्यूजियम चाहे उदयपुर में बनायें, चाहे जोधपुर में बनायें, चाहे जयपुर में बनायें। जोधपुर भी टूरिस्ट मैप पर सामने आ गया है, क्योंकि जैसलमेर बहुत से लोग जाने लगे हैं। तो एक जगह बढ़िया म्यूजियम रखें, ताकि जो टूरिस्ट्स आयें, वे म्यूजियम देखें। जितने भी संग्रहालयों में अच्छी-अच्छी चीजें हैं उनको उस म्यूजियम में शामिल करें। एक जगह अच्छा म्यूजियम हो जायगा तो जो टूरिस्ट्स आयेंगे, वह निश्चित तौर से म्यूजियम देखेंगे। वह एक देखने लायक चीज हो जायगी। उसके होने से जो आदमी वहां जायगा, उसको अवश्य देखेगा। अलग-अलग रियासतों के अलग-अलग म्यूजियम होने की वजह से सब में एक सी चीजें हैं और उनको डवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी ओर निश्चित रूप से ध्यान दें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहते हैं कि कागज की कमी है। एक स्टेटमेंट आपने दिया था जिसमें आपने कहा था कि कागज की कमी है इसलिए कापियां नहीं छप पा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस साल आप टैक्स्ट बुक्स ज्यादा नहीं बदलें। ज्यादा बुक्स जो बदलेंगे, तो नई बुक्स छपवाने के लिए काफी कागज चाहिएगा। अगर आप बुक्स बदलना चाहते हैं तो बुकसेलर्स को पहले से ही नोटिस दे देना चाहिए। बुकसेलर्स को इसके लिए काफी वक्त चाहिए। तो सैकण्ड टर्म में आप बुक्स बदलना चाहते हों तो उनको लॉस होगा और लड़कों को बड़ा खर्च करना पड़ेगा। जब आप 10+2+3 की स्कीम लागू करेंगे, तो फिर किताबें बदलनी पड़ेंगी। किताबें बदलने के मामले में गम्भीरता से विचार करने की बात है और पूर्ण विचार करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए।

यह कुछ सजेशन्स थे। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी है। मेहरबानी करके उसको पूरा करने का प्रयत्न कीजिये। दूसरा आपसे निवेदन है कि स्कूल खोलते वक्त में यह खयाल रखें कि स्कूल प्रापर्ली डिस्ट्रिब्यूट करके, सब जगह देने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री गोपाल पचेरवाल (केशोरायपाटन) : सभापति महोदय, अभी रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरीश शर्मा ने अनुसूचित जाति के लिए यह कहा कि शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के अयोग्य लोगों को नियुक्त नहीं किया जाय। इस संबंध में सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों में अयोग्यता हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समाज को सदियों तक गांवों के बाहर रखा गया, जिसे सवर्ण समाज ने पीड़ित और दलित किया, आजादी के पश्चात् कांग्रेस के '30

(श्री गोपाल पचेरवाला) :

साल के शासन में जिस समाज की घोर उपेक्षा की गई, उस समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया गया, और हमारे माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी, जो कि कोटा के हैं, ने भी लेक्चरार्स की नियुक्तियों के वक्त अनुसूचित जाति की घोर उपेक्षा की और अनुसूचित जाति के लोगों को नियुक्ति नहीं दी। जहां हमारी सरकार यह चाहती है, डाक्टर लोहिया यह चाहते थे, जय प्रकाश नारायण यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, जिनकी उपेक्षा की गई है, विशेष रूप से अवसर देना चाहिए, वहीं लोग आज इस तरह की बात करते हैं, और खास तौर से वह व्यक्ति, जो जय प्रकाश-नारायण को अपना नेता मानते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए सदन में ऐसे भाषा का प्रयोग करें, यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। देश में कई सालों से पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वालों का सर्वाधिक अधिकार है। पूंजीपतियों के लड़के अंग्रेजी पढ़ कर अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। जब नौकरी के लिए इन्टरव्यू लेते हैं तो अंग्रेजी के माध्यम से इन्टरव्यू लिया जाता है। उसमें पिछड़े वर्ग का व्यक्ति पिट जाता है और उसको बेरोजगारी की कतार में खड़ा होना पड़ता है। देश में जो अंग्रेजी भाषा का जोर है, वह इन पब्लिक स्कूलों के कारण है इसलिए इन स्कूलों को समाप्त करना चाहिए। जब पब्लिक स्कूलों का सम्मेलन हुआ था, उस समय राज्यपाल महोदय उद्घाटन करने गए थे तो युवा जनता के मंत्रीजी सोहन मेहता ने उसका विरोध किया और अपनी गिरफ्तारी दी थी, इस बात को लेकर कि राज्यपाल महोदय पब्लिक स्कूलों के डाइरेक्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक तरफ आप सिद्धान्त की बात करते हो, और पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर देने की बात करते हो, दूसरी ओर उनको बेरोजगारी की कतार में खड़ा करना चाहते हो। फिर आप उनमें अयोग्यता की बात करते हो। उन लोगों में कहां से काबलियत आएगी जिनकी इतने वर्षों तक घोर उपेक्षा की गई है और की जा रही है।

जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें जो अध्यापक होते हैं वे डाइरेक्टर्स की दया पर निर्भर रहते हैं। डाइरेक्टर्स खुश हैं तो नौकरी कायम है अगर नाराज है तो नौकरी से निकाल देते हैं। आज जागीरदार व पूंजीपति निजी शिक्षण संस्था चला रहे हैं। उनको समाप्त करें ताकि गरीब लोगों को भी समान अवसर मिले और जिन अध्यापकों का शोषण होता है, उनको मुक्ति मिल सके।

राजस्थान विश्वविद्यालय व जोधपुर विश्वविद्यालय में आज तक चुनाव नहीं हुए। आपातकाल में भी चुनावों पर प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन प्रजातंत्र की दुहाई देने वाली सरकार ने अभी तक वहां चुनाव नहीं कराये। इन छात्रों की स्वतंत्रता पर पाबंदी क्यों लगाई? जब कांग्रेस सरकार कहती थी कि छात्रों को राजनीति में नहीं आना चाहिए तो हम कहते थे कि नहीं, उनको आना चाहिए। बिहार में जयप्रकाश नारायण जी ने आन्दोलन चलाया तो छात्र कालेज छोड़ कर मैदान में आ गए, लेकिन जनता सरकार के समय में उक्त विश्वविद्यालयों के चुनाव आज तक नहीं कराए गए। सरकार ने इन चुनावों को रोक रखा है। जे० पी० के

(श्री गोपाल पचेरवाला)

आह्वान पर युवा वर्ग जूझ पड़ा और कांग्रेस सत्ता को ही पलट दिया। आज उनकी आजादी पर कुठाराघात को विद्यार्थी बरदाश्त नहीं करेंगे, और युवा जनता संघर्ष करेगी। उनके चुनाव कराए जायं और उनको आजादी दी जाय।

हमारे मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों की 33 प्रतिशत के आधार पर एडमिशन दिया जाता था, उसको भी बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया। आप मेडिकल के लिए हमारे बच्चों को अयोग्य बताते हैं, थानेदारी के लिए अयोग्य बताते हैं, शिक्षा के पदों के लिए अयोग्य बताते हैं। आज सरकार ने जितनी पदोन्नतियां की हैं उनमें पिछड़ी जाति के लोगों को पदोन्नति नहीं दी गई। यह कुठाराघात पिछड़ी जाति के लोगों पर नहीं किया जाए। डाक्टर लोहिया कहते थे कि गुस्से को इकट्ठा करो। पिछली जाति के लोगों ने उस बात को ध्यान में रख कर अपना गुस्सा इकट्ठा किया है। जब गुस्सा बाहर निकालेंगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। जैसे कि अनुसूचित जाति के लोगों के आक्रोश से कांग्रेस सत्ता पलट गई।

दूसरी बात, केशवरायपाटन में सैकण्डरी स्कूल था, 30 साल के बाद भी उसकी शक्ल ज्यों की त्यों है। उसको क्रमोन्नत करिए।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाह !

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह !

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान शिक्षा सुधार व विस्तार की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस अल्पावधि में भी सरकार ने शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयत्न किया है। लेकिन यह प्रयत्न हमारी आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही नगण्य है। हमारे यहां 33 हजार गांवों में से आज भी 13 हजार गांव ऐसे हैं, जहां स्कूल नहीं हैं और जिनमें हैं उनमें भी ज्यादा स्कूल नहीं खोले गए हैं। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। इस साल 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए, और 11 बन्द हो गए। हर स्कूल से आवाज आती है कि अध्यापक नहीं हैं, बच्चों की जिंदगी बरबाद हो रही है, स्तर खतम हो रहा है, बच्चे परीक्षा कैसे देंगे ? यह शिकायत हर स्कूल से मिली है। मैंने पहले वाले शिक्षा मंत्री से भी निवेदन किया था और वर्तमान शिक्षा मंत्री से भी किया लेकिन अभी तक कमी पूरी नहीं हुई।

पहले हमने 30 साल तक उधर की बेंचों पर बैठकर शिक्षा पद्धति की आलोचना की थी कि इस तरह बेरोजगारों की फौज बढ़ा रहे हो, यह कर रहे हो, वह कर रहे हो, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद शिक्षा का दूसरा सत्र चालू हो रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि शिक्षा पद्धति को बदला जाए।

दूसरी बात, सारे राजस्थान में एक ही सेलेबस लागू किया जाए। कहने को तो कहा जाता है कि शिक्षा के समान अवसर हैं, लेकिन कहां हैं ? यह भी कहा जाता है कि आज रोजगार के समान अवसर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं राज्य के अन्दर व्यावसायिक स्कूल हैं जहां बच्चे ट्रेनिंग ले सकें? सेंट जेवियर के मुकाबले में, देहाती स्कूलों के पास लड़के इन्टरव्यू में रह जाते हैं। तो सेंट जेवियर के बच्चों का ही प्रिविलेज रहेगा,

(श्री बहादुर सिंह)
उसका चयन हो जाएगा और गांव का लड़का कभी सलेक्ट नहीं हो सकेगा । इसलिए असमानता को अविलंब खतम किया जाए और आने वाले समय में सब स्कूलों में समान सिलेबस रखा जाय ।

बी.एस.टी.सी. और बी.एड. में एडमिशन्स होते हैं उनमें भेदभाव है । बी.एस.टी.सी. में एन.सी.सी. के नंबर दिए जाते हैं और स्काउटिंग के नंबर दिए जाते हैं जब कि किसी देहाती स्कूल में ऐसा प्रावधान नहीं है । इसलिए जब देहाती बच्चे जाते हैं तो उनको बी.एस.टी.सी. में प्रवेश नहीं मिल पाता है और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं इसलिए इस असमानता को दूर किया जाए ।

30 साल से कांग्रेस सरकार ने संविधान की अवहेलना की और वही चीज हमारी सरकार कर रही है । संविधान में यह प्रावधान है कि अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए, निःशुल्क शिक्षा लागू की जाए । इसलिए शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें और ऐसा उदाहरण पेश करें, जिससे मालूम हो कि हम संविधान की कद्र करते हैं । ऐसी व्यवस्था हो कि सभी को शिक्षा मिले ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि आज लोग पढ़ लिखकर पटवारी बनना पसन्द करते हैं, कलर्क बनना पसन्द करते हैं, थानेदार बनना पसन्द करते हैं, और यही नहीं लोग कन्डक्टर बनना पसन्द करते हैं, लेकिन अध्यापक बनना कोई पसन्द नहीं करता । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है कि आज अध्यापक के वेतनमान बहुत कम हैं । आज अध्यापकों को दूसरी सर्विसेज के मुकाबले में सुविधायें कम मिलती हैं । इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा । कि वह अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करें, ताकि लोग अध्यापक बनने में अपनी रुचि रखें । नहीं तो आज स्थिति यह है कि अध्यापक वह व्यक्ति बनता है जो कि सभी जगह से हार जाता है । जिसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है, वह अध्यापक बनता है । इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस पद्धति को बदलिये । अब ऐसी स्थिति पैदा करें कि अच्छे लोग शिक्षा विभाग में आवें । वह तब होगा जब आप उन लोगों के वेतनमानों में सुधार करेंगे, तथा आप उन लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें देंगे । अगर आप ऐसा करेंगे, तो जरूर शिक्षा में सुधार होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बस अब आप समाप्त करें ।

श्री बहादुर सिंह : अच्छा साहब, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : सभापति महोदय, सदन में आज शिक्षा की मांग पर वाद-विवाद चल रहा है । मैंने भी शिक्षा की मांग पर अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं । सभापति महोदय, हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि शिक्षा ही किसी भी समाज, देश, सभ्यता अथवा संस्कृति की रीढ़ होती है, किसी भी राष्ट्र का उत्थान, विकास अथवा पतन शिक्षा संगठन पर ही निर्भर करता है । संक्षेप में यह कहा

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

जा सकता है कि शिक्षा ही एक राष्ट्र रूपी शरीर का मूलाधार है । सभापति महोदय, हमारे देश में अभी तक कोई अच्छी पद्धति शिक्षा के बारे में नहीं अपनाई गयी । इस कारण देश की शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ । हमारे देश में करीब तीन सौ साल तक अंग्रेजी राज्य रहा, अंग्रेजों ने हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार क्लर्क बनाऊ तथा काम चलाऊ शिक्षा दी । उसके बाद में हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने उसके विरोध में हमारे देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक परंपराओं से मेल खाती शिक्षा पद्धति दी, श्रद्धेय बापू ने हमें जो शिक्षा पद्धति दी थी, वह बेसिक शिक्षा पद्धति के नाम से जानी जाती है । लेकिन उसकी आत्मा को समझा नहीं गया और मैकाले का षड्यंत्र सफलतापूर्वक मुस्कराता रहा । हम वही करते रहे जो मैकाले चाहता था । हमने स्कूलों का नाम मात्र बेसिक स्कूल रख कर, गांधीजी की शिक्षा नीति का या गांधीजी का श्राद्ध सम्पन्न कर दिया । फिर उसे भी इसी प्रकार तिलान्जली दे दी, जैसे 1-2 पीढ़ी के बाद पितरों का श्राद्ध भी खतम कर दिया जाता है । उसका रूप बाद में बदल कर मल्टीपर्पज स्कीम आई । कोठारी कमीशन की 10+2+3 की स्कीम आई, 'कार्यानुभव और सीखो कमाओ' का नारा आया । यानी पुरानी शराब को नई-नई बोतलों में डाल-डाल कर अपना नया ठप्पा लगा-लगा कर पेश किया जाता रहा । लेकिन क्या हुआ ? क्या हम सन्तुष्ट हैं ? हमारे देश की शिक्षा नीति से क्या हमारे देश का नौनिहाल, नौजवान वैसा ही बन कर हमारे सामने आ रहा है जैसा कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परम्परा हमारा समाज आशा करता है, कल्पना करता है, स्वप्न देखता है? रात दिन हड़ताल, घेराव, चुनाव और अनेकानेक आन्दोलन समारोह आदि ही नजर आते हैं, लेकिन अध्ययन, अनुसन्धान के प्रति समर्पित जीवन देखने को नहीं मिलता है । आज विश्वविद्यालय की डिग्री केवल नौकरी पाने की मोहर बन कर रह गयी हैं । सभापति महोदय, लोगों ने जब शिक्षा का यह हाल देखा तो मन में यह सोचा कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये । जब से भारत स्वतन्त्र हुआ, तब से हमारे पहले राष्ट्रपति, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद से लेकर सड़क के रिक्शा चालक तक ने यह टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि हमारी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये । लेकिन यह कौन बताये कि क्या परिवर्तन होना चाहिये ? अब यह कहेंगे तो सरकार कहेगी कि हमने बहुत से कमीशन बनाये, मुदालियर कमीशन बनाया, राधाकृष्णन् कमीशन बनाया, कोठारी आयोग के द्वारा शिक्षा नीति का गठन करवाया, और क्या किया जा सकता है । लेकिन बातों से भुलावे में डालने से काम नहीं चलता है । एक ओर मैकाले का विष बराबर काम करता रहा और दूसरी ओर आयोगों की सिफारिशों को भी पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया । इन सभी बातों का सार यह रहा कि इस क्षेत्र में एक अच्छे नेतृत्व की सदा कमी रही । शिक्षा विभाग ऐसों के पास रहा जो कि शिक्षाशास्त्री नहीं थे । सभापति महोदय, जनता सरकार ने भी पिछले एक वर्ष में शिक्षा की परिधि में क्या किया ? कोई विशेष काम नहीं किया । हां एक बात है, दिसम्बर, 1977 में नई दिल्ली में व्यापक और उच्च स्तर पर हुई चर्चा के सामान्य मत की चर्चा करना चाहूंगा । उस

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
शिक्षाशास्त्रियों के सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता श्रीमन् नारायण ने की थी, ने जो सिफ़ारिशें कीं उनका संयोजन किया जाना चाहिये और उसके निदेशों के अनुसार इस सत्र या अगले सत्र से हमारी नई स्पष्ट शिक्षा नीति को लागू किया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से थोड़ा सुझाव शिक्षा नीति के बारे में देना चाहूंगा । पहला मैं सुझाव यह देना चाहूंगा कि समस्त परीक्षाओं का, प्रतियोगिताओं का माध्यम हिन्दी या संविधान में उल्लिखित विशिष्ट भाषा में ही किया जाय और अंग्रेजी को बिल्कुल ही नकारा जावे ।

दूसरा किसी भी प्रशासनिक सरकारी नौकरी के लिये यूनिवर्सिटी डिग्री की अनिवार्यता या आवश्यकता तुरन्त समाप्त कर दी जावे तथा हर सर्विस के लिये तदनुसार विशिष्ट योग्यता जांच एवं परीक्षा का प्रावधान हो ।

तीसरा संविधान में निर्देशित 14 वर्ष तक की आयु के लिये प्राथमिक शिक्षा की पद्धति अनिवार्य रूप से लागू की जाय एवं देश की सभी छोटे बड़े व्यक्तियों के बच्चे एक ही स्कूल में भेजे जायं । नहीं तो होता यह है कि आई. ए. एस. अधिकारी का बालक दूसरे बालकों से ज्यादा होशियार होता है । इसलिये समान पढ़ाई हो ।

इसके अलावा, पुस्तकों का भार कम किया जाय एवं उपयोगिता के आधार पर पाठय पुस्तकों का सम्पादन किया जाय अन्यथा आज दूसरी कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा की पुस्तकों का भार नहीं उठा सकता है और चौथी कक्षा का बच्चा चौथी कक्षा की पुस्तकों का भार नहीं उठा सकता है ।

इसके अलावा वातावरण, पैतृक अथवा अन्य आधुनिक उपलब्ध व्यवसायों में अभ्यास के लिये प्राथमिक स्कूलों का 50 प्रतिशत समय निर्धारित हो । इससे यह फायदा होगा कि वह व्यक्ति जब पढ़-लिख कर बड़ा होगा तो अपना पैतृक व्यवसाय सम्भाल सकेगा ।

इसके साथ-साथ शिक्षा का गैर सरकारीकरण किया जाय ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अभी समाप्त कर रहा हूं, साहब ।

इसी प्रकार अत्यन्त ही आवश्यकता होने पर ही किसी शिक्षक का स्थानान्तरण किया जावे । वह भी मई-जून में ही ट्रान्सफर्स किये जायं ताकि जुलाई में नये स्कूल खुलें तब तक वह अध्यापक अपने तबादले की जगह पहुंच सकें । इससे काफी टी. ए. डी. ए. की राशि बचेगी जो कि बाद में दूसरे शिक्षा के अध्ययन में अन्यत्र काम में आ सकेगी ।

कई स्कूलों में पहले साइन्स के कई स्कूलों में कामर्स की कक्षाएं खोली थीं और उसके लिये लाखों रुपये का सामान भी खरीदा गया था पर बाद में वह क्लासेज बन्द कर दी गयी थीं । अब वहां पर वह सामान बेकार पड़ा हुआ है । उसे वहां पर भेजा जावे जहां उसकी जरूरत है ।

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम रुटीनवादी, काम टालू नीति और किसी भी क्रान्तिकारी कदम को उठाने से हिचकने वाली और कोई खतरा मत उठाओ या जैसा चलता है चलने दो, धीरे-धीरे ही सब कुछ हो जायगा, ऐसी नीति न अपनायें। मेरा निवेदन है कि टैक्निकल आदमियों, अधिकारियों या सलाहकारों के चक्कर में शिक्षा मंत्रालय को नहीं फंसना चाहिये। मैं कहना चाहूंगा कि क्रान्ति सदा एक झोंके में होती है। धीरे-धीरे का कुछ मतलब नहीं है। एक किवदन्ती इस विषय में मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि तुर्की के राष्ट्रपति अमातुर्क कमालपाशा ने जब सार्वभौम शासन सत्ता सम्भाली तब अपने यहां के शिक्षाविदों, शिक्षा अधिकारियों को बुलवा कर शिक्षा के राष्ट्रभाषायीकरण के बारे में पूछा कि कैसे क्या करना है आदि, तो सभी ने कहा कि अभी 50 वर्षों तक ऐसा सम्भव नहीं है। कमालपाशा लगभग 50 सैकण्ड शान्त रह कर उनका मुंह देखते बैठे रहे फिर बोले, लो हो गये 50 वर्ष। अब कल से सब काम राष्ट्रभाषा में होना चाहिये। सबने स्वीकार कर लिया, राष्ट्रभाषा में काम होने भी लगा। उसी प्रकार से पर्दा प्रथा की समाप्ति भी टर्की जैसे मुस्लिम देश में हो पायी थी। किसी भी क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये इतना ही खरा और दृढ़ निश्चय होना चाहिये।

अन्त में एक बात मैं कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कहते हैं कि भवन आप बनाओ तो हम स्कूल खोलेंगे। हमारे यहां पर अकलेरा में लोगों ने 85 हजार रुपये लगा कर भवन बनाया पर उसमें स्कूल नहीं खुलने से खराब हो रहा है और उसमें क्रेक आ गयी है। जब आप शहर में भवन वगैरह बनाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांवों के लोग चन्दा देकर स्कूल बनाते हैं उसको आप ठीक क्यों नहीं करा सकते हैं? आपको ऐसे स्कूल भवनों को पी.डब्ल्यू.डी. के मार्फत सरकारी खर्च पर ठीक कराना चाहिये।

हमारे क्षेत्र में अध्यापक नहीं हैं, अध्यापिकायें नहीं हैं। दो-दो साल से नहीं हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सैकण्डरी स्कूल हैं उनको हायर सैकण्डरी बनाने की कोशिश कीजियेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर) : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी का जो पत्र मिला है उससे तो बहुत सारी समस्यायें हमारे जिले की हल हो जावेंगी। रानीवाड़ा, भीनमाल का बालिका स्कूल, तवाव आदि माध्यमिक स्कूल के रूप में क्रमोन्नत हो जायेंगे। इस पत्र से तो यह आभास मिलता है कि वह कार्य पूरा हो जावेगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मात्र अक्षर ज्ञान, बुद्धि और कौशल, जो हम शिक्षा के माध्यम से दे रहे हैं, से क्या हम हमारी मंजिल प्राप्त कर सकेंगे? इस शिक्षा के द्वारा ही क्या वास्तव में हम देश को उन्नति की ओर ले जा सकेंगे? जिस विकास और प्रगति की बात कर रहे हैं क्या हम वहां पहुंच सकेंगे?

श्रीमन्, पहले जो सामाजिक संस्थायें व्यक्ति का निर्माण करती थीं, उसके चरित्र का निर्माण करती थी, देश प्रेम पैदा किया

(श्री हीरालाल चन्द कामत)

करती थीं वह आज मृतप्राय हो गयी हैं इसलिये यह सारा उत्तरदायित्व अगर किसी पर आता है तो वह आज की इन शिक्षण संस्थाओं पर ही आता है ।

जब हम सभी चिकित्सा की मांग पर बोले थे, पी. डब्ल्यू. डी. की मांग पर बोले थे तो हमने कहा था कि शिक्षण संस्थाओं से जो हमें डाक्टर मिलते हैं वे गरीब की सेवा नहीं करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी सेवा वे नहीं करते हैं । वे शहरों में रहना चाहते हैं, गांवों में नहीं जाना चाहते हैं । जिन संस्थाओं ने इन्जीनियर दिये उनके द्वारा जो सड़कें बनती हैं वे तो यों ही टूट जाती हैं, पुल भी ऐसे ही साबित हुए हैं, एक ही बरसात में टूट गये हैं । यह तो इन्हीं शिक्षण संस्थाओं की देन है । इन्हीं शिक्षण संस्थाओं से आर. ए. एस., आई. ए. एस. निकलते हैं जिन पर यहां ये आरोप लगाये गये हैं कि ये जन-प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं । इसका मतलब यह है कि ये लोकतन्त्र का सम्मान नहीं करते हैं । ऐसी ही शिक्षा और संस्कार इन विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं की देन है तब तो हमें ऐसे विद्यालय और इन संस्थाओं को बन्द ही कर देना चाहिये । इनकी एवज में पुराने गुरुकुल लाने चाहियें जो ऐसे व्यक्ति तैयार कर सकें जो समाज हेतु सोच सकें, राष्ट्र के लिये सोच सकें । आज तो होड़ लगी हुई है कौन अधिक आगे बढ़कर अधिक शोषण करे, भ्रष्टाचार करे और ऐसा भ्रष्टाचार कि जो पकड़ में न आ सके । क्या ऐसे ही व्यक्तियों का निर्माण किया है इन संस्थाओं ने ? इसीलिये आज यह बात उठती है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिये, पूर्ण परिवर्तन करना चाहिये । न हमारे पास आज कोई दिशा है न निर्देश है कि क्या करें और क्या न करें ।

श्रीमन्, शिक्षा व्यक्ति में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास उत्पन्न करती है । शिक्षा व्यक्ति के प्रति स्नेह और प्रेम बढ़ाती है । क्या वह बढ़ा है ? नहीं । उसके फलस्वरूप यह देश आज अवनति की ओर जा रहा है उन्नति की ओर नहीं । ये ही शिक्षण संस्थायें आज इस देश के लिये वास्तव में बाधक बनी हुई हैं, इन्हीं शिक्षण संस्थाओं से जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं वे अनुशासनहीन होते हैं । उनमें बुद्धि-कौशल होता है लेकिन देश के प्रति, व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और भावना नहीं होती ।

सभापति महोदय, मैं कला और संस्कृति के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । संस्कृति का मतलब है, देश की विशिष्ट प्रकृति के अनुकूल जो विचार जीवन जीने की प्रणाली व्यक्ति में पनपी है, मनुष्य का जीवन देश और प्रकृति के अनुकूल जिस-जिस प्रकार से बना है वह संस्कृति है । वह संस्कृति मिटती जा रही है, धीमी गति से मिटती जा रही है । विकास और प्रगति के नाम पर न मालूम हम क्या-क्या अपना रहे हैं, लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गये हैं कि यह भारत अब जीने लायक नहीं रहा । दूसरे देश आगे बढ़े हुए हैं । जब तक इस देश की संस्कृति के प्रति, जीवन जीने की प्रणाली के प्रति व्यक्ति में प्रेम पैदा नहीं होगा दूसरे देशों के मुकाबले हम आगे नहीं आ सकते ।

मेरे कहने का मतलब यही है इन शिक्षण संस्थाओं एवं प्रणाली में, जैसा मैंने पहले कहा था, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये । उसके बिना न हम आगे बढ़ सकते हैं न अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं । इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल चौहान

श्री औंकारलाल चौहान (ग्रटरू) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रगति रिपोर्ट देखने को मिली 1977-78 की। काफी सराहनीय कार्य हुए हैं। उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस प्रगति रिपोर्ट के अन्दर कहीं भी महिला शिक्षा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। बजट भाषण देखने से भी महिला शिक्षा के बारे में भी उदासीनता झलकती है। विशेषकर महिला जगत की शिक्षा के लिये सोचना चाहिये। आशा थी कि जनता पार्टी की सरकार महिला शिक्षा के लिये काफी ध्यान देगी और सक्रिय कदम उठायेगी लेकिन आशा निराशा में परिणित हुई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि महिला शिक्षा के साथ न्याय नहीं किया है। प्रगति के आंकड़े देखें, तो महिला शिक्षा की स्थिति, सभापति महोदय, लिट्रेसी 5 पर्सेंट है। सारे हिन्दुस्तान के हिसाब से देखें तो जम्मू और काश्मीर को छोड़कर हमारा नम्बर आता है। यह हमारी स्थिति है, यह दयनीय है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम शिक्षा में परिवर्तन की बात करते हैं, नेशनल लेवल पर घोषणायें होती हैं, विचार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, गत समय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, प्रधान मंत्री आये, शिक्षा के सम्बन्ध में विचार हुआ लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लार्ड मैकाले की पद्धति में परिवर्तन लाइये। महिलाओं की शिक्षा के लिये तो यह बहुत ही आवश्यक है। अफसोस है कि हमारा राजस्थान आज बहुत पीछे है। आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप यूरोप और अमेरिका के इतिहास को देखिये। वहां कान्वेन्ट स्कूल हैं, यहां पर भी कान्वेन्ट स्कूल हैं। वहां महिलायें शिक्षा देती हैं। आप शिक्षा पद्धति को बदलिये। कोई इन्कलाब आने वाला हो ऐसा नहीं दिखता है।

"The hand that rocks the cradle rules the world." यह महिला हाथ है जो शासन के लिए तैयार करता है। खासकर महिला शिक्षा की ओर कदम आगे बढ़ाइये। वे महिलायें कब आगे आयेंगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये अवश्य ही कम से कम प्रयत्न कीजियेगा।

दूसरी बात जानना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि आप मेरिट फार्मुले को क्यों लागू करना चाहते हैं ? सीनियोरिटी का जो फार्मुला है उस ओर क्यों नहीं सोचते ?

उसके साथ ही संस्कृत पढ़ाने वालों के वेतनमान में बड़ी असमानता है उसको क्यों नहीं दूर करते ?

इसी सिलसिले में उर्दू के बारे में भी आप देखें। आपकी जो पुस्तिका है उसमें लिखा है उर्दू, संस्कृत और सिन्धी भाषा के अन्दर हमने कुछ पाठ्यक्रम चेन्ज किया है। मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में उर्दू को बहुत महत्व मिलना चाहिए। हम सेक्यूलेरिज्म में विश्वास करते हैं इसलिए उर्दू का हमें अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करना चाहिए तभी हम हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे ख्याल ला सकेंगे जिससे कि यहां के रहने वालों को यह मालूम हो कि सरकार सभी भाषाओं के उत्थान के लिए जागरूक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि कान्वेन्ट स्कूल और गवर्नमेन्ट स्कूलों में काफी डिस्क्रिमिनेशन है। उन लोगों की वेशभूषा, टाइम और

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सारी चीजें देखिये और उधर गवर्नमेन्ट स्कूलों की हालत देखिये । दोनों में काफी डिस्क्रिमिनेशन है, काफी विषमता है । इस युग में, सभापति महोदय, बड़ी हैरानी है कि पब्लिक स्कूलों को आप किन आधार पर कायम रखना चाहते हैं ? इसका मतलब आप की नीति सेक्यूलरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहती हैं । आपको इस नीति को बदलना पड़ेगा । आप पब्लिक स्कूल्स किस लिए जारी रखना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि इसका अभी तक आपने कोई चिन्तन नहीं किया । आज छात्रों में असंतोष है उनको रोजगार नहीं मिलता । आप इसका चिन्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं ? आप इस प्रकार की शिक्षा नीति बनाएं कि आप छात्रों को सन्तोष दे पायें ।

मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं कि खेल-कूद के अन्दर भी पालिटिक्स घुस जाती है, उसको आप दूर कीजिए । खेल-कूद ऐसी चीज है कि जिससे हमारे भारत का नाम ऊंचा होता है । विदेशों में नाम ऊंचा होता है । कौन आदमी कैप्टिन बने, कौन-कौन से खिलाड़ी लिये जायें इसको आपको ईमानदारी से देखना पड़ेगा । अच्छे खिलाड़ियों का चयन हो जिससे हमारे भारत का नाम बढ़े ।

एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा कि इस रिपोर्ट के अन्दर शराबबंदी योजना के बारे में जिक्र किया है । उसमें लिखा है कि शराबबंदी के लिए स्काउट्स और गाइड्स ने दौरा किया और प्रचार और प्रसार किया । यह एप्रीशियेबल बात है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को, मंत्रालय को और जितने अन्य अधिकारी हैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसको चालू रखा जाना चाहिए ऐसा वातावरण राजस्थान के अन्दर कायम करें जिससे इस दिशा में प्रगति हो । केवल कानून बनाने से ही प्राहिबिशन नहीं हो सकता । प्रचार और प्रसार और शिक्षा के माध्यम से भी उसे दूर किया जा सकता है ।

साथ ही उर्दू अकादमी के बारे में कहूंगा । मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार ने घोषणा कर दी तो आज तक अध्यक्ष का पद क्यों नहीं भरा ? जो कल अध्यक्ष थे वह इस्तीफा दे गए । क्या राज्य सरकार यह मानकर चलती है कि उर्दू का कोई काबिल आदमी ही नहीं रहा, उर्दू का जानकार आदमी ही नहीं रहा राजस्थान के अन्दर जो कि उस पद का भार संभाल सके ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका फौरन फैसला किया जाना चाहिए ।

बुनियादी नीतियों पर आपको सोचना पड़ेगा । क्या आपके उद्देश्य हैं उस पर सोचना पड़ेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्य स्तर पर आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे तय करना पड़ेगा जिससे राज्य के अन्दर सन्तोष बढ़े और शिक्षा प्रणाली यहां की ठीक प्रकार से चले ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री मेघराज पंवार ।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा

(श्री मेघराज पवार)

मंत्रीजी के उस पत्र की ओर ध्यान दिलाऊंगा जो आज हमें मिला है और दो शब्द कहना चाहूंगा । इस पत्र से हमें शिक्षा मंत्रीजी की स्कूल खोलने संबंधी नीति का आभास होता है जो इन्होंने सारे राजस्थान के लिए बनाई है

माननीय सभापतिजी, राजस्थान हमारा बहुत लम्बा-चौड़ा है । उसके हालात भी और उसकी स्थिति भी अलग-अलग है । ऐसी स्थिति में केवल आबादी का आधार बनाकर स्कूल खोलें तो यह लाभदायक नहीं होगा, मुफीद नहीं होगा । कहीं तो 5-7 आदमियों की एक मील की औसत आबादी नहीं है और दूसरी तरफ ऐसे भी इलाके हैं जहां 100-150 आदमी प्रति मील की औसत में मिलते हैं । तो इस तरह से यह जो आधार बनाया गया है इससे डेजर्ट के इलाके और गांव में बसने वाले लोगों के साथ इन्साफ नहीं होगा। आबादी को आधार बनाने के बजाय बच्चों की संख्या, जो स्कूलों में है, को आधार बनाया जाना चाहिए। प्राइमरी स्कूल खोले जाने के लिए 200 या 250 की आबादी होनी चाहिए । प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाये जाने के लिए यह आधार होना चाहिए कि जिस स्कूल में 150 से ज्यादा बालक होंगे उस स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया जायगा । जिन मिडिल स्कूलों के अन्दर 200 बालक से ज्यादा पढ़ते हों उनको सैकण्डरी स्कूल बनाया जाना चाहिए । रेगिस्तानी इलाके में, जहां आबादी ज्यादा नहीं है, इस क्राइ-टेरिया के आधार पर स्कूल खोलने से एक भी स्कूल का नम्बर आना मुश्किल है । इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में स्कूल खोलने का आधार आबादी नहीं होकर बच्चों की संख्या रखा जाये तो अधिक उपयोगी होगा ।

अब मैं कटौती प्रस्ताव के संबंध में दो बातें कहूंगा । मान्यवर, जो गत वर्ष मिडिल और प्राइमरी स्कूल खोले गए उनमें अध्यापकों की कमी है । आपका 33 बच्चों के ऊपर एक मास्टर रखने का क्राइटेरिया है किन्तु 70 छात्रों पर भी एक-एक मास्टर बहुत से स्कूलों में है और जो मिडिल स्कूल खोले गये हैं उनमें सिंगल टीचर ही चल रहे हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक आदमी इतने बच्चों को संभाल ही नहीं सकता तो पढ़ाई क्या होनी है । इसलिए मेरा ख्याल है कि अध्यापकों की संख्या लड़कों.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की संख्या के अनुपात में बढ़ाई जाय ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि चूरू शहर में एक गर्ल्स कालेज खोला जाना चाहिए । चूरू शहर करीब 70 हजार की आबादी का शहर है और जिला मुख्यालय भी है । इसमें कई सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल भी हैं जिनमें बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ती हैं । लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या है जो कि कॉलिज में जाकर पढ़ना चाहती है लेकिन हायर सैकण्डरी के बाद उनको रुकना पड़ता है । चूरू शहर में लोग भवन बनाकर देने के लिए तैयार हैं और हर किस्म का खर्चा एक-दो साल का जो भी हो सकता है वह देने के लिये भी तैयार हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि गर्ल्स कॉलिज चूरू में इस वर्ष खोला जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मेघराज पंवार)

तीसरा मेरा सुझाव है कि चूरू कालिज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कालेज है और इसमें सबसे बड़ा होस्टल है। इसमें गांवों के लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, इसमें अभी तक लॉ क्लासेज चालू नहीं की गयी हैं इसलिए लड़कों की आगे पढ़ाई रुक जाती है। खर्च अधिक होने की वजह से वह जयपुर और बीकानेर जाकर लॉ कॉलिज में नहीं पढ़ सकते हैं। गांवों में वह बेकार फिरते हैं। इसलिये इस वर्ष चूरू के कॉलिज में लॉ क्लासेज खोली जानी चाहिए। कॉलिज में स्थान काफी है। जो लाइब्रेरी आदि का खर्चा होगा उसको वहां के लोग देने के लिए तैयार हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित)

श्री नरपतराम बरवड !

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से जोधपुर विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन 120 कालेजेज हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर जोधपुर के कालेजेज हैं। 120 कालेजेज राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन होने से कार्य काफी बढ़ गया है इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जोधपुर डिवीजन के जितने भी कालेजेज हैं, वह जोधपुर विश्वविद्यालय के अधीन दीजिये और उदयपुर डिवीजन के कालेजेज उदयपुर विश्वविद्यालय के अधीन दीजिये ताकि वे यूनिवर्सिटीज सशक्त हो जायें।

दूसरा मेरे क्षेत्र के बारे में बताऊं। भूतपूर्व मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि शिक्षा में हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। शिक्षा में तो आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सके किन्तु स्कूल खोलने के आधार में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। दस हजार मजदूर रहते हैं वहां पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के ज्यादा लोग रहते हैं फिर भी वहां पर न स्कूल खोला न स्कूल को अपग्रेड किया। सूरसागर कालीबेरी में बच्चों के लिये शिक्षण संस्था अत्यंत आवश्यक है। भूतपूर्व सरकार ने स्कूल खोला, अब जनता सरकार आई तो उस आदेश को निरस्त कर दिया। वहां के मजदूर के दिलों पर बहुत ही गहरा घाव लगा है। अगर इस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया तो वहां के मजदूर आन्दोलन करेंगे। यह मैं आपको सूचना के तौर पर निवेदन कर रहा हूं।

इसके अलावा सालवा कलां बहुत बड़ा गांव है। वहां भी मिडिल स्कूल को हायर सैकण्डरी में अपग्रेड कर दिया जाये।

भगत की कोठी में केवल प्राइमरी स्कूल है। वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग रहते हैं। उस प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया जावे।

दूसरी बात मैं एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के रोस्टर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब से आपकी सरकार आई है रोस्टर के आधार पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों में से किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया है। ट्रांसफर पालिसी जो आपने बनाई है उसके आधार पर आपने जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग थे उनको शहरों से बहुत ही दूर फेंक दिया है। उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छुआछूत

(श्री नरपतराम बरवड़)
ज्यादा हो जाने से उनको रहने के लिये मकान नहीं मिलता। पानी की व्यवस्था नहीं है। उनको पानी के लिये अलग आदमी रखना पड़ता है। इसलिये निवेदन है कि जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स टीचर्स हैं आप उनको कस्बों में रखें ताकि वे वहां आराम से रह सकें।

पब्लिक स्कूलों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। उनको कम्पीटीशन के आधार पर लिया जाता है। पब्लिक स्कूलों में बड़े-बड़े आई. ए. एस. और दूसरे आफिसरों के बच्चों को लिया जाता है। उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के बच्चों के लिये भी रिजर्वेशन रखा जावे।

जो नये अपाइन्टमेंट हो रहे हों उनके अन्दर खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाये कि जो 28 पर्सेन्ट का कोटा है वह जब तक पूरा न हो जाये तब तक दूसरे लोगों के अपाइन्टमेंट न किये जायें।

जो कालेज आपने गत वर्ष फलौदी में खोलने की घोषणा की थी उससे सोजत वाले बड़े नाराज हुए हैं, इसलिये सोजत में भी कालेज खोल दिया जाये ताकि वहां शांति और व्यवस्था रहे।

श्री सभापति : श्री रावतराम !

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : सभापतिजी, दो एक बातें कहना चाहूंगा। आज इस हाउस में सभी माननीय सदस्यों ने बहुत जोरदार और पुरजोर शब्दों में एक ही मांग की कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। मेरा आप से यही निवेदन है कि अब ऐसा समय आ गया है कि इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। लगातार 30 साल तक कांग्रेस के शासन में यह बात चलती रही कि हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिये। अब भी यदि नहीं बदलें तो हालत दिन ब दिन खराब होती जायेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको आप बदल डालिये। आपको जनता का पूरा समर्थन मिला है। सारी विधान सभा का मिलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इस पर सोचना चाहिये।

आज कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और देहात के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बहुत बड़ा अन्तर है। पब्लिक स्कूल में जितने पैसे वाले हैं, उनके लड़के पढ़ सकते हैं, हमारे लड़के नहीं पढ़ सकते। यह चलने वाली बात नहीं है। इसलिये शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे शिक्षकों को गांवों में ले जाना चाहिये ताकि देहात के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र आगे आ सके। इसलिये आप इस पर विचार कीजिये। आपसे पुरजोर शब्दों में रिक्वेस्ट है शिक्षा में जो भेद है इसको आप दूर कीजिये। यह समाजवादी कदम आप उठाइये जिसको कांग्रेस नहीं उठा सकी। इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने बराबर यह बात कही है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये मेरा यही निवेदन है।

मैं दो एक बातें आपसे कहना चाहता हूं। बहुत-सी बातें इस हाउस में कही गई हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। शिक्षा के प्रति जो आपकी भावना है, जो आपका तरीका है वह सदन के सामने आया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आपने क्राइटेरिया रखा है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा।

(श्री रावतराम)
बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि डेजर्ट एरिया में जो गांव है वे 100—150 की आबादी के बड़े छोटे-छोटे गांव हैं वहां स्कूल नहीं खोलेंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा? गांवों में प्राइमरी एजूकेशन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आगे की एजूकेशन के लिये आप क्या करेंगे? डेजर्ट एरिया में इस नीति से शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती इसलिये इस नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। गांव के लोगों की यह मांग है कि जो आपकी पाबन्दी है, आप मिडिल स्कूल वहीं खोलेंगे जहां के लोग मकान बना कर देंगे, इस पाबन्दी को भी आप हटायें। इस देश में बहुत पुराने जमाने में विद्यालयों के लिये भवन नहीं थे। नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय में मकान नहीं थे। छोटी-छोटी झोंपड़ियों में रहकर, छप्परों में रहकर पढ़ाई की जाती थी। वहां शिक्षा पाकर लोगों ने आगे जाकर देश की सेवा की। इसलिये इस पाबन्दी को मत रखिये। वृक्षों के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं, कच्चे मकान बनाकर दे दें। इसके बारे में आपकी क्या नीति है कम से कम आपके भाषण में आप बतायें? इस साल कितने मिडिल स्कूल खोलेंगे? सारे माननीय सदस्यों ने यह बात कही, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? इस साल की आपकी क्या नीति होगी? जहां स्कूल है वहां टीचर्स नहीं होंगे तो फायदा क्या होगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, सभापति महोदय।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं इस साल राजस्थान के कई हिस्सों में, खास तौर से डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा अकाल है। बीकानेर जिले में अकाल में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और दूसरी जगह पढ़ते हैं। उनके परिवार की इस साल आर्थिक स्थिति टूट चुकी है इसलिये उनके लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था कीजिये। सहायता विभाग से व्यवस्था करवायें चाहे किसी और विभाग से करवायें यह आपके सोचने की बात है। रूरल एरिया के जो लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था कीजिये।

तीसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। बीकानेर डिविजन में स्टेट के जमाने में अनिवार्य शिक्षा के स्कूल नगरपालिका के अधीन चलते थे। उसके खर्च का कुछ हिस्सा बीकानेर स्टेट देती थी और कुछ नगरपालिका देती थी। प्राइमरी स्कूल जो रतनगढ़ चूरू, सरदारशहर में थे उन स्कूलों को टेक-ओवर कर लिया राजस्थान के शिक्षा विभाग ने और उनके जो टीचर्स थे, जो पुराने लगे हुए थे उनकी पेन्शन ग्रेच्युटी वर्तमान सारा झगड़े में पड़ा है। कृपया उनकी बात सुन कर इस मेटर को डिस्पोज आफ कीजिये।

अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं डाइरेक्टर का कार्यालय बीकानेर को पोपूलेशन देखकर बीकानेर में खोल दिया है। चूरू जिले की 8 लाख की पोपूलेशन है और बीकानेर की चार लाख है जहां डायरेक्टर बैठता है . . . .

(व्यवधान)

आप क्यों बोल रहे है सीकर झुंझुनू में तो है।

चूरू हैडक्वार्टर है इसलिये आपसे यह निवेदन है कि आप डिप्टी डायरेक्टर का कार्यालय चूरू को दीजिये। आपको चूरू

(श्री रावतराम)
से एलर्जी नहीं होनी चाहिये। बीकानेर में चार कार्यालय है, चूरू जिले को एक दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कोई टीचर्स नहीं दे सकें तो डिप्टी डायरेक्टर का कार्यालय तो दे दें।

श्री सभापति : श्री नवरंग सिंह !

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, इस बात का तो सन्तोष है कि जब राजस्थान प्रदेश बना था तो शिक्षा पर कुछ करोड़ रुपया खर्च होता था लेकिन आज यह सरकार एक सौ सात करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करने जा रही है। मुझे, सभापति महोदय, आपके मार्फत यह निवेदन करना है कि शिक्षा की नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन की जरूरत है। पिछली सरकार ने कई आयोग बैठाये और उन आयोगों की रिपोर्ट्स भी आई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारा प्रदेश ग्रामों का प्रदेश है इसलिये जब तक ग्रामोन्मुखी शिक्षा या व्यावसायोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था को इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि हमने शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किये तो यह शिक्षा सही मायने में सफल नहीं हो सकती है। जो बेकारों की फौज देखी है अब की बार उससे तो मन काफी खिन्न हुआ है। अगर शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया तो आने वाले वर्षों में दूसरे लोग इसका लाभ ले सकते हैं। 10+2+3 की जो योजना है उसको संशोधित करके लागू करने की, मैं यह निवेदन करूंगा, आज ही घोषणा करें। इस देश में प्रयोग के तौर पर नहीं बल्कि सब जगह इसे एक साथ लागू करें।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा में समानता होनी चाहिये। किसी समाजवादी देश को ले लीजिये, वहां शिक्षा में समानता है। पहले वाली सरकार ने समानता की बात की और, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार भी कहती है लेकिन शिक्षा में समानता नहीं है। इस देश में 10 करोड लोग निरक्षर है। राजस्थान में साक्षरता अभियान में बताया गया है कि 20 हजार लोगों को शिक्षा दी जा रही है लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो यह अभियान चलाया जा रहा है यह एक स्टंट मात्र है। वास्तव में देश में और प्रदेश में साक्षरता का अभियान चलाना चाहते हैं तो देहातों में, दूर दराज के गांवों में जायं जहां शिक्षा के साथ-साथ धन्धे के बारे में भी जानकारी करावें।

एक, सभापति महोदय, आपके मार्फत यह भी निवेदन करना है कि तबादलों की बातें सदन में चली हैं। मैं ज्यादा इसमें नहीं कहना चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में शिक्षक संघ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रुप विशेष से मिलकर अगर हमारी सरकार ने स्थानान्तरण नीति को अपनाया और किसी दूसरे ग्रुप को दबाने की चेष्टा की तो मैं, मंत्री महोदय, निवेदन कर दूं यह शिक्षक कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं आज ही झुंझुनूं से आया हूं तो मुझे इस प्रकार की भावना मिली है। उनमें आज असन्तोष है इस बात का। इसलिये इस तरह की नीति निर्धारण की जाय जिसमें पक्षपात नहीं हो। पहले वाले मंत्रीजी ने नवम्बर में यह कहा था कि बाद में लिस्ट आयेगी स्थानान्तरण

(श्री नवरंग सिंह)

की। अनेक स्थानान्तरण झुंझुनूं, टोंक आदि में किये गये हैं जो बाद में प्रयास करने पर रद्द हुये। यह स्थिति नहीं आनी चाहिये। एक बात यह निवेदन कर दूं पिछली बार जो स्थानान्तरण हुये हैं वे डाइरेक्टोरेट स्तर पर नहीं हुये हैं बल्कि मंत्रालय स्तर पर ज्यादा हुए हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस प्रदेश में बड़े स्थान रिक्त है। मैं यह नहीं कहता कि मास्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है लेकिन उथल-पुथल का जो काम किया गया है उसमें किसी स्कूल में 2-4 स्थान रिक्त है तो किसी स्कूल में इससे भी ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, स्कूलों की स्थिति को देखते हुये शीघ्र इस प्रकार के आदेश प्रसारित करें कि जहां अध्यापक नहीं है वहां पहले पहुंचे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज अध्यापकों के वेतनमानों में काफी असमानता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, राजस्थान प्रदेश में खास कर आप इस बात का श्रेय लें कि शिक्षा का जो कर्मचारी है वह चाहे प्रोफेसर हो चाहे अध्यापक हो उसके समान वेतनमान होने चाहिये। एक वेतनमान लागू नहीं करेंगे तब तक शिक्षा सफल नहीं हो सकती है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक, जिसका आधा घंटा भी खाली नहीं आता है, का वेतनमान कम है और जो प्रोफसर होते हैं वे केवल दिन भर में दो घंटा पढ़ाते हैं उनको दो हजार रुपये मिलते हैं। आप इस असमानता को खतम करिये।

सभापति महोदय, जितने स्कूल शहरों म खोले जाते हैं उसमें साइन्स व वाणिज्य विषय की क्लासेज भी खोली जाती है लेकिन मैं बताना चाहता हूं, गांवों में जितने स्कूल अब खोले हैं और पहले खोले हैं उनमें कला वर्ग के अलावा और कोई वर्ग नहीं खोला जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि देहातों के दूर-दराज गांवों में टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता है इसलिये वहां पर साइन्स और कामर्स के स्कूल्स उस तरफ खोले जावें।

इसके साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि बीकानेर में डायरेक्टोरेट है, वहां एक डिप्टी डायरेक्टर का दफ्तर और खोल दिया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर डिप्टी डायरेक्टर का दफ्तर वहां पर रखना है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां से डायरेक्टर के दफ्तर को जयपुर या अजमेर, जहां भी उचित समझें, स्थानान्तरित कर दें। यदि वहां इसको रखना है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर को झुंझुनूं, सीकर जैसे दूर के स्थान पर ले जायें। इसके साथ ही कोटा के डिप्टी डायरेक्टर के साथ में टोंक को लगा दिया है, जो मोहम्मद तुगलक की नीति की ही याद दिलाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों पर आप विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही छात्रों की फीस के बारे में निवेदन करूंगा कि दस पर्सेंट की हाफ व दस पर्सेंट की पूरी फीस माफ की जाती है। देहातों में चूंकि 90 से 95 फीसदी लोग गरीब हैं इसलिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि क्रमशः 30 पर्सेंट हाफ व 20

(श्री नवरंग सिंह)

पर्सेन्ट की पूरी फीस माफ करने की नीति निर्धारित करें तो बड़ा अच्छा रहेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट ।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर खेलों की जो सामान्य प्रवृत्तियां चल रही हैं उनमें क्रांतिकारी प्रयास की जरूरत है । खेल परिषद् निष्क्रिय पड़ा है । इसके अन्दर हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी, जो बड़े टीचर रहे हैं, ने भी कोई नया परिवर्तन नहीं किया । मैं निवेदन करूंगा कि आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन लायें । विशेषकर खेलों को शहरों तक ही सीमित नहीं रखें, जयपुर तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि दूर-दराज स्थानों पर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे गांवों तक ले जायं ताकि सही मायने में खेलों का विकास हो सके । खेल परिषद् को और खेलों को राजनैतिक रूप दे दिया गया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट ।

इसके साथ-साथ एक बात और निवेदन कर दूं, झुंझुनूं जिला एक ऐसा जिला है जहां के लोग देश को सीमाओं की रक्षा करते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले में आप केन्द्रीय सरकार से प्रयास करके एक सैनिक स्कूल खुलवायें । इसके साथ-साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सैनिक स्कूल के छात्रों की छात्रवृत्ति के बारे में मैंने निवेदन किया था । उसके बाद यद्यपि सैनिक स्कूल के छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि हुई लेकिन वह पर्याप्त नहीं है । झुंझुनूं जिले के अधिकांश व्यक्ति फौज में रहते हैं और उनके छात्र सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम बढ़ायें ।

इसके साथ-साथ चूंकि माननीय सदस्य मेजर साहब को कम टाइम मिला था, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि देवगढ़ भीम में, जो एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, 15-20 हजार की आबादी है, कालेज खोलने की घोषणा एड्रोस में ही आप मंत्री महोदय कर दें तो बड़ी खुशी होगी ।

जय भारत ।

श्री सभापति : माननीय श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापतिजी, कहीं कालेज मांगा जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी मांगी जा रही है । बड़ा अजीब-सा लगता है कि शिक्षा की बात हम करें और पेट में रोटी नहीं है । बिना पेट में रोटी हुए शिक्षा ली जाती है क्या ? राजस्थान देश में गरीबी में सबसे आगे है । हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत जनता ऐसी है जिसको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और वह भी कभी-कभी नहीं मिल पाती है । ऐसी स्थिति में हम शिक्षा की बात करें, प्रोफेसर, लेक्चरार और दूसरी तीसरी बातें करें तो बड़ा अजीब-सा लगता है । शिक्षा का सम्बन्ध तो पेट से है, रोटी से है । भूखे आदमी को आप शिक्षा देंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा चाहे कितनी ही योजनायें बना लें । शिक्षा के साथ-साथ रोटी जरूर जोड़ें मेहरबानी करके । पहले तो, माननीय सभापतिजी, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा कि यह सारे परिवर्तनों के पीछे आपके इरादे क्या हैं ? यह बताना

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था गांवों में और शहरों में जहां मजदूरों की कालोनीज हैं और गन्दी बस्तियां हैं एक तरह की हैं जहां न स्कूल है, न मास्टर है, न बैठने को टाटपट्टी है, न किताबें हैं और न रोटी है। एक तरफ तो यह नीति और दूसरी तरफ सेंट जेवियर और सेंट जेवियर जैसे बहुत से स्कूल हैं।

(व्यवधान)

आपके बच्चे जरूर पढ़ते होंगे ....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां मेरे तो पढ़ते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो हमारे जैसों की बात करें।

सवाल मेरे बच्चों का या दूसरों के बच्चों का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। क्या यह व्यवस्था माननीय शिक्षा मंत्रीजी चालू रखना चाहते हैं। ज्वालामुखी पर बैठे हैं आप। यह जो आपको सत्ता मिली है, यह दरअसल कुर्सियां नहीं हैं, ज्वालामुखी है। तीस साल तक लोगों को पता नहीं था कि हुकूमत बदल भी सकती है। इन्दिरा गांधी और कांग्रेस के लोगों की हुकूमत के बारे में कोई भी आदमी यह सोच तक नहीं सकता था कि हम कभी हुकूमत भी बदल लेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस का राज चला जाएगा।

(रात्रि 8.17)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

मगर अब, शिक्षा मंत्रीजी, लोगों को पता पड़ गया है कि हम हुकूमत बदल सकते हैं। इसीलिए आप अभी भी देहातों को शिक्षा और न्याय नहीं देंगे तो यह ज्वालामुखी फूटेगा और ध्वस्त कर देगा शासन को और आपकी सारी की सारी योजनाओं को ले डूबेगा। लोग यह बरदाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारे साहबजादों के लिए अलग स्कूल हो और देश की गरीब, मेहनतकश जनता के बच्चों के लिए टाटपट्टी भी नहीं हो। इसलिए मेहरबानी करके सबसे पहले गांवों में प्राइमरी स्कूल तक जायं। प्राइमरी स्कूलों में दोपहर का मुफ्त खाना दीजिए। यह बंगाल में किया है। क्या दिक्कत है? उन्होंने इरादा किया तो कर दिया। आप भी इरादा कर लें तो हो जाएगा। बीस लाख बच्चों को दोपहर का भोजन मिल रहा है। इस साल वहां पर मुफ्त में किताबें दे रहे हैं बच्चों को। आप भी यह तय कीजिए कि सैकण्डरी स्कूल तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें, मुफ्त बढ़िया खाना दें ताकि हमारे बच्चे जायें और उनको शिक्षा मिले। इस तरह से मिलेगी शिक्षा। जिस गरीब के घर में रोटी नहीं उस घर के बच्चों को कभी बकरियों के पीछे लगा दिया जाता है और कभी किसी के साथ कर दिया जाता है। फिर चाहे आप कितनी ही शिक्षा अनिवार्य कर दें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके फैसला करिये कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो शिक्षा के अन्दर कि बड़े-बड़े लोगों के बच्चों के स्कूल अलग हों और गरीब लोगों के अलग हों। यह लोग अब बरदाश्त नहीं करेंगे। आप अगर इन बड़े वर्गों से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे तो इसका असर खराब होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सैकण्डरी स्कूलों तक होस्टल्स की व्यवस्था चाहता हूं। जहां भी आपने कालेज खोले हैं, जहां आपने हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, जहां आपने सैकण्डरी

(200)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

स्कूल खोले हैं उन शहरों के इर्द-गिर्द के गांवों के बच्चों के रहने के लिए आपने होस्टल्स की कोई व्यवस्था नहीं की। इस बजट में पैसा रखा है सिर्फ शहरों के लिए, किसी गांव के लिए पैसा नहीं रखा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जहां आप कालेज और स्कूल खोलें वहां पर बाहर से आने वाले ग्रामीण लड़कों के लिये होस्टल की व्यवस्था कीजिए और होस्टल के साथ-साथ रोटी की व्यवस्था कीजिए। जो भी हरिजन बालक हैं उन हरिजन बालकों के अलग-अलग होस्टल्स बन रहे हैं समाज कल्याण की तरफ से, क्या जरूरत है? क्यों अलग रखना चाहते हैं? यह हरिजनों का, यह राजपूतों का, यह जाटों का, यह दूसरे तीसरे का, यह जैनियों का। इससे आए दिन झगड़े होते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाने की पहले ही से घोषणा कर दी व उसको वाइस चांसलर बना दिया। इसके बहुत बुरे असर हुए हैं। इन सारी घटनाओं का असर हमारी इन्स्टीट्यूशन पर पड़ा। आपके गलत फैसलों को दूसरी नजर से देखा जा रहा है। जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? हमारे वाइस चांसलर वहां से भाग आते हैं ट्रक पर सामान रख कर। कहां गया आपका डिसिप्लीन?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो एकमात्र सदस्य हूं, श्रीमान्, अपनी पार्टी का।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आए हमारे वाइस चांसलर वहां से? कौनसी ऐसी शक्ति थी जिसके डर से भाग कर आ गए?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : युवा शक्ति थी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं, कुछ लोगों के लाडले हैं, वे भूख हड़ताल करते हैं। सब जानते हैं, क्या हो रहा है राजस्थान में। इस तरह से अगर आप काम करेंगे कि पहले शिक्षा नहीं दो, फिर बांटो, स्कूलों में जायं तो आपस में लड़ाओ और आप चाहें कि शिक्षा मिले तो नहीं मिले। आप खतरनाक जगह पर बैठे हैं, ज्वालामुखी पर बैठे हैं।

इसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि जहां होस्टल की व्यवस्था करें वहां पर फ्री खाना हरिजनों, पिछड़ी जाति वालों को, गरीबों को दें। जिसकी आमदनी न हो उसको फ्री शिक्षा का अधिकार माना जाए जो बाकी लोग हैं उनको आधी सब्सिडी देनी चाहिए। अगर 50 रुपया भोजन की कीमत है तो 25 रुपये आपकी तरफ से दिये जायं विद्यार्थी को।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आज तक आपने सोचा? यह अनपढ़ों की फौज कांग्रेस ने तो इसलिये रखी कि अगर ये पढ़ जायेंगे तो हमारी मौत ढूंढ़ लेंगे। उनमें पोलिटिकल कान्शसनेस आ जाएगी। केरल व बंगाल में कांग्रेस अपने पैर जमा नहीं पाई क्योंकि वह सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा इलाका है। इसलिये अनपढ़ों को बिल्कुल अलग रखा हैं। आप ऐसा मत करें। अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि प्रौढ़ पढ़ जायें तो अलाउन्स तय करें। एक प्राइमरी टीचर को 50 या 100 रुपये का अलाउन्स दें 6-6 महीने के दो ग्रुप्स करें। एक साल में टीचर 500 या 600 रुपये लेता है तो कोई गलत बात नहीं। अपने स्कूल के समय के बाद में स्कूल लगाकर पढ़ा देगा। कहां तक पढ़ाए?

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

भूगोल, हिस्ट्री इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ अच्छा ज्ञान हो जाए, हिसाब-किताब सीख जाय, हिन्दी का ज्ञान हो जाय। 6 महीने में एक प्रौढ़ बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता है। अध्यापक को भी अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। प्रौढ़ों के लिए आप तय करें कि कितने प्रौढ़ों को साल में पढ़ायेंगे। दो ग्रुप्स करें जितने टीचर्स हों उनकी लिस्ट बनायें। कौन-कौन से लोग हैं, उनकी गिनती करा लें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर: संगठन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। अभी शिक्षक संघ, जो शिक्षकों का एक संगठन है, हड़ताल करने जा रहा है। उसने हड़ताल का नोटिस दे दिया है। आप भी मोरारजी भाई की तरह करने लगे हैं कि पहले हड़ताल वापस लो, फिर बात करेंगे। यह तरीका ठीक नहीं है। अब तो आपको समय मिल गया। ऐसा नहीं कि हड़ताल करने कि बाद कन्डीशन लगा दें कि पहले हड़ताल समाप्त करो फिर बात करो। सवाल यह है कि उनकी मांग जायज है या नहीं। यदि है तो मानो नहीं तो नहीं। किसी हुकूमत करने वाले आदमी का यह एटीट्यूड ठीक नहीं। यही इंदिरा गांधी कहती थी कि हड़ताल नहीं होने देंगे। फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? लोगों में अहसास होना चाहिए कि यह मेरी सरकार है। अभी बंगाल सरकार ने 10 करोड़ एक्स-ग्रेशिया अपने कर्मचारियों को दे दिया। आपके इस रवैये से समस्या का समाधान नहीं होगा यह ठीक है कि आपके पास हुकूमत है, पुलिस है।

आप कहते हैं कि एक उद्योग में एक यूनियन हो तो फिर ये दो संगठन क्यों? उनको बुलाकर वोट डलवाए जायं। आपने कहा एक यूनियन होगी। वोट डलवाइये, आपको पता लगेगा कि कौनसा टीचर किस संगठन के साथ है। बहुमत जिसके साथ है, वह आपसे बात करेगा। उद्योग के अंदर आप यूनियन का एक आधार मानते हैं और कर्मचारियों में दूसरा आधार मानते हैं, इस तरह से यूनियन्स के झगड़े बढ़ेंगे, शिक्षक संघ के साथ ज्यादा शिक्षक हैं तो उनको प्रतिनिधित्व दें। अगर दूसरे संगठन के साथ ज्यादा हैं तो उनको दिया जाए। आपके पास नाम लिखे हुए हैं।

अंत में एक बात कहूंगा यह जो प्राइवेट स्कूलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है इसको समाप्त करें। आप कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। 90 प्रतिशत आप ग्रान्ट देते हैं। फिर कितना खर्चा और लगेगा? हिम्मत के साथ इन निजी इन्स्टीट्यूशन्स को, जिनको ग्रांट देते हैं, 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत और बढ़ादें, हम खर्चा बरदाश्त करेंगे। इतनी बड़ी क्रांति के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हम से और बजट ले लो, पी. डब्ल्यू. डी. का खर्चा कम करो, इरिगेशन का खर्चा कम करो, हम आपका साथ देंगे। मास्टरों का जो शोषण हो रहा है उसको दूर करें। सिविल लाइन्स से मेरे पास टीचर्स आए। उन्होंने हड़ताल की तो मैनेजमेंट ने पीट-पीट कर सबको भगा दिया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: वहां तो मंत्री लोग रहते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर: शास्त्री कालेज के टीचर्स को पीटा गया, जूते मारे गए। उदयपुर की संस्था के बारे में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। इस

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

सम्बन्ध में आपको सख्ती से काम लेना चाहिए पंजाब की तरह आप कर्मचारियों को उनके चुंगल व शोषण से बचायें।

श्री सभापति: श्री बत्तीलाल।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): सभापति महोदय, जिस धरती ने सीता, सती सावित्री, महाराणा प्रताप व लक्ष्मी बाई को जन्म दिया, उस धरती की संस्कृति को यदि नष्ट करने का श्रेय है तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने शोषकों को जन्म दिया है। आज मानव का शोषण करने की होड़ लगी हुई है। यदि भविष्य उज्जवल हो, हमारा राष्ट्र पुनः खोया हुआ गौरव प्राप्त करे, संसार के सामने गौरव से अपना मस्तिष्क ऊंचा कर सके तो हमें इस शिक्षा प्रणाली को राष्ट्र की सीमाओं से बाहर निकालना पड़ेगा, आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। शिक्षा प्रणाली 16 साल व 19 साल तक पढ़ने के बाद भी ऐसे लोगों को जन्म देती है जिनमें कमा खाने की शक्ति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस शिक्षा प्रणाली से हम लोग अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं कि किस तरह अपना हित हो। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा हम न कभी अपने राष्ट्र के हित के लिए और न जनता के लिए सोचते हैं यह दृष्टिकोण नहीं बनता है कि हमारा राज्य किस प्रकार कल्याणकारी राज्य बने। यह प्रणाली हमारे यहां पर अंग्रेजों द्वारा इस देश का शोषण करने के लिए तैयार की गई थी। अंग्रेज तो चले गये किन्तु उसके बाद भी उनकी यह परछाई हमारे पर रह गई है। आज इस हथियार के माध्यम से हमारे लोगों का हमारे द्वारा ही शोषण हो रहा है। सभापति महोदय, इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा किस तरह मानव को गुमराह किया जाता है? कितना विनाश इस शिक्षा प्रणाली द्वारा हमारे देश का हुआ है। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमने अपने नवयुवकों का अमूल्य समय नष्ट करते हैं 19-20 साल का समय नष्ट होता है। सरकार के कोष का बहुत बड़ा हिस्सा भी शिक्षा प्रणाली पर खर्च होता है। आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, देश का विकास हो। शिक्षित वर्ग अपने सिवाय दूसरे के लिए भी सोचे। मनुष्य पढ़-लिख कर सिर्फ अपना पेट भरने की बात ही नहीं सोचे। परमात्मा ने उसे पृथ्वी पर भेजा है तो दो हाथ दिए हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका उपयोग वह कैसे करे। एक हाथ से वह अपना पेट भरे और दूसरे हाथ से आश्रित लोगों की, दूसरे लोगों की मदद करे। यह शिक्षा का उद्देश्य है। परन्तु आज शिक्षा प्रणाली का यह उद्देश्य न होकर यह उद्देश्य हो गया है कि वह अपने दोनों हाथों से अपने आस-पास के लोगों को कैसे लूटे। आज शिक्षा प्रणाली के कारण ही जो आफिसर हैं, गजेटेड आफिसर हैं, आई०ए०एस० हैं, और कितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनका एक ही दृष्टिकोण बन गया है कि जो कुछ भी मिल जाए, भर लिया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्तजाम कर दें, इतना शोषण करें समाज का कि दौलत उनके पास आती रहे। आखिर यह क्या है? आखिर हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मानवतावादी दृष्टिकोण है, वह हम भूल गये हैं।

मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यहां पर भूतपूर्व सरकार से अधिक स्कूल खोलने के आंकड़े बताए, उसके लिए तो यह जनता सरकार बधाई की पात्र है परन्तु, सभापति महोदय

(श्री बसीलाल मीणा)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह युग की मांग है कि यह जो शिक्षा प्रणाली आज चल रही है, यह शिक्षा प्रणाली इस युग के लायक नहीं है। हमारी भावी पीढ़ी को समर्थ बनाने वाली नहीं है। इतनी समर्थ नहीं है कि हम दुनियां के साथ-साथ दौड़ लगा सकें। सभापति महोदय, इन स्कूल कालेजों से निकले हुए निर्बल व्यक्तियों को हम देखते हैं। बी.डी.ओ., ए.ई.ओ. गांवों में जाते हैं। ये इसलिए गांवों में लगाए गए हैं चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए ये गांव वालों को कृषि शिक्षा दें और गांव का उत्थान करें कृषि पैदावार बढ़ा कर परन्तु सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो लोग हैं, ये क्या खेती करेंगे। यदि इनको कृषि पर लगा दें तो ये कृषि से अपना पेट नहीं भर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी शिक्षा से क्या फायदा जिस शिक्षा से हमारे नवयुवकों का अमूल्य समय नष्ट किया जा रहा है और इतना अपव्यय किया जा रहा है। इस देश का वास्तव में विकास करना है तो इस शिक्षा पद्धति को समाप्त करना होगा। हमें अपने देश में अपने तरीके की ही शिक्षा पद्धति लागू करनी होगी। सभापति महोदय, सारे सदन ने यह मांग की है, राष्ट्र की एक आवाज है कि इसमें परिवर्तन हो। परन्तु यह परिवर्तन करने के पहले हमारे सामने एक नक्शा होना चाहिए, हमारी मंजिल सामने होनी चाहिए। हमारे शिक्षा शास्त्री, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे उच्च अधिकारियों के सामने इसका एक नक्शा होना चाहिए कि हमारी मंजिल यह है। यदि बिना सोचे-समझे, तैश में आकर के परिवर्तन कर दिया तो उस कदम से जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है, उससे भी हम वंचित रह जाएंगे और देश गुमराह की ओर बढ़ जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कार्य को करने से पहले धैर्य के साथ सोचना चाहिए। इसके साथ ही हमारे देश के करोड़ों देशवासियों का हित जुड़ा हुआ है।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि देश का विकास हो तो अब हम आगे आंकड़े नहीं बढ़ावें और वर्तमान में जो स्कूल हैं, कालेज हैं, उनकी शिक्षा में सुधार करें। स्कूल तो बहुत खुल गये परन्तु उनकी क्या हालत है? बड़ी भयंकर अवस्था है। एक-एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं और उन पर एक टीचर है। यह टीचर लड़कों से बात नहीं कर सकता, तो कैसे शिक्षा देगा। इस कारण स्कूलों में विद्यार्थियों की बरबादी हो रही है। एक तरफ शहर में पब्लिक स्कूलों की शिक्षा है, दूसरी तरफ गांव में देहाती स्कूल हैं। कितना अन्तर है। सभापति महोदय, यदि आप यह मानते हैं 45,50 प्रतिशत अंक पाने वाला एक क्चरार लंलड़कों को अच्छी तरह पढ़ावेगा तो यह नामुमकिन है। उसका बौद्धिक स्तर नहीं होगा। उनकी शिक्षा का बौद्धिक स्तर समान नहीं है। समान स्तर पर शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं मिलेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को आप समान अवसर दें और समान कालेज दें। यदि इसमें आपका भेदभाव रहेगा तो यह आडम्बर की बात है। जिस प्रकार कांग्रेस ने 30 साल तक रिजर्वेशन रख कर लोगों को भुलावे में रखा, मैं मानता हूं कि यह रिजर्वेशन उन्होंने जहां उनका बहुमत था, जीत कर आते थे, वहां रखा। इस रिजर्वेशन के आधार पर ही कांग्रेस इतने साल शासन में रही। मैं यह पूछना

(श्री बत्तीलाल मीणा)

चाहता हूं कि जो 28 पर्सेन्ट कोटा तय किया गया है, उसको क्या आपने पूरा कर दिया है ? नहीं किया गया है । अभी रिपोर्ट निकली 500 थानेदार की । उसमें सात थानेदार ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने इस नीति के आधार पर कितने टीचर्स का प्रमोशन किया ? यह सरकार किसानों की हिमायती है । तीस साल तक जिन लोगों ने विरोध में रह कर देश-हित का काम किया है आज वे सरकार में हैं । इसलिए यह सरकार इस ओर कदम उठाएगी और जो गलती की है टीचर्स के प्रमोशन में उसको यह संभालेगी । यदि इस सरकार को परमानेन्ट रहना है, मजबूती से, दृढ़ता से शासन में रहना है तो जो अल्प संख्यक और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जिनके बलबूते पर कांग्रेस ने तीस साल तक राज्य किया है, उनको मजबूती से पकड़ कर रखें, उनकी भलाई के लिए तत्परता से काम करें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करें ।

श्री सभापति : श्री मणिराम ।

(अनुपस्थित)

आपस में बात न करें ।

श्री काशीनाथ गुप्त ।

(व्यवधान)

आसन कटौती प्रस्तावों के क्रम के अनुसार ही चलेगा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य अपने विचार कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रखें । माननीय सदस्य तो दार्शनिक की तरह भाषण दे रहे हैं ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्या तो 15-20 साल से विधान सभा की सदस्या हैं । माननीय सदस्य को भी पांच साल हो जाएंगे तो इतने ट्रेन्ड हो जाएंगे ।

श्री सभापति : आपस में चर्चा न करें । आर्डर प्लीज ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पाइंट ऑफ आर्डर सर ।

सत्ता पक्ष और विपक्ष की, दोनों की बात एक साथ सुनी जाए तो अच्छा रहेगा । तीन सदस्य उधर से बोलें और एक इधर से बोलें ।

श्री सभापति : नो पाइंट ऑफ आर्डर ।

श्री काशीनाथ गुप्त ।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : सभापति महोदय, भरतपुर बृज भाषा का एक केन्द्र रहा है, बृज प्रदेश का एक अंग है। भरतपुर का बहुत बड़ा हिस्सा उसका अंग है इसलिए हमेशा से ही वहां पर आम बोल-चाल की भाषा बृज भाषा रही है । उस क्षेत्र में बृज भाषा के कई बड़े-बड़े कवि और लेखक हुए हैं जिनके कितने ही हस्तलिखित ग्रन्थ वहां पर थे । भूतपूर्व महाराजा, भरतपुर ने यह आश्वासन दिया था कि इन हस्तलिखित ग्रन्थों को राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा, बृज भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थों की रक्षा की जाएगी और साथ ही बृज भाषा की रक्षा की जाएगी इसी आश्वासन पर यह ग्रन्थ सरकार को

(श्री काशीनाथ गुप्त)
उन्होंने दिये । लेकिन दुर्भाग्य से 12-12-77 को राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की अलवर शाखा द्वारा रात के करीब 9 बजे ट्रक ले जाकर बृज भाषा के इन हस्तलिखित ग्रन्थों को भरतपुर से अलवर ले जाया गया, जिससे वहां की जनता में असन्तोष हुआ, रोष फैला। इस समस्या को मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने रखा गया । उन्होंने यह निर्णय दिया, 7-2-78 को यह आदेश हुआ कि इन बृज भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थों को वापस भरतपुर पहुंचा दिया जाय । लेकिन दुःख है कि उन अधिकारियों ने आदेशों की अवहेलना की है । वह ग्रन्थों को अलवर ले गये हैं । वह आज तक भरतपुर वापस नहीं आए हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के जिन अधिकारियों ने आदेश की अवहेलना की है, आदेश को रोका है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और ग्रन्थों को वापिस भरतपुर लाया जाये ।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, भरतपुर और अलवर में कॉलेज एक साथ खोले गये थे लेकिन आज भरतपुर में अलवर से आधे से कम विषय हैं । कोई विषय नहीं बढ़ाया है । मैं आशा करता हूं कि भरतपुर में भी कुछ विषय बढ़ाये जायेंगे । राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है लेकिन जो क्षेत्र 25-30 साल से उपेक्षित थे, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला है । आज मेरे क्षेत्र में 15-16 गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी 400 से अधिक है लेकिन वहां स्कूल नहीं हैं, जब कि सरकार की नीति है कि 400 से अधिक आबादी वाले गांवों में स्कूल खोले जायेंगे । यह राज्य सरकार आदेश दे कि मेरे क्षेत्र में जहां 400 से अधिक आबादी है, वहां शालाएं खोली जायें ।

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव कुम्हेर के बारे में है । माननीय सदस्य, कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें । इससे सदन का समय बचेगा । कृपया ध्यान रखें इस बात का ।

श्री काशीनाथ गुप्त : बिल्डिंग बनी हुई है । कई बार राज्य सरकार से प्रार्थना की गई कि सरकार कॉलेजों की बिल्डिंग बनवा रही है और जिन स्कूलों की बिल्डिंग खराब हो गई है, उनकी मरम्मत नहीं करा रही है । सेवर में जो स्कूल खुला है उस स्कूल के अन्दर वाणिज्य संकाय खोला जाय । यह मेरे क्षेत्र में है ।

परीक्षा के दिन आ गये हैं लेकिन कई शालाओं में अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है । मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया है तो इस वर्ष कुम्हेर सैकण्डरी स्कूल और सेवर में सैकण्डरी स्कूल में वाणिज्य संकाय खोला जाये ।

मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो घोषणा की है, उसके आधार पर ही शाला खोले, उसको प्राथमिकता दी जाये जो अधिकारी है । सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोले जाने की घोषणा की है, इसके लिए भी यही फार्मूला ध्यान में रखा जाये । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन घोषणाओं का पालन करायें ।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, कोई समय था, जब भारतवर्ष में संसार के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे । धीरे-धीरे हमारी शिक्षा का स्तर गिरता गया । आज की शिक्षा

(श्री हीरालाल आर्य)

विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आज गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, राष्ट्रीय चरित्र का हनन, और अनुशासनहीनता है, इन सबका कारण मैं आज की शिक्षा पद्धति को मानता हूं। मुझे इसका आश्चर्य होता है कि हमारे यहां स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर नौकरी प्राप्त करने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हैं। महोदय, हमारे देश के गरीब लोग अपना पेट काट कर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे बी.ए., एम.ए. पास कर लेते हैं तो वह बेकार हो जाते हैं। इसका कारण है, शिक्षा में दोष। इसलिए मैं चाहूंगा, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाये, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जैसे ही कालेज से निकलें, वह काम करने लगें। इसलिए मैं चाहूंगा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाये।

महोदयजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे अध्यापक हैं, उनकी आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनके परिवार की परिस्थिति गिरी हुई है इस कारण अध्यापन में खराबी है। मैं चाहूंगा कि अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाया जाय। खास तौर से वरिष्ठ अध्यापकों का वेतन 1961 में अन्य अधिकारियों के बराबर था। आज वह वेतनमान उन अधिकारियों के वेतनमान की अपेक्षा कम है। जनता सरकार ने व्याख्याताओं के वेतनमान में वृद्धि की है। शैक्षणिक योग्यताएं, काम करने की योग्यताएं हैं वह सब समान होते हुए भी वरिष्ठ अध्यापकों का वेतनमान न बढ़ाकर उनके साथ अन्याय किया है।

साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं, महोदयजी, संस्कृत भाषा भारत के जीवन-दर्शन की प्रेरणा की भाषा है। पिछले दिनों अन्य शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाये हैं किन्तु संस्कृत के जो शिक्षक हैं, उनके नहीं बढ़ाये गये हैं। यह देवभाषा का अपमान है। मैं चाहूंगा कि जो संस्कृत शिक्षक हैं उनका और वरिष्ठ अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाया जाये।

मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र शिक्षा के बारे में उपेक्षित है। जनता सरकार बनते ही शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है। आवश्यकतानुसार स्कूल खुले हैं फिर भी स्कूलों का अभाव है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर माध्यमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलें नहीं हैं वहां स्कूल खोले जायें और जहां पर अध्यापक नहीं हैं वहां पर अध्यापक भेजे जावें। जहां पर स्कूलों के भवन नहीं हैं उन एरियाज में राज्य सरकार भवन निर्माण कराये।

सभापति महोदय, मैं अब कुछ सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि जो उप-जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका वहां पर आफिस होना चाहिये जहां कि उनका कार्य क्षेत्र हो। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स जहां रहता है वहां पर उनका आफिस नहीं होना चाहिये। इसके अलावा दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारा देश एक धर्म-निरपेक्ष देश है, इसका अर्थ धर्म को भूलना नहीं है। मेरा अनुरोध है कि "धर्म" भी पाठ्यक्रम में विषय रखा जाये। इसके साथ-साथ तीसरा सुझाव आपके माध्यम से यह

(श्री हीरालाल आर्य)

देना चाहूंगा कि ग्रामीण एरिया में जो अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उनको ग्रामीण एरिया भत्ता दिया जाय। मकान किराया भत्ता भी उन्हें दिया जाना चाहिये। इसके अलावा आज जो पूंजीपति लोग और बड़े-बड़े आई.ए.एस. अधिकारी लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, इससे बच्चों में भेदभाव होता है। इसलिये सभी जगह समान शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिये और पब्लिक स्कूल्स बन्द किये जाने चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात और महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं। हमारा हाड़ौती का क्षेत्र बहुत ही लम्बा-चौड़ा है। जिसमें कोटा, बून्दी, झालावाड़ का एरिया है। वहां पर कोई विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिये कोटा में हाड़ौती विश्वविद्यालय खोला जाय।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

बहुत ही संक्षेप में।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, आजादी के तीस साल बाद हमारी शिक्षा का बजट बढ़ते-बढ़ते 107 करोड़ हो गया फिर भी शिक्षा पद्धति में कोई सुधार नहीं होने के कारण हमारे देश में लाखों नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वैसे भी सभापति महोदय, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी यह कहा गया है कि हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिये। सभापति महोदय, मैंने पिछले बजट सत्र में भी यह सुझाव दिया था राज्य सरकार को कि हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में और प्रतापगढ़ के क्षेत्र, जहां पर ट्राइबल प्लान लागू किया गया है, के साथ भारी पक्षपात स्कूलों के खोलने में हुआ है।

श्री सभापति : आपस में माननीय सदस्य बात नहीं करें।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी ने जब स्कूलें खोलने के बारे में डिसीजन लिया था, उससे यह तय किया था कि पांच हजार की आबादी और 10 किलोमीटर में जो भी स्कूल्स हैं उनको क्रमोन्नत किया जायेगा। उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी जिसके वर्तमान शिक्षा मन्त्रीजी भी सदस्य थे, पर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें घोर पक्षपात और अन्याय ट्राइबल एरिया के लोगों के साथ हुआ था। उसमें एक भी जनप्रतिनिधि डूंगरपुर, बांसवाड़ा का नहीं था और न ही उस क्षेत्र के विधायक ही थे! जिस तरह चाहा, उसी तरह मनमानी करके स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया। जहां पर 25 हजार की आबादी थी और 30 किलोमीटर में कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं था, वहां सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया गया और ट्राइबल प्लान के पैसे का भारी दुरुपयोग किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चार्ज लगाऊंगा राज्य सरकार पर कि उसमें भारी पक्षपात हुआ है। मैं आपके माध्यम से वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी को यह निवेदन

Page No 208

(208)

(श्री माधूराम)

करना चाहूंगा कि आप वहां पर जो भी स्कूल ट्राइबल प्लान के अन्तर्गत खोलें, उसके लिये आप एक कमेटी बनावें, उसमें जन-प्रतिनिधियों को और क्षेत्रीय विधायक से जरूर सलाह-मशविरा करें क्योंकि उनको क्षेत्र के बारे में ज्यादा नोलेज होती है। जिस प्रकार हमारे क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि कहें, उसी के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें या क्रमोन्नत करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो पहले ट्राइबल सब-प्लान में स्कूलों को गलत तरीके से क्रमोन्नत किया गया था उनको रिवाइज किया जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का बिना विषयों का ध्यान रखे ही तबादला कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। इसमें भारी पक्षपात हुआ है। ऐसे लोगों को लगा दिया जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते हैं। इससे लोगों को व्यर्थ ही टी.ए.डी.ए. देना पड़ता है। कहीं-कहीं पर अध्यापक एक बार जोइन करने के बाद वापस नहीं जाते हैं। इस कारण पद रिक्त पड़े हुए हैं और स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा में उसी एरिया के लोगों को लगावें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में सैकड़ों आदिवासी हरिजनों के बेरोजगार लड़के एम.ए., बी.एड. किये हुए घूमते हैं, उन्हें रिक्त स्थानों पर आप लगाने की व्यवस्था करावें। बांसवाडा की एक पढ़ी-लिखी लड़की को अभी वरिष्ठ अध्यापक बनाकर जयपुर जिले में सांगानेर में लगा दिया और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में दूसरे जिलों के लोगों को लगा दिया है, जिसका नतीजा यह है कि इधर के लोग वहां नहीं जाते हैं और उधर वाले लोग इधर नहीं आते हैं। जब कोई नहीं आता है तो पक्षपात करके अपने भाई-भतीजों को लगा देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार घोर अन्याय हो रहा है। आज शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में इस प्रकार का भारी पक्षपात होना कहां तक उचित है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात में ट्राइबल प्लान के अन्तर्गत आश्रम स्कूल्स खोले गये हैं उसी तरह हमारे यहां भी ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आश्रम स्कूल खोले जाने चाहियें। सन् 74 से हमारा ट्राइबल सब-प्लान का पैसा अन्धाधुन्ध तरीके से गैर आदिवासी लोगों को ऊंची तनख्वाहें देकर बरबाद किया जा रहा है। आदिवासी लोगों, जिनके वास्ते ट्राइबल सब-प्लान बना है, की उपेक्षा की जाती है। यह ट्राइबल सब-प्लान के नीचे आने वाले आदिवासी लोगों के साथ सरासर अन्याय है। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोले जायं और मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में और सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाय। आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिये छात्रावास बनाये जायं तथा उन्हें सभी प्रकार की रियायतें दी जायं। भारत सरकार ने

(श्री माथुराम)

ट्राइबल सब-प्लान में करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है, उसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि ट्राइबल सब-प्लान के फन्ड का दुरुपयोग हो रहा है, इस लिये इस प्लान को रिवाइज किया जाना चाहिये । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में शालाओं को क्रमोन्नत करने का अधिकार जिला कमेटी को होना चाहिये । एक तरफ तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की नीति की हमारी सरकार घोषणा करती है, दूसरी ओर जिला समिति जो सिफारिशें करती है, उन्हें राज्य सरकार नहीं मानती है जिससे कि ट्राइबल प्लान के धन का दुरुपयोग होता है ।

सभापति महोदय, रेगिस्तानी इलाके और पहाड़ी इलाके की भौगोलिक स्थिति में अन्तर है । रेगिस्तानी इलाके में आप अगर चार सौ की आबादी पर स्कूल खोलते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन आदिवासी क्षेत्र में; आदिवासी लोग जंगलों में रहते है, वहां पर तीन तीन सौ या चार चार सौ एक साथ नहीं रहते हैं, वह अलग अलग रहते हैं, इसलिये प्राइमरी स्कूल जो आपने चार सौ की आबादी पर खोलने का प्रावधान रखा है; वह वहां पर सफल नहीं हो पायेगा । मेरा निवेदन है कि इस पर राज्य सरकार वहां के जन-प्रतिनिधियों से राय लेगी तो उचित होगा ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे ट्राइबल एरिया में स्कूलों के भवन निर्माण कराये जायं । जब कि हमारे ट्राइबल प्लान में फण्ड है फिर भी उसका उपयोग नहीं किया जाता है । वह कहते हैं कि आप चन्दा करके भवन बनाओ । तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी लोगों के पास पैसा कहां है । वहां पर लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है । ट्राइबल सब-प्लान का पैसा है उसको तो आप आदिवासी लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं और आप आदिवासी लोगों को परेशान कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज किया जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब, सभापति महोदय, मैं थोड़ा वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । हमारे आदिवासी क्षेत्र के हजारों नवयुवक एम.ए., बी.एड. किये हुए बैठ हैं । हजारों की तादाद में स्कूल खुले भी हैं लेकिन उन्हें आप वरिष्ठ अध्यापक नहीं ले रहे हैं । इसका क्या कारण है ? इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वरिष्ठ अध्यापक ज्यादा मेहनत करते हैं और लेक्चरार उनसे कम महनत करते हैं । दूसरे लेक्चरार्स के लिये तो आपने इतने प्रमोशन्स के रास्ते खोल रखें हैं । फिर आप वरिष्ठ अध्यापकों के ग्रेड क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं । वरिष्ठ अध्यापक पद के लिय एम.ए., बी.एड. की जरूरत होती है और लेक्चरार के लिये सिर्फ एम.ए. की । मेरा निवेदन है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में जो जगह रिक्त पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाय तथा वरिष्ठ अध्यापक के वेतनमानों में तुरन्त सुधार किया जाय ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रयोगशाला सहायक, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उनकी शिक्षा मंत्रोजी ने

(श्री नाथूराम)
जो मांगें मान ली उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम : इसी तरह से एस.टी.सी. ग्रेड का वेतनमान बढ़ाना चाहिये। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों की मांगों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मैं आपके द्वारा यही निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता !

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश सिंह :

(अनुपस्थित)

श्री नवलराय बच्चाणी !

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अजमेर से काफी परिचित हैं। अजमेर नगर में कई प्राइवेट संस्थाओं की स्थिति से आप परिचित हैं। मैं चाहूंगा कि जहां ऐसी समस्यायें आयें तो आपको मार्गदर्शन देकर उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिये, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिये, यह मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा।

कई संस्थायें ऐसी हैं जो न तो समय पर अध्यापकों को वेतन दे पा रही हैं और न पूरा वेतन देती है। इससे विद्यार्थियों में असन्तोष रहता है क्योंकि पढ़ाई में उन अध्यापकों की रुचि नहीं होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आपको समिति बना कर सब ही स्कूलों में जाकर देखना चाहिये।

दूसरा अजमेर सूचना केन्द्र के भवन की व्यवस्था की गयी। लेकिन उसके अन्दर जाकर देखने से मालूम पड़ा कि पर्दे, दीवारें, छतें आदि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। मैं चाहूंगा कि समय पर अनुदान देकर ठीक कराना चाहिये।

अल्पभाषी भाषा के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 30 वर्ष सिन्धी भाषा के लिये कुछ नहीं किया गया।

श्री अब्दुल अजीज : अजमेर में ट्रेनिंग सेन्टर था वह क्या है ?

श्री नवलराय बच्चाणी : पूरे प्रदेश में न कोई पुस्तकों की व्यवस्था है, न अध्यापकों की व्यवस्था है और न ही दिशा आदि की कोई सूचना है। अल्पभाषी भाषा के अधिकारी हैं उनके पास भी मैं गया तो कोई उत्तर नहीं मिल पाया। अलग-अलग संस्थाओं ने लिखा तो कोई उत्तर नहीं दे पाये। मैं भी गया लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाये। कभी कहते हैं कि पुस्तकें गुजरात से छपवायेंगे। यह कोई नहीं पूछता कि इसमें देरी क्यों है? मेरा सुझाव है कि इसके लिये कोई समिति बना कर इस ओर प्रयास किया जाय।

उर्दू की जो अकादमी खोली गयी है उसके लिये पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध कराये जायं। सिन्धी अकादमी खोली जाय। अल्प भाषाइयों का एस.टी.सी. अजमेर में केन्द्र है जिसमें 100 स्थान हैं। पचास उर्दू के लिये और पचास सिन्धी के लिये। यह राजस्थान भर में एक ही केन्द्र है। मेरे पास यह शिकायत आयी थी कि ज्यादातर लड़कियां प्रवेश न पा सकीं। प्रदेश भर में यह एक ही केन्द्र है इसलिये इसमें स्थान बढ़ाये

(श्री नवलराय बच्चाणी)

जायें। 75 स्थान उर्दू के लिये और 75 स्थान सिन्धी के लिये रखे जायें ताकि सही मायने में पूरे प्रदेश के लिये यह उपयोगी हो सके।

इसके साथ-साथ निवेदन है कि अल्प-भाषायी निदेशक का दफ्तर बीकानेर में है, उसको अजमेर लाया जाय ताकि समय-समय पर उनकी समस्याओं को सुन सकें और सुलझा सकें। सिन्धी यूनिवर्सिटी खोली जावे।

दूसरा लेबर लॉ क्लासेज खोलने के लिये है। पहले भी प्रश्न रखा था। उत्तर मिला कि विचाराधीन है। काफी समय से इस समस्या को उठाया है। आपकी ओर से इस सम्बन्ध में घोषणा होनी चाहिये। अजमेर में रेलवे कर्मचारी बहुत हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिये पढ़ाई की शीघ्र व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : श्री रंगजी !

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह गूजर !

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मोरदिया !

(अनुपस्थित)

श्री शिवराज सिंह !

श्री शिवराज सिंह (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, हमारे पिछले शिक्षा मंत्रीजी थे उनकी लगन थी कि राजस्थान में शिक्षा का विस्तार हो। शहरों में शिक्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और गांवों में कम है। गांवों में शिक्षा का फैलाव करने के लिये काफी मात्रा में नये स्कूल खोले हैं, पुराने स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। सारे कार्य में उन्होंने सफलता पायी है।

नये शिक्षा मंत्रीजी ने भी हमें नोटिस भेजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खुलेंगे और प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी की बात कही है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।

मिडिल स्कूल खोलने के लिये विचार किया जा रहा है। सैकण्डरी स्कूल भी खोलने का विचार किया जा रहा है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटी छोटी जनसंख्या में बसे हुए होते हैं। मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति में 283 गांव हैं। उनमें से एक गांव को पैसा मिला है और एक गांव में सड़क बनाई है। कहने का मतलब यह है कि पंचायत समिति क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है। इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें कि दो हजार की आबादी पर मिडिल स्कूल की तरक्की करें, चाहे पड़ौसी गांव की जनसंख्या को मिलाकर करें। इस तरह से 3 हजार की जनसंख्या का प्रश्न पैदा नहीं होगा। सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल भी इसी प्रकार से खोलने चाहियें। मेरा निवेदन है कि 3 हजार की आबादी है तो पड़ौसी गांव की आबादी को मिलाकर वहां सैकण्डरी स्कूल, 2 हजार की आबादी बनती है तो मिडिल स्कूल और 400 की बनती है तो वहां प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिये।

दूसरी बात निवेदन करता हूं। आप चाहते हैं कि मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल गांवों में कायम करें। आज शहरों में जाना पड़ता है वहां बहुत भीड़ होती है। छात्रों के रहने को

(श्री शिवराज सिंह)

व्यवस्था नहीं होती है। जहां स्कूलों में 100 की संख्या हो गयी तो बच्चों को स्थान नहीं मिलता है। आज यह बड़ी समस्या है। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए और शिक्षा मंत्रीजी को विचार करना चाहिए। ग्रामों की स्थिति यह है कि जयपुर से टौंक 60 मील है। इस एरिया में आज एक भी कालेज नहीं है। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जयपुर से टौंक के बीच में तीन तहसीलें पड़ती हैं सांगानेर, चाकसू और निवाई, इस 60 मील के क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से दौसा जयपुर से 35 मील है। जयपुर और दौसा के बीच में एक भी कालेज नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए और गांवों के बच्चों की शिक्षा की योजना जब सरकार बना रही है तो सोचना पड़ेगा कि गांव में सही और सच्ची शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए कालेज की व्यवस्था होना आवश्यक है। तो एक क्राइटेरिया इस तरह का बना लें कि जहां एक पंचायत समिति क्षेत्र में 10-12 मिडिल और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं तो वहां एक कालेज स्थापित हो, जिससे कि ग्रामीण बच्चों को सुविधा मिले और उनका खर्चा कम लगे। आपके शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, बच्चे यहां कुलक्षण में पड़ जाते हैं और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। इसलिये आवश्यक है कि ग्रामीण बच्चे शहर से दूर रहें। शिक्षा को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं इससे जनता को लाभ मिल सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक अर्ज और करूंगा।

तीसरा मेरा सुझाव है वह यह है कि जो स्कूल भवन गांवों में अधूरे हैं उनके लिए कुछ न कुछ सरकार करे। कुछ मद ऐसे रखने चाहिएं ताकि स्कूल भवन बनाने के लिए गांव वालों का सहयोग हो जाये और राज्य की भी सहायता मिल जाय तो सारे स्कूल पूर्ण हो सकते हैं।

दूसरे मैं खेलकूद की बात करना चाहता हूं। खेलकूद शिक्षा का मामला है, इसको बढ़ावा देने के लिए आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। यहां तक सुनने में आया है कि पहले टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, पंचायत, पंचायत समिति, जिला और फिर स्टेट लेवल पर, किन्तु अब स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स सरकार ने करवाना बन्द कर दिया। जो बच्चे अच्छे खिलाड़ी थे और जो गांवों में अच्छा खेलते थे उनको यह उम्मीद होती थी कि हम स्टेट लेवल पर जायेंगे, उसके बाद सैन्टर लेवल पर जायेंगे और फिर दूसरे देशों में जायेंगे। उनकी अभिलाषा पर यह कुठाराघात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा सुझाव है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और जो स्कीम खेलकूद की है इसको पूर्णरूपेण लागू रखें, ताकि बच्चों को लाभ मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ जो सुझाव मैंने दिये हैं, शिक्षा मंत्रीजी ग्रामीण बच्चों के हित को सोचते हुए इन पर विचार करें।

श्री सभापति : श्री मन्जूर अली।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : जनाबे सदर मोहतरम, आज चूंकि एजूकेशन की डिमाण्ड है इसलिए कुछ तो मैं एजूकेशन पालिसी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मैंने गवर्नर एड्रेस के मौके पर भी यह बात अर्ज की थी कि जब तक एजूकेशन की दिशा मुकर्रर नहीं करेंगे हम आर्ट्स, साइन्स और टेकनोलोजी की एजूकेशन तो हासिल कर लेंगे लेकिन सोसाइटी हमारी बीमार बन जायेगी। इसलिए अगर हम हैल्दी सोसाइटी के ख्वाहिशमन्द हैं तो हमें चाहिए कि हम एजूकेशन में किसी भी जरिए से मोरल्स की, रिलीजन की एजूकेशन को भी इन्ट्रोड्यूज करें। मोरल का खजाना ही रिलीजन है। अगर हमने रिलीजन को शामिल नहीं किया तो हमारी सोसाइटी मोरललैस सोसाइटी बनेगी। वरना हमारी हालत यह होगी कि सारी मोरल वैल्यूज को हम छोड़ते चले जायेंगे और हिप्पीयों की जैसी सोसाइटी बन जायेगी। इसलिए किसी भी तरीके से कोई भी शक्ल अख्तियार की जाये, लेकिन एजूकेशन में मोरल्स को, रिलीजन को जरूर इन्ट्रोड्यूज किया जाये। बगैर मोरल एजूकेशन के हम मैटीरियल तरक्की तो कर सकेंगे, लेकिन हमारा दिमागी चैनो शकून गायब रहेगा।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आर्ट एण्ड कल्चर का एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल कायम किया जाये। आर्ट एण्ड कल्चर भी एक खजाना है जो कुदरत ने मखसूस तौर पर कुछ इन्सानों को दिया है। न तो कोई इसे खरीद सकता है और न उधार ही ले सकता है। किसी की यह अनमोल दौलत है जो लाखों और करोड़ों रुपयों में भी आंकी नहीं जा सकती। आवाज अच्छी है, कुदरत ने उसे दी है तो उसकी कद्र करनी चाहिये। जो आर्टिस्ट है उसकी अदाकारी को कोई नहीं खरीद सकता है और न कोई उधार ले सकता है। वह कुदरत की देन है। इसलिए कुदरत की ओर से सोसाइटी की खिदमत के लिए मखसूस अदाकारियां पैदा होती हैं उसको सोसाइटी क्रियेट नहीं कर सकती, लेकिन इस अनमोल खजाने को हम महज गफलत की वजह से जाया कर रहे हैं। उनके रोजगार की कोई गारन्टी नहीं और वह हुनर सड़कों व गलियों में बरबाद हो रहा है। Artists are born and never made इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आर्ट एण्ड कल्चर का एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल जरूर खोला जाये। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे आर्टिस्ट्स मौजूद हैं। वहां पर एक स्कूल खोल दिया जाये तो वह राजस्थान में लीड कर सकेगा और हम उनको रोजगार दे सकेंगे। हम उनको बरबाद होते देख रहे हैं, उनके रोजगार का माकूल इन्तजाम नहीं हो रहा है, उनकी सेहत की बरबादी के साथ जो आर्ट उनको कुदरत ने दिया हुआ है, वह भी जाया जा रहा है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है, एशिया की वहां सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री है, हिन्दुस्तान के 9 टाइगर प्राजेक्ट्स में से एक मशहूर टाइगर प्राजेक्ट भी है, वहां तमाम डिस्ट्रिक्ट के दफातिर हैं और कई डिपार्टमेन्ट ऐसे हैं कि जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं। वहां काफी तादाद में जेन्ट्रीज भी हैं लेकिन कालेज में साइन्स सब्जेक्ट नहीं है। आज बिना साइन्स के पढ़ने का मतलब यह है कि हम बी. ए. तो कर दें, लेकिन यह टेक्निकल लाइन नहीं है जिससे वह रोजगार हासिल कर सकें। इसलिए यकीनन तौर पर मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय जरूर अपने स्टेटमेन्ट में इस बात की घोषणा करेंगे कि सवाई माधोपुर में साइन्स का सब्जेक्ट जरूर खोला जायेगा।

(श्री मंजूर अली)

जनाबे सदर, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में दो तीन गांव काफी बड़े-बड़े हैं, वह बेचारे काश्तकारों के हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। सवाई माधोपुर क्षेत्र में ग्राम गरवाड़ा व श्यामपुरा में हाई स्कूल व ग्राम दुब्बी में मिडिल स्कूल व मलारनाडूंगर में गर्ल्स स्कूल जरूर खोला जाए। शहर में चार हजार अल्पसंख्यकों का एक मोहल्ला है 'मोहल्ला अन्सारियान' हम चाहते हैं कि जमाने के साथ-साथ हमारी लड़कियां भी कुछ पढ़ लें। लड़के तो पढ़ रहे हैं लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। देखा-देखी नकल करने में हमारे लड़के भी समझते हैं कि वह भी पढ़ी-लिखी लड़कियों से शादियां करें, इसलिए अन्सारियों के मोहल्ले में जरूर एक गर्ल्स मिडिल स्कूल कायम किया जाये।

बेशक चाहे आप एजूकेशन पर मेरी राय से इत्तफाक न करें लेकिन मैं इसको जाहिर करना जरूरी समझता हूं। "मुमकिन नहीं है कि आग लगे और धूआं न हो।" एजूकेशन के सिलसिले में यह एजूकेशन तो जारी कर दी कि लड़के और लड़कियां साथ-साथ पढ़ें, लेकिन एक टेबल पर झुकने और काम करने से, एक सौबत में उठने-बैठने से, साथ-साथ घूमने फिरने से जो जज्बात पैदा होते हैं उनके लिए हमारी सोसाइटी तैयार नहीं है। हमारी सोसाइटी इसके लिए आमादा नहीं है कि उनकी कोर्टशिप से खुश हो। पढ़ाई में तो नकल कर रहे हैं वेस्टर्न मुल्कों की लेकिन उनकी मोरल वैल्यूज को हम बरदाश्त नहीं कर पाते हैं। गलतियां मा-बाप की और बच्चों को दागदार मानते हैं। इसलिए बेशक यदि लड़कियों की एजूकेशन जारी रखनी है तो को-एजूकेशन को खतम किया जाये, अगर को-एजूकेशन को खतम नहीं करते हैं तो यकीनन हमें भी ऐसा बन जाना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा। खुदा जाने बगैर सोचे समझे इस अन्धी तकलीद का अन्जाम क्या होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए स्कूल अलग कायम किये जायें। आली जनाब, आपके माध्यम से मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हमारे नेशनल लीडर्स ने और हमारे आफिसर्स ने सेक्यूलेरिज्म को बड़ा गलत समझा है। सेक्यूलेरिज्म शब्द के माने सिर्फ यह थे कि हकूमत का कोई मजहब नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम रिलीजन लैस स्टेट बनायेंगे। इस सेक्यूलेरिज्म स्टेट का मतलब इस तरह से इम्पलीकेट किया गया है कि हमने यह समझा, हम रिलीजन लैस सोसाइटी को जन्म दे रहे हैं। हमें इसके राइट इन्टरप्रिटेशन को समझना चाहिए और उसी तरीके से इसका इम्पलीकेशन करना चाहिए और एजूकेशन में हर सतह पर धर्म को शामिल करना चाहिये जिससे खौफे खुदा का तसव्वुर पैदा हो। कानून कभी भी जरायम को नहीं रोक सकता, परमात्मा का भय ही अच्छी सोसाइटी बना सकता है। हम वापस जहालत के दौर में जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था फिजिकल एज्यूकेशन की जहां दूसरी शिक्षा जरूरी है वहां फिजिकल एज्यूकेशन भी जरूरी है, फिजिकल एज्यूकेशन का इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर हो, एज्यूकेशन डाइरेक्टर के मातहत न हो। इसी बात के साथ मैं यह भी दुआ करता हूं कि मेरे जजबात के कोई असर हों, और उनको माननीय सदस्यगण व सरकार कबूल करें।

श्री सभापति : माननीय श्री कुन्जीलाल-जी !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री शीशराम ओला !

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सभापतिजी, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में शिक्षा में एक बड़ा भयंकर अन्तर है। बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। गांवों में न तो अध्यापक जाते हैं, न विद्यार्थियों के बैठने के लिये टाट पट्टी होती है, न टीचर्स होते हैं, न पानी की व्यवस्था होती है। एक बहुत बड़ा अन्तर है। इसके साथ-साथ शहर में पब्लिक स्कूल होता है और एक गांव में साधारण स्कूल। गांव में पढ़ा हुआ बच्चा और पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ स्टूडेंट जब किसी साक्षात्कार के लिये, नौकरी के लिये जाते हैं तो पी. एस. सी. में बैठने वाले भी पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए होते हैं, उनके द्वारा गांव के बच्चे के साथ बड़ा भारी भेदभाव बरता जाता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह न उसने पढ़े होते हैं, न सुने होते हैं, वह बताने में असमर्थ रहता है। यह इतना बड़ा अन्तर शिक्षा प्रणाली में है। यह देश के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है।

यही नहीं स्त्री शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। शिक्षा में पहले जम्मू काश्मीर हमसे नीचे था, अब हम सबसे नीचे हो गये हैं। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के हम नजदीक हैं, वह लड़कियों की शिक्षा के मामले में आगे हैं और हम उनके बहुत पीछे हैं। अजमेर में स्त्री शिक्षा ज्यादा थी, जयपुर-अलवर बड़े शहरों में फिर भी कुछ मालूम पड़ती है वरना गांव में एक पर्सेंट भी स्त्री शिक्षा नहीं थी। मैं चाहूंगा कि जो स्त्री शिक्षा का बजट है, वह बजट निश्चित रूप से स्त्री शिक्षा पर ही खर्च होना चाहिये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्त्री शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई है। इस पर ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार से फिजिकल एजूकेशन कालेज महाराष्ट्र में 19 हैं और राजस्थान में केवल एक जोधपुर में है। उसका प्रिन्सिपल अन-ट्रेन्ड है। सभापतिजी, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर खींचूंगा। हरियाणा एक छोटासा प्रांत है। राजस्थान एक और हरियाणा तीन, तब भी आबादी बराबर है। वहां फिजिकल एजूकेशन का 1।। करोड़ का बजट है। केरल उससे भी छोटा है, वहां पर 2।। करोड़ का बजट। मैं यू. पी. और दूसरे प्रांतों की क्या बात बताऊं। इस प्रांत के लिये कितनी हल्की बात है, शर्म की बात नहीं कहूंगा, केवल 10 लाख रुपया इसके लिये रखा है। इससे हल्की बात और क्या होगी। राजस्थान के लोग, जो टीमों में जाते हैं, राजस्थान का नाम एशिया में करते हैं। उन्हें अवसर मिलता है खेलों के मैदान से आने का। अपने आपको खेलों के मैदान में शिक्षित नहीं कर पाते। हरियाणा में देखिये, छोटे-छोटे जिलों में फिजिकल एजूकेशन को शुरू किया है। राजस्थान में जो भी फिजिकल एजूकेशन है, शहरों तक सीमित है।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर एक स्टेडियम हो ताकि वहां लोग शिक्षा के साथ-साथ अपने आपको खेलों के जगत में विकसित कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

20-20 मिनट दूसरों को मिले हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं।

श्री शीशराम ओला : यह ठीक नहीं।

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहता हूं. आप एक मिनट और ले लें ।

श्री शीशराम ओला : क्या कहूंगा .....

श्री सभापति : मर्यादा भी होती है । बोलिये आप ।

श्री शीशराम ओला : तो मैं निवेदन कर रहा था, सभापतिजी, आपके माध्यम से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक स्टेडियम हो । वहां लोगों को फिजिकल एजूकेशन में अपने आपको विकसित करने के अवसर मिलें, ताकि जहां कहीं भी खेलें राजस्थान के लोग, राजस्थान का नाम करके आयें । यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे ।

गांव में अध्यापक क्यों नहीं जाता है ? वहां पर क्वार्टर नहीं है । चार मील से अध्यापक पढ़ाने आता है उसका आने जाने में टाइम पूरा हो जाता है । इसलिये कोई गांवों में जाना पसन्द नहीं करते । आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि गांव में जो अध्यापक जाये, क्योंकि वहां न सड़क है, न रेल का साधन है, न टेलीफोन, इसलिये उनको रूरल अलाउंस आप दीजिये । जो बेचारे नीडी हैं उनको रूरल अलाउंस मिलेगा तो स्कूल को चला सकेंगे । आपकी भारी गलती आपके सामने आई है कि अध्यापक स्कूल में नहीं है । इससे आपकी समस्या दूर हो जायेगी । डाक्टर्स को अलाउन्स मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है तो टीचर्स को क्यों नहीं मिल रहा है ?

गांव में सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नही दिया जाता, अनुदान नहीं दिया जाता, आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, पूरा खर्च नहीं दिया जाता । गांव वालों को कहा जाता है कि सारी बिल्डिंग बनाकर दीजिये तो स्कूल खुलेगा । गांव वालों के साथ यह पक्षपात का रवैया है । डिपार्टमेन्ट कहता है, मकान बनाकर दीजिये । मकान भी बना लें तो क्या करे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के लिये स्कूल के लिये आप बजट में प्रावधान रखिये कि गांव में स्कूल खुलेंगे तो बिल्डिंग भी बना कर देंगे । आप अनुदान के रूप में दीजिये । ऐसे भी गांव हैं जहां चन्दे से बिल्डिंग बना कर नहीं दे सकते । इसलिये शिक्षा की वहां पर ठीक व्यवस्था हो । टीचर के लिये क्वार्टर नहीं होगा, तो कौन टीचर वहां पर रहेगा ।

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि डिप्टी डाइरेक्टर का दफ्तर बीकानेर हो गया है । सीकर, झुंझुनूं में डिप्टी डाइरेक्टर का दफ्तर न लाया जाये, यह हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं । सीकर-झुंझुनूं के रहने वाले हैं उनका जयपुर और अजमेर से संबन्ध है, फिर भी डिप्टी डाइरेक्टर का दफ्तर बीकानेर लगाया । सीकर से जयपुर 70 मील, झुन्झुनूं से 90 मील है फिर भी हम जाय बीकानेर 200 मील, यह बात हमको जंचती नहीं है । अजमेर कर दीजिये, जयपुर कर दीजिये लेकिन बीकानेर करें, यह हमसे बरदाश्त नहीं होगा ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये ।

श्री शीशराम ओला : एक मिनट ।

वह भी कायम रहे तो गरीब विद्यार्थियों को लाभ होता है । इस पर विचार कर लिया जाय ।

हमारे झुंझुनूं जिले में एक भी गवर्नमेन्ट का कालेज नहीं है । शायद 26 जिलों में एक झुंझुनूं जिला ही ऐसा है जिसमें गवर्नमेन्ट

(श्री शीशराम ओला)

का कालेज नहीं है इसलिये गवर्नमेंट कालेज होना आवश्यक है। झुंझुनू में नहीं है और भी जिले ऐसे हो सकते हैं वहां भी कम से कम एक कालेज खोला जाय।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जिससे कोई रोजगार ऐसा मिल जाता है तो आई. टी. आई. का प्रशिक्षण है लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आपके माध्यम से जो सुझाव प्रस्तुत किये, मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और शिक्षा में सुधार की व्यवस्था करेंगे। मैं फिर निवेदन करूंगा कि फिजीकल एजूकेशन और गर्ल्स एजूकेशन के लिये युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : श्री बंशी लाल सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, इस देश में सबसे ज्यादा विवादास्पद विषय रहा है तो वह शिक्षा का है। एक प्रयोगशाला की तरह सभी राज्यों ने अपने परीक्षण किये हैं। राजस्थान भी इसमें अपवाद नहीं है। कभी बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गये, तो कभी 10+2+3 का प्रयोग किया गया, और कभी ग्रामों में पंचायत समिति के अधीन प्राइमरी एजूकेशन, प्राथमिक शिक्षा को रखा गया, कभी यूनिवर्सिटी में ट्यूटोरियल सिस्टम कायम किया गया, तो कभी और तरह के विचार और भाव प्रकट किये गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गांवों के लिये कोई चीज रही है तो वह पंचायत समिति द्वारा नियंत्रित शिक्षा है। हालांकि सदन के बहुत से माननीय सदस्य यह बात कहेंगे कि यह हमारी स्वायत्त शासन संस्था है और बहुत से माननीय सदस्यों के यह गौरव का विषय हो सकता है कि पंचायत समिति के पास बहुत बड़ी सत्ता है, यह बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है मगर इससे शिक्षा का स्तर गिरा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि शिक्षा का स्तर गांवों में गिरा है और जो लाभ होना चाहिये ग्रामीण जनता को वास्तव में वह लाभ नहीं मिला है। यदि कोई लाभ की बात थी तो जैसा कि सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है बीकानेर राज्य में जहां पर नगरपालिका थी वहां उसके अधीन प्राइमरी शिक्षा थी और वह देखभाल करती थी। वह राज्य के अन्तर्गत ले ली गई। चालाक, चतुर और होशियार अधिकारी थे वे यह जानते थे कि एक दिन वह आने वाला है जब यह मांग होगी कि 80 प्रतिशत जो ग्रामीण मेधावी छात्र हैं उनको सेवाओं में स्थान मिलना चाहिये और हर हालत में उनको हर सुविधा मिलनी चाहिये। तो यह विचार कर शिक्षा को नगरपालिकाओं के अधीन नहीं रखा, मगर पंचायत में पंचायत समितियों के अधीन शिक्षा को दिया गया है ताकि विद्यार्थी चुनावों में राजनीति में उलझें। यह उचित नहीं है। चौमासे में अध्यापक ट्रेक्टरों की देखभाल करें अन्य मौसम में कुटी करें। अध्यापक जब एक दिन आये दो दिन नहीं आये, दो दिन आये और तीन दिन नहीं आये तो क्या पता, वह अपना ट्रेक्टर चलाता रहता है या क्या करता है। गांवों के बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जायेंगे, इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है। आज इस तरह की दुर्व्यवस्था गांवों में हो रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता रह सके, चाहे मेधावी छात्रों का ही प्रश्न क्यों न हो। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है किन्तु हमारा कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो यह कह सके और अहसास कर सके कि हमारा विद्यार्थी शिक्षण में ठीक उतरता है, चाहे वैज्ञानिक

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यदि कोई साहसी कदम उठाना चाहते हैं तो सबसे पहला साहसी कदम यह होगा कि पंचायतों के अधीन से प्राथमिक शिक्षा को हटा लेना चाहिये। यदि किसी हिंसक जानवर के मुंह में हड्डी है तो थोड़े समय के लिये सुखद हो सकती है। मुश्किल यह है कि आप और हम यह समझ बैठे हैं कि स्वायत संस्थाओं की शक्ति ली जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि जनता का भला हो, जनता को सही रूप से शिक्षा मिले, सही ढंग से शिक्षा मिले तो साहसिक कदम द्वारा जो शिक्षा पंचायत समितियों के अधीन है, वह ले ली जाय और यूनिवर्सिटी के तौर पर तमाम शिक्षा का नियन्त्रण एक ही स्थान पर रखा जाय।

दूसरा मैं निवेदन करता हूं हमारे जो दूसरा घाव शिक्षा क्षेत्र में है, जिसके खिलाफ आन्दोलन करते रहे हैं वह है, पब्लिक स्कूल। कुछ लोग कह सकते हैं और कइयों ने तर्क देने का प्रयास किया है, शिक्षाविदों ने तर्क दिया है कि जो उच्च स्तर इन स्कूलों में है वह भी खतम हो जायगा। इतना जरूर है कि यह एक प्रभुता सम्पन्न वर्ग का कहना है जो आज शासक वर्ग में है मगर हमें पब्लिक स्कूल को हर सूरत में मिटाना है। थोड़े अर्से में वास्तव में इसका फल नजर आ जायगा। एक शासन में है और एक शोषित है। आप चाहें कि कृष्ण सुदामा जैसे मित्र इस वातावरण में पैदा हो जायें तो कभी इस स्थिति में नहीं हो सकते हैं जब तक कि पब्लिक स्कूल अलग रूप में खड़े रहेंगे। ये दो मेरे सुझाव हैं। यह बहुत साहसिक कदम होगा शिक्षा मंत्री जी के लिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां तक हमारी यूनिवर्सिटी का वातावरण का सवाल है, यह भी आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी वर्ग में भी आक्रोश और कई तरह के जजबात हैं। हमारे विद्यार्थी बेरोजगार होते जा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या क्यों है? क्योंकि हमारी शिक्षा रोजगार ओरियेन्टेड नहीं है, तकनीकी एजूकेशन नहीं है। प्रत्येक छात्र चाहता है हायर एजूकेशन हो। मेरा निवेदन यह है कि एजूकेशन के बजाय हमारी शिक्षा जोब ओरियन्टेड हो, उद्योग ओरियेन्टेड हो। माध्यमिक शिक्षा भी रोजगार ओरियेन्टेड होनी चाहिये। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे मिट्टी की सम्पदा हो और चाहे वन सम्पदा हो ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जो प्रत्येक विद्यार्थी को रोजगार देने वाली हो। अलग-अलग क्षेत्रों की स्टडी की जाकर, शिक्षाविदों द्वारा स्टडी कराई जाकर, औद्योगिक वातावरण को मद्देनजर रखते हुये हमारी शिक्षा होनी चाहिये, तभी जो रोजगार की समस्या है, वह मिट सकती है। आज भी उद्योगपतियों के यहां, यदि कोई आदमी की आवश्यकता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

तो राजस्थान का नवयुवक वर्ग उसकी पूर्ति नहीं करता है। इस कारण तकनीकी ज्ञान वाले श्रमिक बाहर से दूसरे प्रदेशों से लाने पड़ते हैं शफाखानों में तकनीकी हैंड बाहर से आते हैं। इसी तरह से उद्योगों में तकनीकी हैंड बाहर से आते हैं। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिये, कई बार राजस्थान में ऐसी स्थिति होती है कि हमारी इण्डस्ट्रीज में,

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

उद्योगों में राजस्थान के व्यक्ति तकनीकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं और बाहर से दूसरे प्रदेशों से तकनीकी हैंड आते हैं। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों के प्रति घृणा का भाव नहीं है, सम्मान और आदर का मेरा भाव है लेकिन साथ ही साथ हमारे नवयुवकों को हम मुंह और आंख बांधकर वर्षों तक अंधेरे में नहीं रख सकते। हमारी प्रतिभाएं खतम होती जा रही हैं। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में 22 प्रोफेसरों में से दो या तीन को छोड़कर तमाम राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों का भी यही हाल है। यही हमारे बड़े-बड़े उद्योगों का हाल है। यही नहीं, चतुर्थ श्रेणी और दूसरे सामान्य तकनीकी हैंड भी बाहर से आते हैं। इन प्रतिभावों के साथ में यह कैसा खिलवाड़ है। इतने कीड़े और मकौड़े साथ में आ गये, जो राजस्थान के लिये और राजस्थान के बेरोजगारों के लिये बहुत बड़े विनाश के कारण बन गए हैं। अभी अध्यापकों को लिया गया उनमें करीब पचास व्यक्तियों के पीछे दस बारह ही राजस्थान के हैं बाकी राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं। इस तरह से जितने रोजगार के साधन हैं, जितने धन्धे हैं, जितने हमारे गुजारे से संबंध रखने वाले स्थान हैं उनमें यही अहम प्रश्न है। तो यह जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

जहां तक छात्रावासों का प्रश्न है, मैं सम्पूर्ण रूप से कामरेड साहब से एग्री करता हूं, इत्तफाक करता हूं कि गांव वालों को प्राथमिकता देने में, उनको अधिक सुखसुविधा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सही रूप से सुविधा देने के लिए यह जाति-पांति के नाम पर जो भेदभाव है, इसको मिटायें और सभी के लिए समान-रूप से अच्छे सुन्दर होस्टल्स व्यवस्थित रूप से सरकार को चलाने चाहिए। उनको पर्याप्त मात्रा में वजीफा दिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कला और संस्कृति के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : 11 मिनट ले लिये हैं, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल सारस्वत : कला और संस्कृति धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। हमारे मन्दिरों में करोड़ों की सम्पत्ति लगा कर, हमने सुन्दर स्थापत्य कला स्थापित कर तरक्की की, वह अब नष्ट होती जा रही है। इस बारे में मैं निवेदन करूं कि नागौर जिले में खाटू नाम का किला है जो बीसवीं शताब्दी पूर्व, या पन्द्रहवीं शताब्दी पूर्व का है। वहां पर खजुराहो की तरह की मुद्राओं वाले चित्र हैं, कुछ मूर्तियां हैं। ऐसी ही एक फूलबावड़ी है जिसके अन्दर भी उत्कृष्ट कला कृतियां मौजूद हैं। इसी तरह से जैसलमेर के अन्दर एक से एक बढ़ कर सुन्दर मूर्तियां हैं जिनकी कीमत पचास हजार, तीस-तीस हजार तक मिल सकती है। आज वे मूर्तियां और मन्दिर नष्ट होते जा रहे हैं। उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मामूली सा पैसा लगा कर उनका जीर्णोद्धार कराकर, उन पर राजकीय आधिपत्य किया जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री निर्मल कुमार।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री मोहनलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अचलाराम ।

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की मांग पर मैंने भी आपकी सेवा में दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं। कटौती प्रस्तावों पर बोलने से पूर्व मैं यह कहूंगा कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा विभाग पर विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का दायित्व है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि चरित्र निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए ए. सी. सी. की, एन. सी. सी. की। जब तक शिक्षण संस्थाओं में इनकी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक बालकों का चरित्र निर्माण नहीं होगा और भारत का नागरिक मन चाहे रास्तों पर निकल जाएगा। मेरे अनुभव की बात कह रहा हूं, मैं भी 15 वर्ष तक सामान्य शिक्षक रह चुका हूं .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहें।

श्री अचलाराम : मैं कटौती प्रस्ताव की भूमिका के रूप में ही कह रहा हूं। इसके बाद कटौती प्रस्तावों पर आ रहा हूं। एक दोहा है :

"गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किस के लागूं पांय ......

श्री सभापति : संक्षेप में कहिए।

श्री अचलाराम : बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दियो बताय"

यह गोविन्द कौन बता सकता है। वही बता सकता है जिसके पास चरित्र हो, जिसके माध्यम से सही शिक्षा प्राप्त की जा सके। सर्व भाषाओं की जननी संस्कृत है और उसी संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। माननीय सभापति जी, आप थोड़ा सा तो शिक्षा मंत्री जी को इशारा कीजिये। आशा करता हूं कि अब तो ये माफी मांगेंगे और संस्कृत शिक्षा की ओर ध्यान देंगे।

श्री इयोपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य संस्कृत के अध्यापक थे क्या ?

श्री अचलाराम : जी हां। और शिक्षण का भी मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है।

संस्कृत अध्यापकों की जो उपेक्षा की जा रही है उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राचार्य हैं, जो आचार्य स्तर के होते हैं, विश्वविद्यालय में आचार्य का वेतनमान है 1550-1900, वहां संस्कृत के आचार्य का वेतनमान है 1250-1700। यह भिन्नता क्यों ? प्राचार्य, जो शास्त्री स्तर का होता है, का 1250 से 1700 का वेतनमान है और संस्कृत का जो होता है उसका वेतनमान है 750 से 1350। प्राध्यापक जो शास्त्री और आचार्य स्तर का होता है उसका 750 से 1350......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, Only reference will do. We are aware of the facts.

श्री अचलाराम : शिक्षकों की बात बताने में उनका अपमान थोड़े ही हो रहा है।

श्री सभापति : अपमान की बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स सबको मालूम हैं ।

श्री अचलाराम अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाता हूं ।

तो यह जो भिन्नता है इस भिन्नता को अवश्य दूर कीजिएगा । इस प्रकार की भिन्नता किस प्रकार से है ?

यह की, यही उपेक्षा शिक्षा विभाग में एक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है । एक तरफ तो शेखावत वाले और दूसरी तरफ इसरानी वाले हैं । अब इनकी राजनीति को कौन समझेगा । इनके स्वार्थों ने शिक्षा विभाग में इनको खण्डित कर दिया. लेकिन बीच में एक अल्पसंख्यक वर्ग लटक गया और वह है प्रयोगशाला सहायक । सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन प्रयोगशाला सहायकों की क्या दशा है । यह पद 1955 में, करीब 23 साल पहले स्वीकृत हुआ था पर इनके वेतनमान आदि के बारे में किसी प्रकार का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, न इस पर विचार किया गया । अभी भी आपकी सेवा में तीस दिन तक सत्याग्रह किया, हड़ताल पर बैठे. डिसिप्लीण्ड वे में, सचिवालय के बाहर, कोई हा हू नहीं की, फिर भी उनको एक गिलास फलों का रस और गरदन में माला डाल कर रवाना कर दिया गया । माननीय महोदय, प्रयोगशाला सहायक पी. डब्ल्यू. डी. में हैं । मैं आपको बताऊं कि तीन बार प्रमोशन होंगे, नियुक्ति के समय थर्ड ग्रेड में नियुक्त होते हैं 355 से 570 की ग्रेड में । फिर जूनियर रिसर्च सहायक कहलाते हैं वह 385 से 640 तक की सैकिंड ग्रेड में होते हैं । फिर जो सीनियर रिसर्च सहायक कहलाते हैं वह 460 से 770 तक की ग्रेड में होते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस प्रकार से तीन बार इनके प्रमोशन होंगे, प्रयोगशाला सहायक, टेक्निशियन और सीनियर टेक्निशियन । लेकिन शिक्षा विभाग के अन्दर जो प्रयोगशाला सहायक हैं वे जन्मे भी इसी पद पर और मरते भी इसी पर हैं । जब से नियुक्ति होती है तब से रिटायरमेंट तक इसी वेतनमान में होते हैं । एक बड़ी बात यह है कि न तो इनको मिनिस्ट्रियल स्टाफ में लिया गया और न शिक्षा विभाग में । अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ में लिया जाय तो सेक्रेटेरियट के अन्दर जो छुट्टियां होती हैं वह मिलनी चाहिए । अगर शिक्षा विभाग में लिया जाता है तो जो ग्रीष्मकालीन और शरत्कालीन अवकाश पड़ते हैं वह उनको दिए जावें । इनके साथ बड़ा भेदभाव ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि आप इस भेदभाव को मिटायेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीशचन्द शर्मा !

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : माननीय सभापतिजी, इस देश में, जब देश तानाशाही के जबड़े में निगला जा रहा था उस समय लोकनायक जयप्रकाश ने जनता का आह्वान किया था "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ।" ये शब्द हैं लोकनायक के द्वारा कहे गए, लेकिन ये शब्द हैं उस साहित्यकार के, ये शब्द हैं कवि के जो भारत की जनता को सम्बोधित करके उच्चारण कर रहा है । आने वाले आपातकाल का

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

सामना करने के लिए देश की जनता को तैयार किया गया। उस साहित्यकार का इस राजस्थान में जिस ढंग से, जिस निर्ममतापूर्वक कांग्रेस के शासकों ने अपमान किया, उस साहित्यकार के प्रति जिस प्रकार से उपेक्षा वर्ती गई, वह एक बहुत ही चिंतनीय विषय रहा है। मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिए, श्रीमन्, यहां यह बात कहने जा रहा हूं कि राजस्थान में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, चार साल से वे ही हैं, वह एक रिटायर्ड आई. ए. एस. आफिसर हैं। श्रीमन्, उनका नाम विष्णुदत्त बताया जाता है, जिन्होंने सुखाड़ियाजी के शासन काल में गोलियां चलवाई और इमर्जेन्सी में जिन्होंने हरिदेव जोशी का समर्थन किया। उन्होंने अभी तक कोई पुस्तक नहीं लिखी। ऐसे व्यक्ति को, श्रीमन्, राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, यह बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसे अध्यक्ष को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ? हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय हैं, वे योग्य और दृढ़ व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि किसी साहित्यकार को सम्मान देने के लिए, इस पद को वे साहित्यकार, लेखक को देंगे। मैं इसके प्रति आशावान हूं। यही नहीं, सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यही अध्यक्ष महोदय यूनिवर्सिटी कमेटी में हैं, बैंक आफ राजस्थान के डाइरेक्टर्स में हैं, प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन, अजमेर के सदस्य है और इनको ही चार साल से राजस्थान साहित्य अकादमी का सदस्य बना रखा है। दो साल और इनका कार्यकाल है। यह राजस्थान के साहित्यकारों के प्रति सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत में कमी है। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय गंभीरता से इस पर विचार करें और राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर किसी अच्छे योग्य साहित्यकार, लेखक को अवसर दें।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं यह कहने जा रहा हूं तीन करोड़ राजस्थानियों की भाषा राजस्थानी है। परन्तु इस भाषा की इसके घर में ही उपेक्षा हो रही है। केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा इसको साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देने पर भी आज तक राजस्थानी भाषा के विकास के नाम पर राजस्थान साहित्य अकादमी ने कोई काम नहीं किया है। इसके विपरीत यह जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं इन्होंने 14 सितम्बर, 1978 को हिन्दी दिवस के दिन राष्ट्रदूत में एक लेख प्रकाशित करवाया है, जो राजस्थानी भाषा के विरोध में है। राजस्थानी भाषा हिन्दी विरोधी नहीं है। यह हिन्दी भाषा को समृद्ध और सशक्त करने वाली भाषा है। इसका हिन्दी के साथ पवित्र और अटूट रिश्ता है। इस प्रकार राजस्थानी भाषा और हिन्दी भाषा में दुराव करने का प्रयास राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने किया है। केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इसका विरोध करते रहे थे। कई लेखकों, भाषाविज्ञों और महान साहित्यकारों ने प्रमुखतः तेस्सी तोरी, गियर्सन, सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, पं० मदन मोहन मालवीय ने राजस्थानी को पूर्ण भाषा के रूप में माना है और गुजराती भाषा की मां कहा है। यही निकट का हमारा प्रदेश गुजरात है। गुजरात में गुजराती का महत्व है तो तीन करोड़ राजस्थानियों की यह मातृभाषा राजस्थानी भाषा किसी भी रूप में कम नहीं है। शिक्षा

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यह राजस्थानी भाषा किसी भी रूप में नहीं है। राजस्थानी के साहित्यकारों की कोई सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। राजस्थानी साहित्य का कोई प्रकाशन नहीं है। राजस्थानी पुस्तकों की पर्चेज की व्यवस्था नहीं है जिससे साहित्य प्रवृत्तियों में राजस्थानी भाषा को बल मिले और राजस्थानी भाषा की प्रवृत्तियों को जीवित रख कर विकास की ओर बढ़ सके। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मौजूदा राजस्थान साहित्य अकादमी है, उसको भंग करके उसके स्थान पर तीन करोड़ राजस्थानियों की जो भाषा है 'राजस्थानी' उसके नाम पर राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना की जाए और राजस्थानी भाषा अकादमी के अन्तर्गत ही हिन्दी, उर्दू, सिन्धी इस प्रकार की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनका विकास होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए। राजस्थानी के जो साहित्यकार मुझे मिले हैं, उनके दिल में कसक है, पीड़ा है, उसको आप सहलाइये क्योंकि राजस्थानी में एडवर्स स्थिति में भी संघर्ष करने की मौलिक प्रवृत्ति है। राजस्थानी व्यक्ति में विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहने की क्षमता है, वह इस भाषा से सम्बद्ध है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन् मैं इस प्रकार के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके प्रति इस हाउस में समुचित रूप से विचार नहीं किया जा सका है। इसलिए राजस्थानी, उसके साहित्यकार की व्यथा पर कुछ कहने के लिए मुझे समय देने का कष्ट करें। दो मिनट अधिक भी लग जाएं तो क्षमा करें।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों में, राज्यों में अपनी अपनी मातृभाषा है। तो क्या फिर राजस्थान की कोई मातृ भाषा नहीं है? क्या राजस्थानी के पास अपनी जुबान नहीं है? इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का तेजी से विकास हो। भाषा मनुष्य के विकास से सम्बन्धित है। डाक्टर लोहिया ने भी कहा है, कई दार्शनिकों ने कहा है, विशेषज्ञों ने कहा है और यह माना है कि विकास का भाषा से सम्बन्ध है। अंग्रेजी की पढ़ाई के कारण हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। राजस्थानी भाषा को पूरी तरह से महत्व देंगे, प्रोत्साहन देंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि राजस्थानी समाज, राजस्थानी वर्ग तेजी से प्रगति कर सकेगा।

श्रीमन्, अब मैं अपने नगर के बारे में भी कहना चाहता हूं। 60 साल पहले एक हाई स्कूल रतनगढ़ में था। चालीस हजार की आबादी है। रतनगढ़ सब डिविजनल हैडक्वार्टर है। 60 साल पहले वहां पर जो हाई स्कूल था आज भी मात्र वही एक हाई स्कूल है। इससे बढ़ कर मार्मिक शब्दों में क्या निवेदन कर सकता हूं। 60 साल से शिक्षा के क्षेत्र में वह पिछड़ा हुआ है। अब मेरी सरकार है, मुझे विश्वास है कि हमारी यह सरकार न्याय करेगी। मेरे नगर की यह जो समस्या है, इसकी जो इतनी उपेक्षा की गई है, इसका कारण यह है कि हमने 30 साल तक कांग्रेस को यहां पर पराजित किया है और उसका दंड भुगता है। मैं आशा करता हूं कि इस बार निश्चित रूप से रतनगढ़ में डिग्री कालेज की स्थापना की जाएगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी !

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, एतत् स्वराष्ट्रं परम वैभवम् नेतु । मेरी यह भावना है कि मेरा देश परम वैभव का देश हो और यह परम वैभवता तभी प्राप्त होगी जब मैं अपनी राष्ट्र भाषा संस्कृत को उन्नत करूंगा ।

सभापति महोदय, पिछले सत्र में मैंने पुरजोर शब्दों में मेरी सरकार से और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी से निवेदन किया था कि राजस्थान में संस्कृत निदेशक के पद की पूर्ति गत पांच साल से नहीं हुई है । मुझे आज यह कहते हुए खुशी है और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी ने संस्कृत निदेशक पद पर नियुक्ति की है । संस्कृत भाषा के लिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन करना यह है कि इसकी गरिमा को देखते हुए, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावना व्यक्त की है, संस्कृत के अध्यापकों के वेतनमान बहुत ही कम हैं, स्थान भी सीमित है, इनके संशोधन में कोई लाख, दो लाख का खर्चा होने वाला नहीं है । केवल 22,220 रुपये मात्र का खर्चा है । इसलिए मैं नए शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार तत्कालीन शिक्षा मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने संस्कृत शिक्षा निदेशक पद की पूर्ति की, उसके लिये मैंने उनको धन्यवाद दिया, उसी प्रकार वर्तमान शिक्षा मंत्री को भी मैं अपना धन्यवाद अर्पित कर सकूंगा, यदि वे केवल 22,220 रुपया, उसमें से केवल 18 हजार, या 19,220 रुपया संस्कृत कालेज के अध्यापकों के लिए और 3000 रुपया संस्कृत स्कूल, विद्यालय को देने का कष्ट करें । यह कितना सस्ता सौदा है, इतने सस्ते सौदे पर माननीय मन्त्रीजी अवश्य ध्यान दें अन्यथा फिर कानून का डण्डा पड़ सकता है । पंजाब के संस्कृत अध्यापकों ने 1975 में सर्वोच्च न्यायालय में रिट की थी । शिक्षा के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए । आज संस्कृत शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए । हमारे महामहिम राज्यपाल, श्री रघुकुल तिलकजी ने जोरदार शब्दों में कहा था, ऐसा भेदभाव करना दण्डनीय अपराध है । इसलिये संस्कृत अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन किया जाय ।

कई बन्धु जोर से बोल रहे हैं उनको मेरा निवेदन है कि वर्तमान सरकार, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने जो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में सातवें नम्बर पर खड़ा था, उसको तीसरे नम्बर पर खड़ा कर दिया है । वर्तमान शिक्षा मन्त्री महोदय ने घोषणा की है उसके अनुसार तो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भारत के समान खड़ा हो जाएगा ।

मैं मन्त्री महोदय का दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । फीस के नाम पर स्कूलों में रुपया पड़ा हुआ है । उस रकम के बारे में सरकार ध्यान दे ।

दूसरा मुझे तरस आता है, स्कूलों में पी.टी. आई. की पोस्ट रखी है । उसका क्या काम है, वह क्या सिखाता है, केवल सावधान करके प्रार्थना करा देता है । वह ट्रेनिंग करने के लिए जाता है केवल इसके लिये । पी. टी. आई. को ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री मूरा : हमारे होते हुए भी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जैसे थानेदार होता है उसको ट्रेनिंग कोर्स में जाना पड़ता है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एक बार पी. टी. आई. की ट्रेनिंग करने के बाद फिर क्या होता है। इसलिए इस पद को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए।

दूसरा निवेदन यह है कि हर जिले में जिला इन्सपैक्टर के पद के साथ डिप्टी इन्सपैक्टर का पद होना चाहिए। जैसे कि कोटा में 5 डिप्टी इन्सपैक्टर हैं उनको गांवों में जाना चाहिए। छोटे-छोटे गांवों में भी जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि डिप्टी इन्सपैक्टर को गांवों की तरफ तुरन्त रवाना कर देना चाहिए।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव और था, वह यह था कि पुरातत्व के नाम पर, कला के नाम पर केन्द्रीय सरकार ने नीले रंग के बोर्ड "यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है" लगा रखे हैं। जैसे कि यहां हवामहल पर लगा रखा है लेकिन बोर्ड लगाने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। उसका औचित्य समाप्त होता जा रहा है। उसकी तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से घोषित हमारे जिले में दो स्थान हैं, लेकिन आज तक वहां पर बिजली तक नहीं लगी है। अधिकारियों ने यहां तक कहा कि आप यहां एक कील तक नहीं गाड़ सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इन पुरातत्वों के स्थानों को सुरक्षित करने के लिये उनके चिन्हों को ठीक किया जाये। इसी प्रकार से मुख्य मन्त्रीजी के क्षेत्र में एक चार चौमाजी का मन्दिर है जो चौथी शताब्दी का है और एक लक्ष्मणजी का ऐतिहासिक मन्दिर है। उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

माननीय सदस्य बड़े गरम हो रहे थे। सुमित्राजी ने भी आर.एस.एस. के बारे में कहा कि वह साम्प्रदायिक दल है।

(व्यवधान)

मैं उन्हें चैलेंज देता हूं। किसी भी मामले को ले लीजिए, आप उस पर साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लगा सकते हैं। कोई भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ हो, आज तक कोई माई का लाल यह साबित नहीं कर सका है कि उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था। जो इसको साम्प्रदायिक दल कहते हैं, वह इसको समझें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : माननीय सभापतिजी, मेरी भी सुनें। आप तो जनता पार्टी के हैं। आपका आर. एस. एस. से क्या ताल्लुक है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारा चोली-दामन का साथ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है, यह एक राष्ट्रीय संस्था है। 19 महीने के समय में जो कार्य किया है, वह सभी जानते हैं। संघ के लोग नहीं होते तो हम जेलों में सड़ जाते। कोई पूछने वाला नहीं था। कोई माई का लाल नहीं आया। पर्चों को बांटने वाले कौन थे ? कौन था पर्चे बांटने वाला ? हमारे कोटा में एक-एक लड़के ने काम किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रकार से एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में वितण्डावाद नहीं उठायें।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अन्त में, मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में स्कूलों की संख्या बहुत कम है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पर तीन हाई स्कूल खोले जायें और एक मेरे क्षेत्र में खोला जाये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने इतनी तारीफ की है फिर भी....

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जेलिया।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह यादव।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, हम दोनों के लिए माइक ऊंचा होना चाहिए।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : माननीय सभापति जी, एक मेरा कटौती प्रस्ताव इस विषय पर भी है। मान्यवर, भौगोलिक दृष्टि से विचार किए बिना पुराने शासन में जो शिक्षा का कार्यक्रम बनाया उससे हमारे प्रदेश के ज्यादातर लोग अछूते रह गये। जो ज्ञान के केन्द्र खोले गये हैं, उनसे निश्चित ही गांवों के अन्दर वहां के नागरिकों को शिक्षा नहीं मिलेगी। जनता सरकार को इस स्थिति को सुधारना होगा। जनता सरकार ने शिक्षा के विस्तार हेतु अल्प अवधि में सराहनीय कार्य किया है परन्तु केवल एक साल ही इस गति से स्कूल खोलकर हम राजस्थान से अशिक्षा को दूर नहीं कर सकते। राजस्थान में गांवों के अन्दर मील: ो मील की दूरी पर बच्चों को पर्याप्त शिक्षण संस्थाएं प्रदान करनी होंगी सरकार को, इसके लिए निरन्तर शिक्षा मंत्री महोदय सरकार में बैठ कर प्रयत्न करते रहें कि देहात के दो, तीन मील से अधिक दूरी पर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ने न जायें। आबादी के लिहाज से बिना भेदभाव के राजस्थान में स्कूल खुलते रहने चाहिए।

महिला शिक्षा पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर, मेरा सुझाव है, एक हायर सैकण्डरी स्कूल बालिकाओं के लिए अवश्य होना चाहिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसके साथ ही आपके जरिये शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान उन पोलीटैक्निक कालेज के अध्यापकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि कई महीनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। जब पोलीटैक्निक कालेज राजस्थान में खोले गये तो उनमें जो अध्यापक रखे गये थे वह इन्जीनियरिंग कालेज के अध्यापकों की योग्यता वाले थे या ए.ई.-एन. और एक्स.ई.एन. बनने की योग्यता वाले थे। आज सालों बीत गये, जो इंजीनियरिंग कालेज में अध्यापक रह गये उनको यू.जी.सी. का ग्रेड मिल गया और जो विभागों में इंजीनियर बन गये वे एक्स.ई.-एन. के पद पर पहुंच गये और उससे भी ऊपर पहुंच गये, दूसरी ओर पोलीटैक्निक कालेज के अध्यापक वहीं के वहीं रहे। उसी क्वालिफिकेशन के, उसी योग्यता के और उतनी ही लम्बी सर्विस के उनके दूसरे साथी हैं उन से वे पीछे रह गये। उनको पीछे रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं आप यह देखते हैं कि इस सर्विस के कुछ लोग पीछे रह गये हैं तो उनके साथ भी न्याय होना

(श्री हरिसिंह यादव)
चाहिए। उनको भी वह ग्रेड देनी चाहिए जो कि उनके दूसरे साथियों को दी गई है।

मान्यवर, एक बात मैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल के अन्दर जो पी. टी. आई. के कोचज हैं वह उनको फिजिकल एक्सर्साइज देते हैं। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि खेल संस्थाओं को कई सालों से राजनैतिक अड्डा बना रखा था और मेधावी लोगों को उसमें कोई प्रोत्साहन नहीं देकर कुछ चापलूस लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था। उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान खेलों के क्षेत्र के अन्दर काफी पिछड़ गया। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान क्रीड़ा एजूकेशन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण योजना के तहत आपने इस जयपुर शहर में और कुछ अन्य शहरों में सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र चला रखे हैं जिनमें गांवों के खिलाड़ी प्रशिक्षण हेतु शहरों के अन्दर आयें और प्रशिक्षण लें तो उनको 100 रु. महीना देते हैं। यह उनके लिए जरा मंहगा पड़ता है। देहातों के अन्दर अच्छे खिलाड़ी हैं और लम्बे-चौड़े खेल के मैदान हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण योजना को देहातों के अन्दर लागू किया जाना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि इस योजना को देहात के स्कूल में लागू करें तो वहां पर आपको और अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे और उनकी पढ़ाई-लिखाई का अच्छा इन्तजाम हो सकेगा। दूसरे प्रान्तों को देखते हुए यहां खिलाड़ियों के लिए पैसा कम खर्च किया जा रहा है यह उचित नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं मेरे गृह जिले के बारे में और वह राजर्षि कालेज के बारे में है जिसमें 5 हजार के करीब छात्र हैं और 5 हजार छात्रों के ऊपर एक प्रिन्सिपल है। उसमें तीनों ही प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कालेज को यदि दो कालेजों में बांट दिया जाय तो यह सुचारु रूप से चल सकेंगे। एक आर्ट्स कालेज हो और दूसरा साइन्स और कामर्स कालेज हो तो छात्र संख्या और उनके जो प्रशासनिक काम है वह ठीक हो सकेगी।

इसके साथ ही मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। अध्यापक हमारे समाज के सर्वश्रेष्ठ अंग हैं। इस समाज को आगे बढ़ाने वाले हमारे गुरु हैं उनके लिए प्रशासन की नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 24 घंटे ही उनको यह चिन्ता बनी रहे कि हमारा स्थानान्तरण अकारण अनिश्चित तरीके से हो सकता है। एजूकेशन मन्त्री शिक्षक संघ से मिलकर एक ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे बिना बात कोई राजनैतिक दखलन्दाजी शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में न हो और शिक्षक समाज निर्भय होकर अध्यापन कार्य कर सके।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह यादव : मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। जो एडेड स्कूल हैं वह व्यापारिक केन्द्र बन गये हैं। उनमें शिक्षकों का शोषण होता हैं। उनको पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन संस्थाओं में जो अध्यापक काम कर रहे हैं उनको सुचारु रूप से वेतन मिले और किसी तरह का व्यापार उन संस्थाओं को चलाने वाले नहीं कर सकें इस तरह का अंकुश, इस तरह का नियंत्रण माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इनके ऊपर रखना होगा।

(श्री हरिसिंह यादव)

इसी के साथ मैं दो शब्द छात्र यूनियनों के बारे में और कहना चाहता हूं। छात्र यूनियन होनी चाहिए क्योंकि वह छात्रों की सच्ची प्रतिनिधि संस्था होने के नाते अध्यापकों से मिलकर सुव्यवस्था शिक्षा जगत में कर सकती है। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो छात्र किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है उसको केवल मत देने का अधिकार होना चाहिए। उसको किसी यूनियन का पदाधिकारी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह एक तरफ तो जो उनके माता-पिता का मूल लक्ष्य है कि वह लड़का महनत करके पढ़कर पास हो उसके अनुसार लड़के को प्रेरणा मिलेगी और दूसरी तरफ लड़का हर साल फेल हो और कालेज के वातावरण को दूषित करे वह भी नहीं होगा। इसलिए छात्र यूनियन के अन्दर वही पदाधिकारी हों जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा पास की हो। ऐसे लड़कों को पदाधिकारी बनने से वंचित करना चाहिए जो फेल होते हैं। उनको पढ़ने का मौका देना चाहिए।

इन्हीं सुझाव के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपालसिंह (खंडेला)।

(अनुपस्थित)

माननीय अयूब खां।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हजारीमल सारण।

(अनुपस्थित)!

माननीय श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : सभापति महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। फलौदी में पिछले 25 साल से कालेज खुलवाने के लिये हम संघर्ष कर रहे हैं मगर मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि इस साल फलौदी में कालेज खोलने का वायदा ही नहीं किया गया बल्कि राजस्थान जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री टीकाराम जी पालीवाल के कर-कमलों से उसका शिलान्यास भी हो चुका है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी हमें आगामी शिक्षण सत्र से कालेज खोलने का आश्वासन दिया था मगर बजट में उसका प्रावधान नहीं है। सम्भव है कि यह भूल रह गई हो। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस भूल को सुधरवा दें और फलौदी में आगामी सत्र से कालेज खोलने का प्रावधान रखा जाय।

गर्ल्स स्कूल फलौदी में जो है उसको भी क्रमोन्नत करने की बात है। उसके लिये जन सहयोग से बिल्डिंग भी फलौदी में बन चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सैकन्डरी स्कूल जो लड़कियों का है उसको हायर सैकण्डरी में परिवर्तित आगामी सत्र से कर दिया जायगा।

हमारे यहां फलौदी तहसील में करीब 27 स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षा विभाग का अध्यापक नहीं है। पंचायत समिति ने अपनी ओर से जो अध्यापक दे रखे थे पिछले दिनों उन्हें हटा लिया गया है। इसलिये जहां-जहां अध्यापकों की कमी है वहां-वहां तत्काल भेजे जायें। मैंने अध्यापक की कमी वाले स्कूलों की मय कम अध्यापक संख्या के सूची मंत्री महोदय को दे रखी है।

इसके अलावा हमारे यहां हायर सैकण्डरी

(श्री बालकृष्ण थानवी)

स्कूल में केमिस्ट्री के अध्यापक नहीं हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले नहीं हैं, गर्ल्स मिडिल स्कूल लोडिया में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले दिनों न कोई अध्यापिका थी और न हैड मिस्ट्रेस ही थी। स्कूल वैसे ही पड़ा हुआ था। अतः सारे स्कूल व गर्ल्स स्कूलों में विषयवार अध्यापक, प्रधानाध्यापिका और अन्य अध्यापिकायें भिजवायें।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा सरकार के हाथ में नहीं रहे, बल्कि शिक्षाविदों के हाथ में रहे, यह गांधीजी के विचार थे। जब तक सरकार के हाथ में शिक्षा रहेगी तब तक सही माइने में शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा, ऐसी मेरी भी मान्यता है।

नसबंदी के दिनों में जिस तरह की अध्यापकों पर शामत आई थी वह रोंगटे खड़े करने वाली बात है। कई अध्यापकों का तबादला कर दिया गया, कइयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और कइयों को अन्य तरह से हैरान, परेशान किया गया। ऐसे अध्यापक, जो उस समय सरकारी कोप के शिकार हुए, के साथ अब न्याय करना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में फलौदी पीछे रहा हुआ है। काफी गांवों में स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूलों का जो आधार है 400 की आबादी से ऊपर के गांवों में खोलने का, वह हमारे क्षेत्र में बराबर नहीं बैठता। कारण कि हमारे क्षेत्र में अधिकांश लोग ढाणियों में रहते हैं। वहां पर यह संख्या नहीं बैठती है, इसलिए नजदीक के समूह को मिलाकर आबादी के क्राइटेरिया में परिवर्तन किया जाए। पीलवा, लोडियों, व फलौदी में सैकण्डरी स्कूलों के लिए कांग्रेस सरकार ने जाते जाते घोषणा कर दी थी। पर उसके बाद राज्यपाल के शासन में उसे रद्द कर दिया गया। जनता सरकार आने के बाद हम, सांसद श्री भट्टानीजी तथा मैं, क्रमशः मुख्य मंत्रीजी व मंत्रीजी से मिले। मुख्य मंत्रीजी ने टिप्पणी शिक्षा मंत्री को भेजी कि जो मिडिल स्कूल हैं उनको सैकण्डरी स्कूल में बदला जाय पर शिक्षा मंत्रीजी ने उस समय ऐसा नहीं किया। इसलिये आशा करते हैं कि अब इस सत्र में उपरोक्त तीनों स्कूलों को क्रमोन्नत करने के साथ साथ देणोक के उच्च प्राथमिक स्कूल को भी क्रमोन्नत किया जाकर उसे सैकण्डरी स्कूल बना दिया जायगा। हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे गांव हैं। मोटी कानासी में प्राथमिक स्कूल खोलने की जरूरत है। गांव वालों ने इसके लिये भवन भी बनवा कर रखा है। इसी तरह नाइयों की ढाणी लोहावट में करीब 200-250 लड़के पढ़ने वाले हैं, भवन की व्यवस्था है, अतः स्कूल खोला जाय। मानचीतिया गांव के अस्थायी स्कूल को भी स्थायी बनाया जाय।

पोलीटेक्निक अध्यापकों की जो मांगें हैं वे उचित है, उनके साथ में अन्याय हुआ है। अतः उनको ठीक किया जाए।

श्री सभापति : श्रीमती श्यामाकुमारी !

श्रीमती श्यामकुमारी सैंगर (कपासन): सभापति महोदय, आज की मांग पर मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से नष्ट होती हुई भारतीय संस्कृति और उसकी जीर्ण अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। श्रीमान्, आधुनिकता के पाश्चात्य प्रभाव से हमारी भारतीय संस्कृति दिनों दिन नष्ट होती जा रही है। उसका ह्रास होता जा रहा है। उसको बचाने के लिए अगर हमारे

Page No 230

(230)

(श्रीमती श्यामाकुमारी संगर)

पास कोई साधन है तो वह है ग्रामों की ओर चलें। हमारी जो ग्रामीण संस्कृति हैं, भारतीयता से सजाई हुई है। आधुनिक यातायात के साधनों के सुलभ न होने के कारण तथा जन-संख्या के अधिकांश पढ़े-लिखे न होने के कारण अभी भी ग्रामीण पिछड़े हुए हैं। उन्हें परिवर्तन की हवा नहीं लगी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति अपने वास्तविक रूप में रहे, इसके लिए कुछ इस प्रकार की संस्थायें बनायें, जैसे हमारे उदयपुर में एक संस्थान है—लोक कला मण्डल है। लोक नृत्य व लोक गीत के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण बनी हुई रहे, ऐसे संस्थान स्थान स्थान पर बनें। इस प्रकार ग्रामीण संस्कृति के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखा जाए।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान उन स्मारकों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनका अत्यन्त महत्व होते हुए भी वर्षों से उपेक्षित पड़े हुए हैं जीर्ण अवस्था में हैं, गिरने को हैं! यदि वे गिर गए तो हमारी जो प्राचीन यादगार हैं, वह नष्ट हो जाएगी। महाराणा प्रताप, जिन्होंने आजादी की लड़ाई वर्षों तक लड़ी और राजस्थान का नाम ऊंचा किया, से संबद्ध भी स्मारक खराब हालत में पड़े हुए हैं। एक स्मारक गोगुंदा में है जहां उनका राजतिलक हुआ था। उसके बाद में वर्षों तक वे उन्हीं जंगलों में रहे। वहां पर आज भी गूलर का वह वृक्ष मौजूद है जिसके फल और घास की रोटी खाकर उन्होंने अनेक वर्ष बिताये। उस वृक्ष को ऐतिहासिक मान्यता दी जाए, बोर्ड आदि लगाया जाए ताकि आने-जाने वाले टूरिस्ट्स को पता लगे कि इतने वर्ष महाराणा प्रताप ने यहां बिताये। मैं उस स्थान की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं, जहां पर अनेक पर्वतीय गुफायें हैं, जावार की गुफाओं में उन्होंने छुपकर अनेक वर्ष बिताये। अपने बच्चों को वहां पर रखा। उन गुफाओं को भी सुरक्षा प्रदान की जाय। वे आज उपेक्षित स्थिति में हैं। उनको भी ऐतिहासिक मान्यता दी जाए। तीसरा स्थान है वह भी महाराणा प्रताप से संबद्ध है। जहां उनका दाहसंस्कार हुआ था, तालाब के बीच में छत्री बनी हुई है; वहां जाने के लिए न नाव है, न पुल है। इसलिए या तो वहां नाव की व्यवस्था की जाए ताकि पर्यटक नाव पर बैठकर उस स्थान का दर्शन कर सकें या पुल बनाया जाए ताकि पर्यटक वहां पहुंच सकें।

हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जहां पर जन्म हुआ था वह भी जीर्ण अवस्था में है, उसका उद्धार किया जाए। वहां पर उनकी स्टैच्यू लगाई जाए, शिलालेख लगवाये जायें, आने वाली पीढ़ी को जिन्हें देखकर गर्व का अनुभव हो। महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी अवशेष हैं, वे सिटी पैलेस, उदयपुर में रखे हुए थे, वे पिछली सरकार ने जब्त कर लिए। मैं नई सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उनको वापस उदयपुर लौटाया जाए ताकि जो पर्यटक आते हैं, उनको देखकर, उनकी सही तस्वीर भी साथ में देख सकें।

इसी प्रकार ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर म्युजियम बनाए जायें ताकि जो लोग बाहर से आवें, वह टूरिस्ट लोग उन बड़े बड़े वीरों की उस वक्त की पोशाकों को देखें और उनके अस्त्र-शस्त्रों को देखें। सभापति महोदय, महाराणा प्रताप के वस्त्रों को देखें। उन्होंने अकबर से लोहा लिया था। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि उन सभी पुरातत्वी सामानों की रक्षा

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

की जाय । कई पुराने शिलालेख वगैरह हैं, जो भग्नावशेष स्थिति में हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाय ताकि आने वाला जमाना उनकी यादगार को देखे और याद करे ।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं । धन्यवाद ।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांग पर वाद-विवाद चल रहा है । मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव शिक्षा की मांग पर दिये हैं । सभापति महोदय, हमारा देश कभी शिक्षा के क्षेत्र में काफी बढ़ा-चढ़ा था, किन्तु आज हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं होने के कारण हमारा देश बदनाम हो रहा है । देखा ऐसा जाता है कि अध्यापकों में आज चरित्र नहीं है, वह भ्रष्ट हैं । अभी, सभापति महोदय, मैं थोड़े समय पहले मेरे क्षेत्र के एक स्कूल में गया था । वहां पर मैंने अपनी आंखों से स्वयं यह स्थिति देखी थी । अध्यापक स्वयं गुरु हैं । हमारे देश में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना जाता है । पर जब गुरु ही भ्रष्ट हो जाये तो फिर, सभापति महोदय, विद्यार्थियों की क्या हालत होगी ? आज, सभापति महोदय, सभी जगह अध्यापक, जो कि गुरु होते हैं, का चरित्र ही भ्रष्ट हो गया है, गुरु लोग आचरणहीन हो गये हैं । यही कारण है कि हमारे यहां के विद्यार्थी-लोग अपना सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं । सभापति महोदय, भ्रष्ट अध्यापक क्या सही मार्गदर्शन विद्यार्थी का करेगा ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी थोड़े समय पहले मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव हेमड़ा में गया था । वहां पर मैंने देखा कि एक अध्यापक किसी बरात में गये हुए थे । उन महाशय ने वहां पर शराब पी रखी थी । तो जो लोग खुद शराब पीते हैं और नशे में रहते हैं वह क्या मार्गदर्शन बेचारे विद्यार्थियों का कर सकेंगे ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में जब तक आर. एस. एस. की पद्धति, संघ की पद्धति से अध्यापकों के चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमारे देश के भ्रष्ट चरित्र वाले अध्यापक नहीं सुधर सकेंगे । जब तक भ्रष्ट अध्यापक नहीं सुधर सकेंगे तब तक हमारे विद्यार्थी सही मार्गदर्शन नहीं पा सकेंगे । मेरा निवेदन है कि हमारे अध्यापकों को संघ की ट्रेनिंग दी जाय ताकि इनके चरित्र का निर्माण हो सके । उसके बिना हमारे देश भारतवर्ष का उद्धार भी नहीं हो सकेगा ।

सभापति महोदय, हमारा देश भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाता था । दूसरी तरफ अब यह देखा जाता है कि हमारा देश अब एक भ्रष्ट देश हो गया है जहां गरीबी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय जिससे कि उनके चरित्र का निर्माण हो सके । जब अध्यापक ही शराब पीकर पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला के बच्चों का क्या चरित्र होगा ? इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाठशालाओं में इस प्रकार की चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । पाठशाला में शराब, बीड़ी, सिगरेट पीना मना हो ताकि विद्यार्थी अच्छी शिक्षा पा सकें ।

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री बालचन्द आर्य : सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कि मेरे

(श्री बालचन्द आर्य)
निर्वाचन क्षेत्र के गांव सुनेल में आज भी स्कूल खुला हुआ है, लेकिन कोई हैड मास्टर नहीं है। वहां पर बुरी तरह से अव्यवस्था फैल रही है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री बालचन्द आर्य : मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां भी अध्यापक स्कूलों में नहीं हैं वहां अध्यापक जल्दी से जल्दी भिजवाने की कृपा करें। अध्यापकों को सही ट्रेनिंग दी जाय जिससे कि विद्यार्थी लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सके ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द !

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, दुनिया के नक्शे में हमारा बहुत नाम है, क्योंकि उसमें भारत का नक्शा है । भारत के नक्शे का महत्व अधिक इसलिये है कि उसमें राजस्थान का नक्शा है और राजस्थान के नक्शे का महत्व इसलिये अधिक है, क्योंकि उसमें चित्तौड़गढ़ का नाम है । सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ का नाम दुनिया के इतिहास में अमर है । जैसा कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने बताया, मैं भी आपके माध्यम से, सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, आज हमारे चित्तौड़गढ़ में और उसके आस-पास के इलाके में पुरातत्व के भण्डार हैं। लेकिन उन सभी भण्डारों की तरफ राज्य सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। आज उन पुरातत्व के अवशेषों की दयनीय स्थिति हो गयी है । इसका कारण यह है, सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र की आज तक उपेक्षा ही होती रही । जब राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र की उपेक्षा बरती गई तो दुःख प्रगट करना स्वाभाविक है । अभी कुछ समय पहले चित्तौड़गढ़ के पास मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत ही सौभाग्यशाली खुदाई हुई उसको सभी जानते हैं वहां ताम्रकालीन कुछ अवशेष निकले हैं । सभापति महोदय, सिर्फ पांच-सात इन्च जमीन के नीचे खुदाई करने से ही निकले हैं । पीण्ड के क्षेत्र में पुरातत्व की दृष्टि से आज से हजारों वर्षों पहले के पुरातत्व खोज में महाभारतकालीन और मोहनजोदड़ो की प्रतीक अलभ्य चीजें पाई गई हैं। सत्रह सौ और दो हजार वर्ष पूर्व के चांदी के सिक्के मिले हैं जो कि महाभारत काल के हैं । इसके अलावा अभी पीण्ड के अलावा चतौड़ी गटी, पीनोदड़ा और बैंगू में तथा आलोद और पालोद, खातन बावड़ी में सिर्फ, सभापति महोदय, छः-सात इन्च जमीन के नीचे खुदाई में कई पुरानी सभ्यता की चीजें निकली हैं । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे महत्वपूर्ण इलाके, जो कि पुरातत्व में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था, की उपेक्षा ही होती रही । अभी चूंकि सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैं सभापति महोदय, उनको आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में जो पुरातत्व की बहुमूल्य चीजें पायी जा रही हैं उनकी ओर राज्य सरकार ध्यान दे। वहां पर जो शिलालेख और दूसरी अमूल्य चीजें पाई जा रही हैं उन पर विशेषतौर से ध्यान देकर उस क्षेत्र को पुरातत्व की दृष्टि से विकसित किया जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

(श्री सभापति)

श्री रघुवीरसिंह कौशल !

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल पंवार !

(अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्रपालसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूलाल बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण !

श्री शिवनारायण (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश की उन्नति के लिये शिक्षा पद्धति कैसी अपनायी जाय, यह देखा जाता है। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वह अत्यन्त निराशाजनक है। मानव जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के बजाय वह ऐसे नैराश्यपूर्ण अंधकारमय वातावरण में ले जाती है जिससे किसी भी युवक को अलावा निराशा के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चीन में जब इस प्रकार की अवस्था पैदा हुई तो माओत्से तुंग ने यह कहा कि छात्रों को विश्वविद्यालयों में शिक्षण लेने के बजाय खेतों और कारखानों में जाकर शिक्षा लेनी चाहिये। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने भी कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, शिक्षा की प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे छात्र स्वावलम्बी बनें, सेल्फ सफिशियेन्ट बन सकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। Please come to the point. कृपया आप अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री शिवनारायण : दो मिनट में ही समाप्त करूंगा।

स्वर्गीय बापूजी ने यह भी आह्वान किया था, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसी दीक्षा दें जिससे ज्ञानकारी शिक्षा प्राप्त हो। तीस वर्ष तक उस विचारधारा पर कोई विचार नहीं किया गया।

मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। हला में गर्ल्स स्कूल खोलने के विषय में मेरा कटौती प्रस्ताव है। 30 हजार की आबादी वाले गांव में कोई भी कन्या विद्यालय नहीं है, वहां पर कन्या विद्यालय खोला जाय।

यह प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं, यह घोषणा जारी की गयी थी कि टीचर्स के ट्रान्सफर्स होते हैं, उनको अपने जिले से बाहर नहीं रखा जायगा, बल्कि अपने स्थान पर ही रखा जायगा। लेकिन अब तक ऐसे लोगों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है, इसलिये उस पर सरकार विचार करे और इस ओर कदम उठाये।

श्री सभापति : श्री चिरंजीलाल गर्ग !

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल यादव !

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन्हीं के सम्बन्ध में मैं बोलूंगा। आसन की तरफ से निर्देश हुआ है, अतः मैं कम से कम कटौती प्रस्ताव पर कहने की कोशिश करूंगा।

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

जहां तक अध्यापकों का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा इस बात को सदन में दोहराता आया हूं कि देहात और शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर पिछले कई सालों से चला आ रहा है जो कि हर क्षेत्र में है। अध्यापकों के मामले को ही ले लीजिये, हम देहात में देखते हैं कि जहां स्कूल हैं वहां या तो अध्यापक है ही नहीं या कोई सुविधा नहीं, दूसरी तरफ जहां शहरी स्कूल है, भले ही वह एक मोहल्ले में हो निश्चित रूप से ऐसे किसी भी स्कूल में सरप्लस अध्यापक हैं। इस तरह की अव्यवस्था है। देहात में जो छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं, देहात में जो लोग रहते हैं उनके साथ यह जो भेदभाव की नीति भूतपूर्व सरकार ने अपनाई, वर्तमान सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके काल में अगले वर्ष में इस तरह की भेदभाव की नीति न हो। उदाहरण के लिये निवेदन करना चाहूंगा, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक अध्यापक भी नहीं है। मेरे क्षेत्र में चार ऐसे स्कूल हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन किया था, जब आप कालाडेरा गये तो वहां की पब्लिक ने भी आपसे भी निवेदन किया था। आपने आश्वासन दिया था कि जल्दी भेजेंगे। आदेश प्रसारित किये कि तीन दिन में अध्यापकों का स्थानान्तरण करके वहां भेजा जाय, लेकिन खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि डेढ़ माह हुआ लेकिन राज्य सरकार के आदेशों की आज तक भी क्रियान्विति नहीं हुई।

इस साल जितने स्कूल खुले उतनी संख्या में कभी स्कूल नहीं खुले, इसके लिये हमारे शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु जहां आपने मिडिल स्कूल खोले वहां केवल हैड मास्टर ही हैं और सहायक अध्यापक नहीं हैं। फागी, चौमू, दौसा, दूदू क्षेत्र में यह हालत है कि कल ही विजिलेन्स कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें विधायकों की मांग थी कि हैड मास्टर जरूर पहुंचें। पंचायत समितियों के स्टाफ को विथड्रा करने से शायद अध्यापक नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो भेदभाव की नीति पिछली सरकार के द्वारा बरती गयी मैं समझता हूं कि उसको अगले वर्ष में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ट्रान्सफर्स का जहां तक सवाल है, जैसा माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा, और जैसा कि पेपर्स में पढ़ा है मई-जून में ट्रान्सफर्स होंगे बाकी समय में नहीं होंगे। इससे हमको खुशी हुई। मैं पुरजोर शब्दों में शिक्षा मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जून में जितने ट्रान्सफर्स करने हों कर दीजिये, लेकिन 1 जुलाई के बाद शिक्षकों के ट्रान्सफर्स नहीं होने चाहियें क्योंकि 1 जुलाई के बाद ट्रान्सफर करने से निश्चित रूप से अध्यापकों को असुविधा होती है, साथ ही बच्चों को भी शिक्षा से महरूम रहना पड़ता है।

प्राथमिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनका दायित्व पंचायत समिति और पंचायतों के जिम्मे है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ज्यादातर स्कूलों के भवन अपूर्ण हैं। पंचायत समिति के बजट से, जो सरपंच होता है वह अनुदान देता है, लेकिन शिक्षा बजट में ग्रामीण शालाओं के लिये, प्राथमिक शालाओं के लिये बजट नहीं है। मैं पुरजोर निवेदन करूंगा कि जहां ग्रामीण क्षेत्र की बात आती है आप भी ध्यान रखें और जहां भवन नहीं हैं वहां विशेष रूप से भवन की व्यवस्था करें। गांवों में रहने वाले

Page No 235

(श्री रामेश्वर प्रसाद यादव)

को 75 प्रतिशत अनुदान तो मिलना ही चाहिये ताकि भवन का निर्माण हो सके। एक कमरा है, सौ-सौ, दो-दो सौ विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं नहीं। इसलिये भवन के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

देहाती क्षेत्र में जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। शहरों में 80 और 90 प्रतिशत तक एड दी जाती है जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दी जाती है। देते हैं तो 50 प्रतिशत। चौमू क्षेत्र के सेठ रामेश्वरलालजी शहरिवा ने 1।। लाख रुपया लगा कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया। 994 विद्यार्थी वहां हैं। 90 पर्सेंट एड दी जाती थी उसको घटा कर 70 पर्सेंट कर दिया। उसकी वजह यह थी कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व आयुक्त प्लैनिंग कमेटी से रुष्ट हो गये, नाराज हो गये और एड में कमी कर दी। मैंने भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया, जब वे कालाडेरा पधारे थे। भवन भी उन्होंने देखा। विद्यालय के साथ होस्टल बना हुआ है उसको भी देखा। यह कहा कि निश्चित रूप से एड बढ़नी चाहिये, लेकिन अभी तक यह समाचार नहीं मिले कि एड बढ़ने जा रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं संस्कृत के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम शिक्षा बुलेटिन देखते हैं और संस्कृत विद्यालयों की संख्या देखते हैं तो उसमें गये साल से इस साल एक या दो विद्यालयों की जरूर कमी देखते हैं। बढ़ोतरी की संख्या इसमें कभी नजर नहीं आई। जहां तक अध्यापकों के वेतनमान का सवाल है उसमें भी असमानता का प्रश्न सामने आया है। वह भी विचारणीय विषय है। संस्कृत विद्यालय के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कई विद्यालय सक्षम हैं और उनको क्रमोन्नत किया जाना चाहिए, लेकिन संस्कृत विभाग में जितने भी अधिकारी या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनका संस्कृत शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। मेरे चौमू क्षेत्र के अन्दर जीतवाड़ी में संस्कृत विद्यालय है। गत 5 साल से क्षेत्र की जनता ने और पिछले 9 महीनों में मैंने प्रयास किया है कि इसको क्रमोन्नत किया जाय लेकिन हर साल यही चिट्ठी मिलती है कि बजट के अभाव में आपका विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता।

संस्कृत विद्यालय के साथ ही साथ आमेर क्षेत्र के अन्दर सहायता प्राप्त विद्यालय है, महारावल राजेश्वर सिंहजी, जो सामोद के महारावल हैं, की बनाई हुई 1।। लाख की प्रापर्टी है। उसके साथ में बहुत अच्छी जमीन है और भवन है उन्होंने लगातार पांच साल से प्रयत्न किया कि सरकार अपने अधीनस्थ इस विद्यालय को ले ले। उन्होंने कहा है कि इसको मैं चलाने में असमर्थ हूं लेकिन बड़ी दुःखद बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी और संस्कृत विभाग के अधिकारी उसको लेने के इच्छुक नहीं हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि जब भी उसको लेने की बात आई तो संस्कृत के डाइरेक्टर और शायद मौजूदा शिक्षा विभाग के ओ. एस. डी. हैं श्री ललित किशोरजी उन्होंने महारावल के प्रतिनिधि से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी कि अगर आप पांच हजार रुपये दें तो

Page No 236

(236)

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
दे देंगे तो हम राज्य सरकार के अधीन इसे ले सकते हैं . . .

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो आपके शिक्षा विभाग में बैठे हैं और जो लोग संस्कृत विभाग के डाइरेक्टर बने हुए हैं ऐसे व्यक्तियों का आप आचरण सुधारें और अगर उनका आचरण नहीं सुधारा गया तो शिक्षा मंत्रीजी आप बदनाम हो जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जो वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान हैं उनमें बड़ी असमानता है इसलिए मैं अंत में आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा कि कम से कम उनके वेतनमानों को भी सुधारा जाये ।

माननीय सभापति महोदय, एक शब्द और कहना चाहूंगा आपकी आज्ञा हो जाये तो ।

श्री सभापति : कहिये ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : जहां तक अध्यापकों की शिक्षा का सवाल हैं मेरे क्षेत्र में लालबहादुर व्यायामशाला के नाम से संस्था है । उसको शिक्षा विभाग ने 10 लाख रुपये का अनुदान दिया । मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि सामोद के अन्दर आज तक व्यायामशाला नहीं चली । उसकी मैनेजमेन्ट कमेटी के डाइरेक्टर अजमेर रेन्ज के जोइन्ट डाइरेक्टर हैं । उसमें कभी ट्रेनिंग नहीं दी गयी और नान मेट्रीकुलेट को फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये गये । आज फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त सैकड़ों पी. टी. आई. अध्यापक हैं । फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर वह पी. टी. आई. हो जाता है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली । शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डाइरेक्टर हैं उन्होंने 10 लाख रुपये का अनुदान लिया है । इसकी अभी तक जांच नहीं हुई है । उसकी तुलना में राजस्थान में ऐसे अध्यापक हैं ओम प्रकाश जाट . . . . .

श्री सभापति : समाप्त करें । You have referred the matter.

श्री रामेश्वरदयाल यादव : जो एम. ए., बी. एड., पी-एच. डी. हैं और कोटा जिले के अन्दर तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह की असमानता है । जिन्होंने 15-20 साल तक शिक्षा प्राप्त की और एम. ए., बी. एड.; पी-एच. डी. हैं, इस तरह के अध्यापक का कोई महत्व नहीं है और तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं और दूसरी तरफ फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर उच्च वेतनमान ले लिये है और पी. टी. आई. तैनात हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ऐसे अध्यापक हैं या पी. टी. आई. हैं जिनको फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये हैं उनको निरस्त किया जाये और जांच की जाये और चाहे संयुक्त निदेशक हो, चाहे शिक्षा आयुक्त हो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । जो एम. ए., बी. एड., पी-एच. डी. प्राप्त अध्यापक हैं उनको प्रमोशन के अन्दर प्राथमिकता दी जाये । ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री मथुरादास माथुर !

(अनुपस्थित)

श्री अयूब खां : सभापति महोदय, मेरा नाम पीछे निकल गया है । आप इजाजत दें तो थोड़ा-सा बोल लूं ।

श्री सभापति : आप अनुपस्थित थे ।

श्री नूरा !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री महोदय जवाब दे दें ।

श्री सभापति : अगर आप नहीं बोलें तो मंत्री महोदय जवाब दे देंगे । सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा पर है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमारी इच्छा है मंत्रीजी जवाब दे दें ।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, मैं उन विद्यालयों की तरफ आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा जो प्राइवेट चलने वाले स्कूल हैं । वह स्कूल आज इस हालत में हैं कि न उनकी बिल्डिंग की व्यवस्था है और न वहां पर सब्जैक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं । कई ऐसे सब्जैक्ट हैं जिनके पीरियड खाली चले जाते हैं । न टाइम पर टीचर्स आते हैं

श्री सभापति : रिपीटीशन ही रिपीटीशन है । एक-एक मिनट में बात कह दें तो जल्दी मंत्री महोदय का उत्तर आ सकता है ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह तो इनकी स्पीच को अण्डर एस्टीमेट कर दिया ।

श्री सभापति : आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन स्कूलों में जो अध्यापक हैं उनकी पेंशन का झगड़ा रहता है, उनको ग्रेचुइटी नहीं मिलती, इन्श्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, मकान किराया देने की व्यवस्था नहीं है । दूसरी ओर अध्यापकों का शिक्षक संघ है 'व' 28 तारीख को विधान सभा भवन के सामने विशाल प्रदर्शन करके अपनी मांग रखेंगे । कोई बड़ा सवाल नहीं है । ग्रामों में रहने वाले अध्यापक हैं उनको मकान का भत्ता दिया जाय । पंचायतों से शिक्षा वापस लेने की बात कही गयी है उसका कारण यह है कि गांवों में शिक्षकों के रहने की व्यवस्था नहीं है, अच्छी बिल्डिंग नहीं हैं, आने जाने के लिए साधन नहीं हैं । इन्हीं बातों को लेकर पंचायत समितियों से शिक्षा वापस लेने की बात उन्होंने अपने मांग-पत्र में कही है । वेतनमानों में सुधार करने की बात भी उसमें कही है । निजी शिक्षण संस्थायें हैं उनकी भी बात मैंने कल निवेदन कर दी । यह जो कुछ मांगें हैं यह बड़ी मांगें नहीं हैं । इन बातों को लेकर 28 तारीख को विधान सभा भवन के सामने प्रदर्शन और अपनी मांगें पेश करने के लिए आयेंगे । उसके पहले शिक्षा मंत्रीजी उनके प्रतिनिधियों को बुलायें, उनकी समस्याओं के बारे में बात करके उनकी समस्याओं को हल कर दें तो राजस्थान के कोने कोने से आने वाले शिक्षक कम से कम यहां आकर अपनी बात कहें उससे पहले उनकी समस्याओं का हल हो जाये

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्या सो रही हैं ।

श्री सभापति : आसन की निगाह में यह बात नहीं आई है ।

श्री नूरा : सभापति महोदय, यह मांग पत्र पहले भी दिये जाते रहे हैं। आज भी मांग-पत्र देकर अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए शिक्षक आन्दोलन कर रहे हैं, जहां समस्याओं का इस तरह से हल होता हो, उस शिक्षा जगत में असन्तोष का कारण बना रहना स्वाभाविक है। चाहे विद्यार्थी हों या टीचर हों उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं तो आन्दोलन के सिवाय कोई चारा नहीं है। अनुशासन की बातें करने वाले मेरे से पहले बोलने वाले विधायक साथी ने कहा कि मिलिटरी की समझ रखने वाले टीचर्स होने चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। जब उनकी समस्याओं का हल हो जायेगा तो अनुशासन बना रहेगा, विद्यार्थियों की समस्यायें हल हो जायेंगी तो अनुशासन बना रहेगा। अगर इस तरह से दबाने की बात हो तो समय पर बात को नहीं मानने की वजह से असन्तोष बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी समस्याओं का हल होना चाहिए। . . .

प्राइवेट स्कूल जितने भी चल रहे हैं, मेरी मांग है, उनका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये। सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। जो प्राइवेट संस्थायें चल रही हैं, वह पैसे वालों का धन्धा है, उनके कब्जे में वे रहती हैं। बच्चों को उनमें ठीक शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिये बच्चों के भविष्य और अध्यापकों के अधिकारों, सुरक्षा की दृष्टि से उनको हाथ में लेना आवश्यक है। इसमें जांच करने की कोई बात नहीं है। इसके सिवाय इसका कोई हल नहीं है।

अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सरकार है। काश्मीर में कोई पार्टी है, राजस्थान में जनता पार्टी चला रही है, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है। भिन्न-भिन्न पार्टियां अलग अलग प्रांतों में शासन चला रही हैं। जब वे शिक्षा में सुधार कर सकते हैं तो राजस्थान को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिये। सातवीं तक मुफ्त शिक्षा देने की बात होनी चाहिये। यह गांवों में रहने वाले बच्चों, छोटे-छोटे खेतों पर मेहनत करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाना बहुत जरूरी है और उसके साथ में दोपहर का खाना दिलाना चाहिये। सभापति महोदय, गरीब का बच्चा कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, कभी कमिश्नर नहीं बन सकता। बड़े पैसे वालों के बच्चे ही पढ़ कर ऐसे ओहदों पर लग सकते हैं। वे आफिसर बनेंगे तो उनकी समझ कैसी होगी। वह कैसे गरीबी को दूर करने की बात को समझेगा जिसने केवल किताबों में गरीबी पढ़ी है। अगर गरीब आता है जिसने गरीबी भुगती है, वह देश के विकास के लिये, बच्चों के विकास के लिये बहुत बड़ी बात करेगा जहां से विधायक चुनकर आता है वह समस्या को ज्यादा जानता है. बहुत से विधायक हैं जो भुगत भोगी हैं। मजदूरों और किसानों के बच्चों . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को मुफ्त शिक्षा दिला कर, उनको प्राथमिकता देकर आगे लाया जाये। तो काफी सुधार की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में फिर मांग करता हूं कि प्राइवेट संस्थाओं, जो पैसे वालों का धन्धा है, का सरकारीकरण करके उनकी हालत को सुधारा जाये तो वहां के शिक्षकों और बच्चों दोनों की भलाई होगी। 28 तारीख को होने वाले प्रदर्शन को टालने के लिये शिक्षा मंत्रीजी को बीच में पड़ना चाहिये और पूरा ध्यान देना चाहिये। शिक्षकों की बहुत बड़ी मांग नहीं है। छोटी-छोटी मांगें हैं जो

(श्री मूरा)
हल की जा सकती है। मेरा कटौती प्रस्ताव रखने का उद्देश्य यही है कि इनको सुविधायें प्रदान की जायें।

इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री लाल शंकर डेकोर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती मदनकौर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनलाल वर्मा !

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, यह पत्र माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने समस्त विधायकों के नाम जारी किया है। इसमें लिखा है, जहां 400 जनसंख्या होगी वहां प्राइमरी स्कूल, जहां 2,000 जनसंख्या होगी वहां मिडिल स्कूल और जहां 3,000 जनसंख्या होगी वहां हाई स्कूल खोलेंगे। दूसरी बात है भवन व्यवस्था की। यह सतारूढ़ मस्त हाथी है, इसके दो तरह के दांत हैं। जहां स्कूल भवन होगा, बैठने की जगह होगी वहां स्कूल खुलेगा, भवन बनाने के लिये पंचायत समिति के पास 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन बनाने की इजाजत सरकार ने नहीं दी। 5 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह लेकर हमने पैसा इकट्ठा किया, पंचायत के पास वह पैसा पड़ा हुआ है। अभी 27 जनवरी को मुख्य मंत्री से भवन का उदघाटन कराया। भवन पर 62 हजार लगाया, लेकिन आज तक उसमें स्कूल नहीं खुला है।

दूसरी बात निवेदन है

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आप व्यंजना प्रयोग करते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : इनको छेड़े बिना चैन नहीं पड़ता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिक्षा मंत्री को आगे बैठने के लिये कह दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आप बोले, तो वर्मा साहब ने कोई टोका-टाकी नहीं की।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं आज से चार साल पहले सरकार ने पंचायत समितियों के नाम से आदेश निकाला है, उसकी संख्या तो नहीं है। उसमें लिखा था कि कोई पंचायत समिति अपने पास से एक हजार से अधिक खर्च नहीं करेगी, अगर करेगी तो राज्य सरकार की स्वीकृति लेने के बाद ही करेगी। एक बात। दूसरी बात यह थी कि पंचायत समिति शिक्षा का पैसा, निजी आय का पैसा मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल पर खर्च नहीं कर सकेगी। हम चाहते हैं किसानों के बच्चे शिक्षित हों। राजस्थान के अन्दर गौरव के साथ कह सकता हूं, जब सन् 65 में प्रधान मंत्री आये तब सबसे पहले स्कूलों की हालत सुधारने का काम भिनाय में चालू किया गया। अजमेर जिले के अन्दर यह सबसे पहले शुरू हुआ है। लेकिन राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पंचायत समिति उस शिक्षा के पैसे को स्कूल के कार्य में खर्च नहीं कर सकती है। यह राज्य सरकार मस्त हाथी है, जो दांतों से भी खाना चाहती है और पांवों से भी कुचलना चाहती है। शिक्षा मंत्री से

(श्री रतनलाल वर्मा)

निवेदन करना चाहूंगा, चुनौती से निवेदन करना चाहूंगा, इस आदेश को रद्द करवा दीजिये । अगर रद्द नहीं करवाया और सी सत्र में लागू किया तो जनता इसका विरोध करेगी । पंचायत मंत्रीजी को भी मैंने निवेदन किया है, इस आदेश को रद्द कीजिये ताकि स्कूल भवन बना सकें ।

अजमेर का भारतवर्ष में शिक्षा के मामले में प्रथम स्थान था, मेयो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज वहां हैं, किन्तु न कांग्रेस सरकार ने वहां विश्वविद्यालय खोला और न जनता सरकार वहां विश्वविद्यालय खोलने जा रही है । जनता सरकार यह चाहती है कि 400 की जनसंख्या होगी वहां प्राइमरी स्कूल खोलेगी । पंचायतों में जो राशन कार्ड बने हुए हैं उन राशन कार्ड के हिसाब से ऐसी नाप तोल कर लीजिये, 78 के राशन कार्ड 400 होंगे, तो प्राइमरी स्कूल खुल जायेगा । मैं फिर निवेदन करूं . . .

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि इस तरह से हम स्कूल खोलने को तैयार हैं । सरकार के पास सूचना है या नहीं, लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं भिनाय क्षेत्र में गये साल में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया, एक भी औषधालय नहीं खोला गया । अब मैं कहने वाला नहीं हूं आपका मन माने तो खोलना, मैं मांग नहीं करता हूं । गांवों के साथ सौतेला व्यवहार जो सरकार गई वह भी कर रही थी और यह सरकार भी कर रही है । उस समय भी मैंने निवेदन किया था जो गांवों में कर्मचारी रहते हैं, वे गांवों में ही रह सकें इसलिये उनको हाउस अलाउन्स दिया जाय । चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो और चाहे और कोई कर्मचारी हो आज न उसके लिये दवा का साधन है, न सड़कों का साधन है जिससे वह साइकिल चलाकर अपना काम कर सके, न बच्चों को पढ़ाने का कोई ठीक साधन है । इसलिये, सभापति महोदय, वे लोग गांवों में जाने से डरते हैं । अगर उसकी बीबी के बच्चा होने वाला है तो वह अस्पताल में नहीं पहुंच सकता है । अगर आप स्वाभिमान का व्यवहार चाहते हैं तो यह सौतेला व्यवहार उनके साथ मत करिये । आज ही इस बात की घोषणा करिये कि जो गांवों में कर्मचारी हैं उनको हाउस अलाउन्स दिया जायेगा । यह शर्त लगा दीजिये कि हाउस अलाउन्स वहीं दिया जायेगा जहां उनकी नियुक्ति है ।

शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा में सुधार की बात सब कर रहे हैं, लेकिन सुझाव क्या है, यह कोई नहीं कह रहा है । आप राजस्थान से 10—15—20 आदमियों को जापान ले जाइये और महीने, दो महीने वहां उनको रखिये । वहां से पूरी ट्रेनिंग लेकर वे आयें । आज जापान में घर घर में रेडियो, टेलीविजन सेट और अनेक औद्योगिक चीजें बनाई जाती हैं । यहां स्कूल में कागज के खिलौने बनवाते हैं । आप इस तरह की मखौलबाजी मत करिये । इसमें पैसा खर्च मत करिये । अगर शिक्षा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो मत करिये, औद्योगिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो शिक्षा विभाग में ताले लगा दीजिये, नहीं तो वह दिन आयेगा जब भारत के विद्यार्थियों में आग लग जायगी । मैं अधिक न कह कर यह कहकर समाप्त करूंगा—

दिली तसल्ली फिर भी न हुई हमारे
. . . बेजार होने पर,

(श्री सभापति)

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहती हूं । मैं राज्य सरकार का ध्यान शिक्षा के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगी । सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हुए हैं, उनमें पढ़ने वाले बालकों के खेलकूद की ओर सरकार ध्यान दे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो स्कूल खुले हुए हैं, उनमें न बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और न सफाई की व्यवस्था है । उन ग्रामीण स्कूलों में ये व्यवस्थाएं की जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान स्कूल भवनों की ओर दिलाना चाहती हूं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं और आज भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में खड़े हुए हैं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सैकड़ों साल पुराने हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : बहुत पुराने है । कहने का मतलब यह हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय उस दर्दनाक घटना को भूले नहीं होंगे जो कि पिछले दिनों आमेर के एक स्कूल की छत गिरने से घटित हुई थी । तभी मैंने राज्य सरकार का ध्यान वहीं स्थित सरकारी स्कूल की तरफ दिलाया था जो अत्यधिक खण्डित हालत में है । राज्य सरकार ने इन्सपेक्टर को भेज कर उसका इन्सपेक्शन कराया था । उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ चुकी है । मैं जानना चाहूंगी कि सरकार ने उस भवन को अन्य बताये हुए भवन में परिवर्तन करने के बारे में क्या कदम उठाया है या उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की ओर दिलाना चाहती हूं । उनको कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में ध्यान दें । ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य, जो सवाई माधोपुर से आये हैं, के सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दुबारा दिलाना चाहूंगी, उनका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगी । जयपुर में कत्थक घराने की कला की रक्षा के लिए एक कत्थक केन्द्र की स्थापना की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान रवीन्द्र मंच की ओर दिलाना चाहूंगी । उसको कला काम्प्लैक्स के रूप में विकसित किया जाये । उसकी जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा शिक्षा मंत्री महोदय को सुझाव है कि ललित कला अकादमी के विकास के साथ-साथ संगीत कला अकादमी और साहित्य अकादमी को भी जयपुर में स्थापित किया जाये ।

मेरा यह भी सुझाव है कि कला और संस्कृति के विकास के लिए एक अलग से

(सुश्री पुष्पा जैन)
मन्त्रालय स्थापित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं को खेलकूद में बराबर का प्रतिनिधित्व देने के बारे में निवेदन करूंगी। जब कि खेलकूद में कालेजों में लड़कों और लड़कियों से बराबर की खेलकूद फीस ली जाती है तो बराबर की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है ?

मैं राज्य सरकार का ध्यान पोलीटैक्निक कालेजों की ओर दिलाना चाहूंगी। तीन माह से चल रहे आन्दोलन को समाप्त करवा कर उनकी वाजिब मांग को पूरा किया जाय तथा अधिक से अधिक पोलीटैक्निक कालेज खोले जायें। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मोहम्मद जहूर ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कालू भाई मीणा।

श्री कालूभाई मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कटौती प्रस्ताव है कि हमारे क्षेत्र प्रतापगढ़ में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां दो हजार, तीन हजार की आबादी वाला गांव नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सकते हैं ।

श्री कालूभाई मीणा : मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करता हूं । हमारे क्षेत्र में आदिवासियों के गांवों की बस्ती बिखरी हुई है । एक दो मील पर आदिवासियों के मकान हैं । इसलिए वहां पर स्कूल खोले जावें । एक-एक मील की दूरी पर प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल खोले जावें । दो ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक सैकण्डरी स्कूल खोला जावे । वर्तमान में ग्राम चुपणा में सैकण्डरी स्कूल खोला जाये । वहां स्कूल भवन बना हुआ तैयार है । ग्राम खेरोट में भी सैकण्डरी स्कूल खोला जावे । वहां भी स्कूल भवन तैयार है । ग्राम बरवरड़ा आदिवासी क्षेत्र है । ग्राम राजपुरिया, हथनी कुडा, लुहारिया, जोलार, पालरणा, गामदा, दतीयार, डीडोड़ाखेड़ा मर्षेज, बीलड़ी, टीमरणा, मनोहरगढ़ सणेटी, इन ग्रामों के अन्दर प्राथमिक स्कूल खोले जावें । पिलू, रामपुरिया और कल्याणपुरा में मिडिल स्कूल खोले जावें । आठ-आठ गांव पंचायतों के हैं इसलिए दो-दो, तीन-तीन मील के बीच में स्कूल खोले जायें ताकि आदिवासियों के बच्चे पढ़ सकें । यह पहले भी पिछड़े हुए रहे हैं । कांग्रेस के जमाने में भी कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता था । कुछ भी हो जाये, स्कूल खोले जावें । शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दें ।

श्री नाथूलाल (घाटोल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव शिक्षा संबंधी है । हमारे प्रदेश में शिक्षा बहुत जरूरी है । शिक्षा मनुष्य की रीढ़ के समान है । शिक्षा प्रगति की जोत जगाती है । इसलिए शिक्षा ग्रामीण जनता के लिए तो और भी

Page No 243

(श्री नाथूलाल)

अत्यावश्यक है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है, जो हमारी सबसे नीचे की सीढ़ी है, उसमें हमारी जनता सरकार ने काफी वृद्धि की है। इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री व हमारी जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान जिला बांसवाड़ा, क्षेत्र घाटोल की ओर आकर्षित करता हूं। हमारे बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूलों की कमी की वजह से आदिवासी बच्चे मिडिल पास कर आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक ऐसा एरिया है जहां पर लगभग 15-16 हजार की आबादी होगी लेकिन पिछली सरकार ने जिसके सदस्य उस समय हां पक्ष में थे आज ना पक्ष में हैं, सरासर उस एरिया के साथ पक्षपात किया। आज तक उस क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, घन्टाली में सैकण्डरी स्कूल खोला जाए।

घाटोल में कन्या सैकण्डरी स्कूल खोला जाए, ताकि पिछड़ी जाति की छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध हो सके। वहां पर स्कूल खोलने से वहां के बालक व बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी।

उपाध्यक्षजी, बांसवाड़ा जिले में लगभग 5.20 लाख की आबादी है, वहां कालेज बांसवाड़ा मुख्यालय पर है। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान घाटोल की तरफ दिलाना चाहता हूं। घाटोल में भी एक कृषि कालेज खोला जाए ताकि आदिवासियों के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकें।

ग्रामों की तरफ हमारी सरकार का पूरा-पूरा ध्यान है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को हमारी सरकार आगे लाने की इच्छुक है। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और आदिवासी गरीबों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक शालायें खुलवाने का प्रयास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ समय का अभाव देखते हुए मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार नहीं होने के संबंध में दिया है। एक तरफ हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई आबादी में शिक्षा का विस्तार अधिक से अधिक करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री का एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने असमर्थता प्रगट की है। यह बिखरी हुई आबादी के लिए बड़ा ही घातक है, यह उनके अनुकूल नहीं है। उस इलाके में 100-150 की आबादी वाले गांव भी हैं। मीलों तक गांव बसे हुए हैं, उन गांवों को हम शिक्षा से वंचित करके फिर कहें कि ग्रामों की तरफ विशेष ध्यान देंगे, तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो क्राइटेरिया कायम किया गया है, हमारी स्थिति उससे अलग है। शिक्षा का विस्तार अधिक से अधिक कराने के लिए आप प्रयत्नशील रहें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त हो सके।

(श्री जीयंग)

मैं समय का ध्यान रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं। आज जो माननीय सदस्य इस सदन में विराजमान हैं, उधर से और इधर से सभी यही कह रहे हैं कि हमारा 30 वर्ष तक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। हर माननीय सदस्य यही कहता है कि हमारा क्षेत्र 30 वर्ष से उपेक्षित रहा है। शिक्षा, सिंचाई व दूसरे कामों में विकास नहीं हुआ है। राजस्थान विधान सभा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 30 वर्ष तक कौनसा क्षेत्र उपेक्षित रहा है। वह भी आपको देखना होगा। 1952 से चुनाव पद्धति लागू हुई। बांसवाड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां दो क्षेत्रों में सोशलिस्ट पार्टी और दो में कांग्रेस लगातार 1977 तक जीतती आई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। आज तक हर प्रकार के विकास में उस क्षेत्र के साथ उपेक्षा की गई है और आज भी सरकार उसको उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, इसका मुझे दुःख है।

मैं शिक्षा मंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र के बारे में एक मांग प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने पिछले समय में भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री से यह मांग की थी कि कुशलगढ़ ऐसा गांव है जो बांसवाड़ा जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और गुजरात की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। जो क्षेत्र गुजरात या मध्य प्रदेश से मिलता है। उस क्षेत्र में एक हायर सैकण्डरी स्कूल है। आज वहां पर अकाल की स्थिति बनी हुई है। भयंकर अकाल है। लोगों ने पेट पर पट्टी बान्धकर अपनी औलाद को पढ़ाने की इच्छा प्रकट है। एक-एक रुपया चन्दा देकर वहां पर भवन-निर्माण का कार्य चल रहा है, और पूरा होने आया है, लेकिन हमारी सरकार आज भी उस क्षेत्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की उपेक्षा अब आदिवासियों के साथ आप लोग न करें तो अच्छा होगा, वरना जो आने वाली नई औलाद है वह न जनता पार्टी को बख्शेगी और न आपको और हमको बख्शेगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उस इलाके में निश्चित तौर से इसी साल कालेज खोलने की व्यवस्था करें तो बहुत ही कृपा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और आपसे निवेदन करूंगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं तो कहीं-कहीं तो स्कूल भवन भी नहीं हैं और पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि अपने आप स्कूल भवन बना सकें। इसलिये जो शिक्षा कर लिया जा रहा है उस शिक्षा कर का पैसा स्कूलों को दिया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि शिक्षा कर आज भी हम पंचायत समिति को दे रहे हैं। वह शिक्षा कर कम से कम स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों पर खर्च किया जाय और भवनों का निर्माण किया जाय तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा और हम शिक्षा का विस्तार उपयुक्त रीति से कर सकेंगे, वरना हम जो यह कह रहे हैं कि हम ज्यादातर गांवों की तरफ अग्रसर होंगे, यह सारी घोषणा बिल्कुल खोखली रहेगी। गांवों की जनता अब सोई हुई नहीं है, और निकट भविष्य में जागने वाली है। इसलिए आप निश्चित रूप से गांवों की तरफ विशेष ध्यान देंगे।

इतना कह कर उपाध्यक्ष जी, एक बात

(श्री जीथिग)

और फिर से दोहराऊंगा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को ध्यान में रखें । 30 साल से जो उपेक्षित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, और वहां पर कालेज खोलने की घोषणा की जानी चाहिये ।

जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

अब माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देंगे ।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 5 मिनट मुझे दे दें । स्लिप में मैंने नाम दिया था । माननीय शिक्षा मंत्रीजी 5 मिनट कम बोल लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां ।

श्री अयूब खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो कि जिसके द्वारा राजस्थान का विकास हो, वह प्रगतिशील हो । मैं टीचर्स ट्रेनिंग के विषय की बात कहूंगा । जो टीचर्स ट्रेनिंग कर लेते है चाहे एस. टी. सी. की हो या बी. एड. की हो, ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है क्योंकि बी. ए., बी. एड. या ट्रेण्ड अध्यापक को तीसरा ग्रेड मिलता है जो कि मैट्रिकुलेट और एम. टी. सी. के बराबर है । माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस कमी को दूर करें ।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आपने नये स्कूल खोलने के लिए नई नीति बनाई है कि आबादी के अनुसार स्कूल खोलेंगे । आपने आबादी की तादाद ज्यादा रखी है वह कम रखी जाय, क्योंकि दो हजार या तीन हजार की आबादी वाले गांव नहीं होते हैं, शहर या कस्बे होते हैं । इसमें ढाणियों का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि जैसलमेर जैसे इलाके में भी शिक्षा के लिए स्कूल खोले जा सकें ।

मैं एक बात वेतनमानों के विषय में कहूंगा । वेतनमान शिक्षक की योग्यता के आधार पर हो । अध्यापक चाहे मिडिल स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे वह टैक्निकल स्कूल का हो, चाहे वह कालेज का हो, उनके वेतनमान उनकी शिक्षा पर आधारित होने चाहिए ।

एक बात मैं ग्रामीण आंचल के लिए भी कहूंगा । ग्रामीण क्षेत्रों को समान सुविधाएं प्रदान की जायं जिससे ग्राम और नगरीय क्षेत्र या देहात और शहरों में अन्तर न रहे । अध्यापक के लिए वह सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में दी जायं जो कि एक शहर के अध्यापक के लिए दी जाती हैं। जैसे शहर के अध्यापक को मकान किराया मिलता है लेकिन देहात में नहीं मिलता है । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उनको मकान देती है ? शहरों में बिल्डिंग का मिलना मुश्किल है, परन्तु अध्यापकगण कस्बों में या शहरों से गांवों में जाते हैं तो गांवों में कोई भी नहीं ठहरता है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शहरों में तो मकान मिल जाते है परन्तु गांवों में नहीं मिलते हैं ।

श्री अयूब खां : जो अध्यापक शहर

(श्री अयूब खां)
में रहता है वह साइकल से गांव जाता है या बस से जाता है। इससे उसको दिक्कत होती है। बस का किराया लगता है इसलिए अध्यापकों को मकान का किराया दिया जाय या उनके लिए मकान बना दिये जायं। चिकित्सा सुविधा भी उनको दी जाय। चिकित्सा के लिए उनको कम्पेन्सेशन तनख्वाह के आधार पर दिया जाय। शहरों में जो अध्यापक हैं वह दोहरा लाभ उठाते हैं। एक लाभ तो यह है कि वह अपने बच्चों की चिकित्सा की सुविधा पूरी प्राप्त करते हैं किन्तु जो अध्यापक देहात में रहता है उसको यह सुविधा बिलकुल उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए तनख्वाह के आधार पर कम्पेन्सेशन दिया जाय।

एक बात मैं निजी स्कूलों के बारे में कहूंगा। जो सुविधाएं आज सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दी जाती हैं वही सुविधाएं निजी स्कूलों के अध्यापकों को दी जायं। मैंने ऐसा देखा है कि निजी स्कूलों के अध्यापकों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। इसलिये तनख्वाह या तो उनको चैक द्वारा दी जाय या ऐसा कोई सिस्टम कर दिया जाय कि जिस तरह से अन्य कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है उनको भी उसी तरह से तनख्वाह दी जाय।

अल्प संख्यक भाषा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अल्प संख्यक भाषा के जो अध्यापक हैं उनको 31 दिसम्बर तक का पेमेन्ट होता है ताकि उनको छुट्टियों की तनख्वाह नहीं दी जा सके। मेरा ऐसा निवेदन है कि अल्प संख्यक भाषा सिन्धी और पंजाबी का विशेष विकास अगर आप चाहते हैं तो इनके अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग की कन्डीशन माफ कर दी जाय और इनकी सीधी भर्ती की जाय।

मैं धार्मिक स्कूलों के बारे में कहूंगा कि शिक्षा का विकास धार्मिक संस्थाओं से हुआ है। प्राचीन काल में शिक्षा शुरू हुई, वह धार्मिक संस्थाओं से शुरू हुई इसलिए धार्मिक संस्थाओं को भी शिक्षा के लिए मान्य कर दिया जाय, चाहे वह आश्रम हों, गुरुकुल हों या मकतब हों। उनको मान्यता अवश्य दी जानी चाहिए उन स्कूलों या संस्थाओं द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण होता है।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा खेल के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि खेल को भी प्रोत्साहन दिया जाय। पहले जमाने में मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स तक स्टेट लेवल पर टूर्नामेन्ट्स होते थे। इससे बच्चों में बड़ा जोश रहता था, साथ में खेलों के प्रति भी लोगों का उत्साह रहता था, लेकिन पता नहीं अब किन कारणों से उनको बन्द कर दिया गया है। उन्हें वापस शुरू किया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान अकादमी में मेवाती भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। रामायण और महाभारत जैसे काव्यों को इसमें लिये जाने की जरूरत है। अगर आप इसमें मेवाती को लागू कर देंगे तो काफी फायदा होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप तिजारा में कृषि कालेज खोलने की व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार ने तिजारा में कृषि कालेज खोलने के लिये आश्वासन दिया था और उसकी घोषणा भी कर दी थी। लेकिन

(श्री अयूब खां)

अब पता नहीं, वह घोषणा कहां चली गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में गौर फर्मा कर तिजारा में कृषि कालेज खोलने के आदेश प्रसारित करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में पुनः मोड़ दिया जावे। अगर उसमें आपने मेरे सुझावों को क्रियान्वित किया तो मैं समझता हूं हमारे राजस्थान में काफी उससे लाभ पहुंचेगा। इसलिये नये राजस्थान का निर्माण किया जाये।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

शिक्षा मन्त्री, श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दोपहर से ही सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सदन में शिक्षा के संबंध में अपने-अपने विचार रखे। माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी विशेष रुचि दिखायी और बहुत से अमूल्य सुझाव भी उन्होंने शिक्षा के बारे में राज्य सरकार को दिये। इन सभी बातों के लिये मैं माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो-जो भी विन्दु माननीय सदस्यों ने यहां पर रखे, उन्हें मैंने देखा है, मैं भी प्रत्येक माननीय सदस्य को हर बिन्दु पर जवाब देता, लेकिन समय कम है। फिर भी मैं आप लोगों को जो भी सूचना आपने मांगी है वह सूचना अपने जवाब में दूंगा। यह सदन, मुझे ऐसा लगता है, समयाभाव के कारण मुझे सभी के जवाब देने की अनुमति नहीं देगा, इसलिये जो-जो जरूरी हैं, उनके जवाब माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये और अपने विचार रखे, उनका जवाब देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कुछ माननीय सदस्यों के वक्तव्य को छोड़ दिया जाय, तो सभी ने राजनीति से ऊपर उठ कर शिक्षा के विकास के लिये हम सभी मिलकर आगे बढ़ें, इस भावना से विचार व्यक्त किये हैं। मैं इसे बहुत ही अच्छी बात मानता हूं।

चर्चा के दौरान, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जो भी शिक्षा में कमियां हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में बड़ा ही कष्टपूर्ण चित्रण हमारे सामने किया गया। उससे आज जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उस पर दृष्टिपात होता है। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि उन त्रुटियों को माननीय सदस्यों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो भी वर्तमान शिक्षा पद्धति की हालत हुई है वह एक दिन या एक महीना या एक वर्ष की शिक्षा पद्धति का परिणाम नहीं है। यह समस्या तो बहुत पुरानी अंग्रेजों की देन है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ कर आजादी हासिल की, तब भी यह समस्या यों की यों चलती रही। देश आजाद हो गया था, उसके बाद हमारी आजाद सरकार ने लोगों से हमारी शिक्षा प्रणाली क्या हो, इसके बारे में काफी सोच-विचार किया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पुरानी कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी यहां करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली के बारे में अपना रोष व्यक्त किया और उसे दोषपूर्ण माना। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शिक्षा प्रणाली हमारी कैसी हो, यह आज हमारे सभी के सामने एक चुनौती है। सारे सदन के सामने चुनौती है। मैं स्पष्ट रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सवाल में कोई भी राजनीति नहीं घुसनी चाहिये। शिक्षा के प्रश्न पर न कोई कांग्रेस पार्टी है, न कोई जनता पार्टी है, न कोई कम्युनिस्ट पार्टी है और न कोई स्वतन्त्र पार्टी है। मैं सदन के सभी सदस्यों का आह्वान करता हूं कि हम सभी मिलकर शिक्षा की समस्याओं को सुलझायें। यह हम सभी की समस्या है और इस समस्या पर हम सभी को चिन्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस शिक्षा में बदलाव के लिये, इसे एक चुनौती मानते हुए सदन के सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करूंगा, आओ! आज हम सभी मिल कर हमारी शिक्षा की जो समस्यायें हैं उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करें, और आज तक शिक्षा की जिस समस्या का हल नहीं हो सका है उसको हल करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं व इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में न तो राजनीति पहले पहुंच पायी थी, न अभी वहां पर कोई राजनीति है।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने ट्रान्सफर्स के मामले को लेकर यह कहा कि जो भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वह सभी राजनैतिक आधार पर किये गये हैं। यह भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हमारे प्रदेश में शालायें खोली गयीं, वह राजनीति के आधार पर खोली गयीं। यह भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो शालाएं क्रमोन्नत की गयीं वह राजनीति के आधार पर की गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात जिन किन्हीं माननीय सदस्यों ने कही, वह सभी एक बात में भ्रम में हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोई भी राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं किया गया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम पीछे की बात पर नहीं जाना चाहते हैं। आप तो अब आगे भविष्य में नहीं होगा, उसके सम्बन्ध में कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो भी, उपाध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण हुए हैं यदि आप उन आंकड़ों को देखें तो आपको पता लगेगा कि जितने पिछली कांग्रेस सरकार ने तबादले किये थे उसके अनुपात में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ट्रान्सफर्स बहुत कम हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने 15922 ट्रान्सफर्स किये थे जब कि इस साल में सिर्फ 8790 ट्रान्सफर्स हुए हैं। यह भी आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें से आधे से अधिक ट्रान्सफर, जिनकी संख्या पांच हजार से अधिक है, म्यूचुअल कराये हैं या खुद ने अपनी मर्जी से एप्लीकेशन देकर कराये हैं। तो यहां पर यह कहना गलत है कि टीचर्स के जो ट्रान्सफर्स हुए हैं वह राजनीति से प्रेरित होकर किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल राजनीति का है तो यह सदन राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यहां पर अपने-अपने विचार व्यक्त करने का सभी को अधिकार है और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार मर्यादा में व्यक्त करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को यह बहुत ही विनम्रता-पूर्वक कहना चाहूंगा कि भगवान के लिये

(श्री सभापति)

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहती हूं। मैं राज्य सरकार का ध्यान शिक्षा के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हुए हैं, उनमें पढ़ने वाले बालकों के खेलकूद की ओर सरकार ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो स्कूल खुले हुए हैं, उनमें न बैठने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और न सफाई की व्यवस्था है। उन ग्रामीण स्कूलों में ये व्यवस्थाएं की जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान स्कूल भवनों की ओर दिलाना चाहती हूं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं और आज भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में खड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सैकड़ों साल पुराने हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : बहुत पुराने है। कहने का मतलब यह हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय उस दर्दनाक घटना को भूले नहीं होंगे जो कि पिछले दिनों आमेर के एक स्कूल की छत गिरने से घटित हुई थी। तभी मैंने राज्य सरकार का ध्यान वहीं स्थित सरकारी स्कूल की तरफ दिलाया था जो अत्यधिक खण्डित हालत में है। राज्य सरकार ने इन्सपेक्टर को भेज कर उसका इन्सपेक्शन कराया था। उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ चुकी है। मैं जानना चाहूंगी कि सरकार ने उस भवन को अन्य बताये हुए भवन में परिवर्तन करने के बारे में क्या कदम उठाया है या उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की ओर दिलाना चाहती हूं। उनको कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य, जो सवाई माधोपुर से आये हैं, के सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दुबारा दिलाना चाहूंगी, उनका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगी। जयपुर में कत्थक घराने की कला की रक्षा के लिए एक कत्थक केन्द्र की स्थापना की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान रवीन्द्र मंच की ओर दिलाना चाहूंगी। उसको कला काम्प्लैक्स के रूप में विकसित किया जाये। उसकी जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा शिक्षा मंत्री महोदय को सुझाव है कि ललित कला अकादमी के विकास के साथ-साथ संगीत कला अकादमी और साहित्य अकादमी को भी जयपुर में स्थापित किया जाये।

मेरा यह भी सुझाव है कि कला और संस्कृति के विकास के लिए एक अलग से

(सुश्री पुष्पा जैन)
मन्त्रालय स्थापित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं को खेलकूद में बराबर का प्रतिनिधित्व देने के बारे में निवेदन करूंगी। जब कि खेलकूद में कालेजों में लड़कों और लड़कियों से बराबर की खेलकूद फीस ली जाती है तो बराबर की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है ?

मैं राज्य सरकार का ध्यान पोलीटैक्निक कालेजों की ओर दिलाना चाहूंगी। तीन माह से चल रहे आन्दोलन को समाप्त करवा कर उनकी वाजिब मांग को पूरा किया जाय तथा अधिक से अधिक पोलीटैक्निक कालेज खोले जायें। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मोहम्मद जहूर।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरलाल सिंह खर्रा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कालू भाई मीणा।

श्री कालूभाई मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कटौती प्रस्ताव है कि हमारे क्षेत्र प्रतापगढ़ में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां दो हजार, तीन हजार की आबादी वाला गांव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री कालूभाई मीणा : मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करता हूं। हमारे क्षेत्र में आदिवासियों के गांवों की बस्ती बिखरी हुई है। एक दो मील पर आदिवासियों के मकान हैं। इसलिए वहां पर स्कूल खोले जावें। एक-एक मील की दूरी पर प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल खोले जावें। दो ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक सैकण्डरी स्कूल खोला जावे। वर्तमान में ग्राम चुपणा में सैकण्डरी स्कूल खोला जाये। वहां स्कूल भवन बना हुआ तैयार है। ग्राम खेरोट में भी सैकण्डरी स्कूल खोला जावे। वहां भी स्कूल भवन तैयार है। ग्राम बरवरड़ा आदिवासी क्षेत्र है। ग्राम राजपुरिया, हथनी कुडा, लुहारिया, जोलार, पालरणा, गामदा, दतीयार, डीडोड़ाखेड़ा मणेज, बीलड़ी, टीमरणा, मनोहरगढ़ सणेटी, इन ग्रामों के अन्दर प्राथमिक स्कूल खोले जावें। पिलू, रामपुरिया और कल्याणपुरा में मिडिल स्कूल खोले जावें। आठ-आठ गांव पंचायतों के हैं इसलिए दो-दो, तीन-तीन मील के बीच में स्कूल खोले जायें ताकि आदिवासियों के बच्चे पढ़ सकें। यह पहले भी पिछड़े हुए रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में भी कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। कुछ भी हो जाये, स्कूल खोले जावें। शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव शिक्षा संबंधी है। हमारे प्रदेश में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा मनुष्य की रीढ़ के समान है। शिक्षा प्रगति की जोत जगाती है। इसलिए शिक्षा ग्रामीण जनता के लिए तो और भी

(श्री नाथूलाल)

अत्यावश्यक हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है, जो हमारी सबसे नीचे की सीढ़ी है, उसमें हमारी जनता सरकार ने काफी वृद्धि की है। इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री व हमारी जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान जिला बांसवाड़ा, क्षेत्र घाटोल की ओर आकर्षित करता हूं। हमारे बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूलों की कमी की वजह से आदिवासी बच्चे मिडिल पास कर आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक ऐसा एरिया है जहां पर लगभग 15-16 हजार की आबादी होगी लेकिन पिछली सरकार ने जिसके सदस्य उस समय हां पक्ष में थे आज ना पक्ष में हैं, सरासर उस एरिया के साथ पक्षपात किया। आज तक उस क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, धन्टाली में सैकण्डरी स्कूल खोला जाए।

घाटोल में कन्या सैकण्डरी स्कूल खोला जाए, ताकि पिछड़ी जाति की छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध हो सके। वहां पर स्कूल खोलने से वहां के बालक व बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी।

उपाध्यक्षजी, बांसवाड़ा जिले में लगभग 5.20 लाख की आबादी है, वहां कालेज बांसवाड़ा मुख्यालय पर है। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान घाटोल की तरफ दिलाना चाहता हूं। घाटोल में भी एक कृषि कालेज खोला जाए ताकि आदिवासियों के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकें।

ग्रामों की तरफ हमारी सरकार का पूरा-पूरा ध्यान है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को हमारी सरकार आगे लाने की इच्छुक है। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और आदिवासी गरीबों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक शालायें खुलवाने का प्रयास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ समय का अभाव देखते हुए मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार नहीं होने के संबंध में दिया है। एक तरफ हम ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई आबादी में शिक्षा का विस्तार अधिक से अधिक करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री का एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने असमर्थता प्रगट की है। यह बिखरी हुई आबादी के लिए बड़ा ही घातक है, यह उनके अनुकूल नहीं है। उस इलाके में 100-150 की आबादी वाले गांव भी हैं। मीलों तक गांव बसे हुए हैं, उन गांवों को हम शिक्षा से वंचित करके फिर कहें कि ग्रामों की तरफ विशेष ध्यान देंगे, तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो क्राइटेरिया कायम किया गया है, हमारी स्थिति उससे अलग है। शिक्षा का विस्तार अधिक से अधिक कराने के लिए आप प्रयत्नशील रहें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त हो सके।

(श्री जोंयिग)

मैं समय का ध्यान रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं। आज जो माननीय सदस्य इस सदन में बिराजमान हैं, उधर से और इधर से सभी यही कह रहे हैं कि हमारा 30 वर्ष तक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। हर माननीय सदस्य यही कहता है कि हमारा क्षेत्र 30 वर्ष से उपेक्षित रहा है। शिक्षा, सिंचाई व दूसरे कामों में विकास नहीं हुआ है। राजस्थान विधान सभा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 30 वर्ष तक कौनसा क्षेत्र उपेक्षित रहा है। वह भी आपको देखना होगा। 1952 से चुनाव पद्धति लागू हुई। बांसवाड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां दो क्षेत्रों में सोशलिस्ट पार्टी और दो में कांग्रेस लगातार 1977 तक जीतती आई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। आज तक हर प्रकार के विकास में उस क्षेत्र के साथ उपेक्षा की गई है और आज भी सरकार उसको उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, इसका मुझे दुःख है।

मैं शिक्षा मंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र के बारे में एक मांग प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने पिछले समय में भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री से यह मांग की थी कि कुशलगढ़ ऐसा गांव है जो बांसवाड़ा जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और गुजरात की सीमा में लगा हुआ क्षेत्र है। जो क्षेत्र गुजरात या मध्य प्रदेश से मिलता है। उस क्षेत्र में एक हायर सैकण्डरी स्कूल है। आज वहां पर अकाल की स्थिति बनी हुई है। भयंकर अकाल है। लोगों ने पेट पर पट्टी बान्धकर अपनी औलाद को पढ़ाने की इच्छा प्रकट है। एक-एक रुपया चन्दा देकर वहां पर भवन-निर्माण का कार्य चल रहा है, और पूरा होने आया है, लेकिन हमारी सरकार आज भी उस क्षेत्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की उपेक्षा अब आदिवासियों के साथ आप लोग न करें तो अच्छा होगा, वरना जो आने वाली नई औलाद है वह न जनता पार्टी को बख्शेगी और न आपको और हमको बख्शेगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उस इलाके में निश्चित तौर से इसी साल कालेज खोलने की व्यवस्था करें तो बहुत ही कृपा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और आपसे निवेदन करूंगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं तो कहीं-कहीं तो स्कूल भवन भी नहीं हैं और पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि अपने आप स्कूल भवन बना सकें। इसलिये जो शिक्षा कर लिया जा रहा है उस शिक्षा कर का पैसा स्कूलों को दिया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि शिक्षा कर आज भी हम पंचायत समिति को दे रहे हैं। वह शिक्षा कर कम से कम स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों पर खर्च किया जाय और भवनों का निर्माण किया जाय तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा और हम शिक्षा का विस्तार उपयुक्त रीति से कर सकेंगे, वरना हम जो यह कह रहे हैं कि हम ज्यादातर गांवों की तरफ अग्रसर होंगे, यह सारी घोषणा बिल्कुल खोखली रहेगी। गांवों की जनता अब सोई हुई नहीं है, और निकट भविष्य में जागने वाली है। इसलिए आप निश्चित रूप से गांवों की तरफ विशेष ध्यान देंगे।

इतना कह कर उपाध्यक्ष जी, एक बात

(श्री जोगिन्द्र)

और फिर से दोहराऊंगा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को ध्यान में रखें । 30 साल से जो उपेक्षित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, और वहां पर कालेज खोलने की घोषणा की जानी चाहिये ।

जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

अब माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देंगे ।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 5 मिनट मुझे दे दें । स्लिप में मैंने नाम दिया था । माननीय शिक्षा मंत्रीजी 5 मिनट कम बोल लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां ।

श्री अयूब खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो कि जिसके द्वारा राजस्थान का विकास हो, वह प्रगतिशील हो । मैं टीचर्स ट्रेनिंग के विषय की बात कहूंगा । जो टीचर्स ट्रेनिंग कर लेते हैं चाहे एस. टी. सी. की हो या बी. एड. की हो; ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है क्योंकि बी. ए. बी एड. या ट्रेण्ड अध्यापक को तीसरा ग्रेड मिलता है जो कि मैट्रिकुलेट और एस. टी. सी. के बराबर है । माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस कमी को दूर करें ।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आपने नये स्कूल खोलने के लिए नई नीति बनाई है कि आबादी के अनुसार स्कूल खोलेंगे । आपने आबादी की तादाद ज्यादा रखी है वह कम रखी जाय, क्योंकि दो हजार या तीन हजार की आबादी वाले गांव नहीं होते हैं, शहर या कस्बे होते हैं । इसमें ढाणियों का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि जैसलमेर जैसे इलाके में भी शिक्षा के लिए स्कूल खोले जा सकें ।

मैं एक बात वेतनमानों के विषय में कहूंगा । वेतनमान शिक्षक की योग्यता के आधार पर हो । अध्यापक चाहे मिडिल स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे वह टैक्निकल स्कूल का हो, चाहे वह कालेज का हो, उनके वेतनमान उनकी शिक्षा पर आधारित होने चाहिए ।

एक बात मैं ग्रामीण आंचल के लिए भी कहूंगा । ग्रामीण क्षेत्रों को समान सुविधाएं प्रदान की जायें, जिससे ग्राम और नगरीय क्षेत्र या देहात और शहरों में अन्तर न रहे । अध्यापक के लिए वह सारी सुविधाएं ग्रामीण के क्षेत्र में दी जायें, जो कि एक शहर के अध्यापक के लिए दी जाती हैं। जैसे शहर के अध्यापक को मकान किराया मिलता है लेकिन देहात में नहीं मिलती हैं । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उनको मकान देती है ? शहरों में बिल्डिंग का मिलना मुश्किल है, परन्तु अध्यापकगण कस्बों में या शहरों से गांवों में जाते हैं तो गांवों में कोई भी नहीं ठहरता है....

श्री श्योदत्तसिंह मकासर : शहरों में तो मकान मिल जाते हैं परन्तु गांवों में नहीं मिलते हैं ।

श्री अयूब खां : जो अध्यापक शहर

(श्री अयूब खां)

में रहता है वह साइकल से गांव जाता है या बस से जाता है। इससे उसको दिक्कत होती है। बस का किराया लगता है इसलिए अध्यापकों को मकान का किराया दिया जाय या उनके लिए मकान बना दिये जायं। चिकित्सा सुविधा भी उनको दी जाय। चिकित्सा के लिए उनको कम्पेन्सेशन तनख्वाह के आधार पर दिया जाय। शहरों में जो अध्यापक हैं वह दोहरा लाभ उठाते हैं। एक लाभ तो यह है कि वह अपने बच्चों की चिकित्सा की सुविधा पूरी प्राप्त करते हैं किन्तु जो अध्यापक देहात में रहता है उसको यह सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए तनख्वाह के आधार पर कम्पेन्सेशन दिया जाय।

एक बात मैं निजी स्कूलों के बारे में कहूंगा। जो सुविधाएं आज सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दी जाती हैं वही सुविधाएं निजी स्कूलों के अध्यापकों को दी जायं। मैंने ऐसा देखा है कि निजी स्कूलों के अध्यापकों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। इसलिये तनख्वाह या तो उनको चैक द्वारा दी जाय या ऐसा कोई सिस्टम कर दिया जाय कि जिस तरह से अन्य कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है उनको भी उसी तरह से तनख्वाह दी जाय।

अल्प संख्यक भाषा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अल्प संख्यक भाषा के जो अध्यापक हैं उनको 31 दिसम्बर तक का पेमेन्ट होता है ताकि उनको छुट्टियों की तनख्वाह नहीं दी जा सके। मेरा ऐसा निवेदन है कि अल्प संख्यक भाषा सिन्धी और पंजाबी का विशेष विकास अगर आप चाहते हैं तो इनके अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग की कन्डीशन माफ कर दी जाय और इनकी सीधी भर्ती की जाय।

मैं धार्मिक स्कूलों के बारे में कहूंगा कि शिक्षा का विकास धार्मिक संस्थाओं से हुआ है। प्राचीन काल में शिक्षा शुरू हुई, वह धार्मिक संस्थाओं से शुरू हुई इसलिए धार्मिक संस्थाओं को भी शिक्षा के लिए मान्य कर दिया जाय, चाहे वह आश्रम हों, गुरुकुल हों या मकतब हों। उनको मान्यता अवश्य दी जानी चाहिए उन स्कूलों या संस्थाओं द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण होता है।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा खेल के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि खेल को भी प्रोत्साहन दिया जाय। पहले जमाने में मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स तक स्टेट लेवल पर टूर्नामेन्ट्स होते थे। इससे बच्चों में बड़ा जोश रहता था, साथ में खेलों के प्रति भी लोगों का उत्साह रहता था, लेकिन पता नहीं अब किन कारणों से उनको बन्द कर दिया गया है। उन्हें वापस शुरू किया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान अकादमी में मेवाती भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। रामायण और महाभारत जैसे काव्यों को इसमें लिये जाने की जरूरत है। अगर आप इसमें मेवाती को लागू कर देंगे तो काफी फायदा होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप तिजारा में कृषि कालेज खोलने की व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार ने तिजारा में कृषि कालेज खोलने के लिये आश्वासन दिया था और उसकी घोषणा भी कर दी थी। लेकिन

(श्री अयूब खां)

अब पता नहीं, वह घोषणा कहां चली गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में गौर फर्मा कर तिजारा में कृषि कालेज खोलने के आदेश प्रसारित करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में पुनः मोड़ दिया जावे। अगर उस में आपने मेरे सुझावों को क्रियान्वित किया तो मैं समझता हूं हमारे राजस्थान में काफी उससे लाभ पहुंचेगा। इसलिये नये राजस्थान का निर्माण किया जाये।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

शिक्षा मन्त्री, श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दोपहर से ही सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सदन में शिक्षा के संबंध में अपने-अपने विचार रखे। माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी विशेष रुचि दिखायी और बहुत से अमूल्य सुझाव भी उन्होंने शिक्षा के बारे में राज्य सरकार को दिये। इन सभी बातों के लिये मैं माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो-जो भी बिन्दु माननीय सदस्यों ने यहां पर रखे, उन्हें मैंने देखा है,। मैं भी प्रत्येक माननीय सदस्य को हर बिन्दु पर जवाब देता, लेकिन समय कम है। फिर भी मैं आप लोगों को जो भी सूचना आपने मांगी है वह सूचना अपने जवाब में दूंगा। यह सदन, मुझे ऐसा लगता है, समयाभाव के कारण मुझे सभी के जवाब देने की अनुमति नहीं देगा, इसलिये जो-जो जरूरी हैं, उनके जवाब माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये और अपने विचार रखे, उनका जवाब देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कुछ माननीय सदस्यों के वक्तव्य को छोड़ दिया जाय, तो सभी ने राजनीति से ऊपर उठ कर शिक्षा के विकास के लिये हम सभी मिलकर आगे बढ़ें, इस भावना से विचार व्यक्त किये हैं। मैं इसे बहुत ही अच्छी बात मानता हूं।

चर्चा के दौरान, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जो-भी शिक्षा में कमियां हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में बड़ा ही कष्टपूर्ण चित्रण हमारे सामने किया गया। उससे आज जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उस पर दृष्टिपात होता है। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि उन त्रुटियों को माननीय सदस्यों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो भी वर्तमान शिक्षा पद्धति की हालत हुई है वह एक दिन या एक महीना या एक वर्ष की शिक्षा पद्धति का परिणाम नहीं है। यह समस्या तो बहुत पुरानी अंग्रेजों की देन है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ कर आजादी हासिल की, तब भी यह समस्या यों की यों चलती रही। देश आजाद हो गया था, उसके बाद हमारी आजाद सरकार ने लोगों से हमारी शिक्षा प्रणाली क्या हो, इसके बारे में काफी सोच-विचार किया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पुरानी कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी यहां करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली के बारे में अपना रोष व्यक्त किया और उसे दोषपूर्ण माना। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवरलाल शर्मा)
शिक्षा प्रणाली हमारी कैसी हो, यह आज हमारे सभी के सामने एक चुनौती है। सारे सदन के सामने चुनौती है। मैं स्पष्ट रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सवाल में कोई भी राजनीति नहीं घुसनी चाहिये। शिक्षा के प्रश्न पर न कोई कांग्रेस पार्टी है, न कोई जनता पार्टी है, न कोई कम्युनिस्ट पार्टी है और न कोई स्वतन्त्र पार्टी है। मैं सदन के सभी सदस्यों का आह्वान करता हूं कि हम सभी मिलकर शिक्षा की समस्याओं को सुलझायें। यह हम सभी की समस्या है और इस समस्या पर हम सभी को चिन्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस शिक्षा में बदलाव के लिये, इसे एक चुनौती मानते हुए सदन के सभी माननीय सदस्यों का आह्‌वान करूंगा, आओ! आज हम सभी मिल कर हमारी शिक्षा की जो समस्यायें हैं उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करें, और आज तक शिक्षा की जिस समस्या का हल नहीं हो सका है उसको हल करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं व इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में न तो राजनीति पहले पहुंच पायी थी, न अभी वहां पर कोई राजनीति है।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने ट्रान्सफर्स के मामले को लेकर यह कहा कि जो भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वह सभी राजनैतिक आधार पर किये गये हैं। यह भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हमारे प्रदेश में शालायें खोली गयीं, वह राजनीति के आधार पर खोली गयीं। यह भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो शालाएं क्रमोन्नत की गयीं वह राजनीति के आधार पर की गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात जिन किन्हीं माननीय सदस्यों ने कही, वह सभी एक बात में भ्रम में हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोई भी राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं किया गया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम पीछे की बात पर नहीं जाना चाहते हैं। आप तो अब आगे भविष्य में नहीं होगा, उसके सम्बन्ध में कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो भी, उपाध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण हुए हैं यदि आप उन आंकड़ों को देखें तो आपको पता लगेगा कि जितने पिछली कांग्रेस सरकार ने तबादले किये थे उसके अनुपात में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ट्रान्सफर्स बहुत कम हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने 15922 ट्रान्सफर्स किये थे जब कि इस साल में सिर्फ 8790 ट्रान्सफर्स हुए हैं। यह भी आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें से आधे से अधिक ट्रान्सफर, जिनकी संख्या पांच हजार से अधिक है, म्यूचुअल कराये हैं या खुद ने अपनी मर्जी से एप्लीकेशन देकर कराये हैं। तो यहां पर यह कहना गलत है कि टीचर्स के जो ट्रान्सफर्स हुए हैं वह राजनीति से प्रेरित होकर किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल राजनीति का है तो यह सदन राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यहां पर अपने-अपने विचार व्यक्त करने का सभी को अधिकार है और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार मर्यादा में व्यक्त करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को यह बहुत ही विनम्रता-पूर्वक कहना चाहूंगा कि भगवान के लिये

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शिक्षा को इस राजनीति में नहीं घसीटें। यह एक हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। इसे सामाजिक वातावरण में ही रखा जाना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि न तो कभी शिक्षा में राजनीति लाने की कोशिश की गयी थी और न ही भविष्य में शिक्षा में राजनीति को घुसने दिया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उन सभी को पूरा करने में कठिनाइयां जरूर आ सकती हैं लेकिन वे किस प्रकार से दूर की जायं, यह देखने की बात है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि शिक्षा प्रणाली हमारी दोषपूर्ण है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 47 से लेकर, जबकि हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर सन् 78 तक अगर किसी भी अध्यापक, किसी भी बड़े नेता, किसी भी शिक्षा शास्त्री या किसी भी व्यक्ति से इस समस्या के हल के बारे में पूछा गया तो सभी यही कहते हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन यह आमूलचूल परिवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा किसी भी व्यक्ति ने नहीं दी। किसी ने भी ठीक ढंग से, सही ढंग से इस आमूलचूल परिवर्तन के बारे में नहीं कहा। आप सभी ने आज जो विचार रखे हैं, अपने सुझाव रखे हैं, उनके लिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा में सुधार क्या हो इस विषय को हमारे देश के जो बड़े बड़े शिक्षाविद् हैं, जो देश में शिक्षा के प्रति चिन्तनशील हैं, जिन्होंने शिक्षा की साधना की है उन्हीं के जिम्मे हमें यह बात छोड़नी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो शिक्षा चली हुई है उससे लाभ नहीं होगा। अभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हम ऐसी नीति अपना लें कि आगे दस वर्ष के बाद हमें पता लगे कि कोई दूसरी भूल की है तो ठीक नहीं होगा। अतः यह विचारणीय विषय है।

शिक्षा किस प्रकार की हो, किस तरह की दी जावे? यह तो समझ में आता है कि शिक्षा ऐसी हो जो ग्रामोन्मुखी हो। लेकिन वह क्या हो? हमारा मन्तव्य कैसे पूरा कर सकती हैं, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना होगा। वह हो रहा है उसके लिये हमें कुछ इन्तजार करना होगा।

हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति को, जो देश का नागरिक है, हम साक्षर कर दें। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिये। कई गुत्थियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं। धन का अभाव है। आप कहते हैं अनिवार्य शिक्षा कीजिये। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि स्कूल खोल दीजिये। वे मांग कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम नहीं खोल सकते। हम स्कूल नहीं खोलते हैं तो वे नाराजगी प्रकट करते हैं। लेकिन हम स्कूल सभी जगह नहीं खोल सकते। कम से कम हमारे प्रदेश की यह स्थिति नहीं है कि अनिवार्य शिक्षा को लागू कर सकें। हमारे पास जो सीमित शक्ति है, उसका कितना लाभ उठा सकते हैं उसकी योजना हमारे पास है।

हमें शिक्षा के लिये प्रचार करना होगा। शिक्षा के लिये गांव गांव जाना होगा व घर घर जाना होगा और बच्चे बच्चे के पास जाना होगा। हम जब तक यह नहीं करेंगे, हम शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकेंगे। हमें बच्चों को पढ़ाना होगा, उन प्रौढ़ों को पढ़ाना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होगा जिनको हम अशिक्षित कहते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं और पढ़ते भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। वे स्कूल नहीं जा सकते, यह उनकी विवशता है। उनको घर का धन्धा करना पड़ता है। पहले रोटी का सवाल उनके सामने है रोटी के लिये उनको शिक्षा छोड़नी पड़ती है। ऐसे बच्चों के लिये कोई योजना हो कि उनको स्कूल में बुलाया जाय। कोई आवश्यकता नहीं उन्हें स्कूल में बुलाने की। उनके लिये ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाय कि जब सब कामों से निवृत्त हों, स्वतन्त्र हों तो उनको शिक्षा दी जाय। जैसे जैसे उनकी स्थिति ठीक हो स्कूल में प्रवेश दिलाया जाय।

इसी प्रकार जो बड़ी आयु के लोग हैं, 14 से ऊपर की आयु के लोग हैं, आज यह नहीं हो सकता कि उनको पहली कक्षा में बैठाया जाय। वह यह पसन्द नहीं करेंगे। 5 साल की आयु का बच्चा पहली कक्षा में जाता है। 15, 17, 18 साल का युवक कक्षा में बैठना पसन्द नहीं करेगा। उसको स्कूल के बाहर ही पढ़ाना होगा, तब वह आगे जाकर स्कूल जा सकेगा। इस प्रकार कोई व्यवस्था करनी होगी।

जो काम शिक्षा का हाथ में लिया गया है वह बहुत व्यापक है। केवल सरकार अपने बलबूते पर सारा काम कर देगी, यह मेरी मान्यता नहीं है। इस कार्य में भी आप सबका सहयोग वान्छनीय है, प्रार्थनीय है। आइये, हम शिक्षा को गांव-गांव, घर-घर तक ले जायं और इस योजना में सहयोग करें। हम चाहते हैं कि कुछ समय के बाद जो हमारा संकल्प है जिस योजना को लेकर हम चले हैं उसको पूरा करें।

आज आपने पूरा दिन देकर अपने अमूल्य सुझाव दिये। क्या आप यह समझते हैं कि रात के 12 बजे तक बैठ कर आपने अमूल्य सुझाव दिये और अब आपका काम पूरा हो गया? यदि आप ऐसा करेंगे तो इस यज्ञ में जो आहूति दी है वह अधूरी रहेगी। इसका कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। इसको प्रारम्भ किया है तो जब तक इसमें सफलता नहीं मिलती है तब तक सबको इसमें खपना होगा। क्या वजह है कि जहां हमारे स्कूल लगते हैं, वहां हम नहीं जा सकते? क्या हम सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जहां हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वहां जाते हैं? क्या वहां जाकर देखते हैं कि वे पढ़ते हैं या नहीं? उनको कोई कठिनाई तो नहीं है? क्या उन कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं? अच्छे जागरूक नागरिक के नाते, कर्त्तव्य शील व्यक्ति के नाते यह करना चाहिये। यदि यह किया तो जितनी कठिनाइयां बतायीं निश्चित रूप से उनमें कमी आवेगी और बहुत सुधार होगा।

अब एक प्रश्न है जो विद्यालय खोलने से सम्बन्धित है। विद्यालय खोलने के लिये अभी तक जो हम साधन जुटा पाये हैं उसके आधार पर प्राथमिक शालायें जहां 400 की जनसंख्या है वहां खोल सकते हैं। हो सकता है फिर भी कुछ इलाके रह जायं। हमने जैसा कहा, सीमित साधनों के अनुसार स्कूल खोल सकेंगे। सारे स्थानों पर नहीं खोल सकते। प्रथम चरण में 400 की आबादी वाले जो स्थान हैं वहां प्राथमिक स्कूल खोलेंगे। आपके पास एक सूचना मैंने निवेदन की है, आप ऐसे स्थान, जहां 400 की जनसंख्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हो, मुझे बतायें। स्कूल खोलते समय उनका ध्यान रखा जायगा। जो पंक्ति लिखी है उसमें कहा है कि स्थान की व्यवस्था चाहिये। यह बात स्वीकार करेंगे।

श्री अयूब खां : 71 की आबादी पर लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यह मानेंगे कि प्रारम्भिक आवश्यकतानुसार स्कूल खोलने के लिये मकान की समस्या है। मकान का मतलब बड़े भवन से नहीं है। आप भी यह समझ सकते हैं कि गांव में भवन मिलने वाले नहीं हैं। 400 की आबादी होगी वहां इतना बड़ा भवन मिलेगा, यह मेरी कल्पना नहीं है। जहां बच्चे बैठ सकें, पढ़ सकें ऐसा भवन चाहिये। स्कूल चल सके, ऐसा स्थान चाहिये। स्कूल चालू हो, प्रारम्भ हो तो वहां पढ़ने के लिये बच्चे आयें। स्कूल चल सके इतने बच्चे आयें। कई दफा ऐसा होता है कि स्कूल तो खोल दिया जाता है लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। तीसरी बात होगी अध्यापक की। तीन बातें होंगी तब ही स्कूल चलेगा। अध्यापक भेजने का काम सरकार का है। बच्चे वहां आयें, यह आपका काम है। छोटे-मोटे स्थान, जहां बच्चे पढ़ सकें, बैठ सकें, की व्यवस्था करेंगे तो आशा कर सकते हैं कि वहां स्कूल खुल सकेगा।

माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसे स्थान नहीं 400 की आबादी के, जहां स्कूल खोलने की जरूरत पड़े। जितने स्कूल खुलने हैं उनके आंकड़े मेरे पास हैं। उसके अनुसार 400 से अधिक की आबादी वाले स्थान, जहां प्राथमिक शालायें खुल जावेंगी, 885 हैं। 885 स्थानों पर जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोले जा सकेंगे। 2000 से अधिक की जो आबादी है वहां उच्च प्राथमिक शाला खोली जायेंगी। ऐसे स्थान 261 हैं। तीन हजार से ऊपर वाले स्थान 215 हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और चिंता व्यक्त की उनसे मैं सहमत हूं कि कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं, कुछ ऊपर के इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां हमको कोई आबादी नहीं मिले। वह स्थान बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो यह कोई वेद वाक्य नहीं है कि 400 की आबादी नहीं होगी वहां खोलेंगे ही नहीं। वहां भी यदि आवश्यकता होगी और जो अपने अर्थ हैं यदि वह अनुमति देंगे तो खोलने के लिए हम तैयार हैं। यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं। दो हजार की आबादी बहुत से एरिया में नहीं होती और वहां स्कूल की आवश्यकता है तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

एक बड़ी जिम्मेदारी जो माननीय सदस्यों को लेनी होगी वह यह है कि स्कूल खोलते समय, क्योंकि सब स्कूल तो खोल नहीं सकते, सब की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं। तो जहां स्कूल खुल जायेंगे वहां कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, बड़ी समझदारी का काम हुआ और जहां स्कूल नहीं खुलेंगे तो यही कहेंगे कि बस राजनैतिक भेदभाव से नहीं खोले या और कोई आरोप लगायेंगे। आरोप लगायेंगे या नहीं लगायेंगे लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि कौन से स्थानों पर स्कूल की आवश्यकता है यह मैं नहीं बता सकता। यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं यह मानता हूं कि कुछ ही सदस्य ऐसे होंगे जो कि पूरे राजस्थान के बारे में इस तरह से जानते होंगे कि कहां प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है। ऐसे बहुत ही कम विद्वान मिलेंगे जो यह जानकारी संपूर्ण राजस्थान की रखते हों। बाकी नहीं मिलेंगे। इसलिए

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विचार यह है कि हम माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें जो कि पूरे राजस्थान के बारे में विचार कर ले। कहां कहां स्कूल खुलने चाहिएं यह निर्णय उस पर छोड़ दें। सब माननीय सदस्यों से, जन प्रतिनिधियों से या जिनसे उचित समझते हैं उनसे सलाह कर लें। किन स्थानों पर स्कूल खुलने चाहिएं यह उनके ऊपर निर्णय छोड़ दें। तो जो सारे विवाद और भ्रांतियां पैदा होती हैं कि जहां स्कूल नहीं खोलने हैं वहां खुल जाते हैं और जहां खोलने हैं वहां नहीं खुलते हैं, यह भी दूर हो जायेंगी। इसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप इसकी कमेटी बना दें और यह काम अपने हाथ में लें ताकि हम आगे आने वाले सत्र के पहले ही व्यवस्थित रूप से तय कर दें कि स्कूल कहां कहां खुलें। फिर वहां अध्यापकों की नियुक्ति होगी और सत्र के प्रारम्भ से ही हमारे विद्यालय प्रारम्भ हो जायेंगे।

अब इसके लिए आवश्यकता होगी अध्यापकों की। अध्यापकों के लिए जो अभी योजना है वह है अपनी घोषित नीति के अनुसार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। उपर्युक्त नये विद्यालय खुलने से लगभग 7 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इसी के साथ-साथ 900 अंशकालीन कर्मचारी, जो कि स्कूलों में पार्ट टाइम क्लासेज लेते थे, को भी परमानेन्ट किया गया। तो यह 7 हजार से कुछ कम इस प्रकार के अध्यापक हम नियुक्त करेंगे जो इन स्कूलों में जायेंगे।

दूसरे जैसी माननीय सदस्यों ने सूचना दी है वह बिलकुल सही है। हम अध्यापकों का स्थानान्तरण करते हैं। वह गांवों में नहीं जाना चाहते हैं। जो शहरों में रहने वाले हैं वह तो बिलकुल ही नहीं जाना चाहते हैं। अब तक यह व्यवस्था थी कि किसी भी अध्यापक का ट्रान्सफर करते थे तो वह उस स्कूल में नहीं जाता था और यहां पर ही जो स्कूल हैं उन स्कूलों में ही डेपूटेशन पर या किसी तरह से कोई तरीका निकाल कर ठहर जाता था। कारण यह था कि यहां जो बजट है वह पूल बजट है और फिर कुछ शिक्षा अधिकारी हैं उनका बजट है। इस तरह से वह रुक जाता था और उसको तनख्वाह मिलती रहती थी। इसके बारे में तय किया है कि बजट स्कूल वाइज होगा। स्कूल में जितनी स्ट्रेन्थ होगी, यदि 20 अध्यापकों का स्थान है तो 20 के अलावा 21 वें को तनख्वाह नहीं मिल सकेगी। इसलिए यह जो पुराने जमाने से चली आ रही प्रथा थी कि लोग डेपूटेशन के नाम पर रुक जाते थे उनको गांवों में जाना ही होगा। गांवों में जहां अध्यापक नहीं पहुंच रहे हैं मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से वह जायेंगे। अध्यापक गांवों की तरफ जायें क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा गांव गांव में जाये। यह नहीं हो सकता कि आज जयपुर में अध्यापक रहेगा और शिक्षा गांवों में जायेगी। इसके अलावा जब हम किसी का प्रमोशन करेंगे, यदि किसी की पदोन्नति करेंगे तो जरूरी होगा कि वह शहर छोड़कर गांव में जाय। तो यह कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे हम अधिक से अधिक लोगों को गांव में भेज सकेंगे।

इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसे सुझाव आपके पास हों, आज हो तो आज, नहीं तो कल हों तो कल आप मुझे आकर बतायें और कहें कि यह कदम और हो सकते हैं जिनसे हम अध्यापकों को गांवों में जाने के लिए

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रेरित कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हम मिल कर यदि प्रयत्न करेंगे तो हम गांवों में अध्यापकों की कमी की समस्या को पूरा कर सकेंगे।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। राजनीति को एक तरफ छोड़ दीजिए और मुझे समझा दें कि गांवों के अन्दर ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहां प्राथमिक शाला खोलते हैं क्या राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वहां अध्यापकों के लिए मकान बनाकर दे सकते हैं ? आप स्कूल तो बना ही नहीं सकते, एक छोटा सा कमरा तो बना ही नहीं सकते और आप कहते हैं कि मास्टरों के लिए वहां पर मकान बनें। इसकी आवश्यकता को मैं मानता हूं लेकिन क्या हमारे इतने साधन हैं ? यदि हम बना सकते हैं तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप बतायें यह कैसे हो सकता है। स्वागत है इसके लिए। आप ऐसी योजना बता दें कि जो हमारे पास अर्थ है उसके अलावा ऐसी व्यवस्था हम कर दें कि गांवों में मास्टरों के लिए मकान बन जायें तो अच्छा है। मैं पूरा दायित्व आपको देता हूं। आप मुझे समय दे दीजिए कि कितने समय में आप यह व्यवस्था कर देंगे ताकि मैं अध्यापकों को कह दूं कि आपको मकान दो महीने में, चार महीने में या छः महीने में मिल जायेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : अलाउन्स तो दे ही सकते हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात बताऊं। आप लोगों ने बताया, राष्ट्र का जो निर्माता अध्यापक है वह मामूली कलाकार नहीं है। वह साधारण कलाकार भी नहीं है जो चित्र बनाता है, पत्थर से भगवान बनाता है। वह ऐसा कलाकार है जो देश का निर्माण करता है। जिस प्रकार से बालकों का विकास होगा वैसे ही आगे जाकर देश के भावी नागरिक बनेंगे। जो व्यक्ति काम करता है, यदि उसके मन में कुंठा होगी तो मेरी मान्यता है, उससे अच्छे परिणाम की आशा नहीं कर सकते। इसलिये हमारा जो अध्यापक है, आप मुझे माफ करेंगे, वह वास्तव में उपेक्षित है। जितना सम्मान उसको मिलना चाहिये उसके कार्य को देखते हुए, उतना सम्मान भी उसको नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि उनमें असंतोष है तो ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। इसलिये राज्य सरकार उसके मन में कुंठा, असंतोष, जहां तक हो सके, उत्पन्न न होने दे और अगर उसके मन में कुंठा और असंतोष है तो उसे दूर करे। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप ऐसी स्थिति न आने दें जिससे अध्यापक कुंठित हो, उसके मन में असंतोष जगे। हम जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, समाज का नेता होने के नाते किसी भी अध्यापक के मन में जो असंतोष है उसको न बढ़ने दें। शिक्षा जगत में अध्यापक व विद्यार्थी में असंतोष न जगायें। जितना सम्भव हो असंतोष को कम करें। हम मिल जुल कर इस समस्या का निपटारा कर सकते हैं। आपको लगे हम गलती कर रहे हैं तो आप हम से लड़िये, अध्यापक को काम करने दीजिये।

मैं आप लोगों की चिन्ता को समझ रहा हूं। पीछे से कुछ आवाजें आने लगी हैं, भाषण बहुत हो गया।

अब जो बड़े बड़े मुद्दे हैं . . .

एक माननीय सदस्य : सार बता दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सार बता देता हूं। हर प्रश्न का, हर आपत्ति का, जो माननीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)
सदस्यों ने पेश की है या सुझाव दिये हैं, उनका उत्तर देना संभव नहीं है। उसकी आवश्यकता भी नहीं। यह अन्तिम कार्यक्रम नहीं है कि आप अपने घर जायेंगे और मैं अपने घर जाऊंगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : नीति का प्रश्न तो आता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझ से दूर नहीं हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूं।

इसमें प्रमुख जो बात हमने रखी है उस तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु में, अंशकाल में सुधार और शिक्षा की ओर कदम। प्रौढ़ शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम 15 और 40 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिये होगा। इसलिये उप-निदेशक के कार्यालय, उप-जिला अधीक्षक के कार्यालय, पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालय एवं उनमें अध्यापकों की कमी पूरी करके उसके नये पद सृजित किये जायेंगे।

शिक्षा के लिये स्पष्ट घोषणा, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा स्थानान्तरण के बारे में। हमारे कई माननीय सदस्य बड़े चिन्तित रहे हैं। यह चिन्ता सामूहिक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्थानान्तरण करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे तो 10 हजार ट्रांसफर कर सकता हूं। आप खुद देख लीजिये कि यह स्थानान्तरण बहुत आवश्यक है, इसका स्थानान्तरण होना चाहिये तो आंख मींच कर दस्तखत कर दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं तो होता क्या है, कोई आपके पास आयेगा तो आप अपनी अच्छाई के लिये मंत्री के पास चले जायेंगे। यदि आप इन्कार करते हैं तो आपके क्षेत्र का कार्यकर्ता है वह कहेगा, अच्छे निकम्मे आदमी के पास गये। यदि आप इन्कार नहीं करते हैं और मंत्री के पास आते हैं और मंत्री इंकार करता है तो कहेंगे जो मंत्री है वह ठीक नहीं है। वह सारी बुराई आप मुझे दिलाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं। आपकी बुराइयां लेकर चल रहा हूं, मुझे एप्रीशियेट करिये। आप यदि यह निर्णय ले लें जिसका स्थानान्तरण आवश्यक है, बहुत ही ऐसी स्थिति है तो उसमें आपत्ति की बात नहीं है। तो यह हुआ स्थानान्तरण के बारे में। मैं समझता हूं इस में कोई दिक्कत नहीं।

श्री विज्ञान मोदी : सी. पी. आई. सो गई।

श्री नूरा : मैं सुन रहा हूं, सो नहीं रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने स्थान स्थान पर कई शालाओं में कई प्रकार के सुधार के लिये उल्लेख किया है। मेरी यह मान्यता है कि जो सरकार के पास राजकोष है उस राजकोष से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिये विचार किया गया है, कई समस्याओं के समाधान के लिये हम एक शिक्षा कोष की स्थापना करें। उसके लिये यदि आवश्यकता हुई तो हम झोली फैलायेंगे, व्यक्ति व्यक्ति के पास जायेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। यह विचार है कि राजस्थान में इस कोष में एक करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। उसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा, व्यक्तिगत रूप से अपने पास से और जिन साधनों से जुटा सकें जुटायें। इसमें शुभ सूचना यह है कि एक माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव 51 रुपये देकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : एक दिन का भत्ता हम सब दे देंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पर्याप्त है ।

एक माननीय सदस्य : आपका नाम भी अखबारों में छपेगा ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अखबार में नाम छपने का प्रश्न नहीं है, यह भावना का प्रश्न है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस बारे में मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में मैंने व्यवस्था दी थी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोष का निर्माण किया था । इस कोष में भी माननीय मुख्य मंत्री के कोष से 15 लाख रुपया मिल जायेगा ।

दूसरी चिन्ता जो सबने व्यक्त की, वह चिन्ता थी प्राइवेट स्कूल्स के बारे में । जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स है, उनके बारे में, मैं समझता हूं, करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है । इस पर बहुत सोच विचार किया गया कि किस प्रकार अध्यापकों का शोषण रोका जाये । इनको बन्द किया जाये यह तो हो नहीं सकता । चिन्ता का विषय है, शोषण रोका जाना चाहिये । इसी सत्र में एक एजूकेशन बिल आपके सामने पेश किया जायेगा ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : We have to solve the problems. शोषण रोका जाये । एक तो शोषण रोका जाय और मीन टाइम उन संस्थाओं को हाथ में लिया जाय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब एजूकेशन बिल अपने सामने आयेगा तो यह लोगों कुछ और करना है ।

एक यहां शैक्षणिक स्तर पर रिसर्च ट्रेनिंग सैन्टर की स्थापना की जायगी । इस समय विद्यालयों में सामान्य फर्नीचर की कमी है । वैसे तो शिक्षा कोष का निर्माण कर रहे हैं लेकिन उसमें समय लगेगा । इस समय इस समस्या के समाधान के लिये 1.7 लाख का प्रावधान किया गया है ।

आपातकाल में निकाले गये अध्यापकों के वेतन भुगतान आदि की भी व्यवस्था की जायगी ।

(व्यवधान)

अल्पसंख्यक भाषायें हैं उनके बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गई है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू के लिये एक अकादमी पहले से ही है, अब राज्य में सिन्धी अकादमी की भी स्थापना की जायेगी । वैसे सिन्धी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं के लिये राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है । अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण विद्यालय खोला जायगा । उर्दू के स्वतंत्र विकास के लिये उर्दू अकादमी की स्थापना की हुई है । इसी प्रकार सिन्धी भाषा के लिये अकादमी की स्थापना की जायेगी । अल्पसंख्यक भाषाओं के लिये राज्य सरकार पूर्ण सजग है । जहां कहीं 10 बच्चे भी अल्प भाषायी भाषा पढना चाहेंगे उसकी भी व्यवस्था की जायगी । विद्यार्थियों को उस भाषा में शिक्षा दी जायगी । पाठ्य पुस्तक मण्डल को कक्षा 1 से 8 तक की उर्दू की तथा कक्षा 1 से 5 तक सिन्धी भाषा की पुस्तकें तैयार करने

(श्री भंवर लाल शर्मा)
को कहा गया है। अगला सत्र शुरू होने तक यह बाजार में आ जायगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसी भाषा में पढ़ाना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारी राज्य सरकार संस्कृत के प्रसार प्रचार के लिये एक करोड़ से अधिक रुपये व्यय कर रही है। इसी प्रकार गैर सरकारी क्षेत्र में 72 विद्यालयों को अनुदान देते हैं, जिस पर लगभग 30 लाख रुपया व्यय किया जाता है। इस समय संस्कृत के साथ वेद, व्याकरण, ज्योतिषाचार्य आदि के लिये भी राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया जायगा, जिससे संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये लोग आकर्षित हों। इसी प्रकार उनकी स्थिति को सुधारने पर भी विचार किया जायगा।

कत्थक नृत्य के बारे में यहां चर्चा की गई है। कत्थक के लिये अलग से केन्द्र स्थापित करने का विचार चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में ही खोल रहे हैं न ?

श्री भंवरलाल शर्मा : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की राज्य के मरु प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये बाड़मेर में छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की जायगी। यह जन शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जो आंकड़े हैं उनका ही प्रयोग कीजिये, लिखित भाषण पढ़ना ठीक नहीं रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह डिपार्टमेंट का लैटर है।

इसी प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में जन-जाति विकास क्षेत्र के अन्तर्गत चित्तौड़ में भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रावधान रखा गया है।

अब सब माननीय सदस्यों का चिन्ता का विषय है पेस्केल्स। राजस्थान में जो शिक्षा की सेवायें हैं उनमें वास्तव में कई ऐसे पद हैं जिनके पे-स्केल पर विचार करना आवश्यक है। संस्कृत के अध्यापकों के पेस्केल हैं, सीनियर टीचर्स के पेस्केल हैं पोलीटेक्निक की पेस्केल हैं—इन पर एक साल में सामूहिक विचार कर कुछ न कुछ निर्णय अति शीघ्र लिया जायगा, इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी ने जो सात हजार पद भरने की बात कही है क्या उनमें अनुसूचित जाति और जन-जाति का जो कोटा है, उसे पूरा किया जायगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इस कोटे में जो कमी रही है, उसको निश्चित रूप से पूरा किया जायगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर में क्या यूनिवर्सिटी खोलने का सरकार विचार करेगी ?

श्री मंजूर अली : मंत्री महोदय के स्टेटमेंट के बाद कोई बयान माननीय सदस्यों का नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : बिलकुल स्पष्ट नहीं किया भाषा के बारे में क्या करने वाले हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हिन्दी के बारे में क्या करेंगे ? कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, माननीय मंत्रीजी का ।

दूसरा मेरा निवेदन है महिला शिक्षा के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं था न इसमें रखा है । माननीय मंत्री महोदय, बातचीत जरा छोड़ दें और सुन लें । मंत्री महोदय बतायें, इस बारे में क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं ? एक वर्ग विशेष की कठिनाई है, उसके लिये राज्य सरकार क्या करने वाली है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिलों में सब-हैडक्वार्टर पर राजकीय डिग्री कॉलेज हैं लेकिन झुंझुनू ही ऐसा बदनसीब जिला है जिसमें एक भी राजकीय कॉलिज नहीं है । उसके लिये माननीय मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिए आप भी ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय शिक्षा मंत्रीजी क्या इस बारे में विवरण देंगे कि बीकानेर में श्रीमाली रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी खेलों के लिए जरूर कुछ कहेंगे । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, स्पोर्ट्स कौंसिल का लाखों रुपयों का बजट है । इन्होंने एक शब्द भी खेलों के सम्बन्ध में नहीं कहा है । मैं इनका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय खेलों के बारे में कुछ कहें और स्थिति का स्पष्टीकरण करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीकानेर यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में अभी तक सैंकड़ों विद्यार्थियों पर मुकदमे कायम हैं, उनकी चोटों के घाव अभी तक हरे हैं । उनकी पीड़ा को आप कुछ तो महसूस करें और बतायें कि बीकानेर में यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : अगर बीकानेर में यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो हाड़ौती यूनिवर्सिटी के लिए क्या विचार है ? जब बीकानेर में यूनिवर्सिटी कायम करेंगे तो वहां पर क्यों नहीं करेंगे ?

श्री बालकृष्ण थानवी : फलौदी में महाविद्यालय खोलने के बारे में क्या विचार है ? जैसा मैंने निवेदन किया था इसके बारे में क्या निर्णय लिया और एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने के बारे में आपका क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने अजमेर के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : कृपया मांग पारित करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ने महिला शिक्षा के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बतलाया है ।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर का महत्वपूर्ण सवाल है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, आप बिराजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : अजमेर के बारे में आपने कुछ भी तो नहीं कहा। बारह कॉलेज वहां पर हैं लेकिन विश्वविद्यालय नहीं हैं । इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ तो कहें । कहां तो अजमेर के राजधानी होने का सवाल था, उसकी जगह विश्वविद्यालय भी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायं अब ।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी मंत्री महोदय से लेनी है । अभी आपने कहा कि सात हजार व्यक्तियों को रोजगार देने की बात है । मैं यह जानना चाहूंगा कि जो एस. टी. सी. पास व्यक्ति वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं या उनकी ओवर-एज होने जा रही है, क्या उनको प्राथमिकता देंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा दिन होकर एक बज चुका है । माननीय सदस्य दुःख पा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मांग पास करें ।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि महिला शिक्षा के बारे में कोई भी बात नहीं कही । क्या यह सही है कि जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं की आधी जनसंख्या है ? क्या उनकी उपेक्षा करना चाहते हैं ?

श्री बालकृष्ण पानवी : जोधपुर में जो विश्वविद्यालय है उसके साथ जोधपुर के कॉलेजों को जोड़ने की बात कही गई थी, वह गलत है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आपने काफी प्रश्न पूछ लिए हैं । मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता कि वे उत्तर दें । यह उनकी इच्छा पर है कि वे उत्तर दें या नहीं दें । उनको उत्तर देने के लिए आदेश नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,43,85,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही आज प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 1.05 बजे मंगलवार दिनांक 21 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

Page No 267

(267)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 472 की सूची)

क्रम संख्या	भू-खण्ड संख्या	क्रेता का नाम
1.	1.	सर्व श्री बंशीलाल दयालदास व धर्मदास पुत्र मंगरमल
2.	2.	श्री जयदेव पुत्र मूलचन्द
3.	3.	सर्व श्री जेठमल प्रेम किशोर पुत्र सुवालाल
4.	4.	सर्व श्री घासीराम व मंशाराम पुत्र गंगाराम
5.	5.	श्री मांगीलाल पुत्र केवलचन्द
6.	6.	श्री देवीलाल पुत्र शंकरलाल
7.	7.	श्री मनोहरलाल पुत्र दीपचन्द
8.	8.	श्री पुखराज पुत्र मांगीलाल
9.	9.	श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र मांगीलाल
10.	10.	श्री चन्द्रलाल पुत्र श्रीगोपाल दास
11.	11.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री नैनमल
12.	12.	श्री महेन्द्र चन्द्र जैन पुत्र श्री इन्द्रसिंह
13.	13.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री लालचन्द
14.	14.	श्री सुभाष चन्द्र लोहिया पुत्र पूनमचन्द
15.	15.	श्री अब्दुल गनी वल्द मोला बक्स
16.	16.	श्री ईश्वरदास पुत्र मूल चन्द
17.	17.	श्री जेठमल पुत्र लादुराम
18.	18.	श्री सुधीरकुमार पुत्र चोइथराम
19.	19.	सर्व श्री रमेशकुमार हरिश चन्द्र पुत्र गेला राम
20.	20.	श्री नानकराम पुत्र मोजराजमल
21.	21.	श्री जगदीश लाल पुत्र दाऊलाल
22.	22.	श्री भंवर लाल पुत्र नत्थूलाल
23.	23.	श्री राम चन्द्र पुत्र धर्मचन्द्र
24.	24.	श्री जसराज पुत्र धनराज किशनलाल पुत्र धनराज व सूरज देवी पत्नी मदन लाल
25.	25.	श्री प्रेम राज भगवानदास
26.	26.	गुरु नानक फर्नीचर
27.	27.	श्री बांके बिहारी लाल पुत्र श्री गिरधारीलाल
28.	28.	श्री नासिरअली पुत्र नाजिर अली
29.	2-जोनवी	श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी भरतलाल
30.	3- ,,	श्री संपतराज पुत्र हस्तीमल
31.	4.	श्री रणछोड़ दास पुत्र विठलदास
32.	4-ए	दी जोधपुर सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड जोधपुर, जोधपुर
33.	5-ए	दी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, जोधपुर

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 373 का ब्योरा)

वर्षवार	अमाउन्ट
1955–56	2,53,000
1956–57	21,00,000
1957–58	1,00,22,000
1958–59	3,02,92,000
1959–60	10,04,97,000
1960–61	11,29,51,000
1961–62	7.97,31,000
1962–63	6,50,00,000
1963–64	5,90,00,000
1964–65	5,60,00,000
1965–66	8,48,87,000
1966–67	7,43,98,000
1967–68	[illegible],00,00,000
1968–69	6,50,00,000
1969–70	8,00,00,000
1970–71	7,00,00,000
1971–72	9,23,00,000
1972–73	11,00,00,000
1973–74	11,79,00,000
1974–75	16,32,00,000
1975–76	22,50,00,000
1976–77	24,13,00,000
1977–78	30,00,00,000
योग :	2,16,98,31,000

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 375 की सूची)

राज्य महिला सदन, जयपुर पर वर्ष 77-78 में व्यय हेतु बजट प्रावधान.

क्र. सं	लेखा शीर्षक	राज्य महिला सदन, जयपुर को आवंटित बजट
	(ग)--महिला-कल्याण ।	
(1)	राज्य-आश्रयालय और पश्चातवर्ती सेवायें आयोजना भिन्न व्यय:	
	1. संवेतन	1,00,000
	2. यात्रा व्यय	2,000
	3. चिकित्सा व्यय	2 000
	4. कार्यालय व्यय :	
	डाक तार एवं टेलीफोन	3,000
	प्रकाश एवं जल व्यय	5,000
	पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकायें	250
	वर्दिया	1,100
	फर्नीचर आदि का क्रय	950
	सुधार एवं नवीनीकरण	
	गाड़ियों का संधारण एवं परिचालन	3,000
	आवासियों का विवाह	2,500
	यातायात प्रभार	1,000
	अन्य लघु मद व्यय	1,000
	योग ..	18,800
	5. किराये रेट और रायल्टी	..
	6. मौजूदा पश्चातवर्ती गृह का विस्तार	..
	7. भोजन वस्त्रादि	80,000
	योग ..	2,02,800

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 378 का निरीक्षण प्रतिवेदन)

विषय: —व्लगर व्हीट के 2000 बैगों का भौतिक सत्यापन ।

दिनांक 22-9-74 को श्रीमान् उप-निदेशक महोदय (प्रशासन) समाज कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर-अजमेर पधारे तथा उन्होंने बताया कि अजमेर में व्लगर व्हीट बाजार में बिक रहा है अतः इसका भौतिक सत्यापन किया जाकर दिनांक 24-9-74 को पूर्ण स्थिति से उन्हें अवगत कराया जावे ।

आदेशानुसार कल दिनांक 23-9-74 को रामगंज की बेकरी पर बैग तुलवाये गये वहां की रिपोर्ट इस प्रकार से है :—

1. रामगंज, बेकरी :

दिनांक 8-9-74 से 21-9-74 तक बैग दर्ज	348 बैग	7483–800
आज दिनांक 23-9-74 को तोल कराया गया	480 बैग	10130–650
योग ..	828 बैग	17614–450

उन सभी बैगों का इन्द्राज बेकरी की पंजिकाओं में मौजूद था तथा आज का इन्द्राज भी करा दिया जाकर कुल 828 बैगों की रसीद प्राप्त करली गई है जो रिकार्ड में मौजूद है ।

2. सेवा सदन बेकरी :

दिनांक 11-9-74 से 20-9-74 तक	336 बैग	7512–900
आज दिनांक 23-9-74 को बैग तुलवाये गये	244 बैग	5400–600
योग ..	580 बैग	12913–500

उक्त इन्द्राज सेवा सदन, अजमेर की बेकरी में मौजूद है तथा गेट रजिस्टर में भी मौजूद है, सदन का हिसाब किताब बहुत साफ तथा सुव्यवस्थित पाया ।

इस प्रकार दोनों बेकरियों में 1408 बैग दिनांक 23-9-74 तक उपलब्ध कराये गये ।

3. रेल्वे होस्पिटल के पास गोदाम में पड़े बैग जो शील्ड कर दिये गये हैं । — 356 बैग्स
4. श्री फकीर मोहम्मद की चक्की पर जो पीस कर भिजवाने हैं । — 181 बैग्स
5. क्रिश्चियन गंज की चक्की पर जो पिसवाकर पहुंचाने है । — 155 बैग्स

इस प्रकार सभी स्थानों तथा बेकरी आदि पर कुल 2000 बैग्स गिनकर संभाल लिये गये हैं जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि व्हेर हाउस से दिलाये गये बैग जो दुकानदार के माध्यम से बेकरियों में पहुंचाये गये हैं सही मात्रा में हैं अतः इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती और न किसी प्रकार से माल बाजार में बिका है ।

ह. राजेन्द्रप्रसाद सक्सेना, दिनांक 24-9-74 पोषाहार निरीक्षक	ह. रामसिंह राव वरिष्ठ लिपिक 24-9-74	ह. आर.एल. जैन कल्याण निरीक्षक 24-9-74	ह. शरणविहारी माथुर पोषाहार निरीक्षक 24-9-74

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सीकर से नवलगढ़ तथा अन्य रूट पर चलने वाली बसें।

382. श्री रणमल सिंह (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की बसों की हालत खस्ता है और उनकी कमी काफी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी क्या व्यवस्था करने जा रही है।

(2) क्या यह सही है कि रेलों की तरह सरकारी बसें समय की पाबन्द नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि तीन-तीन, चार-चार घण्टे तक बसें नहीं आतीं हैं और आती हैं तो एक साथ ही तीन-तीन, चार-चार आ जाती हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सीकर से कटराथल नौ किलोमीटर, दौलतपुरा, 10 कि. मी. व दादिया 14 कि. मी. है और इनका किराया क्रमशः 80 पैसा व 1 रु. 10 पैसे लिया जाता है ? क्या यह किराया वाजिब है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो वाजिब किराया कब से वसूल होगा ?

(4) सीकर से नवलगढ़-सालासर व फतेहपुर होकर राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें प्रति दिन गुजरती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या यह सही है कि उक्त मार्गों पर चलने वाली कई बसें ग्रामीण स्टेण्डों पर नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर-कुंदन-बस रूट पर सीकर से 19 किलोमीटर पर जेरठी ग्राम है और निगम में इस ग्राम का कोई बस स्टेण्ड दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम में वर्तमान में 1787 वाहनें हैं, जिनमें 1422 वाहनें चालू हालत में हैं। दिनांक 1-3-78 को कुल संचालित शिडयूल्स की संख्या 1528 थी जिनके लिये नार्म के मुताबिक कुल 1808 वाहनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार केवल 21 वाहनों की कमी है। इस कमी की पूर्ति के लिये नये वाहनों की खरीद के आॅर्डर दिये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। किसी वाहन में यांत्रिक दोष हो जाने के कारण कभी-कभी वह अपने निर्धारित समय से विलम्ब से प्रस्थान करता है जिसके कारण पीछे आने वाली वाहन सेवायें भी साथ हो जाती हैं। इसी कारण वाहन सेवाओं के मध्य अधिक अन्तर पड जाता है।

(3) सीकर से कटराथल की दूरी 11 किलोमीटर एवं दादिया की दूरी 16 किलोमीटर हैं जिसका किराया क्रमशः 80 पैसा व 1 रु. 10 पैसा वसूल किया जा रहा है। दौलतपुरा प्रार्थना स्टेण्ड है, जिसकी दूरी अनुमानतः 12 किलोमीटर है, तथा किराया भी 80 पैसे ही लिया जाता है।

(4) सीकर से नवलगढ़, सीकर से सालासर, सीकर से फतेहपुर मार्ग पर क्रमशः 44, 30 एवं 40 एकल सेवायें प्रति दिन गुजरती हैं, ? वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

ये सभी वाहनें निर्धारित स्टेण्डों पर रुकती हैं।

(5) सीकर से 19 किलोमीटर दूर जेरठी ग्राम निगम द्वारा प्रार्थना बस स्टेण्ड घोषित है।

(272)

समय सारणी

रूट सीकर

क्र. सं.	सीकर से प्रस्थान	पहुंच नवलगढ़	क्र. सं.	नवलगढ़ से प्रस्थान	पहुंच सीकर
1.	07.00	07.05	1.	5.30	6.00
2.	07.45	08.30	2.	7.15	7.45
3.	08.45	09.30	3.	8.30	9.15
4.	09.00	09.45	4.	9.00	9.45
5.	09.15	10.00	5.	9.15	10.00
6.	10.00	10.45	6.	10.00	11.00
7.	10.15	11.00	7.	11.00	11.45
			8.	11.30	12.15
8.	11.30	12.15	9.	12.15	13.00
9.	12.15	13.00	10.	12.45	13.30
10.	12.30	13.15	11.	13.00	13.45
11.	13.45	14.30	12.	13.45	14.30
12	14.30	15.15	13	14.15	15.00
13.	15.15	16.00	14.	15.00	16.00
14.	16.00	16.45	15.	15.45	16.30
15.	16.45	17.30	16	16.15	17.00
16.	17.30	18.30	17.	16.45	17.45
17.	17.45	19.45	18.	17.00	17.45
18.	19.00	20.15	19.	17.30	18.15
19.	19.45	22.30	20.	18.15	9.00
20.	22.00	22.30	21.	19.45	20.30
21.	01.30	02.00	22.	21.15	22.00
			23.	01.15	02.00

समय-सारणी

रूट सीकर-सालासर

क.सं.	सीकर से प्रस्थान	पहुंच सालासर	क.सं.	सालासर से प्रस्थान	पहुंच सीकर
1.	06.00	07.15	1.	07.15	09.15
2.	07.00	08.15	2.	08.00	09.15
3.	08.00	09.15	3.	08.30	10.15
4.	09.00	10.15	4.	09.30	10.45
5.	10.30	11.45	5.	10.30	11.45
6.	11.30	12.45	6.	11.30	12.45
7.	12.00	13.15	7.	11.45	13.00
8.	12.45	14.00	8.	12.30	13.30
9.	14.30	15.45	9.	14.00	15.15
10.	15.15	16.30	10.	15.15	16.30
11.	16.00	17.15	11.	15.35	16.45
12.	17.00	18.15	12.	16.45	18.00
13.	18.00	19.15	13.	17.45	19.00
14.	19.15	20.45	14.	19.15	20.30
15.	19.45	21.00	15.	20.00	21.15

(274)

समय-सारणी

रूट सीकर-फतेहपुर

क्र.सं.	सीकर से प्रस्थान	पहुंच फतेहपुर	क्र.सं.	फतेहपुर से प्रस्थान	पहुंच सीकर
1	07.00	08.20	1.	06.45	08.30
2.	08.15	09.45	2.	07.30	09.00
3.	09.15	10.35	3.	08.00	09.30
4.	09.45	11.15	4.	08.45	10.30
5.	10.30	11.50	5.	09.30	10.30
6	11.00	12.30	6.	09.45	11.30
7.	11.15	12.45	7.	10.00	11.45
8.	12.15	13.45	8.	11.15	12.45
9.	12.45	14.15	9.	12.00	13.45
10.	14.00	15.30	10.	12.15	14.00
11.	14.30	16.15	11.	13.15	15.00
12.	15.00	17.00	12.	13.30	15.30
13.	15.30	16.50	13.	14.45	16.30
14.	16.00	17.30	14.	15.45	17.30
15.	16.15	17.45	15.	16.00	17.15
16.	17.15	19.00	16.	16.45	18.30
17.	17.15	19.15	17.	17.00	18.30
18.	18.15	20.00	18.	17.45	19.30
19.	18.55	20.10	19.	19.00	21.00
20.	19.30	21.30	20.	19.30	21.30

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्रणाली

383. **श्री ताराचन्द** (रूपवास) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सभी विभागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये आरक्षण का प्रावधान रोस्टर प्रणाली से किया गया है ? यदि हाँ, तो किस-किस विभाग में उक्त आदेश लागू होने के बाद कितनी पदोन्नतियां किस-किस सेवा वर्ग में की गई हैं तथा उनमें से कितनी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों की पदोन्नतियां की गई ?

(2) क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण राज्य सरकार के इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसका मूल कारण क्या है ?

(3) क्या राज्य सरकार सभी विभागों में पदोन्नति के लिये निर्धारित शर्तों को शिथिल करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को पदोन्नति कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) (अ) जी हां । राज्य सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति और जन-जाति के कर्मचारियों के लिये दिनांक 10-2-75 से पदोन्नति में 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है ।

(ब) सूचना सभी विभागों से प्राप्त की जा रही है । प्राप्त होने पर संकलित कर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(2) आदेश की पालना की जा रही है किन्तु कुछ विभागों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के योग्य विशेषज्ञ, प्रशिक्षित आदि व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण पूर्ण नहीं हो पाता है ।

(3) फिलहाल ऐसा इरादा नहीं है ।

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

384. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आपातकाल में श्री किरीट भाई को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के तहत जालौर जेल में बन्दी बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री किरीट भाई तस्कर हैं ?

(2) राज्य सरकार तस्करों के लिये क्या कठोर कदम उठा रही है ?

(3) महावीर गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का ट्रक नं. एच. पी. यू. 297 जिसमें 24,860 रु. का माल था, क्या ट्रक माल सहित कोटा से दिनांक 2-10-77 को गायब कर दिया गया ? क्या राज्य सरकार उक्त ट्रक को खोजने में असमर्थ रही है तथा अब तक सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या किया ?

(4) क्या ग्राम अलोद, रामगंजमण्डी के दो व्यक्ति गायब हैं ? यदि हां, तो उन्हें गायब हुए कितना समय हो गया ? क्या राज्य सरकार उनका पता लगाने में असमर्थ रही है ?

(5) क्या 5 अक्टूबर को कोटा दशहरा मेले में श्री भूपेन्द्र कुमार उम्र चौदह

(श्री हरीश शर्मा)

वर्ष गायब हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे खोजने में असमर्थ रही है ? इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) यह मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है ।

(2) तस्करी रोक-थाम हेतु पुलिस द्वारा नाका-बन्दी एवं पेट्रोलिंग की व्यवस्था है । सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पेट्रोलिंग की जाकर तस्करों को सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया जाता है ।

(3) जी हां । इस सम्बन्ध में मुकदमा नं. 98/77, धारा 406/109, ता. हि. थाना झालरापाटन, जिला झालावाड़ में दर्ज होकर मुकदमा अभी पैण्डिंग तफतीश है । ट्रक व माल का अभी पता नहीं चला है । प्रयास जारी है ।

(4) जी हां । श्री नाथूलाल पुत्र धन्ना लाल, जाति अहीर, उम्र 55 साल, दिनांक 18-4-76 से तथा श्री राम कुंवार पुत्र राम चन्द्र, जाति अहीर, उम्र 14 साल, साकिन आलोद, दिनांक 14-8-76 से गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है । दोनों ही मामलों में अभी जांच जारी है ।

(5) जी नहीं । मृतक भूपेन्द्र कुमार के पिता ने दिनांक 5-11-77 को रिपोर्ट की थी कि उसका लड़का किशोरपुरा नगर गेट गार्डन के पास जनाना घाट पर नहाने गया था जो तैरता हुआ धार में बह गया व डूब गया । इस पर उसकी तलाश उसके वारिसान के साथ नहर में कराई गई मगर लाश नहीं मिली ।

ग्राम बुड़ानिया की उच्च प्राथमिक शाला

385. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्राम बुड़ानिया, तहसील चिड़ावा में उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब जनता पार्टी शासन में आई तब इसका आदेश निरस्त कर दिया गया ? क्या जिला शिक्षा अधिकारी ने इस स्कूल की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो फिर स्कूल के क्रमोन्नत के आदेश को निरस्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई ।

श्रम कल्याण अधिकारियों की पदोन्नति और रोस्टर प्रणाली

386. **श्री भैंरवलाल कालाबादल** (खानपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रम विभाग में जब श्रम कल्याण अधिकारियों की पदोन्नति की गई तो क्या रोस्टर प्रणाली को ध्यान में रखा गया ? सन् 1974 से 1977 तक श्रम कल्याण अधिकारियों की पदोन्नति में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के श्रम निरीक्षकों की पदोन्नति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

(2) क्या श्रम निरीक्षकों की विभागीय परीक्षाएं लिया जाना अनिवार्य है ? अगर अनिवार्य है, तो वे क्या नियमानुसार ली जाती रही हैं ? अगर नहीं ली जाती हैं, तो उसका क्या कारण है ? सन 1968 के बाद में क्या कोई विभागीय परीक्षा श्रम निरीक्षकों की ली गई ? पदोन्नति के लिए श्रम निरीक्षक की कितनी सेवा होनी चाहिए ?

उत्तर

(1) विभाग में वर्ष 1974 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक श्रम कल्याण अधिकारियों की पदोन्नति हेतु बुलाई गई थी। उस समय रोस्टर प्रणाली लागू नहीं थी। वर्ष 1974 के पश्चात् कोई विभागीय समिति की (पदोन्नति) बैठक नहीं हुई है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। आवश्यकता होने पर नियमानुसार विभागीय परीक्षा ली जाती है। वर्ष 1968 के बाद वर्ष 1970 में विभागीय परीक्षा ली गई थी। पदोन्नति के लिए तीन वर्ष का सेवाकाल आवश्यक है।

चौमू क्षेत्र के पर्यटन स्थल

387. **श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौमू क्षेत्र में पर्यटन स्थल कहां-कहां पर हैं और उनके रख-रखाव के लिए राज्य सरकार कोई योजना बनाकर क्रियान्वित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सामोद के महल ऐतिहासिक एवं दर्शनीय हैं ? यदि हां, तो ग्राम सामोद में पर्यटन केन्द्र राज्य सरकार कब स्थापित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) ग्राम सामोद में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के पास कब से विचाराधीन है ? अब तक मामले को निपटाने एवं पर्यटन केन्द्र खोलने में ढिलाई बरतने के क्या कारण थे ? पर्यटन की दृष्टि से ग्राम सामोद का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) चौमू क्षेत्र में पर्यटन स्थल केवल सामोद के महल हैं।

क्योंकि ये महल वहां के रावल साहब की निजी सम्पत्ति है अतः फिलहाल राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है।

(2) जी हां, यह महल दर्शनीय है। व्यक्तिगत सम्पत्ति होने के कारण अभी राज्य सरकार कुछ करने में असमर्थ है।

(3) ऐसा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पुलिस स्टेशन खाटूश्यामजी में दर्ज मामला

388. श्री **मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत विधान सभा चुनावों में श्री खुमाना राम, स. अ., पंचायत समिति, दांता रामगढ़ के द्वारा झगड़ा कराने एवं पार्टीबाजी में भाग लेने की शिकायत आई. जी. पी. एवं सी. आई. डी. विभाग को प्राप्त हुई थी ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री मदनसिंह दांता)

(2) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन खाटूश्यामजी में भी एक शिकायत की गई थी ? अगर हां, तो कब और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सी. आई. डी. द्वारा ग्राम खोरा में जाकर जांच की गई थी ? अगर हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । इस परिवाद की जांच राज्य अपराध शाखा द्वारा करवाई गई ।

(2) जी हां । माननीय विधायक ने गांव में अशान्ति होने की सूचना थाने के सिपाहियों को एस. एच. ओ. की अनुपस्थिति में तारीख 12-6-77 को दी थी । थानेदार बाहर ड्युटी पर था इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

(3) जी हां । खुमाना राम, सहायक अध्यापक का अपरोक्ष रूप से चुनाव के दौरान श्री गोपाल महाजन का वहिष्कार कराने व पथराव कराने में हाथ पाया गया ।

जनरल अस्पताल, जिला डूंगरपुर में इलाज की व्यवस्था

389. **श्री लाल शंकर डेंडोर** (सागवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनरल अस्पताल, जिला डूंगरपुर में इलाज की अव्यवस्था व डा. परिहार, मुख्य मेडिकल अधिकारी की लापरवाही से दैनिक बीमारों की मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल की व्यवस्था में कब सुधार होगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जनरल अस्पताल के वार्ड में टी. बी. के बीमारों की भर्ती की जाती है जिससे अन्य बीमारों को अधिक बीमार होने का खतरा है ? यदि हां, तो टी. बी. अस्पताल कब अलग होगा ?

(3) क्या यह सही है कि टी. बी. अस्पताल, डूंगरपुर का भवन गांधी आश्रम, डूंगरपुर में है ? यदि हां, तो राज्य सरकार टी. बी. अस्पताल गांधी आश्रम भवन में कब कायम करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

डा. परिहार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही से दैनिक बीमारी की मृत्यु की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2 व 3) जी नहीं । टी.बी. के बीमारों को भर्ती करने की अलग से व्यवस्था है । इससे बीमारों को सम्भवतः कोई खतरा नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बून्दी जिले का घोषित सिंचित एरिया

390. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ऐसे गांवों की जमीन, जहां पानी नहीं फिरता या सिंचाई नहीं होती, उनको भी राज्य सरकार ने सिंचित एरिया घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांवों की बूंदी जिले में जमीन है और उनको कब तक सिंचित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां । बूंदी जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत 12 ग्रामों में कुल 751 एकड़ भूमि है । (सूची संलग्न) जो सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित है परन्तु किन्हीं कारणों से सिंचित नहीं हो पाती है । ऐसे क्षेत्रों को असिंचित क्षेत्र (डीकमाण्ड) करने की कार्यवाही की जा रही है ।

रकबा जो अनकमाण्ड करना है उस क्षेत्र की सूची

क. सं.	नाम बांध	नाम तहसील	नाम ग्राम	रकबा जो अनकमाण्ड करना है (एकड़ों में)
1.	गूढ़ा	हिंण्डोली	1. धाबाइयों का नया गांव	30
			2. ढगारियां	2
			3. दजलाना	197
			4. धोवडा	4
			योग ..	233
2.	गोठड़ा	हिंण्डोली	1. सरसोद	3
3.	पेच की बावड़ी	हिन्डोली	1. पेचकी बावड़ी	5
			2. कालामाल	39
			3. स्वरूपगढ़	2
			4. पिंपराला	14
			5. रोशन्दा	199
			6. हरना	14
			7. काबरी	242
			योग ..	515

थाना केशोरायपाटन में दर्ज मामला

391. श्री गोपाल पचेरवाल (केशोरायपाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के अन्तर्गत थाना केशोरायपाटन में दिनांक 11 फरवरी, 78 को कोई गिरफ्तारी की गई थी ? यदि हां, तो किस जुर्म में और किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तिथि में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में श्री मेहराम बन्जारा को भी गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो श्री मेहराम को थाने में कितने दिन तक रखा गया और अदालत में कब पेश किया गया, उसका क्या जुर्म था ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्री मेहराम की थाने में पिटाई की गई थी ? यदि हां, तो किसने और क्यों ? पिटाई के बाद श्री मेहराम का डाक्टरी मुआयना कराया गया था ? डाक्टरी रिपोर्ट में कितनी चोटें आईं, डाक्टर की जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या श्री मेहराम बन्जारा की पिटाई करने वाले दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री मेहराम को दिनांक 16-2-78 को मुकदमा नं. 16, धारा 394, ता. हि. में दिनांक 6-2-78 को गिरफ्तार किया गया था व दिनांक 17-2-78 को अदालत सी. जे. एम. साहब, बूंदी में पेश किया गया था जहां से 21-2-78 तक पुलिस रिमाण्ड मंजूर हुआ।

(3) जी नहीं। श्री मेहराम को तारीख 17-2-78 को अदालत श्रीमान् सी. जे. एम. साहब, बूंदी के समक्ष पुलिस रिमाण्ड के लिए पेश करने पर सी. जे. एम. द्वारा श्री मेहराम का मेडिकल मुआयना कराने के आदेश पर उसका डाक्टरी मुआयना कराया गया था। डाक्टरी रिपोर्ट से उसके तीन चोटें साधारण 3 से 5 दिन के अर्से में आना पाया गया। डाक्टरी रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(4) जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

125
18-2-78

Inj. Report

On requisition of SHO Patan and the order of CJM, Bundi.

Date and Time of Exa. 17-2-78, 6 P. M.

Mayaram S/o Asu, Age 22 years, HM Caste Banjara R. V. Leesarda-ki-Zopriya.

M. I. Marks tatooing as picture of Hanumanji on Rt. forearm. anteriorally

(i)	Contusion	5 ¼"	×	½"	On middle back On the nostrals	Simple	Blunt weapon	Colour dark	Duration 3-5 days.
(ii)	Akrasion	1¼"	×	½"	Over the middle part of penis. enercline, ¼ of it except few portion left posteriorly.	,,	,,	Dry scale prent. blackness colour.	

Subjective tenderness lome baoks and the above
C/o Being Mide duration and hamatinely

He was referred to Dr. R. C. Narang for expert opinion for his C/o urirai trouble as other Jun. specralla in medoum and sum one on leave today.

Sd/-
18-2-78

तहसील बस्सी के ग्रामों का विद्युतीकरण

392. श्री शिवराज सिंह (बस्सी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील बस्सी, जिला जयपुर के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने की इस वर्ष राज्य सरकार की योजना है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है व कब तक पूरे क्षेत्र को विद्युतीकृत करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या ऐसे ग्राम, जिनके चारों तरफ के ग्रामों में बिजली लगी हुई है व बीच में ग्राम रह गये हैं का, विद्युतीकरण करने का राज्य सरकार का प्राथमिकता के आधार पर विचार है ? यदि हां, तो यह कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये किसी तहसील के सारे गांवों का एक साथ विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है। अतः पूरे क्षेत्र का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा इस सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हां। ऐसे ग्रामों की योजनाओं की साध्यता की जांच के पश्चात् ही विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

चूरू शहर की गलियों का गन्दा पानी

393. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चूरू शहर की गलियों का गन्दा पानी बहकर रोजाना आता है, यह शहर के मध्य भाग में जौहरी सागर जोहड़ के पायतल में जो करीब 35 बीघा जमीन में खुला पड़ा सड़ता रहता है और इर्द-गिर्द में बस्सी बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को उसमें पैदा होने वाली बीमारी के मच्छरों के माध्यम से रोग के शिकार बनते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस गन्दगी को दूर करके इस शहर की जनता को राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

जी हां। चूरू शहर के कुछ भाग का पानी जौहरी सागर तालाब के पायतल में गिरता है। नगर परिषद् चूरू के द्वारा शहर के सभी भागों के गन्दे पानी की निकासी हेतु एक योजना जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के माध्यम से बनायी जा रही है।

शाहपुरा अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति

394. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शाहपुरा में कितने बैड्स का अस्पताल स्वीकृत हुआ है ?

(2) क्या वहां एक्स-रे प्लाण्ट भी लगाया जा रहा है ?

(3) क्या प्रयोगशाला सहायक व टैक्निशियन भी नियुक्त किये जा रहे हैं ?

(4) भवन पी. डब्ल्यू. डी. क्यों नहीं संभाल रहा है ? उपरोक्त सब कार्य कब तक किये जावेंगे ?

(5) स्टाफ सब तरह अधूरा है उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है ? ऐसी लापरवाही राज्य सरकार जनता के फायदे के कार्य में क्यों कर रही है ?

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) 25 रोगी शैय्याओं का अस्पताल वर्ष 1976 में स्वीकृत हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग उप/जिला मुख्यालय पर स्थित भवनों को ही अपने अधिकार में लेता है। शाहपुरा चिकित्सालय इस श्रेणी में नहीं है।

(5) इस चिकित्सालय में स्वीकृत स्टाफ के अनुसार केवल एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका का पद रिक्त है।

राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना तथा प्रति एकड़ सिंचाई लागत दर

395. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलोदी): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान नहर की पांचों लिफ्ट योजनाओं को मन्त्रिमंडल की किस बैठक में किस आधार पर रद्द किया गया और क्या इसके पीछे किसी क्षेत्र एवं वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए प्रति एकड़ सिंचाई लागत दर के गलत आंकड़े बताकर, राजस्थान नहर पर छाये पंजाबी अधिकारियों ने मन्त्रिमण्डल को गुमराह करने के साथ-साथ राजस्थान के मरु क्षेत्र को मारी नुकसान पहुंचाने का कोई षडयन्त्र तो नहीं किया है? अगर हां, तो रद्द की गई पांचों लिफ्ट योजनाओं की बहाली पुनः कब की जा रही है? अगर नहीं, तो प्रति एकड़ सिंचाई व्यय रुपये 470.00 का आधार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में पांच लिफ्ट योजनाओं को शामिल करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों द्वारा प्रति एकड़ सिंचाई लागत दर के गलत आंकड़े बताकर मंत्रिमण्डल को किसी भी प्रकार से गुमराह करने का कोई षड़यंत्र नहीं किया गया है। क्योंकि इस विषय में मंत्रिमण्डल ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है अतः पुनः बहाली का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। सिंचाई दर की लागत प्रति हैक्टेयर रुपया 487 (रु. 197 प्रति एकड़) आती है न कि रुपया 470 प्रति एकड़, जैसा कि प्रश्न में दर्शाया गया है। सिंचाई दर की लागत प्रति हैक्टेयर जिस आधार पर बनायी गई है वह संलग्न है।

कैनाल एरिया के लिये अतिरिक्त सिंचाई दर लिफ्ट 60 मीटर्स

(1)	कुल सिंचित योग्य क्षेत्र	26.0 लाख हैक्टेयर्स
(2)	दस प्रतिशत दर से निर्माण कार्यों के मूल व्यय पर व्याज (विद्युत लाइनों व सबस्टेशनों के दस प्रतिशत भाग पर) अर्थात रु. 2600.25 लाख का 10 प्रतिशत	रु. 260.03 लाख

(3) पम्पिंग इक्युपमेंट पर डीजल पम्पिंग इक्युपमेंट की लाइफ 25 वर्ष मानने पर — रु. 62.56 लाख

(4) पम्पिंग स्टेशनों पर स्टाफ का खर्चा — रु. 32.00 लाख

(5) विद्युत व्यय — रु. 730.00 लाख

रु. 1084.59 लाख

सिंचित योग्य क्षेत्र पर प्रति हैक्टेयर खर्चा — रु. 108459000 / 2,60,000 — 418.68

काफ्ट एरिया पर प्रति हैक्टेयर खर्चा — 418.68 / 0.96 — 436.13

मानलें : 440/—

अथवा रु. 17 —प्रति एकड़ काफ्ट एरिया भाखड़ा, गंग कैनाल व राजस्थान कैनाल क्षेत्र में पानी की औसत दर — रु. 47/—प्रति हैक्टेयर काफ्ट एरिया अथवा रु. 18.80 प्रति एकड़ काफ्ट एरिया

(1) काफ्ट एरिया पर प्रति हैक्टेयर कुल दर — रु. 440+47— रु. 487/—

(2) काफ्ट एरिया पर प्रति एकड कुल दर — रु. 178+8.80— रु. 196.80 /—

मानलें : रु. 197 /—

ADDITIONAL IRRIGATION RATE FOR LIFT CANAL AREAS
LIFT 60 METRES

1.	Total C.C.A.	Rs. 2.60 lacs hectares
2.	Interest charges on capital cost of construction works@ 10% (take only 10% cost of power lines and sub-stations) i. e. 10% of Rs. 2,600.25 lacs.	Rs. 260.03 lacs
3.	Depreciation charges on pumping equipment. Life of pumps and equipment 25 years.	Rs. 62.56 lacs
4.	Staff cost for pumping stations	Rs. 32.00 lacs
5.	Energy cost	Rs. 730.00 lacs
		Rs. 1084.59 lacs

Charges per hectare of C.C.A. $= \frac{\text{Rs. } 10,84,59,000}{2,00,000} =$ Rs. 418.68

Charges per hectare of cropped area. $= \frac{\text{Rs. } 418.68}{0.96} =$ Rs. 436.13

Say : Rs. 440/-

Or Rs. 178/- per acre of cropped Area.

Average Water Rate (Flow Irrigation) for R.C.P., Bhakra & Gang Canal Area. = Rs. 47/- per hec. of cropped area. OR Rs. 18.80 per acre of cropped area.

1. Total Rate per hectare of cropped area. =Rs.440+47 = Rs. 487/-

2. Total rate per acre of cropped area. =Rs. 178 + 18.80 =Rs. 196.80

Say : Rs. 197/-

मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति

396. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु श्री मगोत से कितने अधिक वरिष्ठ आई. ए. एस. अफसरों को सुपरसीड किया गया और क्यों ?

उत्तर

मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति वरीयता के आधार पर न होकर चयन के आधार पर की जाती है। श्री मगोत की मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति में दो अधिकारियों को इस पद के उपयुक्त न होने से सुपरसीड किया गया है।

केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में कार्यरत प्रहरी

397. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में 1976-77 एवं 1977-78 में कितने प्रहरी कार्य कर रहे थे ?

(2) क्या प्रहरियों को 8 घन्टा सेवा देने के पश्चात् 16 घंटे का रेस्ट मिलता है एवं सप्ताह में एक दिन का पूर्ण अवकाश भी मिलता है ? यदि हां, तो कारागृह अधीक्षक, उदयपुर इसका पालन कर रहा है अथवा नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि कारागृह अधीक्षक, उदयपुर प्रहरियों के इस हक को समाप्त कर रहा है तथा इसी कारण प्रहरियों का आन्दोलन चला तथा इसमें किसी कर्मचारी को सस्पैन्ड भी किया गया ?

(4) क्या उक्त प्रहरियों की मांग की अवहेलना की गई ? यदि हां, तो अधीक्षक के खिलाफ राज्य सरकार कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(जेल मंत्री)

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में प्रहरियों के 143 पद स्वीकृत हैं। 1976-77 और 1977-78 में 143 प्रहरी सेवा-रत रहे हैं। राजस्थान प्रिजन्स रूल्स, 1951 के पार्ट–8, सैक्शन–15 में वर्णित नियमों के अन्तर्गत कारागृह एवं उप-कारागृहों पर प्रहरियों से दिन में 6 घन्टा एवं रात्रि में 3 घण्टा फिरती हुई ड्युटी ली जाती है, जिसके अनुसार 16 घन्टे विश्राम का प्रश्न ही नहीं उठता केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर पर प्रहरियों को साप्ताहिक विश्राम यथा-संभव दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

वर्किंग प्लान ऑफिसर का मुख्यालय

398. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व वर्किंग प्लान आफिसर का मुख्यालय भरतपुर से अलवर किया जाकर वन प्रशिक्षण केन्द्र उनके अधीन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर भी तुरन्त निर्णय लेकर इसी सत्र की वार्षिक परीक्षाओं के पूर्व वन प्रशिक्षण केन्द्र को उनके अधीन कर देगी?

उत्तर

जी नहीं।

आर. ए. एस. व आर. जे. एस. वेतनमान

399. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में आर. ए. एस. व आर. जे. एस. के एक वेतन-मान थे?

(2) क्या यह सही है कि अब आर. जे. एस. के वेतनमान बढ़ गये हैं व आर. ए. एस. के वही हैं?

(3) क्या आर. ए. एस. और आर. जे. एस. के सेवा स्तर में फर्क है?

(4) क्या राज्य सरकार इस फर्क को समाप्त करेगी?

(5) क्या यह सही है कि आर. जे. एस. को पदोन्नति के मौके भी आर. ए. एस. से अधिक हैं?

(6) क्या राज्य सरकार सारी प्रान्तीय सेवाओं का एक स्तर एक वेतनमान बनायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। 1-4-66 के पूर्व आर. ए. एस. की साधारण वेतन श्रृंखला तथा आर. जे. एस. में मुंसिफ व सिविल जजों के वेतनमान समान थे। किन्तु आर. ए. एस. में साधारण वेतन श्रृंखला के ऊपर भी वेतन श्रृंखलाएं थीं तथा आर. जे. एस. में नहीं थीं।

(2) जी नहीं। अब इन दोनों सेवाओं के वेतनमान 1-9-76 से निम्न प्रकार हैं:–

आर. ए. एस.:

चयन वेतन श्रृंखला:—1550 से 1900

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला:–1150 से 1650

साधारण वेतन श्रृंखला:–750 से 1350

(मुख्य मंत्री)
आर. जे. एस. :

सिविल जज और मुख्य न्यायिक दण्ड-नायक :—1250 से 1700
सिविल जज :—930 से 1500
मुंसिफ :—750 से 1350

(3) जी हां। वेतनमानों का अन्तर खंड (2) के उत्तर में दे दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

लोडदा बांध का निर्माण कार्य और मुआवजे के रूप में दी गई राशि

400. **श्री गंभीरलाल मीणा** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लोडदा बांध जो तहसील खेरवाड़ा में बनाया गया उसमें कितनी जमीन व कुए डूब में गये? उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उसमें किन-किन को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? क्या आज भी कुछ लोगों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं एवं उनको कितनी-कितनी जमीन व कुए का मुआवजा देना बाकी है?

(3) इन लोगों को राज्य सरकार कब तक मुआवजा देने की इच्छा रखती है?

उत्तर

(1) इस बांध के निर्माण से कुल 392 बीघा 1 बिस्वा जमीन डूब में आई। जमीन की सूची ख-1, 2 व 3 संलग्न है। कुल 7 कुए डूब में आये हैं कुओं की सूची (ग) संलग्न है।

(2) जिन-जिन काश्तकार को जो मुआवजा चुकाया गया है उसकी सूची (ख-1) संलग्न है। जिन काश्तकारों ने पुनः खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के आदेश के तहत प्राप्त किये हैं उनकी सूची (ख-2) संलग्न है। जिन काश्तकारों को मुआवजा देना शेष है उनकी सूची (ख-3) संलग्न है। सभी कुओं का मुआवजा देना शेष है।

(3) शेष मुआवजे के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकार के अवार्ड अभी प्राप्त नहीं हैं। अवार्ड प्राप्त होने पर शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

लोडदा बांध के डूब में आने वाली जमीन के काश्तकारों को भुगतान की सूची ख-1

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	गांव निवासी	जमीन का नाम बीघा व बिस्वा में		रकम
1.	श्री शिव राम वगैरा	बामनवाड़ा	1	09	547.50
2.	श्री गुलाब जी वगैरा	बामनवाड़ा	3	13	1342.50
3.	श्री कमरू पिता रोडजी	बामनवाड़ा	2	00	755.00
4.	श्री नारान पिता दया राम जी	बामनवाड़ा	0	12	180.00
5.	श्री कमरू पिता मोतीराम	बामनवाड़ा	5	12	1997 50
			13	06	4822.50

(288)

सूची ख-2

तालाब लोड़ा में आने वाली जमीन जिसका काश्तकारों ने पुनः खातेदारी के अवार्ड प्राप्त किया है

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम काश्तकार	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	गांव करजो:			
	1.	बगजी जोला	2	11
	2.	नानु कचरा	2	04
	3.	देवाराम खेमा पिता मदरूपा	2	15
	4.	गोकला पिता वेला	5	17
	5.	कुवेर सिह पिता केशर सिंह	9	05
	6.	भेरा पिता नन्दा	1	17
	7.	मेरा पिता गोवना	4	06
	8.	रूमसिंह पिता जालम सिंह	4	01
	9.	सरदार सिंह पिता रतन सिंह	12	04
	10.	बिला नाम सरकार	106	10
	11.	कंवरा स्वजी वगैरा	3	17
	12.	मोडा पिता मेरा	0	06
	13.	रामदास पिता सीताराम	0	05
	14.	मेरा कचरा	6	06
	15.	धुला पिता पेमा	2	10
	16.	धुला पिता माधु	4	02
	17.	मेरा लिम्बा	2	17
	18.	गोतम पिता नाथ जी	11	11
	19.	काना पिता धुला पुनः खातेदारी बामनवाड़ा	0	10
	20.	नारान वगैरा	1	04
	21.	तोला राम वगैरा	1	01
	22.	ऐजन	0	11
	23.	लछीराम	1	09
	24.	कुबेर	1	14
	25.	रुकमनी बेवा	2	00
	26.	भैरूलाल पिता गोतम	0	17
	27.	बिलानाम सरकार	0	18
	28.	बिलानाम सरकार	22	11
	29.	कचरू पिता रोडजी	0	14
	30.	कचरू पिता मोतीराम	0	11
	31.	कानजी पिता धूलजी	2	19
	32.	शीवराम वगैरा	4	07
	33.	गुलाब जी प्रताप जी पिता दौलतराम	1	17

1	2	3	4	5
2. गांव रंजोल :				
		34. गांगा पिता बजा	1	09
		35. नानजी पिता रूपा	1	10
		36. बक्ता वगैरा	53	15
		37. मैरा कुवेरा	3	07
		कुल योग :	286	13

सूची ख–3

लोरड़ा तालाब में आई भूमि जिसका मुआवजा देना शेष है

क्र. सं.	नाम गांव	नाम काश्तकार	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	करजी :			
		काउबा पिता धूला मीणा	1	05
		कुवेर सिंह पिता केसर सिंह	1	03
		हंगा पिता देवा मीणा	3	10
		श्री धना पिता नाना मीणा	1	08
		श्री नाथु पिता भीमा मीणा	5	03
		प्रेम जी पिता कान जी मीणा	4	03
		मैरा कचरा धुला गोतमा	0	02
		लाला पिता पेमा चमार	–	—
		श्रीमनजी पिता पुजा मीणा	0	11
		माथु पिता मोगा मीणा	2	02
		श्री वेला पिता मोवना मीणा	8	08
		शुर्मसिह पिता जालम	0	02
		सरदार सिह पिता रतसिह	0	06
		बिलानाम सरकार	4	05
		श्री तेजा पिता भाव मीणा	6	10
		श्री धाना पिता पुजा मीणा	8	00
		श्री धना पिता हुरका	8	10
		श्री माना पिता बेला	9	00
		श्री रामा पिता कानजी मीणा	6	10
		श्री रूपा पिता नान जी मीणा	8	00
		श्री हीरा पिता थाना	9	10
		विकास पंचायत	4	09
		कुल योग ..	92	01

डूब में आने वाले कुओं की सूची 'ग'

क्र.सं.	कुओं के मालिक का नाम	मुआवजे की राशि
1.	कचरू पिता राड जी	1632-00
2.	सरदार पिता रतनसिंह	4024-00
3.	मैरा पिता पैमा	861-00
4.	कालू पिता मैरा	1473-00
5.	कुबेर सिंह पिता केशर सिंह	1045-00
6.	स्वरूप सिंह पिता मोहनसिंह	341-00
7.	साबा पिता कुबेर	956-00
		10,362-00

चूरू जिले की लिफ्ट योजना

402. **श्री मनी राम** (तारानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में लखूवाली हैड से जो लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई तथा पीने की योजनायें चालू किये जाने की थी वह अब किस स्थिति में है ?

(2) पिछले कुछ वर्षों से चूरू जिले में जो सिद्धमुख जल योजना विचाराधीन थी वह इस समय किस स्टेज पर है और उसका फायदा इस क्षेत्र के इलाके के लोगों को कब तक मिल सकेगा ?

उत्तर

(1) यह प्रश्न राजस्थान नहर परियोजना विभाग से संबंधित है ।

(2) सिद्धमुख परियोजना का सर्वेक्षण प्रगतिपर है । इस योजना को भाखरा मेन लाइन व भाखरा मेन ब्रान्च द्वारा पानी लेने के लिये पंजाब से विवाद चल रहा है । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद ही इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

(291)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
CENTRAL LABORATORY, RAJASTHAN, JAIPUR
REPORT OF THE CHEMICAL EXAMINATION OF WATER

No. Lab/Tech. ( ) 77-78 Dated

To
The Executive Engineer,
DPAP PHED, Jodhpur.

Reference No. 93 Dt. 5-4-76 Distt. Pali.

Date of Collection.--

Date of Receipt. 5-4-76

Date of Examination. 5-4-76

Particulars Lab Sample No.	Name of Source Name of Place	T/W Kharia Neem Sojat Pali
Note:—All results except P H are in mg/1		
1.	PH	7.5
2.	Turbibidity (Salica Scale)	
3.	Colour	
4.	Colour	
5.	Tempt DC	Nil
6.	Alkalinity phenolpthleing (Ca Co3)	460
7.	Alkalinity Methyl Orange (Ca Co3)	840
8.	Total Hardness (Ca Co3)	380
9.	Calcium Hardness	460
10.	Magnesium Hardness	460
11.	Carbonate Hardness	380
12.	Non-Carbonate Hardness	1320
13.	Chlorides As Cl	326
14.	Sulphate an as so 4	44
15.	Nitrates (no3)	3168
16.	Total dissolved solide	2.1
17.	Fluoride	

Remarks:—The above water sample No. 113 is not potable due to high Hardness, Chloride & T. D. S.

Sd/-5-4-76
Jr. Chemist, Jodhpur.

(292)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

CENTRAL LABORATORY, RAJASTHAN, JAIPUR

REPORT OF THE CHEMICAL EXAMINATION OF WATER

No. Lab/Tech. ( ) 77-78

Dated

To

The Executive Engineer,
PHED, Pali (Raj.)
Reference:— No. 16698 Dated 5-2-77

Date of Collection—
Date of Receipt 7-2-77
Date of Examination 10-3-77

Distt. Pali (1)

Particulars / Lab Sample No.	Name of Source / Name of Place	899	900	901	902
	Name of Source	Kua No. 1	Kua No. 2	Picha Kua	Kumharo
	Name of Place	Kharianeem	Khariancem	Budhiya	Atpda

Note:—All results except Ph are in mg/l

1.	Ph	8.5	8.3	8.3	8.0
6.	Alkalinity Phenolpthlein (CaCo3)	70	40	50	8.0
7.	Alkalinity Methyl orange (CaCo3)	430	420	540	Nil
8.	Total Hardness (CaCo3)	760	740	680	430
9.	Calcium Hardness	350	310	350	960
10.	Magnesium Hardness	410	430	330	400
11.	Carbonate Hardness	430	420	540	560
12.	Non-Carbonate Hardness	330	320	140	430
13.	Chlorides as Cl	1080	1010	900	530
14.	Sulphate an as so 4	326	326	336	1300
16.	Nitrates (No. 3)	31	31	22	288
19.	Total dissolved solids	2868	2148	2102	44
22.	Fluoride	1.2	1.4	1.2	2848
					2.2

Remarks:—उपरोक्त सभी जल नमूने पीने योग्य नहीं हैं ।

Sd/-14-3-77
Junior Chemist, Jodhpur (Raj.)

(293)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
CENTRAL LABORATORY, RAJASTHAN, JAIPUR
REPORT OF THE CHEMICAL EXAMINATION
OF WATER

No. Lab/Tech. ( ) 77-78/ Dated .

To,
The Assistant Engineer
DPAP, PHED, Pali-Marwar.

Reference :— No. 747 & 614, dt. 28-6-76 & 4-6-76.
Date of Collection P.S. Sojat City, Distt. Pali

Date of Receipt 29-6-76 & 15-6-76.
Date of Examination 30-6-76.

Particulars Lab. Sample No.	Name of well/ Name of Vill.	226 T/w No. 1 Khariya Neem	227 Bhana Ram Jat K. Neem	245 T/w no. 2 Khariya Neem

Note :—All results except Ph. are in mg/l

		226	227	245
1.	PH	8,4	8.5	8.4
2.	Turbidity salica Scale)	—	—	—
6.	Alkalinity Phenolpthlein ($CaCO_3$)	30	50	20
7.	Alkalinity Methyl orange ($CaCO_3$)	340	480	390
8.	Total Hardness ($CaCO_3$)	680	1070	460
9.	Calcium Hardness	270	270	270
10.	Magnesium Hardness	410	800	190
11.	Carbonate Hardness	340	480	390
12.	Non-carbonate Hardness	340	590	70
13.	Chlorides as Cl	1240	1560	750
14.	Sulphate as SO_4	240	336	269
16.	Nitrates (NO_3)	44	13	9
19.	Total dissolved solids	2932	3716	2112
22.	Fluoride	1.8	1.8	1.8

Remarks :—1 The water sample No. 226 & 227 are not porable.
2. Please send a fresh sample of S. No. 245 for chemical analysis.

No. 220/3-7-76.

Sd/—3-7-76
Junior Chemist, Jodhpur,
Rajasthan.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत राशि लाख रुपये में	मार्च, 77 तक खर्चा लाखों में	बजट आवंटन वर्ष 77–78 के लिये (रु. लाखों में)	कमीशन्ड गांव मार्च 77 तक	लक्ष्य 77–78	लक्ष्य 78–79	लक्ष्य विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नीमला जायड्	1975-76	..	29.50	5.61	5.00	..	83	2 ग्राम	योजना पर कार्य प्रगति पर है। धन की उपलब्धि के अनुसार शीघ्र ही पूर्ण करने के प्रयत्न किये जायेंगे।
2.	उड्डू पनाावडा	1071-72	7	22.90	योजना पूर्ण की जा चुकी है।	..	7 ग्राम	..	..	योजना को वर्ष 75–76 में पूर्ण कर दिया गया था। इस माह के अन्त तक कोलू–अकादड़ा में सप्लाई नियमित कर दी जावेगी।
3.	विस्तार माडका गेहली	1976-77	1	2.29	1.49	1.06		1 ग्राम		योजना इस वर्ष पूर्ण कर दी जावेगी।
4.	माडका चूली (देरासर)	1972-73 1975-76	10 (संशोधित)	13.50 20.78	. . . 20.52	0.40	5 ग्राम	..	5 ग्राम	योजना पर नलकूप का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची)

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2
1.	डूंगरी	37.	पड़राली
2.	राम कोसीसा	38.	सिधारा
3.	सेन्सा	39.	अलिरा
4.	दूल्वा	40.	रतनपुरा
5.	राइन्दी	41.	गोमी
6.	आगरवा	42.	राटोरा
7.	धारियो	43.	इसरली
8.	मीमपुरा	44.	केमुगी
9.	सुंराचन्द	45.	नलछारा
10.	नीम्बोज	46.	पालना
11.	पीटा	47.	वेनक
12.	सूवरी	48.	जसलाव
13.	मवसरड़ा (सरदारपुरा)	49.	डाडसिन
14.	सांकरिया	50.	बरनपुरी
15.	मोलावास	51.	करवारी
16.	खेंजडली	52.	भीसोल
17.	आकोदिया	53.	जलातरा
18.	एड़का	54.	पामरा
19.	जावतरा	55.	बिजरोल
20.	खीरासर	56.	आलानड
21.	मण्डली	57.	मरवाली
22.	माटाकी	58.	प्रतापपुरा
23.	डेमपुरा	59.	आसोसन
24.	बालेराव	60.	लखेरी
25.	परनावा	61.	अठेरा
26.	शासगी	62.	नागालोरी
27.	जब्वाल	63.	दाला
28.	मेंड़ा	64.	कवरोल
29.	मदरन	65.	महरा
30.	गरटावा	66.	पालाडर
31.	गरटागामि	67.	पथना
32.	सिलेसन	68.	विरसी
33	पिललीवना	69.	प्रदासन
34	इन्टारा	70.	पलनेरा
35	सेनतरा	71.	लूनियासर
36.	धामाउ	72.	नेनली

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची)

राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राजस्थान' जयपुर के अध्यक्षाओं का विवरण वर्ष 1954 से 1978 तक

क्र०सं०	अध्यक्षा का नाम	समय
1.	श्रीमती मोहनीदेवी वान्चू	17-12-54 से
2.	श्रीमती नारायणी देवी वर्मा	
3.	श्रीमती रतन देवी शास्त्री	10-2-55
4.	श्रीमती महारानी गायत्री देवी	11-2-55 से 31-12-56
5.	श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया	31-12-56 से 10-5-67
6.	श्रीमती उर्मिला देवी मसूदा कार्यवाहक अध्यक्षा के रूप में	11-5-67 से 30-11-67
7.	श्रीमती उर्मिला देवी मसूदा	1-12-67 से 31-7-77 तक
8.	अन्तरिम व्यवस्था की गई है, क्योंकि बोर्ड का गठन नहीं हुआ है।	31-7-77 से 31-3-78 तक

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची)

वर्ष 1975–76 से समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना मदों के मदवार व्यय का विवरण

परिशिष्ट (अ)

वर्ष	केन्द्रीय आयोजना व्यय				राज्य आयोजना व्यय	राज्य आयोजना भिन्न व्यय
	समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना	प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यवहारिक कार्यक्रम	चिकित्सा			
1975–76	88,881	44,560	..	समन्वित बाल विकास	..	..
1976–77	3,46,240	60,743	..	सेवा परियोजना के व्यय	14,865	20,148
1977–78	1,01,835	62,760	51,165	में सम्मिलित	2,50,000	..

परिशिष्ट (ब)

समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना गढ़ी में वर्षवार व योजनावार उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	0–6 वर्ष के उम्र के बच्चों की संख्या	गर्भवती महिलाओं की संख्या	दुध पिलाती माताओं की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	संचालित केन्द्र	व्यवहारिक महिला प्रौढ़ शिक्षा: ऑन रोल	व्यवहारिक महिला प्रौढ़ शिक्षा: लाभान्वित	व्यवहारिक महिला प्रौढ़ शिक्षा: संचालित केन्द्र
75–76	10,899	1,773	4,108	4,570	93	3,000	933	40
76–77	11,724	1,320	3,510	13,553	118	2,500	1,232	61
77–78	15,890	2,285	4,418	18,550	119	2,752	1,323	76

[स्वास्थ्य सेवाएं]

वर्ष	स्मालपोक्स: प्रथम डोज	स्मालपोक्स: द्वितीय डोज	डी. पी. टी.: प्रथम डोज	डी. पी. टी.: द्वितीय डोज	बी.सी.जी.	टी. टी.: प्रथम डोज	टी. टी.: द्वितीय डोज	डी.टी.
75–76	5149	8344	289	289	3285	119	—	—
76–77	4373	4595	1485	1275	4287	518	317	—
77–78	3215	1202	2482	2590	2110	1610	1240	1394

परिशिष्ट 'स'

क.सं.	नाम कार्यकर्ता	आयु	जाति	निवास
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती सुभद्रादेवी	23	जैन	अरथुना
2.	„ कान्ता देवी	20	जैन	अरथुना
3.	„ प्रेमलता	18	जैन	अरथुना
4.	„ राधा कुमारी	17	एस.टी.	नवाघरा
5.	„ महालक्ष्मी	26	ब्राह्मण	अरथुना
6.	„ कैलाश देवी	18	जैन	अरथुना
7.	„ उर्मिला	17	ब्राह्मण	अरथुना
8.	„ चमेली	19	जैन	आजना
9.	„ जयादेवी	21	ब्राह्मण	कोटड़ा
10.	„ कमला देवी	18	एस.टी.	केसरपुरा
11.	सुश्री कलावती	16	एस.टी.	थालीतलाई
12.	श्रीमती देवलता	19	ब्राह्मण	ओडा
13.	„ यशोदा	18	कलाल	मुखिया
14.	„ विमला	18	एस.टी.	उयापाम
15.	„ मिश्री	18	एस.टी.	अजाना
16.	„ हुलासी	19	जैन	बोरी
17.	„ निर्मला	16	ब्राह्मण	उकेला
18.	„ मनोरमा देवी	19	ब्राह्मण	अरथुना
19.	सुश्री कुसुमलता	20	एस.सी.	बोरी
20.	श्रीमती कंकु	21	कलाल	बोरी
21.	„ कमला	18	एस.टी.	कालीआमड़ी
22.	„ सुशीला	19	जैन	सागवाडा
23.	„ शान्ति	16	एस.टी.	बिलोदा
24.	„ सुशीला देवी	18	ब्राह्मण	जोलाना
25.	„ कोकिला देवी	17	ब्राह्मण	जोलाना
26.	„ कंकु देवी	22	लोहार	नहाली
27.	„ मनोरमा देवी	20	सोनी	नहाली
28.	„ विमला देवी	20	एस.टी.	थालीतलाई
29.	„ मीरा देवी	19	एस.टी.	गोविन्दपुरा
30.	„ कंकु देवी	18	पाटीदार	रैयाना
31.	„ सुरेखा देवी	23	ब्राह्मण	रैयाना
32.	„ कमला देवी	25	एस.टी.	ओडवाड़ा
33.	सुश्री नूरि कुमारी	16	एस.टी.	हेरपाड़
34.	श्रीमती विरांगना	30	एस.टी.	धाणेवा
35.	„ चन्द्रकान्ता	18	नगारची	मुखिया
36.	„ प्रेमलता	16	ब्राह्मण	जोलोना
37.	„ मणी कुमारी	18	एस.टी.	मतार
38.	„ प्रेमलता	19	ब्राह्मण	जोलाना
39.	„ रमणगोरी	21	एस.टी.	टिमरवा

1	2	3	4	5
40.	श्रीमती शारदा देवी	19	जैन	डड़का
41.	,, पुष्पा कुमारी	16	जैन	डडूका
42.	,, कमल कुमारी	21	एस. टी.	डडूका
43.	,, मणि देवी	18	जैन	डडूका
44.	,, चमेली देवी	22	एस. सी.	डडूक
45.	,, मोती देवी	21	एस. टी.	मारेड़ी
46.	,, उत्सव कुमारी	22	राजपूत	फलाबारा
47.	,, शशिकला	21	एस. टी.	डडूका
48.	,, विद्या देवी	21	ब्राह्मण	आसना
49.	,, कीर्ति देवी	19	ब्राह्मण	तोरना
50.	,, आशा देवी	18	हजूरी	अखेराज काकड़ा
51.	,, मधुबाला	18	नागर	बांसवाड़ा
52.	,, नमद देवी	18	राजपूत	लोहारिया
53.	,, ईश्वरी देवी	19	कलाल	लोहारिया
54.	,, लक्ष्मी	18	एस. टी.	लोहारिया
55.	,, कमला	18	एस. टी.	सुजाजजीकाकड़ा
56.	,, पुष्पा	18	ब्राह्मण	अरथुना
57.	,, यशोदा	20	जैन	पालोदा
58.	,, नानी देवी	19	एस. टी.	लोहारिया
59.	,, शकुन्तला	20	जैन	पालोद
60.	,, तारा देवी	31	राजपूत	पालोद
61.	,, शान्ता	21	ब्राह्मण	लखाडा
62.	,, बदाम देवी	25	जैन	पालोद
63.	,, बसन्तलता	20	ब्राह्मण	खोडना
64.	,, सुरजा कुमारी	18	एस. टी.	ओसाड़ा
65.	,, पार्वती	16	एस. टी.	बिछीवाड़ा
66.	,, बाला देवी	18	ब्राह्मण	खोडन
67.	,, जया कुमारी	18	ब्राह्मण	खोडन
68.	,, शान्ता देवी	24	जैन	पालोदा
69.	,, पुष्पा कुमारी	18	ब्राह्मण	खोडन
70.	,, इन्दिरा देवी	23	राजपूत	मेतवाला
71.	,, कचरी देवी	16	एस. टी.	ओडा
72.	,, भानुमति	18	ब्राह्मण	खोडन
73.	,, प्रताप कुंवरी	22	राजपूत	मेतवाला
74.	,, शान्ता	21	जैन	सरोद
75.	,, निर्मला	22	ब्राह्मण	परतापुर
76.	,, निर्मला देवी	25	राजपूत	गड़ी
77.	,, भगवती देवी	19	जैन	परतापुर
78.	,, सरोज देवी	19	सेवक	खोडन
79.	,, सरिता देवी	24	ब्राह्मण	परतापुर
80.	,, मनी देवी	22	एस. टी.	गडी
81.	,, निर्मला देवी	15	एस. सी.	आमजा
82.	,, भगवती देवी	18	कलाल	परतापुर

1	2	3	4	5
83.	श्रीमती गोरी देवी	19	ब्राह्मण	परतापुर
84.	,, कमला देवी	24	जैन	परतापुर
85.	,, मंजुला	19	सोनी	परतापुर
86.	,, भानुमति	28	ब्राह्मण	परतापुर
87.	,, सरला देवी	20	जैन	परतापुर
88.	,, चन्द्र कान्ता	19	जैन	गलिया कोट
89.	,, कचरी देवी	18	हजूरी	नया गांव
90.	,, लक्ष्मी देवी	23	मादसार	लोडदा
91.	,, धावरी	18	एस. टी.	अडोर
92.	,, शान्ता देवी	19	ब्राह्मण	आमजा
93.	,, विमला देवी	18	ब्राह्मण	बांसवाड़ा
94.	,, शान्ता देवी	20	भावसारा	सावला
95.	,, कान्ता	22	चिकलीगर	गड़ी
96.	,, राधा देवी	18	राजपूत	गड़ी
97.	,, विमला देवी	18	जैन	गड़ी
98.	,, कमला देवी	20	जैन	सागवाड़ा
99.	,, जया देवी	19	ब्राह्मण	बड़ीसरेड़ी
100.	,, बिमला देवी	21	ब्राह्मण	बड़ीसरेड़ी
101.	,, गेन्द कुंवर	23	राजपूत	गड़ी
102.	,, भगवती	18	ब्राह्मण	बांसवाड़ा
103.	,, बदाम देवी	19	ब्राह्मण	केसरियाजी
104.	,, माया देवी	22	वैरागी	उदयपुर
105.	,, प्रेमलता गांधी	19	जैन	बांसवाड़ा
106.	,, मागी देवी	22	ब्राह्मण	भीलवाड़ा
107.	,, मान कुंवर	18	राजपूत	गड़ी
108.	,, मीरा कुमारी	16	एस. सी.	वजाखर
109.	,, आनन्दकंवर	26	राजपूत	कमजी का पाड़ा
110.	,, बबली देवी	16	एस. टी.	पसोलिया
111.	,, प्रेमलता	18	जैन	गड़ी
112.	,, कलावती	16	एस. टी.	गड़ी
113.	,, कान्ता देवी	19	एस. टी.	गड़ी
114.	,, सुमित्रा	16	ब्राह्मण	खोड़म
115.	,, प्रेमलता	18	जैन	गड़ी
116.	,, हरिप्रिया	23	ब्राह्मण	खोडन
117.	,, शान्ता देवी	22	जैन	गड़ी
118.	,, निर्मला देवी	19	चिकलीघर	गड़ी
119.	,, कमला देवी	18	जोगी	सुवाजी का थड़ा
	एस.टी.—29			
	एस. सी.—3			

परिशिष्ट 11

सूची-'म'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची)

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित ग्रामों का अब तक विद्युतीकरग नहीं किया गया है।

(अ तहसील पचपहाड़

1. गोविन्दपुरा
2. अणेलिया
3. खेजडिया खाल
4. अमलिया खेडी
5. घटोद
6. गणेशपुरा
7. नहरावद
8. गोपालपुरा
9. किशनपुरा
10. मूल्याखेडी
11. आनन्दपुरा
12. खेताखेड़ा
13. सेमली
14. लाड खेड़ा

(ब) तहसील पिड़ावा

15 सूरखेडी
16. खेडा-खोडी
17. आकोदिया
18. अलीपुर
19. अमीनपुर
20. अमीरपुरा
21. आन्याखेड़ी
22. अरनिया
23. असन्दिया
24. अजीजपुर
25. बनजारी
26. बानोर
27. बासखेड़ी
28. बरखेड़ी
29. बरखेड़ीजादीद
30. बीजन्याखेड़ी
31. बीडसरकारी
32. भण्डार|
33. मटखेडा
34. मटखेडाखुर्द
35. बिसमिल्लापुरा
36. बोलि या बुजुर्ग
37. बोल्या खारी
38 बोरबन्द
39. बोरबन्द
40. बोरदा
41. बोरखेड़ी
42. चछलाई
43. चक सेमली
44. चन्द्रपुरा
45. चावड़िया
46. चवली
47. छोडी
48. डाबल
49. दांता
50. दौलतपुरा
51. दीवलखेड़ी
52. देवघी
53. डावला
54. डावला मोज
55. धामनिया
56. डन्डेरा
57. धारा खेड़ी
58. धरमावाखेड़ी
59. धरोनिया
60. धारु खेड़ी
61. धतूरिया कलां
62. धतूरियां खुर्द
63. दोबड़ा
64. दोबड़ी
65. डोगा
66. फर्शपुरा
67. फतेहपुर
68. फतेहगढ़
69. गड़ारा

तहसील पिड़ावा (क्रमशः)

70. सगरदनखेडी
71. गेलाना
72. गेलानी
73. घाटाखेडी
74. घाटाखेडी
75. गोविन्दपुरा
76. गुणदी
77. गुराडिया
78. हनोतिया धरानिया
79. हनोतिया हिन्दुसिंह
80. हिनोतिया रायमल
81. हिनोतिया कोटडी
82. हरनावदामजा
83. हरनावदा पीथा
84. हिम्मतगढ़
85. इलाहिपुरा
86. जबलेन
87. जेताखेडी
88. जीकडी
89. झीकडिया
90. झिरनिया
91. कचरा खेडी
92. कादर नगर
93. काली तलाई
94. काल्या खेडी
95. कल्याणपुरा
96. कल्याणपुरा
97. कनवाडी
98. कराडिया ओसाव
99. कराडिया शेरपुर
100. सुवास
101. केसरपुरा
102. खांदल खेडी
103. खोराना
104. खजूरी
105. खलील नगर
106. खामणी
107. खाडगपुरा
108. खारपा कलां
109. खारपा खुर्द
110. खंटकड
111. खेडा निपानिया
112. खेडा सनोरिया
113. खेडी
114. खिजरपुर
115. किता खेडी
116. कोली खेडा
117. कोलवी
118. कोटडा जेतमाल
119. कोटडा प्रताप
120. कोटडी
121. कुडल खेमराज
122. कुडला प्रताप
123. लालगांव
124. लक्ष्मीपुरा
125. लोटी
126. मारुम खेडी
127. माथनिया
128. मायाखेडी
129. मीरपुरा
130. मोडी
131. मोहम्मदपुरा
132. मोतमीदगंज
133. मुमाना
134. मुंडला
135. नगर
136. नकलंग
137. नीलाई
138. निम्बाहेडा
139. निपानिया
140. नूरपुरा
141. ओडिया खेडी
142. पडियार खेडी
143. पगारिया
144. पालखन्दा
145. पाऊखेडी
146. पीपलिया
147. पेटभर
148. पूरा
149. राजाखेडी
150. राजपुरा
151. राजपुरा
152. राजपुर
153. रमाय दलपत
154. रमाय माहू
155. रामपुरिया
156. रामपुरिया
157. रामटी
158. रसूलपुरा
159. रावल

160. रूपाखेडी
161. रूपाखेड़ी
162. रूपारेल
163. रूपपुरा
164. रूपपुरा
165. सामिया
166. सनोरिया
167. सारंगा खेडा
168. सरखेडा
169. सरोनिया
170. सरवर
171. सावन्तखेडा
172. सथ्यत खेडी
173. सेमली भवानी
174. सेमली चोहान
175. सेमली जन्नार
176. सेमली कल्याण
177. शेरपुर
178. श्यामपुरा
179. सिलोरी
180. सिरपोई खुद
181. सोयली
182. सुनारी
183. स्वासडा
184. ताल
185. लेलिया खेडा
186. टिकटिकिया
187. तुलकिया खेडी
188. तुमडिया खेडी
189. उदल्या खेडी
190. वजीरपुर
191. यशवन्तपुरा

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)

सूची 'अ'

1977-78 में चौमूं डिविजन में पिछड़े तबके के कृषकों जिन्होंने प्रमाण-पत्र दिये हैं, को दिये गये कनेक्शनों की सूची:—

क्र. सं.	कृषक का नाम	ग्राम
1.	श्री छगनलाल	मोरीजा
2.	श्री मोलू राम गणेश	नांगल बाड़ा
3.	श्री छीतर भूरा	हाथलोदा
4.	श्री छोटू डूंगर	हाथलोदा
5.	श्री सोनिया छोटू मीना	नांगल पुरोहित
6.	श्री नानगा धन्ना मीना	नांगल पुरोहित
7.	श्री देवबक्ष नानगराम	बरबाडा
8.	श्री मालू छोटू खटीक	ग्वालदी
9.	श्री मालू गनपत मीना	घोला का बास
10.	श्री हनुमान भूरा मीना	पोला का बास
11.	श्री लालापूरा रैगर	उदयपुरिया
12.	श्री मानू सेडू खटीक	कालाडेर
13.	श्रीमती सुन्दरी देवी	आकेडा चोर
14.	श्री छीतर गुल्ला	महेशवास कलां
15.	श्री कानाराम नानग	महेशवास कलां
16.	श्री छोटू रुडा मीना	इटावा भोपजी
17.	श्री किसना हनुमान रैगर	अनन्तपुरा चिमनपुरा

सूची 'ब'

क्र. सं.	माह	अनुमानित औसत/आवश्यक लाख यूनिट प्रतिदिन	वास्तविक प्राप्ति लाख यूनिट प्रतिदिन	कमी लाख यूनिट प्रतिदिन (औसत)
1.	दिसम्बर, 1977	108	95.99	12.01
2.	जनवरी, 1978	116	100.06	15.94
3.	फरवरी, 1978	129	99.01	29.99

———

(304)

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची)

सूची 'म'

31-1-78 को शेष रहे कृषि कनेक्शनों की संख्या

क्र. सं.	सब-डिविजन कार्यालय	विवरण आंकड़े
(क)	नगर खण्ड, जोधपुर :	
1.	नगर उप-खण्ड प्रथम	3
2.	नगर उप-खण्ड द्वितीय	—
3.	नगर उप-खण्ड तृतीय	2
4.	नगर उप-खण्ड चतुर्थ (ग्रामीण)	285
	'क' कुल ..	290
(ख)	उत्पादन खण्ड, जोधपुर :	
1.	फलौदी उप-खण्ड	15
2.	जैसलमेर उप-खण्ड	—
	'ख' कुल ..	15
(ग)	फलौदी :	
(ग)	निर्माण खण्ड, जोधपुर :	
1.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना उप-खण्ड, भोपालगढ़	7
2.	बिलाड़ा उप-खण्ड	86
	'ग' कुल ..	93
	जोधपुर सम्भाग कुल ..	398

सूची 'ब'

31-1-79 को 31-12-76 तक के शेष रहे कृषि कनेक्शनों की संख्या

क्र सं.	सब-डिविजन कार्यालय	विवरण आंकड़े
7. (क)	**नगर खण्ड, जोधपुर :**	
1.	नगर उप-खण्ड प्रथम	—
2.	नगर उप-खण्ड द्वितीय	—
3.	नगर उप-खण्ड तृतीय	—
4.	नगर उप-खण्ड चतुर्थ (ग्रामीण)	36
	'क' कुल ..	36
(ख)	**उत्पादन खण्ड, जोधपुर :**	
1.	फलौदी उप-खण्ड	6
2.	जैसलमेर उप-खण्ड	—
	'ख' कुल ..	6
(ग)	**निर्माण खण्ड, जोधपुर :**	
1.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना उप-खण्ड, भोपालगढ़	—
2.	बिलाड़ा उप-खण्ड	70
	'ग' कुल ..	70
	जोधपुर सम्भाग कुल ..	112

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची)

कार्यालय नगर परिषद्, जोधपुर

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	शुरू करने का दिनांक	प्रस्तावित पूर्ण	ठेकेदार या निर्माण-कर्ता का नाम	कार्य संतोषजनक या असंतोजनक	अधिशाषी अभियन्ता ने किस-किस कार्यों का निरीक्षण किया (हां/ना)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	150 मिमी. सिवर लाइन, जूना दारू का ठेका।	13,707—00	7—6—77	6—7—77	श्री नवलकिशोर	संतोषजनक	हां
2.	150 मिमी. सीवर लाइन, चडऊ की गली।	4,859—00	7—6—77	12—6—77	श्री छोटू	,,	ना
3.	पत्थर की सड़क का निर्माण रातानाडा, सुभाष चौक।	22,118—00	10—6—77	6—7—77	श्री नवलकिशोर	,,	हां
4.	150 मिमी. सीवर लाइन, बाईजी का तालाब।	3,582—00	10—6—77	9—7—77	अजमेश्वर श्रमिक	,,	ना

5.	150 मिमी. सीवर लाइन, हड़मान जी की भाकरी ।	3,016—00	10—6—77	9—7—77	श्री नवलकिशोर	संतोषजनक	ना
6.	150 मिमी. सीवर लाइन, बनिया-वाड़ा, जौहरी बाजार ।	8,019—00	10—6—77	10—7—77	श्री अजमेश्वर श्रमिक	,,	ना
7.	पत्थर की सड़क निर्माण, मिश्तियों की मस्जिद ।	11,420—00	10—6—77	9—7—77	श्री अब्दुल करीम	,,	हां
8.	नालियों की मरम्मत, जालोरियों का वास ।	4,660—00	10—6—77	10—7—77	श्री अरूण कुमार	,,	ना
9.	150 मिमी. सीवर लाइन, आमली का वास ।	2,570—00	10—6—77	10—7—77	नई रोशनी श्रमिक	,,	ना
10.	पुराने खड्डों को हटाना घंटाघर से	2,800—00	10—6—77	25—6—77	श्री नवलकिशोर	,,	ना
11.	पत्थर की सड़क, सब्जी मंडी, घंटाघर	18,960—00	10—6—77	9—7—77	अनिल कन्स्ट्रक्शन	,,	हां
12.	पत्थर की सड़क, नया तालाब, अदरसिला।	18,180—00	20—6—77	24—7—77	श्री नवल किशोर	,,	हां
13.	पत्थर की सड़क, का निर्माण मेड़ती गेट बारी।	11,430—00	20—6—77	19—7—77	श्री नवलकिशोर	,,	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	225 एम. एम. सीवर, वड़लों का चौक।	11,438–00	20–6–77	19–8–77	श्री नवलकिशोर	सन्तोषजनक	ना
15.	नालियों का निर्माण, उदेमन्दिर क्षेत्र।	7,297–00	20–6–77	19–7–77	नई रोशनी श्रमिक	"	ना
16.	नालियों की मरम्मत, हड़ुमान जी की भाकरी।	17,781–00	20–6–77	19–7–77	श्री नवलकिशोर	"	हां
17.	पत्थर की सड़क, कुचामन की हवेली, मेड़तीगेट।	16,849–00	24–6–77	24–7–77	उदय मन्दिर श्रमिक	"	हां
18.	नालियों की मरम्मत नया तालाब, अदरसिला।	18,842–00	24–6–77	24–7–77	एस. एल. देवड़ा	"	हां
19.	150 मिमी. सीवर लाइन, गंगा-रामजी अस्पताल।	15,842–00	30–6–77	20–7–77	श्री नवलकिशोर	"	ना
20.	मिल्क बूथ का निर्माण, जालप मोहल्ला।	2,526–00	25–6–77	24–7–77	उदय मन्दिर श्रमिक	"	ना
21.	सड़क मरम्मत कार्य, सोजतिया क्षेत्र	13,400–00	24–6–77	23–7–77	सेवा सहकारी समिति	"	ना
22.	150 एम. एम. सीवर लाइन भोवियों की गली, सोजतियां।	11,158–00	3–7–77	2–8–77	साबिर एण्ड कम्पनी	"	ना
23.	150 एम. एम. सीवर लाइन, घोड़ों का चौक।	11,158–00	3–7–77	2–8–77	साबिर एण्ड कम्पनी	"	हां

24.	पत्थर की फर्श का निर्माण, कबाड़ी मार्केट, घंटाघर।	18,339–00	30–6–77	30–8–77	मो. खालिद अब्दुल करीम	संतोषजनक	हां
25.	दीवार का निर्माण, गंगलाव तालाब, चांदपोल।	24,115–00	30–6–77	30–8–77	श्री नवलकिशोर	"	हां
26.	होदियों का निर्माण, सिन्धी कॉलोनी	16,438–00	30–1–77	30–8–77	संगतराम श्रमिक ठेका	"	ना
27.	खतरनाक मकानों को गिराने का कार्य, जालोरी।	17,800–00	7–7–77	20–9–77	संगतराम श्रमिक ठेका	"	ना
28.	खतरनाक मकानों को गिराने का कार्य, सोजतिया क्षेत्र।	17,800–00	7–7–77	20–9–77	संगतराम श्रमिक ठेका	"	ना
29.	खतरनाक मकानों को गिराने का कार्य, चांदपोल क्षेत्र।	17,800–00	7–7–77	20–9–77	संगतराम श्रमिक ठेका	"	ना
30.	पत्थर की सड़क निर्माण, इन्दिरा गांधी, मार्केट घंटाघर।	18,339–00	10–7–77	8–9–77	मो. खालिद अब्दुल करीम	"	हां
31.	पत्थर की सड़क, इन्दिरा गांधी मार्केट से कबाड़ी मार्केट।	18,339–00	10–7–77	8–9–77	मो. खालिद अब्दुल करीम	"	हां
32.	150 एम. एम. सीवर लाइन, सिंधियों का बास, मोची मार्केट।	11,506–00	10–7–77	8–9–77	श्री अरुण कुमार	"	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	नालियों को मरम्मत का कार्य, जूनी वान मंडी, चांदपोल ।	10,875—00	10—7—77	9—8—77	शान्ति प्रसाद	संतोषजनक	ना
34.	150 एम. एम. सीवर लाइन, गोपाल पोल, उम्मेद चौक ।	5,410—00	10—7—77	9—8—77	अब्दुल करीम	"	ना
35.	पत्थर की सड़क व नालियों का कार्य, शान्तिपुरा।	16,585—00	10—7—77	9—8—77	श्री अरूण कुमार	"	हां
36.	कमरे का निर्माण, नगर परिषद् भवन में ।	23,468—00	13—7—77	12—9—77	खालिद गजदर	"	हां
37.	पेशाबघर का निर्माण, चौपासनी रोड पर ।	4,125—00	13—7—77	12—8—77	श्री नवलकिशोर	"	ना
38.	नालियों का कार्य, चामू ठाकुर की हवेली ।	4,190—00	13—7—77	12—8—77	श्री नवलकिशोर	"	ना
39.	रिकार्ड कमरे का निर्माण, नगर परिषद् भवन में ।	29,041—00	12—7—77	12—9—77	खालिद गजदर	"	हां
40.	रूम का निर्माण, नगर परिषद् भवन में	23,470—00	13-7-77	12-9-77	खालिद गजदर	"	हां
41.	150 एम. एम. सीवर लाइन, मेहता जी का नोहरा।	13,280—00	13-7-77	12-9-77	श्री नवलकिशोर	"	हां
42.	150 एम. एम. सीवर लाइन, तेलियों का वास ।	14,188—00	13-7-77	12-9-77	श्री नवलकिशोर	"	हां

43.	नालियों का कार्य, सरदारपुरा पांचवी रोड।	10,952—00	13-7-77	12-9 77	नवलकिशोर	संतोषजनक	हां
44.	मेनहोल कवर फिक्सिंग का कार्य, नागोरी क्षेत्र।	25-000—00	13 7-77	12-9-77	राजस्थान उद्योग	"	हां
45.	मेनहोल कवर फिक्सिंग का कार्य, सोजतिया क्षेत्र।	25,000—000	13-7-77	12-9-77	राजस्थान उद्योग	"	हां
46.	मेनहोल कवर फिक्सिंग का कार्य, जालोरी क्षेत्र।	25,000—00	13-7-77	12-9-77	राजस्थान उद्योग	"	हां
47.	मेनहोल कवर फिक्सिंग का कार्य चांदपोल क्षेत्र	25,000—00	13-7-77	12-9-77	संतोष फाउण्ड्री	"	ना
48.	मेनहोल कवर फिक्सिंग का कार्य, मेड़तिया क्षेत्र।	25,000—00	13-7-77	12-9-77	संतोष फाउण्ड्री	"	ना
49.	नालियों का निर्माण कार्य, कुचामन की हवेली।	6,100—00	12-7-77	12-8-77	उदय मन्दिर श्रमिक ठेका	"	ना
50.	150 मिमी. सीवर लाइन, चांदपोल चौका।	4,077—00	13-7-77	12-8-77	अरूण कुमार बोहरा	"	ना

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	150 मिमी. सीवर लाइन, गुलाब सागर का ओटा ।	18,015—00	15-7-77	14-9-77	एस. एल. देवड़ा	संतोषजनक	हां
52.	पत्थर की सड़क का निर्माण, जालोरी गेट बारी ।	13,425—00	15-7-77	14-9-77	कैलाश चन्द्र	,,	हां
53.	150 मिमी. सीवर लाइन, फोफलियां की गली ।	5,310—00	16-7-77	15-8-77	नवलकिशोर	,,	ना
54.	150 मिमी. सीवर लाइन, बस्वा गुलजारपुरा ।	9,476—00	20-7-77	19-8-77	साबिर एण्ड कम्पनी	,,	ना
55.	150 मिमी. सीवर लाइन, पी. डब्ल्यू. डी. कॉलोनी ।	6,390—00	20-7-77	19-8-77	कैलाश चन्द्र	,,	ना
56.	150 मिमी. सीवर लाइन, मेहरों की गवाड़ी, उम्मेदचौक ।	12,307—00	20-7-77	19-8-77	अब्दुल करीम	,,	हां
57.	कचरा डिपो का निर्माण	19,000—00	21-7-77	20-9-77	नवल किशोर	,,	हां
58.	कंक्रीट की सड़क, लक्ष्मी टिम्बर मार्केट, शनिश्चरजी का थान ।	5,266—00	23-7-77	20-8-77	साबिर एंड कंपनी	,,	ना
59.	सीमेन्ट नालियों का निर्माण, श्याम मनोहर नगर चौक ।	1,619—00	18-7-77	5-8-77	नवल किशोर	,,	ना
60.	पेशाबघर का निर्माण, पूर्वी क्षेत्र, घंटाघर ।	24,903—00	30-7-77	30-9-77	मो. खालिद अ. करीम	,,	हां

61.	पेशाबघर का निर्माण, पश्चिमी क्षेत्र, घंटाघर।	24,903 00	30-7-77	30-9-77	मो. खालिद अ. करीम	संतोषप्रद	हां
62.	टीगार्ड बनाना डामर के खाली ड्रम के।	2,000—00	30-7-77	30-9-77	प्रि. जे. राम एण्ड सन्स	„	ना
63.	150 मिमी. सीवर लाइन, उदय मन्दिर मिडिल स्कूल।	21,501—00	30-7-77	30-9-77	मो. इमाम	„	हां
64.	केटल पाउन्ड, उदय मन्दिर, रिपेयर कार्य।	7,511—00	30-7-77	30-8-77	सेवा सहकारी समिति	„	हां
65.	150 मिमी. सीवर लगाना, बड़ी मस्जिद बाबा।	6,307—00	30-7-77	30-8-77	नवल किशोर	„	ना
66.	पत्थर की सड़क निर्माण, गीता भवन, सरदारपुरा।	2,504—00	30-7-7	15-8-77	साबिर एण्ड कम्पनी	„	ना
67.	पेशाबघर का निर्माण, मेड़ती गेट के अन्दर।	4,026—0	5-8-77	4-9-77	वयमन्दिर श्रमिक ठेका	„	ना
68.	1 0 मिमी. सीवर लाइन रामानुज कोट, फतेहसागर।	7,901—00	5-8-77	4-9-77	एस. एल. देवड़ा	„	ना
69.	नालियों की मरम्मत कार्य, कंवर लालजी का बाड़ा (16, 25.00)	16,525—00	5-8-77	4-10-77	नवल किशोर	„	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	पत्थर की सड़क व नालियों का कार्य हाथीराम का ओड़ा ।	9,692–00	10-8-77	9-9-77	साबिर एंड कंपनी	संतोष प्रद	ना
71.	150 एम. एम. सीवर लाइन, नाइयों की गली, सिटी पुलिस ।	16,680– 0	5-8-77	4-9-7	नवल किशोर	"	ना
72.	पत्थर की सड़क, डॉ. जाकिर हुसैन कालोनी, सरदारपुरा ।	18.491–00	9-8-77	9-10-77	आदर्श लेबर का ‍क्ट	"	हां
73.	पत्थर की सड़क, महिलाबाग अस्पताल के पीछे ।	10,016–00	9-8-77	10-9-77	नवल किशोर	"	ना
74.	वस्त्र कुंड की दिवार का कार्य, सूरसागर ।	9,114–0	16-8-77	15-9-77	सुयोग श्रमिक ठेका	"	ना
75.	150 एम. एम सीवर लाइन जसवन्त सराय से रेलवे क्लब	10,117–00	16-8-77	15-9-77	सेवा सहकारी समिति	"	हां
76.	पत्थर की सड़क व नालियों का कार्य, सिवान्ची गेट ।	12,771–00	16-8-77	15-9-77	शान्ती प्रसाद	"	हां
77.	डब्ल्यू. बी. एम. रोड का निर्माण, लोड़ा कालोनी, रातानाड़ा	22,797–00	21-9-77	20-10-77	सुयोग श्रमिक ठेका	"	हां
78.	डब्ल्यू. बी. एम. रोड का निर्माण, । महात्मा गांधी स्कूल के पीछे ।	22,797–00	21-8-77	20-10-77	सुयोग श्रमिक ठेका	"	ना
79.	ऐलसर की दीवार, इन्द्रागांधी मार्केट	16,810–00	16-8-77	15-9-77	नवल किशोर	"	हां

80.	(अ) 150 मिमी. सीवर लाइन, कुमारिया कुआं से हरिदासजी ।	10,219—00	1-9-77	30-9-77	कैलाश चन्द्र	संतोषजनक	ना
	(ब) ऐलसर की सड़क का निर्माण, कबाड़ी मार्केट, घंटाघर ।	18,974—00	25-8-77	24-10-77	एस. एल. देवड़ा	,,	हां
81.	नालियों का कार्य, फतेहसागर मेड़तिया क्षेत्र ।	6,775—00	1-9-77	30-9-77	एस. एल. देवड़ा	,,	हां
82.	पत्थर की सड़क का निर्माण, कासम खां बिल्डिग, सिवांचीगेट ।	24,335—00	25-8-77	24-10-77	एस. एल. देवड़ा	,,	हां
83.	150 एम. एम. सीवर लाइन, आलोरिया का बास ।	10,279—00	25-8-77	24-8-77	एस. एल. देवड़ा	,,	ना
84.	पत्थर की सड़क की मरम्मत, पचेरिया पहाड़, चांदपोल ।	12,411—00	25-8-77	24-9-77	सेवा सहकारी समिति	,,	हां
85.	पत्थर की सड़क, नमक मार्केट, घंटाघर ।	18,935—00	1-9-77	30-10-77	म. इनाम	,,	ना
86.	पत्थर की सड़क का नालियों का कार्य, गुलशनजी का ।	15,439—00	25-8-77	24-10-77	नवलकिशोर	,,	हां
87.	सूरसागर तालाब की दीवार बनाना	5,253—00	25-8-77	24-10-77	सुयोग श्रमिक ठेका	,,	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	पत्थर की सड़क, काबरा हाउस से बेलदार बस्ती।	11,862—00	25-8-77	24-9-77	मो. खालिद अब्दुल करीम	संतोषजनक	हां
89.	उदय मन्दिर में लेडीज लेट्रीन का निर्माण।	2,369—00	1-9-77	31-10-77	उदय मन्दिर श्रमिक ठेका	,,	ना
90.	पत्थर की सड़क व ड्रेन कार्य, मंगलियों की गली।	4,531—00	1-9-77	30-9-77	अरुण कुमार	,,	ना
91.	पत्थर की सड़क व नालियों का कार्य, सुखानन्द की घाटी।	14,800—00	1-9-77	30-9-77	पीर मोहम्मद	,,	हां
92.	डब्ल्यु. बी. एम. रोड व डामर का कार्य, सोफिया स्कूल।	9,225—00	1-9-77	30-9-77	पीर मोहम्मद	,,	ना
93.	सड़क मरम्मत कार्य, सोजतियां रोड (क्षेत्र)।	14,000—00	1-9-77	30-9-77	नवल किशोर	,,	ना
94.	गजानन्द जी के टेम्पल की दीवार बनाना।	2,437—00	19-9-77	26-9-77	संगतराम श्रमिक ठेका	,,	ना
95.	पेशाबघर का निर्माण, उम्मेद चौक में	4,145—00	1-9-77	30-9-77	उदय मन्दिर श्रमिक ठेका	,,	ना
96.	पत्थर की सड़क, कुचामन की हवेली, मेड़तिया गेट।	13,544—00	20-9-77	19-10-77	एस.एल. देवड़ा	,,	हां
97.	जालोरीगेट नाले की दीवार बनाना	10,098—00	30-9-77	29-10-77	कैलाश चन्द्र	,,	ना

98.	डामर का पेच रिपेयर कार्य फतेपोल से जालोरी गेट ।	11,282—00	7-10-77	20-10-77	नवल किशोर	संतोषजनक	हां
99.	रोड कटिंग रिपेयर कार्य, सोजतिय, क्षेत्र ।	4,875—00	2-12-77	17-12-77	श्री छोटू	"	ना
100.	रोड कटिंग रिपेयर कार्य, चांदपोल क्षेत्र	5,775—00	8-12-77	23-12-77	श्री छोटू	"	ना
101.	रोड कटिंग रिपेयर कार्य, मेड़तियागेट क्षेत्र ।	4,875—00	18-12-77	3-1-78	श्री छोटू	"	ना
102.	रोड कटिंग रिपेयर कार्य, जालोरी क्षेत्र	4,875—00	4-12-77	19-12-77	श्री छोटू	"	हां
103.	रोड कटिंग रिपेयर कार्य, नागौरी गेट	4,875—00	14-12-77	30-12-77	श्री छोटू	"	ना
104.	पत्थर की सड़क का निर्माण, बाईजी का तालाव ।	10,522—00	5-12-77	4-1-78	श्री कैलाश चन्द	"	हां
105.	150 मिमी० सीवर लाइन बनाना, टाकुर की हवेली ।	6,134—00	5-12-77	4-1-78	साकिर एण्ड कंपनी	"	ना
106.	150 एम एम. सीवर लाइन, गुलावपुरा, मेडतियां ।	7,154—00	10-12-77	9-1-78	नवल किशोर	"	ना
107.	केचपिट का निर्माण, जूना दारू का ठेका	1,159—00	7-12-77	7-1-78	साबिर एण्ड कंपनी		ना

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	150 मिमी. सीविर लाइन, तेलियों की गली, नागौरी क्षेत्र ।	5,064—00	7-12-77	6-1-78	नवल किशोर	संतोषजनक	ना
109.	150 मिमी. सीवर लाइन स्थल, किसनपुरा ।	4,318—00	7-12-77	6-1-78	अब्दुल करीम	"	ना
110.	150 मिमी. सीवर लाइन, बच्चा गली, गुलाब सागर ।	3,264—00	7-12-77	6-1-78	एस. एल. देवड़ा	"	ना
111.	कोटा नं. 221 का रद्दोबदल, घन्टाघर में ।	4,191—00	7-12-77	6-1-78	नवल किशोर	"	ना
112.	फायर ब्रिगेड में दो गैरेजे का निर्माण	17,386—00	7-12-77	25-1-78	साबिर एंड कंपनी	"	ना
113.	150 मिमी. सीवर लाइन, आचारियों का मोहल्ला ।	13,876—00	7-12-77	6-1-78	एस. एल. देवड़ा	"	हां
114.	पत्थर की सड़क का निर्माण, उदय मन्दिर क्षेत्र में ।	16,621—00	7-12-77	6-1-78	अब्दुल करीम	"	ना
115.	150 मिमी. सीवर लाइन, पीपली की गली, बागर चौक ।	12,483—00	7-12-77	6-1-78	एस. एल. देवड़ा	"	ना
116.	150 मिमी. सीवर लाइन, सुथारों का बास, नागौरी क्षेत्र ।	12,478—00	7-12-77	6-1-78	मो. इनाम	"	ना
117.	पब्लिक शौचालय की मरम्मत	4,795—00	7-12-77	6-1-78	सुयोग श्रमिक ठेका	"	ना

118.	पत्थर की सड़क, शम्भु भवन के सामने ।	17,851—00	15-12-77	14-2-78	सुयोग श्रमिक ठेका	संतोषजनक	हां
119.	पत्थर की सड़क, चौपासनी	11,097—00	9-12-77	6-1-78	श्री बाबू भाई	,,	ना
120.	नालियों का कार्य, पंच मन्दिरिया, मेड़तिया ।	7,790—00	7-12-77	6-1-78	कैलाश चन्द्र	,,	ना
121.	पत्थर की सड़क, चौपासनी	12,308—00	7-12-77	6-1-78	श्री नवल किशोर	,,	हां
122.	नालियों का कार्य, प्यारे मियोंका चौक ।	7,318—00	10-12-77	9-1-78	अब्दुल करीम	,,	ना
123.	पत्थर की सड़क, हरिसिंहजी हाउस, मेडतियां ।	17,040—00	10-12-77	9-2-78	एस. एल. देवड़ा	,,	हां
124.	150 मिमी. सीवर लाइन, ब्रह्मपुरी, सिंधियों का बास ।	6,128—00	7-12-77	6-2-78	श्री नवल किशोर	,,	ना
125.	लेडीज शौचालय को कवर करना, किलीखाना, नागौरी ।	15,371—00	7-12-77	6-1-78	श्री नवल किशोर	,,	ना
126.	पत्थर की सड़क बाजो वालों की गली, मेड़तियां ।	17,825—00	7-12-77	6-1-78	श्री नवल किशोर	,,	ना

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	150 मिमी. सीवर लाइन, मरमल की गली ।	8,800—00	12-12-77	12-1-78	मो. इनाम	संतोषजनक	ना
128.	150 मिमी. सीवर लाइन, स्कूल बिसनपुरा, मेडतिया ।	7,555—00	15-12-77	14-1-78	मो. इनाम	,,	ना
129.	पत्थर की सड़क, प्यारे मियां का चौक, गुलजारपुरा ।	11,235—00	15-12-77	14-1-78	श्री नवल किशोर	,,	ना
130.	रोड रिपेयर का कार्य, मोचियों की घाटी ।	15,252—00	7-12-77	6-1-78	पीर मोहम्मद	,,	ना
131.	225 मिमी. सीवर लाइन, लायकान का मोहल्ला ।	16,118—00	25-12-77	24-1-78	मो. इनाम	,,	ना
132.	पत्थर की सड़क, चांदपोल गेट के बाहर ।	19,065—00	28-12-77	24-2-78	श्री अरुण कुमार	,,	ना
133.	पत्थर की सड़क का निर्माण, पंच मन्दिरिय ।	14,850—00	27-12-77	26-1-78	श्री नवल किशोर	,,	ना
134.	पत्थर की सड़क, बम्बा बारी से गुलजारपुरा ।	12,998—00	27-12-77	26-1-78	श्री अब्दुल करीम	,,	ना

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 123 का एपेंडिक्स)

AGREEMENT

Articles of AGREEMENT made this 4th Day of February, 1967 BETWEEN GYANI RAM HARAKH CHAND SARAOGI CHARITABLE TRUST OF P-8, Kalakar Street, Calcutta-7 (hereinafter called the "DONOR", which expression shall include executors, administrators and assigns) of the ONE PART and the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called "the Government" of the OTHER PART.

WHEREAS THE Donor has a keen desire to advance the cause of education by donating money for constructing a building for a college of Arts & Commerce;

AND WHEREAS in pursuance of the aforesaid desire the Donor has proposed to the Government that the Donor shall give to the Government a sum of Rs. Four Lac only towards the construction of the aforesaid building on the terms and conditions hereinafter contained;

AND WHEREAS the Government has accepted the above-mentioned proposal on the terms and conditions hereinafter contained;

NOW, THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSES AND THE Parties hereto hereby agree as follows:—

1. In consideration of the Government agreeing to construct a building for the said college of Arts & Commerce, hereinafter called "GYANIRAM HARAKH CHAND SARAOGI COLLEGE OF ARTS & COMMERCE, SUJANGARH", and to undertake the other obligations hereinafter mentioned the Donor hereby covenants with the Government as follows:—

(a) The Donor shall pay to the Government a sum of Rs. Four Lac only as a donation towards the expenses of constructing a building for the said College including class rooms and other structures necessary for the said College according to the Blue print already agreed to between the parties hereto and annexed to this agreement (which building with the various rooms and other structures mentioned above is hereinafter referred to as "the said building").

(b) The said sum shall be paid by the Donor in the following manner:—

1. Rs. One lac only at the time of signing the Agreement,
2. Next Rs. One lac only after 6 months of 1st instalment,
3. Next Rs. One lac only after 6 months of 2nd instalment,
4. Next Rs. One lac only after six months of 3rd instalment.

and the Government shall not be bound by this agreement if payment is not made by the Donor according to this agreement.

2. The Government hereby covenants with the Donor as follows:—

(a) The Government shall get the said building constructed in a workmanlike manner and shall subject to the provisions of sub-clause (a) of clause 1 bear all the expenses of its construction in accordance with Blue print mentioned above.

(b) The Government shall commence the construction of the building on/after signing the agreement and not later than one month in any case.

(c) The Government shall start a College of Arts and Commerce in the said building from July, 1967.

(d) The said College shall be named as "SHRI GYANIRAM HARAKH CHAND SARAOGI COLLEGE OF ARTS & COMMERCE, SUJANGARH" and the said name shall not be changed under any circumstances not even if the activities of the institution are extended or the said building is improved or added to in future by gifts or contributions made by the Government or any other party. All correspondence shall be made under the name & style of Shri Gyani Ram Harakh Chand Saraogi College of Arts and Commerce, Sujangarh.

(e) Equipment, both technical and non-technical including articles of academic use for the said College shall be provided by the Government at its own expenses.

(f) The Government undertakes at all times to maintain the building, equipment and all other property belonging to the Government in good working order from year to year and also to provide the teaching staff and establishment that may be necessary from time to time for carrying out the objects of the

said college and bear all expenses, initial and recurring necessary thereforc or incidental thereto.

(g) The donor shall be allowed by the Government the privilege of nominating students for admission to the said College not exceeding FIVE in any academic year.

3. It is hereby agreed between the parties hereto as follows:—

(a) The lands, equipment and property as well as the management and control of the said college will vest in the Government.

(b) The Government shall pay all taxes, rates, charges, assessment and other dues leviable in respect of the said college.

(c) The donor shall have the right to place the portrait of Shri GYANIRAM SARAOGI in the hall and also statue of Shri GYANIRAM SARAOGI at a suitable place in the College area, which shall not be removed or replaced by the other portrait or statue whatsoever.

(d) The name of the College will be inscribed on the main gate and a big marble stone engraved with that name shall be put on the front portion of the central part of the College building. The name inscribed and the marble stone shall always remain and if the said is disfigured or damaged the Government shall replace or repair the same at their own cost. The trust shall also have the right to replace and repair the same at the cost of Government if the said is not repaired or replaced by the Government within reasonable time after a due notice is given to the Government.

(e) The Goverment shall allow one day's holiday of Mahaveer Jayanti every year.

(f) The Government shall run the college for propagation of higher education in both Arts and Commerce faculties in P. U. C. and T. D. C. classes with the benefits of and for spreading education and shall have liberty to run Post Graduate classes.

(g) The plot of land measuring 24 acres falling south of the road going to Jaswantgarh station from Sujangarh which also

falls east of the road from Jaswantgarh Railway Station to Jaswantgarh i. e. the corner plot of the road near Jaswantgarh Railway Station, the map of which is enclosed, will be made available by the Government at their own cost for construction of the said building and for playing grounds etc.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been signed on the day and year first mentioned above on behalf of the Donor by Shri Harakhchand Saraogi and on behalf of the Governor by the Director of Education, Rajasthan, Jaipur.

Sigend on behalf of the Donor,

For Gyani Harakhchand Saraogi Charitable Trust.

Sd/-
Harakhchand Saraogi
Trustee.

Witness:—

1 Sd/- Babulal Dugar
R/O Sujangarh

Signed by order and on behalf of the Governor of the State of Rajasthan

2 Sd/- Mohammed Haneef,
Office Superintendent,
Directorate of Education
Rajasthan, Jaipur.

Sd/-
Director of Education,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न सख्या 128 की सूची)

सन् 1977-78 में राज्यादेशों द्वारा किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण की सूची

निदेशक.	169
संयुक्त निदेशक (पुरुष) जयपुर	517
उप निदेशक, उदयपुर (पुरुष)	127
उप-निदेशक, जोधपुर (पुरुष)	304
योग ..	948
स. मि. महिला, जयपुर	168
उप-निदेशक (महिला), जोधपुर	33
उप-निदेशक (महिला), उदयपुर	49
योग ..	250
कुल योग ..	1367

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का आदेश)

Copy of the Regulation No. 117 of the Rajasthan State Road Transport Employees Service Regulations, 1965.

117. (a) A selection strictly on seniorty-cum-merit shall be made from among the persons eligible for such promotion under the provisions of these regulations.

(b) The posts on which appointment shall be made by promotion shall be notified by the Corporation from time to time.

(c) In selecting the candidates for promotion, record shall be had to their—

(i) academic qualification including experience,

(ii) tact, energy and intelligence,

(iii) integrity, and

(iv) previous record of service.

(d) As soon as it is decided that a certain number of posts in a class of service will be filled up by promotion the Deputy General Manager or such other authority as may be nominated by the Corporation, shall prepare a list of senior-most persons eligible for promotion, not exceeding 10 times the number of vacancies.

(e) The Service Recruitment Board shall recommend the means to the appointing authority for appointment on promotion posts after considering cases of all the persons those who have passed the requisite practical test written test or qualifying written exam. to judge the suitability of the candidates for the words "all the persons".

(f) The General Manager shall in consultation with the Head of Deptt. prescribed the standard of practical test and syllabus of written test of qualifying written test or qualifying written examination for the purpose of clause (e) of the regulation.

Copy of the order No. 5 of the Rajasthan State Road Transport Workers and Workshop Employees' Standing Orders, 1975.

(5) (i) No person shall be appointed as a Motor Transport Worker in the Corporation without a medical fitness Certificate.

(ii) Character of a person seeking recruitment as a Motor Transport worker must be such as to fit him for Service of the Corporation will be required to produce a certificate of good character from a reputed or responsible person not related to him.

(iii) Corporation shall prescribe academic and other qualifications for direct recruitment to a post or for promotions from lower posts to higher posts.

(iv) Corporation shall prescribe procedure for recruitment and promotions from lower posts to higher posts of Motor Workers.